मंगलवार, 8 अप्रैल 1985

18 चैत्र, 1907 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 8 अप्रैल, 1985/18 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय-सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 13, अ0प्र0संख्या "2117" के स्थान पर "2171" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 23, "बठा" के स्थान पर "बैठा" पढ़िये।

विषय-सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 15 तथा 26 दोनों में "बो" के स्थान पर "वी" पढ़िये।

विषय-सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 25, "फकोर" के स्थान पर "पकोर" पढ़िये।

पृष्ठ 7, पंक्ति 8, ता0प्र0संख्या "x234" के स्थान पर "x324" पढ़िये।

पृष्ठ 7, पंक्ति 16 के नीचे बाईं ओर "(अनुवाद)" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 8, पंक्ति 12 के नीचे "(हिन्दी)" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 8 में लिखे (अनुवाद) का लोप करके उसे पंक्ति 10 में "संगठित" से पहले अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 11, पंक्ति 25, ता0प्र0 संख्या "x337" के स्थान पर "x327" पढ़िये।

पृष्ठ 21, पंक्ति 25, पृष्ठ 22, पंक्ति 17 तथा 21, पृष्ठ 23, पंक्ति 17, 22 व 25, "एडुआर्डो" के स्थान पर "एडुआर्डो" पढ़िये।

पृष्ठ 48, पंक्ति 22, के नीचे बाईं ओर "(हिन्दी)" अंत:स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 131, पंक्ति 3, "बाच" और "सहरसा" के मध्य "वरास्ता" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 149, पंक्ति 20 "स्वर" के स्थान पर "स्तर" पढ़िये।

पृष्ठ 160, पंक्ति 15, "(ख) से (घ)" के स्थान पर "(ख) और "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 169, पंक्ति 12, "(क) से (घ)" के स्थान पर "(क) (ख) और (घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 212, पंक्ति 11, "फकोर" के स्थान पर "पकोर" पढ़िये।

पृष्ठ 305, पंक्ति 1, "आकट" के स्थान पर "मार्केट" पढ़िये और पंक्ति 17 में "चतुवदो" के स्थान पर "चतुर्वेदो" पढ़िये।

पृष्ठ 323, पंक्ति 1, "(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 328, पंक्ति 16, "(बालरेहाट)" के स्थान पर "(बसिरहाट)" पढ़िये।

पृष्ठ 351, पंक्ति 26, "पूर्णिमा" के स्थान पर "पूर्णिया" पढ़िये।

पृष्ठ 353, पंक्ति 16, "प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।" के स्थान पर "प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-" तथा इसे पंक्ति के मध्य के स्थान पर पंक्ति के आरम्भ में पढ़िये।

पृष्ठ 358, पंक्ति 17, "बैरी" के स्थान पर "बैरो" पढ़िये।

पृष्ठ 358, पंक्ति 24, "(पसकुरन)" के स्थान पर "(पसकुरा)" पढ़िये।

पृष्ठ 372, पंक्ति 15, "वर्द्धवान" के स्थान पर "बर्दवान" पढ़िये।

पृष्ठ 378, पंक्ति 8, "कनूनोज" के स्थान पर "कन्नानोर" पढ़िये।

पृष्ठ 396, प्रथम पंक्ति, "(श्री ए०ई०टी०बैरो)" का लोप करिये।

पृष्ठ 400, पंक्ति 29, "(आस्कर)" के स्थान पर "(आस्का)" पढ़िये।

पृष्ठ 408, पंक्ति 31, "श्रीमतो फूलरेणु गुद्दा" के स्थान पर "श्रीमती फूलरेणु गुहा" पढ़िये।

पृष्ठ 422, पंक्ति 23, शीर्षक में "एक्को" के स्थान पर "एक्को" पढ़िये

पृष्ठ 474, पंक्ति 10, "खर्चा कटौती प्रस्ताव" के स्थान पर "सभी कटौती प्रस्ताव" पढ़िये।

पृष्ठ 474, नीचे से पंक्ति 2, "(शब्द)" के पश्चात "के" अंत:स्थापित करिये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 3, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 18, सोमवार, 8 अप्रैल, 1985/18 चैत्र, 1907 (शक)

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर : ... ... 1—24

*तारांकित प्रश्न संख्या : 323, 324, 327, 328, 331, 332 334 और 335

प्रश्नों के लिखित उत्तर : ... ... 25—332

तारांकित प्रश्न संख्या : 303 से 322, (4.4.85) 325, 326 329, 330, 333, 336 से 340 और 342 (8.4.85)

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1847 से 1996 (4.4.85) 1997 से 2117 (8.4.85)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... 333—334

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... ... 335—348

हाल की रेल दुर्घटनायें, विशेषकर 5 अप्रैल, 1985 को हावड़ा-अमृतसर मेल और हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की दुर्घटना, जिनमें अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई और अन्य अनेक लोग घायल हुए।

श्री अमल दत्त 335

* किसी नाम पर अंकित† चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

श्री बंसी लाल 336
श्री बसुदेव आचार्य 341
श्री ललित माकन 343
श्री सत्यगोपाल मिश्र 346

भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के संयंत्र से 28 मार्च, 1985 और 1 अप्रैल, 1985 को क्लोरीन गैस तथा सल्फोनिक एसिड गैस के रिसाव के संबंध में वक्तव्य ... ...

श्री वीरेन्द्र पाटिल 349

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 349—352

(एक) दिल्ली में साफ किये हुए और कच्चे पानी की कमी तथा इस चिरकालिक समस्या को हल करने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।

श्री चिन्तामणि जेना 349

(दो) विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करने और उस क्षेत्र के प्रमुख नगरों के बीच सीधी टेलीफोन सेवा की सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता।

श्री प्रताप भानु शर्मा 350

(तीन) उत्तर प्रदेश के विकास के लिये उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक धन आबंटित करने की आवश्यकता।

श्री राम प्यारे पनिका 351

(चार) पूर्णिया में एक उच्च शक्ति वाला टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता।

श्री डूमर लाल बैठा 351

(पांच) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र दिये जाना तथा इस संबंध में उचित और सामयिक

पृष्ठ

कार्यवाही करने की आवश्यकता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 352

(छः) गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता।

श्री जैनुल बशर 352

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 ... ... 353—474

शिक्षा मंत्रालय

श्री आनन्द गजपति राजू 354
प्रो० के० के० तिवारी ... ... 361—366
श्री डी० पी० यादव ... ... 367—371
श्री सुधीर राय ... ... 372—374
श्रीमती किशोरी सिंह ... ... 375—377
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ... ... 378—379
श्री हुसेन दलवाई ... ... 380—381
श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर ... ... 382—383
श्री हरद्वारी लाल 384
श्रीमती कृष्णा साही 390
श्रीमती गीता मुखर्जी 393
प्रो० चन्द्र भानु देवी 397
श्री उमाकान्त मिश्र 399
श्री सोमनाथ रथ 400
श्री ए० ई० टी० बैरो 403
श्री जैनुल बशर 406
श्रीमती फूलरेणु गुहा 408
श्री ई० एस० एम० फकीर मोहम्मद 411
श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव 413
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत ... ... 415—418
श्री मुकुल वासनिक ... ... 419—421

पृष्ठ

चाय कंपनियां (रुग्ण चाय एककों का अधिग्रहण तथा अंतरण) 422
अध्यादेश के प्रख्यापित किये जाने के बारे में वक्तव्य

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 425

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 (—जारी) ... ... 426—474

शिक्षा मंत्रालय (—जारी) ... ...

प्रो० सैफुद्दीन सोज 426
श्री बीरेन्द्र सिंह 433
श्रीमती जयन्ती पटनायक 436
डा० ए० कलानिधि 438
श्री जगदीश अवस्थी 441
श्री सुरेश कुरुप 443
श्रीमती मनोरमा सिंह 445
श्री पीयूष तिग्की 447
श्री बाई० एस० महाजन 449
श्री प्रताप भानु शर्मा 452
श्री कृष्ण चन्द्र पंत 454

लोक सभा

सोमवार, 8 अप्रैल, 1985/18 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दूध, अंडा, मछली और मुर्गे-मांस की आवश्यकता

[अनुवाद]

* 323. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पोषाहार बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आंतरिक खपत के लिए दूध, अंडा, मछली और मुर्गे-मांस की प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी है;

(ख) उक्त उत्पादों की वर्तमान प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है; और

(ग) छठी योजनावधि के दौरान इनका कुल उत्पादन लक्ष्य कितना था तथा वास्तव में कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कोई राष्ट्रीय पोषाहार बोर्ड नहीं है। दूध, अंडा, मछली और मुर्गे-मांस की प्रति व्यक्ति अनुमानित वार्षिक उपलब्धि क्रमशः 51.8 किलोग्राम, 18,3.1 किलोग्राम और 187 ग्राम है। छठी पंचवर्षीय योजना (1984-85) के अन्त तक दूध, अण्डा, मछली और मुर्गे-मांस की लक्षित और प्रत्याशित उपलब्धि अगले पृष्ठ पर दी गई है :—

मद	यूनिट	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि
1. दूध	दस लाख मीटरी टन	38.0	38.4
2. अण्डा	दस लाख	13.000	13,500
3. मछली	दस लाख मीटरी टन	2,955	2,850
4. मुर्गे-मांस	दस लाख मीटरी टन	निर्धारित नहीं	0.14

श्री जायनल अबेदिन : महोदय, प्रश्न में निर्दिष्ट प्रत्येक मद पशुओं से प्राप्त हैं, मानव स्वस्थ्य के लिए इन खाद्य वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक है मंत्री महोदय द्वारा अपने विवरण में पोषणिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं दिए गए हैं, लेकिन उपलब्धता के सम्बन्ध में आंकड़े यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि आयोग और अन्य विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार न्यूनतम पोषणिक आवश्यकता काफी कम है। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता केवल 137 ग्राम या उसके बराबर है और मछली की केवल 12 ग्राम, मांस की केवल 4 ग्राम और अण्डे के मामले में यह केवल एक और चौथाई अण्डा है। इसके विपरीत, पोषणिक आवश्यकता काफी अधिक है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि पोषणिक आवश्यकता और अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की वास्तविक उपलब्धता के बीच बड़ा अन्तर है। इस कमी के कारण, इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और अल्प पोषाहार और कुपोषण भी बढ़ रहा हैं जिससे प्रत्येक वर्ष हमारे करोड़ों बच्चे मृत्यु और शारीरिक और मानसिक हानि के शिकार हो रहे हैं। इस अन्तर को पूरा और कीमतों के बढ़ने, साथ ही साथ अल्प-पोषाहार और कुपोषण की जांच करने के लिए इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में यथा संभव शीघ्र वृद्धि अत्याधिक आवश्यक है। लेकिन उत्पादन में वृद्धि की वर्तमान दर, अगले 15 या 20 वर्षों में न्यूनतम पोषणिक आवश्यकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगी। लेकिन उस समय, जनसंख्या सौ करोड़ या अधिक के स्तर पर पहुंच जाएगी।

इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कोई प्रोद्योगिकी या प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई है जो रख-रखाव लागत को बढ़ाए बिना डेरी, पशु और मुर्गी प्रत्येक का तेजी से उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी और वह उपाय क्या हैं जो सरकार ने उस प्रणाली को सरकार से किसानों को देने के लिए रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह लिखित विवरण है या प्रश्न है ?···मेरे विचार में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने से पहले या लिखित विवरण था।

श्री जायनल अबेदिन : अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने से पहले यह एक तैयार विवरण था।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न पूछे जाने से पहले प्रश्न की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, मुझे सहयोग देने के लिए धन्यवाद माननीय सदस्य ने हमारे देश-वासियों द्वारा प्रति व्यक्ति प्रयुक्त खाद्य-वस्तुओं में बहुत से पहलू मिला दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसा कि मैंने विवरण में बताया है जो सभा पटल पर रखा गया था, ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था और राष्ट्रीय पोषाहार बोर्ड नाम का कोई बोर्ड नहीं है। जिसके आधार पर माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न किया है। माननीय सदस्य को जो सूचना भेजी गई है वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की पोषाहार सलाहकार समिति द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों पर आधारित है जिसने 1981 में शाकाहारियों के लिए संतुलित भोजन पर अपनी सिफारिशें दी हैं। अब माननीय सदस्य को मानना चाहिए कि समिति ने शाकाहारियों के लिए कतिपय सिफारिश की हैं जबकि माननीय सदस्य का संपूर्ण प्रश्न मांसाहारी भोजन के बारे में है। मेरी कठिनाई यह है कि शाकाहारी स्तर मांसाहारियों पर कैसे लागू हो सकते हैं।... (व्यवधान)

कतिपय प्रतिमानों के प्रयोग द्वारा इसे बदलने के प्रयास किए गए हैं जो माननीय सदस्य को संतुष्ट कर सकते हैं उदाहरण के लिए हमने एक अण्डे के लिए 50% दालों को प्रतिस्थापित करने के प्रयास किए हैं। इसी प्रकार 100% दालों का प्रतिस्थापन दो अण्डों के बराबर होगा और इसके अतिरिक्त हमने 10 ग्राम चर्बी और तेल को जोड़ा है। इस गणना के आधार पर हमने उत्तर विवरण पत्र में दिया है।

उत्पादन के बारे में माननीय सदस्य की आशंकाएं उचित नहीं हैं। उत्पादन के मामले में मैं रिकार्ड के लिए कहना चाहूंगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में 1950-51 के दौरान 1.7 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था जबकि छठी योजना के अन्तिम वर्ष में उत्पादन 3.84 करोड़ टन तक पहुंच गया है। अण्डों के संबंध में, 1950-51 में उत्पादन संख्या 18320 लाख थी। अब वर्ष 1984-85 के अंत में और 1985 के शुरू में यह आंकड़े 103,5000 लाख अंडे तक पहुंच गयी है। इस प्रकार, इससे पता चलता है कि जहां तक दूध और अंडे के उत्पादन का संबंध है इनमें विचारणीय वृद्धि हुई है। इसी प्रकार मछली उत्पादन के संबंध में भी हमने काफी काम किया है।

श्री आशुतोष अग्निहोत्री : प्रति व्यक्ति वृद्धि क्या है ?

श्री बूटा सिंह : महोदय, जैसा मैंने बताया है हमारी सूचना सलाहकार समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जनसंख्या भी बढ़ रही है। उसके बारे में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : जनसंख्या भी उत्पादन के बराबर बढ़ रही है।

श्री बूटा सिंह : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की पोषाहार सलाहकार समिति की

रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकता इस प्रकार आंकी गई है - अनाज -- 436 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन; पत्तेदार सब्जियां 464 ग्राम; अन्य सब्जियां 49 ग्राम; कन्द और मूल-- 44 ग्राम; चर्बी और तेल 34 ग्राम; चीनी/गुड़—34 ग्राम; दूध - 220 ग्राम; दालें— 47 ग्राम। यह वह आवश्यकताएं हैं जो सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की हैं। मैं क्षमा चाहता हूं; इस समय वास्तविक उपभोग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हम निश्चय ही कुछ सर्वेक्षण करना चाहते हैं कि हमारे देश में औसत नागरिक खाद्य पदार्थों में कितनी कैलोरी और प्रोटीन प्राप्त करता है।

श्री जयनाल अबेदिन : मैं छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्षवार आयातित पशुओं की संख्या और इस उद्देश्य के लिए खर्च की गई राशि और इसके परिणाम जानना चाहता हूं।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न को उठाया है। मैं उनके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहा था। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और हमने एक योजना बनाई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्होंने आयातित पशुओं की संख्या के बारे में प्रश्न किया है।

श्री बूटा सिंह : मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। हम विभिन्न फार्मों के माध्यम से आयातित स्टाक से देशी पशुओं के वर्ण-संकलन द्वारा अपने पशुओं की नस्ल सुधार रहे हैं। हमने नस्ल में सुधार किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी माननीय मन्त्री ने कहा कि स्वीकृत पोषणिक स्तरों के अनुसार मुझे ध्यान है कि आपने कहा है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 220 ग्राम दूध की आवश्यकता है। यदि जन-संख्या के अनुसार इसे लिया जाए, प्रतिवर्ष दूध के लगभग 600 लाख टन के कुल उत्पादन की आवश्यकता होगी, जबकि उनके उत्तर के अनुसार हम अब 3.8 करोड़ टन का उत्पादन कर रहे हैं और प्रत्याशित उपलब्धि 3.84 करोड़ टन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यहां बहुत बड़ा अन्तर है।

मैं उनसे यह जानना चाहूंगा; इन वर्षों में, जो पशु-पालन विभाग, डेरी विकास निगम और सभी निकाय स्थापित किए गए हैं, काम कर रहे हैं; इसके बावजूद 30 वर्षों में अर्थात् 1950-51 से 1983-84 तक प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है, इनके सरकारी आंकड़े प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 4 ग्राम 30 वर्षों में बढ़कर 133 ग्राम से .37 ग्राम हो गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे हो रहे विकास से संतुष्ट हैं और कितना दूध आयात किया जाना है। अर्थात् विदेशी स्रोतों से पाउडर दूध और अन्य दूध। आयात किए गए दूध का मूल्य क्या है जो अभी जारी है?

मुझे पता चला है कि इस वर्ष इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है? आगामी वर्ष अर्थात् 1985-86 में, बजट में विदेशी दूध पाउडर आयात करने और दूध सप्लाई की कोई विशेष व्यवस्था

नहीं है। तब आप क्या करने जा रहे हैं ? इस अन्तर को आप कैसे पूरा करना चाहते हैं ? स्थिति खराब होती जाएगी।

श्री बूटा सिंह : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत होते हुए और कहना चाहूंगा कि हम विभिन्न मदों के उत्पादन में वृद्धि से बहुत संतुष्ट नहीं हैं : चाहे वह दूध का उत्पादन है या मांस, मछली, अंडे का उत्पादन है लेकिन जैसा कि आपने मुझसे उस आधार के बारे में पूछा है जिनपर हमने वस्तुओं की जांच की है, देश में प्रति व्यक्ति उपलब्धता की गणना वस्तु के अनुमानित उत्पादन के आधार पर की गई है, हमने 1984 के लिए प्राप्त अनुमानित दूध को 7410 लाख जन-संख्या से विभाजित किया है। मुर्गी और दूध के उत्पादन के स्तर का अनुमान निम्नलिखित प्रक्रिया के प्रयोग से किया गया है :

दूध और अंडे के उत्पादन का अनुमान राज्य और संघ राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। और योजना आयोग की वार्षिक योजना बैठकों में इनपर चर्चा की जाती है और उनके योजना दस्तावेजों में किए दिखाये जाते हैं।

अब दूध के उत्पादन के बारे में, यद्यपि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, जहां तक पाउडर दूध के आयात का संबंध है, मुझे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने बताया है कि उनके पास पाउडर दूध की पर्याप्त मात्रा है। उलटे ओपरेशन फ्लड-II योजना के अन्तर्गत इनके पास अब फालतू दूध है और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार फिलहाल वाणिज्य आधार पर दूध पाउडर आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1975 से पाउडर दूध का वाणिज्य आयात नहीं हुआ है और इस वर्ष इसे बंद कर दिया गया है। औसतन, लगभग 28,000 मीट्रिक टन पाउडर दूध उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है।

श्री आनन्द गजपति राजू : मैं जानना चाहूंगा कि इन प्रोटीन युक्त वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री क्या-कदम उठायेंगे और जैसा कि आपने शाकाहारियों के संबंध में बताया है, शाकाहारियों के लिए वह इसे प्रतिव्यक्ति कैसे उपलब्ध कराएंगे, क्या वह बायो-प्रोद्योगिकी में वर्तमान विकास को नोट करेंगे और इस दिशा में कुछ करने के लिए कुछ कदम उठायेंगे ?

श्री बूटा सिंह : हमारी प्राथमिक दिलचस्पी गेहूं अनाज, प्रोटीन के उत्पादन और मछली पकड़ने, मुर्गी पालन और डेरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सहायता देने में है। हम वार्षिक योजना तैयार करते समय योजना आयोग द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हैं जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है कि योजना आयोग द्वारा जो प्रतिमान रखे गये हैं, हमने इनके उत्पादन की तरफ भी ध्यान दिया है और इसे संभव बनाया है और यह देखा है कि आम नागरिक के भोजन के विभिन्न उपकरणों को देखा जाता है चाहे वह प्रोटीन हो; सब्जी हो या अनाज हो, खाद्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों द्वारा समीक्षा की जाती है। आज ही मैंने ग्रामीण विकास विभाग से खाद्य मंत्रालय से समन्वय रखने के लिए भी कहा है एक समन्वय सेल यह देखने के लिए बनाने को कहा है कि भारत का

औसत नागरिक खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित कैलोरी प्राप्त करता है। कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह एक प्रयोग है जो हम खाद्य मंत्रालय के समन्वय से कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा प्रश्न प्रतिव्यक्ति आंकड़ों के बारे में है लेकिन जब मैं प्रतिव्यक्ति का उल्लेख करता हूं मेरा संबंध मानव जाति से ही नहीं है बल्कि गाय से है जो वास्तव में दूध सप्लाई करती है। उनके संबंध में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि प्रति गाय द्वारा दूध की सप्लाई 1978-79 से अब 1984-85 तक लगभग निरन्तर स्थिर है। अध्यक्ष महोदय आप कृषि और संबंधित समस्याओं में रुचि लेते हैं। चूंकि यहां यह स्थिरता बनी हुई है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान की आशा की जाती है जिससे वास्तव में प्रति गाय दूध की सप्लाई में वृद्धि होगी, जो लगभग स्थिर है। अतः किए जा रहे विज्ञान और अनुसंधान क्रियाकलापों में कुछ कमी है। क्या यह सच नहीं है कि इस सभा के अदम्य सदस्य, श्री ज्योतिमय बसु की अध्यक्षता में जो दुर्भाग्यवश अब हमारे बीच नहीं है—भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी जो विशेषतः इस क्षेत्र में कार्य कर रही है? क्या यह सच है कि 1981 में उन्होंने तीन भागों में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। क्या वह इन रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान क्यों पिछड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप एक गाय से प्राप्त होने वाले दूध की मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं हुई?

श्री बूटा सिंह : जहां तक सभा का संबंध है माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति द्वारा ही प्रस्तुत किये गये थे, इन्हें सभा पटल पर रखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमें यह देखना है कि समिति के इन प्रतिवेदनों पर क्या समुचित अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा नहीं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में क्या आपत्ति है? यह तीन भागों में है।

श्री बूटा सिंह : ये लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन हैं। इन्हें सभा में वितरित किया जा चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये लोक लेखा समिति का नहीं उस समिति का जिक्र कर रहे हैं जिसके सभापति श्री ज्योतिमय बसु थे तथा चार या पांच अन्य विशेषज्ञ भी उस समिति में थे। यह लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन नहीं है।

श्री बूटा सिंह : मुझे इसे देखना होगा तथा मैं आपको जांच के बाद बता दूंगा। मैं माननीय सदस्यों के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि दूध के उत्पादन में वृद्धि···

प्रो० मधु दंडवते : मुझे उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति मिलनी चाहिए।

श्री बूटा सिंह : मैं स्वयं उन्हें माननीय सदस्य को दूंगा। जहां तक उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न है मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं। 1973-74 से 1983-84 तक, जिस अवधि का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, दूध और अंडों का उत्पादन बढ़ा है; दूध का उत्पादन 56.4% तथा अंडों का उत्पादन 58% बढ़ा है। परन्तु यह वृद्धि सराहनीय नहीं है।

महिला कामगारों को समान वेतन

[हिन्दी]

*234. श्री मूल चन्द डागा†
श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिला कामगारों के लिए समान कार्य का समान वेतन उपलब्ध कराने का एक विधान 1975 में अधिनियमित किया गया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया; और

(ग) क्या इस अधिनियम में समान कार्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है जिसके कारण गैर-सरकारी नियोजक महिला कामगारों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, और इसी कारण से आज भी संगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की संख्या केवल 6 प्रतिशत है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

समान पारिश्रमिक अध्यादेश वर्ष 1975 में लागू किया गया था, जिसका स्थान समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 ने ले लिया था। वर्ष 1982-84 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अधिनियम के अधीन दायर किए गए अभियोजनों आदि के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष	दायर किए गए अभियोजनों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिन में दोष सिद्ध हुआ	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध नहीं हुआ
1	2	3	4	5
1982	15	8	8	—
1983	58	25	25	—
1984	167	40	38	2

इस अधिनियम में "समान कार्य" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जिसमें केवल "एक ही काम या समान प्रकृति का काम" की व्यवस्था है जिससे ऐसा काम अभिप्रेत है जिसके बारे में अपेक्षाकृत कौशल, प्रयत्न तथा उत्तरदायित्व उस समय एक जैसे हैं जब काम करने की एक जैसी दशाओं में काम पुरुष या स्त्री द्वारा किया जाता है और यदि पुरुष से अपेक्षित कौशल, प्रयत्न तथा उत्तरदायित्व और स्त्री से अपेक्षित कौशल, प्रयत्न तथा उत्तरदायित्व में कोई अन्तर है तो नियोजन के निर्बन्धों और शर्तों के संबंध में उसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, संगठित क्षेत्र में वर्ष 1983 में महिला श्रमिकों की प्रतिशतता 12.5 थी। स्पष्ट शब्दों में 1975 में महिलाओं की रोजगार संख्या 22.30 लाख थी जो बढ़कर 1983 में 29.93 लाख हो गई है। तथापि संगठित क्षेत्र में महिला-श्रमिकों की कम संख्या का कारण स्पष्ट व्याख्या के न होने को नहीं माना जा सकता जैसा माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में बताया है लेकिन इसके कई कारण हैं जैसे कि शैक्षणिक सुविधाओं, तकनीकी प्रशिक्षण और दक्षता विकास के लिए अवसरों की कमी तथा सामाजिक आर्थिक कारक आदि।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह केवल नान-वैजिटेरियन की बात कर रहे हैं, वैजिटेरियन की कोई बात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सारे वैजिटेरियन की बात कर रहे थे।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिये हैं, कार्य रूप में, व्यवहार के रूप में आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि इतने परसेंट औरतें काम करती हैं।

मेहरबानी करके यह बताइये कि आरगेनाइज्ड और अनओरगेनाइज्ड इन दोनों सेक्टर्स में कुल कितनी लेबर फोर्स काम करती है और आपने यह परसेन्टेज कैसे निकाला कि महिलाओं का इतना परसेन्टेज उसमें है—यह आंकड़े आपने कैसे दिये हैं ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब 1976 में यह कानून पारित हो गया तो अब तक कितने आदमियों को क्या क्या सजा मिली ? क्या यह कानून अलमारी में रखने के लिए है ?

अध्यक्ष महोदय : सजा का जवाब तो इसमें है।

श्री टी० अंजैया : जवाब मैंने टेबल पर रख दिया है कि 1982 में प्रोसीक्युशन लांच्ड 15, नम्बर आफ केसिज डिसपोज्ड आफ 8, नं० आफ कंविक्शंस 8, 1983 में नम्बर आफ प्रोसीक्युशन लांच्ड 58, नम्बर आफ केसिज डिस्पोज्ड आफ 25, नम्बर आफ कंविक्शंस 25।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : वह प्रश्न से संबंधित बात नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : पांच सौ रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक फाइन होता है। वीमेंस का जो परसेन्टेज है वह भी 22 लाख से 29 लाख तक इंक्रीज हुआ है। प्लान्टेशन में, लोकल अथारिटीज में, सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, बैंक्स में, इंश्योरेंस में, एम्पलोइज प्रोविडेंट फण्ड आरगैनाइजेशन में, मेन्युफेक्चर आफ टेक्सटाइल फेक्ट्रीज में, फेक्ट्रीज लोकेटेड इन प्लान्टेशंस में, मेन्युफेक्चर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक मशीनरी, एप्रेटस में, इन सब चीजों में लेडीज के लिए इकुअल वेजिज फार इकुअल वर्क लागू है।

[अनुवाद]

श्री मूलचन्द डागा : क्षमा कीजिएगा 1984 में जो आपके डिपार्टमेंट से जवाब आया है उसमें लिखा है। "संगठित श्रम सम्बन्धी सूचना प्रत्येक उद्योग वार एकत्रित नहीं की जा रही है।" यह उत्तर 1984 में दिया गया था।"

[हिन्दी]

1984 के बाद आपने कैसे सर्वे कराया ? यह मेरा कहना नहीं है, यह आपके डिपार्टमेंट का आन्सर है। अगर आपके पास इन्फार्मेशन नहीं है तो यहां क्यों देते हैं ? आरगेनाइज्ड और अनआरगेनाइज्ड सेक्टर्स में कितना लेबर फोर्स वीमेंस का है, उसको जानने का आपके पास क्या तरीका है क्या आप यह बतला सकते हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : असंगठित; यह कैसे संभव है ?

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह कब कहा कि यह पोसिबल है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह फिगर्स कैसे दिये गए हैं ?

दूसरा सवाल मेरा यह है कि यह जो इकुअल वेजिज फार इकुअल वर्क का कानून है, आज भी महिलाएं अनआरगेनाइज्ड सेक्टर में —ईंटें बनाने के काम में, खेती के काम में, और दूसरे क्षेत्रों में— आदमियों के बराबर काम कर रही हैं और उनको आदमियों से कम तनख्वाह मिलती है। इन कानून में कमी है कि इसमें इकुअल वर्क की कोई परिभाषा, कोई डेफिनीशन नहीं दी गई है। यह आपने छोड़ दी है। क्या आप इस एक्ट में कोई संशोधन करेंगे ?

श्री टी० अंजैया : इनके बारे में यह एक्ट स्टेट गवर्नमेंट इम्पलीमेंट करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें थोड़ा-बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। क्या उस पर विचार करेंगे ?

श्री टी० अंजैया : हम उनकी ट्रेनिंग के बारे में कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप डागा जी को बुला कर सलाह कर लीजिए।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सरकार सामाजिक अपराधों को समाप्त करने के लिए कानून बनाती है, इसके संबंध में भी कानून बनाए गए हैं। उसी प्रकार कानून बनाए गए हैं जैसे दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए या बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए गए हैं। सरकार कानून बनाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन केवल सरकार के द्वारा ही नहीं हो सकता है, हमें समाज के लोगों को भी इसको पूरा करना है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जिस तरह से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में संशोधन लाया गया है, क्योंकि वह कारगर नहीं हो सका था, इसी तरह से क्या श्रम से संबंधित जो महिलाओं से संबंधित कानून है, उसमें जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार इस सत्र में कानून लाएगी और उसके संशोधन पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे दिया है कि विचार करेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : जवाब ठीक से नहीं मिला है।

श्री टी० अंजैया : इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी है। इस एडवाइजरी कमेटी के अंदर स्टेट के मिनिस्टर और यूनियन लेबर मिनिस्टर डिसाइड करते हैं और तमाम फैक्ट्रीज में जो वर्किंग मैन हैं, उनसे इन्फर्मेशन ली जाती है। उनसे जो इन्फर्मेशन मिलती है, उस पर एक्शन लिया जाता है।

श्री रामप्यारे पनिका : क्या आप इस सत्र में इस एक्ट में संशोधन करने का बिल लाएंगे ?

श्री टी० अंजया : कोई सुझाव आएगा तो उस पर डिसकस करेंगे और जो करना जरूरी होगा वह करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : लिखित उत्तर में दी गई तालिका से स्पष्ट है कि अभियोग पक्ष द्वारा दायर किये गए मुकदमों और अभियोग साबित हुए मामलों में काफी अन्तर है। 1984 में अभियोग पक्ष द्वारा 167 दावे दायर किये गए जिसमें से केवल 38 में अभियोग साबित हुआ तथा केवल 40 मामलों का निपटान किया गया ? अभी तक कई दावे अधूरे क्यों पड़े हैं तथा इतने कम दावों में अभियोग साबित कैसे होता है। क्या अधिनियम में कोई कमी है।

अध्यक्ष महोदय ; फांसी अधिकतम सजा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि पिछली लोक सभा के दौरान कुछ महिला सदस्यों को शामिल करके एक समिति का गठन किया गया था जिसमें इस अधिनियम में संशोधन करने से तथा अधिनियम के क्रियान्वयन पर विचार किया जाता था। मुझे नहीं मालूम इस समिति का क्या हुआ। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि उस समिति का क्या हुआ जिस समिति में मैं परामर्शदात्री थी। क्या उस समिति द्वारा कोई रिपोर्ट भेजी गई है। यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं ?

श्री टी० अंजैया : हम एक और समिति का गठन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जो भावना प्रकट की गई है, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करती हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या मंत्री महोदय ने कभी इस बात को जानने की कोशिश की है कि जो औरतें सड़कों पर काम करती हैं, कृषि क्षेत्र में काम करती है या मकानों में ईंट, गारा और मिट्टी ढोने वाली हैं और पुरुषों के समान काम करती हैं, लेकिन पुरुषों को तो 20-22 रुपए और महिलाओं को 10-12 रुपए मजदूरी दी जाती है। उनकी मजदूरी में इतना बड़ा अन्तर है, इसको जानने के लिए क्या कभी प्रयास किया गया है ? अगर नहीं किया गया तो क्या कोई समिति गठित करके या दूसरे तरीके से इस सबकी जांच की जाएगी और जांच करके जो लोग कानून के विपरीत काम करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देने के लिए आप कानून में संशोधन करने की कृपा करेंगे ?

श्री टी० अंजैया : गवर्नमेन्ट के जो डिपार्टमेन्ट्स हैं, वहां पर इक्वल पे, इक्वल वर्क है। जहां तक प्राईवेट सैक्टर का सवाल है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। अभी जैसा मैंने बताया इसके लिए एक समिति का गठन करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप, मुझे दोष नहीं दे सकते हैं। मैंने एक के मुकाबले तीन को बुलाया है।...(व्यवधान)

गोदामों के निर्माण हेतु राज्यों को सहायता

[अनुवाद]

*337. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कृषिउत्पादों के लिए पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए छठी योजना में विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से कितने गोदामों का निर्माण किया गया ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु एक योजना चलाई जा रही है।

छठी योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को दी गयी सहायता संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए 82 ग्रामीण गोदामों में से 30 जनवरी, 1985 तक 22 गोदामों का निर्माण-कार्य पूरा किया जा चुका है।

विवरण

ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना (1980-851) के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को वंटित आर्थिक सहायता की धनराशि।

क्रम संख्या	राज्य	मुक्त की गई केन्द्रीय आर्थिक सहायता की धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	60, 52, 388 रु०
2.	बिहार	1, 14, 71, 470 रु०
3.	गुजरात	2, 09, 91 977 रु०
4.	गोआ, दमन और दीव	2, 43, 667 रु०
5.	हरियाणा	44, 48, 500 रु०
6.	कर्नाटक	1, 12, 04, 572 रु०
7.	मध्य प्रदेश	1, 49, 16, 455 रु०
8.	महाराष्ट्र	3, 28, 52, 449 रु०

1	2	3
9.	उड़ीसा	34, 87, 500 रु०
10.	राजस्थान	58, 15, 002 रु०
11.	तमिल नाडु	88, 50, 000 रु०
12.	उत्तर प्रदेश	27, 47, 153 रु०
13.	सिक्किम	2, 28, 167 रु०
14.	पश्चिम बंगाल	23, 06, 587 रु०
		योग: 12, 56, 15, 887 रु०

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, हमें किसानों को उनकी फसल बेकार होने से बचाने के लिए हर संभव प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए अतिरिक्त भंडारण सुविधाएं बनाए जाने की आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि छठी योजना के प्रारम्भ में कितनी भण्डारण सुविधाऐं शामिल की गई तथा छठी योजना के दौरान कितनी भंडारण सुविधाएं बढ़ाई गईं, क्या इससे देश की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। छठी योजना में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया; क्या यह कार्यक्रम जारी रहेगा तथा सातवीं योजना में इसमें वृद्धि की जाएगी यदि हां, तो किस हद तक ?

श्री चंदूलाल चंद्राकर : वस्तुत: 31 मार्च 1980 तक गोदामों की कुल क्षमता 185.78 लाख टन थी। इसके बाद छठी योजना में इसमें 131.60 लाख टन का इजाफा किया गया था।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैंने यह भी पूछा था कि क्या इससे देश की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है।

श्री चंदूलाल चंद्राकर : आवश्यकताएं तो बढ़ती ही जाती हैं। यह तो निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा हमें बराबर यह पता लगाना पड़ेगा कि कितने गोदामों की आवश्यकता है। जैसे-जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता जाएगा मांग भी बढ़ती जाएगी हम यह प्रक्रिया बराबर जारी रखेंगे तथा उसके लिए जितनी पूंजी चाहिए उसकी व्यवस्था भी करेंगे।

श्रीमती जयंती पटनायक : वस्तुत: मैंने प्राप्त किए गए लक्ष्य का प्रतिशत पूछा था। खैर मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि विश्व बैंक तथा एन० सी० डी० सी० किस हद तक इस कार्यक्रम में शामिल हैं।

श्री चंदूलाल चन्द्राकर : मेरे विचार से मैडम को यह मालूम होगा कि जहां तक गोदामों के

निर्माण का सवाल है इसके लिए विभिन्न एजेंसियां हैं अर्थात् भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागार निगम, राज्य भांडागार निगम, राज्य सरकारें आदि सभी गोदामों का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय ग्रिड भी है। जहां तक राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आरंभिक जानकारी के अनुसार छठी योजना में 3,264 गोदामों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी जिसमें से 995 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

श्री मधु दंडवते : महोदय, राज्य सरकार से संबंधित सूचना वह श्री पटनायक से प्राप्त कर सकती हैं।

श्री के० एच० रंगनाथ : माननीय मंत्री को यह बताते हुए खुशी हुई है कि गोदामों की आवश्यकता बढ़ी है। गोदामों की आवश्यकता का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन न किए जाने के कारण हम कृषकों का हित भूल जाते हैं। छोटा किसान अनाज अपने घर नहीं रख सकता उसे फौरन ले जाकर किसी भी दाम पर उसे बेचना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने गोदामों की आवश्यकता पर वैज्ञानिक रूप से कोई मूल्यांकन किया है। यदि ऐसा मूल्यांकन नहीं किया गया तो क्या सरकार ऐसा मूल्यांकन करने के कदम उठाए जाने पर विचार करेगी ताकि किसानों को इस समस्या से छुटकारा मिले तथा उन्हें किसी भी कीमत पर अपना माल न बेचना पड़े।

श्री चंद्रलाल चंद्राकर : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि ग्रामीण किसानों के लिए गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी हैं। पर इस कार्यक्रम के अनुसार हम मार्गनिदेश तैयार करते हैं तथा राज्य सरकार कितने गोदामों का निर्माण कर सके हैं उसकी संख्या हमें बता दी जाती है। ऐसे कई राज्य हैं जो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास या तो अभी आधारभूत सामग्री नहीं है या फिर उनके पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त संख्या में इंजीनियर नहीं हैं। जब कभी भी इसकी स्कीम या मांग आती है हम सम्बद्ध राज्यों को धनराशि मंजूर कर देते हैं। परन्तु यह उन पर निर्भर करता है कि वह इस उद्देश्य के लिए कितनी आधारभूत सामग्री तथा इंजीनियर जुटा पाते हैं। ऐसे भी कुछ राज्य हे जिन्हें धन दिया गया है परन्तु आवश्यक आधारभूत सामग्री तथा अपेक्षित इंजीनियरों की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते।

डा० ए० के० पटेल : क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि क्या छठी योजना के दौरान जारी की गई राशि का राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरा उपयोग किया गया है अथवा नहीं ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जहां तक छठी योजना के व्यय का संबंध है राष्ट्रीय भंडारण ग्रिड प्रोजना के लिए 1750 लाख रु० की मंजूरी दी गई थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख टन क्षमता बनाने का लक्ष्य रखा गया था। जहां तक उपलब्धियों का प्रश्न है पहले वर्ष अर्थात 1980-81 में यह 1,018; 1981-82 में 993; 1982-83 में232; 1983-84 में 509 और 1984-85 में 426 था। कुल 3128 था।

इसी प्रकार क्षमता का भी पता लगाया गया था। जहां तक वास्तविक व्यय का संबंध है, 1350 रु० मंजूर किए गये थे जबकि 1257 रु० व्यय हुए थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लघु उद्योगपतियों को भू-खण्डों का आवंटन

[हिन्दी]

* 328. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1976 में भू-खण्डों के आवंटन के लिए लघु उद्योगपतियों का पंजीकरण किया था;

(ख) यदि हां, तो उस समय कितने व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपने एककों का पंजीकरण करवाया था;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण उन्हें अब तक भू-खण्ड आवंटित नहीं कर पाया है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें कब तक भूखण्ड आवंटित करने का विचार है ?

[अनुवाद]

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) अननुरूप क्षेत्रों में चल रहे सभी उद्योगों के लिए पंजीकरण किया गया था, चाहे वे छोटे थे या बड़े। कुल मिलाकर 419 एककों को पंजीकृत किया गया था।

(ग) तथा (घ) 419 एककों, जिन्होंने प्रीमियम का 30 प्रतिशत भुगतान करके दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराया था, उनमें से 127 एककों ने अपनी जमाराशि वापस ले ली थी, इस प्रकार केवल 292 एकक प्लाटों के आवंटन के पात्र रह गये थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 22 एककों को छोड़कर सभी मामलों में वैकल्पिक औद्योगिक प्लाटों का आवंटन पहले ही कर दिया है। उनके मामलों पर कार्यवाही की जा रही है। तथापि, शेष मामलों में प्लाटों का आवंटन करने के लिए कोई समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : मान्यवर, एक ओर हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि देश में तेजी से औद्योगीकरण हो और कृषि पर जो जनसंख्या फोर्स बनी हुई है, वह उद्योगों की ओर लगे ताकि देश तरक्की की ओर चले, दूसरी ओर 8 वर्ष बीत जाने पर भी डी० डी० ए० जैसी

संस्थाएं मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का अभी तक विकास नहीं कर पाई हैं, क्या यह सच है ?

श्री अब्दुल गफूर : जैसा मैंने आपको बताया डी० डी० ए० ने शुरू-शुरू में रजिस्ट्रेशन के लिए अखबारात वगैरह में विज्ञापन दिए और उसके उत्तर मे 15 हजार के लगभग स्मॉल, मीडियम और बड़े लोगों की ओर से एप्लीकेशन्स प्राप्त हुई। उसके बाद, डी० डी० ए० ने एक कण्डीशन लगा दी कि 30 परसेंट प्रीमियम देने के बाद ही एलाटमैंट की जाएगी तो सिर्फ 419 एप्लीकेशन्स ही रजिस्टर्ड हुई। इनमें से 137 आदमियों ने बाद में अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया। इन शेष 292 एप्लीकांट्स में से 22 को छोड़ कर सभी को प्लाट्स का एलाटमैंट हो चुका है लेकिन इन लोगों को अभी तक पजैस्शन नहीं मिला है। आशा है कि 30 जून से 30 सितम्बर तक इन लोगों को भी पजैस्शन मिल जाएगा।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 292 एप्लीकेशन्स रह गई थीं और उनमें से 270 को एलाटमैंट मिल गये हैं, लेकिन उन्हें अभी पोजैशन नहीं मिला। उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन 1976 में कराया था, 8 वर्ष गुजर गये, अगर कब्जा देने में इतना समय लगेगा तो देश कैसे तेजी से आगे बढ़ेगा ?

मेरा मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो कार्य धीमी गति से हो रहा है, उसमें तेजी लाई जाये क्योंकि कागज पर तो उन लोगों को एलाटमैंट कर दी गई है लेकिन भूखंडों पर कब्जा नहीं मिला है। ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि कार्यों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके और काम आगे चल सके।

अध्यक्ष महोदय : यह तो निवेदन है, प्रश्न नहीं है।

श्री अब्दुल गफूर : इनके निवेदन को मद्देनजर रखते हुए हमने कह दिया है कि 30 जून से 30 सितम्बर तक हम इस काम को पूरा करेंगे।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की संवीक्षा के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग

[अनुवाद]

*331. **कुमारी पुष्पा देवी** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग करने का है;

(ख) क्या इसके लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की संवीक्षा के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की संवीक्षा हेतु केन्द्र में आंकड़े संकलित करने के लिये कम्प्यूटर को उपयोग करने का प्रस्ताव है।

कुमारी पुष्पा देवी : उत्तर से मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियानवयन की रफ्तार तेज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू करने का निश्चय लिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कुछ राज्यों में प्रयोगात्मक आधार पर इस कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग किया गया है यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा वह कौन से राज्य हैं जहां यह कार्यक्रम शुरू किया गया था।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद, ग्रामीण विकास विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक पायलेट परियोजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है। शुरू में दस क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में एक राज्य में एक पायलेट परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की जाएगी जिसमें 1985-86 के दौरान शत-प्रतिशत वित्त प्रदान किया जायेगा। पायलेट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद सातवीं योजना के परवर्ती वर्षों में चरणबद्ध रूप में इस योजना को बढ़ाकर अन्य क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा तथा राज्य तथा केन्द्र लागत में बराबर का हिस्सा देंगे।

कुमारी पुष्पा देवी : क्या यह सही है कि कम्प्यूटर प्रणाली से छोटा काम करने वाले मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा यदि हां, तो किस हद तक तथा इस प्रणाली से दक्ष व्यक्तियों को कितना रोजगार उपलब्ध होगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : सच तो यह है कि इससे कोई बेरोजगार नहीं होगा। वरन यह तो सहायक साबित होगा क्योंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम में काफी वृहद आंकड़े शामिल हैं। केवल कम्प्यूटर से ही हम आंकड़े संसाधित कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चल जायेगा कि क्या होने जा रहा है। इस कम्प्यूटर से कोई बेरोजगार नहीं होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : बेरोजगारों को कम्प्यूटर के निर्माण में लगाया जा सकता है।

ग्रामीण एवं कृषि विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : नहीं महोदय, उन्हें किसी अच्छे काम में भी लगाया जा सकता है।

गणेश फ्लोर मिल, कानपुर वनस्पति घी का उत्पादन

[हिन्दी]

* 332. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणेश फ्लोर मिल, कानपुर में वनस्पति घी नं० 1 का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ख) इसका वितरण किस आधार पर किया जाता है तथा वितरकों की संख्या कितनी है ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन (गणेश फ्लोर मिल्स), कानपुर का मासिक औसत उत्पादन 2,500 मी० टन के लगभग है।

(ख) कार्पोरेशन की कानपुर यूनिट निर्धारित मांग के आधार पर 435 थोक स्टाकिस्टों तथा 9 डिपुओं के माध्यम से वनस्पति का वितरण करती है।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस वितरण में वी०आई० पी० कोटे की संख्या क्या है और उनकी सूची क्या है ?

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां तक मुझे मालूम है कोई वी० आई० पी० कोटा नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है जहां स्टाकिस्ट तथा मिल से वनस्पति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव बरता जा रहा है तो उसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की जानकारी में है···

अध्यक्ष महोदय : आपने बोलने की आज्ञा अपने आप प्राप्त कर ली।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : वह आत्म-निर्भरता में विश्वास करते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि जब सार्वजनिक अवसर आते हैं, या शादी ब्याह का अवसर आता है तो वनस्पति घी को ब्लैक रेट में खरीदना पड़ता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं, जिससे पब्लिक को नुकसान होता है। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे पब्लिक को शादी-ब्याह या त्यौहारों के अवसर पर उचित मूल्य पर घी मिले।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश होती है कि जिस सीजन में बहुत शादियां आती हैं, या त्यौहार आते हैं, उन दिनों में वनस्पति का प्रोडेक्शन बढ़ाया जाये, उसके लिये फालतू कोटा भी वनस्पति मिल्स को दिया जाता है। इसमें शक नहीं वाज औकात, कमी कर दी जाती है, दाम ज्यादा वसूल होते हैं, लेकिन वालेंट्री एग्रीमेंट मैन्यूफैक्चर्स के साथ सरकार ने कहा है और उसके मुताबिक कीमतें तय की हैं। साथ ही साथ हम इस बात की निगाह रखते हैं, खास तौर पर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे बार-बार हम यह फर्ज डालते हैं कि जहां कहीं कीमतें ज्यादा चार्ज की जायें, उसकी रिपोर्ट हमें दी जाये उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ताकि उन मिलों को हम आगे इम्पोर्टिड आयल न दें, उनके खिलाफ दूसरी कार्यवाही कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : अंजैया जी का कोटा काट सकते हैं।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या

[अनुवाद]

*334. **श्री जितेन्द्र [illegible]** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1985 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी थी;

(ख) रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम नियोजकों को भेजने में अधिकतम कितना समय लगता है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में नियोजकों को नाम भेजने में असाधारण देरी होने से उम्मीदवार 25 या 26 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पार कर जाने के कारण अयोग्य हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे उम्मीदवारों के नाम जो निर्धारित आयु-सीमा पार करने वाले हैं सम्बन्धित अधिकारियों को भेजने में प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.12.1984 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज तकनीकी और गैर-तकनीकी श्रेणियों दोनों से सम्बन्धित नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिकुलेट तथा इससे ऊपर) की कुल संख्या 123 लाख थी।

(ख) से (घ) 1975 से 1984 के वर्षों में, रिक्तियों की संख्या प्रति वर्ष 7 से 9 लाख के बीच रही, जबकि इसी अवधि में चालू रजिस्टर पर दर्ज व्यक्तियों की संख्या 93 लाख से बढ़कर 235 लाख हो गई। रोजगार कार्यालयों में वार्षिक पंजीकरण 50 से 70 लाख के बीच रहा है। अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या और दर्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या के बीच में अधिक अन्तर को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक रूप से प्रतीक्षा की अवधि विद्यमान है, और इसलिए रोजगार कार्यालय विभिन्न श्रेणियों में व्यक्तियों के नामों का बारी-बारी से प्रायोजन करके उचित अवसर प्रदान करते हैं। गैर-तकनीकी स्टाफ के मामले में, तकनीकी स्टाफ की तुलना में प्रतीक्षा की अवधि अधिक है। उम्मीदवारों को पंजीकृत करने में कोई आयु सम्बन्धी रोक नहीं है। नामों को बारी-बारी से प्रायोजित करने के आधार को ध्यान में रखते हुए यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या इस प्रक्रिया मे लगने वाले समय के परिणामस्वरूप कोई उम्मीदवार आयु-बंधित हो जाता है। यह भी व्यवहार्य नहीं होगा कि उन व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए जिनकी कोई आयु-सीमा पार करने की संभावना है क्योंकि रोजगार कार्यालयों को चालू रजिस्टर पर उनकी स्थिति और नियोजकों की आवश्यकताओं के अनुसार नामों को प्रायोजित करना पड़ता है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 'ख' का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने यह पूछा था :

"(ख) रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम नियोजकों को भेजने में अधिकतम कितना समय लगता है;"

मेरे प्रश्न के इस भाग का कोई उत्तर नहीं दिया गया। क्या नामों के भेजे जाने में रोजगार कार्यालयों द्वारा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न समय लिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने में किस राज्य द्वारा उम्मीदवारों का सबसे कम समय एवं किस राज्य द्वारा अधिकतम समय लिया जाता है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि तकनीकी और गैर-तकनीकी उम्मीदवारों के लिए प्रतीक्षा की अवधि क्या है क्योंकि आपने यह उल्लेख किया है कि गैर-तकनीकी श्रेणी में नाम भेजे जाने में अधिक समय लगता है।

श्री टी० अंजैया : तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के पदों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैंने समय सीमा के बारे में नहीं पूछा। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

श्री टी० अंजैया : प्रतीक्षा की अवधि मैं इस तरह से नहीं बता सकता। जब भी रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण.....(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : वह तो उन्हें जिंदगी भर करना पड़ेगी।

श्री टी० अंजैया : रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 665 है। मैं समय सीमा कैसे बता सकता हूं। आयु सीमा भी तो होती है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मै आयु सीमा नहीं पूछ रहा। मैं तो प्रतीक्षा अवधि की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना यह है कि वह इस बारे में कुछ नहीं बता सकते।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : महोदय, फिर आप इस बारे में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए। [हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हाफ-एन आवर के अन्तर्गत चर्चा उठाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न; श्री मोहन लाल पटेल—उपस्थित नहीं हैं; श्री एडुआर्डो फैलीरो—

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है कि पिछले दो...

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बी० एन० गाडगिल : महोदय, इससे पहले कि मैं अपना उत्तर दूं यह अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इन्होंने सोचा था कि ये मंत्री बन चुके हैं। आप खुद ही प्रश्न पूछिए और उत्तर दीजिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्षमा कीजिए, प्रश्न सं० 335

दूरदर्शन सुविधा के अन्तर्गत क्षेत्र

*335. **श्री एडुआर्डो फैलीरो**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के अन्त तक दूरदर्शन रिले सुविधा का लाभ 70 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने प्रतिशत क्षेत्र तथा जनसंख्या को यह सुविधा प्रदान की गई है; और

(ग) देश के शतप्रतिशत क्षेत्र में कब तक दूरदर्शन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। दूरदर्शन की अनुमोदित छठी योजना स्कीमों में देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करने की व्यवस्था थी।

(ख) इस समय देश के कुल क्षेत्र के 36 प्रतिशत भाग में फैली हुई लगभग 56 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है।

(ग) चल रही स्कीमों के पूरा हो जाने पर देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है। देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, भावी योजनाओं में संसाधनों के आबंटन पर निर्भर करेगा। इस अवस्था पर सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराने की समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : पिछले दो वर्षों में, टी० वी० सुविधाओं के विस्तार में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करता हूं। यह देश में प्रगति और जानकारी प्रदान करने के लिए एक बहुत अच्छा दृश्य-श्रव्य साधन है .....।

प्रो० मधु दंडवते : यह प्रश्न काल है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जबकि ट्रांसमीटरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा उनका उद्घाटन भी खूब धूमधाम से किया गया है लेकिन ट्रांसमीटरों का कार्य प्रदर्शन उस स्तर के अनुरूप नहीं रहा है। पिछले वर्ष हर रोज दूरदर्शन पर हम यह सुनते थे कि एक नए ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया जा रहा है। गोआ, जहां से मैं हूं। में एक ट्रांसमीटर 2 अथवा 3 वर्ष पहले लगाया गया था तत्कालीन मंत्री सहित सरकार द्वारा बार-बार दिए गए इस आश्वासन के बावजूद भी कि इस छोटे से संघ राज्य क्षेत्र में दिसम्बर, 1984 तक समस्त स्थानों पर प्रसारण किया जा सकेगा, अब तक, यहां मुश्किल से आधे क्षेत्र में भी प्रसारण नहीं हो पा रहा। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अब और अधिक ट्रांसमीटर लगाए जाने पर अधिक ध्यान देगी अथवा इस पर कि उनके कार्य स्तर में सुधार हो।

समाचारपत्रों में यह बताया गया कि एक ट्रांसमीटर जिसका उद्घाटन बड़े जोर-शोर से किया गया था, उससे केवल 1 कि० मी० क्षेत्र में ही प्रसारण हो सका। इसलिए, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वह वर्तमान ट्रांसमीटरों के प्रसारण क्षेत्र में सुविधाओं के बढ़ाए जाने पर अधिक ध्यान देंगे, विशेषतया गोआ में, जहां से मैं हूं। हालांकि 2 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन गोआ में अभी तक उच्च शक्ति का टावर लगाए जाने की आवश्यकता है। क्या मैं विशेष रूप से यह जान सकता हूं कि किस समय तक यह उच्च शक्ति टावर तैयार हो सकेगा तथा ट्रांसमीटर से समस्त क्षेत्र में प्रसारण किया जा सकेगा।

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि माननीय सदस्य को स्वयं ही मालूम है, गोआ में इस टावर का निर्माण अभी हो रहा है। जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, इस उपकरण को चालू किया जाएगा। और इससे न केवल पणजी, संपूर्ण क्षेत्र, में प्रसारण हो सकेगा अपितु इससे रत्नगिरी क्षेत्र में भी प्रसारण हो सकेगा·····(**व्यवधान**) यह प्रो० दंडवते को खुश करने के लिए नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ? उन्हें खुश करने में आपका क्या जाता है।

श्री वी० एन० गाडगिल : यहां काम हो रहा है; उन्हें इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पर टी० वी० केन्द्र शुरू किया गया तथा इससे केवल 1 कि० मी० क्षेत्र में ही प्रसारण होता था। लेकिन अब उस क्षेत्र को बदल दिया गया है। इसे इस प्रकार से बदला गया है कि अधिक क्षेत्र इसकी परिधि में आ सके।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : किसी क्षेत्र में प्रसारण इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि वहां पर किस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना है। पिछले कुछ महीनों से कार्यक्रमों के स्तर में जो सुधार आया है उसके लिए मैं मंत्री महोदय की सराहना करता हूं···

प्रो० मधु दण्डवते : यह क्योंकि प्रश्न काल है अतः आपको यह पूछना चाहिए कि 'क्या मैं आप आपके कार्य की प्रशंसा कर सकता हूं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरे ख्याल में, हम सब ही ने सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा की है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में आप दोनों ही ऐसा करेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या माननीय मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांस्मीटर लगाए जाने के अलावा किसी न किसी रूप में स्टूडियो सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी ? बंबई से जिन कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, उसके अपने अनुभव को आधार पर मैं यह पूछ रहा हूं। कभी-कभी यह मेरे अपने क्षेत्र से संबद्ध होता है और कभी नहीं। क्या इन क्षेत्रों से होने वाला कुछ कार्यक्रम इन प्रमुख स्टूडियो में होगा अथवा कब तक कुछ वैकल्पिक स्टूडियो तैयार कर लिए जाएंगे। इस संदर्भ में, प्रसंगवश क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि संसद सत्र का प्रसारण करने के कार्यक्रम का क्या हुआ।

मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि क्योंकि कल बंबई से आते समय, लोक सभा के कुछ अधिकारियों, जो संसद पर एक वृत्त चित्र देखने के लिए दक्षिण भारत गए थे, उन्होंने बताया कि संसद का सीधा प्रसारण दिखाने के बारे में कोई बात नहीं हैं। लेकिन क्यों ?

श्री वी० एन० गाडगिल : माननीय सदस्य द्वारा की गई सराहना के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। इसका सारा श्रेय मुझे न जाकर मेरे पूर्वाधिकारियों को जाता है।

जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का संबंध है, हमारा यह मत है कि इस बारे में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। राज्यों की विधान सभाओं आदि के अध्यक्षों और समस्त मुख्य मन्त्रियों से सलाह कर के इस बारे में निर्णय लेना होगा क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसके लिए कुछ लोग राजी हैं और कुछ नहीं। इसलिए हम कोई निर्णय नहीं ले रहे।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ ? श्री भगत ने खन्ना में 10 कि० वा० का स्टेशन बढ़ा कर अपना वायदा पूरा किया था। सीकर के बारे में आप क्या कहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : हम इस बारे में विचार-विमर्श करेंगे।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या माननीय मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि यद्यपि बंगाल के उत्तरी भाग में टी० वी० केन्द्र सफलतापूर्वक लगा दिया गया है लेकिन कम प्रसारण क्षमता के कारण मुश्किल से ही लोग भारतीय टेलीविजन को लगा पाते हैं और वह केवल बंगलादेश के कार्यक्रम ही देख पाते हैं। यदि हां, तो मन्त्री महोदय इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर भारत और भूटान तथा नेपाल का प्रवेश द्वार माना जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस कारण से सिलीगुड़ी में कोई भी टी० वी० केन्द्र नहीं लगाया गया।

श्री वी० एन० गाडगिल : एक विशेष योजना तैयार की गई है, विशेषतया पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, जिसके अन्तर्गत बहुत से ट्रांसमीशन केन्द्र खोले जाएंगे तथा माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जब यह योजना पूरी हो जाएगी, तो इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितने क्षेत्र मे औसत जनता कार्यक्रमों को देख सकेगी वह औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक होगी। एक विशेष योजना में इन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

श्री मुकुल वासनिक : क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि नए टी० वी० केन्द्रों के खोले जाने के बारे में सरकार की सही-सही नीति क्या है ? यह बताया गया है कि यह नीति इस विशेष नगर अथवा शहर की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। एक लाख अथवा अधिक आबादी वाले शहर में एक टी० वी० ट्रांसमीटर लगाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार की नीति पर छठी पंचवर्षीय योजना में कार्यवाही होने के कारण ज्यादातर जिलों में एक से अधिक टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए गए और कुछ अन्य जिलों में एक भी ट्रांसमीटर नहीं लगाया गया।

मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि देश में प्रत्येक जिले में टी० वी० ट्रांसमीटर की मांग को पूरा करने के लिए क्या सरकार की नीति में परिवर्तन किया जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस सुझाव से तो सभी सहमत होंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : हमारा उद्देश्य अधिकतम लोगों तक पहुंचना है और इसीलिए इस नीति में जन संख्या को मानदंड रखा गया था। लेकिन हमारे यहां सीमावर्ती और अन्य क्षेत्र भी हैं। इनको भी ध्यान में रखना होगा।··· (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : सरकार 1984 तक 30% जनता तक टी० वी० सुविधाएं पहुंचाना चाहती है। प्रो० मधु दंडवते यदि कहें तो मैं यही कहूंगा कि यह अत्यधिक सराहनीय काम है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि हम इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लेंगे। क्या वह इस सुझाव पर विचार करेंगे कि कृषि दर्शन प्रसारण का समय 30 अथवा 50 मिनट और बढ़ा दिया जाए ताकि ग्रामीण जनता को उनके भविष्य के लिए उपलब्ध जीविका और प्रतियोगिताओं के बारे में शिक्षित किया जा सके।

श्री वी० एन० गाडगिल : कृषि कार्य-क्रमों के लिए पहले ही काफी अधिक समय दिया गया है लेकिन, मैं इस पर विचार करूंगा कि क्या इसे बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

युवाओं की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम

[अनुवाद]

*303. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवाओं को शिक्षा देने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा मंजूर किए गए मुख्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार द्वारा वर्तमान शिक्षा नीति की व्यापक और गहन समीक्षा की जा रही है ताकि युवकों को, अन्यों के साथ-साथ, जीवन और कार्य के लिए तैयार किया जा सके, उनको सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बनाया जा सके तथा सांस्कृतिक विकास और राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिए विभिन्न कार्यों में इनको शामिल किया जा सके।

(ख) शिक्षा, संस्कृति और खेल सम्बन्धी संचालन दल ने युवकों के लिए अनेक नई योजनाओं

को सातवीं योजना में शामिल करने के लिए अनेक प्रस्ताव किए हैं जिनको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कोयले के परिवहन हेतु रेलवे की क्षमता के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट

*304. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के परिवहन हेतु रेल-व्यवस्था की क्षमता का मूल्यांकन करने वाले कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यानान्तरण स्थलों पर डिब्बों के रुक जाने और विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे में डिब्बों के आवागमन का कम्प्यूटरीकरण करने के कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) खत्तों की व्यवस्था ताकि दूसरे आमान के सुमेल स्टाक की प्रतीक्षा किए बिना आवश्यक रेलों को मुक्त किया जा सके।

(ii) चालन के दौरान ऐसे कोयला भारों का पूर्वानुमान लगाना जिनका यानान्तरण करना अपेक्षित हो।

(iii) कोयला के यानान्तरण के लिए अलग से लाइनें निर्धारित करना।

(iv) यानान्तरण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में श्रमिकों तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(v) मंडल और क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर यानान्तरण स्थलों पर विशेष निगरानी करना तथा सुमेल खाली स्टाक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(घ) और (ङ) इस समय एक आफ लाइन संगणक प्रणाली की व्यवस्था है जो क्षेत्रीय

रेलवे की सीमा में ही बड़ी लाइन के माल डिब्बों के दिन-प्रतिदिन के संचलन का ब्यौरा रखती है। भारतीय रेलों ने समूची माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली का संगणकीकरण करने के लिए एक परियोजना बनायी है। इस परियोजना को चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।

"लाजपत राय" नामक तेल टैंकर पर विस्फोट

*305. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई बन्दरगाह पर 25 अक्तूबर, 1984 को "लाजपत राय" तेल टैंकर पर हुए दो विस्फोटों में चार व्यक्ति मारे गए थे, पांच व्यक्ति घायल हो गए थे तथा छह व्यक्ति लापता हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त तेल टैंकर भारतीय जहाजरानी निगम का था;

(ग) क्या पहला विस्फोट उस समय हुआ जब टैंकर में बम्बई हाई का कच्चा तेल भरा जा रहा था और दूसरा विस्फोट पहले के दो घंटे के पश्चात् हुआ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) एम० टी० "लाजपत राय" नामक तेलवाही टैंकर पर 24 अक्टूबर 1984 को विस्फोट होने और आग लग जाने से 9 व्यक्ति मारे गए और 3 व्यक्ति मामूली रूप से जख्मी हुए।

(ख) जी, हां।

(ग) जब विस्फोट हुआ तब उक्त तेलवाही टैंकर पर बम्बई के निकट समुद्र से निकलने वाला कच्चा तेल लादा जा रहा था। जहाज पर 24.10.1984 को एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण आग लग गयी। इसके बाद जहाज के विभिन्न भागों में गैस के एकत्र हो जाने के कारण 24 घंटे तक कुछेक छुटपुट धमाके हुए।

(घ) और (ङ) नौवहन महानिदेशक ने वाणिज्य नौवहन अधिनियम के तहत इस घटना की कानूनी जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। अभी यह जांच जारी है।

रेलगाड़ियों के वातानुकूलन के लिए मैफरोन —6 गैस की अपर्याप्त सप्लाई

*306. **श्री नारायण चौबे:** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन वातानुकूलित गाड़ियों को मैफरोन-6 नामक गैस सप्लाई नहीं कर पा

रहा है, जिससे वातानुकूलित सवारी डिब्बों के वातानुकूलन पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या 10 मार्च, 1985 को हावड़ा से रवाना हुई राजधानी एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में मैफरोन— 6 गैस की अपर्याप्त सप्लाई के कारण वातानुकूलन की स्थिति काफी खराब रही जिससे गाड़ी में कार्य-रत रेल कर्मचारियों को काफी शर्मिन्दगी उठानी पड़ी और यात्रियों को भी असुविधा हुई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी नहीं। 10.3.85 को जब राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा से चली तब सभी सवारी डिब्बों में वातानुकूलन व्यवस्था ठीक थी। लेकिन, धनबाद पहुंचने से पहले रास्ते में एक वातानुकूलित कुर्सी यान के उपस्कर में खराबी आ गयी जिससे कुर्सी यान में शीतलन कम हो गया जिसे गाड़ी के साथ चल रहे वातानुकूलन व्यवस्था से संबंधित कर्मचारियों द्वारा अंशतः ही ठीक किया जा सका था।

भारतीय चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने तथा चिकित्सा विज्ञान की उच्च तकनीक के हस्तांतरण हेतु भारतीय मूल के विदेशों में बसे हुए चिकित्सकों की पेशकश

*307. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को भारतीय चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने तथा चिकित्सा विज्ञान की उच्च तकनीक के भारत को हस्तांतरण के लिए, भारतीय मूल के विदेशों में बसे हुए चिकित्सकों से कोई पेशकश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अमेरिकन इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सूचित किया था कि वे मेडिकल कालेजों और अन्य संस्थानों में जाकर व्याख्यान देने, गोष्ठियों, विचार—गोष्ठियों का आयोजन करने तथा वहां पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उन भारतीय मूल के डाक्टरों की सेवाएं प्रदान करना चाहेंगे जो छुटटी पर स्वदेश गए हुए हैं। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को केन्द्र बिन्दु बना दिया गया है। भारतीय मूल के डाक्टर ऐसे अस्पतालों की स्थापना पर भी ध्यान लगाना चाहते हैं जो उच्च कौशल और विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर

सकें। उन्हें ऐसे अस्पताल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जहां पर भारतीय मूल के उच्च प्रशिक्षण तथा दक्षता प्राप्त डाक्टर काम करेंगे।

रक्त-बैंकों की कमी

*308. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पर्याप्त संख्या में रक्त न होने तथा रक्त भन्डारण के आधुनिक साधन न होने के कारण सारे देश में रोगियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का सातवीं योजना अवधि के दौरान इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सरकार को रक्त बैंक और रक्ताधान सेवाओं में वर्तमान कमियों की जानकारी है। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है जिसका उद्देश्य नए शिक्षा और प्रचार अभियानों के जरिए स्वेच्छा से रक्त दान को बढ़ावा देना, रक्त एकत्र करने, जांच करने और नमूने आदि के लिए उचित मानक और विधियां सुनिश्चित करना तथा कर्मचारियों को रक्त बैंक तथा रक्ताधान सेवाओं में उच्च स्तर का प्रशिक्षण देना होगा। इन सेवाओं का विस्तार करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को सहायता देने की एक केन्द्रीय योजना भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाने का प्रस्ताव है।

रेलवे में इलेक्ट्रानिक प्रणाली लागू करना

*309. श्री राम स्वरूप राम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में रेलवे द्वारा त्वरित संचार, चोरियां रोकने और विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रणाली और तत्सम्बन्धी विकास को तेजी से अपनाने के लिए कोई और कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) रेलों पर विद्युतीकृत क्षेत्र में कई किस्म के रेलपथ परिपथन, इलेक्ट्रानिक धुरा काउन्टर, आनुषंगिक चेतावनी प्रणाली, नियंत्रण उपस्कर तथा पर्यवेक्षी दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली की

व्यवस्था करके तथा सूक्ष्मतरंग/परा उच्च आवर्ती रेडियो संचार, संगणक का उपयोग करके और चिकित्सा क्षेत्र में भी पहले ही इलेक्ट्रानिक प्रणाली अपनायी जा चुकी है।

भारतीय रेलों पर वृहत सूक्ष्म तरंग जाल-तन्त्र है जो विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालयों को मंडल तथा महत्वपूर्ण लदान स्थलों से जोड़ता है। माल डिब्बों के संचलन की संगणकीकृत मानीटरिंग के लिए माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली एक अनुमोदित कार्य है।

हिमाचल प्रदेश में स्वान नदी परियोजना का निर्माण

*310. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्वान नदी के जल को नहरों में उपयोग करने के लिए कोई वृहद योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है तथा सरकार को यह सर्वप्रथम किस तारीख को भेजी गई थी और परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है तथा इसका निर्माण-कार्य किस तारीख से शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो किस तारीख तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा तथा विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना जिले में स्वान नदी के नहरीकरण तथा सिंचाई के लिए 225 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक समेकित क्षेत्र विकास परियोजना का एक संक्षिप्त प्रस्ताव मई, 1984 में भेजा था। राज्य प्राधिकारियों को जुलाई, 1984 में, केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिदशों के अनुसार स्कीम का ब्यौरा तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है। चूंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है इसलिए यह बता पाना संभव नहीं होगा कि इस स्कीम पर निर्णय किस तारीख तक ले लिया जाएगा और राज्य कब निर्माण आरम्भ करेगा।

देश भर में, और गुजरात में वर्ष 1984 के दौरान पीलिया रोग के कारण हुई मौतें

*311. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1984 के दौरान, पीलिया रोग के कारण कितनी मौतें हुईं;

(ख) गुजरात में, वर्ष 1984 के दौरान, पीलिया रोग के कारण कितनी मौतें हुईं;

(ग) क्या हाल ही के महीनों में पीलिया का पुनः प्रकोप हो गया है; और

(घ) इस महामारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राज्यों/केन्द्र शासित सरकारों से मिली सूचना के अनुसार वर्ष 1984 में विषाणुज यकृतशोथ/पीलिया से 2789 मौतें हुईं।

(ख) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1984 में विषाणुज यकृतशोथ/पीलिया से राज्य में 1189 व्यक्तियों की मौतें हुईं।

(ग) गुजरात सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हाल के महीनों में पीलिया के रोगियों की संख्या काफी बढ़ रही है।

(घ) इसे रोकने के लिए पहले से उठाए गए कदम इस प्रकार हैं—संचरण रोकने के लिए चिकित्सा संस्थानों को अपूतिता बरतने और रोगाणुमुक्त वातावरण बनाए रखने के कड़े निर्देश, रक्ता-धान से पहले आस्ट्रेलिया एंटीजन परीक्षण करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना, एस० जी० पी० टी० टेस्ट अनिवार्य करना, महामारी रोग अधिनियम 1897 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करना, हेपीटाइटिस वेक्सीन और हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन सीएम उपलब्ध कराना और स्वच्छता और वैयक्तिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अभियान का विस्तार करना, जिसमें मल की सफाई पर विशेष जोर दिया गया है।

जोगबनी-कटिहार सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

*312. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेल का जोगबनी-कटिहार सेक्शन नेपाल के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई करने तथा तीर्थ यात्रियों और अन्य यात्रियों के लिए और कल-कत्ता बन्दरगाह के लिए भी एकमात्र रेल मार्ग है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने उक्त सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए निरन्तर मांग की है विशेषकर जबकि कटिहार-बरौनी रेलवे सेक्शन को पहले ही बड़ी लाइन में बदल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे बड़ी लाइन में बदलने का काम तत्काल आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) संसाधनों की बेहद कमी और पहले से की हुई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए, फिलहाल इस परियोजना को हाथ में लेना संभव नहीं होगा।

पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति

[अनुवाद]

*313. **श्री जी०जी० स्वैल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति ने त्याग पत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कुलपति का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च 1985 के आरम्भ में कुलपति ने स्वयं विश्वविद्यालय की निधियों के दुरुपयोग का पता लगाया जिनमें विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख अधिकारी शामिल थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं, कुलपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय महिलाओं के दर्जे में गिरावट और पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार

*314. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें महिलाओं का दर्जा संबंधी राष्ट्रीय समिति ने यह बताया है कि भारतीय महिलाओं का दर्जा तेजी से गिर रहा है;

(ख) क्या यह भी बताया गया है कि 1981 की जनगणना के अनुसार रोजगार के मामले में महिलाओं की भागीदारी 20.85 प्रतिशत है किन्तु 1961 में यह 28 प्रतिशत थी; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला और पुरुष को सरकारी सेवाओं में एक समान अवसर प्राप्त हो सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। परन्तु यह 1981 में जनगणना के समय अपनाई गई "नियोजित महिला" की परिभाषा में संशोधन के कारण हुआ है। 1981 में यद्यपि छोटे-मोटे धन्धों में लगी और अंशकालिक रोजगार में लगी महिलाओं को भी नियोजित महिलाओं के रूप में माना गया था परन्तु 1981 में उन्हें इस परिभाषा से बाहर कर दिया गया।

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (1976) में यथा निर्धारित विभिन्न उपाय किए हैं कि सरकारी सेवाओं में पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर प्राप्त हैं। फलस्वरूप बहिलाएं अब पहले की अपेक्षा सरकारी सेवाओं में अधिक रोजगार प्राप्त कर रही हैं।

बिहार में कमला बालान बांध का विस्तार

[हिन्दी]

*315. **श्री राम भगत पासवान :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में कमला बालान बांध का, जो इस समय कोढराम तक स्थापित हो गया है, फुहिया तक विस्तार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह है सच कि बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसल खराब हो जाती है तथा हजारों निर्धन व्यक्तियों के मकान गिर जाते हैं तथा पशु मर जाते हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस बांध का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार को कितनी धनराशि दी गई है और क्या सरकार ने इस बांध का शीघ्र ही फुलिया तक विस्तार करने के लिए कोई निर्देश दिया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा लाखों व्यक्तियों की जान माल तथा करोड़ों रुपए की फसलों की रक्षा के लिए इस बांध का विस्तार करने के लिए कदम उठाये जाएंगे।

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बिहार सरकार ने कमला बालान तटबन्ध को कोघराम से फुहिया तक बढ़ाने के काम को हाथ में नहीं लिया है।

(ङ) इस क्षेत्र में क्षति कमला बालान तथा करहे और कोसी जैसी पड़ोसी नदियों में बाढ़ों के संयुक्त प्रभाव के कारण होती है।

(ग) इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्कीम का अन्वेषण, आयोजना तथा कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने योजनागत संसाधनों के माध्यम से किए जाने हैं।

बिजली की राज्य-वार उपलब्धता

*316. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल } : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) बिजली की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार वर्तमान आवश्यकता और उपलब्धता क्या है :

(ख) वर्ष 1985-86 के अन्त तक राज्य-वार बिजली की आवश्यकता क्या होगी तथा प्रस्तावित विद्युत उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(ग) ऐसे राज्यों में, जो अपनी आवश्यकतानुसार बिजली का उत्पादन करने में समर्थ नहीं हैं, बिजली की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ग) विद्युत की कमी का सामना करने वाले राज्यों में विद्युत की कमी को निम्नलिखित उपाय करके जहां तक सम्भव होगा पूरा किया जाएगा :—

(1) फालतू विद्युत वाले राज्यों से विद्युत का अन्तरण करना।

(2) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना।

(3) प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन यूनिटों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना।

विवरण

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार विद्युत की मांग तथा आपूर्ति की वर्तमान स्थिति।

सभी आंकड़े मिलियन यूनिट/प्रतिदिन (सकल में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मांग	आपूर्ति	कमी (%)
1	2	3	4	5
(एक)	उत्तरी क्षेत्र			
1.	चण्डीगढ़	0.8	0.8	—
2.	दिल्ली	11.8	11.8	—
3.	हरियाणा	16.2	10.1	6.1 (38)
4.	हिमाचल प्रदेश	2.0	1.9	0.1 (5)
5.	जम्मू और कश्मीर	5.0	3.3	1.7 (34)
6.	पंजाब	20.2	18.3	1.9 (9)
7.	राजस्थान	21.7	17.3	4.4 (20)
8.	उत्तर प्रदेश	49.7	41.7	8.0 (16)
	जोड़ :	127.4	105.2	22.2 (17)
(दो)	पश्चिमी क्षेत्र			
1.	गुजरात	39.7	38.2	1.5 (4)
2.	मध्य प्रदेश	31.2	31.2	—
3.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	72.4	67.4	5.0 (7)
	जोड़ :	143.3	136.8	6.5 (5)
(तीन)	दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आन्ध्र प्रदेश	37.7	37.7	—
2.	कर्नाटक	31.4	27.7	3.7 (12)
3.	केरल	14.1	14.4	—
4.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	41.1	35.5	5.6 (14)
	जोड़ :	124.3	115.0	9.3 (7)

1	2	3	4	5
(चार)	पूर्वी क्षेत्र			
1.	बिहार	12.7	8.4	4.3 (34)
2.	दामोदर घाटी निगम	18.5	14.8	3.7 (20)
3.	उड़ीसा	15.2	12.7	2.5 (16)
4.	पश्चिमी बंगाल (सिक्किम सहित)	19.8	16.8	2.4 (13)
	जोड़ :	65.6	52.7	12.9 (20)
(पांच)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	4.7	4.6	0.1 (2)
(छः)	अखिल भारत	465.3	414.3	51.0 (17)

(2) 1985-86 के दौरान राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार विद्युत ऊर्जा की प्रत्याशित मांग और पूर्ति ।

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट (सकल) में

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मांग	आपूर्ति	अधिशेष (+) कमी (—)
1	2	3	4	5
(एक)	उत्तरी क्षेत्र			
1.	चण्डीगढ	360	360	—
2.	दिल्ली	5400	5400	—
3.	हरियाणा	5750	5050	(—) (700) (12)
4.	हिमाचल प्रदेश	780	780	—
5.	जम्मू और कश्मीर	1500	1240	(—) (260) (17)
6.	पंजाब	11250	12500	(—)
7.	राजस्थान	7900	6565	(—) 1335 (17)
8.	उत्तर प्रदेश	18700	15780	(—) 2920 (16)
	जोड़ :	51640	46425	(—) 5215 (10)

1	2	3	4	5
(दो)	पश्चिमी क्षेत्र			
1.	गुजरात	15000	15285	(+) 285 (2)
2.	मध्य प्रदेश	13000	13155	(+) 155 (1)
3.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	28200	28350	(+) 150 (1)
	जोड़ :	56200	56790	(+) 590 (1)
(तीन)	दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आन्ध्र प्रदेश	13200	13830	(+) 630 (5)
2.	कर्नाटक	12000	9900	(—) 2100 (18)
3.	केरल	5060	5260	(+) 200 (4)
4.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	15500	14060	(—) 1440 (9)
	जोड़	45760	44050	(—) 2710 (6)
(चार)	पूर्वी क्षेत्र			
1.	बिहार	4800	3240	(—) 1560 (33)
2.	दा० घा० नि०	7300	6450	(—) 850 (12)
3.	उड़ीसा	5500	4355	(—)1145 (21)
4.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	8000	7770	(—) 230 (3)
	जोड़ :	25600	21815	(—)3785 (15)
(पांच)	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	1800	1920	(+) 120 (7)
(छः)	अखिल भारत	181000	170000	(—) 11000 (6)

मलाज खंड को जोड़ने वाली रेलवे लाइन

[अनुवाद]

*317. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालाघाट जिले के मलाजखंड को राजनन्द गांव जिले से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की बेहद तंगी और पहले से की हुई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए, फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

छठी योजना में आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूल

[हिन्दी]

*318. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे;

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों के विस्तार के लक्ष्य क्या थे;

(ख) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस दिशा में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रगति नहीं हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) छठी योजना दस्तावेज में आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए किसी प्रकार के विशिष्ट विस्तार लक्ष्यों का कोई उल्लेख नहीं हैं। फिर भी प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सन्दर्भ में, 6-14 आयु वर्ग में दाखिले के लिए कुल लक्ष्यों को प्रत्येक राज्य में निर्धारित कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और लड़कियों जैसे सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के बच्चों के दाखिले के लिए विशेष बल दिया गया है, यद्यपि, इन वर्गों के लिए दाखिला सम्बन्धी अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी महिला आयोग की स्थापना करना

[अनुवाद]

*319. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 को महिला दशक का अन्तिम वर्ष होने को ध्यान में रखते हुए दशक के प्रारम्भ और अन्त में हमारे देश में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का ठोस मूल्यांकन करने के लिए सरकार की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार महिला कल्याण का कार्य आगे बढ़ाने के लिए एक स्थायी महिला आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) (1) जनसांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य (2) महिला और कानून (3) महिला रोजगार (4) महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर (5) महिलाओं को शिक्षा (6) महिला और राजनीतिक सहभागिता (7) परिवार में भारतीय महिला (8) महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और (9) संस्थागत परिवर्तन सम्बन्धी एक व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो अन्तिम चरणों में है।

(ग) जी, नहीं।

केरल में रेल उपक्रम की स्थापना करना

*320. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोई भी बड़ा रेल उपक्रम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का केरल में कम से कम एक रेल उपक्रम स्थापित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) रेलों के दिन-प्रति-दिन के परिचालन को कुशल बनाए रखने की आवश्यकताओं के अनुरूप केरल में रेलवे की प्रमुख संस्थापनाएं/सुविधाएं हैं। उदाहरण के लिए केरल में पालघाट और त्रिवेन्द्रम में मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय हैं। साथ ही, रेल पथ, चल स्टाक, बिजली तथा सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर आदि के परिचालन और अनुरक्षण के लिए अवसंरचनात्मक उपक्रम भी हैं। एर्णाकुलम में बीस इंजनों के लिए बड़ी लाइन के डीजल शन्टर लोको शेड जैसे अतिरिक्त नए निर्माण-कार्य प्रगति पर हैं।

पारादीप पत्तन की मूल गहराई को बहाल करना

*321. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के पत्तन प्राधिकरण और सरकार द्वारा पत्तन की मूल गहराई को बहाल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ताकि भारी तथा बड़े मालवाहक जहाज आसानी से पत्तन में दाखिल हो सकें,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1984-85 के दौरान पारादीप पत्तन की कम गहराई के कारण कितने जहाजों को अन्य पत्तनों में वापस जाना पड़ा;

(घ) क्या पत्तन में गाद को जमा होने से रोकने के लिए तलकर्षण समस्या के हल करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी हां। ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के ड्रेजर लगाने के परिणामस्वरूप 27 दिसम्बर, 1984 से पत्तन पर समुद्र का डुबाव जैसा पहले था, वैसा ही हो गया।

(ग) सिर्फ एक जहाज ही को दूसरे पोर्ट पर भेजा गया।

(घ) जी हां।

(ङ) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा अनवरत आधार पर सामान्य अनुरक्षण निकर्षण किया जाता है। पुनः नौचालन चैनल में रेत मिट्टी जमा ना हो जाए और डुबाव कम न हो जाए, इसलिए पोर्ट ट्रस्ट एक ठेकेदार के माध्यम से रेत-मिट्टी रोकने के लिए जाली लगवा रहा है।

विद्यालय-पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता :

*322. श्री जगन्नाथ पटनायक
प्रो० सैफुद्दीन सोज } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालय-पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) पर्यावरण शिक्षा पहले से ही विभिन्न स्तरों पर स्कूली पाठ्यचर्या का एक भाग है ।

कसौली दूरदर्शन ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र

[हिन्दी]

*325. के० डी० सुलतानपुरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कसौली दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता क्या है तथा इसके कार्यक्रम कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं; और

(ख) वहां काम कब शुरू किया गया था, काम पूरा होने की लक्ष्य तिथि क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कसौली के 10 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर, जो 115 मीटर ऊंचे टावर का निर्माण कार्य पूरा होने तक, इस समय 1 किलोवाट की कम शक्ति पर कार्य कर रहा है, की सेवा परिधि लगभग 165 किलोमीटर है। ट्रांसमीटर के 10 किलोवाट की पूर्ण शक्ति पर चालू होने पर, इसकी सेवा परिधि बढ़कर लगभग 220 किलोमीटर हो जाने की उम्मीद है ।

(ख) टावर का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1983 में तथा ट्रांसमीटर के भवन का निर्माण कार्य फरवरी, 1984 में आरम्भ किया गया था। ट्रांसमीटर को अन्तरिम उपाय के रूप में 1 किलोवाट की कम शक्ति पर 3.10.84 को चालू किया गया था तथा इसके 10 किलोवाट की पूर्ण शक्ति पर सितम्बर, 1985 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। रिले केन्द्र की स्थापना पर लगभग 140.52 लाख रुपए खर्च होते हैं।

प्रेस कौन्सिल आफ इण्डिया का पुनर्गठन

*326. **श्रीमती ऊषा वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस कौन्सिल आफ इण्डिया का पुनर्गठन किया गया है और क्या अंशकालिक संवाददाताओं की राष्ट्रीय संस्था "अखिल भारतीय पत्रकार संसद" को इस परिषद् में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रेस कौसिल आफ इण्डिया के पुनर्गठन को प्रक्रिया से सम्बंधित उपबंधों को संशोधित करने का है, यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का स्वरूप क्या है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सभी संवाददाता संगठनों के विचार प्राप्त किए गए हैं अथवा प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद् का पुनर्गठन किया जा रहा है। परिषद में मनोनीत किए जाने के लिए अखिल भारतीय पत्रकार संसद, एक गैर-अधिसूचित संस्था होने के कारण, परिषद् में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। इस सम्बन्ध में इसके दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उसे प्रेस परिषद् के समक्ष अन्तिम तारीख से पहले दायर नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों का सर्वेक्षण

[अनुवाद]

* 329. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने के बाद से इस संख्या में कोई कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री डी० अंजैया) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) रोजगार तथा बेरोजगारी के बारे में सर्वेक्षण संचालित करता है। ऐसा अन्तिम

सर्वेक्षण 1983 में किया गया था (38वां दौर) उक्त सर्वेक्षण के परिणाम सारणीबद्ध किए जा रहे हैं। तथापि, रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार, 1984 के अन्त में 235 लाख व्यक्ति नौकरी की तलाश में थे, जबकि 1981 के अन्त में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 178 लाख थी।

(ख) और (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम 14.1.82 को घोषित किया गया था और इसका कार्यान्वयन 1982-83 के दौरान शुरू किया गया था। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रोजगार सृजन कार्यक्रम ये हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी०पी०) स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना (टराइसम) आई० आर०डी०पी० का अभिन्न अंग है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

(आंकड़े लाखों में)

कार्यक्रम	एकक	1982-83		1983-84		1984-85	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आई० आर० डी० पी०	परिवार	30.07	34.55	30.54	36.85	30.57	30.95 (फरवरी, 1985 तक)
टराइसम प्रशिक्षित किए गए युवाओं की संख्या		2.00	2.45	2.00	2.06	2.00	1.43 (अक्तूबर, 1984 तक)
एन० आर० ई० पी०	श्रम-दिवस	3532	3512	3222	3028	3091	2850 (फरवरी, 1985 तक)
आर० एल० ई० जी० पी०	श्रम-दिवस	—	—	—	—	3000	1924 (फरवरी, 1985 तक)

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि इस तथ्य के बावजूद कि रोजगार

कार्यालयों के पास पंजीकृत नौकरी चाहने वालों की संख्या बढ़ती रही है, प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में हाल ही के वर्षों में गिरावट का रुझान रहा है 1981 की तुलना में 1982 में हुई 10.7% की वृद्धि के मुकाबिले में, 1983 की तुलना में 1984 में 1984 में वृद्धि की दर केवल 7.3% थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की गई मदें

*330. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कौन-कौन सी प्रमुख मदें सप्लाई की जाती हैं;

(ख) क्या केरल नागरिक पूर्ति निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्ध को प्रभावशाली बनाने के लिए और अधिक धनराशि की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए सात आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति की जिम्मेदारी ले रखी है, जो इस प्रकार हैं– गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक तथा कंट्रोल का कपड़ा।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबन्धित परामर्शदात्री परिषद की 29.3 1985 को नई दिल्ली में हुई छठी बैठक में केरल सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने सुझाव दिया था कि भारत सरकार, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल नागरिक आपूर्ति निगम को पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं बनाने, ढुलाई की उपयुक्त व्यवस्था करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी के लिए वित्तीय सहायता दे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

इन्दिरा गांधी पर चलचित्र

*333. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की टेलीविजन कम्पनी "बी० बी० सी०" निकट भविष्य में श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन पर कोई चलचित्र दूरदर्शन पर दिखाने वाली है;

(ख) क्या सरकार का उक्त चलचित्र या श्रीमती गांधी सम्बन्धी कोई अन्य चलचित्र निकट भविष्य में दूरदर्शन पर दिखाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में गन्दी बस्ती हटाने संबंधी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

* 336. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में कर्नाटक में गन्दी बस्ती हटाने संबंधी योजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) गन्दी बस्तियों को हटाने संबंधी कितनी योजनाएं वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) गन्दी बस्तियों को हटाने संबंधी योजनाओं के लिए मंजूरी देने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान द्वारा शहरी मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना राज्य क्षेत्र की योजना है परन्तु योजना के अन्तर्गत लाभान्वित जनसंख्या के हिसाब से केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति 250 रुपये की दर पर अनुदान देती है। 1983-84 के दौरान कर्नाटक सरकार को इस योजना के अन्तर्गत 65 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था। तथापि, उस वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति अनुदान की दर 150 रुपये थी।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई योजना लम्बित नहीं पड़ी है।

(ग) शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत करने के मुख्य मानदण्ड निम्न हैं :

(i) वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान राज्य का निष्पादन

(ii) गत वर्ष के दौरान लक्ष्य उपलब्धि की प्रतिशतता

(iii) अतिरिक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रेषित कार्य योजना।

(iv) राज्य में पता लगाई गई कुल मलिन बस्ती जनसंख्या।

सोयाबीन तेल निकालना

* 337. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर सोयाबीन का तेल निकालने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में 1 अप्रैल, 1985 तक कितनी क्षमता का उपयोग हुआ; और

(ख) क्या छठी योजना अवधि के दौरान सोयाबीन तेल का आयात किया गया था और यदि हां, तो कब तथा कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसका किस तरह उपयोग किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सोयाबीन से तेल निकालने की सुविधाएं अधिकतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में उपलब्ध हैं। औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के तहत जारी लाइसेंसों के रूप में पहली अप्रैल, 1985 तक सोयाबीन के लिए लगभग 7.3 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता सृजित की गई है। इन लाइसेंसों में से अधिकांश को अभी कार्यान्वित करना रहता है। इनके अलावा, विलायक निष्कर्षण संयंत्र भी सोयाबीन का संसाधन कर सकते हैं, जिनकी 31 मार्च, 1985 को कुल वार्षिक क्षमता 7.09 लाख मी० टन थी। वर्ष 1984 के दौरान विलायक निष्कर्षण संयंत्रों की कुल मिलाकर 57.0 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ है।

(ख) जी हां। सरकार की ओर से आयात किए गए सोयाबीन के तेल की मात्रा नीचे दी गयी है:

वित्तीय वर्ष	मात्रा लाख मी० टनों में
1981-82	5.28
1982-83	3.86
1983-84	5.52
1984-85	5.55

(अनन्तिम फरवरी, 1985 तक)

जनवरी से अक्तूबर, 1984 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सोयाबीन के तेल की 72,466 मी० टन मात्रा सप्लाई की गयी। सोयाबीन के तेल की बकाया मात्रा की सप्लाई वनस्पति उद्योग को की गई।

इन्सेट के टेलीविजन कक्ष का उपयोग

*338. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण दर्शकों के लिए सभी राष्ट्रीय भाषाओं में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु इन्सेट के दूरदर्शन कक्ष का उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए इनसेट के दूरदर्शन उपयोग की अनुमोदित स्कीम में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के 6 राज्यों के तीन-तीन जिलों के चुनिंदा समूहों में संबंधित राज्यों की भाषाओं में 5 11 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल के बच्चों के लिए सभी स्कूल कार्य दिवसों को 45 मिनट के शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रतिदिन टेलीकास्ट करने की परिकल्पना थी। इस स्कीम को पूर्णरूप से कार्यान्वित किया गया है। वास्तव में उपरोक्त शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम केवल तीन-तीन जिलों के चुनिंदा समूहों में ही उपलब्ध नहीं होते, अपितु उनको ऊपर उल्लिखित 6 राज्यों के अन्य सभी रिले ट्रांसमीटरों द्वारा भी रिले किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों को हिन्दी में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के हिन्दी भाषी राज्यों के सभी रिले ट्रांसमीटरों द्वारा भी रिले किया जा रहा है। छः राज्यों में सायं के समय टेलीकास्ट किए जाने वाले क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों में समय-समय पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है। अन्ततः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा पर उपलब्ध किए जाने वाले दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा सभी कालेज कार्य दिवसों को एक घंटे के लिए दिन में दो बार रिले किया जाता है। इनसैट-1 बी में दूरदर्शन ट्रांसपोन्डरों की सीमित संख्या होने के कारण, इनसेट के माध्यम से स्कूल शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों को तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती तथा हिन्दी से भिन्न भाषाओं में तथा उच्च शैक्षणिक कार्यक्रमों को अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं में टेलीकास्ट करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

खानों के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

[हिन्दी]

*339. श्री शिव प्रसाद साहू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में बाक्साइट, तापसह मिट्टी (फायर-क्ले) और चीनी मिट्टी (चाइना-क्ले) की खानों में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) बाक्साइट, फायर-क्ले और चाइना-क्ले खानों में रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों में हाल ही में 12 फरवरी, 1985 को संशोधन किया गया था। सरकार के सामने और कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को आयातित तेल का आवंटन

*340. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले महीने प्रत्येक राज्य को खाद्य तेल का आवंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो आवंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ग) उत्तर प्रदेश को आयातित तेल की कुल कितनी मात्रा का आवंटन किया गया;

(घ) क्या तेल की यह मात्रा उत्तर प्रदेश की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश को और अधिक तेल का आवंटन करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और कितनी मात्रा में आवंटन किया जाएगा तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार इनकी मांग, खपत के स्वरूप, त्यौहार के मौसम, राज्य अथवा क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भंडार तथा अन्य संबंधित बातों, जिसमें राज्यों को पहले आवंटित किए गए खाद्य तेलों को उठाने की गति भी शामिल है, के आधार पर माह-दर-माह आवंटन करती है।

(ग) तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर-अक्टूबर) के दौरान अप्रैल, 1985 तक उत्तर प्रदेश को आयातित खाद्य तेलों के 22,000 मी० टन मात्रा आवंटित की है।

(घ) से (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और यह राज्य की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए नहीं होता है। उत्तर प्रदेश एक तेल उत्पादक राज्य है, अतः उन्हें आयातित खाद्य तेलों के मौजूदा आवंटन को पर्याप्त समझा जाता है।

सूरत में रेडियो-स्टेशन की स्थापना

* 342. **श्री सी० डी० गामित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत में रेडियो स्टेशन स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव छठी पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया गया था; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सूरत में कब तक रेडियो स्टेशन स्थापित हो जाएगा; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अनुमोदित छठी योजना (1980-85) में, गुजरात में सूरत में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

[अनुवाद]

1847. श्री अमर सिंह राठवा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की एक योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के कार्यान्वयन में क्या अड़चनें हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए तब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। देश भर में सभी सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा पहले ही निःशुल्क है। कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए विधान भी हैं।

नार्थ फ्रंटियर रेलवे डाइनिंग कार एंड केटरिंग कंट्रेक्टर्ज वर्कर्ज यूनियन की सिलिगुड़ी शाखा से प्राप्त ज्ञापन

1848. श्री आनन्द पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नार्थ फ्रंटियर रेलवे डाइनिंग कार केटरिंग कान्ट्रेक्टर्ज वर्कर्स यूनियन की सिलिगुड़ी शाखा से दिनांक 5 फरवरी, 1985 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(ग) सरकार उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) उनकी शिकायतें ये हैं कि ए० टी० मेल तथा वैशाली एक्सप्रेस को रद्द कर दिये जाने के कारण, सिलिगुड़ी जंक्शन पर शाकाहारी तथा सामिष जलपान गृह के कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं। चूंकि दिन के समय की कोई गाड़ी नहीं है और खानपान ठेकेदार भी भाग गये हैं, इसलिए इन कर्मचारियों को अभी तक विभागीय कर्मचारियों के रूप में समाहित नहीं किया गया है।

(ग) यद्यपि रेलवे ने सिलिगुड़ी जंक्शन पर खान-पान स्थापना को विभागीय तौर पर चलाने का विनिश्चय किया था, लेकिन इसे पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सका क्योंकि शाकाहारी जलपान गृह तथा 19 अन्य बोर्डिंग यूनिटों के ठेकेदारों, जिन्हें बेदखली का नोटिस दिया गया था, वे कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था और अब न्यायालय के आदेश के तहत कारोबार चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सामिष जलपान गृह के ठेकेदार ने भी अभी जलपान गृह खाली करके रेल प्रशासन को नहीं सौंपा है। जलपान गृह को खाली करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। चूंकि अभी तक परिसर रेलों को नहीं सौंपे गये हैं, इसलिए इस स्थिति में ठेकेदारों के कर्मचारियों को रेल कर्मचारियों के रूप में समाहित करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न समाज कल्याण उपायों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को निदेश और दिशा-निर्देश

1849. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, राज्यों में विभिन्न समाज कल्याण उपायों के कार्यान्वयन संबंधित तंत्र संतुष्ट हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कई राज्यों में समाज कल्याण निदेशकों को और भी कई उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जिससे उन्हें किसी काम का समय नहीं मिलता;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित कार्य अपने आपमें इतना महत्वपूर्ण और समय लेने वाला है कि समाज कल्याण का प्राथमिक कार्य प्रायः पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है, और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को निदेश और दिशा निर्देश जारी किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं यह सभी राज्यों में पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। ऐसा कुछ ही राज्यों के संबंध में है।

(घ) जी हां, समाज कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 28 सितम्बर, 1984 को नई दिल्ली में हुए राज्य समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से पास किए गए संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 792/85]

बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं में गाद भर जाना

1850. श्री सी० डी० गामित : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं में गाद भर जाने के कारण 1983-84 के दौरान हुई भंडारण क्षमता की कुल हानि की ओर ध्यान दिया है;

(ख) उस वर्ष के दौरान गाद भर जाने के कारण किस सीमा तक सिंचाई क्षमता की हानि हुई; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) देश में बृहद तथा मध्यम जलाशयों में गाद भरने के कारण जल भण्डारण क्षमता में हुई कमी की सूचना सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय नहीं रखता है। गाद भरने के कारण 1983-84 के दौरान बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं की भण्डारण क्षमता में हुई कमी के बारे में राज्य सरकारों ने कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) कृषि मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अधीन 28 जलाशय जलग्रहण भू-संरक्षण उपचार प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कीम में वनरोपण, किफायती बागान तथा उपयोगी वृक्षों को लगाना बांध की परिरेखा, सीढ़ीदार खेती जांचबांध तथा चारागाह विकास जैसे उपाय आते हैं जो भूमि कटाव तथा अनुवर्ती गाद भरने को कम करते हैं, उपाय शामिल हैं। राज्यों को भी इसी प्रकार के उपायों को करने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश को सिंचाई परियोजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

1851. श्री अनुल बशर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं जिनके लिए केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) प्रत्येक परियोजना का काम किस तारीख को शुरू हुआ था;

(ग) परियोजना वार कितनी राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया था; और विभिन्न परियोजनाओं में अब तक कितनी धनराशि खर्च हो गई है;

(घ) प्रत्येक परियोजना का काम कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो पूरी होने की निर्धारित अवधि से पीछे है और परियोजना वार निर्माण कार्य यथासमय पूरा न होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं पर कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह किसी विशेष स्कीम या विकास के किसी सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं होती है। तथापि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना ों पर क्रेडिट/ऋणों की प्रतिपूर्ति के आधार पर राज्य सरकार 70% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की भी हकदार होती है।

(ख) से (घ) राज्यों में बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओ से संबंधित अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) लगभग सभी निर्माणाधीन बृहद तथा मध्यम सिंचाई स्कीमें, उनके पूरा होने के मूल कार्यक्रम से पिछड़ रही हैं। इन स्कीमों के समय पर पूरा न होने के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय के बारे में बता पाना संभव नहीं है क्योंकि शेष रहे कार्य को पूरा करने पर आने वाली लागत मुख्यत: परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु राज्यों द्वारा वित्तीय साधन उपलब्ध कराने की क्षमता तथा मूल्यों में होने वाली वृद्धि की संभावित दर पर निर्भर करेगी।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	शुरू होने की तारीख	पूरे होने की संभावित तारीख	मूल लागत	अद्यतन लागत	छठी योजना के अन्त तक संभावित व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	छठी योजना से पूर्व की स्कीमें					
	बृहद					
1.	रामगंगा	61-62	84-85	38.53	98.93*	137.71

*संशोधित की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7
2	टेहरी बांध	70-71	आठवीं योजना	40.00	530.00	132.71
3.	लखवार व्यासी	76-77	आठवीं योजना	100.81	170.00	125.92
4.	गंडक नहर	60-61	सातवीं योजना	16.47	135.33	104.33
5.	शारदा सहायक	68-69	सातवीं योजना	64.84	610.00	440.54
6.	कोसी सिंचाई	67-68	सातवीं योजना	2.93	19.10	16.02
7.	नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	73-74	सातवीं योजना	9.96	28.10	19.77
8.	सामान्तर लोअर गंगा नहर	74-75	84-85	25.67	49.43	49.44
9.	सोन पम्प नहर	73-74	सातवीं योजना	5.64	31.00	18.99
10.	राजघाट (1) बांध (2) नहर	77-78	सातवीं योजना	61.61	125.21	51.63
11.	शाहजाद बांध	74-75	सातवीं योजना	8.03	25.00	16.85
12.	जामरानी बांध	75-76	आठवीं योजना	61.15	164.00	9.70
13.	मध्य गंगा नहर चरण-एक	75-76	सातवी योजना	66.01	208.00	132.37
14.	मंडा बांध	75-76	सातवीं योजना	उपलब्ध नहीं	33.00	14.78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	घाघरा नहर का बांया तट (सरजू नहर परियोजना)	76.77	आठवीं योजना	78.68	422.00	155.68
16.	नया ओखला बराज	75.76	सातवीं योजना	25.37	34.80	33.33
17.	बाणसागर बांध	77.78	आठवीं योजना	22.82	76.00	18.97
18.	उर्मिल बांध	74-75	सातवीं योजना	8.56	12.30	6.32
19.	सुहेली सिंचाई	77-78	सातवीं योजना	6.40	6.65	6.32
20.	पूर्वी गंग नहर	77-78	सातवीं योजना	48.46	127.50	34.36
21.	भीमागोड़ा हैड वर्क्स का पुर्नरूपण	72-73	सातवीं योजना	22.45	32.40	26.68
22.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना	75-76	सातवीं योजना	उपलब्ध नहीं	19.60	13.59
23.	कनहर सिंचाई स्कीम	74-75	आठवीं योजना	वही	122.00	23.74
24.	माधो टांडा सिंचाई-स्कीम	79-80	सातवीं योजना	वही	2.85	2.53
25.	जमानिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	76-77	वही	वही	22.00	8.50
26.	दीवार फिडर	78-79	वही	वही	18.10	11.70
27.	ताजेवाला बराज	उपलब्ध नहीं	वही	वही	20.00	—
	छठी योजना की नई स्कीमें					
28.	किशन बांध	78-79	आठवीं योजना	वही	395.00	4.42

1	2	3	4	5	6	7
	मध्यम स्कीमें					
1.	सरजू पम्प नहर	72-73	सातवीं योजना	4.84	7.55	7.76
2.	किशनपुर पम्प नहर	72-73	वही	2.76	17.20	8.19
3.	केन नहर का पुनरूपण	69-70	वही	0.48	5.71	1.31
4.	अमासी पम्प नहर	73-74	वही	1.46	12.48	2.38
5.	यमुना पम्प नहर	76-77	वही	4.46	15.54	10.52
6.	रोहिनी बांध	75-76	सातवीं योजना	0.70	2.87	2.81
7.	सजनाम बांध	777-78	वही	1.44	10.17	9.77
8.	लस्तर घाटी	76.77	84-85	1.15	1.78	1.78
9.	अलीगंज सिंचाई	74-75	सातवीं योजना	3.81	5.50	4.95
10.	उमरहाट पम्प नहर	73-74	वही	0.78	2.46	1.82
11.	संशोधित कछला पम्प नहर	77-78	वही	2.66	7.25	2.37
12.	संशोधित टौंस पम्प नहर	68.69	वही	1.75	13.10	3.53
13.	दोरगी बांध	78-79	वही	1.17	2.50	2.15
14.	धनकवां बांध	78-79	वही	0.89	2.18	1.78
15.	चित्तौड़गढ़	77-78	वही	उपलब्ध नहीं	11.50	6.28
16.	पाईसूनी व्यपवर्तन	78-79	वही	वही	5.21	0.01

1	2	3	4	5	6	7
17.	खातीमा सिंचाई	76-77	वही	वही	2.25	1.75
	छठी योजना की नई स्कीमें					
18.	खपरार बांध	80-81	वही	वही	3.950	1.05

स्रोत : उत्तर प्रदेश राज्य की सातवीं योजना (1985-90) और वार्षिक योजना (1985-86)

टिप्पणी : अन्य राज्यों में गिनी गई अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं को अंकित नहीं किया गया है।

कुपोषण से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में सर्वेक्षण

[अनुवाद]

1852. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में उन व्यक्तियों का पता लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है जो कुपोषण से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो द्वारा सन् 1972 से 10 राज्यों में सर्वेक्षण किए गए हैं। ये राज्य हैं :—आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सन् 1982 में कुपोषण की तीव्र और मध्यम डिग्री क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 34.8 प्रतिशत थी।

(ग) कुपोषण की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने अनेक स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय अपोषणज अरक्तता रोकथाम कार्यक्रम।

2. एकीकृत बाल विकास योजना।

3. राष्ट्रीय विटामिन "ए" रोकथाम कार्यक्रम।

4. विशेष पोषण कार्यक्रम, व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम, मिड-डे-मील प्रोग्राम आदि।

5. ओरल रिहाइड्रेशन घोल के प्रचार के जरिए अतिसार पर नियंत्रण पाना।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार गारन्टी स्कीम जैसी अनेक सामाजिक और आर्थिक योजनाएं भी शुरू की गई हैं जिनसे देश में कुपोषण की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

फ्रांस से मेनिनजाइटिस-रोधी टीकों की प्रथम खेप का पहुंचना

1853. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस से मेनिनजाइटिस-रोधी 26,000 टीकों की प्रथम खेप अभी हाल ही में प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां तो विभिन्न राज्यों में मेनिनजाइटिस से प्रभावित लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त औषधि का आयात करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस औषधि को रियायती दरों पर बेचने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से मेनिनगोकोकल वैक्सीन 3.50 लाख खुराकें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान 23.3.1985 तक मेनिनजाइटिस की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है—

राज्य का नाम	घटनाएं (अनन्तिम)
गुजरात	44
हरियाणा	20
केरल	84
महाराष्ट्र	262
उड़ीसा	17
राजस्थान	254
सिक्किम	20
उत्तर प्रदेश	186
पश्चिम बंगाल	624
चण्डीगढ़	5
दिल्ली	2521
योग :	4037

(ग) और (घ) आवश्यक औषधियों का सभी अस्पतालों, औषधालयों तथा बाजार में पर्याप्त स्टाक है। सभी प्रमुख अस्पतालों को अधिक जोखिम वाले ग्रुपों के लिए जरूरी वैक्सीन की पर्याप्त खुराकें सप्लाई की गई हैं।

सर्कुलर रेलवे को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की भूमि से गुजारने का प्रस्ताव

1854. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को पूर्वी रेलवे का कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें सर्कुलर रेलवे को प्रिंसिप घाट मजेरहट सेक्टर में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से गुजारने की इच्छा व्यक्त की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को अब तक अनुमोदित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्ररहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी हां। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को उसके भू-क्षेत्र से होकर (i) मझेर हाट से बोट कनाल (ii) बोट कनाल से किद्दरपुर डाक और किद्दरपुर डाक से प्रिंसिप डाक नामक तीन खंडों में सर्कुलर रेलवे का एलाइनमेंट किये जाने के बाबत ईस्टर्न रेलवे से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) ये प्रस्ताव अलग-अलग तारीखों को प्राप्त हुए थे। अन्तिम प्रस्ताव 5.3.1985 को प्राप्त हुआ था। मझेर हाट से बोट कनाल तक के खंड में एलाइनमेंट, जिसे रेलवे प्राधिकारियों ने प्राथमिकता देने का अनुरोध किया था, 6 मार्च 1985 को अनुमोदित किया गया। रेलवे प्राधिकारियों ने पूर्व 12 मार्च 1985 को संशोधित एलाइनमेंट के लिए अनुरोध किया है।

राजघाट बांध परियोजना के लिए बेतवा नदी बोर्ड का गठन

[हिन्दी]

1855. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट बांध परियोजना के गठित किए गए बेतवा बोर्ड के सदस्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं और गत पांच वर्षों के दौरान बोर्ड की बैठकों के स्थान तथा तिथियां क्या हैं;

(ख) क्या कभी राजघाट बांध पर भी कोई बैठक हुई थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या बोर्ड की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार बांध के स्थल पर करने का उपबन्ध किया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता के एक-एक प्रतिनिधि को बेतवा बोर्ड में शामिल करने पर भी विचार करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री जी०शंकरानन्द) : (क) राजघाट बांध परियोजना के लिए बेतवा नदी बोर्ड का गठन निम्नवत् है :—

(1) सिंचाई के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री अध्यक्ष

(2) विद्युत के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री, जहां पर वही केन्द्रीय मंत्री सिंचाई तथा विद्युत के प्रभारी न हों।

(3) मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री

(4) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री

(5) सिंचाई मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

(6) वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

(7) बिजली मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

(8) सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

(9) वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

(10) विद्युत मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार

पिछले पांच वर्षों के दौरान नई दिल्ली में निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की बैठकें हुई :—

1. 15 मई, 1979
2. 6 दिसम्बर, 1980
3. 19 फरवरी, 1982
4. 18 जनवरी, 1983
5. 20 अगस्त, 1983
6. 29 अक्तूबर, 1985

(ङ) जी, नहीं,

(च) बैठक के स्थान तथा समय का निर्धारण अध्यक्ष करता है।

(छ) बोर्ड के सभी सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं।

सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए "इन्टरएड्स" के साथ अनुबंध

[अनुवाद]

1856. श्री के० प्रधानी : क्या समाज और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शराब और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध बहुत से विज्ञापन अभियान शुरू करने के लिए इन्टरएड्स के साथ अनुबन्ध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रचार-अभियान में "इन्टरएड्स" कम्पनी का पूंजी-परिव्यय क्या है और "इन्टरएड्स" प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से किस तरीके से उक्त अभियान चला रही है;

(ग) क्या विज्ञापनों के लिए सामग्री मन्त्रालय द्वारा अथवा "इन्टरएड्स" द्वारा तैयार की जाती है और प्रकाशन/प्रसारण अथवा दूरदर्शन पर दिखाने से पहले मन्त्रालय द्वारा उसका अनुमोदन कराया जाता है; और

(घ) ये विज्ञापन अभियान चलाने के लिए इन्टरएड्स द्वारा क्या प्रणाली अपनाई जाती है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) मैसर्स इन्टरएड्स को केवल शराब की बुराई के विरुद्ध अभियान चलाने का कार्य सौंपा गया है ।

(ख) यह अभियान विभिन्न संचार माध्यमों से चलाया जाता है जिनमें प्रैस, रेडियो, दूरदर्शन, पोस्टर और होर्डिंग्स आदि शामिल हैं । 1984-85 के दौरान इस पर कुल 8.00 लाख रुपए (केवल 8 लाख रुपए) खर्च हुए ।

(ग) सामग्री इन्टरएड्स द्वारा तैयार की जाती है और प्रकाशन, प्रसारण अथवा प्रदर्शन से पहले मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती है ।

(घ) कुछ नहीं ।

"डेमोक्रेसी आन रेलूस" शीर्षक समाचार

1857. श्री समत कुमार मंडल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 मार्च, 1985 के कलकत्ता के बिजनैस स्टेन्डर्ड में "डेमोक्रेसी आन रेलूस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर तूफान एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जिससे कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा यात्रा की जानी थी, के चलने में भ्रम पैदा हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मामले की जांच करायी थी और हावड़ा स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के संचालन में स्थानीय रेल अधिकारियों के इस प्रकार के कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदारी निश्चित की है ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की गई और बिजली फेल हो जाने के कारण गाड़ी हावड़ा से 10 मिनट बाद चली।

विकिरण चिकित्सा विज्ञान में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में परिवर्तन

1858. **श्री नरसिंहराव सूर्य वंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कार्य और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विकिरण चिकित्सा विज्ञान में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को हुआ घाटा

1859. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे राज्य सड़क परिवहन निगम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वर्ष 1983-84 और 1984-85 में उन्हें कितना घाटा हुआ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने राज्य परिवहन निगमों के कार्यकरण को सुधारने के लिए राज्य सरकारों को क्या मार्गनिदेश जारी किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1983-84 में जिन राज्य सड़क परिवहन निगमों को अलग-अलग कितना घाटा हुआ और जिनको घाटा हो रहा है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस समय वर्ष 1984-85 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) मुख्यतः अनुषंगी मदों की कीमत में वृद्धि और अलाभकर भाड़ा ढांचे के कारण हानि हुई है। अन्य मुद्दे हैं—भारी कर, छात्रों को रियायती दरों पर सेवाएं उपलब्ध कराना आदि और सामाजिक जिम्मेदारी के कारण अलाभकर रूटों पर बस सेवाएं चलाना।

जिन राज्य सरकारों के अधीन ये राज्य सड़क परिवहन निगम काम कर रहे हैं, उनको यह

सलाह दी गई है कि वे अपने भौतिक और वित्तीय कार्य में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठावें। पुरानी बसों को बदलने, बेड़े का उचित अनुरक्षण और उपयोग, वस्तु सूची प्रबंध में यथार्थता लाने, रूटों को युक्तिसंगत बनाकर और ईंधन कम खर्च करने वाले उपकरण लगाकर ईंधन की खपत में कमी करने, खर्च में वृद्धि आदि को समंजित करने के लिए भाड़ा ढांचे में संशोधन करने के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	राज्य सड़क परिवहन निगमों के नाम	वर्ष 1983-84 के दौरान निवल लाभ/हानि
1.	आन्ध्र प्रदेश	—6.67
2.	असम	—3.12
3.	बिहार	—11.71
4.	गुजरात	—5.27
5.	हिमाचल प्रदेश	—3 44
6.	जम्मू और कश्मीर	—1.75
7.	कर्नाटक	—15.74
8.	केरल	—19.66
9.	मध्य प्रदेश	—9.87
10.	महाराष्ट्र	—6.19
11.	मणिपुर	—1.30
12.	मेघालय	—1.11
13.	उड़ीसा	—5.87
14.	पेप्सु सड़क परिवहन निगम	—11.67
15.	त्रिपुरा	—1.55
16.	उत्तर प्रदेश	—8.08
17.	सी० एस० टी० सी०	—21.63
18.	एन० बी० एस० टी० सी०	—6.80
19.	दुर्गापुर सड़क परिवहन निगम	—2.65
20.	दिल्ली परिवहन निगम	—45.89

टिप्पणी—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत कुल 21 राज्य सड़क परिवहन निगम स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान केवल राजस्थान परिवहन निगम को लाभ हुआ है और शेष सभी को घाटा उठाना पड़ा है।

गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन

[हिन्दी]

1860. श्री आर० एम० भोये : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान हुई विद्युत उत्पादन की प्रगति का वर्षवार क्या ब्यौरा है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में खास तौर पर महाराष्ट्र में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री : (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	जोड़ी गई कुल क्षमता (मेगावाट)
1980-81	1823
1981-82	2175
1982-83	3060
1983-84	4088
1984-85	3080
जोड़ :	14226

वर्ष 1984-85 के वित्त वर्ष के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमानित योजना परिव्यय 5275.72 करोड़ रुपये था।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में 2644 मेगा० नई विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने की संकल्पना की गयी थी, जिसकी तुलना में वास्तविक उपलब्धता 2452 मेगावाट रही है।

एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के कुलपतियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

1861. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विज्ञान भवन में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के कुलपतियों का एक-चार दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या विचार-विमर्श किया गया तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां

(ख) एशिया में शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी क्रिया कलापों पारस्परिक विनिमयों आदि का पता लगाने के लिए और समान शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक उपयुक्त मंच की व्यवस्था करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस बात पर विचार करते हुए एशियाई शैक्षिक विश्व के एकत्र होने और समान हित के मामलों पर विचार विमर्श करने हेतु एक अमूल्य अवसर की इस की इस प्रकार के मंच में व्यवस्था है। सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया किसदस्य देश प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करे। यह भी निर्णय किया गया था कि एक स्थाई सचिवालय गठित किया जाना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सचिवालय के कार्य की देख भाल करनी चाहिए। सम्मेलन ने स्थाई सचिवालय की स्थापना को अन्तिम रूप देने और अगला सम्मेलन आयोजित करने के लिये एक कार्य कारी दल को गठित करने का भी निर्णय किया।

अप्रैल, 1984 से फरवरी, 1985 तक गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास की रसायन प्रयोगशाला में प्राप्त हुए नमूने

1862. श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1984 से फरवरी, 1985 की अवधि में गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की रसायन प्रयोगशाला में जांच के लिए कितने नमूने प्राप्त हुए;

(ख) क्या यह सच है कि इस अवधि के दौरान बहुत बड़ी संख्या में नमूने विश्लेषण के लिए बाहर कुछ अन्य प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका कारण उक्त प्रयोगशाला का पूरी तरह से सुसज्जित न होना अथवा उसमें तकनीकी जानकारी की कमी अथवा उसमें और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है; और

(घ) प्रयोगशाला द्वारा अधिक नमूनों की जांच किए जाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अप्रैल 1984 से फरवरी, 1985 तक राजकीय मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से सम्बद्ध रसायन प्रयोगशाला में जांच के लिए 1978 नमूने प्राप्त हुए। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को दवाइयों की समय पर सप्लाई करने के लिए गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं की जांच के लिए 232 नमूने भेजे गए। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए डिपों में स्टाफ की आंतरिक व्यवस्था करके रसायन प्रयोगशाला को काफी सुदृढ़ किया गया है।

धर्मपुरम में रेल डिब्बे बनाने वाला कारखाना

1863. श्री आर० अन्नामाम्बी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें गेकि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धर्मपुरम तमिलनाडु का एक अत्यन्त पिछड़ा इलाका है, उस क्षेत्र के लोगों की मुसीबतों को कम करने के लिए वहां पर एक रेल डिब्बे बनाने का कारखाना लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों की हड़ताल

1864. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बता ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुली अनिश्चित ाल के लिए हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) उनकी हड़ताल के कारण तथा उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) कुलियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) कुछ लाइसेंसधारी भारिकों को दिल्ली मेनसे नयी दिल्ली स्टेशन पर स्थानांतरित किए जाने के विरोध में नई दिल्ली स्टेशन के लाइसेंसधारी भारिकों के एक वर्ग ने 1-3-85 को आन्दोलन शुरू किया था। बाद में उन्होंने काम करना भी बन्द कर दिया। उनकी मुख्य मांग थी कि भारिकों के दिल्ली मेन से नयी दिल्ली के लिए किए गए इस स्थानांतरण को रद्द किया जाए।

दोनों स्टेशनों के कार्यभार को देखते हुए कुछ लाइसेंसधारी भारिकों को दिल्ली मेन से

नई दिल्ली स्टेशन के लिए स्थानांतरित किया गया था। कुछ गाड़ियों को दिल्ली मेन से नई दिल्ली के लिए अन्तरित किए जाने के कारण नई दिल्ली स्टेशन पर लाइसेंसधारी भारिकों का कार्य-भार बढ़ गया था जब कि दिल्ली मेन पर घट गया था। अत: कुछ लाइसेंसधारी भारिकों का दिल्ली मेन से नई दिल्ली को स्थानांतरण कार्य-भार में संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया।

नई दिल्ली के कर्त्तव्य-निष्ठ भारिकों, दिल्ली मेन से स्थानांतरित किए गए भारिकों पार्सल भारिकों तथा इंजीनियरिंग विभाग के कुछ श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग करके ऊपर उल्लिखित आन्दोलन के दौरान यात्रियों को असुविधा नहीं होने दी गई।

नई दिल्ली के आन्दोलनकारी भारिकों ने अब 28-3-1985 से अपने काम पर लौटना शुरू कर दिया है।

धौलपुर-सिरमुत्तरा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

1865. **श्री लाला राम केन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर (राजस्थान) में धौलपुर से सिरमुत्तरा तक की संकरी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा; और

(ग) उक्त संकरी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) संसाधनों की तंगी के कारण इस प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता।

417 ऊंचाहार एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी की एक पूरी बोगी लगाना

1866. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 417 ऊंचाहार एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी की पूरी बोगी नहीं लगाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों की कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का उक्त रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी की पूरी बोगी लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां। कम लोक प्रिय होने के कारण 417/418 ऊंचाहार एक्सप्रेस में पहले दर्जे के एक पूरे डिब्बे के स्थान पर पहले एवं दूसरे दर्जे का एक मिलाजुला डिब्बा चल रहा है।

(ग) और (घ) 30 मार्च, 1985 से पहले दर्जे का एक पूरा डिब्बा फिर से चला दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा को स्तर-निष्ठ बनाने के लिए भारतीय् चिकित्सा परिषद् द्वारा अधिक अधिकारों की मांग

[अनुवाद]

1867. श्री राम बहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा शिक्षा को स्तर-निष्ठ बनाने तथा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन न करने वाले कालेजों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् ने अधिक अधिकारों की मांग की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

नागार्जुन सागर परियोजना की क्षमता का कम उपयोग

1868. श्री बेझवाड़ा पापी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर से मूलत: 35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का अनुमान था;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू नहर का लगभग 160 किलोमीटर विस्तार नहीं हो रहा;

(घ) क्या यह भी सच है कि मूल परियोजना (चरण-दो) के पूरा होने से पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर नेल्लौर और असेरगोल जिलों के छोटे किसानों को भारी फायदा होगा;

(ङ) क्या सरकार चरण-2 को शीघ्रतिशीघ्र पूरा करेगी; और

(च) यदि हां, तो इसको कब तक पूरा किया जाना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) योजना आयोग द्वारा 1960 में स्वीकृत की गई नागार्जुन सागर परियोजना में 8.34 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की परिकल्पना है।

(ख) जून,1985 तक लगभग 7.95 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) नागार्जुनसागर परियोजना (जवाहरलाल नहर) की दांया तट मुख्य नहर का उसकी 203 किमी० की पूरी स्वीकृति लम्बाई तक का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जवाहरलाल नहर के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में समता

1869. श्री एस० एम० गुरुडी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने नगर निगम में कार्यरत सहायक अध्यापकों के लिए लागू वेतन मानों और भत्तों में समता के लिए केन्द्र सरकार और दिल्ली प्रशासन को नोटिस जारी किया है;

(ख) क्या सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर अध्यापकों ने भी इसको आधार बना कर उनके द्वारा XI और XII कक्षाएं पढ़ाए जाने के कारण विश्वविद्यालय के अध्यापकों से समता देने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग स्वीकार की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां

(ख) जी हां।

(ग) इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग का क्योंकि अब गठन कर दिया गया है, अतः इस प्रकार के सभी मामलों की आयोग द्वारा जांच की जाएगी।

लेखकों की सहायता

1870. श्री अमर राय प्रधान : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लेखकों के साहित्य प्रवर्तन का प्रकाशन व्यय वहन करके उनकी सहायता करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जहां तक रचनात्मक लेखन अथवा साहित्य का सम्बन्ध है, इस आशय का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, जिसमें लेखकों को उनके प्रकाशन सम्बन्धी खर्च को वहन करने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई हो। तथापि, शैक्षिक और लोकप्रिय दोनों स्तरों पर भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए लेखकों को सीमित सहायता प्रदान करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इन प्रयोजनार्थ एक योजना यथा समय तैयार की जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों का समान प्रशासन

1871. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सभी विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार विश्वविद्यालयों के अभिशासन की संरचनाओं और उनकी संगठन संबंधी पद्धतियों में वांछित एकरूपता लाने के लिए एक विधान लागू करने से संबंधित प्रश्न पर विचार कर रही है। ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

दभोल बन्दरगाह के प्रवेश द्वार पर बालू भित्ति को हटाना

1872. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में दभोल बन्दरगाह के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस बन्दरगाह के प्रवेश द्वार पर बालू-भित्ति बन जाने के कारण इस नवनिर्मित बन्दरगाह का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस बालू-भित्ति के कारण मुगल लाईन के यात्री-जहाज प्रवेश नहीं कर सकते; और

(ग) यदि हां, तो इस बाल-भित्ति को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार की भूमिका क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) महाराष्ट्र में दभोल पत्तन के निर्माण के लिए भारत सरकार ने अभी तक कोई व्यय नहीं किया है।

(ख) दभोल पत्तन नवनिर्मित पत्तन नही है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि इस समय इस पत्तन का इस्तेमाल यात्री लांचों, मछली मारने वाले ट्रालरों और पालपोतों द्वारा किया जाता है। मुगललाइन लिमिटेड इस पत्तन से होकर कोई नौवहन सेवा नहीं चलाती है। इसका कारण यह है कि ज्वार की स्थिति में ही यहां जलयान आ-जा सकते हैं।

(ग) धमोल पत्तन एक लघु पत्तन है और इस पत्तन के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व महाराष्ट्र सरकार पर है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने इस पत्तन के सामने समुद्र से रेती-मिट्टी के निकर्षण के बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र खडकवासला (पुणे) से नमूना अध्ययन करने और परामर्श देने के लिए अनुरोध किया है।

सहायक अधिकारियों के लिए समान वेतनमान

1873. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1985 के "पैट्रियेट" में रेलवे क्लास-II आफिसर्स अलेज डिसक्रिमिनेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सीधे भर्ती किये गये तथा पदोन्नत किये गये सहायक अधिकारियों के क्रमश: 700-1300 रुपये और 650-1200 रुपये के दो भिन्न वेतनमान है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस अन्तर को अब दूर करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सहायक अधिकारी श्रेणी-II को निचले वेतनमान का आबंटन तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 13, जिल्द-I में अंतर्विष्ट विशिष्ट सिफारिशों पर आधारित है। सही प्रतिभा के उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए कनिष्ठ वेतनमान श्रेणी-I को उच्च वेतनमान आबंटित किया गया है। श्रेणी-I के अधिकारी के लिए कनिष्ठ वेतनमान पद अनिवार्यत: सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा संवर्ग में उच्च पद सम्हालने हेतु अनुभव प्राप्त करने के लिए है।

(घ) इस मामले की जांच चौथे वेतन आयोग द्वारा की जायेगी।

ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के कल्याण के लिए तैयार की गई योजनाएं

[हिन्दी]

1874. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि } : क्या समाज और महिला

कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए महिलाओं के कल्याण के नए (प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं की, जिन्हें सातवीं योजना में जारी रखे जाने का प्रस्ताव है, एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

महिलाओं के कल्याण के लिए समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की वर्तमान योजनाएं, जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखे जाने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित हैं :

1. श्रमजीवी महिला होस्टल।
   योजनाओं के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 10 महिलाओं वाले होस्टलों को शामिल किया जा सके।

2. अल्प आवास गृह।

3. सीमावर्ती क्षेत्र-परियोजनाओं, महिला मण्डलों, डैटा बैंक, कल्याण विस्तार परियोजनाओं आदि के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान देना।

4. संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण।

5. सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम।

6. जन सहयोग में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण।

7. केवल महिलाओं के लिए छोटे-छोटे स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को संगठनात्मक सहायता की योजना।

2. जहां तक योजनाओं के राज्यवार ब्यौरों का सम्बन्ध है, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास स्वयं अपनी योजनाएं हैं जो एक दूसरे राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश से अलग-अलग होती हैं।

23.2.1985 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में अल्वाबारी रोड स्टेशन पर 165 अप जनता एक्सप्रेस और वहां खड़ी एक मालगाड़ी के बीच टक्कर

[अनुवाद].

1875. **श्री आम्बर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 फरवरी, 1985 को प्रातः पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के बड़ी लाइन सेक्शन पर अल्वाबारी रेलवे स्टेशन पर 165 अप जनता एक्सप्रेस की वहां खड़ी एक माल गाड़ी से टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) उक्त दुर्घटना में कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुए; और

(घ) इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तथा मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) और (ख) जी हां। 23.2.85 को 165 अप जनता एक्सप्रेस का ड्राइवर खतरे के आवान सिगनलों को पार कर गया और यह गाड़ी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलुवाबाड़ी रोड स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गयी।

(ग) इस दुर्घटना में 18 व्यक्तियों को मामूली चोट आयीं। किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

(घ) इस मामले में मालदा के जिला जज पदेन दावा आयुक्त हैं। जिला जज, मालदा के निर्णय दिये जाने पर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए तत्काल व्यवस्था की जायेगी। बहरहाल, घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में 1,000/- रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोग उन्मूलन क्षेत्र में हुई उपलब्धियां

1876. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि हुई है;

(ग) कुष्ठ रोग पूर्णतया कौन-से वर्ष तक समाप्त हो जाएगा;

(घ) इस प्रयोजन के लिए कौन-सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना की उपलब्धियों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) सन् 2000 ईसवी तक देश से इस रोग का उन्मूलन करने का लक्ष्य है।

(घ) तथा (ङ) इस शताब्दि के अन्त तक इस रोग को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में जिन बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है वे कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगाना तथा रीफैम्पीसिन, क्लोफैजीमिन आदि आधुनिक दवाओं के उपयोग से कुष्ठ केन्द्रों, क्लीनिकों, अस्पतालों, एस० ई० टी० केन्द्रों तथा स्वैच्छिक केन्द्रों में रोगियों का नियमित उपचार करना। इस रोग का शीघ्र उपचार करने, इसे फैलने से रोकने तथा संक्रमण रहित बनाने के उद्देश्य से देश के 12 उच्च स्थानिकमारी वाले जिलों में बहु-औषधि विभाग पहले ही शुरू किया जा चुका है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च स्थानिकमारी वाले शेष 86 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव भी है।

इस रोग के साथ जुड़े हुए सामाजिक कलंक को दूर करने तथा इस कार्यक्रम में अधिकाधिक स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा स्वैच्छिक संगठनों की गतिशीलता और लोगों को अधिक से अधिक इस कार्य में शामिल करने पर बल दिया जा रहा है। कुष्ठ रोधी कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों पर लागू होने वाले वित्तीय सहायता पैटर्नों को पहले ही भारत सरकार द्वारा शिथिल किया जा चुका है।

कैंसर अनुसंधान संस्थान, बम्बई ने कुष्ठ का एक वैक्सीन भी तैयार कर ली है और कुष्ठ रोग के निवारण में इसकी गुणकारिता की जांच करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर परीक्षण किये जा रहे हैं।

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन के अन्तर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई :—

(क) वास्तविक उपलब्धियां	1980-85 के दौरान
(1) जिन अतिरिक्त रोगियों का पता लगाया गया	20.49 लाख
(2) उपचाराधीन लाए गए अतिरिक्त रोगी	19.25 लाख
(3) उपचारोपरान्त/रोग पर काबू पाए जाने आदि के कारण जितने रोगियों को छुट्टी दी गई	12.50 लाख

(ख) भौतिक उपलब्धियां

छठी योजना अवधि के दौरान सारे देश में निम्नलिखित आधार भूत ढांचा स्थापित किया गया है :—

क्रम सं०	घटक	संख्या
1.	कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें	22
2.	शहरी कुष्ठ केन्द्र	231
3.	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र	270
4.	अस्थायी अस्पताली बार्ड	54
5.	रीकन्सट्रक्टिव सर्वे यूनिटें	4
6.	जानपदिक रोग विज्ञान निगरानी दल	4
7.	क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण व-रेफरल-संस्थान	1
8.	कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र	1
9.	स्वैच्छिक कुष्ठ पलंगों का रख-रखाव	6209

तीन वृहत्त गैस टरबाइन जनरेटिंग सैट लगाना

1877. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में तीन वृहत्त गैस टरबाइन जेन-

रेटिंग सैट लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हाजीरा-विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के संरेखण के साथ-साथ संयुक्त साइकिल प्रौद्योगिकी के साथ 1500 मेगा-वाट की गैस टरबाइन क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

तटवर्ती पैसेंजर जहाजों द्वारा बम्बई-पणजी मार्ग पर मल्वान और बेन्गुर्ला बन्दरगाहों पर रुकना

1878. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-पणजी मार्ग पर चलने वाली कोंकण तटीय पैसेंजर नौवहन सेवा पिछले कुछ वर्षों से बेन्गुर्ला और मल्वान पत्तनों पर नहीं रुक रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि पैसेंजर जहाज मल्वान और बेन्गुर्ला पत्तनों पर भी रुकें; और

(घ) इन उपायों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी). : (क) जी, हां।

(ख) मालवान बन्दरगाह की स्थिति समुद्र में ज्वार आने पर निर्भर करती है। वेनगुरुला पर पर्याप्त माल व यात्रियों का यातायात नहीं होता है। इस कारण ये बन्दरगाह कोंकण कोस्टल पैसेंजर शिपिंग सर्विस की मार्गसूची में शामिल नहीं है। इस सर्विस के जहाजों के आकार और इसके बेड़े को ध्यान में रखते हुए तथा इसे नियमित किए जाने की आवश्यकता जैसी कठिनाइयों के कारण इन दोनों पत्तनों को मार्ग सूची में शामिल करना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई की उप-नगरीय रेल गाड़ियों के यातायात पैटर्न का सर्वेक्षण

1879. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का विचार विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के

लिए बम्बई की उपनगरीय रेल गाड़ियों के यातायात पैटर्न का सर्वेक्षण करने का है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समय बीतने के साथ-साथ यातायात पैटर्न में आमूल परिवर्तन हुए हैं और यातायात पैटर्न के बारे में पुरातन विचारधारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल): (क) और (ख) मध्य और पश्चिम रेलों तथा महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन, बम्बई द्वारा बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करके यातायात सर्वेक्षण कराये गये हैं। मौजूदा गलियारों के अनुकूलतम अध्ययन भी पूरे कर लिए गए हैं तथा मध्य और पश्चिम रेलों द्वारा अधिक गाड़ियां चलाने के लिए इष्टतम कार्य चरणों में पूरा किया जा रहा है। मुख्य भूमि पर न्यू बम्बई की ओर आबादी का छितराव करने के लिए एक नया गलियारा यथा पूर्व पश्चिम निर्धारित किया गया है। बान्द्रा और अंधेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनों तथा मानखुर्द से बेलापुर तक लाइन के विस्तार के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन की हानि

1880. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलेण्डर वर्ष 1984 के दौरान देश को, मुख्यतः कोयले की कमी के कारण, लाखों यूनिट बिजली के उत्पादन की हानि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ बड़े बिजली घरों में समूचे वर्ष 1984 के दौरान कोयले की लगातार कमी बनी रही;

(ग) अब 1985 में क्या स्थिति है;

(घ) इन बिजलीघरों के कार्यकरण तथा उन्हें कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) क्या बिजली संकट के अभूतपूर्व रूप में बढ़ जाने के कारण लगभग सभी उद्योग प्रभावित हुए हैं तथा इससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) केवल कोयले की कमी के कारण विद्युत के उत्पादन में हानि का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है। अप्रैल, 1984 से फरवरी, 1985 तक की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में भी इसी अवधि में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है विद्युत की कमी को और घटाने के लिए तथा विद्युत केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने

के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ कोयला विभाग तथा रेलवे के साथ समन्वय करके ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले की गुणवत्ता और मात्रा की समुचित मानीटरिंग करना शामिल है।

दुर्व्यवहार तथा दिल्ली परिवहन निगम की बसों को न रोकने की शिकायतें

[हिन्दी]

1881. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों के संवाहकों (कंडक्टरों) तथा चालकों के विरुद्ध दुर्व्यवहार तथा यात्रियों के अनुरोध पर बसों को न रोकने की कितनी शिकायतें निगम को प्राप्त हुई; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्ष 1984 के विषय में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

(1) दुर्व्यवहार की शिकायत		840
(2) बसों का नहीं रोकना	:	1020
	कुल	1860

(ख) अनुशासनिक कार्रवाई करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत किस प्रकार की मिली है तथा उसका पिछला कार्य कैसा रहा है। अनुशासनिक कार्रवाई में चेतावनी देना, भर्त्सना करना, निन्दा करना, निलम्बन करना और वेतन वृद्धि रोकना आदि शामिल है।

पश्चिम बंगाल को परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों हेतु सहायता और उसका उपयोग न किया जाना

[अनुवाद]

1882. **प्रो० मनोरंजन हाल्दर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को परिवार कल्याण संबंधी कार्यों के लिए वर्ष 1979-80

1980-81 और 1981-82 में कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई थी;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार को 1979-80, 1980 81 और 1981-82 में क्रमश: 595.10 लाख रुपये 734.69 लाख रुपए और 807.90 लाख रुपए की नगद सहायता दी गई।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार दी गई सहायता का पूरा उपयोग किया गया।

राजस्थान की प्रवाही (फ्लो) नहर परियोजना के लिये वित्तीय मन्जूरी

1883. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने लीलवा शाखा के विस्तार अर्थात, सागर-मल गोपा शाखा को गदरा रोड तक बढ़ाने की प्रवाही (फ्लो) नहर योजना, के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण करने के पश्चात् परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापक सर्वेक्षण परियोजना प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का विचार है;

(ग) इस योजना को वित्तीय मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना को कब तक वित्तीय मंजूरी दे दी जाएगी और कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार विशेष सहायता देकर इस योजना के कार्यान्वयन में सहायता करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) राजस्थान राज्य ने सितम्बर, 1984 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-दो की संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अन्यों के साथ-साथ लीलवा शाखा के बहाव कमान में लगभग 80,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने के उद्देश्य से लीलवा शाखा को गादरा रोड तक विस्तार किए जाने के लिए प्रस्ताव शामिल हैं। चूंकि यह एक आन्तरिक रिपोर्ट है अत: इसे सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की केन्द्रीय

जल आयोग में जांच की जा रही है अतः यह बता पाना संभव नहीं होगा कि इस परियोजना को योजना आयोग कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगा ।

सिंचाई राज्य विषय होने के कारण, इस परियोजना का कार्यान्वयन एवं वित्त-पोषण राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना है ।

हल्दिया तथा कलकत्ता के बीच नौवहन हेतु जल की उपलब्धता

1884. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया तथा कलकत्ता बन्दरगाहों के बीच हुगली नदी को नौवहन योग्य बनाये रखने के लिए फरक्का से पर्याप्त मात्रा में जल सप्लाई न किये जाने की ओर उनके द्वारा तुरन्त ध्यान दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या जनवरी और फरवरी, 1985 के दौरान वायदा किये गये 40,000 क्यूसेक जल से बहुत कम जल सप्लाई किया गया है; और

(ग) क्या इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता पोत-पत्तन की नौवहनता को बनाए रखने हेतु 40,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता को भारत सरकार के ध्यान में लाया है । जनवरी तथा फरवरी, 1985 के दौरान फरक्का पोषक नहर में पहले की भांति 40,000 क्यूसेक से कम जल निकासी हुई । हुगली के लिए 40,000 क्यूसेक जल सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार फरक्का में गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने हेतु एक स्कीम तैयार करने की सभी संभावनाओं का पता लगा रही है ।

पिथोरा गढ़, उत्तर प्रदेश में माइक्रो-पन-बिजली परियोजना

[हिन्दी]

1885. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि सुरीनगाड (पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश) में एक माइक्रो-पन-बिजली परियोजना निर्माणधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब से निर्माणाधीन है और इस परियोजना के पूरा होने का मूल समय क्या था;

(ग) क्या इसके निर्माण कार्य में कोई विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य 1981 के दौरान शुरू किया गया था तथा इसे चालू करने का मूल कार्यक्रम 1984-85 था।

(ग) और (घ) अद्यतन कार्यसूची के अनुसार परियोजना की पहली यूनिट दिसम्बर, 1985 तक तथा दूसरी यूनिट मार्च, 1986 तक चालू किए जाने की उम्मीद है। चालू करने में विलम्ब बिजली घर और चैनल के लिए भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण हुआ है, जिसे शीघ्र पूरा किया गया है।

उड़ीसा में कुष्ठ रोगी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश से कुष्ठ रोग को समाप्त करने के उपाय

[अनुवाद]

1886. **श्री मारिस कुजूर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31.3.85 को कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश से कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए कोई उपचारात्मक और बचाव संबंधी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुष्ठरोग से मुक्त हो जाएगा तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1984 के अन्त में उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों की संख्या 1.97 लाख थी।

(ख) से (घ) सरकार ने एक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगाने तथा कुष्ठ केन्द्रों, क्लीनिकों अस्पतालों, एस० ई० टी० केन्द्रों तथा स्वयं सेवी केन्द्रों में कुष्ठ रोगियों को रिफैम्पिसिन, क्लोफैजिमिन इत्यादि जैसी आधुनिक कुष्ठ-रोधी दवाइयां देकर उनका नियमित रूप से उपचार करने पर बल दिया गया है। सारे देश में 1984 के अन्त तक कुल मिलाकर 33.4 लाख कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया था जिनमें से 32.1 लाख रोगियों का उपचार शुरू कर दिया गया था। दिसम्बर, 1984 तक 18.00 लाख

रोगियों के रोग पर काबू पा लिया गया था। देश के 12 उच्च स्थाननिकमारी वाले जिलों में इस रोग का शीघ्र उपचार करने, उसे फैलने से रोकने तथा संक्रमण रहित करने के लिए बहु-औषधि विधान उपचार शुरू कर दिया जा चुका है। पहले से ही पता लगाए गए शेष 86 उच्च स्थानिकमारी वाले जिलों को भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कवर करने का प्रस्ताव है।

इस रोग के साथ जुड़े हुए सामाजिक कलंक को दूर करने और स्वैच्छिक संगठनों की अधिकाधिक इस कार्य में लगाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, स्वैच्छिक संगठनों की गतिशीलता और लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया जाता है। भारत सरकार पहले ही स्वैच्छिक संगठनों के अधीन कार्य कर रहे एस० ई० टी० केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता के पैटर्न को शिथिल कर चुकी है। भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई द्वारा तैयार की गई कुष्ठरोधी वैक्सीन का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पता लगाया जा रहा है।

भारतीय बैंकों से नौवहन को दिया गया ऋण

1887. **श्री मूल चंद डागा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंकों को नौवहन उद्योग को देश में तथा देश के बाहर दिए गए 150 करोड़ रुपए के ऋण का पोषण करना पड़ रहा है और इनमें से कम से कम आधे पूरी तरह एस०ए०एफ०ए०यू०एन०एस० के अन्तर्गत हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में तथा देश के बाहर दिए गए ऋण का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान नौवहन उद्योग को ओर अशोध्य ऋण की कुल धनराशि कितनी है और इसमें से कितने का अधित्याग कर दिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास उन बैंकों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है जो देश में या विदेश में नौवहन उद्योग को दिए जाने वाले ऋण के लिए विभिन्न एजेन्सियों को धनराशि दिया करते हैं। सफाउन्स स्कीम के तहत, जब से यह स्कीम फरवरी 1977 में शुरू की गयी थी विभिन्न नौवहन कम्पनियों को जो ऋण दिये गए हैं, उनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। जिन नौवहन कम्पनियों ने पिछले दो वर्षों में ब्याज सहित ऋण लौटाने में चूक की है, उन पर बकाया ऋण व ब्याज के लौटाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि आज की तारीख तक कोई धनराशि डूब गई है या उसे माफ कर दिया गया है। दो मामलों में सफाउन्स के तहत ऋण राशि की अदायगी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

विवरण

31 अक्तूबर, 1984 तक संस्वीकृत/बांटे गए सफाउन्स ऋण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	नौवहन कम्पनियों के नाम	संस्वीकृति सफाउन्स	वितरित सफाउंस
1	2	3	4
1.	भारतीय नौवहन निगम लि०, बम्बई	30743.76	29203.51
2.	चौगले स्टीमशिप लि०, बम्बई	2127.10	2007.73
3.	ईसर वल्क कैरियर्स लि०	2065.06	2065.06
4.	गरवारे नौवहन निगम लि०, बम्बई	807.52	807.52
5.	पंचशील नौवहन लि०, कलकत्ता	183.52	183.50*
6.	सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कारपोरेशन लि० बम्बई	1080.38	1080.38
7.	रत्नाकर नौवहन कम्पनी लि०, बम्बई	1134.75	1134.75
8.	ठाकुर नौवहन लि०, बम्बई	366.23	366.23
9.	तोलानी नौवहन लि० बम्बई	425.80	425.80
10.	इन्डोसैनिक नौवहन कम्पनी लि०, बम्बई	384.74	384.74
11.	डेकन नौवहन लि०, बम्बई	132.78	115.08
12.	मुगल लाईन लि०, बम्बई	1936.15	1936.15
13.	सागर नौवहन कम्पनी लि० (मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज लि० कलकत्ता के साथ मिला दिया गया)	1358.18	1358.18
14.	सुजवाला नौवहन कम्पनी, बम्बई	78.51	78.51**
15.	इंडियर स्टीमशिप्प लि०, कलकत्ता	1309.79	1309 79
16.	हिगनेगो लाइन्स लि०, कलकत्ता	45.73	45.63
17.	कर्नाटक नौवहन निगम	224.47	224.47

1	2	3	4
18.	हेडे नेवीगेशन लि०	295.90	265.90
19.	सुरेन्द्र ओवरसीज लि०, कलकत्ता	2569.94	1751.47
20.	स्ट्रीम लाइन नौवहन कं०, बम्बई	75.47	75.47
21.	दक्षिण भारत नौवहन निगम, मद्रास	1825.71	1825.71
22.	वरूण नौवहन लि०, बम्बई	135.32	135.32
23.	डेम्सी स्टीमशिप लि०	106.93	106.93
24.	निलहट नौवहन कं०, बम्बई	270.00	—
25.	अरेबियन नौवहन कं०, लि०,कलकत्ता	24.00	—
26.	हिमालय नौवहन कं० कलकत्ता	264.00	—
	कुल	49941.72	46887.93

उत्तर प्रदेश में सुपर तापीय विद्युत संयंत्र के लिए स्थल

1888. **श्री राज कुमार राय** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में सुपरतापीय विद्युत केन्द्र के लिए किसी स्थल का चयन किया था; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना (3 × 200 मेगावाट + 2 × 200 मेगावाट + 2 × 500 मेगावाट) की अनुमानित लागत लगभग 1120 करोड़ रुपये है। रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-एक-2 × 500 मेगावाट) की अनुमानित लागत लगभग 1364 करोड़ रुपये है। सिंगरौली में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 200-200 मेगावाट की पांच यूनिटें पहले ही चालू कर दी हैं।

*बैंक आफ बडौदा, बम्बई ने ऋण वितरित किए हैं। इसने अदालत में मामला दाखिल किया है।

**बैंक आफ इन्डिया, बम्बई ने ऋण मंजूर किए हैं। इसने अदालत में मामला दाखिल किए हैं।

पुरुलिया-कोटाशिला रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1889. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पुरुलिया कोटाशिला संकरी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना योजना आयोग के पास भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने परियोजना को मंजूरी दे दी है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम

1890. **श्री एन० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चुने हुए क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों से इस रोग को फैलने से रोकने में कमी आई है। स्थानिकमारी वाले राज्यों में लार्वा रोधी आपरेशन तेज कर दिये गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में नियंत्रण कार्यकलापों को और अधिक क्षेत्रों में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के पुनरीक्षण के लिए समिति

[हिन्दी]

1891. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब तक हो जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की पुनरीक्षा किस प्रकार की जाएगी;

(घ) यदि समिति नियुक्त की जाती है तो उसके निदेश-पद क्या होंगे; और

(ङ) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक अस्तुत कर देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1982 में एक समिति नियुक्त की थी। सरकार को इस समिति की रिपोर्ट जनवरी, 1984 में प्राप्त हो गई थी। यह रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को परिचालित भी कर दी गई है। राज्य-विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए इसी प्रकार की एक समिति नियुक्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मई, 1984 में हुए कुलपतियों के सम्मेलन में ये सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की सतत समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चाहिए कि वह एक स्थायी पैनल गठित करे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सिफारिश पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जम्मू में बिजली की कमी

[अनुवाद]

1892. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्यमियों और किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जम्मू में तापीय विद्युत घर स्थापित करने की किसी योजना को वित्त पोषित करने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जहां तक सम्भव हो जम्मू और कश्मीर को विद्युत की औद्योगिक, कृषि और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से सर्दी के महीनों के दौरान, भाखड़ा और बैरा स्यूल परियोजनाओं और सिंगरौली तथा बदरपुर में स्थित केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्रों से सहायता दी जाती है। लगभग 76 मेगा-

वाट की कुल क्षमता वाली ताप विद्युत जल विद्युत परियोजनाओं को जो राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, उनको प्रतिष्ठापित करने के लिए केन्द्रीय वित्त व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सलाल और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाओं के चालू होने से जम्मू तथा कश्मीर में विद्युत सप्लाई की स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

बिहार और पश्चिम बंगाल में रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा करना

1893. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल में अभी भी लोग रेलगाड़ियों की छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार यात्रा को रोकने के लिए रेलवे ने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेल प्रशासन के नोटिस में यह बात आयी है कि पूर्वी क्षेत्र में कुछ खंडों पर यात्री गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते हैं, विशेषकर त्यौहारों तथा श्रमिकों की मौसमी आवा-जाही के कारण अतिरिक्त भीड़-भाड़ के समय।

(ख) गाड़ियों की छतों पर यात्रा की रोकथाम करने तथा इसे हतोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने की जोखिमों पर प्रकाश डालते हुए नोटिस और इश्तहार लगाये जाते हैं तथा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर लाउडस्पीकरों पर घोषणाएं की जाती हैं।

(2) टिकट जांच और अन्य कर्मचारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने से रोकें तथा गाड़ियों के छूटने से पहले उन्हें नीचे उतार दें।

(3) गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने की रोकथाम करने के लिए रे०सु०ब०/रा०रे०पु० की सहायता से छापे मारे जाते हैं और जांच की जाती है। तथा अपराधियों पर मुकदमें चलाये जाते हैं।

(4) यात्री यातायात की मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर अथवा अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर क्षमता में यथासम्भव वृद्धि की जाती है।

टिटवाला और खंडावली रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे स्टेशन की मांग

1894. **श्री एस०जी० घोलप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के अन्तर्गत कल्याण के निकट टिटवाला और खंडावली के बीच एक

रेलवे स्टेशन बनाने की जोरदार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी हां ।

(ख) टिटवाला और खंडावली स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन न ही इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण पाया गया और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक ।

अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच ओटो-वान सड़क का निर्माण

[हिन्दी]

1895. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच ओटो-वान सड़क के निर्माण का कार्य कब शुरू होगा और उसके कितने समय में पूरा होने की संभावना है;

(ख) इस सड़क के निर्माण के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिए जाने वाले ऋण की ब्याज की दर सहित अन्य शर्तें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) परियोजना के बारे में विश्व बैंक के साथ अभी भी बातचीत चल रही है । यह बताना संभव नहीं है कि काम कब तक शुरू किया जाएगा और ऋण की शर्तें क्या होंगी । इस कार्य पर लगभग 140.00 करोड़ रुपये की लागत आने की सम्भावना है ।

शारदा सहायक परियोजना की सम्पर्क तथा पोषक (फीडर) नहरों से रिसाव

1896. **श्रीमती उषा वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदा सहायक परियोजना की सम्पर्क तथा पोषक (फीडर, नहरों से रिसाव को रोकने के उद्देश्य से पोलीथीन शीट लगाने के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इन समझौतों के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो रिसाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत रिसाव से प्रभावित भूमि पर बकाया लगान माफ करने तथा रिसाव से प्रभावित हुई फसलों के लिए क्षतिपूर्ति देने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को लिखित अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) प्रभावित क्षेत्र के किसानों को कब तक क्षतिपूर्ति का भुगतान किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिये जाने का विचार है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना क्षेत्र में रिसन को कम करने के लिए नहरों तथा वितरणियों को पक्का करने और चिकनी मिट्टी से छिद्रों को बन्द करने का कार्य अपनाया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) राज्य सरकार ने उसके बाद यह सूचित किया है कि रिसन से प्रभावित होने वाले क्षेत्र निचले क्षेत्र हैं जहां खरीफ मौसम के दौरान सामान्यतया धान की फसल उगाई जाती है और रबी की खेती नहीं की जाती है। चूंकि प्रभावित क्षेत्र में कृषक धान की फसल की खेती कर सकते हैं, अत: उन्हें किसी मुआवजे के भुगतान करने का प्रस्ताव नहीं है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा पारित संकल्प

1897. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 1984 के दौरान कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन बैठकों में क्या संकल्प पारित किये गये; और

(ग) उन संकल्पों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक बैठक 23 फरवरी, 1984 को हुई थी।

(ख) संकल्प के रूप में कुछ भी पारित नहीं हुआ था, तथापि कुछ निर्णय अवश्य लिए गये थे जो नीचे लिखे विषयों से सम्बन्धित थे :—

(1) विभिन्न उपक्रमों आदि की घरेलू पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी कालम का शुरू किया जाना।

(2) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन।

(3) विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए जो चाहे प्रशिक्षण के लिए जा रहे हों या किसी नौकरी पर, हिन्दी का प्रशिक्षण देने की सुविधा।

(4) मंत्रालय के अधीन सभी उपक्रमों के जन सम्पर्क-अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देना।

(5) हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर देने में देरी का नहीं होना।

(ख) ऊपर क्रम संख्या (1) पर उल्लिखित निर्णय नीचे लिखे कार्यालयों में कार्यान्वित हो चुका है :—

(1) दीपघर और दीपपोत विभाग, नई दिल्ली।

(2) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

(3) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम।

(4) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता।

(5) सभी डॉक लेबर बोर्ड।

ऊपर क्रम संख्या (2) पर उल्लिखित निर्णय नीचे लिखे कार्यालयों में कार्यान्वित हो चुका है :—

(1) इंडियन रोड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

(2) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई।

क्रम संख्या (3) और (4) पर उल्लिखित निर्णयों का सम्बन्ध हिन्दी शिक्षण योजना से है, जो मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों में चल रही है। क्रम संख्या (5) पर उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन के लिए नोट कर लिया गया है।

सातवीं योजना में उड़ीसा को विद्युत उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकतायें

[अनुवाद]

1898. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सातवीं योजना में उड़ीसा की विद्युत उत्पादन सम्बन्धी भावी आवश्यकताओं में किसी प्रकार का संशोधन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि आजकल उड़ीसा में बिजली में 75 प्रतिशत कटौती की जाती है जिसके कारण अनेक उद्योग बन्द हो गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) बारहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति द्वारा उड़ीसा में विद्युत की आवश्यकताओं की समीक्षा की गई हैं तथा यूटिलिटीज में ऊर्जा की आवश्यकता 10.552 मिलियन यूनिट आंकी गई है।

(ग) उड़ीसा सरकार ने भारी तथा गहन विद्युत उद्योगों पर औसत वार्षिक मांग के लगभग 75% के प्रतिबन्ध लगाए हैं। प्रतिबन्धित कोटे का पालन न करने के कारण केवल एक यूनिट द्वारा उत्पादन बन्द करने की रिपोर्ट मिली है।

1 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता स्थापित करना

1899. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस शताब्दी के अन्त तक 1 लाख मेगावाट विद्युत उत्पाद की क्षमता स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन-सी योजनायें और परियोजनायें तैयार की गई हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) इस शताब्दी के अन्त तक का विद्युत कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। साधन उपलब्ध होने पर मांग के अनुरूप क्षमता प्रतिष्ठापित करने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

कम्प्यूटर कक्ष के लिए गैर-सरकारी कम्प्यूटर विशेषज्ञों को तैनात करना

1900. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर कक्ष में गैर-सरकारी कम्प्यूटर विशेषज्ञों को तैनात करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिना चौकीदार वाले रेल फाटक और 1983-85 के दौरान दुर्घटनायें

1901. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
श्री आनन्द सिंह
श्री राम बहादुर सिंह } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) वर्ष 1983-84 की तुलना में 1984-85 के दौरान इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए;

(ग) लक्ष्यों की तुलना में 1984-85 के दौरान बिना चौकीदार वाले कितने फाटकों पर चौकीदार रखे गए हैं;

(घ) अभी भी बिना चौकीदार वाले कितने फाटकों पर चौकीदार नियुक्त किये जाने हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) 1984-85 और 1983-84 के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं और उनमें हताहतों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	हताहत	
		मारे गए	घायल हुए
1	2	3	4
1984-85 (अप्रैल '84 से फरवरी 85' तक)	36	96	141

1	2	3	4
1983-84 (अप्रैल, 83 से फरवरी' 84 तक)	48	68	191
1983-84 (अप्रैल '83 से मार्च' 84 तक)	51	75	196

(ग) फरवरी, 1985 के अन्त तक 232 समपारों पर चौकीदार तैनात किये जा चुके हैं जबकि वर्ष में लक्ष्य 400 के लिए है।

(घ) से (च) भारतीय रेलों पर बिना चौकीदार वाले 22,186 समपार हैं। 1982 में, 1600 ऐसे समपार थे, जिनके जोखिमपूर्ण होने की संभावना थी और जिनमें चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर चौकीदार तैनात किये जाने थे। फरवरी, 1985 के अन्त तक ऐसे 731 समपारों पर चौकीदार तैनात किये जा चुके हैं और शेष समपारों पर चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर चौकीदारों की व्यवस्था की जा रही है।

तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन

1902. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन के सम्बन्ध में अब तक कितने सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस लाइन के महत्व को देखते हुए सरकार सातवीं योजना में इस रेल लाइन को शामिल करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) दो बार सर्वेक्षण किया गया था, पहले 1901 में तथा बाद में 1956-57 में।

(ख) होने वाले निवेश की अपेक्षा बहुत कम संभावित प्रतिफल प्राप्त होने के कारण इन प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ग) जी, नहीं। संसाधनों की अत्यधिक तंगी की वजह से इस प्रस्ताव पर इस समय विचार करना संभव नहीं है।

परिवहन निदेशालय, दिल्ली में अद्यतन रिकार्ड न होने के कारण डुप्लीकेट पंजीकरण पुस्तिकायें प्राप्त करने में कठिनाइयां

1903. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि परिवहन निदेशालय, दिल्ली में स्कूटरों और कारों की डुप्लीकेट पंजीकरण पुस्तिकायें जारी करने से सम्बन्धित बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हैं, क्योंकि राजधानी में विभिन्न डाकघरों द्वारा एकत्रित किए गए सड़क कर को निदेशालय के संबंधित रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में निदेशालय का रिकार्ड अद्यतन न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) आवश्यकता पड़ने पर डुप्लीकेट पंजीकरण पुस्तिकायें प्राप्त करने में मोटरकार स्कूटरों के मालिकों को कठिनाई से बचाने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार 29.3.85 को अन्य एजेंसियों अर्थात् सम्बन्धित डाकघरों और सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की शाखाओं से कर संचय के रिकार्ड के अभाव में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बुक जारी करने के लिए सिर्फ 25 आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है।

इस प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिए परिवहन निदेशालय का अगले वित्तीय वर्ष में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, कर आदि के भुगतान सहित विभिन्न रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने का विचार है। दिल्ली प्रशासन ने रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है।

खुराई स्टेशन के निकटवर्ती गुरुकुल स्कूल के समीप रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण

[हिन्दी]

1904. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के अन्तर्गत खुराई स्टेशन के निकटवर्ती गुरुकुल स्कूल के समीप रेलवे क्रासिंग पर एक ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : जी, नहीं।

निर्मल्ली से सरायगढ़ तक रेल लाइन

1905. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्मल्ली से सरायगढ़ तक सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक रेल लाइन बिछाने के कार्य का सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस रेल लाइन

को न बिछाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्मल्ली-सरायगढ़ मीटर आमान के 58.33 कि० मी० लम्बे रेल सम्पर्क के पुन: स्थापना हेतु निर्मल्ली और थुरबिथा (भपटियाही और सरायगढ़ के पास) के बीच कोसी नदी पर एक रेल पुल के निर्माण के लिए एक टोह सर्वेक्षण 1972 में किया गया था जिससे पता चला था कि यह परियोजना वित्त-क्षम नहीं होगी क्योंकि इसका प्रतिफल ऋणात्मक होगा ।

वर्ष 1977 में इस परियोजना के लिए नया प्रारम्भिक इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण पुन: किया गया था । इस परियोजना पर उस समय के चालू मूल्यों पर 39 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया था लेकिन यह परियोजना उस समय तक भी वित्तीय रूप से अलाभ-प्रद पायी गयी थी । संसाधनों की बेहद तंगी को देखते हुए फिलहाल इस परियोजना पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

मलेरिया के नियंत्रण में बाधायें और उनसे दवाओं पर इसका प्रभाव

[अनुवाद]

1906. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया नियंत्रण में कुछ नई बाधायें उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कारण कौन से हैं जिनके फलस्वरूप दवाइयों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ रहा है; और

(ग) हमारे अनुसंधान और विकास प्रयासों से इन बाधाओं पर कब तक काबू पा लिए जाने की संभावना है और क्या मलेरिया नियंत्रण में किसी अन्य देश से कोई सहायता मांगी गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से(ग) कुछेक राज्यों के क्षेत्रों में मच्छरों में कीटनाशकों को हजम करने और मलेरिया परजीवियों में दवा पचा जाने के बारे में पता लगाया जा चुका है । क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चला है कि ये कीटनाशक बिल्कुल बेअसर नहीं हुए हैं इनका काफी मात्रा में छिड़काव करने से मलेरिया को अभी भी रोका जा सकता है । वैसे, कीटनाशी दवाइयों के छिड़काव को पर्यावरणिक और बायोलॉजिकल नियंत्रण के तरीकों से मिलाकर एक समेकित विधि अपनाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं । जिन क्षेत्रों में मच्छरों में दवा पचाने की शक्ति पैदा हो गई है वहां पर वैकल्पिक दवाओं और दवाइयों के

मिश्रणों पर परीक्षण किए जा रहे है। रोग को फैलने से रोकने के लिए मलेरियारोधी गहन उपाय भी किए जाते हैं।

पी० फाल्सीपरम नियंत्रण कार्यक्रम में स्वीडन ही एक मात्र ऐसा देश है जो मलेरिया के नियंत्रण के लिए भारत को सहायता दे रहा है। इस कार्यक्रम को विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा धन मिलता है।

अजमेर लोकोमोटिव वर्कशाप का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

1907. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अजमेर लोकोमोटिव वर्कशाप के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक पूरे किए जा चुके और शेष कार्य का ब्यौरा क्या तथा किस तारीख तक यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) आधुनिकीकरण के पश्चात इस वर्कशाप का संचालनात्मक ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) अजमेर कारखाने के आधुनिकीकरण के काम को 26.05 करोड़ रुपये की लागत पर 1984-85 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है और 1985-86 में योजना शीर्ष 'कारखाने और शैड उत्पादन यूनिटों सहित' के अन्तर्गत 51.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य पुरानी मशीनरी व संयंत्र मदों का बदलाव और आवश्यकता पर आधारित आधुनिक उच्च उत्पादकता उपस्करों का परिवर्धन तथा कार्य स्थलों आदि के नक्शों का उपयुक्त पुन: समायोजन करना है।

(ग) परियोजना प्रस्ताव तैयार कर लिये गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। काम का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अभी तक कार्यों को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

(घ) यह अनुमान लगाया गया है कि कारखाने के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद सवारी डिब्बों और डीजल रेल इंजनों के आवधिक ओवरहाल की क्षमता में वृद्धि हो जायेगी और डीजल रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का मरम्मत समय चक्र छोटा हो जायेगा।

कोटा स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रुकना

1908. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राजधानी एक्सप्रेस के कोटा स्टेशन पर रुकने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजधानी एक्सप्रेस में पानी भरने के लिए इसे गंगापुर के स्थान पर कोटा में रोकने का विचार है ताकि कोटा के यात्रियों को भी इस रेलगाड़ी की सुविधा प्राप्त हो जाये;

(ग) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । फिलहाल नहीं ।

(घ) राजधानी एक्सप्रेस परिचालनिक कारणों से गंगापुर में ठहरती है । इस हाल्ट को यहां से हटाना परिचालनिक दृष्टि से वांछनीय नहीं है ।

पटना-गया रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

1909. **श्री योगेश्वर प्रसाद**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से गया तक की मौजूदा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहर की अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और इस बात को देखते हुए कि ये न केवल एक पर्यटक स्थल है अपितु किसी समय यह विदेशी छात्रों के अध्ययन का एक केन्द्र था, इस परियोजना के लिए आबंटित की गई धन राशि का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर किस तारीख से कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है और यदि यह कार्य शुरू हो गया हो तो किस संभावित तारीख तक यह कार्य पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) पटना-गया लाइन एक बड़ी लाइन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

2000 ई० तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये निर्धारित कार्यक्रम

1910. डा० के० जी० अडियोडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई निर्धारित कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का इस कार्यक्रम में सरकारी अथवा किन्हीं अन्य राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का सहयोग लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) आधारभूत ढांचे के मानदण्ड पहले ही निर्धारित कर दिए गए हैं और यह विस्तार कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्राम स्वास्थ्य गाइडों, उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता का तथा सन् 2000 ई० तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि और विभिन्न स्वैच्छिक संगठन सन् 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्यनीति के कार्यान्वयन में सहयोग दे रहे हैं।

पनवेल और बम्बई वी० टी० के बीच सीधी रेल सेवा

1911. श्री डी० बी० पाटिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पनवेल, जिला रायगढ़ से बम्बई तक चलने वाली यात्री रेल गाड़ियां दिवा जंक्शन पर समाप्त हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पनवेल से बम्बई में विक्टोरिया टर्मिनस तक सीधी रेल गाड़ियां चलाने की लम्बे अर्से से मांग की जा रही है क्योंकि बम्बई से जाने वाली रेलगाड़ियों में सुबह के समय बहुत भीड़ होती है जिसके कारण दिवा रेलवे स्टेशन पर यात्री इन गाड़ियों में चढ़ नहीं पाते; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बम्बई वी० टी० स्टेशन पर्याप्त टर्मिनल क्षमता के अभाव के कारण, गाड़ी को बम्बई वी०टी० तक नहीं बढ़ाया जा सकता।

उड़ीसा का कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1912. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान उड़ीसा राज्य में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए विभिन्न कार्यों का क्या ब्यौरा है;

(ख) उन पर कुल कितना अनुमानित खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता मिलने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) चूंकि उड़ीसा की राज्य योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है अतः सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

गुजरात में रेल लाइनों का निर्माण/बदला जाना

1913. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 1984-85 के दौरान नई रेल लाइनों का निर्माण करने और मौजूदा छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) 1984-85 के दौरान गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव और उनकी स्थिति नीचे दी गई है :—

1. **वदीनार पोर्ट तक रेल लाइन** :—राज्य सरकार से कहा गया है कि रेलवे, कांडला पोर्ट ट्रस्ट की लागत पर वदीनार तक प्रस्तावित लाइन के लिए सर्वेक्षण करने को तैयार है। बशर्ते कि पोर्ट ट्रस्ट के पास बंदरगाह की सेवा के लिए एक सीधे बड़ी लाइन सम्पर्क के लिए अपेक्षित वदीनार में गहरे जलघाट का निर्माण करने की योजना हो।

2. **राजकोट वेरावल का बड़ी लाइन में बदलाव और**

3. **बंकानेर-मोर्वी-नवलाखी-वहीनसारा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव** :—संसाधनों की बेहद कमी के कारण इन प्रस्तावों को हाथ में लेना सम्भव नहीं हो सका है ।

पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में रेल लाइनों का निर्माण

1914. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में निर्माणाधीन नई रेल लाइनों को कोई प्राथमिकता दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय निर्माणाधीन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक रेल लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां । उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नई लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है ।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	निर्माणाधीन नयी लाइनों के नाम
1. जम्मू और कश्मीर	जम्मू तवी-ऊधमपुर
2. हिमाचल प्रदेश	नंगल डेम-तलवाड़ा
3. असम/मेघालय	गुवाहाटी-बर्नीहाट
4. त्रिपुरा	धर्मनगर-कुमारघाट
5. असम/अरुणाचल प्रदेश	बांलीपाड़ा-भोलुकपोंग
6. असम/मणिपुर	सिलचर-जीरिबाम
7. असम/नागालैण्ड	आमगुड़ी-तुली
8. असम/मिजोरम	लाला बाजार-भैरावी
9. असम	जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़े आमान की रेलवे लाइन के साथ-साथ जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-एवं-सड़क पुल का निर्माण ।

उपर्युक्त लाइनों का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । गुवाहाटी-बर्नीहाट लाइन के मामले में मेघालय सरकार की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है ।

हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में एक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करना

1915. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में चालू शिक्षा वर्ष 1985-86 से एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में किस तारीख तक निर्णय किये जाने और कक्षाएं प्रारंभ होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कालेज खोलने के लिए स्थान चुनने हेतु एक विशेषज्ञ समिति भी स्थापित की गई है।

(ग) अगला शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करने के लिए कक्षाएं शुरू करने के सम्बन्ध में निर्णय समय पर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

1916. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1985-86 के दौरान किन्हीं राष्ट्रीय/केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय किन-किन राज्यों में और किन-किन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे और उनकी मुख्य विशेषतायें क्या होंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का एक प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित विधान संसद के वर्तमान सत्र में पेश किए जाने की सम्भावना है। खुला/दूरदराज शिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय खुली विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। इस विश्वविद्यालय के स्थान आदि सहित इस प्रस्ताव के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित विधान संसद के चालू वर्ष में पेश किए जाने की सम्भावना है।

जल संसाधनों के बंटवारे के सम्बन्ध में भारत-नेपाल वार्ता

1917. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल के बीच जल संसाधनों के बंटवारे के संबंध में सितम्बर, 3984 को दिल्ली में वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो ये वार्ता दोनों पड़ौसी देशों के बीच वार्ता की श्रृंखला में पांचवी थी;

(ग) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले; और

(घ) दोनों देशों के बीच किस सीमा तक समझौता हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1984 के विचार-विमर्श श्रृंखला में छठे थे।

(ग) और (घ) विचार-विमर्श जारी है।

रेलवे में रिक्त पद

1918. **श्री नारायण चौबे**
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में 1 मार्च, 1983 को श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III और श्रेणी IV के कितने पद रिक्त थे;

(ख) भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद कितने रेलवे कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गए हैं; और

(ग) क्या सरकार को रलवे कर्मचारियों में व्याप्त गंभीर अशांति की जानकारी है क्योंकि उनके बेटे और बेटियों को रेलवे में रोजगार नहीं मिल रहा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रेलों की प्रचलित नीति रेल सेवा के लिए सभी उम्मीदवारों को बराबर का अवसर देना है और रेल कर्मचारियों के पुत्रों/आश्रितों को रेलों पर नौकरी के लिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है या दिया जा सकता है। उन्हें रेलों में नौकरी के लिए इच्छुक अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में बैठना होता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए रिहायशी स्कूल

1919. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्रीमती पुष्पा देवी
श्री मोहन भाई पटेल
श्री सोमनाथ रथ } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने यह सिफारिश की है कि

राज्यों औरसंघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए कम से कम एक रिहायशी स्कूल होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार के रिहायशी स्कूल खोलने का विचार है ?

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खोले जाने वाले प्रस्तावित स्कूलों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) अनु०जा०/अनु०ज०जा० के आयोग की सिफारिश राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को भेज दी गई है ।

स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्यों की जिम्मेदारी है और अधिकांश रूप में इसका प्रबन्ध उन्हीं के द्वारा किया जाता है । इसलिए आवासीय स्कूल खोलने की जरूरतों की जांच करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए लक्ष्यों के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए खासकर कम आबादी वाले ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आवासीय (आश्रम) स्कूल चलाते हैं । विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खोले जाने वाले आवासीय स्कूलों के ब्यौरों के बारे में अभी जानकारी नहीं है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

७ मुआवजा कोष योजना

1920. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लाभ के लिए आरम्भ की गई मुआवजा कोष योजना का कार्य प्रगति पर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों द्वारा अभी इस मामले में शुरूआत की जानी है; और

(ग) इस योजना से मोटर दुर्घटना के शिकार लोगों या मृतक के निकट संबंधियों को राहत प्रदान करने में किस सीमा तक मदद मिली है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सोलेशियम फंड स्कीम अक्टूबर, 1982 से लागू है। यह स्कीम राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित हो रही हैं। इन सरकारों में वहां के जिलाधीश/उपायुक्त टक्कर मार कर भाग जाने वाली दुर्घटनाओं के मामले में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा देने का निर्णय करते हैं। इन मोटर दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने के मामले में मुआवजे के तौर पर एक मुश्त 5000 रुपए और गंभीर रूप से घायल हो जाने के मामले में एक मुश्त 1000 रुपये दिये जाते हैं।

तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर की राज्य सरकारों और मिजोरम, गोवा दमन और दीव तथा पांडिचेरी संघ शासित सरकारों से सोलेशियम फंड स्कीम के तहत किसी को कोई मुआवजा दिए जाने की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है लेकिन बाकी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से जो सूचना मिली है उसके अनुसार दावे के लिए अब तक कुल 1106 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 339 आवेदन पत्र ऐसे थे जो इस स्कीम के तहत किसी भी मुआवजे के पात्र नहीं हैं। इस स्कीम के तहत आने वाले बाकी 317 मामलों में दावेदारों को 13.27 लाख रुपये की धनराशि दी जा चुकी है।

रुके खड़े रेल माल डिब्बे

1921. श्री बी० बी० देसाई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने बताया है कि पूर्व क्षेत्र में चार बड़ी कोयला खानों के मुहानों पर पिछले तीन दिन से 1000 रेल माल डिब्बे रुके खड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे तथा कोल इन्डिया लिमिटेड द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्नापाड़ा-II ताप विद्युत संयंत्र के लिए ऋण देने हेतु एक्सिम बैंक की पेशकश

1922. श्री बी० बी० देसाई : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सिम बैंक ने अन्नापाड़ा-II ताप विद्युत संयंत्र के लिए उदार शर्तों पर 560 करोड़ रु० का ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पेशकश के अनुसार जापान 400 करोड़ रुपये मूल्य का ऋण देगा और अमेरिकी एक्सिम बैंक 160 करोड़ रुपए का ऋण देगा;

(ग) क्या यह सच है कि एक उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधि मण्डल ने सितम्बर, 1984 में भारत का दौरा किया था और विभिन्न एजेंसियों से विचार विमर्श किया था;

(घ) यदि हां, तो जापान और अमेरिका द्वारा क्या प्रस्ताव पेश किए गये थे; और

(ङ) क्या दोनों देश इस परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी पूरे दायित्वों को वहन करने के लिए सहमत हो गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) अनपारा "ख" परियोजना (2 × 500 मेगा०) के सम्बन्ध में बाह्य वित्त पोषण लागत को पूरा करने के लिए, जापान सरकार, 140 बिलियन येन की कुल ऋण सहायता देने के लिए सहमत हो गई है जिसमें 100 बिलियन येन का ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फंड का ऋण तथा एक्सिम बैंक ऑफ जापान का 40 बिलियन येन का ऋण शामिल हैं। ओ० ई० सी० एफ० ऋण की शर्तें आसान है। एक जापानी तकनीकी मिशन ने अगस्त-सितम्बर, 1984 के दौरान भारत का दौरा किया था। ऋण सहायता का समुपयोजन दो टर्न-की पैकेजिस के रूप में किया जाना है। पहली पैकेज के सम्बन्ध में वित्त व्यवस्था ओ०ई०सी०एफ० ऋण से की जाएगी तथा इनमें 500 मेगावाट का एक यूनिट और सामान्य केन्द्र सुविधाएं शामिल हैं। दूसरे पैकेज में वित्त व्यवस्था जापान के एक्सिम बैंक के ऋण से की जानी है, जिनमें 500 मेगावाट का दूसरा यूनिट शामिल है।

उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए केन्द्रीय योजना

1923. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण कार्यक्रमों की कोई सम्पूरक केन्द्रीय योजना प्रायोजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को किस प्रकार कार्यान्वित करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कुंवर अग्र पन्त) : (क) और (ख) कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को पुर्नगठित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांचवीं योजना में एक योजना आरम्भ की थी। इस पुनर्गठन का एक उद्देश्य प्रयुक्त उन्मुख संघटक को आरम्भ करने सहित स्नातकों को कार्य/व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए परम्परागत पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना करना है। इस कार्यक्रम को सातवीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय से, नौकरियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशलों और क्षमताओं में सुधार लाने और स्तरोन्नत करने

के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करने और लागू करने की आशा है।

(ग) पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम को 78 कालेजों और 3 विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेज को कोर स्टाफ की सेवाओं के उपयोग के लिए कोर स्टाफ नियुक्त करने के लिए और अनावर्ती खर्च के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रु० तक की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

खुले विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्य के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

खाद्य पदार्थों में कीटनाशी अवशिष्टों की अधिक मात्रा

1924. **श्री जी० वी० राजाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में खाद्य पदार्थों में अधिक कीटनाशी अवशिष्टों के बारे में किये गये सर्वेक्षण के चौकाने वाले परिणामों की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि मानव तन्तुओं में कीटनाशक अधिक जाने से कैंसर सहित बहुत ही बीमारियां हो सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के प्रवेश को रोकने, यदि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, तो कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता द्वारा किये गये अध्ययन, जो 1980 में प्रकाशित किया गया, के अनुसार जिन 400 खाद्य नमूनों की जांच की गयी उनमें से केवल 95 नमूनों (23.7 प्रतिशत) में कीट नाशक मौजूद थे। इन 95 नमूनों में से 35 नमूनों में टालरेंस लिमिट निर्धारित लिमिट से अधिक थीं (कुल नमूनों का 9 प्रतिशत)।

राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी गई हैं कि वे कीटनाशकों की जांच के लिए बार-बार लिये गये नमूनों पर सुचारू रूप से नियंत्रण रखें। कृषि मंत्रालय को भी यह सलाह दी गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसानों और खेतीहरों द्वारा कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग सुरक्षित ढंग से किया जाये।

"खाद्य और सिविल आपूर्ति मंत्रालय ने भण्डारण के दौरान अनाजों में पाए जाने वाले कीटनाशकों के अवशेषों के स्तरों को मानिटर करने के लिए एक आधारभूत ढांचा भी तैयार किया है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार मानव टिशुओं में पैस्टीसाइड

रेजिडयूज के उच्च प्रकोप में लीवर, आर्गेनोक्लोरिन इन्सेक्टीसाइड्ज के मामले में नर्वस सिस्टम और रक्त तथा आर्गेनाफास्फोरस इन्सेक्टीसाइड्ज के मामले में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर प्रतिकूल अथवा उससे मिलते जुलते प्रभाव पड़ सकते हैं। शरीर में पेस्टीसाइड्ज जमा हो जाने से मनुष्यों में कैंसर होने का निश्चित प्रमाण नहीं हैं।

पशुओं पर प्रयोग करने से पता चला है कि कुछेक कीटनाशक (डी०डी०टी०बी०एस०सी० आदि) कैंसर पैदा करते हैं।

(ग) कृषि मन्त्रालय इन कीड नाशकों के सुरक्षित उपयोग और उचित मात्रा तथा उपयोग के तरीकों पर विशेष ध्यान दे रहा है।

पश्चिम बंगाल में जी० टी० रोड का रखरखाव और उसको चौड़ा करना

1925. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण सड़क जी०टी० रोड को सड़क परिवहन के लिए देश भर में उपेक्षित मार्ग माना जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसको चौड़ा करने के लिये कोई उपाय न करने तथा उसका विशेष-रूप से हावड़ा में, तथा सामान्य रूप से पश्चिम बंगाल में प्रभावकारी ढंग से रखरखाव न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान पश्चिम बंगाल में जी० टी० रोड पर लगभग 6.57 करोड़ रुपये के विभिन्न मरम्मत कार्यों की संस्वीकृति दी गयी और ये कार्य विभिन्न चरणों में पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 1985-86 में पश्चिम बंगाल में जी०टी० रोड पर सुधार कार्य के लिए 50.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

रेलवे में वर्तमान तौल प्रणाली को बदलना

1926. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पिट्लैस इन मौशन" इलेक्ट्रानिक तुला सेतुओं की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और रेलवे में वर्तमान तौल प्रणाली की तुलना में इससे क्या लाभ होंगे;

(ख) चोरी को तत्काल रोकने और वैगनों की अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग की प्रक्रिया

को तेज करने के लिए सम्पूर्ण भारतीय रेलों में वर्तमान प्रणाली के स्थान पर कम से कम 100 अथवा 200 बिन्दुओं पर नई "पिट्लैस इन-मौशन तुला सेतु प्रणाली (इलेक्ट्रानिक) स्थापित करने में रेलवे को कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पिटलेस इन-मोशन इलेक्ट्रानिक तुला चौकियों की मुख्य विशेषतायें ये हैं कि धीमी रफ्तार पर चलते-चलते माल डिब्बों को लोड-सेल के जरिए तोला जा सकता है और गर्त संस्थापित किये तथा सम्बद्ध सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्य के बिना तुला चौकी की स्थापना की जा सकती है। रेलों द्वारा अभी तक कोई पिटलेस इन-मोशन इलेक्ट्रानिक तुला चौकी नहीं खरीदी गई है, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि इसके क्या लाभ हैं।

बहरहाल, इलेक्ट्रानिक इन-मोशन तुला चौकी पर माल डिब्बों को चलते-चलते रेक से अलग किये बिना ही तोला जा सकता है और वजन भी मुद्रित किया जा सकता है। इससे तुलाई तेजी से की जाती है। अधिलदान के मामले भी नहीं होते हैं और इससे असमान लदान के मामलों का भी पता लगाया जा सकता है।

(ख) मौजूदा यांत्रिक तुला चौकियों को उसी डिजाइन की अथवा अन्य डिजाइन की तुला चौकियों के बदलाव वास्तविक आवश्यकताओं तथा विकास संबंधी आर्डरों के संबंध में पहले से खरीदी गयी या भविष्य में खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रानिक तुला चौकियों से प्राप्त अनुभव पर निर्भर करेगा।

बड़ौदा डिवीजन में प्रताप नगर रेल फाटक पर उपरिपुल

1927. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी रेलवे के बड़ौदा डिवीजन में प्रताप नगर रेल फाटक पर उपरि पुल बनाने के लिए मंजूरी दी है;

(ख) क्या रेल फाटक के बार-बार बन्द हो जाने से दोनों ओर के सड़क यातायात को काफी देर तक रुकना पड़ता है;

(ग) क्या उपरोक्त उपरि पुल के निर्माण कार्य के लिए कोई राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) लागत भागीदारी के आधार पर रेलों और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से इस कार्य की स्वीकृति दे दी है। रेलवे के हिस्से की लागत के लिए 1985-86 के बजट में 1.68 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जोगबनी से आरम्भ और समाप्त होने वाली सवारी और एक्सप्रेस गाड़ियों के रूट किलोमीटर डिब्बों, सवारियों और आय में कमी

[हिन्दी]

1928. श्री डूमर लाल बैठा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के कटिहार-जोगबनी खंड में जोगबनी से कौन-कौन सी सवारी और एक्सप्रेस गाड़ियां आरम्भ और समाप्त होती हैं और 1982-83, 1983-84, 1984-85 वर्षों के दौरान उनके रूट किलोमीटर, उनमें लगाए जाने वाले सवारी डिब्बों की संख्या, यात्रियों की संख्या और प्रत्येक से हुई आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों के दौरान उनके रूट किलोमीटर सवारी डिब्बों की संख्या, यात्रियों की संख्या और आय में कमी हुई; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) कटिहार-जोगबनी खंड पर जोगबनी से बनकर चलने वाली और वहां पर समाप्त होने वाली गाड़ियां तथा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक गाड़ी के अन्तर्गत आये मार्ग कि०मी० इस प्रकार थे :—

गाड़ी सं०		1982-83 से/तक तथा प्रति गाड़ी मार्ग कि०मी०	1983-84 से/तक तथा प्रति गाड़ी मार्ग कि०मी०	1984-85 (फरवरी 85 तक) से तक तथा प्रति गाड़ी मार्ग कि०मी०
(I)	111/112	जोगबनी-कटिहार पैसेंजर (111किमी०)	जोगबनी-कटिहार पैसेंजर (111 किमी०)	जोगबनी-कटिहार पैसेंजर (111 किमी०)
(II)	113/114	जोगबनी-कटिहार पैसेंजर (111 किमी०)	जोगबनी-कटिहार पैसेंजर (111 किमी०)	जोगबनी-कटिहार पैसेंजर (111 किमी०)
(III)	35/36	बरौनी-जोगबनी पैसेंजर (291 किमी०)	बरौनी-जोगबनी पैसेंजर (291 किमी०)	कटिहार-जोगबनी* पैसेंजर (111 किमी०)
(IV)	37/38	इलाहाबाद-जोगबनी फास्ट पैसेंजर (770 किमी०)	इलाहाबाद-जोगबनी फास्ट पैसेंजर (546 किमी०)	कुटिहार-जोगबनी* पैसेंजर (111 किमी०)

* बरौनी-कटिहार मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिये जाने के परिणामस्वरूप 35/36 और 37/38 गाड़ियों को क्रमश: 10-9-1984 और 13-5-1984 से जोगबनी और कटिहार के बीच ही चलाया जाना सीमित कर दिया गया है ।

अलग-अलग गाड़ियों के लिए बुक किये गये यात्रियों और उनसे हुई आमदनी का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, तीन वर्षों की अवधि के दौरान जोगबनी और कटिहार के बीच के स्टेशनों के लिए बुक किये गये यात्रियों की संख्या तथा उनसे प्राप्त हुई आमदनी इस प्रकार थी :—

	1982-83	1983-84	1984-85 (फरवरी 85 तक)
प्रारम्भिक यात्री	12,21,386	12,07,029	10,20,115
प्रारम्भिक आमदनी	68,55,079	82,54,003	66,18,235

इन गाड़ियों में दिन-प्रति-दिन लगाये जाने वाले सवारी डिब्बों की औसत संख्या भिन्न-भिन्न थी और सवारी डिब्बों की औसत संख्या 6 से 9 के बीच है।

(ख) और (ग) जी, हां। इसका कारण यह था कि कटिहार-बरौनी खंड के आमान परिवर्तन के परिणामस्वरूप कटिहार और बरौनी के बीच तथा इसके आगे 35/36 और 37/38 गाड़ियों का चलन क्रमशः सितम्बर और मई 1984 से बन्द कर दिया गया था। 35/36 और 37/38 गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या कम हो गई है क्योंकि ये गाड़ियां उतना लम्बा मार्ग तय नहीं करती हैं जितना कि वे आमान परिवर्तन से पहले करती थीं। इसके अलावा दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों की अत्यधिक कमी है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में जोगबनी-कटिहार सेक्शन पर सवारी गाड़ियों में अपर्याप्त डिब्बे लगाया जाना

1929. **श्री बूमर लाल बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जोगबनी-कटिहार सैक्शन पर चलने वाली सवारी गाड़ियों में 10 सवारी डिब्बों के स्थान पर केवल 4 डिब्बे लगाये जाते हैं और वह भी खस्ता हालत में होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भीड़भाड़ और यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) क्या यात्रियों को उनकी यात्रा के बीच में ही गाड़ी से उतर जाने के लिए कहा गया ताकि अधिक भार के कारण दुर्घटना न हो और स्वयं यात्रियों ने भी सिमराहा स्टेशन पर कई घंटे तक गाड़ी को रोके रखा और रेल अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी;

(ग) यदि हां, तो ये घटनायें कब हुईं और किन रेल अधिकारियों को शिकायत की गई और कब की गई और उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। कभी-कभी पैसेंजर गाड़ियां कम डिब्बों के साथ चलती हैं लेकिन चार डिब्बों के साथ नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर

[अनुवाद]

1930. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण-कार्य निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस नहर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(घ) इस परियोजना पर सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) नहर के संरेखण को अन्तिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा वित्तीय कठिनाइयों में समय लगने के कारण पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण की प्रगति में विलम्ब हुआ है। यह रिपोर्ट मिली है कि फरवरी 1985 के अन्त तक इस परियोजना पर करीब 41 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं तथा नहर के 1987-88 के दौरान पूरा कर दिये जाने की संभावना है।

अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट

1931. **श्री राम भगत पासवान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन और अन्य गतिविधियों के बारे में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई परिपत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) शैक्षिक विकास संबंधी समस्याओं/प्रतिबन्धों को समझने की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर, 1982 में अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों से उनके अपने-अपने प्रदेशों के अन्दर शैक्षिक विकास के सभी पहलुओं पर आवधिक-विवरणिकाएं भेजने का अनुरोध किया था। मांगी गई सूचना आन्दोलन के सन्दर्भ तक सीमित नहीं थी

बल्कि वह नए पाठ्यक्रमों को लागू करने, नई पाठ्यचर्या, आरम्भ की गई परियोजना आदि जैसे शैक्षिक विकास के सभी पहलुओं से संबंधित थीं। मांगी गई सूचना में आन्दोलन का हवाला मात्र एक संयोग था।

एक भाप के इंजिन में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले की औसत मात्रा और उसका मूल्य

[हिन्दी]

1932. श्री सी० जंगा रेड्डी
श्री डा० ए० के० पटेल } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति 1000 किलोमीटर के लिए एक भाप के इंजिन में इस्तेमाल होने वाले कोयले की औसत मात्रा और मूल्य का वर्षवार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या व्यय में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान इन्हें कम करने के लिए क्या लक्ष्य नियत किया गया है; और

(घ) क्या इन खर्चीले भाप इंजनों को उन रेल लाइनों पर भी चलाया जा रहा है जिनका भारी खर्च करके पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है और यदि हां, तो उन रेल लाइनों के जोनवार नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री तथा मिश्रित में यात्री के अनुपात और माल तथा मिश्रित में माल के अनुपात पर प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर के लिए कोयले की खपत की औसत दर और उसका मूल्य इस प्रकार था :—

वर्ष	यात्री तथा मिश्रित में यात्री के अनुपात पर प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर के लिए खपत	प्रति टन औसत लागत दर से 1000 सकल टन किलोमीटर के लिए कोयले की खपत की लागत	माल तथा मिश्रित में माल के अनुपात पर प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर के लिए खपत	प्रति टन औसत लागत दर से 1000 सकल टन किमी० के लिए कोयले की खपत की लागत
1981-82	79.0 कि०ग्रा०	16.84 रुपये	92.4 कि०ग्रा०	19.70 रुपये
1982-83	79.2 कि०ग्रा०	19.18 रुपये	95.1 कि०ग्रा०	23.03 रुपये
1983-84	77.3 कि०ग्रा०	21.34 रुपये	98.5 कि०ग्रा०	27.20 रुपये

(ख) यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान भाप इंजिनों में कोयले की खपत की कुल मात्रा में निरन्तर कमी आयी है, तथापि खर्च में वृद्धि हुई है जो मुख्यत: प्रति टन कोयले की लागत बढ़ जाने के कारण हुई है जैसा कि निम्नांकित ब्यौरे में दिखाया गया है :—

वर्ष	कर्षण प्रयोजन के लिए कोयले की खपत/मिलियन टन में)	सभी सरकारी रेलों पर प्रति टन औसत लागत	भाप कर्षण प्रयोजनों के लिए कोयले पर कुल खर्च
1981-82	9.83	213.17 रुपये	224.93 करोड़ रुपये
1982-83	9.45	242.14 रुपये	241.39 करोड़ रुपये
1983-84	9.11	276.10 रुपये	265.50 करोड़ रुपये

(ग) 1985-86 में कोयले की खपत का लक्ष्य 8.68 मिलियन टन अर्थात् 1983-84 की तुलना में 0.43 मिलियन टन कम है।

(घ) निम्नलिखित को छोड़कर, भारतीय रेलों पर विद्युतीकृत खंडों में गाड़ी सेवाओं के लिए भाप इंजनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है :—

(I) **मध्य रेलवे** :—बिजली रेल इंजिनों की अनुपलब्धता के कारण नये विद्युतीकृत नयी दिल्ली-आगरा कैंट खंड पर।

(II) **उत्तर रेलवे** : —गैर विद्युतीकृत खंडों से/को आने जाने वाली थ्रू गाड़ियों के लिए टूंडला-शिकोहाबाद, दिल्ली-गाजियाबाद, दिल्ली-शकूरबस्ती, मिर्जापुर-चुनार और टूंडला-बरहन विद्युतीकृत खंडों पर।

(III) **दक्षिण मध्य रेलवे** :—रेणिगुंटा पर भाप शक्ति को बेकार न करने के उद्देश्य से रेणिगुंटा-तिरुपति खंड पर दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां (10 कि०मी० की छोटी दूरी के लिए)।

(IV) **पश्चिम रेलवे** :—गैर-विद्युतीकृत खंडों को सेवित करने के लिए गोधरा-अनंद खंड पर।

पश्चिम रेलवे में वस्तुओं तथा पार्सलों की चोरी

[अनुवाद]

1933. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावनि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में माल तथा पार्सलों की चोरियों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान पश्चिम रेलवे में राजकोट, भावनगर तथा अन्य मंडलों में इस प्रकार के कितने मामले हुए तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) बरामद हुए माल सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया अथवा कितनी धनराशि के दावों को निपटाया गया; और

(च) वहां पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान पश्चिम रेलवे के राजकोट, भावनगर और अन्य मंडलों में सामान तथा पार्सलों की चोरी के जितने मामलों की रिपोर्ट मिली, उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

मंडल का नाम	1982	1983	1984
राजकोट	21	33	37
भावनगर	13	7	12
पश्चिम रेलवे के अन्य छः मण्डल	932	915	617
जोड़	966	955	666

(घ) बरामद किये गये चोरी के परेषणों का मूल्य इस प्रकार है :—

मंडल का नाम	1982	1983	1984
	रु०	रु०	रु०
राजकोट	4,210	6,960	7,555
भावनगर	5,290	2,860	3,633
पश्चिम रेलवे के अन्य छः मण्डल	2,83,140	15,414	60,828

(ङ) चोरी के कारण क्षतिपूर्ति के दावों के संबंध में किये गए भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मण्डल का नाम	1982	1983	1984
राजकोट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
भावनगर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पश्चिम रेलवे के अन्य छः मण्डल	54,564	40,028	13,723

(च) माल पार्सलों की चोरी को रोकने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. प्रभावित क्षेत्रों में मूल्यवान वस्तुओं के ले जाने वाले माल डिब्बों की रे०सु०ब० द्वारा मार्ग रक्षा की जाती है;

2. यार्ड में खड़े रहने के समय ऐसे माल डिब्बों की निगरानी रखी जाती है;

3. संवेदनशील स्थलों पर गश्ती दल नियुक्त किये जाते हैं;

4. भेद्य यार्डों, यानान्तरण स्थलों पर सी०बी०आई० के कर्मचारियों द्वारा आवधिक छापे मारे जाते हैं;

5. अपराधियों/प्रापकों के संबंध में आसूचना इकट्ठी करने के लिए सी०बी०आई० के कर्मचारियों का भी उपयोग किया जाता है;

6. यार्डों और प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए कुत्ता-दस्ते का उपयोग किया जाता है;

7. नामित स्टेशनों पर वाणिज्यिक कर्मचारियों के साथ संयुक्त जांच की जाती है।

शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाना

1934. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि जम्मू-तवी-नई दिल्ली शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी जम्मू जाते हुए और वापसी में अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार यात्री ले जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको यह भी जानकारी है कि उस दिन, जब शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं चलती है, विभाग को राजस्व की काफी हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (के) से (ग) 145/146 शालीमार एक्सप्रेस, जो 30-4-1984 तक सप्ताह में 3 दिन चलती थी, 1-5-1984 से प्रतिदिन चल रही है। पंजाब में गड़बड़ी की हालत के कारण इस गाड़ी का चालन जून, जुलाई, नवम्बर, दिसम्बर, 84 और 16 जनवरी, 1985 तक कम करना पड़ा था।

17 जनवरी, 1985 से यह गाड़ी जम्मू तक चल रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे में बक्शी-का-तालाब और इटौजा रेलवे स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार वाले फाटक पर गाड़ी और मैटाडोर की टक्कर

1935. श्री आनन्द सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 फरवरी, 1985 को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ सीतापुर सैक्सन पर बक्शी-का-तालाब और इटौजा स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार वाले फाटक पर एक मैटाडोर और पैसेंजर गाड़ी की टक्कर में कम से कम पांच व्यक्ति मारे गए और 11 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जो उस मैटाडोर में यात्रा कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो मृतकों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को मुआवजा अदा करने और राहत देने के लिए अब तक यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के उपबन्धों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार केवल गाड़ी के यात्रियों को ही मुआवजे का भुगतान किया जाता है। दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त सड़क वाहनों के यात्री मुआवजे के पात्र नहीं हैं। वे अपकृत्य विधि के अधीन क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।

क्षय रोग की रोकथाम

1936. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में क्षय रोग के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) देश में क्षय रोग की रोकथाम के सम्बन्ध में छठी योजना के दौरान सरकार की क्या उपलब्धि रही; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान क्षय रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जितने क्षय रोगियों का पता लगाया गया उनकी संख्या संलग्न विव रणमें दी गई है ।

(ख) सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को शामिल करने से रोगियों का पता लगाने तथा उपचार संबंधी क्रियाकलापों पर फिर से बल दिया गया है । इसके लिए साज-सामान तथा कार्मिकों से पूरी तरह सुसज्जित 360 जिला क्षय रोग केन्द्र और 319 क्षय रोग क्लिनिक खोले गए हैं । ग्रामीण जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी रोगियों का पता लगाने, उपचार करने, बी०सी०जी० वैक्सीनेशन तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है ।

छठी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में लगभग 7 लाख नए क्षय रोग रोगियों का पता लगाया गया । रोगियों का पता लगाने तथा उनके उपचार सम्बन्धी क्रियाकलापों पर अधिक बल दिए जाने के फलस्वरूप अब प्रति वर्ष लगभग 12 लाख नए रोगियों का पता लगाया जा रहा है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत थूक की जांच करने/नए रोगियों का पता लगाने के लिए 1982-83 के दौरान पहली बार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे । पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षय रोग के नए रोगियों का पता लगाने में हुई उपलब्धि इस प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य (लाखों में)	उपलब्धियां (लाखों में)
1982-83	10.00	10.80
1983-84	12.50	12.08
1984-85	13.75	10.70 (फरवरी, 1985 तक)

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/क्षय रोग केन्द्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे क्षय रोग केन्द्रों को सामग्री और उपकरणों/क्षय रोग रोधी औषधियों की सप्लाई के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध किया गया है । छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आरम्भ में 700 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । छठी योजना के दौरान हुआ वास्तविक खर्च नीचे दिया गया है—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	बजट व्यवस्था	वास्तविक खर्च
1980-81	183.05	189.01
1981-82	203.45	203.95
1982-83	200.00	199.18
1983-84	490.00	469 18
1984-85	1050.00	894 50 (अनुमानित)

देश के 18 जिलों में मार्गदर्शी अध्ययन के आधार पर रिफैम्पीसिन पिराजिनामाइड आदि वाले अल्पावाध केमोथरापी औषध विधान शुरू किए हैं ।

(ग) योजना आयोग ने सातवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। इन प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें हैं—रोगियों का पता लगाने सम्बन्धी कार्य को और तेज करना, उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप, क्षय रोग रोधी औषधियों की अतिरिक्त सप्लाई सामग्री तथा जिनमें ओडैल्का कैमरा युक्त एक्स-रे यूनिटें भी शामिल हैं, प्रयोगशाला उपकरण आदि ।

मार्गदर्शी अध्ययन के अनुभव के आधार पर चरण-बद्ध ढंग से अल्पावधि केमोथरापी औषध विधान के अन्तर्गत और जिले लाये जाने का भी प्रस्ताव है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1982-83	1983-84	फरवरी, 1884-85 (अनन्तिम) (फरवरी, 1985 तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	59407	61594	54751
2.	असम	11002	15517	12858
3.	बिहार	84862	91260	110793
4.	गुजरात	85437	102019	90154
5.	हरियाणा	18323	19518	17320
6.	हिमाचल प्रदेश	11311	14024	11543*
7.	जम्मू व कश्मीर	8550	8214	5784
8.	कर्नाटक	45763	48009	39328*
9.	केरल	30395	29572	21930*
10.	मध्य प्रदेश	74879	93617	70526
11.	महाराष्ट्र	177159	205792	179170
12.	मणिपुर	1341	1585	1660
13.	मेघालय	912	1279	1194

1 2	3	4	5
14. नागालैंड	174	705	683*
15. उड़ीसा	20581	23590	20662
16. पंजाब	25126	34596	26538
17. राजस्थान	34668	38129	41271
18. सिक्किम	1248	621	अप्राप्त
19. तमिलनाडु	88140	93437	84078
20. त्रिपुरा	1528	1648	1413
21. उत्तर प्रदेश	178880	199949	189292
22. पश्चिम बंगाल	78245	74458	49307
23. अरुणाचल प्रदेश	761	1187	1565
24. गोवा, दमण व द्वीव	2181	2819	2572
25. मिजोरम	533	1027	493
26. पांडिचेरी	4868	4110	4107
27. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	612	576	277
28. चण्डीगढ़	1640	1982	1974
29. दादर व नगर हवेली	117	301	167
30. दिल्ली	33821	37595	30446*
31. लक्षद्वीप	78	150	113
योग :	1081493	1208880	1071969

नोट :— (*) जनवरी, 1985 तक के आंकड़े
(एन०आर०) अप्राप्त

उड़ीसा में टुंकेला घाट (बालाईगढ़) के निकट शाहाजी नदी पर पुल बनाना

1937. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर टुंकेला घाट (बाणाईगढ़) के समीप ब्राह्मणी नदी पर पुल बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) नींव डालने का काम अभी हाल में शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय बाल संग्रहालय

1938. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भवन सोसाइटी ने एक राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बाल संग्रहालय पहले से ही एक अस्थायी ढांचे में कार्य कर रहा है। बाल भवन सोसायटी ने अब निर्णय किया है कि बच्चों के राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए एक स्थायी भवन बनाया जाए। संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमि० को एक धरोहर कार्य के रूप में सौंपा गया है। भवन चार चरणों में बनाया जाएगा।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के व्यवसाय में वृद्धि

1939. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के व्यवसाय में पिछले कुछ महीनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1984-85 (फ़रवरी, 85 तक) के दूसरी छमाही के अलग-अलग महीनों में सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय की स्थिति नीचे दिखाई गई है :—

महीना	व्यवसाय (लाख रुपये)
अक्तूबर, 84	72.27
नवम्बर, 84	80.12
दिसम्बर, 84	93.52
जनवरी, 85	110.61
फरवरी, 85	118.06

अन्धेरी-बेराड़ शटल सेवा के लिए आन्दोलन

1940. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 और 6 फरवरी, 1985 को भोयन्दर में अन्धेरी-बेराड़ शटल सेवा (बम्बई, पश्चिम रेलवे) के लिए आन्दोलन की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है और मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी, हां। भोयंदर को सेवित करने के लिए बान्द्रा और वसई रोड के बीच एक अतिरिक्त सेवा चालू कर दी गयी है।

उच्च हैंडलिंग प्रभारों से कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के बीच कन्टेनरों के परिवहन में कमी आना

1941. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के बीच केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के बजरों पर ढोये जाने वाले कन्टेनरों की संख्या में उच्च हैंडलिंग प्रभारों के कारण कमी आ रही है;

(ख) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान दोनों ओर से कितने कन्टेनरों की ढुलाई की गई; और

(ग) क्या पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले काफी मजदूरों को सेवा से हटाकर लागत को कम करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कलकत्ता और हल्दिया के बीच सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के जलयानों से कन्टेनर कम संख्या में ढोये जाने लगे हैं। यह भाड़े की ऊंची दरों के कारण नहीं हुआ है। शुरू में जब सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के जलयानों से कन्टेनर ढोये जाते थे तब उसका कारण प्रायः यह था कि इस क्षेत्र में भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के बहुप्रयोजनीय जहाज खासतौर से हल्दिया तक आते थे। वर्ष 1982-1983 में यहां पर अधिक जलयानों के आने का कारण खासतौर से हल्दिया तक आने वाले जहाज रहे हैं। वर्ष 1984 में ये जहाज मुख्यतः कलकत्ता तक ही आये जिससे कलकत्ता और हल्दिया के बीच कन्टेनर ढोने की कोई जरूरत नहीं रह गई।

(ख) निम्नलिखित संख्या में कन्टेनरों को लाया ले जाया गया—

1982 — 954 टी० ई० यू०

1983 — 682 टी० ई० यू०

1984 — 461 टी० ई० यू०

(ग) श्रमिकों की छंटनी किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के लिए पन-बिजली परियोजनायें

[हिन्दी]

1942. **श्री हरीश रावत:** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में ऐसी कौन-कौन-सी और कितनी पन बिजली परियोजनाएं हैं जिनसे सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और कितनों के सम्बन्ध में यह कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में 33 जल विद्युत परियोजनाओं पर अन्वेषण कार्य चल रहे हैं। 5 स्कीमों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जिन परियोजनाओं को शुरू किया जा सकता है उनके निर्माण कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टनकपुर परियोजना का निर्माण

1943. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम ने टनकपुर परियोजना के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और इससे कितनी पन-बिजली प्राप्त होगी; और

(ग) इस काम को उनके मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना पर 185.62 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है और इसके द्वारा 90% विश्वसनीय वर्ष में 496 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा।

(ग) विभिन्न निवेशों जैसे "भेल" द्वारा उत्पादन यूनिटों की सप्लाई तथा परियोजना के वित्त-पोषण आदि की व्यवस्था कर ली गई है। परियोजना के निर्माण कार्यों की राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित मानीटरिंग की जा रही है।

दिल्ली-बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 का सुधार

1944. **श्री हरीश रावत** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए पिछले वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली-बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 की हालत बहुत खराब है; और

(ग) यदि हां, तो इस राजमार्ग को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 743.44 लाख रुपए।

(ख) और (ग) जी, नहीं। दिल्ली-बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 को यातायात के लायक रखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव

1945. **श्री हरीश रावत** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए और उनके रख-रखाव का कार्य उनके मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उन राजमार्गों के नाम क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सिफारिश की थी :—

क्रम सं०	सड़क का नाम	उत्तर प्रदेश में लंबाई
1.	पिलीभीत-हरिद्वार-पौंटा-नाहन-अम्बाला	360 कि०मी०
2.	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार	190 ,,
3.	ग्वालियर-झांसी-खजुराहो-रेवा	134 ,,
4.	गोरखपुर-नौतनवा	84 ,,
5.	रायपुर-वाराणसी	164 ,,
6.	बरेली-अमीनगांव (लेटेरलरोड)	505 ,,
7.	गाजीपुर-बलिया-छपरा-हाजीपुर	50 ,,
8.	गाजियाबाद से कानपुर तक (अलीगढ़ होकर) जी० टी० रोड	406 ,,

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं का विस्तार

[अनुवाद]

1946. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं का विस्तार करने का है जिससे कि वर्ष 1990 तक 60 प्रतिशत बाल संख्या को इन सेवाओं के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई० सी० डी० एस०) का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने का निर्णय किया है। यह बताना सम्भव नहीं है कि 1990 तक ठीक-ठीक कितनी बाल संख्या को उक्त सेवा योजना के अन्तर्गत लाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के विस्तार के अन्तर्गत शहरी गंदी बस्तियों को और ऐसे

क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां मुख्यत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं।

गर्मियों में बड़ी संख्या में वाराणसी जाने वाले यात्रियों के लिए दूसरी श्रेणी के यात्री डिब्बों का प्रबन्ध

1947. **श्री राजकुमार राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली-वाराणसी, बम्बई-वाराणसी, हावड़ा-वाराणसी और मद्रास-वाराणसी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलगाड़ियों में दूसरी श्रेणी के डिब्बे अपर्याप्त संख्या में होने के कारण होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का गर्मियों में उक्त स्थानों को बड़ी संख्या में जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रबन्ध हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) दिल्ली तथा वाराणसी के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए 5 जोड़ी गाड़ियां, वाराणसी तथा बंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 2 जोड़ी गाड़ियां, वाराणसी तथा हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 8 जोड़ी गाड़ियां तथा वाराणसी और मद्रास के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं। इन गाड़ियों में दूसरे दर्जे के डिब्बे पर्याप्त संख्या में लगाये जाते हैं। आगामी गर्मी के मौसम में वाराणसी तथा बम्बई वी० टी० के बीच 20 जोड़ी गाड़ियां, वाराणसी को सेवित करते हुए देहरादून तथा हावड़ा के बीच 9 जोड़ी गाड़ियां चलाने की योजना है, बशर्ते कि यात्री यातायात पर्याप्त हो। दिल्ली तक/से यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए मौजूदा गाड़ी सेवाओं में यथा व्यावहारिक सीमा तक वृद्धि कर दी जाएगी बशर्ते कि यातायात उपलब्ध हो।

जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन

1948. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में, जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस रेल लाइन के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) इस सम्बन्ध में समग्र प्रगति लगभग 4.5 प्रतिशत हुई है। जम्मू तवी और बजाल्टा के बीच 11.05 कि० मी० लम्बे पहले ब्लाक खंड में भूमि के अधिग्रहण और पुलों तथा सुरंगों के निर्माण/संरचना का कार्य प्रगति पर है।

(ख) परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पूर्व रेलवे के राणाघाट-गेडे सेक्शन का आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण

1949. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे का राणाघाट-गेडे सेक्शन पूर्वी क्षेत्र में सबसे पुरानी रेलवे में से एक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आज तक यह सबसे अधिक उपेक्षित सेक्शनों में से एक है तथा इसके तत्काल आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

1950. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का है जिससे कि उन व्यक्तियों का न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध तथा सुलभ कराया जा सके जिसकी उनको अत्यन्त आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए कोई निश्चित उद्देश्य और नीति तैयार की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का कार्यक्रम क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन प्रस्तावों को संसाधनों के अन्तर्गत तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि की प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

नर्मदा घाटी परियोजना

[हिन्दी]

1951. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी परियोजना पर अब तक शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी धन राशि खर्च होने की संभावना है;

(ख) क्या नर्मदा घाटी परियोजना का पूरा खर्च विश्व बैंक की ऋण सहायता से पूरा किया जाएगा; और

(ग) सरकार के अपने संसाधनों से लेकर कितना धन खर्च किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गुजरात में नर्मदा नदी पर अन्तर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना पर परियोजना के 4240 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के मुकाबले फरवरी, 1985 के अन्त तक 255.57 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(ख) नदी तल विद्युत गृह पर बांध तथा सिविल कार्यों के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर तथा परियोजना के नहर कार्यों के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान करने के वास्ते विश्व बैंक सहमत हो गया है।

(ग) सम्पूर्ण व्यय लाभार्थी राज्यों द्वारा प्रदान की गई निधियों से वहन किया जाना अपेक्षित है। तथापि, राज्य अपने योजनागत संसाधनों के अतिरिक्त केन्द्र को विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली राशि का 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रुप में प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त राशि में प्रत्येक राज्य का हिस्सा उनके व्यय के हिस्से पर निर्भर करेगा।

अवैध गर्भपात के कारण होने वाली महिलाओं की मृत्यु की रोकथाम के उपाय

[अनुवाद]

1952. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अवैध गर्भपात के कारण भारी संख्या में महिलाओं की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान, राज्यवार ऐसी कितनी मौतें हुई थी; और

(ग) ऐसी मौतों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश में अवैध रूप से किए जा रहे गर्भपातों या उनके कारण होने वाली मौतों की संख्या के निश्चित अनुमान नहीं हैं। चूंकि गर्भपात गुप्त रूप से तथा चोरी छिपे कराये जाते हैं इसलिए ऐसी घटनाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सीय गर्भ समापन (एम०पी०टी०) अधिनियम, 171 पारित किया गया था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ मामलों में चिकित्सीय गर्भ समापन सम्बन्धी उपबन्ध को उदार बनाया गया है। सारे देश में ये सेवाएं उपलब्ध करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाये हैं जैसे सुविधायें बढ़ाना तथा प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करना। राज्यों से मिली सूचना के अनुसार पिछले वर्ष (1983-84) चिकित्सीय गर्भ समापन विधि से 4.35 लाख (अनन्तिम) गर्भ समाप्त किए गए।

"स्टैप्स अर्जेंड टु रिड्यूस रेडियोलोजिस्ट्स रिस्कस' शीर्षक समाचार

1953. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "स्टैप्स अर्जेंड टु रिड्यूस रेडियोलोजिस्ट्स रिस्क्स' शीर्षक से 10 मार्च, 1985 के "डैकन हेराल्ड" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार कार्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से विकिरण चिकित्सकों की सुरक्षा करने के लिए उपयुक्त उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली, भाभा अणु अनुसंधान संस्थान, बम्बई के साथ मिलकर रेडियोग्राफरों को आयोनाइजिंग रेडियेशन के चिकित्सीय प्रयोगों के सुरक्षा पहलुओं और उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों की पूरी जानकारी देने हेतु, पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र का रेडियोलोजिकल प्रोटेक्शन प्रभाग भी रेडियेशन के लिए रेडियोग्राफरों की व्यक्तिगत मानिटरिंग करता है। सशस्त्र सेना में रेडियेशन उपकरणों पर काम करने वाले स्टाफ मानिटरिंग के लिए इंस्टीच्यूट आफ न्यूक्लीयर मेडिसिन एण्ड एलाइड साइंसेस में इस प्रकार मैकेनिज्म विद्यमान हैं।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

1954. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय सहायता प्राप्त कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी योजनाओं पर उड़ीसा में क्रियान्वयन हो रहा है; और

(ग) छठी योजना के दौरान उन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी राशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) उड़ीसा सहित सभी राज्यों के संबंध में छठी योजना के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत राशि तथा योजनाओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 793/85**]

उड़ीसा में छठी योजना के दौरान शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं की संख्या

1955. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छठी योजना अवधि के दौरान कितनी विद्युत परियोजनाएं शुरू की गयीं;

(ख) उनमें से उन परियोजनाओं के काम क्या हैं जो अब तक पूरी हो गई हैं;

(ग) उपरोक्त योजनाओं में से प्रत्येक के लिए उक्त योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में कुल 560 मेगा० की तीन विद्युत परियोजनायें चालू की जानी थी। इनमें से एक परियोजना नामत: 220 मेगा० क्षमता की तलचेर ताप विद्युत विस्तार स्कीम चालू की गई है। अन्य परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई राशि तथा उनके पूरा होने में हुई प्रगति अगले पृष्ठ पर दी गई है :—

स्कीम का नाम	छठी योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपयों में)	प्रगति
रेंगाली जल विद्युत परियोजना (2×50 मेगा०)	5300	उमड़ मार्ग के कपाट उत्थापित किए जा रहे हैं, जल कपाटों तथा स्टॉप लॉग्स के अन्त: स्थापित भागों पर कंक्रीट कार्य चल रहा है। परियोजना 1985-86 में पूरी हो जाने की आशा है।
अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना (3×80 मेगा०)	9700	मुख्य बांध तथा जल कपाटों के उत्थापन का कार्य चल रहा है। यूनिट-एक का स्पाइरल केसिंग उत्थापित कर दिया गया है। टेल रेस चैनल का खुदाई कार्य पूरा हो गया है। परियोजना 1987-88 में पूरी हो जाने की आशा है।

विकलांग सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा को बहाल करना

1956. **श्री मोहम्मद अली खां** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग सरकारी कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें विशेष सवारी भत्ता दिया जा रहा है उनके लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों से मुफ्त यात्रा की सुविधा वापस ले ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष होने के कारण सरकार का विचार विकलांगों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने की अपनी नीति तथा इस रियायत के लाभ की अपेक्षा सुविधा अधिक होने को ध्यान में रखते हुए विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा फिर से बहाल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) विकलांग सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें विशेष भत्ता भी मिल रहा है, दिल्ली परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा के बारे में यह समझा गया कि इससे वर्ग विशेष को दुहरा लाभ मिल रहा है, अत: यह सुविधा 16.10.1984 से वापस ले ली गई थी।

तथापि बाद में इस मामले पर पुनर्विचार किया गया और 16.2.85 से सभी विकलांग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा फिर से बहाल कर दी, जो उन्हें सरकार से मिलने वाले सवारी भत्ते के अतिरिक्त है।

कुष्ठ केन्द्रों के माध्यम से कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और उड़ीसा में कुष्ठ रोग नियंत्रण के उपाय

1957. **श्री राधाकांत त्रिपाठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुष्ठ रोग केन्द्रों के माध्यम से कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस समय कितने कुष्ठ रोग केन्द्र हैं; और

(ग) उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, उड़ीसा शाखा के सहयोग से उड़ीसा में (i) हातीबारी (ii) कटक और (iii) पुरी स्थित 3 पुनर्वास एकक कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, ओलटपुर-बाडुरोई, कटक में एन० आई० पी० ओ० टी० के जरिए एक कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन एकक की स्थापना करने के लिए उड़ीसा सरकार को धनराशि दे दी गयी है।

खुर्दा रोड-पुलबनी-बोलनगिर रेल लाइन का सर्वेक्षण

1958. **श्री राधाकांत त्रिपाठी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खुर्दा रोड-पुलबनी-बोलनगिर रेल लाइन का निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) सर्वेक्षण को पूरा करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) 1984-85 और 1985-86 के दौरान सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित की और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) खुर्दा रोड-पुलबनी-बोलनगिर रेल लाइन का सर्वेक्षण-कार्य राइट्स को सौंपा गया है जो इसके विभिन्न विकल्पों का अध्ययन कर रही है।

(ग) इस सर्वेक्षण कार्य के लिए 1984-85 और 1985-86 के दौरान क्रमशः 15 लाख रुपए तथा 17.02 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गयी है।

फारबिसा गंज और हाजीपुर के बीच सहरसा और मांसी एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाया जाना

[हिन्दी]

1959. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मीटर-गेज लाइन फारबिसागंज से हाजीपुर (बिहार) तक बरास्ता सहरसा और मांसी पर एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाये जाने के लिए कोई अनुरोध मिले हैं ताकि यात्री इस रेलगाड़ी से पटना पहुंच सकें और वहां से दिल्ली अथवा दूर के अन्य किसी स्थान के लिए दूसरी रेलगाड़ी पकड़ सकें क्योंकि इस समय यात्रियों को फारबिसागंज से हाजीपुर (बिहार) तक पहुंचने के लिए दो अथवा अधिक रेलगाड़ियां पकड़नी पड़ती हैं जिसके कारण यात्रियों को अधिक समय खर्च करना पड़ता है और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बरौनी-खगड़िया खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन हो जाने के कारण फारबिसगंज और हाजीपुर के बीच मीटर लाइन मार्ग घुमावदार हो गया है। अतः फारबिसगंज और हाजीपुर के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलाना वांछनीय नहीं है।

फारबिसागंज से हाजीपुर (पटना) तक यात्रा करने वाले इच्छुक व्यक्ति कटिहार के रास्ते 111/112, 113/114, 35/36 और 37/38 जोगबनी-कटिहार पैसेंजर गाड़ियों द्वारा पटना के लिए 45/46 कैपिटल एक्सप्रेस द्वारा, पटना और दिल्ली के लिए असम मेल द्वारा, हाजीपुर और नयी दिल्ली के लिए 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस द्वारा और हाजीपुर/इलाहाबाद के लिए 15/16 मीटर लाइन गाड़ियों द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

सागर स्टेशन के निकट कल्पना भवन के सामने रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण

1960. **श्री नन्द लाड़ चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के अन्तर्गत सागर स्टेशन के निकट कल्पना भवन के सामने लेवल क्रासिंग पर एक ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस ओवर ब्रिज के निर्माण में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) रेलें राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकारियों के साथ लागत की भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किए जाने होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से कल्पना भवन के निकट मौजूदा समपार सं० 23 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीना स्टेशन के नजदीक झांसी-गेट लेवल क्रासिंग पर ब्रिज का निर्माण

1961. श्री नन्द लाल चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे के अन्तर्गत बीना स्टेशन के पास "झांसी गेट" लेवल क्रासिंग पर एक ओवर ब्रिज बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह ओवरब्रिज कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सागर-करेली-नरसिंहपुर बड़ी रेल लाइन

1962. श्री नंद लाल चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सागर-करेली-नरसिंह बड़ी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब तक किया जाएगा; और

(घ) क्या इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। संसाधनों की तंगी के कारण, फिलहाल सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

अजमेर और आगरा के बीच अधिक गाड़ियां चलाना

1963. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय अजमेर और आगरा के बीच एक गाड़ी चलती है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन के मुद्दे और यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार अजमेर और आगरा के बीच गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सवारी डिब्बों, डीजल रेल इंजनों के रूप में संसाधनों तथा कुछ मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता और टर्मिनलों पर अनुरक्षण सुविधाओं की कमी के कारण, अजमेर और आगरा के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने में विचार करना व्यावहारिक नहीं है।

बीसलपुर सिंचाई बांध

1964. **श्री विष्णु मोदी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने बीसलपुर सिंचाई बांध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बांध को कितने चरणों में पूरा करने का विचार है;

(ग) सरकार ने अब तक इसके कितने चरण पूरे कर लिए हैं और निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस बांध के निर्माण से इस क्षेत्र के कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है।

(ख) परियोजना दस्तावेज में, राजस्थान सरकार ने इस परियोजना को उसके आरम्भ होने से 6 वर्ष की अवधि में पूरा करने का प्रस्ताव रखा है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा परियोजना कार्य अभी आरम्भ किए जाने हैं।

(घ) परियोजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या परियोजना रिपोर्ट में नहीं दी गई है। तथापि, इस परियोजना में टोंक जिले में प्रतिवर्ष 60,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने तथा अजमेर और अन्य शहरों को पीने का पानी सप्लाई करने की परिकल्पना है।

(ङ) इस परियोजना पर 92 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा राज्य ने अपने योजना दस्तावेज के प्रारूप में सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 35 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

माल के लदान के लिए डिब्बों की कमी

1965. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के उद्योगपतियों और व्यापारियों को अपने माल के लदान के लिए माल डिब्बों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी कमी को पूरा करने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 4539 माल डिब्बों के लदान की तुलना में अक्तूबर 84 से 26 मार्च,85 तक की अवधि के दौरान कुल 4703 माल डिब्बों का लदान हुआ था। 26 मार्च, 85 को पंजीकरण की सबसे पुरानी तारीखें 19.3.80 को 389 माल डिब्बों के मांग-पत्र बकाया होने की सूचना मिली है जिसमें बताया गया है कि इस यातायात की अधिकतर निकासी इसी समय की जा रही है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

मंडलीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति के बारे में राजस्थान व्यापार उद्योग मंडल से अभ्यावेदन

1966. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान व्यापार उद्योग मंडल से मंडलीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व देने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी हां।

राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, जयपुर को, जयपुर और कोटा मंडलों की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

दिल्ली और बम्बई के बीच बरास्ता कोटा बिना आरक्षण वाली एक गाड़ी आरम्भ करना

1967. श्री शांति धारीवाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और बम्बई के बीच बरास्ता कोटा एक ऐसी गाड़ी चलाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें आरक्षण की आवश्यकता न हो;

(ख) यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) कोटा के रास्ते बम्बई और दिल्ली के बीच एक गाड़ी चलाने की व्यावहारिकता की जांच की गयी है, लेकिन सवारी डिब्बों, रेल इंजनों और अतिरिक्त लाइन क्षमता जैसे संसाधनों की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

राजघाट बांध सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवाद

[अनुवाद]

1968. श्री महेन्द्र सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच राजघाट परियोजना के कुछ अन्तर्राज्यीय मुद्दे अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या भारत सरकार को इन मुद्दों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इन मुद्दों को निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त परियोजना का कार्य धीमा पड़ गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त सहायता अथवा ऋण देने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राजघाट बांध परियोजना के नहर मुख्य नियामक के अभिकल्प तथा उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई मध्य प्रदेश की दतिया-वाहक नहर के संरेखण के संबंध में भी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच कुछ मतभेद हैं। बेतवा बफर बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की 7.2.1985 को हुई बैठक में, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, मुख्य नियामकों की अभिकल्प क्षमता के बारे में सहमति मोटे तौर पर हो गई और सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तथा दोनों राज्यों के प्रमुख इंजीनियरों की गठित समिति के द्वारा अन्य सम्बद्ध पहलुओं को तय कर लेने पर सहमति हो गई है।

दतिया वाहक नहर के संरेखण के संबंध में, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने सम्बद्ध पहलुओं को सुलझाने के लिए अक्टूबर, 1984 में दो राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। राज्यों द्वारा मामले पर और आगे विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) राजघाट बांध की प्रगति राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों के कारण कार्यक्रम के अनुसार नहीं है। योजना आयोग को इस परियोजना के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं में निधियों के निर्धारण पर विचार करने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा चम्बल नहर के पानी के उपयोग का अनुपात

1969. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान ने 1980-81 से 1982-83 तक प्रति वर्ष चम्बल नहर के पानी का उपयोग किस अनुपात में किया है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को पानी का पर्याप्त भाग नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान अंतर्राज्जीय नियंत्रण बोर्ड के निर्णय के अनुसार पानी के विनियम के लिए क्षेत्रीय एजेन्सी अभी तक गठित नहीं की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसके यथाशीघ्र गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) मध्य प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनु-

सार मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में चम्बल नहर प्रणाली से निम्न प्रकार से जल का उपयोग किया है :--

वर्ष	जल का उपयोग (मिलियन एकड़ फुट में) राजस्थान	मध्य प्रदेश
1980-81	1.465	1.30
1981-82	1.197	1.168
1982-83	0.945	0.856

(ख) मध्य प्रदेश ने शिकायत की है कि पार्वती कृत्रिम जल प्रणाल पर सांझी दायी तट नहर से जहां से नहर राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करती है राजस्थान से रबी फसल की अत्यधिक मांग की अवधि के दौरान वह अपने जल का पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं कर रहा है।

(ग) मध्य प्रदेश के अनुसार, कम सप्लाई का कारण, राजस्थान नहर के ऊपरी भागों से अधिक जल प्राप्त करना है। राजस्थान का दावा है कि मध्य प्रदेश गांधी सागर बांध के प्रति प्रवाह से जल निकाल रहा है जिससे जलाशय के अन्त:प्रवाहों में कमी आ रही है।

(घ) जल नियमन के लिए प्रस्तावित फील्ड एजेंसी को अभी स्थापित नहीं किया गया है।

(ङ) जनवरी, 1984 में सचिव, सिंचाई विभाग द्वारा आयोजित की गई बैठक में दोनों राज्यों के सिंचाई विभागों के सचिवों ने बताया था कि वे इन मामलों को द्विपक्षीय विचार-विमर्श से हल कर लेंगे। प्रस्तावित एजेंसी के ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के लिए दोनों राज्य पारस्परिक विचार-विनिमय कर रहे हैं।

बाण सागर परियोजना

1970. श्री महेन्द्र सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी भूमि बाण सागर परियोजना के अन्तर्गत जलमग्न होने वाली है और क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य उसकी पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ख) इस प्रकार के मामलों में अधिकतर क्या प्रक्रिया अथवा नीति अपनाई जाती है तथा इस संबन्ध में भारत सरकार का यदि कोई विशिष्ट दृष्टिकोण है तो क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार की 14777 हेक्टेयर की राजस्व वाली भूमि तथा 4478 हेक्टेयर की वन भूमि के बाण सागर जलाशय

के अन्तर्गत जलमग्न होने की संभावना है। अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के जलाशयों के अन्तर्गत जल-मग्न होने वाली सरकारी भूमि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धी मामले पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड विचार कर रहा है।

नेराल और माथेरान के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों की बारम्बारता और गति का बढ़ाया जाना

1971. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में नेराल और माथेरान के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की बारम्बारता यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उनकी ट्रिप/बारम्बारता बढ़ाये जाने के लिए बहुत समय से मांग की जा रही है;

(ख) क्या इन रेल गाड़ियों की गति बहुत कम है और बेहतर इंजनों का प्रबन्ध कर के गति बढ़ाने के बारे में भी मांग की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) ये गाड़ियां पर्वतीय घाट खंड पर पहले से ही अनुमेय रफ्तार से चल रही हैं।

(ग) इन गाड़ियों के न तो फेरे बढ़ाने और न ही रफ्तार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त साधन-सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी।

मानखुर्द से पुणे तक नई रेल लाइन बिछाना

1972. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों और सामान के यातायात में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बम्बई में मानखुर्द से पुणे तक, बरास्ता करजाट, नई रेल लाइन बिछाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर इस समय किस स्तर पर विचार हो रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, एक महानगर परिवहन परियोजना के रूप में मानखुर्द से बेलापुर तक लाइन का निर्माण किया जा रहा है।

छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि

1973. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस वर्षों में मूल्यों में वृद्धि के बावजूद शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में कोई अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) क्या सरकार का छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान छात्रवृत्तियों की दर में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है।

(ख) और (ग) छात्रवृत्तियों की दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यकता हो तो राशि बढ़ाई जाती है। इस समय निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत राशि बढ़ाने के प्रस्ताव हैं :

(i) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति की योजना।

(iii) हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की सहायता-अनुदान योजना।

(iv) विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना।

(v) बंगला देश के राष्ट्रिकों के लिए छात्र वृत्ति योजना (विदेश मन्त्रालय द्वारा वित्त-पोषित)।

केन्द्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में से योग विषय को निकालना

[हिन्दी]

1974. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम से योग विषय को निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में योग की शिक्षा के लिए कितने अध्यापक कार्यरत हैं;

(घ) क्या सरकार योग के उन अध्यापकों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करायेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों में योग की शिक्षा बहुत लोकप्रिय और सफल हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(च) केन्द्रीय विद्यालयों में वर्ष 1981-82 में योग शिक्षा प्रायोगिक आधार पर आरम्भ की गई थी। इस योजना की उपयोगिता को निर्धारित करने तथा भविष्य में इसको जारी रखने के संबंध में निर्णय करने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

खड़गपुर में रेलवे विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारी

[अनुवाद]

1975. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी माध्यम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को छोड़कर खड़गपुर स्थित रेलवे विद्यालयों में अध्ययन पाठ्यक्रम अध्यापकों की अर्हताएं तथा विषय-वार शिक्षक कर्मचारियों की संख्या राज्य शिक्षा निदेशालय के निदेशों के अनुरूप हैं;

(ख) क्या खड़गपुर स्थित रेलवे विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या में भर्ती के लिए राज्य शिक्षा निदेशालय के सातवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों के पुराने मानदण्डों का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या इन रेलवे विद्यालयों में नियमों के अन्तर्गत शिक्षकों की अपेक्षित संख्या आवश्यकता से कम है;

(घ) क्या खड़गपुर स्थित रेलवे विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं को जीव विज्ञान तथा भूगोल पढ़ाने के लिए कोई अर्हता प्राप्त शिक्षक नहीं है तथा/अथवा अर्हता प्राप्त शिक्षक अपेक्षित संख्या से बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो अर्हता प्राप्त शिक्षकों की अपेक्षित भर्ती के लिए क्षेत्रीय रेलवे प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खड़गपुर रेलवे डिवीजन में सोनाकानिया में रेल फाटक का निर्माण

1976. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों को इस तथ्य की जानकारी है कि खड़गपुर रेलवे डिवीजन में सोनाकानिया में हावड़ा मद्रास रेल लाइन के फाटक पर से भारी यातायात गुजरता है;

(ख) क्या रेलवे अधिकारी इस क्रासिंग पर फाटक बनाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) रेलवे राज्य सरकार के अनुरोध पर निक्षेप शर्तों पर खड़गपुर-भद्रक खंड में कि० मी० 175/4-5 पर सोनकानिया के निकट चौकीदार युक्त एक समपार की व्यवस्था कर रही है। समपार की व्यवस्था करने से सम्बन्धित काम पहले ही पूरा हो चुका है। प्रचलित नियमों के अनुसार, आवर्ती प्रभारों की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है ताकि रेलवे नये समपार को चालू कर सके।

खड़गपुर रेलवे नगर की सड़कों की खराब हालत

1977. श्री नारायण चौबे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को खड़गपुर रेलवे नगर की सड़कों की खराब हालत के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय ने बरसात के मौसम से पहले ही इन सड़कों की मरम्मत और उनके पुन: निर्माण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे ने खड़गपुर रेलवे कालोनी में सड़क की मरम्मत का कार्य आरम्भ कर दिया है। मरम्मत कार्य चल रहा है और इसको पूरा करने की लक्ष्य तिथि जून, 1985 के अन्त तक रखी गयी है।

हावड़ा-पुल की टूट-फूट

1978. श्री भोला नाथ सेन : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास ने हावड़ा पुल में हुई टूट-फूट का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में हावड़ा पुल की जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास ने इन निष्कर्षों के सन्दर्भ में कदम उठाये हैं और/अथवा उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) हावड़ा पुल के बारे में जो ब्यौरेवार अध्ययन हो रहा है, इसी के एक अंग के रूप में पुल की मौजूदा

संरचना के रेखाचित्र के सम्बन्ध में कुछ सर्वेक्षण ऐसे समय की स्थिति का किया गया जब यहां यातायात लगभग नहीं के बराबर रहता है तथा ऐसी स्थिति का भी किया गया जब यहां का तापमान घटता-बढ़ता रहता है। यह सर्वेक्षण फरवरी 1985 और मार्च 1985 में दो रात्रियों के बीच किया गया। इस सर्वेक्षण का परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चूंकि सर्वेक्षण का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार

1979. **श्री के० प्रधानी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग सहित उड़ीसा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार कार्य में वर्ष 1984-85 के दौरान क्या प्रगति हुई है और वर्ष 1985-86 में क्या कार्य शुरू किया जाएगा; और

(ख) 1985-86 में इस कार्य के लिए वर्ष में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 1984-85 के दौरान उड़ीसा में 25 कार्यों के पूरे होने की सम्भावना है। इसमें से 3 कार्य कोरापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-43 से सम्बद्ध हैं। 1985-86 के दौरान 12.5 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 1.20 करोड़ रु० राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-43 पर के कार्यों के लिए है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा को राष्ट्रीय राजमार्ग-कार्यों के लिये 7 करोड़ रु० आवंटित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

महाराष्ट्र में रेल लाइनों का निर्माण

1980. **श्री आर० एम० भोये** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी रेल लाइनें शुरू की जानी हैं अथवा निर्माणाधीन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में रेल लाइनों के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रस्ताव किये हैं; और

(ग) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और कितनी परियोजनाएं पूरी कर ली गयी हैं और कितनी परियोजनाएं पूरी की जानी हैं और कब तक उनके पूरे किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) महाराष्ट्र में निम्नलिखित नयी लाइनों/आमान परिवर्तन संबंधी काम निर्माणाधीन हैं : —

(1) मनिकगढ़ से चांदूर तक 28.65 किमी० लम्बी नयी बड़ी लाइन 24 मार्च, 1985 को माल यातायात के लिए चालू कर दी गयी थी।

(2) आप्ता रोहा (61 किमी०) नयी बड़ी लाइन का निर्माण एक अनुमोदित कार्य है। आप्ता-पेन (20 किमी०) को पहले ही खोल दिया गया है और पेन-नागोथाना (27 किमी०) के शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है।

(3) पिम्पलकुट्टी-आदिलाबाद

(4) बेलापुर-मानखुर्द (म० प० परियोजना)

(5) मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-परली बैजनाथ आमान परिवर्तन-मनमाड-औरंगाबाद (चरण-1) का आमान परिवर्तन प्रगति पर है।

(6) आदिलाबाद-परभनी का मी० ला० से ब० ला० में आमान परिवर्तन।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने विभिन्न अवसरों पर निम्नलिखित रेल लाइनों का विस्तार कार्य शुरू करने की सिफारिश की है। जहां कहीं सर्वेक्षण प्रगति पर है या पूरा हो चुका है उसे प्रत्येक निर्माण-कार्य के सामने दिखाया गया है :—

(i) पिम्पलकुट्टी-आदिलाबाद-नांदेड-परली-बैजनाथ-लातूर-कुर्डुवाडी-मिरज-कोल्हापुर-रत्नागिरि को मिलाती हुई बड़े आमान की रेल लाइन जिसमें (क) मिरज-कुर्डुवाडी-लातूर रोड और (ख) पिम्पलकुट्टी-आदिलाबाद-नांदेड-परभनी का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।

(ii) बम्बई-अहमदनगर-बीड-परली (कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया)।

(iii) सांगली-मिरज स्टेशनों के बीच पुराने माधवनगर रेलवे स्टेशन की पुनः स्थापना। सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(iv) आदिलाबाद— चंदेरपुर नई बड़ी लाइन धागसतका सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(v) धुले —अमलनेर। सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(vi) बलधरशाह सूरजगंज बरास्ता अष्टी। सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(vii) धारवाह —पूसाड। धारवाह-मोतीबाग का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

[हिन्दी]

1981. श्री आर० एम० भोये : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : छः।

मदाथुकुलम में रामेश्वरम् एक्सप्रेस के स्टापेज की व्यवस्था करना

[अनुवाद]

1982. श्री आर० अन्नानम्बी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर से रामेश्वरम् जाने वाली रामेश्वरम् एक्सप्रेस गाड़ी मदाथुकुलम में रुका करती थी लेकिन अब यह वहां नहीं रुकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मदाथुकुलम एक औद्योगिक क्षेत्र है और यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए सरकार का विचार रामेश्वरम् एक्सप्रेस को मदाथुकुलम में रोकने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, मदाथुकुलम स्टेशन पर होने वाले लम्बी दूरी के यातायात से रामेश्वरम् एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

पलानी (तमिलनाडु) में विश्वविद्यालय की स्थापना

1983. श्री आर० अन्नानम्बी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में श्री धनदयोथपाणि स्वामी देवस्थानम की निधि का उपयोग करके पलानी में वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के नमूने पर कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। न ही तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक नई गर्भ निरोधक दवा "सेंटेहरोमन"

1984. श्री आर० अन्नानम्बी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने खायी जाने वाली गोलियों के विकल्प के रूप में एक सुरक्षित और एक कारगर गर्भ-निरोधक "सेंटेहरोमन" का सफल प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त गर्भ-निरोधक गर्भधारण से सामान्य सुरक्षा प्रदान करता है और इसके सेवन का कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा सीमित क्षेत्रों में सेंटेहरोमन के आरम्भिक परीक्षणों से पता चला है कि यह औषध कारगर है और इसके प्रभाव गौण हैं। ऐसे निष्कर्षों की पुष्टि करने से पहले अधिक नमूनों पर और परीक्षण करने होंगे।

लखनऊ-कानपुर रेल लाइन को दुहरा किया जाना

[हिन्दी]

1985. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ और कानपुर के बीच दोहरा रेल मार्ग न होने के कारण रेलगाड़ियों के आवागमन में भारी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से चालू योजना अवधि के दौरान लखनऊ और कानपुर के बीच रेल लाइन को दोहरा करने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) लखनऊ तथा कानपुर दो रेल लाइनों-एक बड़ी लाइन तथा एक मीटर लाइन से जुड़े हैं। बड़ी लाइन का अधिक गहन उपयोग होता है इसे कानपुर तथा उन्नाव के बीच जहां गाड़ी सेवाओं का घनत्व बहुत अधिक है, दोहरी लाइन बिछा दी गई है। उन्नाव तथा लखनऊ के बीच के इकहरी लाइन वाले भाग पर विस्तार की कम गुंजाइश है।

लखनऊ तथा कानपुर के बीच मीटर लाइन मार्ग पर कुछ अतिरिक्त क्षमता है।

(ख) से (घ) लखनऊ—कानपुर सेंट्रल खंड पर बड़ी लाइन को दोहरी बनाने के लिए एक प्राथमिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है। बहरहाल, वित्तीय कठिनाइयों तथा पहले से की गई भारी वचन बद्धताओं को देखते हुए अभी तक इस लाइन को दोहरी करने का कार्य शुरू करना सम्भव नहीं हुआ है। वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर इस परियोजना को शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

भीड़-भाड़ कम करने के लिए अधिक गाड़ियां चलाना

[अनुवाद]

1986. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावाणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने के बावजूद, गाड़ियों में भीड़-भाड़ दिनों-दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या गाड़ियों में भीड़-भाड़ होने तथा सीटें उपलब्ध न होने से यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) गाड़ियों की संख्या को बढ़ाने और गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) उपलब्ध स्थान की अपेक्षा मांग अधिक होने के कारण यात्री गाड़ियों में अधिक भीड़ होती है। यह सामान्यत: कुछ लोक प्रिय गाड़ियों तक सीमित है।

(ग) समय-समय पर नई चलाई गई अनेक गाड़ियों के बावजूद मांग की पूर्णरूप से पूर्ति करना संसाधनों की कमी के कारण संभव नहीं हो सका है।

मांस और अण्डों में कीट नाशकों के सीमा से अधिक अवशेष

1987. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने मांस और अण्डों में कीटनाशकों की अधिक मात्रा होने का पता लगाया है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/ किए जाने का विचार है;

(ख) क्या कीटनाशक अवशेषों की इस समय पायी गई मात्रा देश में अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा पहले पता लगाए गए अनुपात से अधिक है; और

(ग) देश में विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाई गई कीटनाशों की मात्रा की स्थिति अन्य विकासशील और उन्नत देशों में पायी जाने वाली मात्रा की तुलना में क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता द्वारा किये गए अध्ययन, जो सन् 1980 में प्रकाशित हुआ था, के अनुसार पशु उत्पादों (दूध, मांस, मछली और अण्डे) के 40 नमूनों में से केवल एक नमूना ऐसा था जिसकी टालरैंस लिमिट खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अधीन निर्धारित टालरैंस लिमिट

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लिमिट से अधिक थी। इस अध्ययन से यह पता चला कि कीटनाशों के बारे में इस प्रयोगशाला द्वारा जो डिटेक्शन अपनाया गया, वह देश की अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा अपनाये गए डिटेक्शन रेट की तुलना में बहुत कम था।

राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे कीटनाशकों की जांच के लिए खाद्य पदार्थों के बार-बार नमूने लें और उन पर कारगर नियंत्रण रखें। कृषि मंत्रालय को भी सलाह दी गई है कि वे किसानों और खेतीहरों को कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित तरीकों से इस्तेमाल करने के लिए कहें।

भण्डारण के दौरान खाद्यानों में कीटनाशी अवशेषों के स्तर की मानीटरिंग करने के लिए खाद्य और सिविल आपूर्ति मंत्रालय ने भी आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत खाद्यानों/पीसे गए खाद्यानों के लिए कीटनाशी अवशेषों की निर्धारित लिमिट खाद्य और कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा संस्तुत लिमिट से आधी है।

माल बुक करने वाली एजेंसियों को लाइसेंस देना

1988. **श्री मोला नाथ सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी वाहनों द्वारा लाए ले जाने वाले माल को इकट्ठा करने, उसे भेजने और उनकी सुपुर्दगी में लगी माल बुक कराने वाली एजेंसियों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में पांडे समिति के नाम से जानी जाने वाली राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों को लागू करने और भाड़ा-दरों में उनके कमीशन/लाभ की अधिकतम दरें निर्धारित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का सभी राज्यों में सिफारिशें लागू करवाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की यह सिफारिश कि माल बुक करने वाली एजेंसियों का लाइसेंसीकरण शीघ्र किया जाना चाहिए। मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 66 ।। में यह विधान है कि माल बुक करने वाले एजेंटों को अपना कारोबार शुरू करने से पहले सम्बन्धित राज्य प्राधिकरण से लाइसेंस लेना जरूरी है, जो उक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होता

है। केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए नियम बनाने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है और माल बुक करने वाले एजेंटों के लिए कमीशन की अधिकतम दर निश्चित करने के बारे में उन्हें सामान्य मार्ग संकेत भी भेजे हैं। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश भी तत्काल कार्रवाई करने के लिए उनके ध्यान में लाई गई है।

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का ध्यान समय-समय पर आकृष्ट किया जाता है।

आदिवासी क्षेत्रों में हायर सेकण्डरी स्तर पर तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा

[हिन्दी]

1989. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में हायर सेकण्डरी स्तर पर कृषि, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा के लिए प्रबन्ध किए गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा इस प्रकार की शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की केन्द्र स्तर पर पुनरीक्षा की गई है;

(ग) क्या यह पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन पाठ्यक्रमों को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) + 2 स्तर पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल राज्यों और अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। जनजाति क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं हैं और यह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने आंध्र प्रदेश, गुजरात कर्नाटक, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, राज्यों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया है। अध्ययन से यह मालूम हुआ है कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने कुल मिलाकर व्यावसायिक सर्वेक्षण करने से पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू कर दिए हैं। फिर भी बाद में व्यावसायिक सर्वेक्षण आयोजित किए गये थे अक्सर जिन पाठ्यक्रमों को पहले लागू किया गया था उन्हें युक्ति युक्त बना दिया गया।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने 33 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दक्षताओं पर आधारित पाठ्यचर्या का एक सैट तैयार किया है। परिषद व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षिक सामग्रियों के विकास में राज्यों की सहायता भी कर रही है।

प्राइमरी और सेकण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों के वेतनमान

1990. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सरकारी प्राइमरी और सेकण्डरी स्तर के विद्यालयों के अध्यापकों के वर्तमान वेतनमान क्या हैं;

(ख) क्या यह वेतनमान संतोषजनक हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सारे देश में एक समान वेतनमान आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों से वेतनमानों की पुनरीक्षा करने को कहने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) देश में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान 1. 1. 1983 की यथा स्थिति के अनुसार सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

[**ग्रंथालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी० 794/85**]

(ख) प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों पर स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करना मोटे तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी है और अधिकांशतः इसका प्रबन्ध भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर अध्यापकों के वेतनमानों को अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों में प्रचलित वेतन— संरचना और प्रत्येक राज्य सरकार को वित्तीय क्षमता पर विचार विमर्श करने के बाद निर्धारित किया जाता है। अतः क्या प्रचलित वेतनमान संतोषजनक हैं इससे सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है।

(ग) सारे देश में समान वेतनमान लागू करने के लिए वेतनमानों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

चिकित्सा शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों में संशोधन

[**अनुवाद**]

1991. **श्री के० प्रधानी**
श्री सनत कुमार मण्डल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने सरकार से चिकित्सा शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों में अधिक शक्तियां देने के लिए इनमें संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो चिकित्सा शिक्षा का स्तर गिरने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने, जो कि देश में चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, चिकित्सा शिक्षा के स्तर को लागू करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में कुछेक संशोधन सुझाए हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

"माइक्रोहाइडल" और "बायोमास" पर आधारित परियोजनाएं

1992. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना अवधि में निजी क्षेत्र को माइक्रोहाइडल और बायोमास पर आधारित योजनाएं आरम्भ करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यदि ऐसे कोई प्रस्ताव होते हैं तो उन पर सरकार वर्तमान नीति के अनुसार गुण-अवगुण के आधार पर विचार करती है।

राजस्थान के लिए लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र

1993. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के बारमेड़ जिले के कपुराड़ी गांव में मैसर्ज मिनरल कारपोरेशन लिमिटेड और भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक लिग्नाइट भण्डारों की कितनी अनुमानित मात्रा का पता लगाया गया है;

(ग) क्या कथित लिग्नाइट का उपयोग करते हुए लिग्नाइट पर आधारित ताप संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक व्यवहारिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी को भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) अन्वेषण सम्बन्धी एक अन्तरिम भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार लिग्नाइट का भण्डार 62.94 मीटरिक टन होने का अनुमान है। क्षेत्र में भंडारों को सुनिश्चित करने का कार्य चल रहा है। लिग्नाइट के इन भंडारों का विद्युत के उत्पादन (500 मेगा०) के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में संभाव्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा विद्युत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

मलीहाबाद स्टेशन पर मेल रेलगाड़ियों का रुकना

1994. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली/लखनऊ मुख्य रेल मार्ग पर मलीहाबाद स्टेशन पर कोई मेल रेलगाड़ी नहीं रुकती जिसके कारण इस क्षेत्र के यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखकर सरकार का विचार इस स्टेशन पर रेलगाड़ियों को रोकने का है;

(ग) यदि हां; तो कब से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्राप्त होने वाले यातायात से मसीहाबाद स्टेशन पर अतिरिक्त मेल/एक्स-प्रेस गाड़ियों के ठहराने की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता।

83 अप रेलगाड़ी में उन्नाव के लिए प्रथम श्रेणी का कोटा उपलब्ध कराना

1995. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 83 अप रेलगाड़ी में उन्नाव के लिए प्रथम श्रेणी का कोई कोटा नहीं है; जिसके कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार 83-अप रेल गाड़ियों में उन्नाव के लिए प्रथम श्रेणी का कोटा आरक्षित करने का है;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 15.5. 1985 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर 83 अप गाड़ी से उन्नाव स्टेशन में पहले दर्जे की 2 शायिकाओं के कोटे की व्यवस्था की जा रही है।

नौकरियों को डिग्रियों से अलग किया जाना

1996. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नौकरियों को डिग्रियों से अलग किया जाना" शब्दों का अर्थ क्या है;

(ख) क्या इसका अर्थ यह है कि केवल स्कूली शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और संसद् सेवाओं सहित प्रथम श्रेणी की नौकरियों के लिए प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है;

(ग) क्या इन प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी तदनुसार परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस योजना के सम्पूर्ण कार्यान्वयन के लिए, कितनी समय अवधि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नौकरियों से डिग्रियों को अलग करने की विचारधारा में यह बात लागू होती है कि उन नौकरियों जिनके कार्यात्मक स्वरूप में इन डिग्रियों का होना अपेक्षित है, को छोड़कर अन्य नौकरियों के लिए पात्रता की एक शर्त के रूप में विश्वविद्यालय डिग्रियों का होना निर्धारित नहीं किया जाएगा।

(ख) से (घ) नौकरियों और सेवाओं का पता लगाना और इस प्रकार की नौकरियों और सेवाओं के लिए अपेक्षित ज्ञान और निपुणताओं के प्रमाणीकरण के लिए एक विकल्पतंत्र के विकास सहित इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के ब्यौरे और योजना के कार्यान्वयन के लिए समय ढांचे को अभी तैयार किया जाना है।

आनन्द में "क्लूजा" वनस्पति तिलहन परियोजना का विस्तार

1997. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "क्लूजा" वनस्पति तिलहन परियोजना के और विस्तार के संबंध में उच्च अधिकारी (भूतपूर्व पी० एल० 480 परियोजना अधिकारी) ने हाल में आनन्द की यात्रा की थी। (11-24 फरवरी, 1985 का बिजनैस इंडिया) और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "आप्रेशन फ्लड" परियोजना के नमूने पर वर्ष 1979 में शुरू की गई "क्लूजा", तिलहन परियोजना उत्पादकता में सुधार लाने में असफल रही है;

(ग) क्या मूल परियोजना प्रस्ताव के अनुसार यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में शुरू की जानी थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से इस परियोजना को मध्य प्रदेश स्थानान्तरित कर दिया गया; और

(घ) क्या इस परियोजना का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की क्लूसा और कोआपरेटिव यूनियन आफ कनाडा की सहायता से कार्यान्वित की जा रही तिलहन परियोजना से तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने में मोटे तौर पर सहायता मिली है।

(ग) आंध्र प्रदेश की मूल परियोजना में शामिल किया गया था और यह राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना में शामिल राज्यों में से है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाये गये आंध्र प्रदेश सहकारी तिलहन उत्पादन संघ द्वारा वहां क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना का पिछला मूल्यांकन एक संयुक्त दल द्वारा 1983 में किया गया था। दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) संसाधन की सुविधाओं के लिए लाइसेंस देने की प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाए।

(2) केन्द्रित बाजार विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाने संबंधी कार्यों का विकास किया जाए।

(3) इस परियोजना की कार्य नीति वर्षासिंचित इलाकों में एक समुचित स्तर पर उत्पादन को वर्ष प्रतिवर्ष स्थिर करना हो, न कि वार्षिक उत्पादन को बड़ी मात्रा में बढ़ाने की कोशिश करना।

(4) समितियों के सचिवों को अपने कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(5) जहां पर कृषि कार्यों के लिए गैर कृषि उम्मीदवारों को तैनात करना जरूरी हो वहां पर उनके लिए कृषि संबंधी विषयों में गहन और औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(6) राज्य सरकार और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, संघों के उच्च स्तरीय प्रबन्धन पदों पर सुअर्ह व्यक्तियों को तैनात करने और उन्हें उन पदों पर तीन से चार वर्षों तक बनाये रखने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हों।

(7) राज्य संघों की स्थापना भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से होनी चाहिए और संसाधन संयंत्र प्रबंधक को उसके अपने क्षेत्र में अर्द्ध-शासी हैसियत दी जानी चाहिए।

(8) कच्चे माल या तैयार उत्पादों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने संबंधी निर्णय संघ के मुख्यालय में लिए जाने चाहिएं।

(9) बड़े संयंत्र सिंचित क्षेत्रों में लगाना ही उपयुक्त होगा क्योंकि वहां पर उत्पादन, खरीद और उनका सही क्षमता तक उपयोग होना अधिक निश्चित होता है।

(10) राज्य संघों को खरीफ के संबंध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का उपयोग करना धीरे-धीरे कम कर देना चाहिए और जहां तक सम्भव हो सके खरीद के लिए वाणिज्यिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए।

(11) खरीद कार्य वर्ष भर किया जाए।

विद्युत कार्यों का भुवनेश्वर और कलकत्ता डिविजनों को अन्तरण

1998. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का उड़ीसा में भुवनेश्वर केन्द्रीय विद्युत डिविजन नामक एक विद्युत डिविजन है;

(ख) क्या भुवनेश्वर विद्युत डिविजन उड़ीसा में केन्द्रीय विद्युत कार्य की देख-भाल करता है और इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के कुछ विद्युत कार्य भी करता है, जबकि उड़ीसा में विमानन विद्युत कार्य कलकत्ता विद्युत डिविजन द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पटना विद्युत डिविजन बिहार में केन्द्रीय तथा विमानन विद्युत कार्य दोनों ही काम करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में सभी विद्युत कार्यों को भुवनेश्वर विद्युत डिविजन के क्षेत्राधिकार में तथा पश्चिम बंगाल में विद्युत कार्य कलकत्ता विद्युत डिविजन को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली सम्बन्धी कामों को एक ही विद्युत मंडल के अन्तर्गत रखने का प्रस्ताव

1999. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में फरीदाबाद और करनाल के सिविल कामों की देख-रेख केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का फरीदाबाद सेंट्रल डिविजन करता है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का फरीदाबाद सेंट्रल इलेक्ट्रिकल डिविजन फरीदाबाद

और दिल्ली के कुछ बिजली संबंधी कामों की देख-रेख करता है जबकि करनाल के विद्युत संबंधी कामों की देख-रेख दिल्ली इलेक्ट्रिकल डिविजन द्वारा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या हरियाणा में फरीदाबाद और करनाल के बिजली संबंधी कार्यों को एक ही इलेक्ट्रिकल डिविजन के अन्तर्गत रखने और दिल्ली के बिजली संबंधी कामों को दिल्ली इलेक्ट्रिकल डिविजन को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) मामले पर विचार किया गया तथा यह पाया गया कि इस परिवर्तन से किसी लाभ की सम्भावना नहीं है।

भारत सरकार मुद्रणालय, सन्तरागाची के कर्मचारियों की समस्या

2000. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, सन्तरागाची के कर्मचारी उत्पादन क्षमता का उपयोग न होने, कर्मचारियों को पदोन्नति न दिए जाने आदि जैसी बहुत सी समस्याओं का काफी समय से सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन समस्याओं की गम्भीरता से जांच की है;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारी संघ की ओर से कोई मांग पत्र अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और सरकार की उन मांगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ) प्रेस कर्मचारी यूनियन के 21.11.1984 को हुए सम्मेलन में पारित एक संकल्प प्राप्त हुआ था। संकल्प में की गई मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं।

(1) फार्म यूनिट के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की एसोसिएशन को मान्यता देना।

(2) प्रेस के लिए विस्तार योजना

(3) स्टाफ निरीक्षण एकक तथा मानदण्ड निर्धारण समिति की सिफारिशों पर कर्मचारियों की संख्या कम करने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति न होना।

(4) फार्म तथा प्रकाशन एककों के लिए अलग-अलग प्रबन्धकों को तैनात करना।

(5) फार्म यूनिट के लिए नए भवन का निर्माण।

(6) मान दण्ड समिति की रिपोर्ट की कमियों को दूर करना।

(7) कतिपय पदों के लिए चयन ग्रेड (सलैक्शन ग्रेड) सृजित करना।

(8) प्रेस के लिए अधिक कार्य आर्डर

(9) सामान्य पूल क्वार्टरों का आवंटन।

मुख्य मांगों में से एक मांग अर्थात, भारत सरकार मुद्रणालय गैर-औद्योगिक कर्मचारी एसोसिएशन फार्म यूनिट को मान्यता देना, 5.3.85 को पहले ही पूरा कर दिया गया है। जहां तक फार्मों तथा प्रकाशन एककों के लिए अलग-अलग प्रबन्धक तैनात करने का सम्बन्ध है, इस मामले की जांच कर ली गई है और यह फैसला किया गया है कि कार्य प्रबन्धक क स्तर तक दोनों एककों के अलग-अलग कार्य प्रबन्धक होंगे। इस स्तर के ऊपर, दोनों ही एककों के कार्यों की व्यवस्था करने हेतु एक ही महा प्रबन्धक होगा क्योंकि वे इतने बड़े एकक नहीं है कि उनमें दूसरे महा प्रबन्धक के पद का औचित्य हो। जहां तक पैसों के लिए और अधिक कार्य आदेश (वर्क आर्डर) का सम्बन्ध है, वाइन्डरी सेक्शन में भारी मात्रा में काम बकाया है। इसलिए प्रेस के लिए कार्य के आवंटन को नियमित करना पड़ेगा। अन्य मांगों की भी जांच की जा रही है।

राजस्थान को चीनी की सप्लाई

[हिन्दी]

2001. **श्री विष्णु मोदी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों की कमी के कारण राजस्थान को सप्लाई की गई चीनी के कोटे के निर्धारित समय के भीतर अपने गंतव्य स्थानों पर न पहुंचने के कारण आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित चीनी के कोटे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान तथा अन्य राज्यों को चीनी का कितना कोटा आवंटित किया गया और राजस्थान को वास्तव में कितनी चीनी प्राप्त हुई;

(ग) इस राज्य की बाकी चीनी के कोटे की सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जब कभी राजस्थान सरकार से फैक्ट्रियों से आवंटित लेवी चीनी के उठान के लिए रेल वैगनों की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तब इस मामले को रेल प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है जिससे आवंटित चीनी की मात्रा के

समय पर और शीघ्र प्रेषण के लिए फैक्ट्रियों को पर्याप्त संख्या में वैगन सुलभ कराने में आवश्यक सहायता की जा सके।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् अप्रैल, 1982 से आगे राजस्थान और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित लेवी चीनी के मासिक कोटे बताने वाला विवरण संलग्न है। राजस्थान सरकार द्वारा अपने मासिक कोटी के प्रति लेवी चीनी की वास्तव में उठाई गई मात्रा के सम्बन्ध में सूचना उनके पास उपलब्ध है और राज्य सरकार से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) राजस्थान चूंकि एक प्रत्यक्ष आवंटी राज्य है, इसलिए राज्य सरकार के लेवी चीनी के मासिक कोटों के बारे में आवंटन आदेश सीधे राज्य सरकार को जारी किये जाते हैं और इसलिए उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे फैक्ट्रियों से पूरी आवंटित मात्रा को समय पर उठाने और उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उसके कुशल वितरण की व्यवस्था करें। राज्य सरकार से शिकायतें प्राप्त होने पर, रेल प्राधिकारियों से पर्याप्त संख्या में रेल वैगन सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया गया और सम्बन्धित फैक्ट्रियों को भी अनुदेश दिये गये कि वे राजस्थान में विभिन्न गंतव्य स्थानों को आवंटित लेवी चीनी का तत्काल प्रेषण करें। तथापि राज्य सरकार के नामितों से बयाना/प्रेषण अनुदेश की देर से प्राप्ति, उनके द्वारा गंतव्य रेल स्टेशनों पर चीनी की प्राप्ति के बाद भी दस्तावेज आदि न लौटाने जिससे फैक्ट्रियों के लिए वित्तीय कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, के बारे में चीनी फैक्ट्रियों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार को अनेक बार यह कहा गया है कि वे चीनी फैक्ट्रियों की जायज शिकायतों का समाधान करने के लिए उपयुक्त उपचारी कार्रवाई करें जिससे फैक्ट्रियां चीनी का शीघ्रतापूर्वक प्रेषण कर सकें।

विवरण

(मीटरी टनों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4/82 से 9/83 तक मासिक कोटा	अक्तूबर, 1983 से मासिक कोटा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	22696	24027
2.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	190	215
3.	अरुणाचल प्रदेश	267	289
4.	असम	8459	9190
5.	बिहार	29675	31573
6.	चण्डीगढ़	275	328
7.	दादर तथा नगर हवेली	44	50

1	2	3	4
8.	दिल्ली	6104	6855
9.	गोवा, दमन और दीव	470	478
10.	गुजरात	14433	15361
11.	हरियाणा	5462	5837
12.	हिमाचल प्रदेश	1801	1917
13.	जम्मू और कश्मीर	2542	2673
14.	कर्नाटक	15743	16843
15.	केरल	10796	11225
16.	लक्षद्वीप	65	68
17.	मध्य प्रदेश	22156	23276
18.	महाराष्ट्र	26645	27998
19.	मणिपुर	609	643
20.	मेघालय	564	609
21.	मिजोरम	207	240
22.	नागालैंड	340	390
23.	उड़ीसा	11166	11577
24.	पांडिचेरी	257	271
25.	पंजाब	7085	7 81
26.	राजस्थान	14494	15832
27.	सिक्किम	134	154
28.	तमिलनाडु	20526	21284
29.	त्रिपुरा	876	958
30.	उत्तर प्रदेश	47111	50466
31.	पश्चिम बंगाल	23156	24435

वाराणसी दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्षमता और प्रसारण क्षेत्र

2002. **श्री अंगुल बशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी दूरदर्शन रिले केन्द्र की वर्तमान क्षमता कितनी है और इसका प्रसारण कितने किलोमीटर क्षेत्र में होता है;

(ख) क्या इसके प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने का कार्य प्रगति पर है;

(ग) यदि हां, तो उससे कितने किलोमीटर तक प्रसारण किया जा सकेगा; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और मिरजापुर जिले भी इस प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वाराणसी दूरदर्शन ट्रांसमीटर, जो 150 मीटर ऊंचे टी० वी० टावर के लगने तक इस समय 1 किलोवाट की कम शक्ति पर कार्य कर रहा है, की सेवा परिधि लगभग 30 किलोमीटर है।

(ख) जी हां,

(ग) टी० वी० टावर के मुकम्मल हो जाने पर जब इस ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ कर 10 किलोवाट हो जाएगी तब इसकी सेवा परिधि बढ़कर लगभग 120 किलोमीटर हो जाने की उम्मीद है।

(घ) जी, हां।

सैन्ट्रल फिशरीज कार्पोरेशन लिमिटेड एक्स-एम्पलाइज एशोसिएशन, कलकत्ता द्वारा अभ्यावेदन

[अनुवाद]

2003. **श्री संफुद्दीन चौधरी** : क्या कृषि और विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सैन्ट्रल फिशरीज कार्पोरेशन लिमिटेड एक्स-एम्पलाइज एसोसिएशन, कलकत्ता से दिनांक 22 जनवरी, 1985 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम के छंटनी किए गए कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिए जाए।

(ग) सरकार अब तक केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम के 181 पूर्व कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान कर चुकी है। ऐसे पूर्व कर्मचारियों को जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया है, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में वैकल्पिक रोजगार देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

1985-86 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का आवासीय कार्यक्रम

2004. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1985-86 में एक लाख मकानों के निर्माण करने का लक्ष्य रखकर एक आवासीय कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उसके अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के मकानों के दाम क्या होंगे;

(ग) आवंटन की प्रतिक्रिया क्या होगी; और

(घ) उक्त काय कब तक पूरा होगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निर्माणाधीन 59,000 मकानों का 1984-85 और 1985-86 के दौरान चरणों में पूरा होने की संभावना है। लगभग 30,000 मकान प्रक्रियाधीन हैं। निर्माण सम्भवतया 1985-86 के दौरान आरम्भ होगा इसके अतिरिक्त, हाल ही में कई नए आवास पाकेटों का पता लगाया गया है जिनमें 1985-86 के दौरान लगभग 70,000 मकानों के निर्माण को चरणों में आरम्भ किया जाएगा, मकानों के पूर्ण होने पर ही उनका मूल्य निकाला जा सकता है।

(ग) जब मकान निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में होते हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण उनके नियतन के लिए लाटरी निकालता है और उसके पश्चात मकान तैयार होने पर ऐसे कुछ नियतित मकानों के लिए विशिष्ट लाटरी निकाली जाती है। नियतनों को केवल समाचार पत्रों द्वारा अधिसूचित किया गया था। विशिष्ट लाटरी निकालने पर ही मांग व आवेदन पत्र जारी किए जाते हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में धान की हानि

2005. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1984 के महीने में भारी वर्षा के कारण संघशासी क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धान की फसल को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षति की सीमा का कोई मूल्यांकन किया गया है और छोटे तथा सीमांत किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या किसानों को नि:शुल्क बीज और कीटनाशक औषधियां आदि प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन केन्द्र सरकार को मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण हेतु राज्यों को धनराशि का आबंटन

2006. श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य में ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षण देने का विचार था;

(ख) इस अवधि के दौरान वास्तव में कुल कितने युवा लाभान्वित हुए;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान समूचे देश में और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं तथा वर्ष 1985-86 के लिए प्रत्येक राज्य को इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1983-84 में उपलब्धि लक्ष्य से अधिक थी। 1984-85 के लिए प्रशिक्षित युवाओं की संख्या के बारे में सभी महीनों की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ बनाये जाने का प्रस्ताव है। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि प्रशिक्षण के लिए चुने गये युवाओं में कम से कम 30 प्रतिशत युवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदाय से होंगे। राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना के लिए निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। ये निधियां समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सामान्य आबंटनों का भाग है।

विवरण

ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	1983-84 लक्ष्य	1983-84 प्रशिक्षित ग्रामीण युवा	1984-85 लक्ष्य	1984-85 प्रशिक्षित ग्रामीण युवा
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12960	10071	13200	8608	फरवरी 85 तक
2.	असम	5360	3163	5360	2904	जून० 85 तक
3.	बिहार	23480	13640	23480	6275	दिस० 84 तक
4.	गुजरात	8720	8701	8720	8572	फर० 85 तक
5.	हरियाणा	3480	2679	3720	1818	जन० 85 तक
6.	हिमाचल प्रदेश	2760	2859	2760	1491	जन० 85 तक
7.	जम्मू व कश्मीर	3000	1712*	4520	2227	सित० 84 तक
8.	कर्नाटक	7000	असूचित	7000	6534	फर० 85 तक
9.	केरल	5760	6660	6040	6509	दिस० 84 तक
10.	मध्य प्रदेश	18320	21427	18360	15448	जन० 85 तक
11.	महाराष्ट्र	11840	11962	11840	2883	सित० 84 तक
12.	मणिपुर	1040	असूचित	1040	असूचित	—
13.	मेघालय	960	शून्य	1200	असूचित	—
14.	नागालैंड	840	असूचित	840	असूचित	—
15.	उड़ीसा	12560	6700	12560	6134	दिस० 84 तक
16.	पंजाब	4680	16331	4720	8245	फर० 85 तक
17.	राजस्थान	9280	19434	9440	10429	जन० 85 तक
18.	सिक्किम	160	240	160	असूचित	—
19.	तमिलनाडु	15080	30970	15120	11995	दिस० 84 तक
20.	त्रिपुरा	680	534	680	280	फर० 85 तक
21.	उत्तर प्रदेश	35040	38458	35480	33487†	जन० 85 तक

1	2	3	4	5	6	7
22.	पश्चिम बंगाल	13400	6926	13400	असूचित	—
	केन्द्रशासित क्षेत्र					
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	200	शून्य	200	असूचित	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	1920	6**	1920	44	दिस० 84 तक
25.	चण्डीगढ़	40	शून्य	40	118	जून० 84 तक
26.	दादरा व नगर हवेली	40	39	40	54	सित. 84 तक
27.	दिल्ली	200	834	200	733	फर० 85तक
28.	गोवा, दमन व दीव	480	2054	480	2489	जन० 85 तक
29.	लक्षद्वीप	200	शून्य	200	असूचित	—
30.	मिजोरम	800	528	800	717	दिस० 84 तक
31.	पांडीचेरी	160	178	160	246	दिस० 84 तक
	अखिल भारत	200440	206111	203660	138200	

*अप्रैल से जून, 1983 की सूचना

**अप्रैल से दिसम्बर 1983 तक की सूचना

†संशोधित आंकड़े।

तमिलनाडु में धान की फसल में टुंगरो जीवाणु

2007. **श्री आनन्द पाठक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मदुरै जिले के किसान अपनी धान की फसल के "टुंगरो जीवाणु" से प्रभावित होने के कारण पीड़ित हैं;

(ख) इस जीवाणु के कारण फसल को कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या प्रभावित किसानों की ओर से पर्याप्त मुआवजा दिए जाने और विशेष धनराशि का आवंटन किए जाने के लिए कोई मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मदुरै जिले में धान की

फसल पर टुंगरो जीवाणु रोग का प्रकोप 1984 के दौरान कुरवाई फसलों के केवल 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में होने की रिपोर्ट मिली है।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार, टुंगरो का प्रकोप मदुरै जिले की विभिन्न पंचायतों में 3 से 5 प्रतिशत तक हुआ है।

(ग) जी नहीं। इस मंत्रालय में इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगरों में पानी की उपलब्धता

2008. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के महानगरों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के लिए क्या सामान्य प्रक्रियाएं और मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) भारत में इस समय महानगरों में पानी की वास्तविक उपलब्धता कितनी है; और

(ग) इन मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जलपूर्ति राज्य का विषय है। नगरीय क्षेत्रों में पेय जल मुहैया करने की योजनाएं या तो राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा बनाई तथा निष्पादित की जाती हैं। सभी अनुषांगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महानगरों में पेयजल प्रणालियों का डिजाइन बनाते समय प्रति व्यक्ति मानकों तथा मानदण्डों का निर्णय लेना उन्हीं का काम है। सामान्य नियमानुसार, निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जलपूर्ति तथा शोधन मैनुअल में 50,000 से ऊपर जनसंख्या वाले नगरीय समुदाय के लिए घरेलू तथा गैर-घरेलू आवश्यकताओं के रूप में 125 से 200 लीटर प्रतिदिन का प्रति व्यक्ति मानक निर्धारित है।

(ख) कतिपय महानगरों के बारे में इस मन्त्रालय में तत्काल उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जलपूर्ति एवं स्वच्छता दशक में मार्च, 1991 तक नगरीय जनसंख्या के 100 प्रतिशत को पेयजल की सुविधाओं की व्यवस्था पर विचार किया गया है। राज्य सरकारों से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने योजना कार्यक्रमों में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। महानगरों में वर्तमान सेवा स्तर प्राप्त किये जाने वाले न्यूनतम सेवा-स्तर, निर्धारित मानकों तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जलपूर्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाना राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का काम है।

विवरण

क्र० सं०	महानगर का नाम	लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
1.	जयपुर	122
2.	दिल्ली	250
3.	कलकत्ता	100
4.	मद्रास	70
5.	बंगलौर	100
6.	अहमदाबाद	180
7.	लखनऊ	255
8.	कानपुर	240
9.	हैदराबाद	115
10.	नागपुर	130
11.	पुणे	165

पंजाब में नकली उर्वरकों के कारण कपास की फसल को नुकसान

2009. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ व्यापारियों द्वारा नकली उर्वरकों की बिक्री के कारण पंजाब में फाजिल्का के आसपास के क्षेत्र में कपास की 80 प्रतिशत फसल खराब हो गई है;

(ख) इन व्यापारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि खरीफ, 1984 के दौरान फाजिल्का क्षेत्र में किसी नकली उर्वरक के बारे में पता नहीं लगा है। इस मौसम में कपास की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उर्वरकों की गुणवत्ता अनिवार्य जिन्स अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए उर्वरक

(नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत विनियमित की जाती है। विभिन्न उर्वरकों के मानक विनिर्देश इस आदेश के अन्तर्गत निर्धारित किए गए हैं। जो उर्वरक निर्धारित मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हों, उनकी बिक्री तथा घटिया/मिलावटी/नकली उर्वरकों आदि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और ऐसी बिक्री को कानून के अन्तर्गत दंडनीय अपराध बना दिया गया हैं। उर्वरकों के नमूनों के निरीक्षण, नमूने उठाने और उनका विश्लेषण करने सम्बन्धी उपबन्ध भी बनाये गए हैं। इस आदेश को लागू करने का काम राज्य सरकारों को सौंपा गया है, जिन्हें इस सम्बन्ध में पर्याप्त शक्तियां भी दी गई हैं। अपराधियों पर संक्षिप्त मुकदमे चलाने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 को अनिवार्य जिन्स अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक विशेष आदेश घोषित किया गया।

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि वे राज्य में बेचे जा रहे उर्वरकों की गुणवत्ता के मामले में सतर्क है। अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय सरकार देश में गुणवत्ता नियंत्रण परिस्थितियों पर भी नजर रखती है और समय-समय पर राज्य सरकारों को गुणवत्ता नियन्त्रण उपबन्धों को कड़ाई से लागू करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिए क्षेत्रीय फिल्मों का चयन

2010. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में और विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय फिल्मों के चयन हेतु कोई समुचित मंच है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) अभी हाल ही में राजधानी में हुए फिल्मोत्सव में प्रदर्शन के लिए चुनी गई बंगला फिल्मों और अभी हाल ही में विदेशों में भेजी गई बंगला फिल्मों का ब्योरा क्या है और इन फिल्मों पर दर्शकों और जूरी की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक भारत में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का सम्बन्ध है, हर वर्ष देश में विभिन्न भाषाओं में निर्मित सर्वोत्तम फीचर फिल्मों तथा लघु फिल्मों का चयन एक अखिल भारतीय चयन पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें फिल्म उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं, यह चयन पैनल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित क्षेत्रीय पैनलों की सहायता से अधिक से अधिक 21 फीचर फिल्मों तथा इतनी ही संख्या में लघु फिल्मों का चयन करता है। इन सभी फिल्मों को, जिन्हें फिल्म समारोह निदेशालय, जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का अंग है; द्वारा खरीदा जाता

है तथा उनमें अंग्रेजी में उपशीर्षक दिए जाते हैं, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के भारतीय पैनोरमा वर्ग में दिखाया जाता है। समारोह के प्रतियोगी वर्ग के लिए, एक पृथक चयन पैनल है जो इस वर्ग में प्रविष्ट सभी भारतीय तथा विदेशी फिल्मों की चयन सूची बनाता है। रिट्रोस्पेक्टिव वर्ग के लिए उन फिल्मी हस्तियों, जिनकी फिल्में शामिल की जानी होती हैं, के नामों का निर्णय आयोजन, समिति जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्ति होते है, द्वारा किया जाता है।

जहां तक विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का सम्बन्ध है, फिल्म समारोह निदेशालय, पैनोरमा वर्ग की फिल्मों में से प्रविष्टियों की अनुशंसा करता है। कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजक विशिष्ट फिल्मों के लिए स्वयं अनुरोध करते हैं। वैयक्तिक निर्माता भी अपनी प्रविष्टियां स्वयं भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, अन्तिम चयन संबंधित समारोह प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें नई दिल्ली में जनवरी, 1985 में हुए भारत के दसवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई तथा 1984-85 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों तथा भारतीय फिल्म सप्ताहों में शामिल किए जाने के लिए विदेशों में भेजी गई बंगला फिल्मों का ब्यौरा दिया गया है। इन फिल्मों का आम दर्शकों तथा समीक्षकों दोनों द्वारा सामान्यतया अच्छा स्वागत किया गया है। जूरी की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अधिकांश मामलों में फिल्में प्रतियोगिता से बाहर थीं। "घरे बाइरे" नामक फिल्म, केन्स अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 1984 के प्रतियोगिता वर्ग में थी, किन्तु इसने कोई पुरस्कार नहीं जीता।

विवरण

(क) भारत के 10वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई बंगला फिल्में

1. कोनी-सरोज डे द्वारा
2. घरे बाइरे सत्यजीत रे द्वारा
3. अतिथि
4. काबुलीवाला
5. निरजन सकते — तपन सिन्हा द्वारा
6. लौह कपाट
7. क्षुधित पाषाण
8. अदालत ओ एकटी-मेये

(ख) 1984-85 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों तथा भारतीय फिल्म सप्ताहों के लिए विदेशों में भेजी गई बंगला फिल्में

1. खारिज— मृणाल सेन द्वारा
2. घरे बाइरे सत्यजीत रे द्वारा

3. बाइसे श्रावण 4. एक दिन प्रतिदिन 5. अकालेर संधाने	मृणाल सेन द्वारा
6. फटिकचन्द	संदीप रे द्वारा
7. जलसाघरे 8. गुपी गाइन बाघा बाइन 9. नायक 10. जन अरण्ये 11. चारूलता	सत्यजीत रे द्वारा
12. नयन श्यामा	नितेश मुखर्जी द्वारा
13. पथेर पंचाली 14. अपराजित 15. अपुर संसार	सत्यजीत रे द्वारा
16. भोम्बल सरदार	नृपेन गांगुली द्वारा
17. हिरोक राजार देशे	सत्यजीत रे द्वारा

चीनी उद्योग के लिए तापमान नियंत्रण प्रणाली का विकास

2011. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों रुपयों का ईंधन बचाने के लिए चीनी उद्योग की सहायता करने हेतु एक तापमान नियंत्रण प्रणाली विकसित की गई है;

(ख) क्या यह प्रणाली सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लेबोरेटरी द्वारा विकसित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या चीनी उद्योग ने इस प्रणाली को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो चीनी एककों द्वारा किस सीमा तक ईंधन की बचत की जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी (राजस्थान) में चीनी उद्योग में प्रोसेस स्टेप्स और ऊर्जा संरक्षण के लिए तापमान मानीटरिंग और नियन्त्रण प्रणाली के विकास के बारे में एक परियोजना पर कार्य हो रहा है। इस परियोजना पर इलेक्ट्रानिक्स विभाग की प्रौद्योगिकी विकास परिषद् के माध्यम से धन लगाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल में इन लाभों की मात्रा का पता लगाने के लिए फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं।

खाद्यान्नों की तुलाई में चोरी

2012. श्री एच० एन० नन्जे गोडा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लदान और उतारने के समय खाद्यान्नों की तुलाई में चोरी किए जाने के कई मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय खाद्य निगम के कितने कर्मचारी इसमें शामिल पाये गए हैं;

(ग) वर्तमान यांत्रिक कांटों के स्थान पर शीघ्र नवीनतम इलेक्ट्रानिक कांटों का प्रयोग किये जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम में चोरी की गतिविधियों में दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) विभिन्न अधिकारियों और इस प्रयोजन के लिए गठित विशेष दस्तों के फील्ड दौरों द्वारा तौल में प्रभावी निरीक्षण और जांच बराबर रखी जाती है। जब कभी भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध के नोटिस में तौल और/अथवा बोरों की संख्या में अन्तर की बात आती है, तो किसी चोरी, कदाचार अथवा विहित कार्यविधियों का उल्लंघन करने में लिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। नोटिस में आई चोरियों और इसमें शामिल व्यक्तियों के बारे में निगम के मुख्यालय में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के प्रयोगात्मक आधार पर दो इलेक्ट्रानिक तौल कांटे स्थापित करने के लिए आर्डर दिए हैं। इन तौल कांटों के कार्य निष्पादन को देखकर ही और इलेक्ट्रानिक तौल कांटे स्थापित किए जाएंगे।

उड़ीसा में "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम

2013. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सातवीं योजना में उक्त कार्यक्रम के तत्परता से लागू करने के अतिरिक्त सरकार, उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के कुछ परिवारोन्मुखी योजनाएं शुरू करने में भी राज्य सरकार की सहायता करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कटक, धेनकनाल, कयोंझर और पुरी इन चार जिलों में आपरेशन फ्लड-2 परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान राज्य सरकार का राज्य प्लान धनराशि, विशेष केन्द्रीय सहायता और संस्थागत वित्त से उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि से 6.40 लाख आदिवासी परिवारों (छठी योजनावधि में सहायता प्राप्त और सातवीं योजना में बाद की सहायता के जरूरतमन्द अनुसूचित जाति के 3.15 लाख परिवारों सहित) की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

तिरूर में दूरदर्शन का पारेषण केन्द्र स्थापित करना

2014. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल का मलाप्पुरम जिला इस समय दूरदर्शन प्रसारणों के अन्तर्गत नहीं आता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तिरूर में एक पारेषण केन्द्र जल्दी से जल्दी स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, को तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जब कोचीन का दूरदर्शन ट्रांसमीटर निकट भविष्य में 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू होगा, तब मलाप्पुरम जिले के एक भाग में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। तथापि, तिरूर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

जनकपुरी पाकेट "बी" में स्व-वित्त पोषी योजना के फ्लैट

2015. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री जनकपुरी पाकेट "बी" स्व-वित्तपोषी योजना के फ्लैट के बारे में 19 दिसम्बर, 1983 के तथा 5 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 4266 और 1242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, पाकेट "बी" में स्व-वित्त पोषी योजना के फ्लैटों का निर्माण, जो मूल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1983 के आरम्भ में पूरा किया जाना था, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संशोधित लक्ष्य तिथि बदलकर दिसम्बर, 1983 और सितम्बर, 1984 किए जाने के बावजूद अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(ख) क्या इन फ्लैटों को पूरा करने में असाधारण विलम्ब की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) विलम्ब की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन फ्लैटों का निर्माण पूरा करने तथा उन्हें आवंटियों को सौंपने की यदि कोई वर्तमान लक्ष्य तिथि निर्धारित की है, तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए ठेके की संबंधित धारा के अन्तर्गत समय-समय पर नोटिस जारी किए गए हैं और निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ठेकेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा आगे की कार्यवाही की जाएगी।

(घ) निर्माण कार्य संरचनात्मक रूप से पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच गया है तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा पानी के कनैक्शन और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के कनैक्शन की उपलब्धता की शर्त पर साज सज्जा मदों और सेवाओं के पूर्ण होने के बाद इन फ्लैटों को जून, 1985 तक आबंटन के लिए जाने की संभावना है।

उड़ीसा में पेयजल की कमी

2016. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा में ऐसे अनेक गांव हैं, जिन्हें समस्या ग्रस्त नहीं माना गया है किन्तु उन्हें भी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के गंजम जिले में ऐसे कितने गांवों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का विचार है;

(ग) उक्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर करने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय दल, जिसने राज्य में सूखे की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए हाल ही में राज्य का दौरा किया था, को राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पहचान में न आए लगभग

10262 ग्रामों को पेयजल सुविधा की आवश्यकता होगी। यह छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में पता लगाए गए 23616 समस्याग्रस्त ग्रामों के अतिरिक्त है और जिसमें से 31.12.1984 ग्रामों को पहले ही लाभान्वित किया जा चुका है।

उड़ीसा के गंजम जिले में ऐसे ग्रामों की संख्या इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैल खोदने के लिए राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा 1984-85 के लिए 100 लाख रुपये तथा 1984-85 (30 जून, 1985 तक) के लिए 121 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में भर्ती/पदोन्नति

2017. **श्री एम० महालिंगम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के मुख्यालय को कुछ क्षेणियों के कर्मचारियों को सीधे भर्ती करने, पदोन्नतियां देने और स्थाई करने के अधिकार मिले हुए हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को भी कुछ खास क्षेणियों के कर्मचारियों को सीधे भर्ती, पदोन्नति देने और स्थायी करने के अधिकार मिले हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भर्ती नियमों के अनुसार एक काडर से दूसरे काडर में पदोन्नति करने के लिए क्या मानदण्ड हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) प्रबन्ध निदेशक के पद को छोड़कर, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, समूह "क ग", समूह "ख" के सभी पदों और समूह "ग" तथा समूह "घ" की कुछ श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां, उनके वेतनमानों के आधार पर मुख्यालय में निदेशक मंडल, प्रबन्ध निदेशक तथा कार्मिक प्रबन्धक द्वारा की जाती है। समूह "ग" और समूह "घ" के शेष पदों पर नियुक्तियां क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा की जाती हैं। कर्मचारियों को स्थायी करने की बजाय, निगम की पद्धति कर्मचारियों को उनकी परिवीक्षार्धीन अवधि के सफलता-पूर्वक पूरा कर लेने पर नियमित घोषित करने की है। कर्मचारियों को नियमित घोषित करने का प्राधिकार नियुक्ति-प्राधिकारी को दिया गया है।

(ग) पदोन्नति करने में, निगम इस बात पर निर्भर करते हुए कि पद विशेष चयन पद है या अचयन पद है, "वरिष्ठता-एवं-मेरिट" वरिष्ठता, बशर्ते पदोन्नति के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो सम्बन्धी मानदण्ड अपनाता है।

दिल्ली में अपने मकानों वाले सरकारी कर्मचारी

2018. **श्री राम भगत पासवान :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनके पास दिल्ली में स्वयं उनके अपने नाम अथवा परिवार के अन्य किसी सदस्य के नाम पर मकान हैं;

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकारी ऋण अथवा गृह निर्माण ऋण की सहायता से मकान बनाए अथवा खरीदे हैं;

(ग) उक्त भाग (क) और (ख) के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिन्हें सरकारी आवास भी आवंटित किए गए हैं; और

(घ) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके न तो दिल्ली में अपने मकान हैं और न उन्हें सरकारी आवास का आवंटन किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक के लिए मूल्य-ऋण और वितरण सम्बन्धी नीति

2019. **श्री आर० अन्नादाम्बी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल आफ इकोनोमिक रिसर्च अध्ययन दल ने किसानों द्वारा उर्वरक का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार को एक उर्वरक ऋण और वितरण नीति सम्बन्धी सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा उर्वरकों की मूल्य, ऋण और वितरण नीति पर की गई टिप्पणियां उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाने के मार्ग की बाधाओं, जो कि उक्त परिषद के अध्ययन के विचारार्थ विषयों में से एक था, से सम्बन्धित निष्कर्षों पर आधारित हैं।

इन मदों के लिए नीति तैयार करते समय राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाता है।

पंजाब में मिलों द्वारा धान से चावल तैयार करना

2020. **श्री काली प्रसाद पांडे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि भारतीय खाद्य निगम यह निर्णय लेने में असफल रहा है कि पंजाब में धान की मिलिंग भारतीय खाद्य निगम के ढंग से की जानी अथवा डी० एफ० एस० सी० के ढंग से की जानी चाहिए और इस स्थिति के परिणामस्वरूप कुल 20 लाख मिलियन टन में से बड़ी मात्रा में धान के खराब हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1984 से पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के धाव की मिलिंग की मात्रावार वर्तमान स्थिति क्या है तथा कितना धान शेष बचा है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस बारे में निर्णय न लेने/लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) धान से चावल तैयार करने में विलम्ब के कारण कितनी हानि होने की सम्भावना है; और

(ङ) भारी हानि से बचने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) निगम ने धान की मिलिंग के लिए शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया है और मिलिंग प्रगति पर है। वर्ष 1984-85 के दौरान पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई धान की 18.87 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा में से, 12.57 लाख मीटरी टन की मिलिंग के लिए ठेका किया जा चुका है और इसमें से 8.73 लाख मीटरी टन मिल मालिकों द्वारा उठाई जा चुकी है। शेष मात्रा की मिलिंग के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) धान से चावल तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और हानियां, यदि कोई हों, की स्थिति के बारे में जानकारी कुल धान की मिलिंग करने के बाद ही मिल सकेगी।

शहरी क्षेत्रों में रह रहे किसानों को सुविधाएं

2021. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में रह रहे किसानों को ऋण, अन्य कृषि आदानों पर छूट सहायता रियायत आदि जैसी सरकारी सहायता नहीं मिलती जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को मिलती है, और

(ख) क्या सरकार का विचार इस भेदभाव को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) उपभोक्ताओं के लिए उर्वरकों का बिक्री मूल्य शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक ही है। भारत सरकार द्वारा कृषि आदानों की अग्रिम खरीद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋणों का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा सभी किसानों, अर्थात ग्रामीण और शहरी दोनों के लाभ के लिए किया जा सकता है। पौध रक्षण के लिए राजसहायता से सम्बन्धित योजनाओं तथा फलोन्मुखी योजनाओं में आमतौर पर किसानों के खेतों की स्थिति के आधार पर कोई भेद नहीं होता। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने के मामले में धन का आवंटन खण्डों के आधार पर किया जाता है।

गेहूं के मूल्य में वृद्धि

2022. **श्री रामसजुभावन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 157 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा से उत्तरी भारत सहित पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आटा मिलों के माध्यम से दिए जाने वाले गेहूं के मूल्य में भी कोई वृद्धि होगी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और यह वृद्धि किस तारीख से होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोतियाखान में मकानों का निर्माण

[हिन्दी]

2023. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मोतियाखान में कुछ रिहायशी मकानों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो आवंटितियों को इन मकानों का कब्जा कब तक दिए जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित फ्लैट मोतीयाखान में निर्माणाधीन हैं और इन्हें प्रत्येक के सम्मुख लिखी तारीखों तक सौंप दिए जाने की संभावना है।

क्र० सं०	योजना का नाम	निर्माणाधीन फ्लैटों की संख्या	कब्जा सौंपने की संभावित तारीख
1.	सामान्य आवास योजना (निम्न आय वर्ग)	468	दिसम्बर, 1985
2.	स्व-वित्त पोषित योजना श्रेणी—II	272	सितम्बर/अक्तूबर, 1985
3.	स्व-वित्त पोषित योजना श्रेणी—III	128	1987 के अन्त तक

पीतमपुरा क्षेत्र में उच्च वोल्टता तार को स्थानान्तरित करना

[अनुवाद]

2024. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सामूहिक आवास समितियों को पीतमपुरा क्षेत्र में भूखण्ड आबंटित किए गए हैं;

(ख) उपरोक्त सामूहिक आवास समितियों को आबंटित भूमि के ऊपर होकर गुजरने वाले उच्च वोल्टता तार को स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 56 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को पीतमपुरा में भूमि आबंटित की गई है। उसके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं;

(ख) और (ग) उच्च वोल्टता लाइन को स्थानान्तरित करने का कार्य हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 14.5.1984 को 3 लाख रुपये और दिनांक 29.10.84 को 9,06,010 रुपये की अपेक्षित राशि का भुगतान कर दिया था। यह कार्य प्रगति पर है तथा इसका एक चौथाई कार्य पूर्ण हो गया है।

विवरण

उन सहकारी सामूहिक आवास संमितियों की सूची जिन्हें पीतमपुरा क्षेत्र में भूमि आबंटित हुई है

क्र० सं०	समिति का नाम		क्र० सं०	समिति का नाम	
1.	जीवन आनन्द सहकारी सामू० आ० समिति	,,	29.	श्री निवासपुरी मित्र मन्डल	,,
2.	लोक सभा सचिवालय	,,	30.	रेलवे एम्पलाइज	,,
3.	राज्य सभा सचिवालय	,,	31.	सेंट जेवियर	,,
4.	पोलीटेकनिक स्टाफ	,,	32.	पुण्डरीक	,,
5.	नव सेना	,,	33.	रंग महल	,,
6.	म्यूजम	,,	34.	होम गार्ड तथा सिविल डिफेंस	,,
7.	जय शिव	,,	35,	ज्योति बाग सहकारी सामू०	,,
8.	जवाहर लाल	,,		आ० समिति	
9.	त्रिवेणी	,,	36.	लेबर	,,
10.	प्रगति	,,	37.	कस्तूरबा	,,
11.	जीवन ज्योति	,,	38.	लायल	,,
12.	भगवान बुद्ध	,,	39.	वेणु बिरादरी	,,
13.	सिद्धार्थ	,,	40.	कश्मीरी सहायक समिति	,,
14.	राज एन्कलेवे	,,	41.	मधुबन	,,
15.	अमृत	,,	42.	गुर्जर	,,
16	जागृति	,,	43.	ईस्ट दिल्ली	,,
17.	नवीन सीटी	,,	44.	जनरल स्टाफ	,,
18.	झूले लाल सिन्धु नगर	,,	45.	एस० बी० आई० सबोर्डिनेट स्टाफ	,,
19.	आई० डी० पी० एल० एम्पलाइज	,,	46.	फिरोज़ पार्क	,,
		,,	47.	बैंक आफ बड़ौदा	,,
20.	एक ज्योति	,,	48.	माडल	,,
21.	डी० टी० सी० एम्पलाइज	,,	49.	गालिब मैमोरियल	,,
22.	इमिनाबाद	,,	50.	संगम	,,
23.	गढ़वाल	,,	51.	मिलन	,,
24.	राजस्थानी भवन निर्माण	,,	52.	विकास	,,
25.	अपना घर	,,	53.	बलबीर पार्क	,,
26.	अजय	,,	54.	ए० जी० सी० डब्ल्यू० एण्ड एम०	,,
27.	स्टेट बैंक एम्पलाइज	,,	55.	दुडियाल	,,
28.	शिवालिक	,,	56.	दक्षिणी दिल्ली	,,

अशोक विहार में मकानों के सामने खुले नालों के निकासी मार्ग

2025. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अशोक बिहार (फेज-I) में मकानों के सामने सामान्य रूप से और इस कालोनी के "बी" ब्लाक के सामने विशेष रूप से खुले नालों के निकासी मार्ग दोषपूर्ण हैं जिसकी वजह से वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, जो जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो उन नालों में पानी का सुप्रवाह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या विकास प्रभारों के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के बीच विवाद के कारण इन नालों की सतह (ढाल) ठीक नहीं बनाई गई है और यदि हां, तो इस विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा दो एजेंसियों के बीच विवाद की वजह से आम जनता को तकलीफ पहुंचाये जाने के क्या करण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) निकास मार्ग में कोई खराबी नहीं है। तथापि, रुके हुए पानी का कभी जमाव बताया गया है, जो मुख्य निकास नाले के पूरा न होने के कारण होता है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के माध्यम से सभी मामलों को निपटाने तथा नाले को शीघ्र पूरा करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के नए गोदाम खोलना

2026. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में भारतीय खाद्य निगम के नए गोदाम खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केरल में गोदामों का निर्माण करवाने के बारे में कुछेक प्रस्ताव इस समय भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन हैं।

रोजगार केन्द्रों में प्रतिक्षा अवधि कम करने हेतु नई कार्य-विधि

2027. **श्री राव बहादुर सिंह** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क), क्या रोजगार केन्द्रों में नए पंजीकरणों हेतु प्रतीक्षा अवधि कम करने और उपर्युक्त अभ्यर्थियों के चयन में नियोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए कोई नई कार्यविधि अपनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) रोजगार कार्यालयों में 1.7.1984 से नयी पद्धति के कार्यान्वयन के लिए अनुदेश सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जारी कर दिए गए हैं, जो कि रोजगार कार्यालयों में प्रशासन के लिए जिम्मेवार हैं।

(ख) इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए तीन नए सरल कार्ड लागू करना; नवीकरण की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना; और नियोजकों को वरिष्ठता आधार पर उम्मीदवारों को संप्रेषित करने के लिए उनकी अग्रिम वार्षिक सूचियां तैयार करना। इस पद्धति में, वर्तमान की तुलना में अधिक संख्या में उम्मीदवारों को संप्रेषित करने के लिए अवसरों की व्यवस्था करने पर जोर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए बारी-बारी से संप्रेषण करने की प्रणाली की भी परिकल्पना की गई है।

पशुधन उत्पादन बढ़ाना

2028. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देने के बारे में 25 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 977 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पशुधन जातियों अर्थात् बछड़ा, मुर्गी, सूअर, भेड़ प्रत्येक के संबंध में पृथक-पृथक पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितना धन नियत किया गया और वास्तव में कितना धन व्यय किया गया, तथा सातवीं योजना में तत्सम्बन्धी प्रस्तावित वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) उत्तर के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित दोगली किस्म की ओसरें राज्य-वार किन स्रोतों से खरीदी गई थी तथा वर्ष प्रतिवर्ष और समान संख्या वाले राज्यों में संख्या में अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रति लाभार्थी को कितने ओसरों के पालन के लिए सहायता दी गई और इस पर कितनी लागत आई इसकी तुलना में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई और इनका मापदण्ड क्या था; और

(घ) मुर्गीपालन, सूअरों और भेड़ों के लिए सरकारी सहायता के संबंध में विशेष पशुधन संवर्धन का कार्यक्रम का ब्यौरा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) विभिन्न पशुधन जातियों अर्थात् बछड़ा, मुर्गी, सूअर तथा भेड़ प्रत्येक के सम्बध में पृथक-पृथक पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार किये गए आबंटनों तथा व्यय के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) दोगली किस्म के जो बछड़े, चाहे वे किसी स्रोत से खरीदे गये हों लेकिन वे पात्र व्यक्तियों के पास पाये गये थे, उनका चयन रियायती दर पर पालने के लिए किया गया था। एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक ही राज्य में बछड़ों की संख्या में अन्तर को केवल कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां अर्थात राज्य पशुपालन विभाग ही बता सकता है जो आवश्यक तकनीकी निवेश मुहैया कराते हैं।

(ग) प्रति लाभार्थी एक ओसर पालने हेतु दाने की लागत के रूप में 1897.5 किलोग्राम सांद्रीकृत दाने के लिए रियायती दर पर सहायता देने की परिकल्पना की गई थी तथा प्रीमियम की दर भिन्न राज्यों में भिन्न होती है; प्रति बछड़े की लगत भी भिन्न-भिन्न होती है। योजना के अन्तर्गत उत्पादन संवर्धन को मापने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस कार्यक्रम में ओसरों को उत्पादन की दशा में पहुंचने तक ही आर्थिक सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

(घ) कुक्कुट, सूअर तथा भेड़ संवर्धन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु कृषकों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों व कृषि मजदूरों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से प्रति लाभार्थी अधिक से अधिक 3,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। आदिवासी लाभार्थियों के लिए 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है जो अधिक से अधिक 5,000 रुपए तक होती है। परियोजना की बाकी लागत बैंकिंग संस्थाओं से ऋण लेकर पूरी करने की परिकल्पना की गई है।

इस कार्यक्रम के अन्य कार्यों के लिए सहायता इस प्रकार दी जाती है :—

1. कुक्कुट यूनिटों की स्थापना

1. यूनिटों के आकार में 50-100-200 मुर्गियां शामिल होती हैं।

2. विपणन के लिए सहायता :

8.00 लाख रुपया प्रति 5 वर्ष के लिए प्रति जिला जिसमें 3,000 यूनिटें हों।

3. स्वास्थ्य के लिए सहायता :

5 वर्ष के लिए 2.50 लाख रुपये प्रति जिला जिसमें 3,000 यूनिटें हों, मुख्य रूप से टीकों के लिए।

4. बीमा के लिए आर्थिक सहायता :

राज्य और उसमें चल रही बीमा कम्पनियों के मध्य सम्मत बीमा का प्रीमियम लाभार्थी तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के बीच 1.25—1.00 की दर से वहन किया जायेगा तथा यदि बैंक भाग लेते हैं तो यह तो यह लाभार्थी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और बैंकों के बीच 1.00— 0.75—0.50 की दर से वहन किया जाएगा।

II. भेड़ पालन यूनिटों की स्थापना

1. यूनिटों के आकार में 20/30 भेड़ें और एक मेढ़ा आते हैं

2. विपणन के लिए सहायता :

5 वर्ष के लिए 6.25 लाख प्रति जिला 3000 यूनिटें हों।

3. स्वास्थ्य के लिए सहायता (3000 यूनिटें)

5 वर्ष के लिए प्रति जिला 2.00 लाख रुपये की सहायता।

4. बीमा के लिए आर्थिक सहायता :

उसी दर से आर्थिक सहायता वहन की जायेगी जैसी कि कुक्कुट संवर्धन यूनिटों के लिए की जाती है।

III. सूअर पालन यूनिटों की स्थापना

1. यूनिट का अकार 3-5 मादा सूअरों का होता है (मादा सूअरों के लिए हर 5 यूनिटों के लिए एक नर सूअर)

2. स्वास्थ्य के लिये सहायता :

5 वर्ष के लिए 1.00 लाभ रुपया प्रति जिला जिसमें 3,000 यूनिटें हों।

3. बीमा के लिए आर्थिक सहायता:
जैसी कि कुक्कुट संवर्धन यूनिटों में दी गयी है।

4. दाने के लिए आर्थिक सहायता :

नर मादा सूअरों और उनके घेंटों के पोषण के लिए दाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। 30 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जन-जाति समुदाय से लिए जाते है। इस कार्यक्रम के लिए व्यय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच बराबर आधार पर वहन किया जाता है और केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए व्यय शत-प्रतिशत आधार पर वहन किया जाता है।

विवरण

विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम-1981-82 के दौरान आबंटन-केन्द्रीय अंश

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों का नाम	दोगली किस्म की ओसरें पालना	कुक्कुट, सूअर तथा भेड़ संवर्धन एककों की स्थापना
1	2	3	4 ×
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.00	38.00
2.	असम	1.00	3.00
3.	बिहार	2.00	8.00
4.	गुजरात	6.00	32.00
5.	हरियाणा	10.00	23.00
6.	हिमाचल प्रदेश	4.00	5.00
7.	जम्मू व कश्मीर	8.00	8.00
8.	कर्नाटक	—	36.00
9.	केरल	31.00	10.00
10.	मध्य प्रदेश,	18.00	32.00
11.	महाराष्ट्र	9.50	22.00
12.	मणिपुर	1.00	3.00
13.	मेघालय	1.00	8.00
14.	नागालैंड	3.00	6.00
15.	उड़ीसा	18.50	15.00
16.	पंजाब	13.00	12.00
17.	राजस्थान	10.00	55.00
18.	तमिल नाडु	25.00	60.00
19.	त्रिपुरा	6.00	2.00
20.	उत्तर प्रदेश	—	40.00
21.	पश्चिम बंगाल	14.00	13.00

1	2	3	4
22.	मिजोरम	—	5.00
23.	गोवा, दमन व द्वीप	—	7.00
24.	दिल्ली	1.00	4.00
25.	पांडिचेरी	6.00	3.00
		200.00	450.00

× कालम 4 में दर्शाये गये आबंटन जातिवार नहीं किए गए थे।

विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम—वर्ष 1982-83 के दौरान आबंटन-केन्द्रीय अंश

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों का नाम	दोगली किस्म की ओसरें पालना	कुक्कुट पालन	सूअर पालन	भेड़ पालन
2-	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	14.50	7.25	1.80	8.70
2.	असम	5.80	2.90	2.40	—
3.	बिहार	11.60	8.70	2.40	1.45
4.	गुजरात	17.40	8.70	—	2.90
5.	हरियाणा	11.60	4.35	1.20	2.90
6.	हिमाचल प्रदेश	2.90	1.45	—	1.45
7.	जम्मू व कश्मीर	5.80	2.90	—	4.35
8.	कर्नाटक	17.40	4.35	1.80	10.15
9.	केरल	5.80	2.90	0.60	—
10.	मध्य प्रदेश	43.50	10.15	0.60	5.80
11.	महाराष्ट्र	26.10	5.80	1.80	8.70
12.	मणिपुर	—	1.45	0.60	—
13.	मेघालय	2.90	1.45	1.20	—
14.	नागालैंड	2.90	—	4.20	—

1	2	3	4	6	7
15.	उड़ीसा	11.60	3.35	1.20	1.45
16.	पंजाब	20.30	5.80	2.40	—
17.	राजस्थान	20·30	2.90	1·20	14.50
18.	तमिलनाडु	14.50	5.80	1.80	4.35
19.	त्रिपुरा	2.90	—	0.60	—
20.	उत्तर प्रदेश	20.30	11.60	1.80	7.25
21.	पश्चिम बंगाल	20.30	4.35	0.60	—
22.	मिजोरम	—	—	0.80	—
23.	गोवा, दमन व द्वीव	5.80	2.90	0.60	—
24.	दिल्ली	5.80	—	0.60	—
25.	पांडिचेरी	5.80	—	—	—
		295.800	100.05	30.20	73.95

विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम-वर्ष 1983-84 के दौरान आबंटन-केन्द्रीय अंश

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	दोगली किस्म की ओसरें	कुक्कुट पालन	सुअर पालन	भेड़ पालन	स्टाफ
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.50	6.15	8.30	1.25	23.80
2.	असम	—	—	2.00	—	6.60
3.	बिहार	6.00	7.00	4.00	1.10	6.70
4.	गुजरात	7.00	7.50	—	3.50	9.70
5.	हरियाणा	5.00	3.75	2.00	2.40	13.30
6.	हिमाचल प्रदेश	2.70	1.25	—	—	2.70
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	2.00	8.20
8.	कर्नाटक	8.00	3.75	3.00	7.40	8.20
9.	केरल	16.00	6.50	7.00	—	6.90

1	2	3	4	5	6	7
10.	मध्य प्रदेश	7.05	7.75	—	3.20	31.50
11.	महाराष्ट्र	11.50	5.00	3.00	7.20	14.40
12.	मणिपुर	—	1.25	1.00	—	0.80
13.	मेघालय	1.50	1.25	3.50	—	3.30
14.	नागालैण्ड	—	—	6.00	—	9.40
15.	उड़ीसा	9.00	6.00	2.00	3.00	12.20
16.	पंजाब	10.50	—	4.00	—	2.10
17.	राजस्थान	10.50	2.50	2.00	10.50	27.30
18.	तमिलनाडु	16.00	10.00	5.00	7.00	11.70
19.	त्रिपुरा	1.50	—	1.00	—	1.60
20.	उत्तर प्रदेश	14.00	—	6.00	12.50	22.50
21.	पश्चिम बंगाल	3.50	2.75	1.00	—	11.30
22.	मिजोरम	—	—	2.00	—	1.60
23.	गोआ, दमन और दीव	3.00	2.50	2.00	—	7.10
24.	दिल्ली	—	—	—	—	3.30
25.	पांडिचेरी	7.00	—	—	—	2.80
		149.25	74.90	64.80	61.05	250.00

विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम

किया गया व्यय (लाख रुपए में)

1. दोगली किस्म की औसरें पालना
2. कुक्कुट, सूअर और भेड़ संवर्धन एककों की स्थापना
3. स्टाफ प्रटक

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1981-82 (केंद्रीय अंशदो)	1982-83 केंद्रीय तथा राज्य अंश	1983-84 केंद्रीय तथा राज्य अंश
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	57.945	123.952	94·680
2.	असम	3.655	अप्राप्य	28.150

1	2	3	4	5
3.	बिहार	14.160	37.530	28.860
4.	गुजरात	23.500	49.061	28.040
5.	हरियाणा	30.500	38.316	41.768
6.	हिमाचल प्रदेश	6.207	10.871	11.100
7.	जम्मू व कश्मीर	14.932	2.304	9.160
8.	कर्नाटक	41.165	9.500	37.500
9.	केरल	17.300	62.561	65.377
10.	मध्य प्रदेश	55.390	94.838	94.790
11.	महाराष्ट्र	21.278	73.357	अप्राप्य
12.	मणिपुर	1.960	0.615	0.780
13.	मेघालय	4.063	6.951	4.480
14.	नागालैंड	7.500	14.700	अप्राप्य
15.	उड़ीसा	29.095	47.720	44.390
16.	पंजाब	अप्राप्य	25.760	41.170
17.	राजस्थान	57.470	33.740	41.420
18.	तमिलनाडु	85.970	139.600	135.220
19.	त्रिपुरा	12.105	29.104	39.376
20.	उत्तर प्रदेश	31.660	75.999	89.020
21.	पश्चिम बंगाल	12.460	अप्राप्य	39.330
22.	मिजोरम	0.850	9.500	अप्राप्य
23.	गोवा दमन और दीव	6.800	7.840	7.150
24.	दिल्ली	0.810	शून्य	--
25.	पांडिचेरी	6.820	8.000	9.010
	योग :	543.515	901.869	885.771

टिप्पणी : पूरी योजना के लिए किए गए वास्तविक व्यय की सूचना राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई थी ।

केंद्रीय भाण्डागार निगम में कनिष्ठ अभिन्यताओं की भर्ती

2029. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम में कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल के कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ख) क्या इन खाली पदों को भरने के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा या उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से बुलाया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) का कोई पद नहीं है। तथापि, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद के तदनुरूप केन्द्रीय भाण्डागार निगम में सेक्शनल आफिसर (सिविल) का पद है। इस समय सेक्शनल आफिसर के सात पद खाली हैं।

(ख) ये पद रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों से भरे जाते हैं। तथापि, यदि इस स्रोत से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये पद विज्ञापन के जरिए आवेदन-पत्र मंगवा कर भरे जाते हैं।

नई चीनी मिलों के लिए मांग

2030. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार नई चीनी मिलें लगाने और मौजूदा एककों का विस्तार करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक जारी किये गए आशय-पत्रों/लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और कितने आवेदन नामंजूर कर दिये गये और कितने लम्बित हैं; और

(ग) नये एककों की और छठी पंचवर्षीय योजना में विस्तार योजना के अन्तर्गत कितनी अतिरिक्त उत्पादन लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता होगी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सभा के पटल पर विवरण-एक और दो रखे जाते हैं जिनमें 1981-82 से 1983-84 तक के वर्षों की स्थिति दी गई है।

(ग) समूची छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 22 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस देने की परिकल्पना की गई थी। इस क्षमता में से अब तक 15.30 लाख मीटरीटन क्षमता के लाइसेंस दिए गए हैं। सातवीं योजना के लिए कितनी अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने होंगे, इसकी जांच की जा रही है और इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण-एक

क्र० सं०	राज्य	1981-82 (अक्तू-सित०)				1982-83 (अक्तू-सित०)				1983-84 (अक्तू-सित०)			
		प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या	दिए गए आशय पत्र/ लाइसेंस	अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्र	लम्बित	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या	दिए गए आशय पत्र/ लाइसेंस	अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्र	लम्बित	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या	दिए गए आशय पत्र/ लाइ-सेंस	अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्र	लम्बित
1.	उत्तर प्रदेश	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
2.	महाराष्ट्र	11	—	11	—	28	7	20	1	10	1	9	—
3.	पंजाब	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	तमिलनाडु	5	3	2	—	3	1	2	—	1	1	—	—
5.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
6.	कर्नाटक	—	—	—	—	7	2	5	—	—	—	—	—
7.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	गुजरात	2	1	1	—	4	1	3	—	—	—	—	—
9.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
	जोड़ :	23	8	15	—	42	11	30	1	15	3	12	—

विवरण-दो

क्र० सं०	राज्य	1981-82 (अक्टू०-सित०)				1982-83 (अक्टू०-सित०)				1983-84 (अक्टू०-सित०)			
		प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	दिए गए आशय पत्र/ लाइसेंस	अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्र	लम्बित	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या	दिए गए आशय पत्र/ लाइसेंस	अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्र	लम्बित	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	दिए गए आशय पत्र/ लाइसेंस	अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्र	लम्बित
1.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	10	4	4	2	5	—	3	2
2.	महाराष्ट्र	2	2	—	—	7	5	—	2	12	12	—	—
3.	पंजाब	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
4.	तमिलनाडु	1	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	—
5.	असम	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	कर्नाटक	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	उड़ीसा	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
9.	बिहार	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़ :	13	12	1	—	22	14	4	4	18	13	3	2

उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने की योजना

[हिन्दी]

2031. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने तथा उन पर कार्यवाही करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में ऐसे कक्ष खोलने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय नागरिक पूर्ति विभाग में, जनता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इस अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा संगठनों के परामर्श से जांच की जाती है और संबंधित अभिकरणों द्वारा तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। नई दिल्ली में 29 व 30 मार्च, 1985 को हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित परामर्शदात्री परिषद की पिछली बैठक में राज्य तथा जिला स्तरों पर इसी प्रकार के जन शिकायत सेल स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

ग्रामीण शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में बेघर लोग

2032. **श्री० सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ग्रामीण शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में राज्यवार बेघर लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) उन्हें मकान प्रदान करने की योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसके कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, गैर सरकारी क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने क्या योगदान दिया है तथा यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी;

(ग) इसके संबंध में 1985-86 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता थी तथा उक्त अवधि में कितने मकान आवंटित किए गए ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार बेघर जनसंख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) आवास राज्य का विषय है। बेघरों को आवास मुहैया कराने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। इस प्रयोजन के लिए राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं।

(i) ग्रामीण आवास स्थल का आवंटन और निर्माण सहायता का प्रावधान जिसके लिए छठी योजना में प्रावधान 353.50 करोड़ रुपये था।

(ii) शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों का निर्माण जिसके लिए छठी योजना में प्रावधान 485 करोड़ रुपये था। बेघरों को बसाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित कोई योजना अलग से नहीं है।

(ग) 1985-86 की योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास की कमी निम्न प्रकार से थी :

(लाखों में)

1981-82	220.00
1982-83	229.00
1983-84	238.00

इस प्रकार से अतिरिक्त मकानों की वर्षवार आवश्यकता 9 लाख तक थी। छठी योजना अवधि (28.2.85 तक) के दौरान (क) 52.85 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवासस्थल दिए गए तथा 18.16 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है, (ख) शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 8.02 लाख मकानों का निर्माण किया गया है।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार बेघर व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	शहरी	योग
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	175539	75307	250866
2.	बिहार	34414	25770	60184
3.	गुजरात	267213	43201	310414
4.	हरियाणा	34797	8901	43698

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	22208	1721	23929
6.	जम्मू और कश्मीर	9734	1058	10792
7.	कर्नाटक	84821	42929	127750
8.	केरल	13147	8599	21746
9.	मध्य प्रदेश	278941	53496	332437
10.	महाराष्ट्र	442633	99824	542457
11.	मणिपुर	118	10	128
12.	मेघालय	219	116	335
13.	नागालैण्ड	69	189	258
14.	उड़ीसा	41202	9469	50761
15.	पंजाब	33112	23260	56372
16.	राजस्थान	134391	32424	166815
17.	सिक्किम	865	441	1306
18.	तमिलनाडु	31298	26163	57461
19.	त्रिपुरा	305	104	409
20.	उत्तर प्रदेश	60211	48329	108540
21.	पश्चिम बंगाल	48372	84430	132802
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	52	126	178
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	चण्डीगढ़	—	4047	4047
4.	दादर तथा नागर हवेली	917	108	1025
5.	दिल्ली	4354	22516	26870
6.	गोआ, दमन तथा दीव	3941	3257	7198
7.	लक्ष द्वीप	1	2	3

1	2	3	4	5
8.	मिजोरम	287	88	375
9.	पाण्डिचेरी	840	2958	3798
	×योग :	1724111	618843	2342954

टिप्पणी :

1. × इसमें असम की जनसंख्या शामिल नहीं है जहां 1981 की जनगणना के समय असामान्य स्थितियों के कारण जनगणना नहीं की जा सकी।

2. = इसमें पाकिस्तान तथा चीन के अवैधानिक कब्जे के अन्तर्गत उन क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी।

3. जनगणना अभियान के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या के अलग से आंकड़े संकलित नहीं किए गए थे।

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की कीमतों में वृद्धि

[अनुवाद]

2033. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो आम आदमी के हित में समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की कीमतें नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र उद्योग समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के मूल्य बढ़ाने या घटाने के लिए स्वतन्त्र है। प्रेस की स्वतंत्रता के हित में उनके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण ढांचा

2034. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**
श्री हन्नान मोल्लाह
श्री वसुदेव आचार्य } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का विद्यमान प्रसारण ढांचा, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही अक्तूबर, 1984 के अन्तिम दिन देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रामाणिक समाचार प्राप्त करने में एक बार फिर असफल रहा;

(ख) क्या ये दोनों संगठन वर्ष 1962 में भी चीन द्वारा युद्ध विराम संबंधी समाचार के प्रसारण में इसी प्रकार असफल रहे थे;

(ग) यदि उक्त दोनों बातें सही हैं तो असफलता की इस पुनरावृत्ति के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं यह सही नहीं है। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री जैसे देश के उच्च पदधारियों की मृत्यु के समाचार को प्रसारित टेलीकास्ट करने के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है।

(ख) 1962 में उस अवसर पर प्रसारित/टेलीकास्ट किए गए समाचार, घोषणा आदि, यदि कोई हो, के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दूध के मूल्य में वृद्धि

2035. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना के मूल्यों में वर्ष 1980 के बाद कितनी बार वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के दूध के मूल्यों में 1980 के बाद निम्न बार वृद्धि की गई है :—

दिल्ली दुग्ध योजना	
टोण्ड दूध	1
मानकीकृत दूध	2
मदर डेरी	
टोण्ड दूध	3
पूर्ण क्रीमयुक्त दूध	5

कच्चे दूध और अन्य आदानों की लागत में वृद्धि होने की बजह से दूध की उत्पादन लागत में वृद्धि होने से दूध के विक्रय मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था।

कुरसियोंग दूरदर्शन रिले केन्द्र द्वारा प्रसारण

2036. **श्री माणिक सान्याल**
श्री आनन्द पाठक } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुरसियोंग दूरदर्शन रिले सेन्टर द्वारा अपने चैनल संख्या 6 से किए जाने वाले प्रसारण बंगला देश टेलीविजन के चैनल संख्या 6 द्वारा बार-बार गड़बड़ी होती है जिससे उत्तर बंगाल के लोगों में भारी निराशा पैदा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल सुधारात्मक उपाय करने पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एम० गवडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) उपचारी उपाय किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का आवंटन

2037. **श्री चित्त महाता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली की आवास समस्या हल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के लोगों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया है और उन्हें आवंटित किया गया है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास और अधिक मकानों के आवंटन की मांग लम्बित है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार दिल्ली का विकास करना है। इसने दिल्ली में मकानों/फ्लैटों के निर्माणार्थ भूमि/भू-खण्डों का आवंटन करके और सीधे ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करके आवास की समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमि का भी निभाई है।

(ख) 1967-68 से 1983-84 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 105274 फ्लैटों का निर्माण किया गया था तथा पंजीयकों को इनका आवंटन किया गया।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत 1,58,345 व्यक्ति डी० डी० ए० से फ्लैटों

के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य चरणों में किया जा सकता है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्षमता पर निर्भर करता है ।

जिला स्तर पर खाद्यान्नों के भंडारण का प्रस्ताव

[हिन्दी]

2038. **श्री हरीश रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार देश के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के जिला स्तर पर भंडारण की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में इस प्रकार के गोदाम कब तक स्थापित किए जाने का विचार है; और उनकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पहाड़ी इलाकों समेत विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए गोदामों का निर्माण करवाने संबंधी प्रस्तावों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन क्षेत्रों की आवश्यकता और परिचालन संबंधी तथ्यों के आधार पर समय समय पर विचार किया जाता है ।

(ख) पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में प्रत्येक स्थान पर लगभग 5000 मीटरी टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करवाने के बारे में एक प्रस्ताव इस समय भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है ।

दूरदर्शन पर फिल्मों का दिखाया जाना

[अनुवाद]

2039. **श्री श्रीहरि राव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अधिकतम संख्या में फीचर फिल्में बनाई जाती हैं; यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में बनाई गई फिल्मों की तुलना में उनका वर्षवार क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या 1984 के दौरान राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत 30 क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में दिखाई गईं; यदि हां, तो उनके भाषावार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि देश में लगभग 7 करोड़ तेलुगु भाषी नागरिक हैं, केवल दो तेलुगु फिल्में दिखाई गई थीं; और

(घ) क्या सरकार फिल्में दिखाने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1982 से 1984 तक के केलेंडर वर्षों के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय संजाल पर मई, 1984 से हर मास के प्रथम रविवार को क्षेत्रीय भाषा की एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्म टेलीकास्ट कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को बारी-बारी से टेलीकास्ट किया जाता है ताकि विभिन्न भाषाओं की फिल्मों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इस प्रकार की फिल्मों का टेलीकास्ट किया जाना; प्रदर्शन अधिकार रखने वाली पार्टियों द्वारा टेलीकास्ट हेतु फिल्में उपलब्ध किये जाने पर निर्भर करता है। दूरदर्शन द्वारा 1984 (मई-दिसम्बर, 1984) के दौरान राष्ट्रीय संजाल पर विभिन्न भाषाओं की आठ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को टेलीकास्ट किया गया जिनमें से तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और मराठी की एक-एक तथा बंगला की 2 फिल्में थीं।

(घ) क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों का राष्ट्रीय टेलीकास्ट करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त मौजूद हैं।

विवरण

कलैंडर वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 के दौरान प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या

क्र० सं०	भाषा	1982	1983	1984
1	2	3	4	5
1.	तेलगू	154	134	170
2.	हिन्दी	148	132	165
3.	तमिल	141	128	148
4.	मलयालम	117	112	121
5.	कन्नड़	51	72	81
6.	बंगला	49	49	35
7.	गुजराती	39	27	30
8.	मराठी	24	20	25
9.	उड़िया	9	12	14
10.	उर्दू	7	4	1

1	2	3	4	5
11.	पंजाबी	6	19	10
12.	असमियां	5	4	5
13.	भोजपुरी	3	11	9
14.	राजस्थानी	3	4	2
15.	नेपाली	2	2	4
16.	अंग्रेजी	1	1	2
17.	मालवी	1	—	—
18.	कोंकनी	1	—	—
19.	ब्रजभाषा	1	—	—
20.	मैथिली	1	—	—
21.	मणिपुर	—	3	2
22.	सिंधी	—	1	—
23.	खासी	—	1	1
24.	हरयानवी	—	1	4
25.	गढ़वाली	—	1	1
26.	तुलु	—	1	—
27.	संस्कृत	—	1	—
28.	कश्मीरी	—	1	—
29.	मूक	—	1	—

बाड़मेर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना

[हिन्दी]

2040. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1984-85 के आरम्भ में राजस्थान के सीमावर्ती जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां तो उक्त आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आकाशवाणी केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा और कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन०गाडगिल) : (क) योजना आयोगने बाड़मेर में 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियों, संग्रहण सुविधाओ तथा स्टाफ क्वार्टरों के साथ रेडियो स्टेशन की स्थापना सिद्धान्ततः अनुमोदित की थी बशर्ते कि स्कीम का परिव्यय सातवीं योजना के लिए अनुमोदित किए जाने वाले परिव्यय के अन्दर हो और परिव्यय 1985-86 और इसके बाद वहन किया जाए ।

(ख) और (ग) ट्रांसमीटर, स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों के लिए स्थल ढूंढने का कार्य चल रहा है। केन्द्र के सातवीं योजना (1985-90) के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत

[अनुवाद]

2041. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों ने ओलावृष्टि, सूखा और अनवरत वर्षा के कारण राहत कार्यों हेतु कितनी वित्तीय सहायता मांगी और राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सूखे के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान मांगी गई तथा मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता की राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण-एक तथा बाढ़ों, भारी वर्षा समुद्री तूफान, ओलावृष्टि से सम्बन्धित जानकारी विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

(करोड़ रुपए)

क्र०सं० तथा राज्य	1982-83		1983-84		1984-85		टिप्पणी
	मांगी गई	मंजूर की गई	मांगी गई	मंजूर की गई	मांगी गई	मंजूर की गई	
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	220,24	68.77	165.12	28.26	369.28	54.42	
2. असम	—	—	—	—	—	—	
3. बिहार	234.30	25.01	74.57	8.98	—	—	
4. गुजरात	202.00	30.60	1982-83 में शामिल है	9.18	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	हरियाणा	83.85	11.82	—	—	78.96	8.70+	+कपास के लिए
6.	हिमाचल प्रदेश	41.50	13.02	—	—	149.98	19.37+	+हानि तथा नहर में दरार
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	
8.	कर्नाटक	51.01	8.81	1982-83 में शामिल है	14.00	209.50	32.73	
9.	केरल	23.56	4.10	229.60	42.46	—	—	
10.	मध्य प्रदेश	106.14	34.36F	72.72	22.29	112.92	15.14+	+
11.	महाराष्ट्र	131.14	56.89	27.41	11.63	133.66	31.83+	+शीत लहर के लिए 1.20 शामिल हैं
12.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	
						(करोड़ रुपए)		
15.	उड़ीसा	251.43	15.98F	149.65	24.65	115.73	8.95+	+
16.	पंजाब	—	—	—	—	24.45	6.35	कपास के लिए हानि
17.	राजस्थान	398.94	74.00	105.67	39.85	159.89	31.32+	+
18.	सिक्किम	5.00	0.17	0.85	0.13"	—	—	
19.	तमिलनाडु	190.00	18.39	219.45	59.15	—	—	
20.	त्रिपुरा	4.22	2.01†	—	—	—	—	†1981-82 के लिए 1.10 शामिल है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	उत्तर प्रदेश	—	—	36.09	1.57	181.45	8.10	
22.	पश्चिम बंगाल	278.22	74.27	102.33	30.59	—	—	

F— इसके अतिरिक्त, 1981-82 से आगे लाई गई धनराशि के रूप में 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश की 6.63 करोड़ रुपए तथा उड़ीसा को 3.80 करोड़ रुपए मंजूर किये गये थे।

" — सिक्किम (0,09 करोड़ रुपए) के मामले में 1983-84 के दौरान स्वीकृत 1984-85 के लिए आगे लाई गई धनराशि शामिल है।

\+ 1984-85 के दौरान हिमाचल प्रदेश (6.67) करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (3.76 करोड़ रुपए), उड़ीसा (6.00 करोड़ रुपए), राजस्थान (25.89 करोड़ रुपए) के मामले में 1985-86 के लिए आगे लाई गई धनराशि शामिल है।

विवरण दो

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	तथा राज्य	1982-83		1983-84		1984-85		टिप्पणी
		मांगी गई	मंजूर की गई	मांगी गई	मंजूर की गई	मांगी गई	मंजूर की गई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	406.39	96.70	130.50	42.53 +	+ आई० ए० एफ० बिल शामिल नहीं है
2.	असम	24.84	9.47	52.00	81.07	157.11	39.97 +	+ आई० ए० एफ० बिल शामिल नहीं है
3.	बिहार	63.34	17.48	—	—	204.94	58.94	
4.	गुजरात	154.63	41.94F	166.85	39.22"	—	—	
5.	हरियाणा	26.39	1.75	103.77	17.07	33.32	1.55	शीत लहर
6.	हिमाचल प्रदेश	21.07	4.03	73.09	8.29	5.30	2.73	
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	1.00	1.00	6.09	3.78	
8.	कर्नाटक	20.80	4.42	18.99	3.29	3.74	—	कार्यवाही चल रही है
9.	केरल	34.55	0.11	—	—	195.15	21.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मध्यप्रदेश	22.67F	2.07	23.93	5.69"	23.01	5.91	
11.	महाराष्ट्र	—	—	106.04	24.68	—	—	
12.	मणिपुर	—	—	—	—	2.00	0·28	
13.	मेघालय	1.00	0.33	4.17	1.90X	5.92	1.76	
14.	नागालैण्ड	—	—	1.62	0.77	—	—	
15.	उड़ीसा	757.10	170.52	—	—	161.24	23.43	
16.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	
17.	राजस्थान	32.20	0.32	68.00	8·93	22.25	4.99	
18.	सिक्किम	—	—	33.34	4.40X	11.33	3.90	
19.	तामिलनाडु	—	—	129.12	41.18	106.78	27.96	
20.	त्रिपुरा	0.97	0.56	19.43	4.50	12.44	7.99++	
21.	उत्तरप्रदेश में शामिल है।	448.00	67.23	563.76	65.79X	264.17	47.89	
22.	पश्चिमी बंगाल	1981-82	7.57	—	—	151.58	58.68 +	

F- इसके अतिरिक्त, 1981-82 से आगे लाई गई धनराशि के रूप में गुजरात को 30.97 करोड़ रुपए तथा मध्य प्रदेश को 9.14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

"—इसके अतिरिक्त, 1982-83 से आगे लाई गई धनराशि के रूप में "गुजरात को 4.45 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को 1.00 करोड़ रुपए तथा उड़ीसा को 22.98 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

×इसमें मेघालय (1.17 करोड़ रुपए), सिक्किम (2.43 करोड़ रुपए), उत्तर प्रदेश (8.53 करोड़ तुपए) के मामले 1984-85 के लिए आगे लाई गई धनराशि शामिल है।

++इसमें आन्ध्र प्रदेश (12.79 करोड़ रुपए), त्रिपुरा (0.69 करोड़ रुपए) तथा पश्चिम बंगाल (10.65 करोड़ रुपए) के मामले में 1985-86 के लिए आगे लाई गई धनराशि शामिल है।

फसल—बीमा योजना शुरू करना

[हिन्दी]

2042. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर चालू वर्ष के दौरान, सिंचाई कार्यों के लिए बिजली और पानी की अपर्याप्त सप्लाई को देखते हुए भविष्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, किसानों को कृषि-आदाने और सिंचाई कार्यों के लिए अधिक पानी तथा बिजली देने के लिए क्या-क्या योजनाएं शुरू करने का विचार है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त स्थिति में सुधार करने और किसानों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार कृषि आदानों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए कृषि सम्बन्धी उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार कर रही है क्योंकि अन्यथा किसानों को पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही है; और

(घ) क्या किसानों को दैवी-विपत्तियों के कारण हुए भारी नुकसान तथा इस बात को देखते हुए कि उनकी वित्तीय स्थिति कृषि सम्बन्धी उत्पादों पर निर्भर है, क्या सरकार का विचार फसल बीमा योजना शुरू करने का है, और यदि हां, तो कब तक शुरू करने का विचार है;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) तथा (ख) सरकार ने देश के सभी खण्डों में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में एक बृहत् कार्यक्रम शुरू किया है। योजना में छोटे और सीमान्त किसानों को लघु सिंचाई कार्यों पर राज सहायता देने और तिलहनों और दलहनों के लिए बीजों मिनिकिटों तथा उर्वरकों का निःशुल्क वितरण करने का प्रावधान है। सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण से किसानों की सिंचाई की जरूरतों को समुचित रूप से पूरा किया जा रहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में और समय पर बिजली की आपूर्ति करें।

(ग) समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें उत्पादन की लागत शामिल की जाए और किसानों को पूंजी निवेश करने और उन्नत फार्म तकनीकी अपनाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए लाभ की उचित गुंजाइश भी हो। पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य कृषि फसलों के समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों मे पर्याप्त वृद्धि की गई है ताकि ये किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो सकें।

(घ) वर्ष 1979 से देश में फसल बीमे की क्षेत्र पर आधारित एक योजना पहले ही चल रही है। यह योजना फसल ऋणों के साथ जुड़ी हुई है और सभी प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के हमलों आदि से होने वाले खतरों के सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान करती है। खरीफ, 1985 से इस योजना का और अधिक विस्तार करने का विचार है, ताकि इसमें गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कदन्नों से सम्बन्धित सभी ऋणी किसानों को शामिल किया जा सके।

खाद्य तेलों का उत्पादन और खपत

[अनुवाद]

2043. **श्री जी० भूपति**: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों का वार्षिक उत्पादन कितना है और खपत कितनी है;

(ख) क्या देश में खाद्य तेलों का उत्पादन प्रति वर्ष खपत से लगभग 12 लाख टन कम रहता है;

(ग) इस कमी को सरकार का कैसे पूरा करने का विचार है; और

(घ) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान, देश मे खाद्य तेलों का उत्पादन तथा उनकी मांग क्रमश: 33 लाख मी० टन तथा लगभग 49 लाख मीटरी टन थी।

(ख) उस वर्ष के दौरान, देशी खाद्य तेलों की मांग तथा इनकी उपलब्धता के बीच लगभग 16 लाख मी० टन का अन्तर था।

(ग) इस कमी को अल्पकालिक उपाय के रूप में खाद्य तेलों का आयात करके पूरा किया जाता है।

(घ) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : —

(1) 1983-84 तक चल रही तिलहन विकास योजनाओं को नया रूप देकर तथा समेकित करके 1984-85 के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना मंजूर की गई है।

(2) चुने राज्यों में विशेष परियोजनाओं के माध्यम से चार मुख्य फसलों, अर्थात मूंगफली, रेपसीड सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के मामले में भी फसल तथा स्थान विशेष की नीति अपनायी गई है।

(3) मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के अतिरिक्त तिलहन की अन्य फसलों, अर्थात तिल, कुसुम और नाइजर के मामले में भी गहन कार्यक्रम 14 राज्यों में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ बेर पारम्परिक तिलहनों का विकास करने, सिंचित फ़सलों, विशेष रूप से रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफलीकी फसल के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने, उन्नत प्रणालियों के पैकेज को अपनाने, आधारभूत निवेशों की आपूर्ति करने तथा बीजों और उर्वरक के मिनीकिटों का बड़े पैमाने पर मुफ्त वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(4) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन और विपणन को नया रूप देने की परियोजना के अन्तर्गत 7 राज्यों में राज्य स्तर के सहकारी तिलहन उत्पादन संघों का गठन किया गया है।

(5) तिलहनों के उत्पादन, संसाधन और विपणन के मामले में समेकित विकास करने और साथ ही वनस्पति तेलों तथा उद्योग का विकास करने के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड की स्थापना की गई।

महाराष्ट्र में पीने के पानी की भारी कमी

2044. **श्री उत्तम राठौर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे महाराष्ट्र में लोगों को पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार के लिए अपने साधनों से इस समस्या को हल करना संभव है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में उसकी सहायता करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1985-86 में पानी की कमी पर कृषि तथा सहकारिता विभाग को दिए गए आपन के अनुसार महाराष्ट्र में 2900 गांव तथा 31 शहरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

(ख) स्थिति का स्थल पर मूल्यांकन करने के बाद तथा राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर राज्य द्वारा सूखे की स्थिति के बारे में दिए गए आपन के आधार पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को पेयजल पूर्ति के लिए 1984-85 के दौरान भारत सरकार ने 11.58 करोड़ रुपए के अधिकतम व्यय का अनुमोदन किया। कृषि तथा सहकारिता विभाग को वर्ष 1985-86 के लिए महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बारे में हाल ही में प्राप्त आपन के अनुसरण में स्थिति का जायजा लेने के लिए शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल राज्य का दौरा करेगा। इसके अतिरिक्त पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों के लाभान्वयन के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र सरकार 12.75 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अनुदान दिए गए थे।

1985 की खरीफ की फसल के लिए बीजों के बारे में क्षेत्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय

2045. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 की खरीफ की फसल के लिए बीजों के बारे में हाल में समाप्त हुए क्षेत्रीय

सम्मेलन में, जिसमें राज्य सरकारों के बीज निगमों के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, क्या निर्णय लिए गए; और

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हाल के क्षेत्रीय बीज सम्मेलन में खरीफ 1985 के लिए अच्छे किस्म के बीजों/प्रमाणीकृत बीजों की उपलब्धता और आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया। खरीफ, 1985 के लिए अच्छे किस्म के बीजों/प्रमाणीकृत बीजों की कुल आवश्यकता 31.60 लाख क्विंटल है, जबकि इनकी उपलब्धता 32.42 लाख क्विंटल है।

(ख) खरीफ, 1985 के लिए फसलवार, राज्यवार और एजेंसी-वार बीज आपूर्ति योजना तैयार की गई है और कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों, राज्य बीज निगमों, राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और निजी बीज बिक्रेताओं को भेजी गई है। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बीज आपूर्ति का नियमित प्रबोधन किया जा रहा है।

खाद्यान्नों की वसूली

2046. **श्री जी० एस० धोलप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों की वसूली इतनी अधिक बढ़ गयी है कि सरकार को खाद्यान्नों का निर्यात करने के लिए सोचना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1985 तक कितनी वसूली हुई है;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1984-85 मौसम के दौरान खाद्यान्नों की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी दिखाई देती है। यदि आवश्यक और व्यवहार्य हो तो सरकार देश से खाद्यान्नों का निर्यात कर सकती है।

(ख) पिछले तीन खरीफ और रबी विपणन मौसमों के दौरान खाद्यान्नों की वसूली का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(लाख मीटरी टन में)

विपणन मौसम	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	मोटे अनाज	गेहूं
1982-83	70.5	1.7	77.2
1983-84	78.3	0.4	82.9
1984-85 (31.3.85 को)	87.7	1.6	93.0

एक उद्योग के लिए एक ही मजदूर संघ

2047. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक उद्योग के लिए एक ही मजदूर संघ बनाए जाने के प्रयोजन के लिए विधान बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित विधान के बारे में अखिल भारतीय श्रम संगठनों/फैडरेशनों/यूनियनों से परामर्श कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा उक्त संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

2048. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को 'आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और तमिलनाडु की विभिन्न जेलों में भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये कर्मचारी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी सरकारी निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए प्रबन्ध मंडल से अनुरोध करते रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं तथा भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी सरकारी निर्देशों के क्रियान्वयन तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अब क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सभी गिरफ्तार कर्मचारियों को रिहा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के कार्य में बाधा डालने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लगभग 277 कर्मचारियों को आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के अधिनियम के अन्तर्गत मद्रास में गिरफ्तार किया गया था।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी मांग कर रहे थे कि सहायक ग्रेड-3 के पिछले बचे 200 पदों को सभी पात्र श्रेणी-4 के कर्मचारियों के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत पदोन्नति कोटा में से केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणी-4 के कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरा जाए। चूंकि सीधी भर्ती का अंश, जोकि सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए 70 प्रतिशत है, 66-2/3 प्रतिशत से बढ़ जाता है, इसलिए पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं हैं। सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों के बारे में भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करता है।

(ङ) निगम के प्रबन्ध और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की एसोसियेशन के बीच समझौता हो जाने पर गिरफ्तार किए गए सभी कर्मचारियों को छोड़ दिया गया था।

पेयजल की सप्लाई के लिए राजस्थान को विशेष सहायता

[हिन्दी]

2049. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में पेयजल की विकट समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार का विचार उक्त राज्य को विशेष सहायता देने की है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अहस राज्यों को अनुदान देने के लिए वर्ष 1985-86 के केन्द्रीय बजट में लगभग 298 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है। राजस्थान सहित राज्यों को अनुदानों के नियतन पर निर्णय संसद द्वारा बजट पास करने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

कृषि में कम्प्यूटर का प्रयोग

[अनुवाद]

2050. श्री सी० पी० ठाकुर : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि में कम्प्यूटर के प्रयोग के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक ऐसा केन्द्र बिहार में भी खोलने का है जहां कृषि के आधुनिकीकरण की बहुत आवश्यकता है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

[हिन्दी]

2051. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी आवास के आवंटन की नीति में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और नई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय मन्त्रियों के साथ कार्यरत प्रत्येक पद के वैयक्तिक कर्मचारियों को आवंटित किए जा सकने वाले विभिन्न टाइप के आवासों की संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जो आवास आवंटित किया जा सकता है उसके ब्यौरे इस प्रकार हैं : –

(i) प्रधान मन्त्री कार्यालय के उन मुख्य कार्मिकों को जिसकी प्रधान मंत्री सिफारिश करें ।

(ii) किसी मन्त्री के निजी स्टाफ के दो सदस्य (श्रेणी घ के अलावा) और उपमन्त्री के स्टाफ में एक सदस्य को (वर्ग घ के अलावा) मन्त्री/उपमन्त्री की सिफारिश पर आवंटन किया जा सकता है बशर्ते कि उनकी सिफारिश पर पहले ही कोई तदर्थ आवंटन न किया गया हो ।

(iii) मन्त्री/उपमन्त्री की सिफारिश के अनुसार उनके साथ कार्यरत एक जमादार अथवा चपरासी ।

(iv) मंत्रियों के निजी स्टाफ में कार्य करने के लिए एक अधिकारी जिसकी सेवाएं राज्य सरकारों से विशेष रूप से ली गई हो ।

वास के प्रकार का निर्णय निर्धारित परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है ।

चीनी का आयात निर्यात

[अनुवाद]

2052. **श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चीनी का निर्यात मूल्य, आयात मूल्य और आयातिक चीनी का बिक्री मूल्य क्या है; और

(ख) क्या सरकार उन्हें देश के उत्पादकों, उपभोक्ताओं के सामूहिक हित के लिए सन्तोषजनक समझती है और यदि नहीं तो क्या उपचारात्मक/सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान निर्यात की गई चीनी का औसत एफ० ओ० बी० मूल्य लगभग 2343 रुपए प्रति मीटरी टन था। 1984 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए ठेकों के प्रति आयात की गई चीनी का औसत सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 2288 रुपए प्रति मीटरी टन था और यह चीनी भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों को लेवी मूल्य, जिसका अखिल भारतीय भारित औसत मूल्य 3110.70 रुपए प्रति मीटरी टन (उत्पाद शुल्क रहित, था, पर आवंटित की गई थी।

(ख) देश में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त स्तर पर बनाये रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर चीनी का आयात किया गया है। 1985 के दौरान अब तक चीनी के निर्यात की अनुमति भारत के योरूपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिमान्य कोटों की मात्रा दी गई है लेकिन इसमें नेपाल आदि को निर्यात के लिए वचनबद्ध थोड़ी-सी मात्रा शामिल नहीं है।

राजधानी में जल की अत्यन्त कमी

2053. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राजधानी को गर्मी के आरम्भ होने से पूर्व ही पानी की अत्यन्त कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) वजीराबाद बैराज में तालाब स्तर सामान्य (672 फुट) से नीचे होने के कारण फरवरी 1985 के अन्त में जलपूर्ति में कमी हुई थी जहां यमुना नदी से 170 एम० जी० डी० जल सप्लाई किया जाता है। बारिश न होने के कारण वजीराबाद बैराज में तालाब का स्तर कम हुआ।

(ग) भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड से 200 क्यूसेक तथा ताजेवाला से उत्तर प्रदेश के हिस्से में से 150 क्यूसेक अतिरिक्त जल रिलीज करने का प्रबन्ध किया गया और तालाब के स्तर को पूरा किया गया और इस समय तालाब के सामान्य स्तर को बनाये रखा जा रहा है।

दिल्ली की जलपूर्ति स्थिति, विशेष कर गर्मियों के दौरान, पर निगरानी रखने के लिए दो समितियों का गठन किया गया है जिनमें से एक के अध्यक्ष दिल्ली के उप राज्यपाल हैं और दूसरी निर्माण और आवास मन्त्रालय में है जिसमें अन्यों के साथ-साथ पड़ौसी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये समय-समय पर राजधानी में जलपूर्ति की स्थिति का पुनरीक्षण करेंगी और सन्तुष्टि स्तरों पर इसे बनाये रखने के लिए आवश्यक उपाय करेंगी।

आन्ध्र प्रदेश के बिना पहुंच वाले गांवों में मूलभूत सुविधाएं

2054. **श्री टी० बाला गौड़** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में चेला रेड्डी, कामा रेड्डी भीमगल, मदनूर और दोमनकोंड तालुकों में कुछ गांव घने जंगलों से घिरे हैं और वे सड़क अथवा संचार के अन्य साधनों की पहुंच से दूर हैं;

(ख) क्या इन गांवों में वन क्षेत्र को कोई क्षति पहुंचाए बिना सड़क, बिजली और लघु सिंचाई हेतु तालाबों जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया गया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार के पास जो प्रस्ताव हैं उनका क्या ब्यौरा है; और

(घ) इस मामले में स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी हां। ये तालुक वन इलाके हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इन तालुकों में स्थित गांव पूरी तरह से अगम्य नहीं हैं। इन वन क्षेत्रों में सड़कों (मुख्यतः अच्छे मौसम में काम आने वाली सड़कों) का जाल बिछा हुआ है और इन सड़कों का उपयोग वनों के अन्दर स्थित गांवों के लोगों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन

2055. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आगामी सम्मेलन भारत में आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्मेलन आयोजित करने में कुल कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में आयोजित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मुख्तारनामे के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का हस्तान्तरण

2056. **श्री ई० एस० एम० फकीर मोहम्मद :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनेक फ्लैट मुख्तारनामे के माध्यम से हस्तांतरित किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इसके कारण दिल्ली में जमीन और फ्लैटों की कीमत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सरकार को इन अन्तरणों के बारे में पता है।

(ख) इन अन्तरणों और भूमि की कीमतों में वृद्धि के मध्य सीधे संबंध का पता लगाना कठिन होगा।

(ग) जैसे ही कोई अन्तरण ध्यान में आता है वैसे ही दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टे को रद्द करने की कार्यवाही आरम्भ करता है। दिल्ली प्रशासन ने उप पंजीकार को इस प्रकार के सामान्य मुख्तारनामे को पंजीकृत न करने की हिदायत भी दी है। भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि को सामान्य मुख्तारनामे के माध्यम से अनधिकृत तौर पर अन्तरित करने को रोकने के लिए दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 को संशोधित करने का भी सरकार का प्रस्ताव है।

तालाबन्दी पर रोक

2057. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालाबन्दी पर नियन्त्रण पाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जो कि उद्योगों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक संबंधों और औद्योगिक उत्पादन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन तालाबंदियों को विनियमित किया जाता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही तालाबंदियों को प्रतिषिद्ध करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, और तालाबंदियों को उठाने तथा प्रतिष्ठानों को पुन: शुरू करने के लिए संबंधित प्रबंधतंत्रों को निर्देश देने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले रहे हैं। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के अधीन, जिसमें कतिपय अनुचित श्रम व्यवहार को निर्दिष्ट किया गया है, अवैध समझी जाने वाली तालाबंदी का प्रस्ताव करना या उसे जारी रखना अधिनियम की धारा 25-प के अधीन दंडनीय अनुचित श्रम व्यवहार है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल आवास

2058. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, जम्मू तथा अहमदाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजन/सर्किल कार्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शहरों में कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल का आवास है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन शहरों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, लखनऊ में "सामान्य पूल" के विभिन्न टाइप के 232 क्वार्टर तथा 52 एककों वाला एक होस्टल निर्माणाधीन है। जयपुर, भोपाल तथा अहमदाबाद में "सामान्य-पूल" वास के निर्माण का भी प्रस्ताव है। "सामान्य पूल" वास के निर्माणार्थ इन स्थानों में भूमि का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्टाफ के लिए ही क्वार्टरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ वे भी "सामान्य पूल" वास के लिए पात्र हैं। तथापि, भोपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

स्टाफ के लिए 24 बने-बनाये फ्लैटों को खरीदने का अनुमोदन हाल ही में दिया गया है।

उड़ीसा को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर की गई धनराशि

2059. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन और खास-तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने हेतु राज्य में पिछड़े क्षेत्रों की सहायता के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी में अनाज और नकद राशि का अनुपात

2060. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को रियायती दरों पर अनाज और नकद धनराशि देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में भी उक्त मानदंड/अनुपात का पालन किया जाता है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को उनकी मजदूरी के भाग के रूप में प्रति श्रमदिन एक किलोग्राम खाद्यान्न दिये जाते हैं तथा शेष मजदूरी नकद धनराशि के रूप में दी जाती है। 16 जनवरी, 1984 से खाद्यान्न रियायती दरों पर वितरित किए जा रहे हैं। गेहूं 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा सामान्य, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्म का चावल क्रमशः 1.85 रुपए, 1.95 रुपए तथा 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। ये मानदण्ड अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए लागू हैं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

2061. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आवश्यक वस्तुओं विशेषत: नमक तथा माचिसों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इस द्वीपसमूह में मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस संघ राज्य क्षेत्र के सभी भागों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए देश के ऐसे दूरस्थ तथा अलग-अलग भागों में कोई अध्ययन किया है; यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा अध्ययन कराने का विचार है; और

(ग) क्या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने एक नागरिक पूर्ति निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोई अध्ययन नहीं किया गया है। विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रबन्धों की परिवीक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। यह मंत्रालय भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा करता है और उसमें सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है।

(ग) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए आवास बोर्ड का गठन

2062. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए एक आवास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) स्थल पर ही अध्ययन करने के लिए अधिकारियों का एक दल शीघ्र ही द्वीपसमूह को भेजा जा रहा है।

शिक्षा के लिए दूरदर्शन पर नया चैनल खोलना

2063. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1985-86 के दौरान केवल शिक्षा के लिए दूरदर्शन पर नया चैनल खोल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नया चैनल कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

शांति निकेतन कालोनी, नई दिल्ली के लिए दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो

2064. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नई दिल्ली की शांति निकेतन कालोनी में दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो खोलने के बारे में 13 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3093 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांति निकेतन कालोनी, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो खोलने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या शांति निकेतन रेजिडेंट एसोसिएशन ने इस संबंध में चेयरमेन, दिल्ली दुग्ध योजना को भी लिखा था, परन्तु उन्होंने न तो इस मामले में कोई कार्यवाही की और न ही पत्र पावती की कोई सूचना दी; और

(ग) ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ होने से पहले इस मामले को शीघ्र निपटाने और वहां के निवासियों की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के एक अधिकारी ने शांति निकेतन कालोनी में दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो के निर्माण हेतु स्थल के लिए दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कुछ समय पूर्व दिल्ली नगर निगम के अपर नगर नियोजक से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया था। दिल्ली दुग्ध योजना के मूल सन्दर्भ की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों को पुनः दे दी गई है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को शान्ति निकेतन आवास संघ की ओर से दिनांक 8.11.83 और 19.12.83 के लिए पत्र प्राप्त हुए थे। दिनांक 1.3.84 को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संघ के अवैतनिक सचिव को उत्तर भेजा गया था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे उपयुक्त निजी (बिना किराये के) स्थान का प्रबन्ध करें ताकि दिल्ली दुग्ध योजना प्रस्तावित स्थल पर दिल्ली नगर निगम की स्वीकृति प्राप्त होने और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा डिपो के निर्माण किये जाने तक अस्थायी तौर पर डिपो खोल सकें। इसके बाद दिल्ली दुग्ध योजना को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपरोक्त (क) में बताये गये तथ्य के अतिरिक्त संघ से पुनः संपर्क किया जा रहा है कि वे डिपो खोलने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करें और अगर उक्त प्रबन्ध हो जाता

तो दिल्ली दुग्ध योजना स्थायी डिपो का निर्माण होने तक एक अस्थायी डिपो खोल लेगा।

प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन द्वारा ली जाने वाली धनराशि

2065. श्री के० प्रधानी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा ली जाने वाली धनराशि किस दर से ली जाती है;

(ख) इस मामले में "एयर इंडिया" द्वारा दूरदर्शन को कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा फिल्म वितरकों/निर्माताओं को जिनकी फिल्में दूरदर्शन पर दिखाई जाती हैं अथवा जिनकी फिल्मों के अपने गीत-प्रसंग चित्रहार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित किए जाते हैं, कितनी धनराशि दी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) विवरण एक संलग्न है।

(ख) एयर इण्डिया ने जनवरी से मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान अंग्रेजी द्वारा-वाहिक फिल्म "सोरी" की 12 घटनाओं को प्रायोजित किया तथा प्रायोजन शुल्क के रूप में 12,00,000/-रुपए की राशि का भुगतान किया।

(ग) विवरण-दो संलग्न है।

विवरण-एक

कार्यक्रम की श्रेणी	*दिल्ली/मसूरी/ जयपुर/रायपुर मुजफ्फरपुर/अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर	बम्बई/ पुणे/पणजी	कलकत्ता/ मद्रास/ जालंधर/ अमृतसर	लखनऊ/ कानपुर/ हैदराबाद/ बंगलौर	श्रीनगर	राष्ट्रीय संजाल
दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रम						
सुपर "ए" स्पेशल	37,500	25,000	12,500	10,000	10.000	1,25,000
सुपर "ए"	30,000	20,000	10,000	7,500	7,500	1,10,000
"ए"	18,000	9,600	6,000	4,000	4,000	60,000
"बी"	12,000	6,400	4,000	3,000	3,000	40,000
"सी"	6,000	3,200	2,000	1,600	1,600	20,000

प्रायोजकों द्वारा तैयार किए गए प्रायोजित कार्यक्रम						
30/25 मिनट, 2 मिनट के मुक्त समय के साथ	10,000	6,000	5,000	5,000	5,000	35,000
15/12½ मिनट 1 मिनट के मुक्त समय के साथ	6,000	4,000	3,000	3,000	3,000	21,000
प्रायोजकों द्वारा आयातित प्रायोजित कार्यक्रम						
30 मिनट, 40 सैकिंड के मुक्त वाणिज्यिक समय के साथ	40,000	25,000	12,000	7,500	7,500	1,10,000
15 मिनट, 20 सैकिंड के मुक्त वाणिज्यिक समय के साथ	20,000	12,500	6,250	3,750	3,750	55,000

विवरण-दो

(क) दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्मों के लिए दर-ढांचा ।

(i) हिन्दी की फीचर फिल्मों के लिए भुगतान का दर-ढांचा

(क) (1) हिन्दी की सादी फीचर फिल्मों के लिए भुगतान का दर-ढांचा इस प्रकार होगा—

फिल्मों की श्रेणी	1. दिल्ली-मसूरी 2. बम्बई-पुणे-बंगलौर पणजी	1. कलकत्ता 2. मद्रास 3. जलंधर-अमृतसर	1. श्रीनगर 2.लखनऊ-कानपुर 3. हैदराबाद 4. जयपुर	1. रायपुर 2. मुजफ्फरपुर 3. गुलबर्ग 4. सम्बलपुर 5. नागपुर 6. बीस अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर
	(रुपयों में)			
ए०	20,000	15,000	10,000	3,000
बी०	15,000	10,000	7,500	2,250
सी० तथा पुन: टेलीकास्ट	10,000	7,500	5,000	1,500

(ii) संजाल में जोड़े गए किसी भी अन्य स्वतन्त्र केन्द्र से सादी फिल्म के टेलीकास्ट के लिए अतिरिक्त भुगतान कालम 5 में उल्लिखित दर पर किया जायेगा, यदि ट्रांसमीटर 1 कि० वा० या अल्पशक्ति का है और यदि ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट है तो अतिरिक्त भुगतान कालम-4 में उल्लिखित दर पर किया जायेगा।

(ख) वैयक्तिक केन्द्रों से रंगीन में टेलीकास्ट की जाने वाली हिन्दी की फीचर फिल्मों के लिए भुगतान की उक्त दरों पर (सादी फिल्मों के लिए) 25 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा।

(ग) (i) राष्ट्रीय संजाल पर रंगीन में हिन्दी की फीचर फिल्में टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दरें निम्नलिखित होंगी—

श्रेणी "ए" फिल्म.....3,25,000/-रुपए

श्रेणी "बी" फिल्म.....2,43,750/-रुपए
(श्रेणी "ए" की फिल्म का 75 प्रतिशत)

श्रेणी "सी" फिल्म.....1,62,500/-रुपए
(श्रेणी "ए" की फिल्म का 50 प्रतिशत)

(ii) राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाने वाले पुरानी क्लासिक हिन्दी फिल्में (सादी)।

(क) पुरानी क्लासिक हिन्दी फिल्मों (सादी) के राष्ट्रीय टेलीकास्ट के लिए भुगतान की दर श्रेणी "ए" की रंगीन हिन्दी फीचर फिल्मों के लिए निर्धारित दर में से 25 प्रतिशत घटाकर होगी अर्थात् 3.25 लाख रुपए में से 25 प्रतिशत घटाकर= 2,43,750/-रुपए।

(ख) यदि सादी क्लासिक हिन्दी फीचर फिल्म पहले टेलीकास्ट की जा चुकी है तो उस को पुन: टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दर श्रेणी "सी" की रंगीन हिन्दी। फीचर फिल्म का राष्ट्रीय टेलीकास्ट करने के लिए निर्धारित दर में से 25 प्रतिशत घटाकर होगी अर्थात् 1,62,500/-रुपए में से 25 प्रतिशत घटाकर= 1,21,875/-रुपये।

3. क्षेत्रीय फिल्में :

फिल्म की भाषा से संबंधित क्षेत्र के दूरदर्शन केन्द्रों से क्षेत्रीय फिल्मों का टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दर तथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली के महानगरों से उपशीर्षकों के साथ टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दर वही होगी जो हिन्दी फिल्मों के लिए है। शेष दूरदर्शन केन्द्रों के लिए दरें वही होंगी जो श्रेणी "सी" की हिन्दी फिल्मों के लिए हैं।

4. राष्ट्रीय संजाल पर क्षेत्रीय फिल्में :

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय फिल्में राष्ट्रीय संजाल पर सभी ट्रांसमीटरों से एक साथ टेलीकास्ट की जायेंगी तथा उनके लिए भुगतान उसी दर पर किया जायेगा जिस दर पर सभी केन्द्रों से राष्ट्रीय संजाल पर एक साथ टेलीकास्ट की जाने वाले श्रेणी "ए" की हिन्दी फीचर फिल्मों के लिए किया जाता है ।

5. विदेशी फिल्में :

(i) उपयुक्त आवृति पर टेलीकास्ट करने के लिए विदेशी फीचर फिल्मों का भी चयन किया जायेगा तथा उनको राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सोव एक्सपोर्ट फिल्म तथा मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमेरिका से प्राप्त किया जायेगा ।

(ii) भुगतान की दर हिन्दी फीचर फिल्मों के लिए दर की 50 प्रतिशत होगी । चयनित फिल्में अंग्रेजी की या अंग्रेजी में उप-शीर्षकों के साथ होनी चाहिएं ।

6. डाकुमेंट्री फिल्में :

डाकुमेंट्री फिल्म की अवधि	दिल्ली से भिन्न केन्द्रों के लिए दर	दिल्ली के लिए दर (मुख्य चैनल और इसके रिले केन्द्र (कालम-2 में दी गई दरों की दुगुनी)	राष्ट्रीय टेलीकास्ट के लिए दर (कालम-2 में दी गई दर की नौ गुणा)
1	2	3	4
5 मिनट	350/-रुपए	700/-रुपए	3150/-रुपए
10 मिनट	700/-रुपए	1400/-रुपए	6300/-रुपए
15 मिनट	1050/-रुपए	2100/-रुपए	9450/-रुपए
20 मिनट	1400/-रुपए	2800/-रुपए	12,600/-रुपए
25 मिनट	1750/-रुपए	3500/-रुपए	12,750/-रुपए
30 मिनट	2100/-रुपए	4200/-रुपए	18900/-रुपए
45 मिनट	2850/-रुपए	5700/-रुपए	25,650/-रुपए
	(2100/-रुपए जमा 15 अतिरिक्त मिनट के लिए 50 रुपये प्रति मिनट)		
60 मिनट	3600/-रुपए	7200/-रुपए	32400/-रुपए
	(2100/-रुपए जमा 30 अतिरिक्त मिनट के लिए 50/- रुपये प्रति मिनट)		

7. बाल फिल्में :

फिल्म की लम्बाई	दिल्ली से भिन्न केन्द्रों के लिए दर (मुख्य चैनल)	दिल्ली तथा इसके रिले केन्द्रों के लिए दर (कालम-2 में दी गई दर की दुगुनी)
1	2	3
5 मिनट	400/-रुपए	800/-रुपए
10 मिनट	800/-रुपए	1600/-रुपए
15 मिनट	1,200/-रुपए	2,400/-रुपए
20 मिनट	1,600/-रुपए	3,200/-रुपए
25 मिनट	2,000/-रुपए	4,000/-रुपए
30 मिनट	2,400/-रुपए	4,800/-रुपए
45 मिनट	3,600/-रुपए	7,200/-रुपए
60 मिनट	4,800/-रुपए	9,600/-रुपए

टिप्पणी : 1. ऊपर कालम-2 में उल्लिखित "केन्द्र" (तालिका-1 और 2 के लिए) का अर्थ निम्नलिखित केन्द्र, इनके रिले ट्रांसमीटरों सहित, होगा—

1. बम्बई
2. मद्रास
3. कलकत्ता
4. लखनऊ
5. श्रीनगर
6. जलंधर
7. उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद
8. उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ।,

2. यदि बाल फिल्में राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाती हैं तो उनके लिये भुगतान की राशि का निर्धारण दूरदर्शन महानिदेशालय समान अवधि की डाकुमेंट्री फिल्म के लिए निर्धारित भुगतान की दर से डेढ़ गुना की सीमा तक, स्वयं कर सकता है ।

3. किसी डाकुमेंट्री या बाल फिल्म को पुन: टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान प्रथम टेलीकास्ट के लिए निर्धारित दर की आधी दर पर किया जायेगा ।

4. उपरि उल्लिखित दरें केवल रंगीन फिल्मों पर ही लागू हैं। सादी डाकुमेंट्री तथा बाल फिल्म को टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दर समान अवधि की रंगीन फिल्म के लिए भुगतान की दर से 20 प्रतिशत कम होगी।

(ख) "चित्रहार" में शामिल गीत और नृत्य अनुक्रमों के लिए दूरदर्शन द्वारा किए जाने वाले भुगतान का दर-ढांचा।

राष्ट्रीय संजाल पर बुधवार को टेलीकास्ट किए जाने वाले "चित्रहार" कार्यक्रम के लिए, दूरदर्शन इसमें शामिल प्रत्येक गीत और नृत्य अनुक्रम के लिए 1,000/- रुपए की राशि का भुगतान करता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के प्रत्येक अनुक्रम के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए 3,000/-रुपये की रायल्टी का भी भुगतान किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिए क्षेत्रीय फिल्मों का चयन

2066. **श्री के० प्रधानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों के लिये क्षेत्रीय फिल्मों का चयन किस प्रकार किया जाता है;

(ख) नई दिल्ली में हुए पिछले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में दिखाई गई उड़िया फिल्मों का ब्यौरा क्या है और क्या उनके बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया की सूचना फिल्म निर्माताओं को दी गई है ताकि वे इस दिशा में अपने कार्य में सुधार कर सकें; और

(ग) इस वर्ष होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिये चुनी गई उड़िया फिल्मों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जहां तक भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का सम्बन्ध है, हर वर्ष देश में विभिन्न भाषाओं में निर्मित सर्वोत्तम फीचर फिल्मों तथा लघु फिल्मों का चयन एक अखिल भारतीय चयन पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें फिल्म उद्योग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति होते हैं। यह चयन पैनल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित क्षेत्रीय पैनलों की सहायता से अधिक से अधिक 21 फीचर फिल्मों तथा इतनी ही संख्या में लघु फिल्मों का चयन करता है। इन सभी फिल्मों को, जिन्हें फिल्म समारोह निदेशालय, जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का अंग है, द्वारा खरीदा जाता है तथा उनमें अंग्रेजी में उप शीर्षक दिए जाते हैं, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के भारतीय पैनोरमा वर्ग में दिखाया जाता है। समारोह के प्रतियोगी वर्ग के लिए, एक पृथक चयन पैनल है जो इस वर्ग में प्रविष्ट सभी भारतीय तथा विदेशी फिल्मों की चयन सूची बनाता है। रिट्रोस्पेक्टिव वर्ग के लिए, उन फिल्मी हस्तियों, जिनकी फिल्में शामिल की जानी होती हैं, के नामों का निर्णय आयोजन समिति, जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं, द्वारा किया जाता है।

जहां तक विदेश में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का संबंध है, फिल्म समारोह निदेशालय पैनोरमा वर्ग की फिल्मों में से प्रविष्टियों की अनुशंसा करता है। कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजक विशिष्ट फिल्मों के लिए स्वयं अनुरोध करते हैं। वैयक्तिक निर्माता भी अपनी प्रविष्टियां स्वयं भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, अन्तिम चयन सम्बन्धित समारोह प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(ख) नई दिल्ली में जनवरी, 1985 में हुए भारत के दसवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा वर्ग में श्री मनमोहन महापात्र द्वारा निर्देशित "नीरब झदा" नामक फिल्म दिखाई गई थी। वैयक्तिक फिल्मों पर दर्शकों की प्रतिक्रिया का आकलन करने की परिपाटी नहीं है।

(ग) इस वर्ष के दौरान विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए प्रविष्टियों का चयन करते समय भारतीय पैनोरमा, 1985 में शामिल एकमात्र उड़िया फिल्म "नीरब झदा" के बारे में अन्य पैनोरमा फिल्मों के साथ विचार किया जायेगा।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए राज्यों को मंजूर की गई राशि

2067. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकतम रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ परियोजनाओं हेतु धन राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के कार्यों पर धन खर्च किया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम के अनुसार 1984-85 में पूरे किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 और 1984-85 के दौरान 905.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 317 परियोजनाएं मंजूर की हैं। अनुमोदित परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं; जैसे सड़कें, लघु सिंचाई, नालियां, स्कूल भवनों, महिला मण्डल भवनों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए मकानों का निर्माण, भूमि और जल संरक्षण आदि। इन परियोजनाओं का कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। इन परियोजनाओं को पूरा करने की साधारण अवधि लगभग दो वर्ष है। चूंकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 15-8-1983 से प्रारम्भ किया गया था और ये परियोजनाएं उसी तारीख के बाद मंजूर की गई हैं, इसलिए यह आशा है कि परियोजनायें 1985-86 में पूरी हो जायेंगी।

ग्रामीण बेरोजगारों के लाभ के लिए योजनायें

[हिन्दी]

2068. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए काम के लिए राज्य-वार कौन-कौन सी योजनायें शुरू की गई हैं; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित की गई हैं तथा उन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लाभ के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनायें ये हैं; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा 818.67 लाख रुपए की राशि मुक्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 447.26 लाख रुपए उपलब्ध कराए थे। इसके मुकाबले में राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1984 तक 1107.63 लाख रुपए व्यय किए जाने की सूचना दी है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जिसके लिए पूर्णरूप से केन्द्र द्वारा निधियां दी जाती हैं, के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार को 300 लाख रुपए मुक्त किए गए हैं तथा राज्य सरकार ने फरवरी, 1985 तक 165 लाख रुपए व्यय किए जाने की सूचना दी है।

उड़ीसा में मत्स्य उद्योग का विकास

[अनुवाद]

2069. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कुछ नई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये योजनायें कब से शुरू की गई थीं और इनसे अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में खास तौर पर उड़ीसा में मत्स्य उद्योग की क्षमता के उपयोग के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) जनवरी, 1984 से अस्तारांग में मत्स्यन पत्तन का विकास उड़ीसा सरकार प्रमुख समुद्री कार्यों के लिए टेण्डर मंगाने के लिए कदम उठा रही है।

(2) एग्रीपल्ली में मुदिरथ, बिंचिनापल्ली और पानसपादा तथा झींगा हैचरी में खारे पानी में मत्स्य फार्मों का विकास।

(3) 1982-83 में शुरू किए गए सक्रिय मछुवारों के लिए एक सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत उड़ीसा में लगभग 20,000 मछुवारे लाए गए हैं।

(4) मछुवारा समुदाय के तकनीकी समाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 1983-84 के दौरान शुरू किया गया है। कार्य हाथ में लेने के लिए निधियां राज्य को सौंप दी गई हैं।

(5) मछुवारों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि, 1984-85 में शुरू की गई। उड़ीसा की सरकार को अभी अपने प्रस्ताव तैयार करने हैं।

(6) मछुवारों के लिए जलयान ठहराने के लिए नई योजना 1984-85 में शुरू की गई। प्रस्ताव में उड़ीसा में लगभग 20 नावों की व्यवस्था का विचार है।

(7) गहन मत्स्यपालन के लिए 16000 हैक्टेयर जल क्षेत्र का विकास करने और मत्स्य पालन की तकनीकों में लगभग 10,000 मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से जल कृषि विकास की एक अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना चल रही है। यह योजना लगभग 75 प्रतिशत प्रगति कर चुकी है।

(घ) देश और उड़ीसा में मात्स्यिकी-दोहन के लिए किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय :

— एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी क्षमता का निर्धारण करने के लिए समन्वेषी सर्वेक्षण।

— गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले देशी, आयातित और चार्टर जलयानों का उचित मिश्रण करके गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े को बढ़ाना।

— देश में विनिर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की लागत पर राज-सहायता देना ।

— गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान खरीदने के लिए नौवहन विकास निधि समिति के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण मुहैय्या कराना ।

— विदेशी मत्स्यन उद्योग के साथ संयुक्त उद्यम कार्यक्रमों को बढ़ाना ।

— गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों का संवर्ग बनाने के लिए मात्स्यिकी कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

उर्वरकों की भरमार

2070. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष के दौरान उर्वरकों के इस्तेमाल में तेजी से कमी आने से उर्वरक उद्योग को भारी भरमार का सामना करना पड़ रहा है और उद्योगों के पास उर्वरकों के बड़े भण्डार जमा हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने और फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों के बड़े पैमाने पर प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में पोषक तत्वों की वार्षिक खपत में लगभग 8.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी अर्थात् 1983-84 में इनकी खपत 77.10 लाख मीटरी टन थी जो 1984-85 में बढ़कर लगभग 83.74 लाख मीटरी टन हो जाएगी । अतः इनके इस्तेमाल में धीरे-धीरे कमी आने का प्रश्न ही नहीं होता । लगभग फरवरी से मई तक के मन्दी के समय में आगामी खरीफ मौसम की मांग पूरी करने के लिए माल को जमा किया जाता है, अतः माल अधिक होने का प्रश्न ही नहीं होता । हम अब भी बहुत हद तक आयातों पर निर्भर हैं ।

(ख) उर्वरकों के इस्तेमाल में हुई वृद्धि सरकार द्वारा किए गए बहुत से उपायों और उठाए गए कदमों का परिणाम है तथा ये प्रयास जारी रहेंगे ।

20-सूत्री कार्यक्रम के प्रचार के लिए प्रकाशित पत्रिकाओं को सहायता

2071. **श्री राम भगत पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन पत्रिकाओं को विशेष सहायता देने का है जो अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रचार हेतु प्रकाशित की जा रही हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसी सहायता किन आधारों पर दी जाती है ?

सूचना और प्रासरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एम० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, सरकार की विज्ञापन नीति के अंग के रूप में, सरकारी विज्ञापनों को रिलीज करने के मामले में, विशेषकर, पिछड़े दूरस्थ तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों तथा आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्य रूप से आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत समाचारपत्रों को उपयुक्त उपलक्षधन/रियायत दी जाती है ।

राजा जी नगर ई० एस० आई० अस्पताल

2072. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को 6 मार्च, 1985 को राजाजी नगर ई०एस०आई० अस्पताल, बंगलौर और बी० ई०एम० एल० के कर्मचारियों तथा इस अस्पताल के कर्मचारियों के बीच हुए विवाद का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले की इस बीच जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्नैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह सूचित किया गया है कि कर्नाटक सरकार ने जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, उन परिस्थितियों की विस्तृत जांच पड़ताल करने के लिए आदेश दिए हैं जिनके कारण एक बीमाशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो गई । सम्बन्धित चिकित्सा प्राधिकरण बी०ई०एम०एल० प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा देख-रेख जारी रखने का आश्वासन दिया है । उस अप्रिय घटना को, जो 6 मार्च, 1985 को हुई, रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धों की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

धुलियान और गाबाद क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना

2073. श्री आयनल अबेदिन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी मजदूरों के कल्याणार्थ मुर्शिदाबाद जिले (पश्चिम बंगाल) के धुलियान औरंगाबाद क्षेत्र में प्रस्तावित क्षय-रोग अस्पताल की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संबंधित क्षय-रोग अस्पताल का निर्माण कार्य कितने समय में पूरा हो जाने का अनुमान है; और

(ग) यदि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) कुछ समय पहले धुलियान औरंगाबाद क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों के लिए 50 पलंगों वाले एक अस्पताल के निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। बाद में, यह सूचित किया गया है कि अस्पताल बनाने के लिए चुना गया स्थान जमीन से नीचे के धरातल (लो लाइंग) पर था और बरसाती मौसम में पानी भर जाने की सम्भावना थी। इस मामले के संबंध में उपयुक्त स्थान निर्धारण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार तथा सिंचाई मंत्रालय से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। स्थान का निर्धारण करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु संबंधित एजेन्सियों द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है।

सिंचित और असिंचित भूमि में गेहूं और चावल का उत्पादन

2074. **श्री जायनल अबेदीन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 से 1985 की अवधि के दौरान सिंचित और असिंचित भूमि, में गेहूं और चावल का प्रति हेक्टेयर अलग-अलग राज्य-वार और वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया और सातवीं योजना अवधि में राज्यवार कितनी भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सिंचित और असिंचित भूमि में चावल और गेहूं की (अलग-अलग) प्रति हैक्टेयर औसत पैदावार सामान्यतया कुछ समयके अंतर से उपलब्ध होती है। जिन राज्यों में सिंचित और असिंचित भूमि में फसल काटने के अलग प्रयोग नियोजित करने का पूर्व-सरण किया गया था, उनके संबंध में 1982-83 तथा 1983-84 की उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचित क्षेत्र (संचयी-उपयोग) का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 लक्ष्य
सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	541	560	582	605	629

जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई के अन्तर्गत लाये जाने वाले क्षेत्रों का संबंध है, ऐसी सूचना राज्यों की सातवीं योजना के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।

विवरण

सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टार पैदावार*

(किलोग्राम में)

राज्य		1982-83		1983-84	
		सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
			चावल		
आन्ध्र प्रदेश	खरीफ	2195	857	—	—
असम	पतझड़	1274	912	—	—
गुजरात	खरीफ	1778	671	1532	1091
हिमाचल प्रदेश	खरीफ	1226	973	1546	1269
मध्य प्रदेश	खरीफ	1054	690	—	—
उड़ीसा	पतझड़	899	653	—	—
	शीतकाल	1249	902	—	—
पंजाब	पतझड़	3116	822	3070	1726
उत्तर प्रदेश	शीतकाल	—	—	1623	1128
			गेहूं		
गुजरात		2508	600	2694	583
हरियाणा		2574	1556	8546	1492
हिमाचल प्रदेश		—	—	1524	848
मध्य प्रदेश		1694	877	—	—
महाराष्ट्र		1075	464	1288	571
पंजाब		3082	1753	3093	1597
राजस्थान		1981	914	1681	956

*अनन्तिम, इन्हें बदला जा सकता है।

राज्यों को खाद्य तेलों का आबंटन

[हिन्दी]

2075. श्री मूल चंद डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को उपभोक्ताओं में वितरण हेतु प्रत्येक प्रकार के खाद्य तेलों की टनों में वर्षवार कितनी मात्रा आबंटित की गई और उनके आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए; और

(ख) क्या सरकार ने खाद्य तेलों के आवंटन के वितरण हेतु कोई दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गत दो वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रत्येक किस्म के आयातित खाद्य तेलों का वर्ष-वार आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। केन्द्र सरकार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का माह दर माह आवंटन इनकी मांग, खपत के स्वरूप, त्यौहार के मौसम, उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अथवा उस क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भण्डार तथा अन्य सम्बन्धित बातों, जिनमें राज्यों को पूर्व आवंटित खाद्य तेलों को उठाने की गति भी शामिल है, के आधार पर करती है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इन तेलों का प्रभावी रूप से वितरण करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि उपभोक्ताओं को खाद्य तेल सुनियोजित, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए वे सार्वजनिक वितरण को सुप्रवाही बनाने हेतु समुचित उपाय करें। आयातित खाद्य तेल उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचा जाए। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से आयातित तेल प्रति माह प्रति परिवार एक कार्ड पर 2 किलोग्राम से अधिक न दिया जाए।

विवरण

(मात्रा मी० टन में)

	तेल वर्ष 1982-83				तेल वर्ष 1983-84					
	पामोलीन	ताड़ का तेल	रेपसीड तेल	जोड़	पामोलीन	ताड़ का तेल	रेपसीड तेल	सोयाबीन का तेल	सूरजमुखी का तेल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	61,900	—	—	61,900	70,650	—	—	21,800	5,750	98,200
असम	—	1,785	6,345	8,130	—	750	12,000	—	—	12,750
बिहार	—	5,575	—	5,575	600	11,800	4,200	800	—	17,400
गुजरात	56,810	—	—	56,810	53,700	—	—	12,500	9,100	75,300
हरियाणा	—	2,990	30	3,030	100	7,300	4,700	600	—	12,700
हिमाचल प्रदेश	—	4,898	3,168	8,066	250	5,050	5,550	500	—	11,350
जम्मू व कश्मीर	—	—	1,930	1,930	—	—	6,910	—	—	6,910
कर्नाटक	24,800	200	—	25,000	34,800	—	—	10,500	4,000	49,300
केरल	30,835	—	—	30,835	47,350	—	—	13,000	3,500	63,850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य प्रदेश	9,995	1,500	5,965	17,420	9,800	8,500	10,700	11,000	—	40,000
महाराष्ट्र	72,375	3,300	—	75,675	1,02,500	4,000	—	31,000	15,000	1,52,500
मणिपुर	—	1,075	2,110	3,185	—	1,950	4,800	—	—	6,750
मेघालय	—	—	3,510	3,510	—	150	7,245	—	—	7,395
नागालैंड	—	—	920	920	—	500	5,500	—	—	6,000
उड़ीसा	8,400	—	5,800	14,200	8,400	4,600	25,000	500	—	38,500
पंजाब	—	18,685	—	18,685	—	19,940	750	3,900	—	24,590
राजस्थान	—	6,560	—	6,560	100	8,420	1,800	1,600	—	11,920
सिक्किम	—	1,000	990	1,990	—	350	2,350	—	—	2,700
तमिलनाडु	55,230	300	—	55,530	62,750	—	—.	19,500	8,750	91,000
त्रिपुरा	—	—	—	शून्य	—	150	1,770	—	—	1,920
उत्तर प्रदेश	—	20,790	8,830	29,620	3 00	24,180	20,500	3,000	—	47,980
पश्चिम बंगाल	—	14,200	67,455	81,655	—	2,000	1,26,500	4,000	—	1,32,500
अंडमान व नि० द्वीप	—	—	—	शून्य	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	120	310	430	—	60	590	—	—	650
चंडीगढ़	—	160	—	160	—	320	75	100	—	495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दादरा व नगर हवेली	212	—	—	212	340	—	—	20	—	360
दिल्ली	—	11,080	8,495	19,575	—	15,800	13,800	1,000	—	30,600
गोवा, दमण व दीव	3,725	—	—	3,725	4,600	—	—	1,050	100	5,750
लक्षद्वीप	100	—	—	100	185	—	—	—	—	185
मिजोरम	—	—	800	800	—	—	3,250	—	—	3,250
पांडिचेरी	1,625	—	—	1,625	3,060	—	200	50	100	3,410
	3,25,967	94,227	1,16,658	5,36,852	3,99,485	1,15,820	2,58,190	1,36,420	46,300	9,56,215

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2076. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया तथा सरकार इस उपलब्धि का दावा किस आधार पर करती है;

(ख) सरकार द्वारा उन पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई और यह राशि किस प्रकार व्यय की गई; और

(ग) छठी योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई थी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे 15 मिलियन परिवारों को सहायता देने के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी, 1985 तक 15.6 मिलियन परिवारों (अनन्तिम) को सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

आय में बढ़ोतरी के रूप में इस कार्यक्रम के प्रभाव का तभी पता चल सकेगा जब योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर तैयार की जा रही रिपोर्ट सामने आएगी।

(ख) जनवरी, 1985 तक सरकार (केन्द्र तथा राज्यों) द्वारा मुख्यत: आर्थिक सहायता पर 1509.38 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है लेकिन इसमें प्रशासनिक खर्च और आधार-भूत ढांचे पर व्यय की गई कुछ राशि भी शामिल है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपए लाखों में)

		आबंटन* छठी योजना
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11436
2.	असम	4690
3.	बिहार	20545

1	2	3
4.	गुजरात	7630
5.	हरियाणा	3141
6.	हिमाचल प्रदेश	2415
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3233
8.	कर्नाटक	6125
9.	केरल	5152
10.	मध्य प्रदेश	16046
11.	महाराष्ट्र	10360
12.	मणिपुर	910
13.	मेघालय	936
14.	नागालैंड	735
15.	उड़ीसा	10990
16.	पंजाब	4111
17.	राजस्थान	8184
18.	सिक्किम	140
19.	तमिलनाडु	13211
20.	त्रिपुरा	595
21.	उत्तर प्रदेश	30836
22.	पश्चिम बंगाल	11725
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	175
24.	अरुणाचल प्रदेश	1680
25.	चंडीगढ़	35
26.	दादरा तथा नगर हवेली	35
27.	दिल्ली	175
28.	गोवा, दमन तथा दीव	420
29.	लक्षद्वीप	175
30.	मिजोरम	700
31.	पांडिचेरी	140
		176681

*1980-83 में 5011 खण्डों तथा 1983-85 में 5092 खण्डों के आधार पर गणना की गई।

हिमाचल प्रदेश में आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई

2077. श्री के० डी० सुलतानपुरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आटा मिलों को गेहूं की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) वहां पर कुल कितनी आटा मिलें हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार वहां पर और आटा मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने का है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1983 और 1984 के दौरान हिमाचल प्रदेश में स्थित फ्लोर मिलों ने 24,200 मीटरी टन गेहूं उठाया है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में इस समय तीन रोलर फ्लोर मिलें चल रही हैं तथा दो और मिलें शीघ्र उत्पादन शुरू कर सकती हैं ।

(ग) सरकार का राज्य में और किसी रोलर फ्लोर मिल को लाइसेंस देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जिला स्तर के अंशकालिक संवाददाताओं की छंटनी

2078. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालेकर ट्रिब्यूनल की सिफारिशें प्राप्त होने और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनका कार्यान्वयन किए जाने के पश्चात अब तक विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार-एजेंसियों से जिला स्तर के कुल कितने "अंशकालिक संवाददाताओं, की छंटनी की गई है;

(ख) क्या अंशकालिक संवाददाताओं के राष्ट्रीय संघ अखिल भारतीय पत्रकार संसद ने सरकार को छंटनी को रोकने के कोई सुझाव दिये हैं, और राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के गठन की मांग की है और यदि हां, तो क्या सरकार का उसे गठित करने का विचार है; और

(ग) क्या अखिल भारतीय पत्रकार संसद के प्रतिनिधियों को पालेकर ट्रिब्यूनल एवार्ड की पुनरीक्षा के लिए गठित की गई त्रिपक्षीय वार्ता समिति में शामिल किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है जो पालेकर अधिकरण की सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय

सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित प्राधिकरण हैं और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(ख) जी, हां । जांच करने पर इन सुझावों को व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

(ग) अखिल भारतीय पत्रकार संसद के एक प्रतिनिधि को त्रिपक्षीय समिति में शामिल किया गया है जो पालेकर अधिकरण की सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए गठित की गई है ।

लखीमपुर खीरी जिले में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाना

2079. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेपाल सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी जिले में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वहां कब तक निर्माण कार्य शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) खेड़ी जिले में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है । जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना भावी योजना अवधियों के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

देश में पीने के पानी की समस्या

2080. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए पर्याप्त धन राशि का आवंटन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि, हां, तो कुल कितनी धन राशि का आवंटन किया जा रहा है तथा इसमें से उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी जा रही है;

(ग) क्या यह धन राशि उत्तर प्रदेश में पीने के पानी की कमी से प्रभावित गांवों की पेय-जल समस्या हल करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए और अधिक धनराशि मंजूर करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेय जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र के लिए उपलब्ध निधियां सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही ज्ञात होगी।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक एककों को भूखण्डों का आवंटन

2081. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण औद्योगिक एककों को भूखण्डों का आवंटन नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड अभी आवंटित किए जाने हैं;

(ग) उक्त एककों ने भूखण्डों के आवंटन के लिए किस वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपना पंजीकरण कराया था;

(घ) क्या इन एककों ने पंजीकरण के समय कोई धनराशि जमा कराई थी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) जिन औद्योगिक एककों ने 1964 से 1968 तक और 1970 में भूमि के वैकल्पिक प्लाटों के लिए आवेदन किया था और जिन्हें अननुरूप क्षेत्रों से अनुरूप क्षेत्रों में अपने उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए पात्र पाया गया, उनको सिवाय लगभग 20 मामलों के प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) 1964 के आवेदकों को पंजीकरण के साथ कोई धरोहर राशि देना अपेक्षित नहीं था। तथापि, 1965 से 1968 तक, 1970 तथा 1976 के आवेदकों को क्रमश: 1250 रुपए से 10,000 रुपये, 1250 से 50,000 रुपये और 250 रुपये से 2000 रुपये तक धरोहर राशि जमा कराना अपेक्षित था, यह धरोहर मांग किए गए प्लाट के आकार के आधार पर भिन्न थी।

केरल में पामोलीन की कमी

[अनुवाद]

2082. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पामोलीन की कमी है;

(ख) केरल में इस तेल की प्रतिमाह कितनी मांग है;

(ग) प्रत्येक माह इसकी कितनी सप्लाई हो रही है; और

(घ) उक्त सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय सरकार की जानकारी में नहीं आई है। तथापि, जनवरी, 1985 में केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि उनके आवंटन में कमी करने से राज्य में पामोलीन की कमी हो जायेगी और इसलिए आवंटन में जो कटौती की गई है उसे बहाल कर दिया जाये।

(ख) केरल सरकार द्वारा तेल वर्ष 1984-85 के दौरान, आयातित खाद्य तेलों की सूचित की गई कुल मांग 90,000 मी० टन है। इसका मासिक औसत 7500 मी० टन बनता है।

(ग) तेल वर्ष 1984-85, नवम्बर, 84 से अप्रैल, 85 के दौरान राज्य सरकार को किया गया आवंटन इस प्रकार है :—

(माह)	(मी० टन में)
नवम्बर, 84	5000
दिसम्बर, 84	5000
जनवरी, 85	4000
फरवरी, 85	5000
मार्च, 85	5000

(घ) राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और यह राज्य की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए नहीं होता है। केरल एक तेल उत्पादक राज्य है, इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया आवंटन पर्याप्त समझा जाता है।

दिल्ली में मकानों के किरायों में अत्याधिक वृद्धि

2083. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकानों के किरायों में चिन्ताजनक वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इसके कारण निम्न आय वर्ग के किरायेदारों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो किराए में इस चिन्ताजनक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) दिल्ली में मकानों के किराए में वृद्धि एक आम घटना है जो कि निर्माण की लागत में वृद्धि सहित समग्र मूल्य वृद्धि से जुड़ी है। मूल्य को स्थिर करने के प्रयत्नों के अतिरिक्त, सरकार गैर सरकारी/ सहकारी आवासों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है और दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि जैसे सरकारी अभिकरणों द्वारा मकानों के निर्माण की गति को पर्याप्त रूप से बढ़ा रही है।

दूध और दुग्ध उत्पाद की भारी कमी

2084. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूध और दुग्ध उत्पादों की भारी कमी है और दूध तथा इसके उत्पादों के मूल्य काफी अधिक होने के कारण ये देश के निर्धन और पिछड़े समुदाय के लोगों की पहुंच से दूर हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में बड़ी संख्या में उपलब्ध पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने का है, जिससे डेयरी विकास के माध्यम से ग्रामीण निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा ?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि अगले तीन वर्षों के लिए इस कार्य हेतु कोई धनराशि आवंटित की गई है तो कितनी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। तथापि, अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा दूध की खपत उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) मवेशियों/भैंसों के स्वास्थ्य तथा उत्पादिकता में सुधार लाने के विचार से उनके वैज्ञानिक ढंग से विकास को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई उपाय किये गए हैं। इस सम्बन्ध में अपनाई गई मुख्य नीतियों के विषय में जानकारी नीचे दी गई है :—

(1) मवेशियों के उनके स्थानों में चयनात्मक प्रजनन करके तथा अन्य चुनींदा क्षेत्रों में

इनकी श्रेणी बढ़ाकर राष्ट्रीय महत्व के पशुओं की नस्लों का आनुवांशिक तौर पर सुधार;

(2) अज्ञात मवेशियों का विदेशी डेरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन;

(3) दूध के उत्पादन में सुधार लाने के लिए अज्ञात नस्ल की भैंसों के चयनात्मक प्रजनन के जरिए तथा अन्य क्षेत्रों में उनकी श्रेणी बढ़ाकर भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों में उत्तरोत्तर आनुवंशिकी सुधार;

(4) पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार देने के लिए आहार और चारे के संसाधनों का विकास;

(5) उत्पादन कार्यक्रम के सहायतार्थ प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का गठन;

(6) दूध के बढ़े हुए उत्पादन के लिए आदानों की व्यवस्था करने के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए आप्रेशन फलड-2 के अन्तर्गत अवस्थापना संबन्धी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए डेरी सहकारी समितियों में ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आर्थिक स्तर में पूरे वर्ष लाभकारी मूल्यों के निरन्तर भुगतान, भावों में हुए दूध के उत्पादन के लिए बाजार तथा उचित मूल्य के आदानों की व्यवस्था करके सुधार लाया जा रहा है।

(घ) सातवीं योजना के आवंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सोयाबीन का उत्पादन

2085. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक प्रत्येक राज्य में और प्रति वर्ष सोयाबीन की कितने एकड़ में खेती हुई और इसका कितना उत्पादन हुआ तथा सरकार ने छठी योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया और उसमें से कितनी धन राशि का उपयोग किया गया; और

(ख) इसका आयात रोकने के लिए सरकार किस तरह देश में इसका उत्पादन बढ़ा सकती है और यदि किन्हीं सुधारात्मक उपायों पर विचार किया गया है तो वे क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1980-81 से सोयाबीन के उत्पादन का राज्य-वार और वर्षवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। छठी योजना में सोयाबीन

सहित तिलहन विकास के लिये मूलत: 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, जिसमें सोयाबीन विकास की परियोजना/कार्यक्रम भी शामिल है, के कार्यान्वयन के लिये 1984-85 में 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी। छठी योजना के दौरान देश में सोयाबीन सहित तिलहन विकास कार्यक्रमों पर 92.52 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) छठी योजना के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में सोयाबीन के लिये एक विशेष परियोजना कार्यान्वित की गई। इसके अलावा, इसका उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों में 1983-84 तक तिलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में सोयाबीन का विकास भी शामिल था। इसके उत्पादन को बढ़ाने की बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984-85 के दौरान कार्यान्वित की गई राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में सोयाबीन के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

विवरण

सोयाबीन के उत्पादन का क्षेत्र और उत्पादन (1980-81 से 1983-84 तक)

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)				उत्पादन (हजार मीटरी टनों में)			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
मध्य प्रदेश	454.8	307.3	1584.1	615.8	350.0	235.1	358.6	440.3
उत्तर प्रदेश	135.0	141.2	157.2	157.2	184.0	101.8	117.4	117.4
राजस्थान	4.8	9.8	11.7	22.6	2.5	6.5	6.3	15.6
अन्य	13.0	16.3	17.2	18.6	5.7	8 2	8.7	9.7
समस्त भारत	607.6	474.6	770.2	814.2	442.2	351.6	491.0	583.0

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कुछ कार्यों का अधिग्रहण

2086. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कुछ कार्यों का अधिग्रहण करने की पेश-कश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद्यान्नों के खुदरा वितरण संबंधी कार्यों को राज्य सरकार को अन्तरित करने का अनुरोध किया है। इस समय ये कार्य भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के मध्य 1966 में हुए करार के तहत राज्य सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम इस कार्य को राज्य सरकार को सौंपने का इच्छुक है। इस कार्य को आसानी से अन्तरित करने से संबंधित पद्धति पर विचार किया जा रहा है।

विज्ञापनों पर कर

2087. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन०गाडगिल) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर कर लगाने के लिए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, तथापि, दूसरे प्रेस आयोग ने यह सुझाव दिया है कि भारतीय प्रेस परिषद के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, अखबारी कागज की खपत पर उपकर और समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर कर लगाया जाए और दोनों से होने वाली प्राप्तियों को निर्धारित किया जाये। इसके अलावा आठवें वित्त आयोग ने भी यह विचार व्यक्त किया था कि समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर लगाने से राजस्व

बढ़ने की गुंजाइश है। आयोग ने इस प्रकार के कर की मात्रा और रूपात्मकताएं तय करने का कार्य सरकार पर छोड़ दिया है।

(ग) मामले में सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

देश में ताड़ की खेती

2088. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ताड़ की खेती को प्रोत्साहन देने के जरिए देश में वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़ाकर आयात पर बचत करने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। उपयुक्त कृषि-जलवायु की परिस्थितियों वाले इलाकों में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के बाद केरल में रेड आयल पाम की खेती की एक परियोजना शुरू की गई है। अब तक वहां 3705 हैक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया गया है।

रेड आयल पाम की खेती की एक और परियोजना अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा बागान विकास निगम लि० द्वारा शुरू की गई है। अभी तक इस निगम द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 1305 हैक्टेयर में इनका रोपण किया गया है।

[रांची दूरदर्शन से प्रसारण

[हिन्दी]

2089. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रांची दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम आजकल ठीक नहीं आ रहे हैं क्योंकि कभी तस्वीर दिखाई देती है तो आवाज गायब होती है और कभी-कभी तस्वीर ही साफ नहीं दिखाई देती है और यदि हां, तो इस दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारणों में कब तक सुधार हो जाने की आशा है; और

(ख) यह दूरदर्शन केन्द्र कब तक 100 एम० वाट्स की अपनी बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) बिजली चले जाने और उपकरणों के खराब हो जाने के कारण रांची के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के टेलीकास्टों में कभी-कभी रुकावटें होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। विद्युत सप्लाई के आपाती स्रोत के रूप में

कार्य करने के लिए केन्द्र में एक डीजल जेनरेटर की व्यवस्था कर दी गई है। उपकरणों में होने वाली खराबियों को शीघ्र दूर कर दिया जाता है।

(ख) रांची का दूरदर्शन ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की पूर्ण शक्ति पर 26.9.84 को चालू किया गया था। इस ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी मुद्रणालय, सन्तरागाची, कलकत्ता के लिए विस्तार कार्यक्रम

[अनुवाद]

2090. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मुद्रणालय, सन्तरागाची, हावड़ा के विस्तार का कार्यक्रम काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस समय विस्तार कार्यक्रम पर विचार करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विभिन्न सरकारी संगठनों की कुल मुद्रण आवश्यकताओं पर विस्तार कार्यक्रम निर्भर करेगा। सातवीं योजना में अतिरिक्त उपकरणों तथा पूर्वी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कर्मशाला का प्रावधान प्रक्रियाधीन है।

आवास कार्यक्रम के लिए सातवीं योजना के प्रस्ताव

2091. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास कार्यक्रम के लिए क्या-क्या प्रस्ताव (प्रारूप) हैं;

(ख) उनमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या निर्धन लोगों के लिए गन्दी बस्तियों को हटाकर, उनके स्थान पर आवास निर्मित करने का कोई विशेष कार्यक्रम है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए आवास कार्यक्रम के ब्यौरों का अभी हिसाब लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) मलिन बस्ती सुधार राज्य का विषय है और योजना प्रावधानों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं ही योजनाओं/कार्यक्रमों का सूत्रीकरण तथा कार्यान्वयन किया जाता है।

महानगरों में आवास की समस्या

2092. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि महानगरों में आवास की गंभीर समस्या है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा आवास समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त नगरों में कितने लोग गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं; और

(घ) सरकार का गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) सरकार मकानों की विद्यमान कमी को स्वीकार करती है। इस समस्या को हल करने की कार्यवाही सातवीं योजना के प्रावधानों पर निर्भर करती है। जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 12 महानगरीय शहरों में पता लगाई गई मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों की संख्या लगभग 123 लाख है।

(घ) शहरी मलिन बस्तियों में जलपूर्ति, पथ प्रकाश, सामुदायिक स्नानगृह तथा शौचालय नालियां तथा मलनिर्यास और सड़कों की व्यवस्था जैसी नागरिक जीवन की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना शहरी मलिन बस्ती की पर्यावरणीय सुधार योजना का उद्देश्य है।

विश्व बैंक/आई०डी०ए० की सहायता से कुछ शहरों में शहरी विकास का एक अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। मलिन बस्ती उन्नयन इस कार्यक्रम का एक अनिवार्य घटक है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कथा चित्रों का आयात

2093. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम विदेशों से कथा चित्रों का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी फिल्मों का आयात किया गया है; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वर्ष 1983-84 में कितना लाभ अर्जित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन०गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 1983-84 के दौरान 15 फिल्में आयात की।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 1983-84 के दौरान अपनी सभी गतिविधियों से 62.87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के जरिए बनाई गई परिसम्पत्तियों का रख रखाव

2094. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के जरिए बनाई गई परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) मार्ग-दर्शिकाओं के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों का रख-रखाव करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक आबंटन राज्यों के बजटों में किए जाने हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों के लिए तैयार तथा जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना में निर्माण कार्यों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार विभाग/एजेन्सी/संगठन का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजन हेतु की गई वित्तीय व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय समिति के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली परियोजना रिपोर्टों में रख-रखाव की व्यवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

राजधानी में आवासीय समस्या

2095. श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में आवासीय समस्या बहुत गंभीर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस आवासीय समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1981-2001 के दौरान लगभग 16.2 लाख नये आवास एककों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ग) सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्माण कार्य पर्याप्त रूप में आरम्भ करने तथा रिहायशी वास में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तथापि, इसके ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह कार्य सामान्य रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से कर्मचारियों के लिए सरकारी वास का निर्माण करने तथा निजी एवं सहकारी आवास को प्रोत्साहन देकर किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन

2096. श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को आवास दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों को अभी तक आवास नहीं दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1-1-1985 की स्थिति के अनुसार सामान्य पूल वास के आवंटनार्थ 72,847 कर्मचारी प्रतीक्षारत थे। संसाधनों पर दबाव के कारण अपेक्षित सीमा तक वास का निर्माण करना संभव नहीं हो सका है।

संसद सदस्यों को आवास का आवंटन

2097. श्री राम भगत पासवान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन दिशा-निर्देशों के आधार पर संसद सदस्यों को सामान्य-पूल आवास आवंटित किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य पूल से कितने संसद सदस्यों को टाईप-छः से टाईप-आठ तक के बंगलों का आबंटन किया गया है; और

(ग) क्या इन बंगलों का आबंटन करते समय दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) संसद सदस्यों को सामान्य पूल से आवास का आबंटन करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नलिखित मार्गनिर्देशकों की एक प्रतिलिपि विवरण-एक के पत्र के रूप में संलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों को सामान्य पूल से टाईप-6 से 8 तक के बंगलों के आबंटन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) पर संदर्भित मार्गनिर्देशन सरकार द्वारा अप्रैल, 1984 में निर्धारित किये गये थे। तथापि, अधिकांश आबंटन जिनके ब्यौरे अनुलग्नक-II पर संलग्न विवरण में दिए गए हैं, अप्रैल, 1984 से पूर्व किए गए थे। अप्रैल, 1984 के पश्चात् भी, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् मन्त्रिमण्डल आवास समिति के अनुमोदन की शर्त पर मार्गनिर्देशनों को शिथिल करके कुछ आबंटन किए गए हैं। इन आबंटनों के लिए मन्त्रिमण्डल आवास समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

विवरण-एक

संसद सदस्यों को सामान्यपूल के मकानों के आबंटन/सांसदों द्वारा अपने पास रखे रखने के लिए मन्त्रिमण्डल की आवास समिति तथा प्रधानमन्त्री द्वारा अनुमोदित मार्गनिर्देशन/मानदण्ड (दिनांक 24.4.84 को हुई मन्त्रिमण्डल आवास समिति की बैठक)

(i) मन्त्रिमण्डल आवास समिति के अनुमोदन के बिना भविष्य में किसी भी संसद सदस्य को सामान्य पूल से टाइप-VIII के बंगलों का आबंटन नहीं किया जाएगा।

(ii) सामान्यपूल से संसद सदस्यों को आवास आबंटित करने के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देशनों के अनुसार निर्माण और आवास मंत्री को प्राधिकृत किया जाए :—

(क) वे सदस्य जो भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व मन्त्री, भूतपूर्व अध्यक्ष/सभापति, भूतपूर्व न्यायाधीश, भूतपूर्व राजदूत हैं उन्हें उपलब्धता पर निर्भर करते हुए टाइप VIII वर्ग के मकानों का आबंटन किया जाएगा।

(ख) जो सदस्य राज्यों की विधान सभा में मन्त्री/अध्यक्ष/सभापति/पी०सी०सी० के मुखिया थे या जो संसद के लिए तीसरी या उससे अधिक बार चुना गया हो उन्हें टाइप-VI के मकानों का आबंटन किया जाए।

(ग) अन्य सदस्यों को टाइप-V अर्थात् नार्थ/साउथ एवेन्यू इत्यादि में फ्लैट आवंटित किये जाएं।

(iii) वे संसद सदस्य जो पहले ही सामान्यपूल के टाइप-VIII/VII वास के दखल में हैं, उन्हें अपनी दखल के वास को खाली कराने तथा उपर्युक्त धारा (ii) में सुझाये गये माप-दण्ड के अनुसार सामान्यपूल/संसद सदस्य पूल से आवंटित वैकल्पिक वास में जाने की सलाह दी जाए।

विवरण-दो

आवास का टाइप	आवंटनों की संख्या
ई-I (VI)	5
ई-II (VII)	11
ई-III (VIII)	4

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में कनिष्ठ सहायक अभियन्ता

2098. श्री राम भगत पासवान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में कनिष्ठ सहायक अभियन्ताओं की संख्या क्या है तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने हैं; और

(ख) क्या कनिष्ठ सहायक अभियन्ताओं के संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया चले आ रहे रिक्त पदों को भरने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में कोई कनिष्ठ सहायक इंजीनियर नहीं है इसलिए उनमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित कार्मिकों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

2099. श्री राम भगत पासवान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय तथा उनके कार्यालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/सम्बन्ध कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(ख) उन नैमित्तिक कामगारों की संख्या कितनी है, जो पिछले दो से अधिक वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा चीनी का उत्पादन और खपत

2100. श्री चित्त महाता : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में चीनी की खपत कितनी थी; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी का कितना उत्पादन हुआ तथा प्रत्येक राज्य को कितनी चीनी का वितरण किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-एक संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी का राज्यवार उत्पादन और अप्रैल, 82 से मार्च, 85 तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्यवार आबंटित लेवी चीनी के मासिक कोटे बताने वाले विवरण दो और तीन संलग्न हैं।

विवरण-एक

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	302	379	453
2.	असम/अरुणाचल प्रदेश	102	139	157
3.	बिहार	339	386	425
4.	गुजरात	411	492	598
5.	महाराष्ट्र	848	975	1188
6.	केरल/लक्षद्वीप	224	288	332

1	2	3	4	5
7.	मध्य प्रदेश	358	405	428
8.	तमिलनाडु	340	424	501
9.	कर्नाटक	282	315	381
10.	उड़ीसा	126	141	144
11.	पंजाब	326	379	454
12.	हरियाणा	149	182	225
13.	चण्डीगढ़	14	18	21
14.	राजस्थान	280	308	389
15.	उत्तर प्रदेश	727	852	1008
16.	पश्चिम बंगाल	400	480	531
17.	जम्मू और कश्मीर	37	36	38
18.	दिल्ली	116	134	152
19.	हिमाचल प्रदेश	29	34	37
20.	मणिपुर	6	3	6
21.	त्रिपुरा	9	9	11
22.	पांडिचेरी/कराईकल/ माहे/यनम	5	6	7
23.	सिक्किम/भूटान	3	3	3
24.	गोआ/दमन/दीव	13	17	20
25.	नागालैण्ड, अण्डमान और मिजोरम	6	8	9
26.	मेघालय	1	2	4
	अखिल भारत	5453*	6415*	7522*

* इसमें सेना क्रय संगठन, दरवाजे पर बिक्री, सी०आर०पी०एफ०, आदि के लिए नियुक्तियां शामिल नहीं हैं ।

विवरण-दो

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
उत्तर प्रदेश	2081	2035	1727
बिहार	344	370	225
पश्चिम बंगाल	10	9	2
असम	12	8	5
हरियाणा	172	182	172
पंजाब	149	150	146
राजस्थान	23	26	22
मध्य प्रदेश	57	75	74
उड़ीसा	21	24	17
महाराष्ट्र	3026	3025	1993
गुजरात	531	473	392
कर्नाटक	649	630	383
केरल	17	19	10
आन्ध्र प्रदेश	546	513	295
तमिलनाडु	756	651	424
पांडिचेरी	25	26	19
नागालैण्ड	7	6	3
गोवा	12	10	7
अखिल भारत	8438	8232	5916

विवरण-3

(मी०टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	4/82 से 9/83 तक मासिक कोटा	अक्तूबर, 83 से आगे मासिक कोटा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	22696	24027
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	190	215
3.	अरुणाचल प्रदेश	267	289
4.	असम	8459	9190
5.	बिहार	29675	31573
6.	चण्डीगढ़	275	328
7.	दादर और नगर हवेली	44	50
8.	दिल्ली	6104	6855
9.	गोआ, दमन और दीव	470	478
10.	गुजरात	14433	15361
11.	हरियाणा	5462	5837
12.	हिमाचल प्रदेश	1801	1917
13.	जम्मू और कश्मीर	2542	2673
14.	कर्नाटक	15743	16843
15.	केरल	10796	11225
16.	लक्कद्वीप	65	68
17.	मध्य प्रदेश	27156	23276
18.	महाराष्ट्र	26645	27998
19.	मणिपुर	609	643
20.	मेघालय	564	609

1	2	3	4
21.	मिजोरम	207	240
22.	नागालैण्ड	340	390
23.	उड़ीसा	11166	11577
24.	पांडिचेरी	257	271
25.	पंजाब	7085	7581
26.	राजस्थान	14494	15832
27.	सिक्किम	134	154
28.	तमिलनाडु	20526	21284
29.	त्रिपुरा	876	958
30.	उत्तर प्रदेश	47111	50466
31.	पश्चिम बंगाल	23156	24435
	जोड़	294348	312643

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण

2101. **श्री चित्त महाता :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापना से अब तक कितने मकान बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत किए गए पंजीकरण के आधार पर मकानों/फ्लैटों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया था जो कि संलग्न विवरण में दिया गया है :—

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1983-84 तक 1,05,274 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया था जैसा कि उपर्युक्त अनुलग्नक में प्रदर्शित है। 59019 मकान निर्माणाधीन हैं तथा ये 1985-86 तक चरणों में पूर्ण हो जायेंगे। 30,290 मकान प्रक्रियाधीन हैं तथा 1985-86 के दौरान आरम्भ किये जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, बहुत-सी नई आवास पाकिटें हाल

ही में चयनित की गई हैं जिनमें लगभग 70,000 मकान होंगे जो कि 85-86 के दौरान आरम्भ किए जायेंगे ।

विवरण

योजना	श्रेणी		पंजीकरण की कुल संख्या
सामान्य आवास योजना	मध्यम आय वर्ग		27,334
	निम्न आय वर्ग		23,478
	जनता		19,530
		योग	70,342
नवीन पद्धति योजना हुडको 1979	मध्यम आय वर्ग		47,521
	निम्न आय वर्ग		67,502
	जनता		56,249
		योग	1,71,272
स्व वित्त पोषित योजना	एस०एफ०एस०		55,118

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन

2102. श्री चित्त महाता : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने उक्त अधिनियम को अब तक कार्यान्वित नहीं किया है और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 17-2-1976 को निम्नलिखित 11 राज्यों (संघ राज्य क्षेत्रों) में लागू हुआ था :—

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा सभी संघ राज्य क्षेत्र ।

बाद में निम्नलिखित राज्यों ने इस अधिनियम को अपनाया था :—

असम	25-3 1976
बिहार	1-4-1976
मध्य प्रदेश	9-9-1976
मणिपुर	12-3-1976
मेघालय	7-4-1976
राजस्थान	9-3-1976

जम्मू व कश्मीर, केरल, नागालैण्ड, सिक्किम तथा तमिलनाडु ने इस अधिनियम को नहीं अपनाया है।

जम्मू व कश्मीर तथा केरल चाहते थे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उनके अपने कानून हों। नागालैण्ड और सिक्किम में, शहरी भूमि पर कोई दबाव नहीं है। तमिलनाडु में एक राज्य कानून है जो 14-5-1978 से लागू किया गया है।

यमुना पार क्षेत्र में अवैध निर्माण

[हिन्दी]

2103. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में अवैध निर्माण जारों पर चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) यमुना पार क्षेत्र में कुछ अनधिकृत निर्माण की सूचना दी गई है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

(1) दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण के 2406 मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले दो वर्षों में 128 मामलों में गिराने की कार्रवाई की गई। 2104 मामले गिराने की बारी न आने के कारण निलम्बित पड़े हैं। अनधिकृत निर्माताओं के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 1820 अभियोग भी चलाए गए हैं।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अन्तर्गत 481 मामलों में कार्रवाई की है और इस वर्ष के दौरान लगभग 400 मामलों में गिराने के आदेश पारित किए हैं। अनधिकृत संरचनाओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रख कर गिराया जायेगा। अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अन्तर्गत, अपराध संहिता के अधीन कई अभियोग भी चलाए गए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

2104. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश की समस्त जनसंख्या को दूरदर्शन प्रसारण सेवा का लाभ मिलने लगेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1990 तक कितने लोगों को दूरदर्शन प्रसारण सेवा का लाभ मिलने लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन के सातवीं योजना के प्रस्ताव अभी अनुमोदित नहीं हुए है। तथापि, छठी योजना की स्कीमों के अंग के रूप में, 1985-86 के दौरान 14 स्थानों पर अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की उम्मीद है।

छठी पंचवर्षीय योजना में जल पूर्ति योजनाओं के लिए व्यय की गई राशि

[अनुवाद]

2105. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक जल पूर्ति योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) ग्रामीण और शहरी जल पूर्ति योजनाओं पर अब तक अलग-अलग वास्तव में कितना व्यय किया गया है; और

(ग) व्यय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल पूर्ति तथा शहरी और ग्रामीण स्वच्छता सहित शहरी जलपूर्ति पर राज्यों द्वारा किया गया अनुमानित व्यय 3079 करोड़ रुपये है। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम एवम् प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को 919.71 करोड़ रुपये दिए गये।

(ख) और (ग) त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम (कार्य घटक) तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये अनुदानों के राज्य वार और वर्षवार ब्यौरे विवरण-एक में दिये गये हैं। ग्रामीण जल पूर्ति पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा इससे बाहर (शहरी जल पूर्ति और शहरी तथा ग्रामीण स्वच्छता और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्यथा ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं भी) राज्यों द्वारा किये गये व्यय के राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरे क्रमशः विवरण-दो तथा तीन में दिये गये हैं।

विवरण-एक

ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

1980-85 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी गई निधियां

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम		प्रोत्साहन	
		80-84	84-85	83-84	84-85
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1829.72	793.23	400.00	300.00
2.	असम	2032.57	981.03	420.00	100.00
3.	बिहार	2991.16	911.73	277.00	140.00
4.	गुजरात	1444.86	471.64	350.00	300.00
5.	हिमाचल प्रदेश	1450.00	428.90	200.00	200.00
6.	हरियाणा	1263.00	414.70	450.00	235.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3239.51	1801.56	—	100 00
8.	कर्नाटक	2390.54	824.33	72.00	255.00

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	2666.95	1171.30	400.00	300.00
10.	मध्य प्रदेश	4365.45	1719.56	600.00	300.00
11.	महाराष्ट्र	2647.55	1025.40	93.00	250.00
12.	मणिपुर	557.67	158.36	135.00	150.00
13.	मेघालय	1121.68	420.00	—	—
14.	नागालैण्ड	712.96	307.18	115.00	115.00
15.	उड़ीसा	2549.32	1037.34	450.00	400.00
16.	पंजाब	676.12	276.00	150.00	200.00
17.	राजस्थान	7656.62	3463.83	750.00	400.00
18.	सिक्किम	370.71	272.39	125.00	100.00
19.	तमिलनाडु	2677.52	993.53	500.00	348.00
20.	त्रिपुरा	391.07	199.75	70.00	150.00
21.	उत्तर प्रदेश	7239.23	4091.16	750.00	300.00
22.	पश्चिमी बंगाल	3454.89	1918.40	300.00	300.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	44.14	38.00	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	167.00	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
26.	दिल्ली	23.00	—	—	—
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—
28.	गोआ दमन तथा दीव	97.72	35 00	4.00	—
29.	लक्ष्य द्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	35.25	11.00	—	57.00
31.	पांडचेरी	48.50	17.00	—	—
	योग	54,144.40	23,782.32	6,611.00	5,000.00

विवरण—दो

छठी योजना के दौरान राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक आशान्वित व्यय

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य	1980-81	198182	1982-83	1983-84	1984-85	योग वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1136.06	1319.00	1649.00	2773.00	1760.00	8637.06
2.	असम	512.98	623.60	762.36	1142.89	1378.00	4419.83
3.	बिहार	1350.00	1360.00	1367.00	1220.00	1352.00	6649.00
4.	गुजरात	922.63	900.00	986 61	1282.50	2160.00	6252.24
5.	हरियाणा	832.21	1203.00	1702.77	168.860	2462.00	7888.58
6.	हिमाचल प्रदेश	793.11	1354.90	1689.71	1375.94	1375.00	6588.66
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1234.81	1311.12	1237.26	1307.20	1362.75	6453.14
8.	कर्नाटक	1261.24	1128.28	2322.00	3736.50	2172.00	10620.02

1 2	3	4	5	6	7	8
9. केरल	382.57	590.20	652.92	596.90	761.00	2984.49
10. मध्य प्रदेश	2231.92	2031.35	1582.90	2065.12	2100.00	10011.29
11. महाराष्ट्र	2280.00	3975.00	6469.09	6401.00	7009.00	26134.00
12. मणिपुर	291.06	401.59	415.61	453.00	480.00	2041.26
13. मेघालय	296.58	371.14	386.85	395.70	400.00	1850.26
14. नागालैंड	206.19	231.86	242.55	259.84	301.00	1241.44
15. उड़ीसा	556.61	592.13	643.44	716.74	712.00	3233.92
16. पंजाब	337.14	427.58	337.87	594.12	1000.00	2696.71
17. राजस्थान	1328.68	1695.50	959.45	1881.00	1075.00	6959.65
18. सिक्किम	82.34	78.29	127.03	148.60	140.00	576.16
19. तमिलनाडु	1100.00	1100.00	1300.00	1300.00	1500.00	6300.00
20. त्रिपुरा	156 03	199.09	223.72	300.00	310.00	1188.84
21. उत्तर प्रदेश	2942.99	3845.78	4037.58	4611.50	4840.00	20277.85
22. पश्चिम बंगाल	594.65	555.91	790.00	990.00	1630.00	4258.56
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	115.86	75.92	94.55	99.05	102.00	487.38

1 2	3	4	5	6	7	8
24. अरुणाचल प्रदेश	103.35	289.19	280.18	204.91	425.00	1302.63
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
26. दिल्ली	200.00	120.49	202.76	168.09	100.00	791.34
27. दादर तथा नागर हवेली	—	0.35	23.32	उपलब्ध नहीं	9.90	33.57
28. गोआ दमन तथा दीव	53.93	71.82	101.97	93 37	21.22	342.31
29. लक्ष्य द्वीप	0.02	0.04	3.86	28.11	49.00	81.03
30. मिजोरम	155.17	87.57	164.35	204.10	173.40	784.59
31. पांडिचेरी	18 80	17.18	21.99	13.98	23.50	95.45
योग	21176.93	25956.38	30778.63	36051.76	37217.67	151181.37

विवरण-तीन

छठी योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से बाहर से व्यय आशान्वित व्यय (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा ग्रामीण स्वच्छता के अलावा शहरी जल पूर्ति तथा स्वच्छता और ग्रामीण जल पूर्ति पर हुए व्यय सहित)

(लाख रुपयों में)

क्र० सं० राज्य/संघ राज्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	योग
1 2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	1080.03	1169.98	704.13	1055.56	1744.00	5753.70
2. असम	162.28	179.74	124.90	277.04	671.31	1415.27
3. बिहार	1350.00	1360.00	1367.00	557.52	1136.00	5770.22
4. गुजरात	1204.37	1372.25	1955.79	2632.42	3340.00	10504.8
5. हरियाणा	408.56	441.44	286.67	254.18	350.00	1740.85
6. हिमाचल प्रदेश	59.05	118.69	87.46	76.46	215.00	556 00
7. जम्मू तथा कश्मीर	583.92	530.48	503.70	576.65	762.25	2957.00
8. कर्नाटक	1104.04	1413.36	1519.02	2224.50	1396.00	7657.22

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल	1115.04	1092.59	996.54	1044.10	1154.10	5402.37
10.	मध्य प्रदेश	790.99	726.46	889.32	1665.88	1740.00	5812.65
11.	महाराष्ट्र	2843.89	5611.11	7692 00	9708.34	13207.36	39062.70
12.	मणिपुर	313.72	209.78	136.91	133.60	224.00	1018.01
13.	मेघालय	496.90	202.11	171 83	333.99	529.00	1733.83
14.	नागालैंड	73.35	93.62	150.67	122.34	99.00	538.98
15.	उड़ीसा	146.55	225.07	168.72	298.65	543.00	1381.99
16.	पंजाब	1730.00	1660.00	1153.96	451.00	531.00	5525 96
17.	राजस्थान	724.62	857.02	973.23	1121.79	1305.00	4981.66
18.	सिक्किम	78.57	55.42	61.77	102.42	90.00	388.18
19.	तमिलनाडु	2159.00	3275.76	4287.85	6398.74	7405.23	23526.58
20.	त्रिपुरा	72.27	90.13	91.08	88.55	148.00	490.03
21.	उत्तर प्रदेश	2495.16	2362.79	2462.91	2308.68	2255.00	11884.54
22.	पश्चिम बंगाल	345.65	363.78	482.00	423.80	1315.00	2939.23
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	10.59	8.00	8.50	2.77	86.00	115.86
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	104.88	75.00	179.88

1 2	3	4	5	6	7	8
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
26. दिल्ली	1841.00	2456.14	2713.24	67.27	3974.00	11051.65
27. दादर तथा नागर हवेली	8.18	16.33	4.81	उपलब्ध नहीं	6.50	35.82
28. गोआ दमण तथा दीप	242.96	257.16	502.97	628.00	1539.61	3170.70
29. लक्ष्य द्वीप	*	*	*	3.77	9.00	12.77
30. मिजोरम	50.94	41.96	80.05	200.84	286.60	660.39
31. पांडिचेरी	66.87	107.36	109.70	69.93	121.85	475.71
योग	21567.80	26298.53	29686.73	32933.67	46258.81	156745.54

*3 वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1980-83 की अवधि के दौरान उन्होंने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बाहर से 3.50 लाख व्यय किये हैं।

नए कृषि विश्वविद्यालय

2106. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सातवीं योजना के दौरान कुछ राज्यों में कुछ कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन में खोले जायेंगे तथा उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम क्या होंगे;

(ग) क्या उड़ीसा में भी इस प्रकार का कोई विश्वविद्यालय खोला जायेगा, जहां खेती के आधुनिक तरीकों का काफी विकास किये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय किस स्थान पर खोला जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सातवीं योजना के दौरान भारत सरकार राज्यों में कोई और राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार नहीं रखती। फिर भी, सरकार उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम भाग में खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन

2107. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम भाग में खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था।

(ख) क्या इस लक्ष्य के पूरा होने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1984-85 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 1536 लाख मीटरी टन है। राज्यों से मिली प्राथमिक रिपोर्टों के आधार पर हाल ही में यह मूल्यांकन किया गया है कि

1984-85 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन, 1984 के मानसून मौसम (जून से सितम्बर तक) के दौरान देश के कुछ भागों में अपर्याप्त वर्षा तथा लम्बे अर्से तक सूखे की स्थिति रहने तथा इसके पश्चात् मानसून के बाद जाड़े की वर्षा न होने के कारण छठी योजना के लक्ष्य से मामूली कम हुआ है।

गैस दुर्घटना वाले दिन आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण

2108. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस दुर्घटना वाले दिन 3 दिसम्बर को आकाशवाणी और दूरदर्शन के निर्धारित कार्यक्रमों के प्रसारण में देर सांय काल तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया था; और

(ख) सरकार द्वारा दुर्घटना के तुरन्त बाद गैस से बचाव के लिए लोगों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर क्या निर्देश दिए गए थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) भोपाल में दूरदर्शन का कोई केन्द्र नहीं है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है; आकाशवाणी; भोपाल तथा मध्य प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के स्वरूप और प्रकृति में 3-12-1984 को हुई गैस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 4-12-1984 को राजकीय शोक घोषित किए जाने के तत्काल बाद ही परिवर्तन कर दिया गया था।

(ख) दुर्घटना के तत्काल बाद जहरीली गैस के रासायनिक मिश्रण तथा मनुष्यों, वनस्पति और पानी पर इसके प्रभाव के बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं हुई और न ही एहतियाती उपायों, आदि के बारे में विशेषज्ञ राय उपलब्ध थी। राज्य सरकार से पता लगाने के बाद आकाशवाणी केन्द्र ने 3-12-1984 को प्रातः 10 बजे एक विशेष बुलेटिन इस बारे में प्रसारित किया कि लीकेज बन्द हो गई है और बचाव के उपाय पूरे जोर से किए जा रहे हैं। मुख्य मन्त्री का यह विशेष संदेश, कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव सहायता दी जा रही है, रिकार्ड करके प्रसारित किया गया। अफवाहों के प्रभाव का निराकरण करने के लिए बार-बार घोषणायें की गईं।

4 दिसम्बर, 1984 से, जहरीली गैस के प्रभाव तथा एहतियाती उपायों के बारे में विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

राजस्थान में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए परिवार

2109. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने परिवारों का चुना गया है;

(ख) उन परिवारों में कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों आदि द्वारा अनुदान दिया गया है और उक्त अनुदान में कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) इन चुने हुए परिवारों द्वारा कितनी किस्तें और कितनी धनराशि की वापस अदायगी कर दी गई है; और

(घ) कितने परिवारों ने गरीबी की रेखा को पार कर लिया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7.008 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 1980-81 से लेकर फरवरी, 1985 तक वास्तव में 6.910 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाई गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 से लेकर फरवरी, 1985 तक 6.91 लाख परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अनुदानों में से 83.85 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए थे। उसी अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों से इन परिवारों के लिए 131.34 करोड़ रुपए का मध्यावधि ऋण जुटाया गया था।

(ग) चुने हुए परिवारों द्वारा वापस अदा की गई किस्तों की संख्या तथा धनराशि से संबंधित सूचना इस विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) देश में इस कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट अभी आनी है।

झा समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष

2110. **श्री एम० रघुवा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झा समिति ने "आपरेशन फ्लड 2" के परिणामों के संबंध में क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं, उसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं, सरकार द्वारा स्वीकार की गई प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की संभावित तिथि क्या है और स्वीकार न की गई प्रत्येक सिफारिश को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(ख) डेयरी विकास को तेज करने और क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) झा समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 देश में शुरू किया गया डेरी विकास का एक मुख्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों को लाने का विचार है।

नलगोंडा में टी० वी० रिले केन्द्र की स्थापना

2111. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के लोग उस जिले में एक टी० वी० रिले केन्द्र की स्थापना की मांग निरन्तर करते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां एक टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त टी० वी० रिले केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) से (घ) नलगोंडा जिले के आधे से अधिक क्षेत्र में हैदराबाद के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्य होती है। विजयवाड़ा के ट्रांसमीटर के 1985-86 के दौरान 10 किलोवाट की पूर्ण शक्ति पर चालू हो जाने पर नलगोंडा जिले के टी० वी० कवरेज में और सुधार होने की उम्मीद है।

तैयार खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड) परियोजनायें

2112. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई विचार धारा के अनुसार कृषि की अपेक्षा तैयार खाद्य पदार्थ परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है ("दिनांक 26-2-85 का टेलीग्राफ");

(ख) क्या इस प्रतिक्रिया में परम्परागत खाद्य पदार्थ तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं; जिससे स्वास्थ्य को, विशेषत: निर्धन लोगों के स्वास्थ्य को, गम्भीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को तैयार खाद्य पदार्थ प्रवृत्ति से कोरिया जैसे कुछ विकसित देशों में व्याप्त स्थिति की जानकारी है, जिसके कारण चावल का उपयोग कम हो गया है तथा अमरीका से गेहूं आयात करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) परम्परागत खाद्य पदार्थों के स्थान पर तैयार खाद्य पदार्थों को लाने की बात छोड़ दी जाए, देश के महानगरों से

बाहर रहने वाले अधिकांश उपभोक्ता कुल मिलाकर तैयार खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य को अथवा कृषि को कोई हानि पहुंचने की आशंका नहीं है।

फालतू गेहूं का निर्यात

2113. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फालतू" गेहूं का निर्यात करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह "फालतू" गरीबों और जरूरतमन्दों की खरीदने की शक्ति न होने के कारण है और वास्तव में फालतू नहीं है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गरीबों का पेट भरने के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जायें; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक कारणों से उत्पादन में कमी होने की स्थिति में गेहूं और चावल का आयात करने का है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सूखे से प्रभावित कुछ अफ्रीकी देशों को सहायता के रूप में एक लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान भारत सोवियत संघ व्यापार प्रोतोकोल (जनवरी-दिसम्बर, 1985) में सोवियत संघ को पांच लाख मीटरी टन गेहूं निर्यात करने के लिए प्रावधान किया गया है।

देश में गेहूं के स्टाक के बारे में स्थिति अच्छी है और गेहूं खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध है।

यदि आवश्यक और व्यवहार्य हो, तो सरकार देश से गेहूं निर्यात कर सकती है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपूरक रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने तथा ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) आरम्भ किये हैं।

(घ) इस समय गेहूं अथवा चावल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्धन लोगों को मकान देने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

2114. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी श्रेणियों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मकान देने के लिए योजनाओं को और अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के संबंध पर विचार कर रही है जिससे कि इन वर्गों से संबंधित निर्धन लोगों को और मकान दिए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय होने के कारण, सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। वे अलग-अलग श्रेणियों/क्षेत्रों के लिए योजनाओं को बनाने तथा कार्यान्वित करने में स्वतंत्र है।

गृह निर्माण ऋणों पर ब्याज

[अनुवाद]

2115. श्री जो० भूपति : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले गृह निर्माण ऋणों पर ब्याज कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई विशेष योजना क्रियान्वित करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) हाल ही में तैयार किए गए एक प्रस्ताव की इसके सभी पहलुओं से जाँच करना अपेक्षित होगा।

आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केन्द्र का कार्यकरण

2116. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि आकाशवाणी के वर्तमान पोर्ट ब्लेयर केन्द्र के प्रसारण अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में पूरी तरह से सुनाई नहीं देते हैं;

(ख) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी द्वीपों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। आकाशवाणी केन्द्र, पोर्टब्लेयर 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से सुसज्जित है। इसके प्रेषण पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर नहीं करते हैं। स्थिति में सुधार करने के लिये, एक पृथक मस्तूल पर एक दिशिक एंटीना लगाने की योजना है। दूसरे मस्तूल का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के लिए कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं हैं।

पूर्वी तट पर अन्धाधुन्ध मछलियां पकड़ना

2117. श्री चिंतामणि जेना : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट के समुद्र में अन्धाधुन्ध मछलियां पकड़ने के कारण मछलियों और झींगों की विभिन्न किस्में बड़ी तेजी से समाप्त होती जा रही है;

(ख) जलपोतों (ट्रावलरों) द्वारा बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बालू शीर्षों में झींगों के प्रजनन को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हाल के वर्षों में पूर्वी तट से समुद्री मत्स्य उत्पादन में प्राकृतिक कारणों से वार्षिक उतार-चढ़ाव होने के बावजूद गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती हैं। तथापि, झींगा मछलियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) उपलब्ध जानकारी से यह पता नहीं चलता है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में झींगों के प्रजनन स्थलों को किसी प्रकार की क्षति हुई है।

उड़ीसा में दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र

2118. श्री चिंतामणि जेना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वर्तमान दूरदर्शन पारेषण केन्द्रों से होने वाले प्रसारण पूरे राज्य में देखे जा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें वर्तमान पारेषण केन्द्रों द्वारा पारीषित प्रसारण नहीं देखे जा सकते; और

(ग) इन क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) फूलबनी और कालहांडी जिलों को छोड़कर, उड़ीसा के शेष सभी 11 जिलों के सम्पूर्ण भाग या आंशिक भाग, जो लगभग 52.5 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करते हैं, में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। दूरदर्शन सेवा का और विस्तार, भावी योजना अवधियों के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दूध का उत्पादन और लक्ष्य

2119. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए वार्षिक दुग्ध उत्पादन के राज्यवार क्या लक्ष्य थे और इनकी तुलना में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) क्या उपलब्धियों में हुआ सुधार एक समान था अथवा उसमें क्षेत्रवार अंतर था;

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय अंतर को कम करने के लिए छठी योजना के दौरान सरकार ने क्या उपाय किए और अब तक क्या सफलता मिली;

(घ) इसी अवधि के दौरान एशिया के अन्य विकासशील देशों में दुग्ध उत्पादन में क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ङ) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने छठी योजना के दौरान किन आदानों की व्यवस्था की और और इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना हेतु क्या प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राज्यवार वार्षिक दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य और प्रत्याशित उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) उपलब्धियों में सुधार के स्तर में क्षेत्रों के बजाय राज्यों के बीच अधिक विभिन्नता थी।

(ग) ऐसे राज्यों, जहां उत्पादन और क्षमता का स्तर कम है, को आप्रेशन फ्लड कार्यक्रम या अन्य केन्द्रीय परियोजनाओं के माध्यम से इन्हें बढ़ाने के लिए हर प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई है। इन कार्यक्रमों की सफलता 7वीं योजना के अंतिम चरण में प्राप्त होगी।

(घ) इसी अवधि के दौरान एशिया के अन्य विकासशील देशों की दुग्ध उत्पादन की उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1983 में एशिया के कुछ अन्य देशों द्वारा किया गया दुग्ध उत्पादन (लाख मीटरी टन में) इस प्रकार है—बंगला देश—16, बर्मा—4.3, चीन—85.4, इण्डोनेशिया—1.3, पाकिस्तान—96.6, श्रीलंका—2.6

(ङ) छठी योजना में, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा पशुपालन और

डेरी क्षेत्र में 508.0 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

दुग्ध उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य और प्रत्याशित उपलब्धियां

(हजार मी० टन)

क्र० संख्या	राज्य	लक्ष्य			प्रत्याशित उपलब्धियां		
		1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2500	2580	2700	2500	2630	2500
2.	असम	543	564	585	543	564	549
3.	बिहार	2133	2235	2350	2133	2235	2350
4.	गुजरात	2464	2442	2506	2317	2442	2640
5.	हरियाणा	2200	2300	2400	2300	2300	2400
6.	हिमाचल प्रदेश	356	368	385	358	370	385
7.	जम्मू व कश्मीर	290	310	300	270	285	315
8.	कर्नाटक	1350	1400	1500	1350	1400	1900
9.	केरल	1010	1060	1120	1010	1060	1173
10.	मध्य प्रदेश	2510	2640	2784	2510	2640	2784
11.	महाराष्ट्र	1739	1870	2100	1857	2020	2110
12.	मणिपुर	63	65	66	63	64	66
13.	मेघालय	60	62	64	60	62	64
14.	नागालैण्ड	3.60	4.1	4.25	4.0	4.1	4.15
15.	उड़ीसा	268	324	334	322	328	334
16.	पंजाब	3750	3997	3800	3599	3700	3810

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	राजस्थान	3400	3450	3600	3400	3500	3500
18.	सिक्किम	19.0	19.0	20.2	19.0	19.6	20.2
19.	तमिलनाडु	1900	1930	1980	1900	1900	2600
20.	त्रिपुरा	18.0	19.0	22.5	18.5	20.0	22.5
21.	उत्तर प्रदेश	6250	6468	6750	6203	6468	6720
22.	पश्चिम बंगाल	1370	1842	2100	2012	2044	2200

स्रोत : योजना आयोग के 1984-85 और 1985-86 की राज्य वार्षिक योजना चर्चाओं के कार्यवृत्त पर आधारित।

बिहार में बाढ़ और सूखा के लिए वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

2120. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को गत दो वर्षों के दौरान सूखा और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को सहायता देने के लिए कितनी धनराशि दी गयी;

(ख) क्या सरकार ने सूखा और बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत बिहार के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान सूखा और बाढ़ राहत कार्यों के लिए बिहार सरकार को स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

	सूखा	बाढ़
1983-84	8.98 रुपए	केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।
1984-85	केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।	58.94 रुपए

(ख) जी, हां। भारत सरकार ने सूखे का सामना करने के लिए दीर्घावधि आधार पर अनेक योजनाएं तैयार की हैं। सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, बारानी खेती योजना, लघु और सीमान्त किसानों हेतु सहायता कार्यक्रम आदि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सूखे की तीव्रता को कम करती हैं। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना भी सूखे के विरुद्ध एक दीर्घावधि उपाय है। उदाहरण के लिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में लघु सिंचाई में कुल व्यय का 35 प्रतिशत, वनरोपण और चरागाह विकास का 20 प्रतिशत, मृदा और जल-संरक्षण का 18 प्रतिशत शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं में भी लघु सिंचाई, वनरोपण और चरागाह विकास मृदा और जल संरक्षण आदि प्रमुख घटक हैं।

बाढ़ के मामले में, बाढ़ नियन्त्रण राज्य का विषय है। बाढ़ की क्षति को कम करने से संबंधी अपेक्षित योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य की प्लानों के अन्तर्गत तैयार और क्रियान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार इक्के-दुक्के और नाजुक मामलों में कुछ सहायता देती रही है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है ताकि देश के सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण बेसिनों में समय पर बाढ़ संबंधी भविष्यवाणी की जा सके जिससे संबंधित प्राधिकारी राहत और बचाव के लिए अग्रिम कार्यवाही कर सके। इसी प्रकार, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के बारे में विशेष ध्यान देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग-अलग एजेंसियों अर्थात् गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड, का गठन किया गया है ताकि मास्टर प्लान तैयार किया जा सके और बाढ़ नियन्त्रण के लिए उपचारात्मक उपाय आदि का सुझाव दिया जा सके।

(ग) और (घ) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में पलामू और गोंडा जिलों के 31 खण्ड शामिल हैं। 1985-86 के दौरान मुंगेर, रोहतास और नवादा के 23 अतिरिक्त खण्डों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1984-85 में बिहार के लिए 32.7 करोड़ रुपए और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 71.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

बाढ़ नियंत्रण के संबंध में छठी योजना के दौरान बिहार में लगभग 116.48 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्य सरकार ने सातवीं योजना के दौरान 350 करोड़ रुपए के परिव्यय का सुझाव दिया है। मार्च, 1984 तक, कौसी, बूढ़ी-गंडक बागमती और कमला बालन जैसी विभिन्न नदियों पर 2680 किलोमीटर बाढ़-किनारों का निर्माण किया गया है। लगभग 365 किलोमीटर जल निकासी नालियों का निर्माण किया गया है और 43 नगरों की रक्षा की गई है।

उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाना

2121. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये टेलीविजन ट्रांसमीटरों के बजाए उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में किन-किन स्थानों पर ऐसे उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एम० गाडगिल) : (क) मौजूदा अल्प शक्ति वाले कुछ दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाना, व्यापक दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करने हेतु पहले से ही अनुमोदित स्कीमों का अंग है।

(ख) पटना का दूरदर्शन ट्रांसमीटर फिलहाल 1 किलोवाट की कम शक्ति पर कार्य कर रहा है। इसकी शक्ति बढ़ाकर 10 किलोवाट करने का कार्य चल रहा है।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में पारित किए गए संकल्प

2122. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई।

(ख) इन बैठकों में पारित किये गये संकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संकल्पों के कार्यान्वयन के संबंध में क्या ब्यौरा है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) वर्ष 1984 के दौरान श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें हुई एक 26.4.1984 को और दूसरी 23.8.1984 को।

(ख) और (ग) दो विवरण संख्या एक और दो सभा पटल पर रखे जाते हैं जिनमें उपर्युक्त बैठकों में लिए एक निर्णयों तथा उनके संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 795/85]

कृषि आदानों की खरीद के लिए ऋण

[अनुवाद]

2123. श्री बी०बी० देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी की फसल के लिए कृषि आदानों की खरीद तथा विवरण के लिए कर्नाटक को 10 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण का नियतन किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा संसभय राज्यों के लिए कुल 134.1 करोड़ रुपये का नियत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जा नियतन किया गया है;

(घ) कर्नाटक को इतना कम कृषि ऋण मंजूर करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार को इस ऋण का कृषि आदानों के वितरण हेतु उपयोग करने के लिए कहा गया है।

(च) यह ऋण किन अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर किया गया है; और

(छ) मंजूर की गई धनराशि में से कितनी धनराशि इस प्रयोजन हेतु पूरी तरह उपयोग में लाई गई, जिसके लिए वह मंजूर की गई थी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कर्नाटक सरकार को रबी 1984-85 मौसम (अक्तूबर, 1984 से मार्च, 1985) के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए 8 करोड़ रुपये की धनराशि अल्पावधि ऋण के रूप में मंजूर की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सभी आदानों की आवश्यकताओं के निर्धारण, राज्यों की मांग और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर धनराशि उचित तौर पर आबंटित की जाती है।

(ङ) और (च) अल्पावधि ऋण के रूप में मंजूर की गई धनराशि का उपयोग केवल कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए ही किया जा सकता है।

(छ) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया गया जिनके लिए इसे मंजूर किया गया था।

विवरण

रबी 1984-85 मौसम के लिए राज्यों को मंजूर किया गया
अल्पावधि ऋण

(रुपये/करोड़)

क्रम संख्या	राज्य	मंजूर की गई धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.00
2.	असम	2.01
3.	बिहार	12.00

1	2	3
4.	गुजरात	4.92
5.	हरियाणा	9.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.49
7.	जम्मू व कश्मीर	0.50
8.	कर्नाटक	8.00
9.	केरल	2.00
10.	मध्य प्रदेश	8.00
11.	महाराष्ट्र	8.00
12.	मणिपुर	0.45
13.	मेघालय	0.67
14.	उड़ीसा	4.92
15.	पंजाब	12.00
16.	राजस्थान	14.14
17.	तमिलनाडु	10.00
18.	उत्तर प्रदेश	24.00
19.	पश्चिमी बंगाल	8.00
	योग	134.10

राज्यों द्वारा रबी फसल के उत्पादन लक्ष्यों का संशोधन

2124. श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी रबी मौसम के लिए फसल उत्पादन के लक्ष्यों में उपयुक्त संशोधन करने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है;

(ख) क्या कृषि संबंधी दो-दिवसीय सम्मेलन सितम्बर, 1984 में नई दिल्ली में हुआ था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने फसल उत्पादन के लक्ष्यों

को संशोधित करने के लिए कहा था और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) कितने राज्यों ने फसल उत्पादन के अपने लक्ष्यों में पहले ही संशोधन कर लिया है;

(ङ) क्या पिछले वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में राज्य सरकारों से अंतिम अनुमान प्राप्त हो चुके हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान फसल उत्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) रबी अभियान, 1984-85 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन नई दिल्ली में 21 और 22 सितम्बर, 1984 को हुआ था। 1984-85 के लिए रबी फसलों के उत्पादन के राज्य-वार लक्ष्य मई, 1984 में हुए गत सम्मेलन में निर्धारित किये गये थे। सितम्बर, 1984 के सम्मेलन में इन लक्ष्यों पर विचार किया गया था और कुछ राज्यों में खरीफ उत्पादन की सम्भावित क्षति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सलाह दी गई कि वे क्षति को पूरा करने के लिए रबी उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के विशेष प्रयास करें।

(ङ) से (च) 1983-84 के खाद्यान्न उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्य सरकारों से प्राप्त हो गये हैं। 1515 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त हुआ था। चालू वर्ष के दौरान फसल उत्पादन में सुधार करने के लिए उठाये जा रहे कदमों में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार और वित्तीय और गैर-वित्तीय आदानों की सहायता से पैदावार के स्तरों में वृद्धि करना शामिल है।

वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की असन्तोषजनक प्रगति

2125. श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की प्रगति बहुत असंतोषजनक रही;

(ख) क्या सितम्बर, 1984 तक की स्थिति से पता चलता है कि प्रगति बहुत धीमी रही है;

(ग) क्या प्रमुख कमियां धनराशि और खाद्यान्नों का उपयोग करने तथा रोजगार पैदा करने की रही;

(घ) क्या चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में स्थिति में सुधार नहीं हुआ;

(ङ) क्या 1983-84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 538 करोड़ रुपए उप-

लक्ष्य किए गये थे जिसमें से राज्यों द्वारा केवल 394 करोड़ श्रमदिनों का ही उपयोग किया गया;

(घ) क्या 1984-85 में इस कार्यक्रम के लिए 144 करोड़ रुपए की पिछली बकाया अप्रयुक्त राशि के अतिरिक्त 460 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या जुलाई, 1984 राज्यों द्वारा कुल 53.46 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किया गया जो कि कुल उपलब्ध धनराशि का केवल 8.9 प्रतिशत ही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री च बूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 और 1984-85 में उपयोग में न लाया गया बकाया, किए गये आवंटनों तथा इन दो वर्षों के दौरान नकद निधियों, खाद्यान्नों के उपयोग तथा रोजगार सृजन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

छठी योजना के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित किए जाने वाले श्रमदिनों का लक्ष्य 300-400 मिलियन श्रमदिन प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य 1983-84 में प्राप्त कर लिया गया था तथा 1984-85 में भी इसे प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। किसी महीने या किसी तिमाही में विभिन्न कारणों से कार्य में कमी-बेशी दिखाई पड़ती है। जिसमें सूचना का अन्तराल भी शामिल हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक कार्य-निष्पादन के आधार पर तुलना करना ज्यादा ठीक रहेगा। 25 प्रतिशत निधियों को एक वर्ष से अगले वर्ष में ले जाए जाने की अनुमति भी दे दी गई है, ताकि इस कार्यक्रम को जारी रखा जा सके। यह कहा जा सकता है कि छठी योजना के सभी पहले चार वर्षों के दौरान 300-400 मिलियन श्रम-दिनों को सृजित करने का योजना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा 1984-85 में भी प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। इसी प्रकार, इस योजना के अन्तर्गत 1620 करोड़ रुपए के व्यय के योजना प्रावधान में से पहले चार वर्षों में 1323.64 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था तथा 1984-85 के अन्त तक लगभग 1800.00 करोड़ रुपए के व्यय किए जाने की आशा है। इस प्रकार वित्तीय और वास्तविक दोनों ही रूपों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित छठी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 और 1984-85 के दौरान निधियों की उपलब्धता

वर्ष	पिछले वर्ष की अप्रयुक्त निधियां	राज्य अंश सहित निधियों का आवंटन	कुल उपलब्ध निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1983-84	14537.93	39021.06	53558.99
1984-85	14354.68	45749.75	60104.43

(II) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान नकद निधियों, खाद्यान्नों का उपयोग और रोजगार सृजन।

अवधि	नकद निधियों का उपयोग (करोड़ रुपए में)	खाद्यान्नों का उपयोग (लाख मीटरी टन में)	रोजगार सृजन (मिलियन-श्रम दिनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1983-84			
(1) पहली तिमाही के दौरान अर्थात् जून, 1983 तक	63.97	0.33	61.75
(2) जुलाई, 1983 तक	84.03	0.43	80.49
(3) सितम्बर, 83 तक	127.09	0.62	117.76
(4) फरवरी, 84 तक	285.78	0.97	227.46
(5) मार्च, 84 तक	392.22	1.47	302.76
1984-85			
(1) पहली तिमाही के दौरान अर्थात जून, 1984 तक	68.47	0.21	49.04
(2) जुलाई, 84 तक	105.54	0.34	72.01
(3) सितम्बर, 84 तक	166,44	0.48	113.94
(4) फरवरी 85 तक	369.65	1.17	285.04
अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार			
(5) मार्च, 1985 तक	अप्राप्त*	अप्राप्त*	अप्राप्त*

*पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता में वृद्धि की तुलना में कृषि उत्पादन में वृद्धि

[हिन्दी]

2126. श्री अंगुल बशर : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन सिंचाई क्षमता में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई तथा कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) सिंचाई क्षमता के अनुपात में कृषि उत्पादन न बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 की खरीफ फसलों के लिए फसल उत्पादन के अन्तिम अनुमान बहुत से राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं और रबी फसलों के अनुमान तो अभी देय नहीं हुए हैं। छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान (1983-84 तक) कृषि उत्पादन में 14.7 प्रतिशत तथा सिंचित क्षेत्र (संचयी उपयोग) में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) कृषि उत्पादन में वृद्धि न केवल सिंचाई क्षमता के कुशल उपयोग पर, बल्कि बहुत से पूरक आदानों के उपयोग, प्रौद्योगिकी के अन्तरण, मौसम के रुख आदि पर भी निर्भर करती है।

(घ) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में अन्य बातों के साथ साथ अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, ऋण, उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तरण, पौध रक्षण उपाय आदि सहित सभी महत्वपूर्ण आदानों की आसानी से उपलब्धि को सुनिश्चित बनाना और किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन मूल्य दिलाना शामिल है।

आदिवासी बाहुल्य वाले शहरों में दूरदर्शन सुविधाएं

2127. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान सरकार का किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बड़ी सदरी जैसे आदिवासी बाहुल्य वाले नगरों में दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो वहां पर सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1985-86 के दौरान पुन्छ, दरभंगा, बेतिया, कोरबा, सिंगरौली, नेवेली तथा उखरूल ट्रांसमीटरों की स्थापना करना, दूरदर्शन विस्तार की अनुमोदित योजना का अंग है।

(ख) हाथ में ली गई स्कीमों के पूरा हो जाने पर, राजस्थान की लगभग 44% जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों सहित राज्य के जिन भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना भावी योजना अवधियों के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दूरदर्शन केंद्रों की क्षमता बढ़ाना

2128. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दूरदर्शन के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनकी क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ख) क्या राजस्थान में भी किसी दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले में उच्च शक्ति का एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) निम्नलिखित केन्द्रों के मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का कार्य चल रहा है :—

राज्य	केन्द्र
1	2
असम	सिलचर
	डिब्रुगढ़
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
	विजयवाड़ा
बिहार	पटना
गुजरात	द्वारका
	अहमदाबाद
हिमाचल प्रदेश	कसौली
जम्मू व काश्मीर	जम्मू
केरल	कोचीन
	त्रिवेन्द्रम
महाराष्ट्र	नागपुर
मणिपुर	इम्फाल
मेघालय	[illegible]
	शिलांग

1	2
नागालैंड	कोहिमा
पंजाब	भटिण्डा
तमिलनाडु	कोडैकनाल
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	वाराणसी
पश्चिम बंगाल	कुर्सियांग
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
मिजोरम	ऐजवाल
गोवा, दमन और दीव	पणजी

(ख) फिलहाल इस प्रकार की कोई अभ्युक्ति नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जाता है। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना भावी योजना अवधियों के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पटना की गन्दी बस्तियां हटाने के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

2129. श्री सी० पी० ठाकुर : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार पटना की गन्दी बस्तियों को हटाने और राजधानी को स्वच्छ शहर बनाने में बिहार सरकार की सहायता कर सकती है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : मलिन बस्ती उन्मूलन सुधार राज्य का विषय है। सरकार की वर्तमान नीति में मलिन बस्तियों को अत्यधिक संख्या में पुनर्वासित करने की अपेक्षा इनके पर्यावरणीय सुधार पर जोर दिया गया है। शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, जिसे बिहार राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने कार्यान्वित किया है, शहरी मलिन बस्तियों में जलपूर्ति, मल निर्यास, बर- साती पानी की नालियों, बस्तियों में खड़ंजे बिछाना, सड़कों पर प्रकाश तथा सामुदायिक स्नानगृह एवं शौचालय आदि जैसी मूल-भूत सुविधायें मुहैया की जाती हैं।

सुन्दर वन क्षेत्र के लिए कृषि विश्वविद्यालय

2130. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र में केनिंग में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में कितने छात्रों को दाखिला दिया गया है और क्या अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या एक्स्टेंशन लेक्चरों, प्रदर्शनों आदि के माध्यम से कालेज में किये गए विभिन्न शोध कार्यों के परिणामों को स्रोतों के प्रयोग करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय किसानों को प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र में केनिंग में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली बृहत योजना के नाम में परिवर्तन

[हिन्दी]

2131. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मास्टर प्लान का नाम बदलकर "पर्सपेक्टिव प्लानिंग और दिल्ली 2001" कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दूसरे मास्टर प्लान का नाम बदलने के क्या कारण हैं और उससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ; और

(ग) नई योजना के अन्तर्गत दिल्ली के लोगों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनको ये सुविधाएं कौन-सी तारीखों तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) बृहत योजना के नाम को नहीं बदला गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई "प्रपेक्ष्य विकास योजना दिल्ली-2001" वस्तुतः दिल्ली बृहद योजना को अद्यतन बनाने का एक व्यापक प्रस्ताव है।

(ग) इन प्रस्तावों में वर्ष 2001 में 122 लाख की निक्षिप्त नगरीय जनसंख्या के लिए प्रत्यक्ष एवम् सामाजिक अधः संरचनाओं के लिए युक्तियुक्त मानकों का सुझाव है।

महानगरों में मकानों के लिए अनुमानित की गई मांग

[अनुवाद]

2132. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के महानगरों में वर्ष 1990 तक मकानों के लिए कितनी मांग पैदा हो जाने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या मकानों की कमी को पूरा करने के लिए मकानों के निर्माण के लिए कोई सम्बद्ध योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1971 तथा 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1980 तक 12 महानगरीय शहरों में मकानों की कमी 15.49 लाख रिहायशी एकक आंकी गई है। प्रक्षेपित मांग से संबंधित सूचना सुलभता से उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) 1990 तक तक मकानों की संख्या में वृद्धि सातवीं योजना प्रावधानों पर निर्भर करती है जिसे कि अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

कलिंगा में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

2133. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के फूलबनी जिले में कलिंगा में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; जो पड़ोसी जिलों अर्थात् गंजम और कोरापुट की आवश्यकताओ को भी पूरा कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) कलिंगा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, कोरापुट में एक ट्रांसमीटर पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

उड़ीसा में शहरी गन्दी बस्तियों का सुधार

2134. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए विभिन्न राज्यों के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि रखी गई है;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त योजना अवधि के दौरान शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए प्रति वर्ष औसतन कुल कितनी धनराशि खच की गई है; और

(ग) उड़ीसा में शहरी गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र योजना के तहत छठी योजना अवधि के दौरान परिव्यय एवम् व्यय के ब्यौरों का एक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) एक करोड़ रुपये के परिव्यय के माध्यम के 37,000 मलिन बस्ती निवासियों के लाभान्वयन के छठी योजना के लक्ष्य की तुलना में, योजना के प्रथम चार वर्ष के दौरान 73,000 से अधिक मलिन बस्ती निवासियों को लाभान्वित किया गया। राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के लिए राज्य का लक्ष्य 12,600 मलिन बस्ती निवासियों को लाभान्वित करना है।

वर्ष 1984-85 के दौरान अतिरिक्त लाभान्वयन के लिए केंद्रीय प्रोत्साहन अनुदान योजना के अन्तर्गत 16,000 मलिन बस्ती निवासियों का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया है और वर्ष के दौरान 40 लाख रुपये के केंद्रीय अनुदान की भी स्वीकृति दी गई है।

विवरण

(परिव्यय एवम् व्यय के आंकड़े लाख रुपए में हैं)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छठी योजना परिव्यय 1980-85	1980-81 परिव्यय	1980-81 व्यय	1981-82 परिव्यय	1981-82 व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1536.00	130.00	270.00	150.00	290.80
2.	असम	75.00	—	—	10.00	10.00
3.	बिहार	410.00	50.00	59.00	40.00	40.00
4.	गुजरात	500.00	40.00	40.99	80.00	39.94
5.	हरियाणा	380.00	70.00	20.00	80.00	80.00
6.	हिमाचल प्रदेश	40.00	5.00	5.00	8.00	5.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	440 00	70.00	150.00	100.00	119.00
8.	कर्नाटक	1700.00	115.00	91.86	150.00	108.00
9.	केरल	600.00	40.00	65.00	80.00	65.00
10.	मध्य प्रदेश	800.00	90.00	51.27	150.00	52.73
11.	महाराष्ट्र	1700.00	172.00	321.53	300.00	447.42
12.	मणिपुर	25.00	2.00	1.00	5.00	2.42
13.	मेघालय	30.00	4.00	3.83	6.00	3.94
14.	उड़ीसा	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00
15.	पंजाब	500.00	20.00	19.00	80.00	80.00
16.	राजस्थान	250.00	60.00	60.00	50.00	40.00
17.	सिक्किम	15.00	2.00	1.00	2.00	2.00
18.	तमिलनाडु	2500.00	380.00	234.58	350.00	261.77
19.	त्रिपुरा	60.00	5.00	1.77	15.00	6.53
20.	उत्तर प्रदेश	1000.00	150.00	200.00	250.09	200.00
21.	पश्चिम बंगाल	2896.00	400.00	625.02	385.00	519.56
	योग :	15557.00	1820.00	2285.85	2306.00	2389.11
22.	दिल्ली	920.00	110.00	100.00	200.00	200.00
23.	गोवा, दीव तथा दमण	50.00	4.00	5.15	15.00	7.10
24.	मिजोरम	42.40	—	—	—	—
25.	पांडिचेरी	35.00	4.00	6.00	8.00	9.22
	संघ राज्य क्षेत्रों का योग	10.4700	118.00	111.15	223.00	216.32
	कुल योग :	16604.40	1938.00	2347.00	2529.00	2605.43

परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
8	9	10	11	12	13
350.00	512.00	610.00	760.00	798.00	उपलब्ध नहीं
160.00	10·00	20.00	25.00	2400	—वही—
55.00	55.00	55.00	55.00	70.00	,,
60.00	57.36	100.00	96.70	100.00	,,
90.00	80.00	80.00	170.00	88.00	,,
5.00	10.00	10.00	31.88	10.00	,,
120.00	130.00	149.00	160.00	30.00	,,
138.00	159.40	145:00	189.99	347.00	,,
75.00	65.00	75.00	80.16	75.00	,,
116.00	140.00	185.00	173.00	260.00	,,
450.00	452.72	1000.00	1007.85	650.00	,,
5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	,,
3.00	3.00	8.00	8.00	10.00	,,
15.00	16.50	15.00	69.99	29.00	,,
14.00	80.00	80.00	266.00*	31.00	,,
50.00	70.00	55.00	268.55	70.00	,,
3.00	3.00	4.00	4.00*	7.00	,,
450.00	450.00	350.00	470.00*	620.00	,,
6.00	10.00	10.00	10.00	12.00	,,
229.00	232.48	100.00	198.00*	200.00	,,
400.00	550.11	429.00	482.00*	550.00	,,
2661.00	3092.42	3431.12	4531.12	3841.00	,,
220.00	220.00	290.00	305.00	400.00	,,
9.00	7.36	8.15	8.67	13.00	,,
--	8.90	9.70*	9.70*	14.00	,,
8.00	8.00	12.00	12.00	10.00	,,
237.00	244.26	319.85	334.77	427.00	,,
2898.00	3336.68	3755.45	4865.89	4268.00	

*परिव्यय वास्तविक व्यय प्राप्त नहीं हुआ।

रोलर आटा मिलों को गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव

2135. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों ने 1983 और 1983 में अपनी रोलर आटा मिलों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कुल कितना खाद्यान्न लिया;

(ख) क्या सरकार का विचार रोलर आटा मिलों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो 1985 में उक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कुल कितने टन गेहूं आवंटित करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1983 और 1984 में रोलर फ्लोर मिलों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं का कुल उठान नीचे दिया जाता है;

	(हजार मीटरी टन में)
1983	2952.6
1984	3077.8

(ख) और (ग) अगस्त, 1984 से रोलर फ्लोर मिलों को उनकी पूर्ण लाइसेंसशुदा/अनुमोदित क्षमता तक गेहूं आवंटित किया जा रहा है। पहली अप्रैल, 1985 से, विशेष उपाय के रूप में, सभी रोलर फ्लोर मिलों को जोकि मौजूदा मशीनरी से उत्पादन बढ़ाने में सक्षम हैं, उनकी मासिक लाइसेंसशुदा क्षमता के 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त पिसाई करने की अनुमति दी गई है।

विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2136. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के किन-किन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ग) उड़ीसा के उन क्षेत्रों में लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को दिए गए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग मे राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा के सात जिलों में 10 परियोजनाएं चल रही हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

कार्यक्रम का नाम	जिले
1. दोगली किस्म की ओसरों का पालन	1. कटक
	2. पुरी
	3. ढेंकनाल
	4. सम्बलपुर

कार्यक्रम का नाम	जिले
2. कुक्कुट पालन, सूअर पालन और भेड़ पालन यूनिटों की स्थापना	
1. कुक्कुट पालन	1. कटक
	2. पुरी
	3. सम्बलपुर
2. सूअर पालन	2. कारोपुट
	2. क्योंझर
3. भेड़-पालन	2. बोलनगीर

(ग) इस कार्यक्रम के दोनों घटकों के लिए सहायता उपदान एवं ऋण के आधार पर दी जाती है। दोगली किस्म की ओसर-पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 से 32 महीनों तक की आयु की दोगली किस्म की ओसरों को दाना देने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत और कृषि मजदूरों $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता सुलभ की जाती है कुक्कुट, सूअर और भेड़ पालन यूनिटों की स्थापना के कार्यक्रम के अन्तर्गत कुक्कुट, सूअर और भेड़ पालन यूनिटें स्थापित करने हेतु सहायता दी जाती है जिसके लिए छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों व कृषि मजदूरों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से अधिक से अधिक 3,000 रुपए प्रति लाभार्थी आर्थिक सहायता दी जाती है। आदिवासी लाभार्थियों के लिए 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है जो अधिक से अधिक 5,000 रुपए तक होती है। परियोजना की बाकी लागत बैंकिंग संस्थाओं से ऋण लेकर पूरी करने की परिकल्पना की गई है।

इस कार्यक्रम के अन्य कार्यों के लिए सहायता इस प्रकार दी जाती है—

1. दोगली किस्म की ओसरों का पालन

1. स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता

(क) पैर और मुंह के रोगों के टीके लगाने की लागत लाभार्थी, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार 50:25:25 के अनुपात में वहन करेंगे।

(ख) कीड़े निकालने की लागत 4 रुपया प्रति पशु प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है।

(2) राज्य सरकारों तथा उनके राज्यों में चल रही बीमा कम्पनियों के बीच सम्मत प्रीमियम-दर से बीमा। प्रीमियम का भार लाभार्थी और सरकार 1.25:1.00 के अनुपात में वहन करेंगे और यदि बैंक शामिल हों तो इसे लाभार्थी, एजेन्सी और बैंक 1.00:0.75:0.50 के अनुपात में वहन करेंगे।

2. कुक्कुट यूनिटों की स्थापना

1. यूनिटों के आकार में 50-100-200 मुर्गियां शामिल होती हैं।

2. विपणन के लिए सहायता : 8.00 लाख (5 वर्ष के लिए) प्रति जिला जिसमें 3000 यूनिटें हों।

3. स्वास्थ्य के लिए सहायता : 5 वर्ष के लिए 2.50 लाख रुपया प्रति जिला जिसमें 3000 यूनिटें हों, मुख्य रूप से टीकों के लिए।

4. बीमा के लिए आर्थिक सहायता : राज्य/संघ शासित क्षेत्र और उसमें चल रही बीमा कम्पनियों के मध्य सम्मत प्रीमियम दर से दोगली किस्म के बछड़ों के बारे में बताए गए अनुपात में वहन किया जाएगा।

3. भेड़ पालन यूनिटों की स्थापना

1. यूनिटों के आकार में 20/30 भेड़ें और एक मेढ़ा आते हैं।

2. विपणन के लिए सहायता : 5 वर्ष के लिए 6.25 लाख रु० प्रति जिला (हर जिले में 3000 यूनिटें हों)

3. स्वास्थ्य के लिए सहायता :	5 वर्ष के लिए 2.00 लाख रुपये प्रति जिला जिसमें 3000 यूनिटें हों।
4. बीमा के लिए आर्थिक सहायता :	राज्य और उसमें चल रही बीमा कम्पनियों के मध्य सम्मत प्रीमियम दर से दोगली किस्म के बछड़ों के लिए बताए गए अनुपात में वहन किया जाएगा।

4. सूअर पालन यूनिटों की स्थापना

1. यूनिट का आकार 3-5 मादा सूअरों का होता है (मादा सूअरों के हर 5 यूनिटों के लिए। नर सूअर)

2. स्वास्थ्य के लिए सहायता :	5 वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपया प्रति जिला जिसमें 500 यूनिटें हों।
3. चारे के लिए आर्थिक सहायता :	नर-मादा सूअरों और उनके चेंटों को पालने के लिए चारे हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।
4. बीमा के लिए आर्थिक संहायता :	राज्य सरकारों और उनमें चल रही बीमा कम्पनियों के मध्य सम्मत प्रीमिया दर से उपर्युक्त का वहन किया जाए

समस्याग्रस्त गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता

2137. **डा० जी० विजयरामाराव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में समस्याग्रस्त गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विश्व स्वस्थय संगठन जैसे स्वेच्छिक संगठनों से सहायता लेने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफ़ूर) : विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वैच्छिक संगठन नहीं है बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है। अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति एवम् स्वच्छता दशक के दौरान जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र में प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसन्धान तथा उपकरणों की आपूर्ति जैसी सहायक गतिविधियों के लिए यह भारत सरकार को सहायता प्रदान करता है।

कर्नाटक को बाढ़ सहायता

2138. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1984 के दौरान कर्नाटक में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में सहायता के लिए 8 मार्च, 1985 को केन्द्र को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां। कर्नाटक सरकार ने 8 मार्च, 1985 को ज्ञापन दिया है, जिसमें 1984 के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए 373.12 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है। ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(1) सभी प्रभावित जिलों में सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत और सुधार के लिए	371.655 लाख रुपये
(2) निजी सम्पत्तियों की मरम्मत और पुनिर्नर्माण के लिए सहायता (प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त घर)	2.065 लाख रुपये
कुल :	373.72 लाख रुपये

राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ! उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

पालेकर अवार्ड का क्रियान्वयन

2139. **श्री ई० एस० एस० पक्कीर मोहम्मद :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अब तक कितने समाचार-पत्रों ने पालेकर अवार्ड क्रियान्वित किया है।

(ख) कितने प्रबन्ध मण्डलों ने इस "अवार्ड" को न्यायालय में चुनौती दी है ; और

(ग) इस विवाद को हल करने तथा सभी सम्बन्धित समाचार-पत्रों द्वारा अवार्ड के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त

सूचना के अनुसार, 106 समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों ने पालेकर पंचाट सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के आदेशों को पूर्णत: कार्यान्वित किया है और एक समाचार-पत्र प्रतिष्ठान ने इसे अंशत: कार्यान्वित नहीं किया है। केवल एक समाचार पत्र प्रतिष्ठान ने इस पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया है। राज्य में किसी भी प्रबन्धतंत्र ने पालेकर पंचाटों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। राज्य सरकार, जो पालेकर पंचाट सम्बन्धी केन्द्रीय आदेशों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्राधिकरण है, ऐसे समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने इन आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है।

तमिलनाडु को चावल, चीनी, दालों की मांग

2140. **श्री ई० एस० एस० पकीर मोहम्मद :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु की वर्ष 1985-86 के लिए चावल, चीनी और दालों की कुल मांग कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : प्रश्न में उल्लिखित वस्तुओं में से केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकारों को केवल चावल और चीनी की सप्लाई की जाती है।

तमिलनाडु समेत राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक मास अपने पास उपलब्ध स्टाक तथा उनके द्वारा की गई स्थानीय वसूली को हिसाब में लेने के बाद केन्द्रीय भण्डार से चावल की अपनी वास्तविक आवश्यकता के बारे में सूचित करें। तमिलनाडु सरकार द्वारा अप्रैल, 1985 तथा मई, 1985 के प्रत्येक मास के लिए चावल की आवश्यकता 50,000 मीटरी टन सूचित की गई है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के अन्तर्गत, लेवी चीनी के मासिक कोटों का आवंटन राज्य सरकार से प्राप्त आवश्यकता अथवा मांग के आधार पर नहीं होता है, बल्कि राज्य सरकारों को आवंटन करने के लिए लेवी चीनी की कुल उपलब्धता के कुछ एक-समान मानदण्डों के आधार पर होता है। अक्तूबर, 983 से आगे तमिलनाडु सरकार को 21,284 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए भी चीनी की कुछ मात्रा आवंटित की गई है।

डी० आई० जैड० क्षेत्रों में सरकारी मकानों को आगे किराए पर दिया जाना

2141. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि दिल्ली में सरकारी मकानों के अधिकांश आवंटियों ने अपने पूरे मकान को या इसके एक भाग को आगे किराये पर दिया हुआ है और वे अपने किरायेदारों से भारी किराया वसूल कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकारी मकान को आगे किराये पर देना अवैध है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली में तथा विशेष रूप से डी० आई० जैड० क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या ; और

(घ) क्या सरकारी मकानों के सभी आवंटियों से यह शपथ-पत्र लेने का विचार है कि उन्होंने मकान को किराये पर आगे नहीं दिया हुआ है और वे मकान में स्वयं रह रहे हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां, इस प्रकार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) फरवरी/मार्च, 1985 में डी० आई० जैड क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया गया था तथा सन्देहात्मक उप किरायेदारी के लगभग 159 मामलों का पता लगाया गया है। इन आवंटियों के विरुद्ध सरकारी वास आवंटन नियम, 1963 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(घ) जी नहीं, ऐसे शपथ-पत्र देने के बारे में आवंटन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

कलकत्ता से फिल्म डिवीजन के प्रोडक्शन यूनिट का स्थानान्तरण

2142. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत के लिए कलकत्ता स्थित फिल्म डिवीजन के प्रोडक्शन यूनिट को स्थानांतरित कर बम्बई ले जाने के कोई प्रयत्न किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या उनके मंत्रालय को इस बारे में प्रसिद्ध व्यक्तियों से विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी०एन० गाडगिल): (क) और) (ख) सरकार ने फिल्म प्रभाग को कलकत्ता तथा बंगलौर स्थित फिल्म प्रभाग के दो 16 किलोमीटर निर्माण केन्द्रों को निम्नलिखित कारणों से 31 मार्च, 1985 तक बन्द करने के अनुदेश जारी किए थे—

(1) जहां लघु प्रचार फिल्मों को क्षेत्रीय भाषाओं में बनाना वांछनीय है, इस कार्य को फिल्म प्रभाग के बम्बई स्थित मुख्यालय से निजी क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं को सौंप कर अधिक मितव्ययता और दक्षता से किया जा सकता है। इन केन्द्रों

की स्थापना के बाद भी, अधिकांश फिल्में निजी एजेंसियों द्वारा बनाई जा रही हैं;

(2) अब कई राज्य सरकारों ने अपने फिल्म विकास निगम स्थापित कर लिए हैं। क्षेत्रीय लघु फिल्में बनाना तथा उनका प्रदर्शन करना उनका उचित कार्य है। इसको ध्यान में रखते हुए फिल्म प्रभाग को अपनी गतिविधियों केवल राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित रखनी चाहिए तथा क्षेत्रीय क्षेत्र को राज्य फिल्म विकास निगमों, आदि के लिए छोड़ देना चाहिए।

(ग) और (घ) फिल्म निर्माताओं सहित कुछ प्रख्यात व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन केन्द्रों को बन्द करने के निर्णय को फिलहाल आस्थगित रखा गया है।

हिमाचल प्रदेश के लिए उद्यान विज्ञान और वानिकी विश्वविद्यालय

2143. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में उद्यान विज्ञान और वानिकी विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में, सरकार ने कोई निर्णय लिया है, जिसके लिए राज्य सरकार लम्बे समय से जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का है और किस तारीख तक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्य राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनता को 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम

2144. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के महत्व और

कार्यान्वयन के बारे में ग्रामीण जनता को शिक्षित करने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय प्रचार एककों की गतिविधियों की समीक्षा की गई है और उनके अधिकार क्षेत्र में कौन से क्षेत्र हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस तरह का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और शीघ्रता से आरंभ किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की हिमाचल प्रदेश में छः क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें हैं, जो धर्मशाला, नाहन, कल्पा, मंडी, शिमला तथा हमीरपुर में स्थित हैं उनका कार्यक्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

20 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं तथा इसकी प्रगति का प्रचार करना क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का एक मुख्य विषय रहा है। हिमाचल प्रदेश में 28 जून से 1 जुलाई; 1984 तक चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान, जबकि विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रवाद पर प्रकाश डाला गया, इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार भी किया जाता रहे। मार्च, 1985 को समाप्त हुई तिमाई के दौरान, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की यूनिटों द्वारा हिमाचल प्रदेश में 273 फिल्म शो III फोटो-प्रदर्शनियां तथा 181 मौखिक संचार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, उक्त तिमाही के दौरान यूनिटों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों से संबन्धित 4 सफल कहानियां एकत्र की। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति को वृत्तचित्रों, वाद-विवादों तथा गोष्ठियों के माध्यम से प्रतिबिम्बित करने के लिए ग्रामीण किसानों के कटाई से तथा छात्रों के अपनी वार्षिक परीक्षाओं से फारिग हो जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाने का प्रस्ताव है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की 6 क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों का स्थान तथा उनका कार्य क्षेत्र इस प्रकार है—

क्र० सं०	स्थान	कार्य क्षेत्र जिला/उप-मंडल
1	2	3
1.	धर्मशाला	कांगड़ा
2.	नाहन	सिरमौर सोलन (कसौली तथा नालागढ़ उप मंडलों को छोड़कर)

1	2	3
3.	कल्पा	नरायगढ़ उप मण्डल (अम्बाला) किन्नौर (आदिवासी क्षेत्र)
		शिमला का रामपुर बुशहर उप मंडल स्पिति क्षेत्र
4.	मंडी	कुल्लु
		लाहुल क्षेत्र (आदिवासी क्षेत्र) मंडी
5.	शिमला	शिमला (राम पुर बुशहर उप-मंडल को छोड़कर)
		बिलासपुर
6.	हमीरपुर	हमीरपुर
		ऊना

केन्द्रीय भाडागार निगम के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों का निपटान

2145. **श्री एम० महालिंगम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम अपने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि, ग्रेच्युटी तथा अन्य वित्तीय लाभों का निपटान सामान्यतः उनकी सेवा-निवृत्ति के काफी समय बाद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने के थोड़े ही दिनों के भीतर उनके इन लाभों का निपटान करने लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सेवा सम्बन्धी रिकार्डों को सत्यापित करने में समय लगने तथा कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन-पत्र अपूर्ण होने, आदि के कारण सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में कुछेक मामले में ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि के भुगतान से सम्बन्धित कारपोरेशन के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के दावों को तय करने में देरी हुई है।

(ग) कारपोरेशन से कहा गया है कि भविष्य में वे इस सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसे दावों को तय करें।

कर्नाटक में अखबारी कागज की कमी

2146. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के छोटे और मझौले समाचारपत्रों ने मुख्य मंत्री से अखबारी कागज की कमी के कारण अनुभव किए जा रहे भारी संकट को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो कागज की कमी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और राज्य व्यापार निगम किन तकनीकी आधारों पर अखबारी कागज की सप्लाई करने में हिचक रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

एन्ड्रूज गंज नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में बालकनियों का टूटा-फूटा होना

[हिन्दी]

2147. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्ड्रूज गंज के "सी" ब्लाक में टाईप-I के सरकारी क्वार्टरों की बालकनियां टूट पड़ी हैं;

(ख) क्या इन क्वार्टर में बिजली की फिटिंग भी उखड़ी पड़ी है;

(ग) क्या सरकार का उक्त क्वार्टरों की मरम्मत कराने और उनमें बिजली की फिटिंग बदलने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर): (क) जी, हां। एन्ड्रूज गंज के ब्लाक "सी" में टाइप-I के सरकारी क्वार्टरों को कुछ बालकनियां पुरानी होने तथा उपयोग के दौरान टूट-फूट के कारण खराब हो गई हैं।

(ख) केवल वायरिंग भी इस समय काफी पुरानी हो चुकी है और इसके बदले जाने की आवश्यकता है।

(ग) क्षतिग्रस्त बालकोनियों को 1984-85 के दौरान मरम्मत कर दी गई है। बिजली की तारों को बदलने के लिए हाल ही में ठेका दे दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क), (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्पदा निदेशालय के अधिकारियों को सरकारी आवास के आबंटन के मानदण्ड

[अनुवाद]

2148. **श्री आनन्द पाठक :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आवास के आबंटन के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सम्पदा निदेशालय के अधिकारियों के पास बापा-नगर में "सी—II टाईप "के आवास हैं; जो सामान्यत: संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को आबंटित किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में सरकारी वास पात्र केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों तथा स्टाफ को सरकारी निवास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार आबंटित किया जाता है वास के विभिन्न टाइपों के लिए अधिकारियों की पात्रता किसी विशेष आबंटन वर्ष के लिए नियत निर्णायक तारीख को पृथक पृथक अधिकारियों द्वारा ली गई परिलब्धियों के आधार पर निर्धारित की जाती है, पात्रता निम्नलिखित रूप में निर्धारित की जाती है—

वास का टाइप	परिलब्धियों की श्रृंखला
(ए)	260 रुपये प्रतिमास से कम
(बी)	500 रुपये प्रतिमास से कम परन्तु 260 रुपये प्रतिमास से कम नहीं।
(सी)	1000 रुपए प्रतिमास से कम परन्तु 500 रुपए प्रतिभास से कम नहीं।
(डी)	1500 रुपए प्रतिमास से कम परन्तु 1000 रुपए प्रतिमास से कम नहीं।
(ई)	1500 रुपए प्रतिमास तथा ऊपर।
(ई०-i)	2750 रुपए प्रतिमास से कम परन्तु 2000 रुपये प्रतिमास से कम नहीं।
(ई०-ii)	3000 रुपए प्रतिमास से कम परन्तु 2750 रुपये प्रतिमास से कम नहीं
(ई०-iii)	3000 रुपए प्रतिमास तथा अधिक।

पात्रता की शर्त पर आबंटन इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जाता है जो वास के किसी टाइप के लिए अधिकारियों। स्टाफ की वरिष्ठता प्रदर्शित करती है तथापि

कतिपय सुपात्र मामलों में नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर बिना पारी आधार पर आबंटन किया जाता है।

(ख) तथा (ग) सम्पदा निदेशालय का केवल एक अधिकारी बापा नगर में सी-II वास का कब्जेदार है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उसे आबंटन किया गया था। वास के विभिन्न टाइपों का आबंटन अधिकारियों द्वारा ली गई परिलब्धियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है न कि उनके रैंक के आधार पर।

श्रम कानून में असंगतियां

2149. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या श्रम मन्त्री दिनांक 22 मार्च, 1985 को नई दिल्ली में एसोसिशन आफ इंडियन इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री द्वारा आयोजित इंन्जीनियरी निर्यात संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधान मन्त्री के भाषण के संदर्भ में, जिसमें प्रधान मन्त्री ने "मधुर औद्योगिक संबंध बनाने के लिए श्रम कानूनों में असंगतियों पर विचार करने" का सरकार का इरादा जाहिर किया था। (दिनांक 23 मार्च, 1985 का फाइनेन्शियल एक्सप्रैस) यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा श्रम कानूनों की किन असंगतियों पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) मधुर औद्योगिक संबंध बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर श्रम कानून बनाए गए है। देश में औद्योगिक और सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास के साथ, यह आवश्यक है कि इन कानूनों में संशोधन किया जाए तथा उन्हें अद्यतन बनाया जाए ताकि श्रमिकों के हितों, विशेष रूप से, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण और उन्हें देय पारिश्रमिक, की रक्षा की जा सके। इस उद्देश्य को श्रमिक संगठनों, नियोजक संगठनों, राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय बैठकों/समितियों में लगातार विचार-विमर्श की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन मंचों में हुए मतैक्य तथा निर्णयों को, जहां तक संभव हो सके, हमारे श्रम कानूनों में प्रतिबिम्बित किया जाए। इससे औद्योगिक सौहार्द सरल हो जाता है। तदनुसार, श्रम कानूनों में हाल ही में विभिन्न संशोधन किए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सतत समीक्षा की जा रही है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के संरक्षी उपबंधों को कानूनी ढांचे में शामिल किया जाए, जिनकी आवश्यकता तकनीकी में विकास/परिवर्तन सुरक्षा और स्वास्थ्य खतरों के अवबोधन और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हमारी सदस्यता से होने वाले दायित्वों के कारण होती है। साथ ही, श्रम कानूनों के अधिक कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोतियाखान में मार्केट और सिनेमा हाल का निर्माण

[हिन्दी]

2150. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विस्तार मोतियाखान में मकानों के साथ एक मार्केट और एक सिनेमा-हाल का निर्माण कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह समूचा निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) देशबन्धु गुप्ता रोड पर लगभग 2.95 हैक्टेयर का एक प्लाट सिनेमा, एक छोटे होटल, डाक-तार कार्यालय, फुटकर दुकानों तथा कार्यालयों, फिलिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन तथा अनौपचारिक विपणन समेत विभिन्न सुविधाएं मुहैया करने के लिए उद्दिष्ट किया गया है। कम्प्लेक्स के नक्शे बनाये जा रहे हैं तथा निर्माण कार्य छह माह के समय में आरम्भ हो जाने की सम्भावना है। पूर्णतः की तारीख को निश्चित करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह विभिन्न घटकों एवं अभिकरणों पर निर्भर करता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुराने आवेदकों को फ्लैटों का कब्जा दिया जाना

2151. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुराने पंजीकृत आवेदकों को कई वर्ष पहले फ्लैटों के आवंटन-पत्र जारी किए थे, लेकिन उन्हें अब तक इन फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा कब तक दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं। जैसे ही भुगतान किया जाता है तथा अपेक्षित कागजात प्रस्तुत किये जाते हैं, वैसे ही फ्लैट का कब्जा दे दिया जाता है तथापि नई पंक्षि योजना (हुडको) 1979 के अन्तर्गत पीतमपुरा में पाकेट "डब्ल्यू" में निम्न आय वर्ग के 350 फ्लैट तथा "पाकेट एन" में 505 फ्लैटों का कब्जा देने में ठेकेदार के साथ विवाद होने के कारण विलम्ब हुआ।

(ख) पाकेट 'डब्ल्यू' में निम्न आय वर्ग के 350 फ्लैटों के सितम्बर, 1985 तक तथा पाकेट

'एन' में 505 फ्लैटों का मार्च, 1986 तक निर्माण कार्य पूरा होने की आशा है। जैसे ही ये फ्लैट पूर्ण हो जायेंगे वैसे ही इनका कब्जा दे दिया जायेगा।

मौर्य एन्क्लेव में खाली पड़े भूखण्ड

[अनुवाद]

2152. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौर्य इन्क्लेव के प्रत्येक ब्लाक के उन प्लाटों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यद्यपि 1975-76 में आबंटित किया गया था परन्तु अभी तक खाली हैं और उनके आबंटियों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि या तो आबंटी मकान बनाये अथवा प्लाटों को लौटा दें ; और

(ग) क्या आबंटित प्लाटों पर मकान न बनाने के लिए उन्हें अब तक किसी प्रकार का दण्ड दिया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : मौर्य एन्क्लेव (पीतमपुरा) में 542 प्लाट खाली पड़े हैं खाली प्लाटों के ब्यौरे और आबंटितियों के नाम सभा पटल पर रखे गए अनुलग्नक में दिए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 7961 85]

(ख) तथा (ग) पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पट्टाधारी को प्लाट का कब्जा लेने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की अनुमति दी जाती है। माफी की अवधि के रूप में एक वर्ष की और अवधि की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार प्लाट का कब्जा लेने की तारीख से प्रथम तीन वर्षों की अवधि तक निर्माण कार्य न करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। उसके बाद चौथे वर्ष के लिए 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, पांचवें वर्ष के लिए 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर और छठे वर्ष से आगे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित जुर्माने का भुगतान करने पर समयावधि बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। यदि 10 वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो प्लाट की लागत को 50 प्र० श० अतिरिक्त जुर्माने के रूप में लगाया जाता है। उसके बाद उप राज्यपाल दिल्ली के अनुमोदन पर प्लाटों के निर्धारण रद्द करने पर विचार किया जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली में लारेंस रोड स्थित गोदाम में आग लगने के कारण हुई हानि

2153. **श्री रामबहादुर सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र लारेंस रोड, दिल्ली में आग लगने के कारण काफी मात्रा में भारतीय खाद्य निगम का गेहूं तथा सम्पत्ति नष्ट हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आग लगने के क्या कारण थे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कर एकत्रित करने की पद्धति

2154. **श्री जी० विजय रामाराव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय पर बिलों को जारी न करने के कारण तल किराया सहित उसकी कर एकत्रित करने की पद्धति असन्तोषजनक है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं कर रहा है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी बिलों को एक ही कार्यालय/कार्यालयों में एकत्रित करने की व्यवस्था करेगी तथा विभिन्न श्रेणी के भुगतान के लिए सभी उपभोक्ताओं/भुगतान करने वालों को भी पास बुक जारी करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) विनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों की निर्धारित शाखाओं, जिनकी परिधि में दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्र/कालोनियां आ जाती हैं, के माध्यम से भुगतान स्वीकार किये जा रहे हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली नगर निगम को अपने सभी कार्यालयों में बैंक की शाखायें खोलने का प्रस्ताव है ताकि जो व्यक्ति अपना सम्पत्ति कर अदा करे उसे पास-बुक जारी की जा सके।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में यदा-कदा स्थानान्तरित तथा नियमित रूप से स्थानान्तरित होने वाले श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्थायी पद

2155. श्री सोडे रमैया : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के यदाकदा तथा नियमित रूप से स्थानांतरित होने वाले विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्थायी पद अक्तूबर, 1983 में आदेशो के जारी करने की तारीख से स्वीकृत किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पद की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों के लिए इससे पूर्व अर्थात मार्च, 1974 में 1-4-73 से दिसम्बर, 1971 में, 1-4-1971 आदि से स्थायी पदों को स्वीकृति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा अक्तूबर, 1983 के आदेशों के जारी करने से पूर्व प्रत्येक श्रेणी के लिए विद्यमान स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या कितनी थी; और

(ङ) अक्तूबर, 1983 के आदेशों को 1 अप्रैल, से पूर्व की तिथि से लागू न करने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-1 के अनुसार

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण-2, 3, तथा 4 के अनुसार।

(ङ) वित्त मन्त्रालय के दिनांक 24-2-1976 के निर्देशनों के अनुसार अस्थायी पदों का स्थायी पदों में परिवर्तन आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

विवरण-1

क्रम संख्या	पदों का वर्ग	28-10-1983 से घोषित किए गए स्थायी पदों की संख्या
1	2	3
1.	रेडियो मेकेनिक तथा आरेटर	6
2.	रोड इंस्पैक्टर	1

1	2	3
3.	सहायक केयरटेकर	1
4.	कार्यसहायक	90
5.	लिफ्ट आपरेटर	587
6.	चौकीदार	617
7.	लिफ्ट खलासी	28
8.	सफाई कर्मचारी	360
9.	वाटरमैन/भिश्ती	2
10.	फोटोप्रिन्टर	2
11.	सहायक रेडियो मैकेनिक तथा आपरेटर	7
12.	सर्वेक्षक	6
13.	फायर जमादार/लोडिंग फायरमैन	6
14.	मीटर रीडर	6
15.	सफाई जमादार	1
16.	टैक्नीकल आपरेटर	2
17.	सहायक सफाई जमादार	3
18.	फांस	31
19.	हैड स्वीपर	7
20.	फायरमैन	56
21.	सीवरमैन	118
22.	कम्पांउण्डर	4
23.	ड्रेसर	1
24.	सहायक कुक	1
25.	बिल्डिंग जमादार	1

विवरण-2

क्रम सं०	पदों का वर्ग	1-4-71 से स्थायी किये गए पदों की संख्या
1.	रेडियो मैकैनिक एवम् आपरेटर	1
2.	रोड निरीक्षक	1
3.	सहायक केयरटेकर	1
4.	वरिष्ठ सफाई निरीक्षक	1
5.	कार्य सहायक	30
6.	लिफ्ट आपरेटर	48
7.	लिफ्ट खलासी	12
8.	चौकीदार	51
9.	सफाई कर्मचारी	34
10.	वाटर मैन	1
11.	लैबोरेटरी अटैंडैन्ट	1

विवरण-3

क्रम सं०	पदों का वर्ग	1-4-1973 से स्थायी किये गए पदों की संख्या
1.	केयर-टेकर	1
2.	कार्य सहायक	25
3.	रोड निरीक्षक	1
4.	फोटो प्रिन्टर	2
5.	लिफ्ट आपरेटर	54
6.	लिफ्ट खलासी	7
7.	लैबोरेटरी अटेंडेंट	1
8.	वाटर मैन	1
9.	चौकीदार	58
10.	सफाई कर्मचारी	37

विवरण-4

क्र० सं०	पदों का वर्ग	अक्तूबर, 1983 के आदेशों से पहले विद्यमान स्थायी पदों की संख्या
1	2	3
1.	रेडियो मैकेनिक एवम् आपरेटर	5
2.	रोड निरीक्षक	4
3.	सहायक केयरटेकर	1
4.	वरिष्ठ सफाई निरीक्षक	1
5.	कार्य सहायक	771
6.	लिफ्ट आपरेटर	353
7.	चौकीदार	1467
8.	लिफ्ट खलासी	75
9.	सफाई कर्मचारी	781
10.	वाटरमैन/भिश्ती	2
11.	लैबोरेटरी अटैंडेन्ट	2
12.	केयरटेकर	19
13.	लाइब्रेरियन	1
14.	फोटो प्रिन्टर	2
15.	सहायक रेडियो मैकेनिक एवम् आपरेटर	6
16.	सर्वेक्षक	15
17.	फायर जमादार/लोडिंग फायरमैन	5
18.	मीटर रीडर	6
19.	टेक्नीकल आपरेटर	2
20.	फाश	17
21.	हैड स्वीपर	6

1	2	3
22.	फायरमैन	69
23.	अधीक्षक	1
24.	सीवरमैन	165
25.	कम्पाउंडर	4
26.	सहायक कुक (बैरा)	3
27.	अधीक्षक (ई० तथा एम०)	9
28.	कनिष्ठ जेस्टेटनर आपरेटर (सी० ओ०)	1
29.	सफाई निरीक्षक	3

ग्रामीण परिवारों को मकानों/भूखण्डों का आवंटन

2156. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के लिए प्रत्येक राज्य में ग्रामीण परिवारों को मकानों अथवा भूखण्डों के आवंटन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस दिशा में, प्रत्येक राज्य में विशेषकर उड़ीसा में अब तक की उपलब्धि क्या है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाने की सम्भावना है और उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 (फरवरी, 1985 तक) के लिए उड़ीसा सहित प्रत्येक राज्य में ग्रामीण परिवारों को प्लाटों के आवंटन के सम्बन्ध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए आवास स्थलों के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

वर्ष 1984-85 (1-4-84 से 28-2-85 तक) के लिए राज्यों में आवास स्थलों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां।

क्र० सं०	राज्य	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2,00,000	2,68,011
2.	असम	36,667	34,511

1	2	4	5
3.	बिहार	17,960	17,387
4.	गुजरात	40,000	60,362
5.	हरियाणा	10,000	5,000**
6.	हिमाचल प्रदेश	—पहले ही पूर्ण हो गये हैं।	
7.	जम्मू और कश्मीर	1,000	172
8.	कर्नाटक	1,00,000	59,343
9.	केरल	10,000	5,969
10.	मध्य प्रदेश	50,000	35,740
11.	महाराष्ट्र	16,693	13,655
12.	उड़ीसा	25,000	24,495
13.	पंजाब	— पहले पूर्ण हो गया है।	
14.	राजस्थान	30,000	57,355
15.	सिक्किम	—	—
16.	तमिलनाडु	1,75,000	1,88,424
17.	त्रिपुरा	6,666	5,100*
18.	उत्तर प्रदेश	50,000	87,302
19.	पश्चिम बंगाल	20,000	13,700

* 31-12-84 तक

** 31-1-1985 तक

टिप्पणी — यह योजना मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं चल रही है।

केरल को खाद्य का आवंटन

2157. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु केन्द्रीय पूल से चावल का कितना मासिक आवंटन किया जाता है;

(ख) क्या केरल की चावल की मासिक मांग प्रति वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 320 ग्राम की दर से लगभग 2.10 लाख टन बैठती है;

(ग) केरल सरकार ने कितने मासिक आवंटन की मांग की है;

(घ) क्या 1977-81 की अवधि के दौरान केरल को 1.35 लाख टन का आवंटन किया जा रहा था जिसे बाद में कम कर दिया गया; और;

(ङ) क्या केरल में चावल की आन्तरिक उपलब्धता की अत्यंत कमी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए राज्य के चावल के मासिक आवंटन को बढ़ाया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) केरल सरकार को इस समय केन्द्रीय भण्डार से 1,10,000 मीटरी टन चावल प्रति मास आबंटित किया जाता है। राज्य सरकार ने 2,10,000 मीटरी टन चावल की अपनी आवश्यकता बताते हुए, कम से कम 1,35,000 मीटरी टन चावल का मासिक आबंटन करने के लिए कहा है।

(घ) 1977-1981 के दौरान केरल को चावल का मासिक आबंटन जनवरी-मार्च 1977 के दौरान 1,00,000 मीटरी टन की दर पर, अप्रैल-मई, 1977 के दौरान 1,25,000 मीटरी टन की दर पर जून जुलाई, 1977 के दौरान 1,35,000 मीटरी टन की दर पर, अगस्त, 1977 में 1,42,500 मीटरी टन की दर पर तथा सितम्बर, 1977 से नवम्बर, 1981 के दौरान 1,35,000 मीटरी टन की दर पर था। जनवरी-नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान लगभग 88,600 मीटरी टन के मासिक औसतन उठान को ध्यान में रखते हुए आबंटनों को युक्तिसंगत बनाते समय, दिसम्बर, 1981 में केरल को 90,000 मीटरी टन चावल का मासिक आबंटन नियत किया गया था। बाद में मई-अक्तूबर, 1982 के दौरान इस आबंटन को बढ़ाकर 1,10,000 मीटरी टन प्रतिमास कर दिया गया था। तत्पश्चात् आबंटन का स्तर नवम्बर, 1982 में 90,000 मीटरी टन प्रतिमास की दर पर, दिसम्बर, 1982 से मार्च, 1983 में 95,000 मीटरी टन प्रति मास की दर पर, अप्रैल-मई, 1983 में 1,05,000 मीटरी टन प्रति मास की दर पर तथा अगस्त-नवम्बर, 1983 और जुलाई-अक्तूबर, 1984 के दौरान 10,000 मीटरी टन प्रति मास के कुछ अतिरिक्त तदर्थ आबंटन सहित जून, 1983 तथा उसके बाद 1,10,000 मीटरी टन की दर पर था।

(ङ) केरल सहित राज्य सरकारों को आबंटन, केंद्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किए जा रहे हैं। तथापि, ये आबंटन केवल खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों की क्षेत्रवार वरिष्ठता

2158. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पक्ष ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एकाकी यदा-कदा स्थानान्तरित और नियमित रूप से स्थानान्तरित श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के प्रयोजन से क्षेत्रवार वरिष्ठता क्रम को अपनाने के लिए सितम्बर, 1982 में निर्माण और आवास मन्त्रालय की विभागीय परिषद् (जे० सी० एम०) की बैठक में मद संख्या 23.09 पुरस्थापित की थी;

(ख) क्या विभागीय परिषद् की बैठक में उक्त विषय को अन्तिम रूप दे दिया गया था;

(ग) क्या उक्त कर्मचारियों के लिए अक्तूबर, 1983 में क्षेत्रवार स्थायी पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। अस्थाई पदों को स्थाई में परिवर्तित करने के लिए अक्तूबर, 1983 में आदेश जारी किए गए थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन पदों को क्षेत्रवार दिखाया गया था। सभी पदों को समेकित रूप में दर्शाते हुए मार्च, 1985 में एक अन्य सूची जारी की गई थी। वर्तमान नीति के अनुसार निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई पात्रता सूची के आधार पर स्थाईकरण अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ी उद्योग में उप-कर की वसूली

2159. **श्री सी० सम्बू :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बीड़ी मजदूरों से उपकर के रूप में कुल कितनी राशि एकत्र की गई;

(ख) उप-कर राशि से बीड़ी मजदूरों के लिए क्या कल्याण उपाय किए गए;

(ग) क्या श्रम विभाग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत निजी प्रबंधकों द्वारा बीड़ी मजदूरों को पहचान पत्र नहीं दिए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सीधे सरकार द्वारा बीड़ी मजदूरों को पहचान पत्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया): (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण उप कर अधिनियम, 1976 को 15 फरवरी, 1977 से लागू किया गया था। वर्ष 1983-84 के अंत तक 11,52,87,320/-रु० की राशि उप कर के रूप में एकत्र की गई।

(ख) बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याण उपायों की व्यवस्था करने हेतु, निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया जा रहा है :—

(i) स्थिर और स्थिर-व-चलती-फिरती डिस्पेन्सरियों की स्थापना करना।

(ii) तपेदिक के अस्पतालों में पलंगों को आरक्षित करना;

(iii) बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना;

(iv) अपना मकान स्वयं बनाओं योजना;

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना;

(vi) बीड़ी श्रमिकों की सहकारी सोसाइटियों को शेडों और गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देना;

(vii) कैंसर से पीड़ित श्रमिकों का इलाज करने पर वास्तव में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करना;

(viii) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक सेट ड्रेस खरीदने हेतु वित्तीय सहायता देना;

(ix) खेल-कूद, क्रीड़ाएं और सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए योजना;

(x) घरखाता श्रमिकों समेत बीड़ी श्रमिकों को निःशुल्क चश्मे सप्लाई करने की योजना।

(ग) और (घ) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 41 में यह व्यवस्था है कि बीड़ी निर्माण में लगा प्रत्येक प्रतिष्ठान, कारखाना या ठेकेदार प्रत्येक कर्मचारी को पहचान पत्र जारी करेगा।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 40(2) (क) में यह व्यवस्था है कि जहां लोगों को बीड़ी के निर्माण कार्य में लगाया जाता है, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी स्थानीय निकाय जैसे म्यूनिसिपिलिटी, जिला बोर्ड पंचायत बोर्ड विकास खंड यूनिट का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी उसके क्षेत्राधिकारी के अन्दर रहने वाले बीड़ी श्रमिकों के मामले में एक रजिस्टर बनायेगा। इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा रखे गए रजिस्टर के आधार पर जारी किए नए प्रमाण-पत्र को कल्याण निधि संगठन द्वारा कल्याण सुविधाएं देने के लिए स्वीकार किया जाए।

बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत अभिलेख पुस्तिका (लाग बुक) रखने की व्यवस्था है। इन पुस्तिकाओं को कल्याण निधि संगठन द्वारा पहचान पत्र के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम तथा बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियमों के उपबंधों को समय-समय पर इस अनुरोध के साथ राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाता है कि पहचान पत्रों को जारी करने के लिए सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में वे प्रबंधतंत्रों पर जोर डालें।

डिस्पेन्सरी के चिकित्सा अधिकारियों को भी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राज्य सरकारों के सहयोग से तथा कल्याण निधि संगठनों के सतत प्रयास से लगभग 12 लाख बीड़ी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

कर्नाटक में पानी की कमी

2160. श्री बी० बी० देसाई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में पानी की कमी के बारे में सितम्बर, 1984 में केंद्रीय सरकार को सूचित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य को पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को सहायता करने पर सहमत हो गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने पानी प्राप्त करने के लिए कुछ निर्णय लिए थे और केन्द्र सरकार से योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता देने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो योजनाएं क्या हैं और कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) कृषि तथा सहकारिता विभाग जो कि सूखा राहत से सम्बन्धित है, ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल मुहैया करने के लिए केन्द्रीय सहायतार्थ सितम्बर, 1984 में एक ज्ञापन किया था।

(ख) पेय जल के लिए 7.86 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा केंद्रीय सरकार ने स्वीकृत की थी।

(ग) तथा (घ) 1984-85 के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कर्नाटक द्वारा आरम्भ किए जाने से प्रस्तावित निर्माण कार्य, वाले राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, 1984-85 के दौरान, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन

योजना के अन्तर्गत चयनित समस्याग्रस्त ग्रामों के लाभान्वयन हेतु कर्नाटक सरकार को 10.79 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी ।

विवरण

पेय जल के लिए 1984-85 के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कर्नाटक सरकार द्वारा आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्य, राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत राशि

पद	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि	राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत राशि	
(i) प्रभावित ग्रामों में 2762 हैण्ड पम्पों का नवीकरण ।	38.00 करोड़ रुपए	6.43 करोड़ रुपए	
(ii) प्रभावित ग्रामों में 3412 बोर वैल खोदना तथा हैण्डपम्प लगाना एवम् प्लेटफार्म बनाना आदि	5.00 करोड़ रुपये	—	
(iii) नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था	7.00 करोड़ रुपए	1.13 करोड़ रुपए	
(iv) पेय जल का परिवहन	1.00 करोड़ रुपए	0.30 करोड़ रुपए (आयोजन भिन्न)	
(v) बोर वैल/द्रुत	6.00 करोड़ रुपए	शून्य	
योग :	57.00 करोड़ रुपए	7.86 करोड़ रुपए	

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का दुरुपयोग

2161. **प्रो० रामकृष्ण मौरे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का दुरुपयोग करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनकी स्टाफ यूनियनों में से एक ने हाल ही में भविष्य निधि की रकम के उपयोग में घपलेबाजी का आरोप लगाया है । जांच पड़ताल करने पर आरोप को निराधार पाया गया ।

नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटान

2162. **श्री चित्त महाता :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कुछ दावे दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 के ज्ञापन संख्या एम० ओ० एच० 16240 डी०/आर०/सी०/एकाउण्ट (एच) के अनुसार 1980 से लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन दावों को अब तक न निपटाए जाने के क्या कारण हैं तथा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं। सन्दर्भित दावे निपटा दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधानमन्त्री के लिए नए आवास का निर्माण

2163. **श्री नारायण चौबे :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मन्त्री के लिए नए निवास का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्मित किए जाने वाले नए भवन की अनुमानित लागत क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि प्रधान मन्त्री के लिए एक उपयुक्त निवास बनाया जाये। सरकार ने इन सुझावों पर अभी निर्णय नहीं लिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल को पंजाब में पैदा हुए चावल की सप्लाई

2164. **श्री के० जी० थामस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उसे सप्लाई किया गया पंजाब में पैदा हुआ चावल बदलने के लिए भारतीय खाद्य निगम को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। केरल सरकार ने

भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया है कि उन्हें पंजाब के सुपरफाइन उबले हुए चावल के बजाय, जिसे पकाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से बेहतर किस्म के चावल का आबंटन किया जाए।

(ख) स्टाक की उपलब्धता और परिचालन संबंधी बाधाओं को देखते हुए, केरल को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न स्रोतों से सप्लाई किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने भी अपने संबंधित यूनिटों को सलाह दी है कि वे बेहतर किस्म का चावल भेजें।

बिहार को अनाज की सप्लाई

2165. **श्री योगेश्वर प्रसाद :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितना अनाज अर्थात् गेहूं, चावल और शक्कर वितरित किया जा रहा है;

(ख) क्या पिछले पांच वर्ष के दौरान अनाज के वार्षिक कोटे में वृद्धि की गई है; और

(ग) आगामी वर्षों में इस प्रणाली के अन्तर्गत बिहार में दैनिक उपयोग की और कौन-कौन सी वस्तुएं वितरित की जायेंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) गेहूं, चावल और चीनी के आबंटन मासिक आधार पर किए जाते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार सरकार को सार्वजनिक वितरण के लिए आबंटित की गई मात्रा निम्नलिखित हैं :—

(हजार मीटरी टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	चीनी
1980	620.00	785.00	323.00
1981	205.00	750.00	323.00
1982	331.00	380.00	353.00*
1983	690.00	215.00	367.00*
1984	864.00	222.00	384.00*

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के अधीन, केन्द्रीय सरकार राज्यों को सात आवश्यक जिन्सें अर्थात् गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, कन्ट्रोल का कपड़ा और साफ्ट कोक की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। राज्यों की यह छूट दी गई है कि वे आम जनता के उप-

* इसमें त्यौहारों के लिए लगभग 5,000 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा शामिल है।

भोग की किसी अन्य जिन्स को, जिसे वे आवश्यक समझते हों, अपने स्तर पर उसकी वसूली के लिए प्रबन्ध करने के बाद, इसमें शामिल कर सकते हैं।

केरल को चावल की सप्लाई

2166. श्री टी० बशीर
श्री के० वी० थामस } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार चावल के आबंटन की मात्रा में मासिक वृद्धि के लिए लगातार मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 1984 के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरल को चावल की कितनी मात्रा आबंटित की गई;

(ग) मांग और आबंटन के बीच कितना अन्तर था; और

(घ) राज्य सरकार की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। केरल सरकार चावल के अपने 1.10 लाख मीटरी टन के मौजूदा मासिक आबंटन के स्तर को बढ़ाकर 1.35 लाख मीटरी टन करने के लिए अनुरोध करती रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 1984 के दौरान केरल सरकार को उनकी 16.20 लाख मीटरी टन की मांग के प्रति 13.60 लाख मीटरी टन चावल आबंटित किया गया था।

(घ) केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर आबंटन किए जाते हैं। तथापि, ये आबंटन बाजार उपलब्धता के केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

केंद्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों को रोजगार न दिया जाना

2167. श्री अजित कुमार साहा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड, जो अब समाप्त हो गया है के कितने कर्मचारियों को अभी तक वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया है;

(ख) उनमें से कितने जिबमिल/अनैमेलिक कामगार हैं;

(ग) क्या छंटनी किए गए कर्मचारियों को प्रस्तावित राष्ट्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड में रोजगार दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय मत्स्य निगम को कब तक प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ङ) क्या केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारियों के संबंध में इस प्रकार रोजगार देने के लिए भर्ती नियमों तथा विनियमों को समाप्त कर दिया जाएगा;

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भूतपूर्व केन्द्रीय मात्स्यकी निगम लिमिटेड के 93 नियमित कर्मचारियों को अभी तक रोजगार पर नहीं लगाया जा सका है। नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्हें काम की जरूरत के आधार पर लगाया जाता था।

(ग) से (ङ) प्रस्तावित राष्ट्रीय मत्स्य निगम अभी स्थापित किया जाना है। केन्द्रीय मात्स्यकी निगम के छंटनी किये गए कर्मचारियों को रोजगार देने के बारे में निगम की स्थापना होने तथा रिक्तियों को अधिसूचित किए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

पश्चिमी बंगाल के लिए गहन पशु-पालन परियोजना

2168. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में 31.28 करोड़ रुपए की वृहद राशि के विनियोजन का कार्यक्रम बना रही है, जिसका बड़ा भाग गहन पशु विकास कार्यक्रम पर व्यय किया जाएगा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की एक योजना के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के संकर सांडों के पालने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र वीरभूमि और पुरुलिया जिले में जहां चार लाख बछड़ा देने वाली गाएं हैं, में जमा हुआ वीर्य संबंधी परियोजना तथा एक ऐसी योजना को जिसके अधीन उन्नत किस्म के सांड रियायती कीमत पर दिए जायेंगे की स्थापना के लिए सहायता देगा; और

(ङ) उक्त योजना में अनुसूचित जातियों के लिए परिवार कल्याण योजनाओं में कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) योजना आयोग ने राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्रों के सातवीं योजना के आवंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(क) और (ग) जी हां। ग्रामीण विकास विभाग "विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम" नामक एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। चार मास से 32 मास तक की आयु के संकर नस्ल के ओसरों के आहार के लिए लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत की दर से और कृषि श्रमिकों को $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत की दर से सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जोकि प्रत्येक लाभानुभोगी के लिए अधिक से अधिक 3000 रुपए तक है। जनजाति के सहभागियों के मामले में सहायता की यह सीमा 5,000 रुपए है। शेष आहार लागत को बैंक संस्थाओं से ऋण द्वारा पूरा किया जा सकता है। "खुरपका और मुंहपका" रोगके टीके, ओसरों के कृमिहरण और बीमा संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभानुभोगियों को सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। लाभानुभोगी और क्रियान्वयन एजेंसी के बीच बीमे के प्रीमियम को 1.25 :1.0 के अनुपात से वहन किया जाता है। अगर बैंक भी इसमें भाग लेते हैं, तो इसे लाभानुभोगियों, क्रियान्वयन एजेंसियों और बैंक में 1,00:0.75:0.50 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में यह योजना आठ जिलों अर्थात् नादिया, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, हुगली, मालदा, दिनाजपुर, बर्दवान और 24-परगना में चल रही है। योजना संबंधी व्यय को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।

(घ) और (ङ) हिमित बीर्य परियोजना अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जाएगा। रियायती दरों पर पक्षियों की सप्लाई करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2169. श्री के० प्रधानी
श्रीमती माधुरी सिंह } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर इसकी रूपरेखा क्या है और पूर्वी उड़ीसा में किन-किन क्षेत्रों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया जाएगा;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में उड़ीसा में तटवर्ती बालू भूमि में काजू लगाने की उचित पद्धति को निश्चित करने के लिए 500 हेक्टेयर की पायलट योजना को भी लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) विश्व काजू निर्यात व्यापार पर जिसमें छठे दशक में भारत का हिस्सा 95 प्रतिशत था और अब काफी गिर गया है, पुनः कब्जा करने के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केरल, कर्नाटक, आन्ध्र-प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य में विश्व बैंक की सहायता से काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 53,775 हैक्टेयर क्षेत्र में काजू के नए बाग लगाए जाने हैं तथा पुराने बागानों का 7500 हैक्टेयर क्षेत्र खेती की उन्नत पद्धतियों के अन्तर्गत लाया जाना है। इसमें से उड़ीसा में 15500 हैक्टेयर क्षेत्र में नए बाग लगाए जाने और पुराने बागानों के 2500 हैक्टेयर क्षेत्र में सुधार किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना में प्रवर्धन और खेती की प्रौद्योगिकी की उन्नत वानस्पतिक पद्धतियों के संबंध में क्षेत्रीय और पर्यवेक्षक स्टाफ को प्रशिक्षण देना शामिल है। ये कार्यक्रम गंजम, पुरी, ढेंकानाल, कटक, क्योंझर, बालासोर तथा मयूरगंज जिलों में शुरू किये गये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काजू के वृक्ष लगाने और उनका रख-रखाव करने तथा काजू के वृक्षों को समुद्र तट के रेतीले टीलों में बचाने के लिए वायुरोधक बनाने के सहायता दी जा रही है।

(ङ) परिसंस्करण के लिए कच्चे काजू उपलब्ध न होने तथा अन्य देशों से विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा होने के कारण भारत से काजू का निर्यात किया जाना कम कर दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के जरिये उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाए जाने से तथा कच्चे काजू के उत्पादन में वृद्धि होने से यह आशा की जाती है कि भारत से काजू की गिरियों का निर्यात बढ़ेगा।

इस्लामपुर, सिलिगुड़ी और जलपाईगुड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधा के लिए टी० वी० ट्रांसमीटर लगाना

2170. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर बंगाल में सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम और भूटान का प्रवेश द्वार है;

(ख) यदि हां तो क्या इस्लामपुर, सिलिगुड़ी और जलपाईगुड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूरदर्शन ट्रांसमिशन टावर लगाया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार इसको सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दार्जिलिंग जिले में कुर्सियांग का मौजूदी दूरदर्शन ट्रांसमीटर सिलिगुड़ी में सेवा उपलब्ध करता है। जब 1985-86 के दौरान, 135 मीटर ऊंचे दूरदर्शन टावर के मुकम्मल हो जाने पर कुर्सियांग का दूरदर्शन ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू हो जायेगा, तब इस्लामपुर और जलपाईगुड़ी के भी कवर होने की उम्मीद है।

'हुडको' द्वारा विभिन्न राज्यों को दी गई ऋण की राशि

2171. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हुडको जैसी निम्हीं भवन निर्माण एजेन्सियों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी/ग्रामीण आवास कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इनमें से प्रत्येक एजेन्सी को वास्तव में कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार व्यय की गई धनराशि और उनके द्वारा निर्मित आवासीय यूनिटों के लेखे जोखे को देखा गया है; और

(घ) क्या सहायता की राशि में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त वृद्धि किये जाने का विचार है और किस प्रकार की तथा कितनी वृद्धि किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ) आवास राज्य का विषय है और राज्यों को वित्तीय सहायता "समेकित ऋणों" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशेष शीर्ष से जुड़ी नहीं होतीं है। राज्य सरकारें अपनी-अपनी आवश्यकताओं एवम् प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए निधियां उद्दिष्ट करने को स्वतन्त्र हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवास के लिए कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 1491 करोड़ रुपये था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

आवास तथा नगर विकास निगम कोई गृह निर्माण अभिकरण नहीं है। यह एक वित्त पोषण संस्थान है। गत तीन वर्षों के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा दी गई ऋण राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। निर्माण अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग का प्रबोधन आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा किया जाता है और इन अभिकरणों द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रगति तथा व्यय के आधार पर निधियां दी जाती हैं।

विवरण

1982-83, 1983-84 और 1984-85 (28-2-85 को) के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा दी गई राज्यवार धनराशि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा जारी की गई धनराशि		
	1984-85 (28-2-85 को)	1983-84	1982-83
			(करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	27.55	13.99	15.84
असम	0.38	0.27	0.19

1	2	3	4
बिहार	1.28	0.70	3.95
गुजरात	19.29	14.88	15.59
हरियाणा	7.40	6.15	4.46
हिमाचल प्रदेश	0.60	0.90	0.99
जम्मू और कश्मीर	—	0.27	0.79
कर्नाटक	8.54	12.00	4.32
केरल	9.70	5.97	4.33
मध्य प्रदेश	6.06	2.98	4.37
महाराष्ट्र	17.43	20.14	19.99
मणिपुर	0.25	0.29	—
उड़ीसा	4.71	7.44	3.09
पंजाब	6.98	8.65	7.33
राजस्थान	16.93	19.77	17.85
तमिलनाडु	17.29	16.08	10.17
उत्तर प्रदेश	16.95	14.96	10.51
पश्चिम बंगाल	0.98	1.28	2.69
संघ राज्य क्षेत्र			
चण्डीगढ़	2.15	2.12	3.83
दिल्ली	0.84	1.12	—
पांडिचेरी	0.09	0.21	0.43
योग	165.40	150.17*	130.72*

* इसमें 1.06 करोड़ रुपये का समायोजन शामिल है।

* इसमें 1.06 करोड़ रुपये का समायोजन शामिल नहीं है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय कार्य सूची के बारे में मैं आप द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय को उद्धृत करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि आप अपने स्वयं के निर्णय पर विचार करें, जो आप द्वारा दिया गया है। आज आपने रेलवे दुर्घटना के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें एक घंटे के अन्तर के बाद जा रही दो रेल गाड़ियों को एक ही दुर्घटना का सामना करना पड़ा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं :

1981 में, 17 अगस्त, 1981 को इसी सदन में, श्री ज्योतिर्मय बसु और अन्य सदस्यों द्वारा समस्तीपुर दुर्घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी.....

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं, मैंने उसे देखा है।

श्री मधु दंडवते : अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी दिन की कार्यसूची में अर्थात 17 अगस्त, 1981, "उस दुर्घटना के बारे में रेल मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य" नामक एक मद शामिल किया गया था। लेकिन आप ने यह घोषणा की थी कि कार्य सूची में रेल मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य शामिल होने के बावजूद, यह मामला इतना अविलंबनीय और महत्वपूर्ण है कि आपने श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा समस्तीपुर रेल दुर्घटना के बारे में दिए गए स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दे दी थी.....

अध्यक्ष महोदय : हां मैंने दी थी; लेकिन उसमें एक अन्तर था।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बता रहा हूं कि यह दुर्घटना इतनी भयंकर है कि इसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव न हो कर स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति दे देता यह बात सही है कि यह दुर्घटना कम भयंकर नहीं है। लेकिन यह एक ऐसी बात है जहां दोनों ही पक्षों की गलती है...

प्रो० मधु दंडवते : इसमें केवल दो ही पार्टियां शामिल हैं, कोई तीसरी नहीं···

अध्यक्ष महोदय : रेलवे और यात्रा कर रही जनता। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यहां प्रशासन पूरी तरह असफल रहा... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दे देता, लेकिन...

प्रो० मधु दंडवते : कृपया इस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दीजिए। अगर स्थगन प्रस्तावस्वीकार किए जाने का यह आधार नहीं होगा तो और क्या होगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार मैंने इसकी अनुमति प्रदान की...।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आप द्वारा पहले जो कुछ किया गया है उसी का अनुकरण करने का अनुरोध कर...।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में इन दोनों दुर्घटनाओं में अन्तर है। उसमें रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से संबंधित बात...।

प्रो० मधु दंडवते : अब भी प्रशासन की पूरी तरह असफल होने की बात है। मैं आप से यह नहीं कह रहा कि आप मेरा समर्थन कीजिए, मैं तो आपके निर्णय का समर्थन करने के लिये कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं आप का धन्यवाद करता हूं। शायद आप ठीक कह रहे हैं।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : लोग रेल गाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे थे .. **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : प्रशासन इस में पूरी तरह असमर्थ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हमारा भी यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि हम छत पर बैठ कर यात्रा न करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बालरेहाट) : वह सब खेतीहर मजदूर थे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें इस स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति देने के लिये क्या मानदण्ड होंगे ? ऐसा लगता है कि आप यह निश्चय कर चुके हैं कि किसी भी स्थगन प्रस्ताव को रखने की अनुमति न दी जाय...

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : क्योंकि इसमें सरकार की निन्दा करने की बात है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें ऐसी क्या बात है ? मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया हमें बताइये कि क्या होने पर स्थगन प्रस्ताव रखा जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पिछली बार बताया था। मैं यह फिर से बता सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : मैं एक गम्भीर मामले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जो राष्ट्र के सम्मान और राज्याध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति के सम्मान से संबंधित है। ट्रिब्यून में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की इस प्रकार से निन्दा की गई है जिससे देश के सम्मान को ठेस पहुंचती है। मुख्य ग्रन्थी ज्ञानी कृपाल सिंह और दो अन्य ग्रन्थियों ने अपने एक साक्षात्कार में जानबूझकर भारत के राष्ट्रपति की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को हुक्मनामें से मुक्त कर दिया है क्योंकि उन्होंने कुछ सरकारी प्रलेख उन्हें भेजे थे। (व्यवधान) यह एक गम्भीर मामला है। समस्त सभा को इसकी भर्त्सना करनी होगी...।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मैं पूर्णतः इनसे सहमत हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा विचार है कि सभा को इस पर गौर करना चाहिये और हम सभी को इसकी साफ तौर से निन्दा करनी चाहिये। ऐसी बातों में निर्णय लेने का इन ग्रन्थियों को क्या अधिकार है ? इससे पहले इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य और मन्त्री परिषद में मन्त्री श्री बूटा सिंह को यह हुक्मनामा जारी किया गया था। हर नागरिक को हिन्दू अथवा सिख, किसी भी समुदाय के साथ मिलने जुलने का अधिकार है। कोई भी ग्रन्थी सिख समुदाय से मिलने-जुलने से किसी को भी रोकने के लिए कोई नियम लागू नहीं कर सकता। इसी प्रकार वे भारत के राष्ट्रपति की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वे ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि वे उन्हें दोष-मुक्त कर रहे हैं। यह दुर्भावनापूर्ण है। समस्त सभा को इसकी निन्दा करनी चाहिये... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिये।

प्रो० मधु० दण्डवते : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने जिस भावना से इस मुद्दे को उठाया है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं किन्तु हम कोई संकल्प पारित नहीं करना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कहना चाहता था। (व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : समस्त सभा को इसकी निन्दा करनी चाहिये। वे सारे देश को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार बूटा सिंह को यह अधिकार है कि वे जिस किसी समुदाय से मिलना चाहें, मिल सकते हैं। वे उन्हें धर्म से बहिष्कृत करने वाले कौन होते हैं इसका निर्णय लेने वाले वे कौन होते हैं ? वे हर बात के नियामक नहीं हैं। वे अपनी करतूतों से हर रोज गुरू नानक की हत्या कर रहे हैं। इसे कार्यवाही में शामिल किया जाये। समस्त सभा को इसकी निन्दा करनी चाहिये।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : इस प्रकार के कार्यकलापों को रोकने के लिये शीघ्र सख्त कार्रवाई की जानी चाहिये ताकि यह दूसरों के लिये सबक बन सके।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : यह केवल ट्रिब्यून में ही नहीं, पंजाबी अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : ऐसे लोगों को देशभक्त नहीं कहा जा सकता ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : सारी सभा को इसकी साफ तौर से निन्दा करनी चाहिये ।

प्रो० मधु दंडवते : राष्ट्रपति को इस मामले में नहीं लाया जाना चाहिये । हालांकि हम भावनात्मक रूप से सहमत हैं, किन्तु यदि आप एक बार यहां राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख करने की अनुमति दे देंगे, तो उससे एक बुरा पूर्वदृष्टान्त बन जायेगा ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं अखबारों से केवल वही उद्धृत कर रहा हूं जो ज्ञानी कृपाल सिंह ने कहा है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रो० मधु दण्डवते और श्री दासमुंशी, दोनों की भावनाओं का सम्मान करता हूं । प्रो० दण्डवते सही हैं और श्री मुंशी भी सही हैं । मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रपति के उज्जवल नाम को इसमें घसीटा जाये । हमें यही पता लगाना है कि इस मामले में क्या किया जाये । हमें इसका समाधान खोजना है क्योंकि किसी भी ऐसी बात की इजाजत नहीं दी जा सकती जो राष्ट्र के हितों, देश की सर्वोच्च संस्था और हमारे माननीय सदस्यों के विरुद्ध हो । मैंने जितने भी धार्मिक व्यक्ति देखे हैं, वह उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं । हमें यही देखना है कि हम यह कैसे कर सकते हैं । हमें इससे बचाव करना है । इसमें कोई सन्देह नहीं है । कुछ लोग यही सोचकर चलते हैं कि किसी भी प्रकार और धर्म के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध चलना है । हमें इसके विरुद्ध लड़ना है किन्तु इस प्रकार नहीं । मैं आपके द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता । वे स्वयं राष्ट्रपति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां उनका नाम नहीं ले सकते । वे कुछ ऐसी बातें पूछ रहे हैं जो कुछ अन्य लोगों—उनके कार्यों और कथनों आदि के बारे में हैं । हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे । क्या ऐसा नहीं है ?. हमें शांति से इस विषय में चर्चा करनी चाहिये और भारतीय होने के नाते अच्छी परम्पराओं को बनाये रखने का प्रयास करना चाहिये । मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं और दानों पक्षों द्वारा यह बहुत ही संगत मुद्दा उठाया गया है । मैं इसका सम्मान करता हूं ।

प्रो० सैफुद्दीन-सोज (बारामूला) : आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि लोकतन्त्र में हम दोहरे मानदण्ड नहीं अपना सकते । देश के इस भाग में हम पूर्ण लोकतन्त्र का लाभ उठा रहे हैं ।...**...दलबदल विरोधी कानून की क्या उपयोगिता है ? हम आम राय के साथ हैं ।** मेरे लोगों के लिये यह मंच है...

अध्यक्ष महोदय : मैं जबर्दस्ती नहीं कर सकता...कृपया बैठ जाइये । अनुमति नहीं है । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने पिछले सप्ताह एक ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी । वे लोग पं० बंगाल में एक-एक करके पटसन मिलों को बन्द कर रहे हैं । 25 मिलें बन्द की जा

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

चुकी हैं और लगभग 80,000 लोग बेकार हो गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मुद्दे को लेने जा रहे हैं । इस बीच यह भंयकर त्रासदी हो गई —अन्यथा मैं इसकी अनुमति दे देता ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आरक्षण विरोधी आन्दोलन में बहुत लोग मर गये हैं... (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । यह राज्य का विषय है । कृपया बैठ जाइये ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । आप इसे किसी और तरह से ला सकते हैं ।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : केरल को सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्न की किस्म के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद...

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को उठा सकते हैं किन्तु इस तरह से नहीं । आप इसे लिखकर दें और मैं इसकी जांच करवाऊंगा । आपको इसे लिखित रूप में देना है ।

श्री सुरेश कुरुप : यह मेरे और आपके बीच का प्रश्न नहीं है, बल्कि जनता से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल सही है पहले आप मुझे लिखित रूप में दीजिये और मैं इसकी जांच करूंगा । इस तरह नहीं । अनुमति नहीं है । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । अब बैठ जाइये । (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है । मैंने अब आपको अनुमति नहीं दी है । नहीं, अनुमति नहीं है । आप मुझे लिखकर दीजिये । सुरेशजी आप हमेशा इसी प्रकार व्यवहार करते हैं । मैं इसे पसन्द नहीं करता । आप लिखकर दीजिये । मैं इस पर विचार करूंगा । अनुमति नहीं है । एक भी शब्द कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । आप मुझे लिखकर दीजिये । (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : दण्डवते जी, इस विषय में एक प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । मैं आज सुबह उन्हें इस बारे में बता चुका हूं और उनसे कह चुका हूं कि वे उसे देख सकते हैं और इसका कुछ हवाला मुझे दे सकते हैं । बस, अनुमति नहीं है । मैं अब भी उन्हें अनुमति नहीं देता । यदि आप बैठेंगे नहीं तो मैं आपको बाहर जाने के लिये कह दूंगा । (**व्यवधान**)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं आपकी बात सुन चुका हूं। कृपया बैठ जाइये। आपको प्रतिनिधित्व करना है। आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब बैठ जाइये। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाहर जाने के लिये कह दूंगा। अब बैठ जाइये। इस तरह व्यवहार मत करिये। ठीक से व्यवहार कीजिये। सज्जन बनिये। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको शिकायतों के बारे में लिख कर देने के लिये कह चुका हूं। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। इस तरह से नहीं, सभा में। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। (**व्यवधान**)**

श्री पी०आर० कुमार मंगलम (सलेम): अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने कश्मीर में आत्म निर्णय की बात कर रहे हैं और अब कुछ दिन पहले, वस्तुत: एक सप्ताह पहले लगता है श्री रोमेश भण्डारी ने श्री लंका का दौरा किया है और विदेश मंत्री द्वारा इस सभा में सम्बन्धों में सुधार होने के बारे में व्यक्तव्य दिया गया था। श्री लंका के मामले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। मैं दो बातों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा...

अध्यक्ष महोदय : हम नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा पूर्वत: यह मत है कि वी०ए०सी० स्थिति से अवगत है और विदेशी कार्यों सम्बन्धी वाद विवाद हो जाने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे यदि फिर भी कुछ बच जायेगा, तो हम इस बारे में कुछ करेंगे।

प्रिय रंजन दास मुन्शी : आपने इस मामले में मेरी बात सुनी इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मेरा आप से यही निवेदन है कि क्या आप गृह मन्त्री को तथ्यों की पुष्टि करने के लिये भी निदेश दे देंगें ?

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं पता लगाऊंगा। मैं गृह मन्त्री से पूछूंगा। वैसे भी मैं ऐसा करता।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : फैक्ट्स को एसर्टेन कर लिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : तथ्यों की पुष्टि की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों की पुष्टि करवायेंगे। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.12 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पंजाब आवास विकास बोर्ड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[अनुवाद]

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 6 अक्तूबर, 1983 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (4) के साथ पठित पंजाब आवास विकास बोर्ड, अधिनियम, 1972 की धारा 79 की उपधारा 2 के अन्तर्गत, पंजाब आवास विकास बोर्ड, चण्डीगढ़, के वर्ष, 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 645/85]

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम 1984, राष्ट्रीय बीज निगम लि० और स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, नियम, 1983 की धारा 20 के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, (सचिव) भर्ती नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 24 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1178 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए सं० एल०टी० 646/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (i) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए सं० एल०टी० 647/85]

(ख) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन इण्डिया सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इण्डिया सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष, 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त मद (एक) के भाग (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए सं० एल०टी० 648/85]

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी दुग्धशाला महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी दुग्धशाला महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं० एल०टी० 649/85]

(5) (एक) आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं० एल०टी० 650/85]

खान बचाव नियम, 1985

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अन्नैया) : मैं खान अधिनियम, 1952 की धारा 61क के अन्तर्गत खान बचाव नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 325(अ) में प्रकाशित हुए

थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 651/85]

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, पुणे का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा सम्बन्धी विवरण तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०एन० गाडगिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीच्यूट आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल०टी० 652/85]

अनुदानों की मांगें

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं विदेश मन्त्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये स० एल०टी० 653/85]

12.15 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

हाल की रेल दुर्घटनायें, विशेषकर 5 अप्रैल, 1985 की हावड़ा-अमृतसर मेल और हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की दुर्घटना, जिनमें अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई और अनेक लोग घायल हुए।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"हाल की रेल दुर्घटनाओं, विशेषकर 5 अप्रैल, 1984 की हावड़ा-अमृतसर मेल और हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की दुर्घटना, जिनमें अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई और अनेक लोग घायल हुए,से उत्पन्न स्थिति और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमन्, मुझे सदन को बड़े ही दुख के साथ 5 अप्रैल, 1985 को 5 अप हावड़ा-अमृतसर मेल और 49 अप हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ियों पर हुई दुखद घटना के बारे में सूचित करना पड़ रहा है । यह दुखद घटना उस समय हुई जब उत्तर रेलवे के सहारनपुर-अम्बाला खंड पर सरसावा और कलानौर स्टेशनों के बीच स्थित पुल सं० 245 से सुबह तड़के गाड़ियां गुजरीं उस समय इन गाड़ियों के सवारी डिब्बों की छतों पर बैठे कुछ व्यक्ति टकरा गये । इस घटना के परिणामस्वरूप 26 व्यक्ति मारे गए तथा 21 घायल हुए ।

भारतीय रेल अधिनियम की धारा 118 के अधीन यात्री गाड़ियों की छतों पर यात्रा करना अपराध है । इस आशय के अनुदेश मौजूद हैं कि यात्री गाड़ियों की छतों पर बैठने वाले व्यक्तियों को उतार दिया जाना चाहिए । तदनुसार, इन गाड़ियों के पिछले ठहराव स्टेशन अर्थात् सहारनपुर में 5 अप हावड़ा-अमृतसर मेल से कुल 125 व्यक्तियों तथा 48 अप हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी से कुल 315 व्यक्तियों को छत से उतार दिया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में इनमें से कुछ व्यक्तियों ने पुनः गाड़ियां पकड़ लीं और गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने के खतरे की परवाह न करते हुए अनधिकृत रूप से इन गाड़ियों की छत पर चढ़ गये । रेलें, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से हरियाणा और पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिए वाराणसी और लुधियाना के बीच सप्ताह में दो दिन विशेष गाड़ियां चला रही हैं । जिस दिन यह घटना हुई उस दिन इन गाड़ियों के आगे यह विशेष गाड़ी चलायी गयी थी ।

5-4-1985 को इन दोनों गाड़ियों पर हुई घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जांच-पड़ताल करने के लिए तत्काल घटना स्थल को रवाना हो गए । महाप्रबन्धक ने अनुग्रह राशि के भुगतान तथा विभिन्न अस्पतालों में दाखिल कराये गये घायल व्यक्तियों का समुचित उपचार कराने की भी व्यवस्था की । इस घटना की जांच कराने का आदेश दे दिया गया है ।

अखबारों में यह प्रकाशित हुआ है कि यह घटना छत पर बैठे यात्रियों के पुल पर किये जा रहे रंग-रोगन के कार्य के लिए बनाई गई पाड़ के टकराने के कारण हुई । यद्यपि घटना के वास्तविक कारण का पता दिये गये जांच-आदेश के माध्यम से लगेगा । उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा घटना-स्थल पर की गई जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि 9 फुट (2.76 मीटर) लम्बा और 2½ इंच (6.35 सें०मी०) मोटा एक तख्ता पुल की छत से रस्सियों से बंधा हुआ लटक रहा था और उसके तथा गाड़ी की छत के बीच 2 फुट 6 इंच (0.77 मीटर) खाली जगह थी । यह तख्ता पुल पर रंग-रोगन करने के काम में लाया जा रहा था । इसका अन्तराल डिब्बे की छत से निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रखा गया था । दिन का काम पूरा होने के पश्चात् इस तख्ते को न हटाये जाने के कारण रंग-रोगन की व्यवस्था करने वाले प्रभारी पुल अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

मैं दुर्घटनाओं की इस समस्या से, विशेषकर जो हाल ही में हुई हैं और जिनमें सवारी गाड़ियां अन्तर्ग्रस्त हुई हैं, व्यक्तिगत रूप से अवगत हूं। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यथा सम्भव सब कुछ किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षणों पर जोर देने, रात्रि में जांच करने, अनुरक्षण और परिचालनिक जांच करने, कर्मचारियों को परामर्श देने, कार्यशालाएं और संरक्षा गोष्ठियां आयोजित करने की दस-सूत्री कार्रवाई योजना आरम्भ की है। दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई भी की जा रही है।

श्री अमल दत्त : इस गतिशील सरकार के सत्ता में आने के बाद अनेक दुर्घटनायें पहले से भी अधिक हो रही हैं। पिछली दो दुर्घटनायें तो इतनी भयावह हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय के कथनानुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग अनधिकृत रूप से रेलों की छत पर यात्रा कर रहे थे तथा इसके लिए वे दंड के भागी हैं। उन्होंने उस धारा का उल्लेख किया है जिसके अधीन यात्रियों को दंड दिया जा सकता है। किन्तु क्या उनके जीवन के प्रति संवेदनाहीन होने के लिए यह पर्याप्त कारण है ? रेल अधिकारियो ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि ये लोग रेलों की छत पर यात्रा न करें। अभी रेल मन्त्री ने बताया कि दुर्घटना वाली इन दो रेलगाड़ियों से 125 यात्रियों को सहारनपुर में उतार दिया गया किन्तु यह जानते हुए भी कि उन्हें चोट लग सकती है, वे पुन: रेल की छत पर जा बैठे। क्या मन्त्री महोदय का तात्पर्य यह है कि यात्रियों को यह बता दिया गया था कि यदि आप रेल की छत पर सफर करते हैं, तो इससे आपको चोट लग सकती है तथा आपकी मौत भी हो सकती है। क्या आपका तात्पर्य यह है कि वे लोग उस प्रकार की मौत मरने के किए पुन: रेल की छत पर चले गए। इस प्रकार की दुर्घटना अन्य रेलों में भी हो सकती थी, किन्तु यह दुर्घटना केवल इन्हीं दो रेलगाड़ियों में हुई, अन्य रेलों में नहीं।

स्पष्टत: ये दोनों रेलगाड़ियां दुर्घटना से पूर्व अपने अन्तिम स्टाप सहारनपुर प्रात:काल पहुंची तथा वहां से प्रस्थान किया। स्पष्टत: रेलवे प्रशासन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि किसी यात्री को रेल से नीचे उतार दिया गया है। अब उत्तर रेलवे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जो कल के समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई है। उस विज्ञप्ति में इन दो रेलगाड़ियों से यात्रियों को उतारने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। किन्तु मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि 125 यात्रियों को रेल-गाड़ी से उतार दिया गया था। मैं समझता हूं कि सच्चाई कुछ और है तथा रेल मन्त्री के कथन में तथ्यों को इस प्रकार कैसे मरोड़ा गया है, इसकी समुचित जांच की आवश्यकता है।

अब यह मान भी लिया जाये कि यात्रियों को रेलगाड़ियों से उतार दिया गया था, तथा मन्त्री महोदय का यह कथन सही है कि यात्रियों को छत पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई, तो क्या यह सम्भव है कि कुछ रेलगाड़ियों से यात्रियों को नीचे उतारा जा सकता है तथा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे छतों पर यात्रा न करने पायें—किन्तु इस प्रकार की बात यहां हुई है—और कुछ अन्य रेलगाड़ियों की छतों पर उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आपको लोगों के जीवन की चिन्ता नहीं है। इन यात्रियों को छत पर यात्रा करने की

[श्री अमल दत्त]

अनुमति क्यों दी गई ? क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन्होंने टिकट खरीदे थे अथवा बिना टिकट यात्रा कर रहे थे ? यह इस चर्चा का मूल-विषय है। छत पर लोगों के सफर करने के लिए केवल आप जिम्मेवार हैं। अब यदि उन्होंने टिकट खरीदे भी थे, तो संभवतः कम्पार्टमेंट के भीतर जगह नहीं थी और जब ट्रेन में जगह ही नहीं थी, तो इन ट्रेनों से सफर करने के लिए वे टिकट क्यों खरीदेंगे। रेल मन्त्री ने सभी स्टेशन मास्टरों को ये निर्देश जारी किये हैं कि किसी भी व्यक्ति को रेलगाड़ियों की छत पर सफर करने की अनुमति न दी जाये। स्पष्टतः ऐसे निर्देश पहले नहीं जारी किये गये थे अन्यथा मैं समझता हूं कि दूसरा निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि रेलवे को इस बात की चिन्ता नहीं है कि लोग रेलगाड़ी के भीतर सफर कर रहे हैं अथवा बाहर तथा अधिकांश मामलों में क्योंकि टिकट खरीदने के बाद यात्रियों को अन्दर जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए उन्हें जबर्दस्ती छत पर सफर करना पड़ता है। उनके अनधिकृत सफर करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 'अनधिकृत' शब्द का रेल मन्त्री के कथन में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। यह इस कारण हुआ क्योंकि कम्पार्टमेंट के भीतर यात्रा करने के लिए आप लोगों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं करा सके जिसके कारण उन्हें छत पर जाना पड़ा। वे पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश इत्यादि से पंजाब और हरियाणा को जा रहे थे। वे पंजाब और हरियाणा फसलों की कटाई के उद्देश्य से जा रहे थे। वे लोग एक ऐसे कार्य के लिए जा रहे थे जो सारे देश के लिए लाभदायक है। और आप कहते हैं कि ट्रेनों की छत पर सफर कर रहे थे। किन्तु उनकी सुरक्षित यात्रा करने की आपने क्या व्यवस्था की है ? कुछ भी नहीं। वे लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों से यात्रा कर रहे थे। आप प्रति सप्ताह वाराणसी और लुधियाना के बीच दो ट्रेनें चला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये ट्रेनें केवल वाराणसी और लुधियाना के बीच ही क्यों चल रही हैं। क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि ये लोग बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि से लम्बी दूरी की यात्रा नहीं कर रहे थे ? फसल कटाई के समय इन लोगों को पंजाब और हरियाणा लाने के लिए केवल हावड़ा से दो ट्रेनें चलाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि वर्ष में दो बार उन लोगों को पंजाब और हरियाणा जाना पड़ता है। यदि वे वहां नहीं जायें, तो फसल की कटाई नहीं की जा सकती। देश उनकी सेवाओं से बहुत कुछ प्राप्त करता है। इसलिए वे एक राष्ट्रीय सेवा का कार्य कर रहे हैं, और इसे रेलवे द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। रेलवे ने अभी तक कुछ नहीं किया है।

प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में मैंने इन व्यक्तियों को लुधियाना रेलवे स्टेशन पर ठंड से ठिठुरते देखा है। सर्दी के महीनों में इनके आश्रय हेतु रेलवे ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। रेलवे को उनकी चिन्ता करनी चाहिए। रेलवे को यह पता लगाना चाहिए कि किन मार्गों पर कितने लोग यात्रा करते हैं तथा उनको उचित रेल सेवा प्रदान की जानी चाहिए। उनके साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। वे लोग देश-सेवा के कार्य में लगे हैं, इसलिए उन स्थानों की यात्रा करने तथा उन स्थानों पर ठहरने के लिए सभी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए। महोदय, मरने वाले यात्रियों की संख्या के बारे में काफी कुछ कहा गया है। इसमें भी काफी विसंगतियां हैं। समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ कि 40 यात्री मारे गये और इतने शव इस स्टेशन पर निकाले गये और इतने शव उस स्टेशन पर निकाले गए। दूसरे दिन रेलवे ने इस कथन का खंडन

कर दिया और कहा कि केवल 26 व्यक्ति मरे थे। मुझे नहीं पता है कि रेलवे सही तरीके से आंकड़े एकत्रित करने तथा मृत व्यक्तियों की पहचान के प्रयास कर रहा है अथवा नहीं। अभी तक केवल तीन शवों की पहचान की जा सकी है और उनका कहना है कि वे 1000/-रुपये की अनुग्रह राशि अथवा इसी प्रकार का अन्य भुगतान कर रहे हैं। किसको वे भुगतान कर रहे हैं ? वे केवल तीन व्यक्तियों की पहचान कर पाये हैं और पता केवल दो का ही मालूम हुआ है। इन यात्रियों की पहचान किये जाने तथा इन दुर्घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड दिये जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? मुख्य बात यही है।

स्पष्टतः, यह मालूम था कि पुल की छत के साथ एक लकड़ी का तख्ता लटका हुआ है और महाप्रबन्धक ने भी अपने निरीक्षण के दौरान उसे वहीं पर लटका हुआ पाया। अतः यह हर एक को पता था कि तख्ता वहीं पर है और अब रेलवे ने पुल के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जब इस बात का पता था कि तख्ता वहीं पर है, तो उसे क्यों नहीं हटाया गया। उनको पता था कि लोग ट्रेन की छतों पर सफर करते हैं। वास्तव में रेलों के चलने का ढंग ही इस प्रकार का है कि लोगों को छत पर सफर करना पड़ता है, गांधीजी को भी ट्रेन की छत पर सफर करना पड़ा था। उन्हें चाहिए था कि वे तख्ते को हटा दें, साथ ही, ट्रेन की छत से लोगों को नीचे उतार दें। समय पर कार्यवाही की जा सकती थी तथा इन लोगों की जिन्दगी बचाई जा सकती थी। किन्तु रेलवे अधिकारी इतने निष्ठुर थे कि वे ऐसा नहीं कर सके। यह साबित हो चुका है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

एक जांच की गई है और रेल मन्त्री कहते हैं कि वे स्वयं दुर्घटनाओं की समस्या से चिन्तित हैं, स्पष्टतः इन दुर्घनाओं में ये दो दुर्घटनायें भी शामिल हैं। वास्तव में बड़ी संख्या में रेल दुर्घटनायें हुई हैं और उन्हें इस ओर उचित रूप से ध्यान देना चाहिए और यदि उनके पास इस समस्या का समाधान नहीं है, तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे इस प्रकार का विचार मन में ला रहे हैं। ये दोनों दुर्घटनायें एक घंटे के भीतर एक के बाद एक घटी हैं। पहली ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वे दूसरी ट्रेन को रोक सकते थे। यह जो घटना घटी है, यह कल्पना से परे है।

इन दुर्घटनाओं की जांच स्वतन्त्र रूप से की जानी चाहिए और यह महाप्रबन्धक के अधीन न हो। उस व्यक्ति को जो महाप्रबन्धक के अधीन न हो तथा सीधे मन्त्री के प्रति उत्तरदायी हो, जांच का प्रभारी बनाया जाना चाहिए और न कि महाप्रबन्धक द्वारा दिए गए आदेशानुसार जांच की जानी चाहिए जैसा कि प्रेस में कहा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मन्त्री महोदय सुझाये गये आवश्यक उपाय तथा उपचार करेंगे ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : जहां तक यात्रियों के ट्रेन से उतारे जाने का सम्बन्ध हैं, उन्हें सहारनपुर में उतारा गया था। यह समाचार उसी दिन समाचार-पत्रों में प्रकाशित भी हुआ था। यह कोई नई बात नहीं है। यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया था। ट्रेनों की छत पर सफर करना गैर कानूनी है। यात्रियों को छत पर नहीं बैठना चाहिए था। दूसरी बात तख्ते की है। यह केवल

[श्री बंसी लाल]

एक लकड़ी का तख्ता था। पुल की ऊंचाई उस विशेष स्थान पर रेल-पटरी से 6 फिट 9 इंच है तथा इस तख्ते ने पुल की छत के नीचे 7½ इंच स्थान घेर रखा था। तख्ता और ट्रेन की छत के बीच 2½ फिट स्थान खाली था जो निर्धारित सीमाओं के अधीन है तथा नियमानुसार है।

लोगों को छत पर यात्रा करने की अनुमति न देने के लिए दी गई हिदायतों के बारे में यह उल्लेखनीय है कि यह कोई नई बात नहीं है। केवल इन्हीं दो ट्रेनों से यात्रियों को सहारनपुर में नहीं उतारा गया, बल्कि अन्य ट्रेन, जैसे जम्मू-तवी एक्सप्रेस से भी उतारा गया। इस 51 सियालदह जम्मू-तवी एक्सप्रेस से, जो इन दो ट्रेनों से तुरन्त पहले गुजरी थी, 250 यात्रियों को छत पर से उतारा गया था। केवल इन्हीं दो ट्रेनों से नहीं उतारा गया था। जहां तक अनुदेशों का सम्बन्ध है, इन्हें समय-समय पर जारी किया जाता है कि छत पर यात्रा करने वालों को ट्रेन से उतार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के अनुदेश प्रायः जारी किए जाते रहे हैं। 15 नवम्बर, 1983 को सभी रेल मुख्यालयों को निम्न उपाय करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

समाचार-पत्रों, पोस्टरों, नोटिस-बोर्डों, सिनेमा-स्लाइडों, सार्वजनिक प्रचार प्रणाली से प्रसारण इत्यादि के माध्यम से ट्रेनों की छतों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा न करने के बारे में शिक्षित किया जाये तथा इसका व्यापक प्रचार किया जाये। ट्रेन के कर्मचारियों तथा स्टेशन स्टाफ को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वे ट्रेनों की छतों पर यात्रियों को सफर न करने दें। इस समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों तथा निरीक्षकों द्वारा अपने साथ पर्याप्त संख्या में सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के स्टाफ को लेकर, विशेषतया उन सेक्सनों पर जो इस प्रकार की घटना से प्रभावित हैं, व्यापक आकस्मिक जांच की जानी चाहिए। इसके बाद, 24 अगस्त, 1984 को मुख्यालयों को निम्न बातों पर और आगे कार्यवाही हेतु, अनुदेश जारी किए गए हैं। छत पर की जाने वाली यात्रा को समाप्त करने के लिए तीव्र अभियान चलाया जाना चाहिए। जिन ट्रेनों की छत पर यात्रा की प्रवृत्ति पाई जाती है, उन ट्रेनों को अनिवार्य रूप से पूरे प्राधिकृत अधिकारियों के साथ चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार की वारदातों वाले चेक-प्वायंटों पर विशेष टुकड़ियां लगाई जानी चाहिए। छतों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा अधिनियम के अन्तर्गत उन पर मुकद्मा चलाया जाना चाहिए। रेलगाड़ी चलने से पहले गार्डों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी छत पर कोई व्यक्ति न बैठा हो। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन आदेशों के अनुसरण में मध्य रेलवे में अगस्त, 1984 के दौरान 103 बार जांच-पड़ताल की गई। 12 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था, इनमें 10 को जेल भेजा गया और दो को जुर्माना किया गया. पूर्व रेलवे में अप्रैल 1984 से अगस्त 1984 तक की अवधि के दौरान जांच करते समय 944 व्यक्ति पकड़े गए थे। इनमें से 119 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था और शेष को वास्तविक यात्री माना गया था। उत्तर रेलवे में अप्रैल-मई, 1984 में की गई जांच के दौरान 8151 व्यक्ति पकड़े गए थे और उन पर नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई थी। उत्तर-पूर्वी रेलवे में अप्रैल-अगस्त, 1984 के दौरान 1290 बार जांच-पड़ताल की गई थी, 5046 व्यक्ति पकड़े गए थे और छतों से उतारे गए थे। 58 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था, इनमें से 30

व्यक्तियों को जुर्माना किया गया था और 28 को जेल भेजा गया था। उत्तर-सीमा रेलवे में, मई से जुलाई, 1984 के दौरान 1728 बार जांच की गई थी, 12,734 व्यक्तियों को छतों से उतारा गया था और 363 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था। दक्षिण रेलवे में, अप्रैल-जून, 1984 के दौरान 948 बार जांच की गई थी और छतों पर यात्रा करते हुए केवल चार व्यक्तियों को पकड़ा गया था। दक्षिण-मध्य रेलवे में, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की अवधि के दौरान जांच के परिणामस्वरूप 311 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और इनमें से 262 पर जुर्माना किया और 32 को जेल भेजा गया था।

महोदय, इस प्रकार ये अनुदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

जहां तक जांच का सम्बन्ध है, जांच निष्पक्ष होगी तथा अन्य तथ्य जांच करने के पश्चात् प्राप्त होंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि महाप्रबन्धक को जांच नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जांच निष्पक्ष होगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है कि 1984-85 के दौरान रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों की संख्या, वर्ष 1983-84 के दौरान मरने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है। इन रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि क्यों हो रही है।

12.35 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक कारण यह भी है कि रेलवे द्वारा अभी भी पुराने हो चुके चल स्टाक, पुराने इंजनों, पुरानी पटरियों और पुरानी हो चुकी सिगनल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

इस सम्बन्ध में विभिन्न समितियां अर्थात् वान्चू समिति, कुन्जरू समिति, सिकरी समिति और अभी हाल में रेलवे सुधार समिति गठित की गई। इन समितियों ने इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई सिफारिशें की हैं।

हाल में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। रेलगाड़ियों को अगली लाइट के बिना चलने दिया जाता है। पिछले वर्ष फैजाबाद के निकट एक भयंकर दुर्घटना हुई थी। रेलगाड़ी अगली लाइट के बिना चला दी गई थी तथा लगभग 40-45 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा, मेरी जानकारी अनुसार नवम्बर 1980 में बाईकुला उपनगरीय रेल दुर्घटना हुई थी।

[श्री वसुदेव आचार्य]

तत्कालीन रेल मन्त्री, पंडित कमलापति त्रिपाठी ने यह स्वीकार किया था कि प्रायः सभी ई०एम० यू० डिब्बे बहुत पुराने हैं और उनको बदला जाना है। हम यह नहीं जानते कि इन पुराने डिब्बों, इंजनों तथा रेल पटरियों में से कितनों को बदला जा रहा है। प्रायः एक तिहाई रेल-पटरियां बहुत पुरानी हैं। 21 हजार किलोमीटर की रेल पटरी पुरानी हो चुकी है और इसे तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है। कार्यवाही करते समय इस सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए।

रेल मन्त्री ने यह कहा है कि उन्हें इस समस्या की जानकारी है तथा दुर्घटनाओं कम करने के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और पुराने हो चुके चल-स्टाक के बदलने के बारे में जांच की जानी चाहिए।

इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है ? पिछले वर्ष आने जाने वाली 122 नई रेलगाड़ियां चलाई गईं। परन्तु परम्परागत सवारी डिब्बों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। 18-20 डिब्बों वाली गाड़ी में इन डिब्बों की संख्या कम कर दी गई। इसके कारण ही ज्यादा-भीड़ रहती है।

तीन-चार वर्ष पहले सवारी डिब्बा वृद्धि समिति नाम की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने भी कुछ सिफारिशें की थीं। ये सिफारिशें क्या हैं ? क्या सवारी डिब्बों की वृद्धि करने और बढ़ाने के बारे में इसकी सिफारिशें कार्यान्वित की गई थीं।

दुर्घटनाओं की संख्या की समीक्षा करते समय रेल मंत्रालय को इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए। डिब्बों की संख्या को बढ़ाया जाना है, रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जानी है, तथा पुराने हो चुके रोलिंग स्टाक को भी बदला जाना चाहिए।

एक दिन ऐसा आएगा कि जब खुदकुशी करने वाले लोगों को रेल पटरी पर नहीं लेटना पड़ेगा। वे गाड़ी में बैठ जायेंगे, क्योंकि उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी।

इस दुर्घटना विशेष में रेलगाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे अधिकांश यात्री कृषि मजदूर थे, वे बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। रेलगाड़ी में बहुत अधिक भीड़ होने के कारण उन्हें बाध्य होकर रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करनी पड़ी। रेलगाड़ियों में इस भीड़ को कम करने, डिब्बों की संख्या बढ़ाने और रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने हेतु, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? केवल आदेश जारी करने से रेलगाड़ियों में भीड़ समाप्त नहीं हो सकतीं। इसे समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। इन दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में विभिन्न सिफारिशें की हैं।

श्री बंसी लाल : रेलगाड़ियों में भीड़ सारे वर्ष नहीं रहती है। कुछ विशेष मौसम हैं जब रेलगाड़ियों में ज्यादा भीड़ रहती है। अन्यथा रेलगाड़ियों में ज्यादा भीड़ नहीं होती है।

श्री अमल दत्त : मुझे यह पता नहीं है कि रेल मन्त्री ने रेलगाड़ी देखी भी है।

श्री बंसी लाल : उन मौसमों के दौरान जब रेलगाड़ियों में ज्यादा भीड़ होती है, हम भीड़ को कम करने के लिए विशेष गाड़ियां चलाते हैं। इस विशेष मामले में हम वाराणसी से लुधियाना

और मुजफ्फरपुर से लुधियाना के लिए विशेष रेलगाड़ियां चला रहे हैं; और एक ऐसी विशेष रेलगाड़ी इस दुर्घटना के होने से कुछ सैकेण्ड पहले इसी रास्ते से होकर गुजरी थी। अब हम वहां से भीड़ को कम करने के लिए उपलब्ध यात्रियों के अनुसार इन विशेष रेलगाड़ियों की फ्रीक्वेन्सी बढ़ा रहे हैं।

यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का जहां तक सम्बन्ध है हम धन की उपलब्धता के अनुसार डिब्बे तथा अन्य चल-स्टाक प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं; हमें जो धन मिलता है उससे चल स्टाक प्राप्त करने और नई गाड़ियां चलाने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। परन्तु फिर भी इसमें वित्तीय कठिनाइयां आती हैं।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे एक्सीडैंट्स एक बहुत ही गम्भीर मसला है। हालांकि मैं इस सदन में पहले सदस्य नहीं था, लेकिन मै समझता हूं कि रेल की छत पर चढ़ने का मसला इस सदन में पहले भी कई बार आ चुका है, जिस पर विचार-विमर्श भी किया गया और पिछले रेल मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, विश्वास भी दिलाया कि इसके बारे में कुछ होगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह साबित होता है कि जितना इन्तजाम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

इन रेलवे एक्सीडैंट्स के मैं मुख्य दो कारण मानता हूं। एक ह्यूमन फेलयोर, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही से एक्सीडैंट हो और दूसरे, जिसकी तरफ हमारे दूसरे साथियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं देना चाहता हूं, वह है लैक आफ रिसोर्सिज। लगभग 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इतना पुराना हो चुका है कि उसको बदलना बहुत जरूरी है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह 20 हजार किलोमीटर बकाया हो चुका है, इसको बदला जाना चाहिए था लेकिन फंड कम होने की वजह से वह 20 हजार किलोमीटर को नहीं बदला जा सका और डी-रेलमेंट जो ट्रैक के ऊपर से गाड़ी नीचे उतर जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह पुराने ट्रक्स होने की वजह से वहां सही ढंग से गाड़ी चल नहीं पाती, जिससे डी-रैलमेंट होता है, एक्सीडेंट होते हैं और कई लोगों की जानें जाती हैं। जो मुख्यत: कारण देखा गया है वह यह देखा गया है कि हिन्दुस्तान में आज की तारीख में बहुत से ऐसे रेलवे क्रासिंग हैं जहां पर ओटोमैटिक रेलवे क्रासिंग की बात छोड़िए, वहां शायद कर्मचारी भी नहीं रखे गये जिन को मेन रेलवे क्रासिंग कहा जाता है कि वह लोगों को रोक सके, गाड़ी आ रही है तो ट्रक को रोका जा सके, गाड़ी आ रही है तो बैल गाड़ी को रोका जा सके, साइकिल वाले को रोका जा सके। आज हिन्दुस्तान में सैकड़ों की संख्या में ऐसे रेलवे क्रासिंग होंगे, जहां ऑटोमैटिक रेलवे क्रासिंग की बात छोड़ दें, वहां कोई कर्मचारी भी नहीं है जो कि देख सके। इसकी वजह से 2 अप्रैल को रेलगाड़ी और बैलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसके अन्दर 5 लोग मर गये। इसी प्रकार इसी कारण वश 2 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ जिसके अन्दर एक व्यक्ति मारा गया और 3 व्यक्ति घायल हो गये।

[श्री ललित माकन]

इसके अलावा तीसरा कारण मैं यह मानता हूं कि जो पुअर मेंटनेंस है, सही ढंग से मेंटेन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। 23 फरवरी को एक्सीडेंट नागपुर के पास हुआ, जिसके अन्दर मुख्य कारण यह था कि गाड़ी के अन्दर आग लग गई जिसके कारण अभी तक बयान नहीं हुए कि किन कारणों से आग लगी । इसके अन्दर 50 लोग मारे गए, 12 लोग जख्मी हो गये, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है और अखबारों में पढ़ा तो यह मालूम हुआ कि गाडी जब चली और आग लग गई, लेकिन उस आग को रोका नहीं जा सका क्योंकि जब गाड़ी की चेन खींचने के लिए आगे बढ़ा गया तो देखा कि उसमें चेन नहीं है। जब गाड़ी के अन्दर चेन नहीं है और गाड़ी चलती रही, आगे बढ़ती रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि आग बढ़ती रही, पूरी गाड़ी को आग लग गई।

इसी प्रकार जो पार्ट्स हैं, उनकी पुअर टेस्टिंग, जिसके अन्दर एक अल्ट्रा सोनिक टैस्ट एक्सलस का है जो एक्सलस का सालाना टैस्ट होता है। अभी पीछे नवम्बर के महीने में बम्बई के अन्दर एक्सलस टैस्ट की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ। उस गाड़ी का टैस्ट 6 महीने पहले हुआ है जबकि गाड़ी का सालाना टैस्ट होता है। लेकिन 6 महीने के टैस्ट होने के बावजूद वह एक्सलस टूट गया जिससे कई लोग मारे गये।

किसी जमाने में रेलवे के अन्दर ऑटोमैटिक वार्निंग सिस्टम होता था । मुझे मालूम नहीं वह ऑटोमैटिक वार्निंग सिस्टम क्यों हटा दिया गया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऑटोमैटिक वार्निंग सिस्टम लाने की कोशिश करेगी। 5 अप्रैल के किस्से को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सभी लोगों ने बताया किस प्रकार से एक्सीडैंट हुआ। पहला एक्सीडेंट 5 बजकर 40 मिनट पर हुआ, दूसरा एक्सीडेंट 6 बजकर 30 मिनट पर हुआ। अगर वहां के अधिकारी चाहते तो दूसरे एक्सीडेंटको काबू कर सकते थे। अगर वह ऑटोमैटिक वार्निंग सिस्टम लागू होता तो उसको रोका जा सकता था।

इसी प्रकार से जिन गाड़ियों को रोका गया सहारनपुर पर, उनकी छतों को समाप्त किया गया, लोगों को हटाया गया। यह समझ में नहीं आता कि यह दो गाड़ियां किस प्रकार नोटिस किये बगैर निकल गई और कैसे इनको इजाजत दे दी गई। वहां छत पर लोग बैठे रहे वह मौत के कुंए के अन्दर चले जायें।

इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से सिफारिश करना चाहूंगा जो कि बिल्कुल जायज है। मैं सिफारिश करना चाहूंगा कि कारण क्या है ? सिर्फ यही कारण नहीं अधिकारियों की लापरवाही इसका मुख्य कारण है। रेलवे की बुरी हालत का कारण यह है कि जितना पैसा रेलवेज को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है। पिछले ऐनवल प्लान आउट ले के अन्दर एक हजार 650 करोड़ रुपये सैंक्शन किये गये जबकि 850 करोड़ रुपये रेलवेज ने अपने रिसोर्सिज के माध्यम से रेज किया और इस बार जबकि स्टील मंहगा हो गया, मंहगाई बढ़ती गई, सब कुछ ही मंहगा हो गया फिर भी 1650 करोड़ रुपये इस साल रेलवेज के सैंक्शन किये गये और इस बार रेलवे ने 950 करोड़ रुपये अपने रिसोर्सिज में रेज किये। जिसका अर्थ यह हुआ कि पिछले साल से 100 करोड़ रुपया रेलवेज को कम दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, जब हालत यह होगी कि 20 हजार किलोमीटर जो ट्रक पुराने पड़े हैं, उनके बदलने का सवाल है, मेंटनेंस का सवाल है, कोचिंग को लाने का सवाल है।

और यह अभी हमारे और साथियों ने कहा कि पैसे पिछले साल से भी सौ करोड़ रुपये कम कर दिए तो रेलवे की हालत कैसे सुधरेगी? इसलिए मेरी मांग है कि रेलवे को ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए जायें ताकि पुराने ट्रैक्स को सुधारा जा सके। जहां तक बात समझ में आती है, स्टाफ की कमी की वजह से पैसे कम होने की वजह से ये ऐक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रेलवेज को सैंक्शन करना चाहिए। यह सिर्फ इंसानों की जिन्दगी को बचाने के लिए नहीं बल्कि जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा हिस्सा है वह रेलवे पर निर्भर करता है, अगर रेलवे मजबूत होगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

इस बैकग्राउन्ड में मेरा पहला सवाल यह है कि जनवरी 85 से लेकर अब तक कितने ऐक्सीडेंट्स डिरेलमेंट की वजह से, कितने ह्यूमन फेल्योर की वजह से और कितने पूअर मेन्टिनेंस की वजह से हुए और और उसमें कितने लोग मरे, कितने जख्मी हुए ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं जो इससे संबंधित नहीं हैं। हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रैस से संबंधित प्रश्न पूछिए।

श्री ललित माकन : इसमें अभी हाल में हुई दुर्घटनाएं शामिल हैं, इसलिए यह संगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक हैं, जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : मेरा दूसरा सवाल है कि क्या यह सच नहीं है कि 2 अप्रैल को जो ऐक्सीडेन्ट हुआ रेल और बैलगाड़ी का वह भी इसलिए हुआ और पांच आदमी उसमें इसलिए मरे क्योंकि रेलवे क्रासिंग पर कोई आदमी नहीं था ? कोई आटोमेटिक रेलवे क्रासिंग वहां नहीं है और कोई कर्मचारी भी वहां नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए और मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे रेलवे क्रासिंग्स हिन्दुस्तान में हैं जहां आटोमेटिक की तो बात छोड़ दीजिए, जहां कोई कर्मचारी भी नहीं है, जो मैन्ड नहीं हैं ? कितने एसे रेलवे क्रासिंग्स हैं और कब तक हिन्दुस्तान के एक-एक रेलवे क्रासिंग को आटोमेटिक की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैन्ड रेलवे क्रासिंग कर देंगे जिससे सड़क पर जाने वाले लोग, साइकिल पर जाने वाले लोग या बैलगाड़ी पर जाने वाले लोग गाड़ी से टकरा कर अपनी जान न खोयें ?

तीसरा सवाल यह है कि जनवरी 85 से लेकर अब तक ह्यूमन फेल्योर की परसेंटेज बढ़ी है या कम हुई है।

चौथा सवाल यह है कि जो मैंने अभी ऐक्सेल का जिक्र किया था, जो बम्बई में ऐक्सीडेंट

[श्री ललित माकन]

हुआ था ऐक्सेल टूटने की वजह से, क्या यह सच नहीं है कि उस ऐक्सेल का बाकायदा अल्ट्रासोनिक मुआयना छः महीने पहले हुआ था ? 6 महीने के बाद ऐक्सेल टूट जाने की वजह से उस गाड़ी का ऐक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कई लोग मरे और क्या यह सच है कि आटोमेटिक वार्निंग सिस्टम जो रेलवे में था पहले किसी जमाने में और बड़ा एफेक्टिव सिस्टम था, क्या यह सच है कि बहुत अरसे तक उसका आपरेशन चलता रहा लेकिन बाद में हटा दिया गया ? ये मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब चाहता हूं ।

श्री बंसी लाल : मान्यवर, जहां तक ऐक्सीडेंट्स का सवाल है, अनमैंड लेवेल क्रासिंग्स पर ऐक्सीडेंट्स की तादाद 62 परसेंट है खास-तौर से मैं यह फिगर दे रहा हूं 62 परसेंट की 83-84 की और अनमैंड लेवेल क्रासिंग के ऊपर रेल आए उस वक्त उसका ध्यान रखने का काम रोडयूजर्स का है न कि रेलवे का । रेलवे के ड्राईवर की ड्यूटी है कि वह व्हिसिल दे दे तो वह व्हिसिल दे देता है । जो माननीय सदस्य ने अभी चर्चा की बैलगाड़ी के टकराने की जिसमें पांच आदमी मरे, वैसे तो उसकी रिपोर्ट मेरे पास आने पर पता लगेगा लेकिन मेरा ख्याल है कि वह अनमैंड रेलवे क्रासिंग भी नहीं था, ऐसे ही रेलवे की पटरी को क्रास कर रहे थे । वहां रेल का कोई क्रासिंग नहीं है । आटोमेटिक वार्निंग सिस्टम के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा वह बम्बई और कलकत्ते में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं ।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह पूछी कि जनवरी से अब तक ह्यूमन फेल्योर की वजह से जो ऐक्सीडेंट्स हुए उनकी परसेन्टेज क्या है । सन् 1953 से लगातार 50 परसेन्ट से अधिक ह्यूमन फेल्योर की वजह से ऐक्सीडेंट्स होते रहे लेकिन सदन को जानकर खुशी होगी कि जनवरी के बाद अब तक ह्यूमन फेल्योर की वजह से जो ऐक्सीडेंट्स हुए हैं वह 40 और 50 परसेन्ट के बीच में हैं । इस तरह से आप देखेंगे कि उसमें बहुत सुधार हुआ है ।

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिए गए उत्तर पर मुझे हैरानी हुई है । जब से यह सरकार सत्तारूढ़ हुई रेलवे में तीन चीजें बहुत अधिक विख्यात हो गई हैं । प्रथमतः उन्होंने रेलवे के भाड़ों और किराये में वृद्धि की है, दूसरे, रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, तीसरे उन्होंने रेलवे के विकास संबंधी लगभग सभी परियोजनाओं को छोड़ दिया है । अन्य पहलू यह है कि रेलवे प्रत्येक बात को सामान्य तौर पर लेती है । यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है । रेल मन्त्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि रेल गाड़ियों में यात्रियों की वर्षभर भीड़ नहीं रहती । यह सही नहीं है । मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे देहाती इलाकों में जाएं और अपनी आंखों से देखें कि यात्रियों को दूसरे दर्जे के अरक्षण के लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । प्रत्येक रेलगाड़ी में विशेषकर उपनगरीय गाड़ियों में देहाती इलाकों के प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आते हैं । और यहां पर माननीय मंत्री हमें यह बता रहे हैं कि यात्रियों की भीड़ सारे वर्ष नहीं रहती ।

अन्य एक पहलू यह भी है कि माननीय मंत्री हमेशा यही कहते हैं कि निधियों की कमी

है। क्या यह एक दलील है कि केवल धन की कमी के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाएं जिससे दुर्घटनायें होती रहें और यात्री मरते जायें।

एक अन्य मुद्दा, जिसे मैं बताना चाहता हूं, यह है कि रेलवे में पहली अप्रैल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। समग्र देश में लोग इस दिन का इन्तजार करते हैं क्योंकि रेलवे की नई समय सारणी इस तारीख से लागू होती है और कुछ नयी गाड़ियां भी समय सारणी में शामिल होती हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने जनता को इस बार नयी समय सारणी से वंचित रखा इससे रेलवे की कार्य कुशलता का पता चलता है। वह इतनी कार्य-कुशल भी नहीं है कि देश को उचित समय पर नयी समय-सारणी दे सके और नयी रेलगाड़ियां चालू कर सकें। मैं यह जानता हूं कि कुछ कार्य बिना टिकट यात्रा करते हैं और रेल की छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं, इसे औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है, परन्तु इसके साथ-साथ हमें यह भी विचार करना होगा कि लोग रेल की छतों पर यात्रा क्यों करते हैं। यदि वे टिकट नहीं खरीदते हैं तो भी वे डिब्बों के अन्दर बैठकर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि डिब्बों के अन्दर बैठने का स्थान नहीं होता और छतों पर बैठकर यात्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और फिर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

1.00 म० प०

उत्तर में आप देखेंगे कि दो रेलगाड़ियों में दुर्घटना हुई। एक रेलगाड़ी, अर्थात् हावड़ा-अमृतसर मेल में दुर्घटना होने के पश्चात्, दूसरी रेलगाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए थे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इससे रेलवे प्रशासन की दुर्घटनायें रोकने के लिए निर्दयता का पता चलता है।

एक अन्य पहलू जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं यह है कि रेलवे प्राधिकारियों द्वारा इन दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों की पहचान किस तरह की जा रही है। इस मामले में, जो लोग मरे हैं वे भूमिहीन मजदूर थे, जिन्हें अपने घरों को अपने जीविका के लिए छोड़ना पड़ा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके परिवार के सदस्यों को दुर्घटना स्थल पर जाकर अपने सगे-सम्बन्धी के शव का पता लगाना संभव है। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो पहचान के लिए किसी और तरीके का पता लगाया जाना चाहिए। इस मामले में मेरा विनम्र सुझाव है कि दुर्घटना में लोगों के फोटो की प्रतियां अलग-अलग थानों और पुलिस केन्द्रों को भेजी जायें, जहां पर स्थानीय लोग अपने संबंधियों के चित्रों की पहचान कर सकें।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है और इन दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों की पहचान के लिए प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी।

श्री बंसी लाल : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि मुझे ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए

[श्री बंसी लाल]

और देखना चाहिए कि रेलगाड़ियों में भीड़ है या नहीं। महोदय, मैं माननीय सदस्य को, आपके माध्यम से, बताना चाहता हूं कि मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं समझता हूं, माननीय सदस्य स्वयं ग्रामीण क्षेत्र का जितना भ्रमण करते हैं मैं उससे अधिक भ्रमण करता हूं।

रेल गाड़ियों में भीड़-भाड़ के संबंध में मेरी यह जानकारी सही है कि रेलगाड़ियों में पूरे वर्ष भीड़ नहीं रहती है। भीड़-भाड़ हमेशा मौसम विशेष में होती है।

माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि हम इन बातों को अविचरित ढंग से लेते हैं।

श्री अमल दत्त : अन्यथा आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री बंसी लाल : इसके विपरीत हम मामलों को गम्भीरता से लेते हैं। यदि आप आंकड़े देखें तो आप पायेंगे कि प्रति किलो मीटर रेल मार्ग पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ दुर्घटनाओं की प्रतिशतता में गिरावट आई है।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि मृतकों के फोटो सम्बन्धित क्षेत्र में भेजे जाने चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हम ये फोटो उन क्षेत्रों में भेजेंगे जहां उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा उन्हें पहचाने जाने की संभावना होगी।

अपने पहले के वक्तव्य में मैंने कहा था कि जांच स्वतंत्र रूप से की जाएगी। स्वतंत्र जांच से मेरा मतलब यह नहीं है कि यह जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराई जाएगी। इस असामान्य दुर्घटना की जांच रेल अधिकारियों द्वारा की जाएगी क्योंकि रेल सुरक्षा आयुक्त ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि दुर्घटना ग्रस्त यात्रियों में वे यात्री सम्मिलित थे जो अवैध और गैर कानूनी रूप से रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा कर रहे थे, जांच न करने का निर्णय किया है। इन हालात के अन्तर्गत जांच कार्य रेल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह स्वतंत्र जांच होगी और इस संबंध में किसी के भी द्वारा दबाव नहीं डाला जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं समझता हूं कि रेल सुरक्षा आयोग इस जांच कार्य के लिए कतई मना नहीं करेगा क्योंकि ऐसे अनेक प्रशासनिक पहलू हैं जो इससे सम्बन्धित हैं। केवल इसी बात की जांच नहीं की जानी है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति छत पर बैठे थे। मैं समझता हूं यह मामला रेल सुरक्षा आयोग के साथ उठाया जाना चाहिए। आयोग इस आधार पर मना नहीं कर सकता है।

श्री बंसी लाल : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

1.07 म० प०

भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड के संयंत्र से 28 मार्च, 1985 और 1 अप्रैल, 1985 को क्लोरीन गैस तथा सल्फोनिक एसिड गैस के रिसाव के संबंध में वक्तव्य

[अनुवाद]

रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : दिनांक 28-3-1985 और 1-4-85 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से गैस रिसाव के बारे में समाचार पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 28 मार्च, 1985 को जब कारखाने के भण्डार से क्लोरीन को बाहर निकालने हेतु एक क्लोरीन टैंकर को भरा जा रहा था तो क्लोरीन की कुछ गन्ध महसूस की गई थी और टैंकर भरने का कार्य तत्काल रोक दिया गया था। टैंकर को भरने वाले कर्मचारियों को निगरानी में रखा गया किन्तु उन पर कोई दूरगामी प्रभाव नहीं देखे गये।

1-4-1985 को ऐसा लगा कि क्लोरो-सल्फोनिक एसिड के एक खाली टैंकर ने टैंक में अवशेष पदार्थ पर वायु में नमी के प्रभाव के कारण कुछ धुंआ देना आरम्भ कर दिया है। तथापि, इसके पश्चात कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ।

मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाना बन्द कर दिया गया है और संयंत्र से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे की सम्भावना को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

1.08 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली में साफ किए हुए और कच्चे पानी की कमी तथा इस चिरकालिक समस्या को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : देश की राजधानी दिल्ली में पेय जल और कच्चे पानी की कमी लोगों के लिए गम्भीर समस्या बन गई है पेय जल की कमी और कभी-कभी उसकी सप्लाई न होने के कारण विशिष्ट व्यक्तियों तथा संसद सदस्यों सहित प्राय: समस्त जनता के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आलीशान इलाकों में भी पानी की कमी चल रही है। सरकार ने दिल्ली और नयी दिल्ली को पानी देने के लिए गंगा नदी से पानी लाने का कार्यक्रम तैयार किया है। लागत है कि यह कार्यक्रम केवल कागज पर ही रहना है। आफिस जाने वालों को, जिनमें कुछ

[श्री चिन्ता मणि जेना]

संसद सदस्य भी शामिल हैं, नहाना नसीब नहीं हो पाता है और कभी-कभी तो वे अपना भोजन भी नहीं पका पाते हैं।

पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से कच्चे पानी की सप्लाई की हालत अभी तक खराब है। घास के लॉनों तथा अन्य स्थानों के कच्चे पानी की आपूर्ति बिल्कुल न होने से घरों के बगीचों तथा पुष्प उद्यानों आदि में कीमती पौधे तथा पेड़ सूख रहे हैं मरम्मत का बहाना करके प्राधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों के अनुरोध पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है यदि गर्मी के आरम्भ होने से पहले यह हालत है जिसने लाखों लोगों को संत्रस्त कर दिया है, तो कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि भीषण गर्मी में क्या हालत होगी।

केन्द्र की राजधानी में उत्पन्न ऐसी अव्यवस्थित स्थिति से निबटने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल कार्रवाई करे ताकि पेय जल तथा कच्चे पानी की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति जल्दी से जल्दी फिर से चालू की जा सके। माननीय निर्माण और आवास मंत्री इस मामले पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सभा में वक्तव्य देने की कृपा करें।

(दो) विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करने और उस क्षेत्र के प्रमुख नगरों के बीच सीधी टेलीफोन सेवा की सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था बहुत ही खराब है। प्रयोक्ताओं को स्थानीय फोनों और ट्रंक कालों के संबंध में प्रतिदिन कठिनाइयां हो रही हैं। अधिकांश टेलीफोन केन्द्र तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र या तो दोषपूर्ण हैं अथवा खराब रखाव और दोषपूर्ण उपकरणों के कारण खराब हैं। मैं संचार मन्त्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित आवश्यक लोक महत्व के मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :—

1. विदिशा स्वचालित टेलीफोन केन्द्र विभिन्न तकनीकी खराबियों तथा अप्रभावी अनुरक्षण के कारण संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।
2. विदिशा ट्रंक एक्सचेंज आपरेटर ट्रंक डायलिंग सरकिट (ओ० टी० डी०) के माध्यम से इन्दौर टी० ए० एक्स के साथ जुड़ा है। किन्तु टी० ए० एक्स० प्रणाली अधिकतर खराब रहती है जिसके परिणाम स्वरूप विदिशा जिले के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को घटिया ट्रंक सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
3. विदिशा—सिरोंज—विदिशा—शम्सोबाद तथा देवरी—उदीपुरा कस्बों के बीच सीधी टेलीफोन लाइन होनी चाहिए।
4. बुदनी तथा नसरुल्लागंज के टेलीफोन केन्द्र होशंगाबाद के बजाए जिला मुख्यालय, सिहोर से सीधे जुड़े होने चाहिएं।
5. विदिशा और भोपाल के बीच माइक्रोवेव एस० टी० डी० लिंक प्रोजेक्ट तत्काल पूरी की जानी चाहिए।

6. विदिशा, मादीदीप तथा दीवानगंज मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तीव्र गति से विकसित होने वाले औद्योगिक केन्द्र हैं। इसलिए इन स्थानों के लिए टेलेक्स सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां देश की 1/5 आबादी निवास करती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना तक इस प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से उद्योग के क्षेत्र में जो हिस्सा मिलना चाहिए था न मिलने के कारण यह प्रदेश पिछड़ गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र से जो उद्योग के क्षेत्र में धनराशि आवंटित हुई है, कुछ सुधार हुआ परन्तु पिछले कई वर्षों में लगातार उत्तर प्रदेश को देवी आपदाओं विशेषकर बाढ़, सूखा, ओला आदि अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। यही नहीं किन्हीं कारणों से सन् 1982-83, 1983-84 में बाढ़ और सूखा के कारण लगभग 700 करोड़ रुपयों की धनराशि जो प्रदेशों को दी गई थी, उस धनराशि में से इस प्रदेश को कुछ नहीं मिल सका। फलस्वरूप प्रदेश को अपने संसाधनों से देवी आपदाओं का सामना करना पड़ा। पिछली पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो परियोजना सिंचाई व विद्युत की ली गई हैं उनके लिए समुचित संसाधन के अभाव में बहुत-सी परियोजनायें धीमी गति से चल रही हैं। फलस्वरूप परियोजनाओं का जहां एक ओर व्यय बढ़ रहा है, वहीं पर समय से पूरा न होने के कारण प्रदेश को उनका लाभ नहीं हो रहा है। यहां यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 46 प्रतिशत आबादी वाले क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड एवं पहाड़ी क्षेत्र कई दृष्टियों से अत्यन्त पिछड़ गए हैं और उनको प्रदेश के शेष भागों के विकास स्तर पर लाने के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान प्रदेश के पिछड़ेपन की ओर दिलाते हुए मांग करता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटन करते समय उत्तर प्रदेश को देश के अन्य विकसित राज्यों के स्तर पर लाने के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था करें।

(चार) पूर्णिया में एक उच्च शक्ति वाला टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्णिया में जो दूरदर्शन रिले केन्द्र खोला गया है, उसकी क्षमता अत्यन्त ही कम है। इससे पूर्णियां जिले का बहुत बड़ा भाग खासकर अररिया अनुमंडल एवं अंशतः किसनगंज अनुमंडल के क्षेत्र इसके लाभ से वंचित रहते हैं। कसबा में भी शक्तिशाली प्रसार केन्द्र के निर्माण का आश्वासन दिया गया था परन्तु उसके भी यह क्षेत्र अपेक्षित है। अभी तक शक्तिशाली टावर का निर्माण वहां नहीं हुआ है।

अतः मेरी मांग है कि पूर्णियां दूरदर्शन रिले केन्द्र को शक्तिशाली बनाया जाए या अररिया

[श्री डुमर लाल बैठा]

में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की जाये। पटना में एक छोटी इकाई दूरदर्शन केन्द्र की बेकार पड़ी है जिसका उपयोग अररिया या फारबिसगंज में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करके किया जा सकता है। यदि यह सम्भव न हो तो कर्सयौंग दूरदर्शन केन्द्र में शक्तिशाली टावर बैठाया जाए जिससे सम्पूर्ण क्षेत्रों को दूरदर्शन का लाभ मिल सके।

(पांच) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र दिए जाना तथा इस सम्बन्ध में उचित और सामयिक कार्यवाही करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : अमरीकी रक्षा विभाग ने पाकिस्तान को उसके लड़ाकू विमानों के लिए हवा से हवा में मार करने वाले 500 प्रक्षेपास्त्रों की बिक्री करने का अनुमोदन कर दिया है। इन हवा से हवा में मार करने वाले नवीनतम प्रक्षेपास्त्रों की सप्लाई के अतिरिक्त पाकिस्तान को 15 राडार सिस्टम्स भी पहले ही बेच दिए गए थे।

अमरीकी रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि ये प्रक्षेपास्त्र न केवल एफ-15 विमानों के लिए उपयुक्त होंगे बल्कि चीनी मूल के पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों के लिए भी उपयुक्त होंगे।

इस नए परिवर्तन के कारण हमारी पश्चिमी सीमा तथा हिन्द महासागर में भी बढ़ते हुए तनाव को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन परिवर्तनों की ओर अधिक गंभीरता से ध्यान दे और अत्यधिक सतर्क रहे क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पर शीघ्र ही इलेक्ट्रोनिक हमला भी हो सकता है।

(छः) गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अबुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग काफी दिनों से चल रही है। गवर्नमैंट आपियम एण्ड अल्कालायड वर्कर्स ने केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उक्त प्रतिष्ठान भूमि भवन व अन्य सुविधायें जो केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए आवश्यक हैं, देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ओपियम एण्ड अल्कालायड वर्कर्स के कर्मचारियों के अलावा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। गाजीपुर के लोग बड़ी संख्या में सशस्त्र सेनाओं तथा केन्द्रीय बलों में भी काम करते हैं। बहुधा उनकी तैनाती ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां वह अपना परिवार नहीं रख सकते। गाजीपुर में केन्द्रीय विद्यालय खुल जाने से ऐसे लोगों के लड़के-लड़कियों की शिक्षा में भी आसानी हो जाएगी।

शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अगले सत्र से गाजीपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की वह कृपया व्यवस्था कर दें।

1.15 अ०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86
शिक्षा मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 को लेते हैं। इसके लिए नियत समय छः घण्टे है। हम इस मद को आज ही समाप्त कर देना चाहते हैं, चाहे इसके लिए देर तक भी बैठना पड़े। अब सभा शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 24 तथा 25 पर चर्चा और मतदान करेगी जिसके लिए छः घण्टे का समय दिया गया है।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके अनुदानों की मांगों के लिए कटौती प्रस्ताव परिचालित हो चुके हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को रखना चाहें तो जो प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उसके क्रमांक का उल्लेख करते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्ची भेज दें। केवल ये ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

उन कटौती प्रस्तावों के क्रमांक को दर्शाती हुई सूची जिन्हें प्रस्तुत हुआ माना गया हो, सूचना पटल पर शीघ्र ही लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई असंगति देखे तो वह अविलम्ब उसे सभा पटल अधिकारी की जानकारी में लाने की कृपा करें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई शिक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 24 और 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृति लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	5
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
शिक्षा मंत्रालय					
24	शिक्षा मंत्रालय	60,87,000	—	3,04,38,000	
25	शिक्षा	82,05,17,000	8,40,000	4,27,72,88,000	42,02,000

अब मैं श्री आनन्द गजपति राजू से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिली) : मैं इस शताब्दी के आरम्भ में ग्रेट ब्रिटेन में पारित हुए रेड फ्लैग एक्ट तथा अब अपनाई जा रही शिक्षा नीति के बीच समानता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। रेड फ्लैग एक्ट के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में कोई भी वाहन यातायात तब तक नहीं चल सकता था जब तक कि कोई आदमी अपने हाथ में लाल झण्डी या बत्ती लेकर उसके आगे नहीं दौड़ता था। और इसीलिए, इंटरनल कम्ब्यूशन इंजिन रोक दिया गया था। इसी प्रकार, आज की शिक्षा में भी एक ऐसी प्रणाली विद्यमान है जिसका स्वरूप गतिहीन तथा तदर्थतावादी है। आज व्यावसायिक शिक्षा और रोजगारोन्मुख शिक्षा के बारे में बात करना एक आम बात हो गई है। इस प्रक्रिया में शिक्षा का ह्रास होना निश्चित बात है। गुणात्मक तौर पर, शिक्षा का स्तर एक दम गिर गया है और आज हमारे देश में अशिक्षित लोग पहले की तुलना में अधिक कार्यशील हैं। प्रौद्योगिकी के विकास से समाज में शिक्षा और पेचीदगियां इतनी बढ़ी हैं कि समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य डिग्री अथवा सामान्य स्कूल फाइनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है।

सम्भवतः शिक्षा को उस मानसिक ढ़ांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत सामाजिक प्रक्रियाओं की जानकारी होती है और फलस्वरूप सभ्यता का विकास होता है।

किन्तु दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर विन्यास हो रहा है और शिक्षित बेरोजगार उत्पन्न हो रहे हैं।

संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार, हमें 1960 तक सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। किन्तु यह कार्य 1991 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज की विद्यमान विचारधारा और स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब हमें लगता है कि इस लक्ष्य को इस अवधि तक भी प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं हो सकता। 6 और 21 के बीच का आयु समूह बहुत ही दुसाध्य आयु समूह होता है क्योंकि इस आयु समूह के लोग समाज में स्वयं ही निर्माता बन जाते हैं। हमारी जनसंख्या मूल रूप से युवा जनसंख्या है। आज हमारे इस देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या नवयुवकों की है। किन्तु फिर भी हम देखते हैं कि 6 और 21 की आयु समूह के अन्तर्गत आने वाले लोगों में से केवल 20% लोग स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनमें से अधिकांशतः इससे वंचित हैं। इसके अतिरिक्त, आज प्रायमरी, माध्यमिक तथा हाई स्कूल शिक्षा को ताक पर रख कर स्पष्ट तौर पर उच्च शिक्षा की ओर झुकाव है। इसी विचारधारा के कारण हम देखते हैं कि अनेक राज्यों में जूनियर कालेज, डिग्री कालेज अधिकाधिक खोले जा रहे हैं और फलस्वरूप शिक्षा का स्तर गिर रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि बकाया शिक्षा के लिए 6—21 के आयु समूह से शिक्षा के साधन दूर होते जा रहे हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आज अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा दोनों पर जोर दिया जाए। अनौपचारिक शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है किन्तु हम देखते हैं कि इस दिशा में बहुत थोड़े संसाधन प्राप्त हैं। अनौपचारिक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप उन लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जो शिक्षा प्रणाली का लाभ नहीं उठा रहे हैं और इसके बावजूद उन्हें कुछ प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। हमारे देश

के लोगों को और अधिक उत्पादनकारी बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है किन्तु हमारे देश में उसको भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। यह देखकर हताश होना पड़ रहा है कि आज देश में लगभग 30 करोड़ लोगों में से लगभग आधे लोग अशिक्षित हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि शिक्षा पर योजना व्यय के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार अत्यन्त नगण्य परिव्यय की व्यवस्था करती है। कुल बजट में से शिक्षा के लिए केवल 2 प्रतिशत धनराशि आबंटित की जाती है जबकि राज्यों में आप देखते हैं कि राज्य बजटों के परिव्यय में से 15 से 20 प्रतिशत व्यय शिक्षा पर किया जाता है। 'शिक्षा' को समवर्ती सूची में इसलिये रखा गया था क्योंकि लोगों ने सोचा कि इससे कुछ एकरूपता आएगी, किन्तु समवर्ती सूची में होने से केन्द्र जहां विधान भी बना सकता है वहां बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि किया जाने वाला परिव्यय बहुत कम है और शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल है।

आज शिक्षा की स्थिति विशिष्ट वर्गोन्मुखी है और साधन तथा योग्यता के विचार को पृष्ठभूमि की ओर धकेल दिया गया है। आज हम देखते हैं कि पब्लिक स्कूल, दून स्कूल, सिंधिया स्कूल तथा अन्य स्कूल उस ग्रामीण स्कूल पर आधिपत्य जमाए हुए हैं जिसे और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारी जनसंख्या मूल रूप से ग्रामीण है। इसलिए शिक्षा की इस विशिष्ट वर्गोन्मुखी स्थिति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

राज्यों की वचनबद्धता में कई गुना वृद्धि हुई है। आप देखते हैं कि शिक्षकों के स्तर में सुधार किया जाना है, शिक्षण परिस्थितियों में सुधार किया जाना है। प्रायमरी, सेकेण्डरी तथा हाई स्कूल के लिए स्कूल-भवनों का निर्माण करने, शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था करने, रियायती दरों पर और अधिक पुस्तकों तथा पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करने, इन समस्त कार्यों के लिए केन्द्र की ओर से पर्याप्त राज सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। इस पर भी शिक्षा के लिए केन्द्र का परिव्यय अत्यन्त कम है। संसाधनों अथवा व्यय का कोई अन्तरण नहीं किया जाता है और शिक्षा का यह रूप अत्यन्त हतोत्साहित करने वाला है। विशिष्ट वर्ग सम्बन्धी पहलू के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। साधन और योग्यता सम्बन्धी विचार पृष्ठभूमि में चला गया है। आप देखते हैं कि उच्च शिक्षा आज व्यापार का माध्यम बन गई है। सीटें उन छात्रों को बेच दी जाती है जो पैसा दे सकते हैं। इस स्थिति में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। हमारी सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, पहली सरकार थी जिसने 1983 में प्रतिव्यक्ति शुल्क को समाप्त करने के लिए विधान पारित किया। किन्तु केन्द्र में इसे लागू नहीं किया गया है और इसीलिए, यह समस्या कुछ राज्यों में बहुत ही जटिल है।

राज्य सरकारें पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों की छपाई के लिए अधिकतर आर्थिक सहायता दे रही हैं।

किन्तु केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता इसलिए नहीं करती है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में एक मामला विचाराधीन पड़ा है जिसमें कि कागज विनिर्माताओं ने पाठ्य पुस्तकों और कापियों की आपूर्ति से सम्बन्धित वायदे पूरे नहीं किये। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या का समाधान करें क्योंकि इससे गरीब छात्रों को लाभ होगा। इस समतावादी

[श्री आनन्द गजपति राजू]

व्यवस्था में, जिसे स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं, किसी भी अन्य वस्तु से अधिक साधन और योग्यता महत्त्वपूर्ण है।

और फिर शिक्षा में प्रयोगीकरण पर बहुत-सा समय खर्च किया जा रहा है। शिक्षा प्रयोगीकरण का एक विशेष लक्ष्य बन चुकी है। बहुधा आप पायेंगे कि कोई कहता है कि हम 10+2+3 की प्रणाली अपनायें फिर कोई और आता है और कहता है कि हम 11+1+3 को अपनायेंगे आदि। अत: यह अब प्रयोग मात्र ही है। हमें इस प्रयोग के मार्ग से हटना चाहिए और एक सुदृढ़ विकास की ओर बढ़ना चाहिए। व्यवसायीकरण की उपयोगिता के बारे में कहना हर प्रकार से ठीक है। लोग समझते हैं कि विभिन्न व्यवसाय आरम्भ होंगे और होने चाहिए भी। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में पदार्पण कर रहे हैं और धुएं भरे उद्योग हमारे लिए विगत समय की चीज होंगी इसलिए हमें अपनी युवा-पीढ़ी को दूसरी औद्योगिक क्रांति के समय उद्योग में जाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। आज बहुशाखीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आज प्रत्येक व्यक्ति, व्यावसायिक शिक्षा के विकास के पक्ष में बोलता है। फिर भी शास्त्रीय शिक्षा का अपना स्थान है। विरोधी बात कही जाने के बावजूद शास्त्रीय शिक्षा का अपना क्षेत्र है। इसीलिए इस देश में शिक्षित बेरोजगारी का जन्म होता है।

जहां तक शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य का सम्बन्ध हैं उनकी जिम्मेवारी सरकार पर है। कुछ समय पहले सदन की कार्यवाही के समय एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि एक शिक्षित बेरोजगार लड़के को काम मिलने में कितना समय लगेगा और माननीय मन्त्री इसका कोई उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा जब समय आएगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को समाज में अपना स्थान जनाने से पहले और आर्थिक रूप से व्यवस्थित होने से पहले ही सेवानिवृत्ति लाभ मिल जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि कम से कम इस बात से सरकार को सहमत होना ही चाहिए।

जनशक्ति आयोजन की योजना अभी नहीं बनी है। इसमें एक बड़ी समस्या है। जब तक जनशक्ति योजना नहीं बनती और कार्य लोक नीति नहीं बनाई जाती तभी शिक्षा के सम्बन्ध में अहस्तक्षेप नीति नहीं हटाई जाती, मैं नहीं जानता कि इस दिशा में हम प्रगति कैसे कर पायेंगे।

इसलिए सारांश रूप में मैं कुछ कहना चाहूंगा। शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय परिव्यय की उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता है जिस प्रकार कि आधारभूत उद्योग कोर क्षेत्र में मिला लिए गए हैं। उसी प्रकार शिक्षा को अर्थ व्यवस्था के कोर क्षेत्र में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इसलिये शिक्षा को भी कोर क्षेत्र में मिलाने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य किसी भी किस्म के पूंजी निवेश से शिक्षा पर व्यय करना अधिक महत्वपूर्ण है।

मैं आपका ध्यान एक मुद्दे की ओर मिलाना चाहूंगा। आजकल विनिर्माण कार्य अधिक श्रम साध्य होता जा रहा है।

चूंकि कारीगरी और तकनीकी दक्षता वाले उत्पादन अधिक कम संबंध हैं अत: लोग पूंजी-करण के पीछे लगे हुए हैं इसलिये शिक्षा को कोर क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता है। इसके पश्चात जनशक्ति योजना की आवश्यकता है। इस दिशा में कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

इसके साथ ही छात्रों में अनुशासन और मानव प्रकृति का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है।

आप देखेंगे कि आजकल हाई स्कूल के विद्यार्थी और स्नातक खेतों में काम करने से मना करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे अन्य स्थान पर कार्य कर सकते हैं। अत: शिक्षा के माध्यम से उन्होंने कृषि में रुचि खोई और किसान समुदाय जो कि देश का सबसे बड़ा समुदाय है, में रहना नापसन्द किया। इसलिए आज ऐसी शिक्षा पद्धति के सृजन की आवश्यकता है जहां छात्र, व्यक्ति और युवा पीढ़ी-समाज के विकास में अधिकाधिक भागीदार रहे। इस सम्बन्ध में मुझे अमरीका में घटी एक घटना याद आ रही है। वहां एक पी० एच० डी० छात्र को जीविका नहीं मिली, तब उसने एक लारी चालक की नौकरी के लिए आवेदन किया।

जब उसने अपने लैटरहैड पर आवेदन पत्र दिया तो उसे नकारात्मक उत्तर मिला। पुन: उसने एक मजदूर की भाषा में प्रार्थना पत्र लिखा और कहा क्या तुम मुझे रोजगार दोगे या मैं तुम्हारे संगठन के बारे में कुछ करूं ? तत्काल उसे नौकरी मिल गई। यह इस बात का सूचक है कि जिस प्रकार एक पी० एच० डी० का विद्यार्थी लौरी—चालक के पद के लिए आ सकता है तो वहां की अवस्था भी इस देश जैसी ही होगी अत: अपनी शिक्षा पद्धति को उचित और वैज्ञानिक तरीके से पुन: निर्धारित करनी चाहिए और जैसा कि हम देख रहे हैं, इसे प्रयोग मात्र नहीं रखना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान केन्द्रीय विद्यालयों की ओर दिलाना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि यहां के अध्यापक लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं। इस प्रकार के लगभग 50,000 अध्यापक हैं। उनकी कार्य स्थितियों वेतनमानों आदि पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। अत: शिक्षा के मामले में ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जैसा कि सामान्यत: इसके बारे में सोचा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में इस वर्ष और आने वाले वर्षों में शिक्षा के लिए परिव्यय बढ़ाने की और किसी प्रकार की जनशक्ति-योजना बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय और सदन के विचारार्थ कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाल सका हूं।

धन्यवाद

कटौती प्रस्ताव का पाठ

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि शिक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 25-26) **में 100 कम किये जायें :**

देश में शिक्षा को सार्वजनीन बनाने के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता। (1)

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में व्याप्त कदाचार रोकने की आवश्यकता। (4)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

देश की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने के लिए अंग्रेजी शासन में लिखे गए भारत के विकृत इतिहास की पुन: लिखने की आवश्यकता। (5)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने में भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता। (6)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

केन्द्रीय विद्यालयों को समय पर पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की आवश्यकता। (7)

कि शिक्षा शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सीताब दियारा में खुला विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता। (8)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

प्राथमिक शिक्षा में एकरूपता लाने की आवश्यकता । (9)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की आवश्यकता । (10)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने की आवश्यकता । (11)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

बिहार राज्य के सारण जिले के मुख्यालय में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता । (12)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

बिहार राज्य के सारण जिले के छपरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण नामक एक विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता । (13)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

पटना में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता । (14)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

श्री ए० ई० टी० बैरी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकारों की सुरक्षा हेतु पग उठाने की आवश्यकता । (15)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

शिक्षु (अप्रन्टिस) प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित नीति का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता । (16)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन के लिए एक स्थायी आयोग स्थापित करने की आवश्यकता । (17)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरन) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाये ।

प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति को गुणात्मक तथा मात्रात्मक, दोनो ही रूप से सुदृढ़ करने में असफलता । (18)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए ।

देश में शिक्षा प्रणाली को लोकतंत्रात्मक रूप देने तथा उसके केन्द्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने में विफलता । (19)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए ।

व्यावसायिक शिक्षा का आधुनिक औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ कारगर ढंग से संबंध जोड़ने में विफलता। (20)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाये।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासन में अध्यापकों तथा छात्रों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने में विफलता। (21)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाए।

महिलाओं की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की तथा नगरीय निर्धन वर्गों की, शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता। (26)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाए।

महिला अध्यापिकाओं की और अधिक संख्या में नियुक्ति करने की आवश्यकता। (27)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

जलपाई गुडी (पश्चिम बंगाल) में अलीपुर द्वार में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता। (40)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

जलपाईगुडी (पश्चिम बंगाल) में दोआर तथा तराई में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रणाली के विद्यालय चलाने के लिए स्वयं सेवा संगठनों को प्रोत्साहित करने कीआवश्यकता। (41)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

पश्चिम बंगाल में दोआर तथा तराई में जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में केन्द्रीय विद्यालय की तरह का कम से कम एक-एक सरकारी विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता। (42)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

पश्चिम बंगाल के दोआर तराई में चाय बागानों के श्रमिकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त अनुदान देने की आवश्यकता। (43)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

पश्चिम बंगाल में दोआर तथा तराई में चाय बागानों में काम करने वाले कर्मकारों में प्रौढ़ महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। (44)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

पश्चिम बंगाल में दोआर तथा तराई में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की आवश्यकता। (45)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी अपनी मातृ भाषा में शिक्षा देने की आवश्यकता। (46)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर एक रुपया किया जाये।

समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के स्तर में प्रभावी सुधार करने की नीति बनाने में असफलता। (47)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें :

कूच बिहार, जलपाइगुड़ी, दिनाजपुर और मालदा की सामान्य कूच भाषा के विकास हेतु वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता। (48)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

क्षेत्रीय भाषाओं के तथा अंग्रेजी के सामान्य प्रचलित शब्दों को अपना कर हिन्दी को लोक प्रिय बनाने की आवश्यकता। (49)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (50)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

गरीब छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता। (51)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कैसेटों के माध्यम से हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने की आवश्यकता। (52)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

सिक्किम के लिए "सिक्किम विश्वविद्यालय" नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता। (53)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सिक्किम को दूसरे राज्यों के बराबर लाने के लिए, सिक्किम में और अधिक प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (54)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वाङ्मय को विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए अनुदान देने की आवश्यकता। (55)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरी बंगाल में कूच बिहार में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता। (56)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पश्चिम बंगाल में दोआर और तराई में चाय उद्योगों में काम करने वालों की मिली-जुली जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक तीन चाय बागानों के लिए कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता। (57)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पश्चिम बंगाल में दोआर और तराई के प्रत्येक चाय बागान में पर्याप्त संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए धन उपलब्ध कराने और यथास्थिति मातृभाषा हिन्दी, नेपाली, कुरुख, मुंडावी और खड़िया में छात्रों को शिक्षा देने की आवश्यकता। (58)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

शिक्षा की दृष्टि से पछड़े हुए अल्प संख्यकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए शिक्षा की कक्षायें चालू कराने की एक योजना आरम्भ करने तथा उन्हें सिविल सेवा की परिक्षाओं और अखिल भारतीय स्तर की अन्य भर्ती की परीक्षाओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता। (59)

1.32 म० प्र०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य पर यदि गंभीरतापूर्वक दृष्टिपात किया जाये तो कोई भी व्यक्ति जाने-अनजाने सम्पूर्ण इतिहास के विस्तृत आयामों का सिंहावलोकन करने के लिए विवश होगा। हमारे देश में शिक्षा के बारे में क्या कुछ घटित हुआ है वह एक लम्बी कहानी है, लेकिन मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ टिप्पणियां करके शुरू करूंगा।

यूरोप का पुनर्जागरण काल विज्ञान के जन्म का अग्रदूत बनकर आया जिसने एक ऐसे नवमानव को जन्म दिया जो हमेशा नये-नये साहसिक कार्यों एवं नये-नये विचारों के लिए व्यग्र था और इस नई सभ्यता की लालसापूर्ण दृष्टि उन नये-नये क्षेत्रों पर लगी थी जो उसे इतिहास एवं कहानियों के माध्यम से ज्ञात थे। सिन्धुघाटी मैदानी क्षेत्र पर सिकंदर महान के आक्रमणों के और उसके द्वारा की गयी लूटमार के समय से ही यूरोप वासियों के मस्तिष्क हमेशा भारत के रहस्यों एवं इसकी सम्पन्नता की कल्पनापूर्ण कहानियों से चकित एवं मुग्ध होता रहा है। हम उप महाद्वीप में आने और इसका अधिकतम विदोहन करने की संभावनाओं का पता लगाने के पीछे यूरोप वासियों के मन का यही सम्मोहन था इस प्रकार औद्योगिक क्रांति और सैनिक शक्ति की सजधज के साथ नई सभ्यता-जैसा कि वे इसे कहते हैं—का आगमन हुआ और इसके साथ ही अनेकों प्रकार की अकथ परेशानियों का भी पदार्पण हो गया और मेरे विचार से भवी संतुलन अथवा परमाणिक विभिधिका जैसी आधुनिक अवधारणायें उसी की देन हैं। वे भारत पहुंचे और मैकाले तथा हेस्टिंग्स के रूप में उपनिवेश वादियों की लहरों सन्ताने भी यहां गयी और उन्होंने भारत के हीरे जवाहरात की लूट पाट शुरु कर दी जैसा कि शेक्सपियर ने वर्णन किया है हमारी संस्कृती एवं संसाधनों-और हमारी परम्पराएं लाखों वर्षों से चली आ रही प्राचीन सभ्यता की परम्पराओं के विदोहन की इस सुदीर्घ कथा का सूत्र एक ऐसी व्यवस्था के हाथों में आ गई जो मैलिक रुप से ही उपनिवेश वादी थी अतः इसने हमारे राष्ट्रीय जीवन के उस आधार को ही नष्ट करने की कोशिश की जिसमें मेरे ख्याल से विज्ञान और अन्य शास्त्रों के क्षेत्र में उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने की प्राधान्य रहा था।

इस पृष्ठ भूमि के आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि यह केवल प्रतीकात्मक ही लगता हो, लेकिन जैसे-जैसे आरोप बर्बरता भारत में आती गई और नालन्दा, तक्षशिला विक्रमशिला जैसे ज्ञान के हमारे अमूल्य केंद्रों को एक साथ नष्ट करती गई, उसके साथ ही साथ --मैंने अभी-अभी नई सभ्यता के वेष में विस्तार की उपनिवेशवादी लालसा की उल्लेख किया है: इस योरुपीय ज्ञान की जानकारी के नये-नये केन्द्र स्थापित होते जा रहे थे जो कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड के रूप में, इस नई सभ्यता को वैचारिक आधार प्रदान कर रहे थे। लगभग दो शताब्दियों तक भारत को दिवालीया बना कर ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन सम्वर्द्धित तथा समृद्ध हुआ। हम पृष्ठभूमि में यदि हम यह देखें कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में और इस देश में शिक्षा को सामाजिक राजनितिक गतिशीलता को साधन बनाने की दिशा में कितना कार्य किया है तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ हमने किया है और जो कुछ हमें भविष्य में करना है। वह प्रत्यक्षरूप में हमें दिखाई देगा।

[प्रो० के० के० तिवारी]

स्वतंत्रता के बाद से ही महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और इंदिरा जी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। पिछले महीने, हम लोग, भारत में शिक्षा स्वरूप पर इंदिराजी के प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे। मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूं कि इस देश के उत्तरोत्तर सभी नेताओं ने शिक्षा की परिकल्पना सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण के एक शक्तिशाली साधन के रूप में की थी। हमने देश में फैले हुए 140 विश्वविद्यालयों 5000 कालेजों और हजारों स्कूलों के रूप में शिक्षा संस्थाओं का एक व्यापक बुनियादी ढांचा स्थापित किया है। लेकिन कुल मिलाकर मैं यह मानता हूं कि शिक्षा संस्थाओं को अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। जिस तरह की शिक्षा हमारे विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों में दी जा रही है मेरे ख्याल से—मैं एक अध्यापक की हैसियत से बोल रहा हूं—वह लगातार पुरातन, कालातीत और अव्यवहारिक होती जा रही है। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्कृति के नये-नये केन्द्र स्थापित करें और समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार की प्रगति एवं परिवर्तनों से नये सिरे से सम्पर्क बनायें। परन्तु न मालूम कैसे, हमारे विश्वविद्यालय हमारी नयी पीढ़ी में बौद्धिक गतिविधियों तथा सृजनात्मक प्रेरणा के जीवन्त गतिशील एवं प्राणवान केन्द्र बनने के बजाय, धीरे-धीरे— बल्कि मुझे कहना चाहिए तेजी से — जातिवादी गुटों, साम्प्रदायिक गुटों एवं क्षेत्रीय गुटों के पारस्परिक आन्तरिक संघर्षों के केन्द्र बनते जा रहे हैं। शिक्षा संबंधी यह स्थिति जैसा कि यह प्रतीत होती है, भयंकर है। इस संबंध में शिक्षा नीति के निर्माताओं की असफलता अत्यंत निराशाजनक है। हमें शिक्षा को, विकास की अपनी समग्र नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना है। शिक्षा न केवल मनुष्य के मस्तिष्क को एकरूप देती है बल्कि यह उसके भौतिक परिवेश को भी विकसित करती है। इसलिये शिक्षा एक सम्पूर्ण साधन है, यह प्रगति का साधन है। दुर्भाग्यवश, हमारे योजना निर्माता राष्ट्रीय जीवन की समृद्धि के कारक के रूप में शिक्षा के दूरगामी महत्व को अब तक और हर स्तर पर पूर्णतया भूले हुए प्रतीत होते है। हमें इन कमजोरियों और गलतियों को ध्यान में रखना चाहिये जिनकी संख्या काफी है। यदि मैं शिक्षा संस्थाओं की इन गलतियों को गिनाना शुरू कर दूं (विशेषतौर से उन संस्थाओं की जिन्हें नीति निर्धारण का कार्य सौंपा गया है) तो इसमें घंटों लगेंगे। अतः मैं इन गलतियों की सविस्तार चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा नीति किस हद तक व्यर्थ एवं निरर्थक प्रयास सिद्ध हो चुकी है। एक ओर तो हम दावा करते हैं जो कि ठीक भी है कि हम इंजीनियरों प्रविधिज्ञों तथा डाक्टरों आदि जैसे प्रशिक्षित कर्मचारियों के मामले में संसार में तीसरे नम्बर पर हैं, परन्तु दूसरी ओर हमारी बड़ी अजीब स्थिति भी है कि इस देश में साक्षरता की दर भी सबसे कम है। यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति है जिसे और ज्यादा समय तक न तो जारी रहने दिया जा सकता है और न ही जारी रहने दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मैं प्रधान मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस स्थिति की समगता को ध्यान में रखा है। महोदय, अलबत्ता, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के अपने परिणाम होते हैं और इन परिवर्तनों को सामाजिक-तनावों का उदाहरण कहने का आम रिवाज-सा हो गया है। विकास की प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों ने लोकतांत्रिक जीवन में भागीदारी की प्रक्रिया ने और एक समता वादी सामाजिक व्यवस्था लाने तथा न्याय प्राप्ति का प्रयास सुनिश्चित करने के हमारे दृढ़ संकल्प ने अपनी-अपनी भूमिका निभायी है और अब इसमें

ऐतिहासिक और व्यापक परिवर्तन हो रहे है। मेरे विचार से शायद यह मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है जहां अत्यधिक पिछड़ेपन वाले बौद्धिक एवं भौतिक संसाधनों के शोषण एवं लूट के लम्बे इतिहास वाले इतने विशाल देश में, लोकतांत्रिक से इतने व्यापक एवं शक्तिशाली परिवर्तन परिवर्तन हो रहे हैं। यह भी एक उदाहरण ही है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया सफल हो रही है। उन्होंने चुनौतियों का आवाहन किया है, उन्होंने लोगों को संगठित किया है, वे विकास की दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लाखों-करोड़ों लोगों को सहभागी बनाने का आधार तैयार रहे है, परन्तु इस प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक संगठन, संगठित संस्थान तथा नीति संबंधी ढांचे निश्चय ही अपर्याप्त दिखाई पड़ते हैं। इस संदर्भ में, हमें यह अदश्य स्वीकार कर लेना चाहिये कि जो कुछ भी हमने किया है, वह बहुत सहायक हुआ है और हमने आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है और साथ ही हमने आर्थिक विकास का बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त भी कर लिया है। परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में, पता नहीं कैसे दो चीजों का समावेश नहीं हो पाया हैं एक तो है शिक्षा प्राप्ति का आधारभूत प्रयास जिसे उत्कृष्टता प्राप्ति का प्रयास मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का प्रयास और सत्यानुसंधान कहा जाता है। यह बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज है जिसे हम अल्पसंख्यक संस्कृति की संज्ञा दे सकते हैं और साथ-ही-साथ यह विकास एवं सामाजिक न्याय का अनिवार्य तत्व भी कहा जा सकता है जिसके लिये व्यापक स्तर पर शिक्षा की आवश्यकता है। व्यापक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे प्रारम्भिक शिक्षा के व्यवसायीकरण द्वारा इसे सर्व सुलभ बनाने जैसे कार्य में हमारी असफलतायें साफ दिखाई देती हैं। इन क्षेत्रों में, हम लगातार असफल रहे हैं और पता नहीं कैसे शिक्षा नीति के निर्माताओं ने इस स्थिति की ओर विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं और अन्य संगठनों की मांगों की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। इस संदर्भ में, मैं नई शिक्षा नीति की घोषणा का उल्लेख करूंगा, यह नई नीति प्रधान मंत्री द्वारा बनाई गई है। माननीय प्रधान मंत्री ने इसमें हमारे देश की आगामी पंथकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा है, हालांकि कुछ लोगों ने अपने देश को 21वीं सदी में ले जाने के हमारे प्रयासों पर बड़ा तीखा व्यंग्य किया है।

महोदय हम 21वीं सदी में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। 21वीं सदी कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। लेकिन हमें अपनी प्राप्तियों तथा सभी लड़कियों के लिये शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, इसे सर्वसुलभ बनाने, नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा और शिक्षा संबंधी उद्यमों में अधिकतम सृजनात्मक प्रयास करने जैसे शिक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा को एक साथ मिलाकर देखना चाहिये। इन क्षेत्रों में मुझे कुछ सुझाव देने हैं और मैं चाहूंगा हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इन चुनौतियों के प्रति विशेष सक्रियता से कार्य करें। महोदय यह प्रभुता सम्पन्न सदन माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार की खास भूमिका के बारे में भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहेगा मैं कभी-कभी अराजकता की ऐसी स्थिति देखकर आश्चर्यचकित रह जाता हूं। भारत में क्षेत्रीय असमानतायें बढ़ रही है और क्षेत्रीय शक्तियां विभिन्न रूपों में उभर रही है। समुचित क्षेत्रीय महत्वकांक्षाओं को बढ़ावा जरूर दिया जाना चाहिये और समुचित महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के सभी प्रयास भी किये जाने चाहिये, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्रालय इन वर्षों में क्या करता रहा है? जबकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो कुछ हद तक एकरूपता लाने के लिये इस सदन में ही एक समुचित कानून बनाने के प्रयास क्यों नहीं किये गये?

[प्रो० के० के० तिवारी]

हम जरा विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों के पाठ्यक्रमों पर एक नजर तो डालें। जो खतरे आज इतने भीषण रूप में अपना सिर उठा रहे हैं उन खतरों के संबंध में अभी तक आप क्या कुछ बता रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थित विश्वविद्यालयों में आज क्षेत्रीय उग्रवाद, भाषाई उग्रवाद और साम्प्रदायिक शक्तियां शासन कर रही हैं। सामुदायिक संगठनों ने अलग-अलग कालेजों की स्थापना कर ली है और इन साम्प्रदायिक संगठनों ने अपने-अपने धार्मिक व राजनीतिक संघर्षों के लिए छात्रों को कुछ इलाकों में हथियार बन्द करना भी शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में, शिक्षा मंत्रालय कोई समुचित कदम उठाने में पीछे क्यों रह गया है ताकि एक उपयुक्त कानून के माध्यम से शिक्षा संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जा सके।

शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना मात्र ही पर्याप्त नहीं होगा। कुछ राज्यों में पाठ्यक्रमों में तथ्यों को बहुत ही निरुपित किया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में राजनैतिक दृष्टि कोण तथा अननुमत्य घातक विचारधारा को रखा जा रहा है इन राज्यों में इन विश्वविद्यालययों में शिक्षा की विषय वस्तु से प्रासंगिता को निकाला जा रहा है। मैं यह जानता हूं कि यह एक विवादात्मक मामला है जिससे सभा में आवेश पैदा हो जाएगा। लेकिन मुझे उस विचरन का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए जिनकी एक धर्मनिरपेक्ष समाज एक ऐसे समाज में जो लोकतांत्रिक समाजवाद और विचार स्वतंत्र्य के लिए वचनबद्ध है। कभी भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल में इतिहास में तथ्यों को किस प्रकार निरुपित किया जा रहा है। हमें पश्चिम बंगाल पर गर्व हुआ करता था। बंगाल से ही भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण आरम्भ हुआ था। पश्चिमी बंगाल के महान नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही साथ सांस्कृतिक पुर्नजागरण का कार्य भी शुरू किया था। इसने भारत की जनता को एक सूत्र में बांधा जिसके परिणामस्वरूप अन्त में आजादी मिली। उसी पश्चिमी बंगाल के कुछ राजनैतिक पार्टियों के प्रतिस्पर्धा वर्गों ने निरर्थक राजनैतिक दाव पेंच का अखाड़ा बना दिया है। इस बात को कहने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विभिन्न शिक्षा निकायों तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के विभिन्न विश्व विद्यालयों के लिए कितनी निधियां मंजूर की गई है मैं यह भी चाहता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में इन विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की सूची को भी शिक्षा मंत्री देखें। यदि आप सूची को मंगवाएं, तो आपको पता लगेगा कि एक विशेष दृष्टिकोण सुस्पष्टतः राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाया गया है और दुर्भाग्यवश पश्चिमी बंगाल में हमारे लड़के तथा लड़कियों में मानसिक विकलांगता आती जा रही है शायद वे यह महसूस करते हैं कि मानसिक विकलांगता और साम्यवाद में कोई प्राकृतिक सम्बन्ध है। यह दृष्टिकोण रोका जाना चाहिए मेरे पास समय बहुत कम है अन्यथा मैं इसके विस्तार में जाता .....(व्यवधान)।

मैं यह महसूस करता हूं कि पश्चिमी बंगाल में सार्थक शिक्षा हो जानी चाहिए।

और फिर शिक्षा के सम्बन्ध में नये पकेज कार्यक्रम के साथ शिक्षा मंत्रालय को साम्प्रदायिक चुनौतियों जातिगत चुनौतियों और उग्रवादी वर्गों तथा पार्टियों द्वारा हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और देश की एकता को दी गई विभिन्न किस्म की चुनौतियों की ओर ध्यान देना चाहिए। अतः शैक्षिक-

पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किए जाने चाहिए कि हमारी ऐतिहासिक परम्पराएं आजादी के लिए हमारी लम्बी लड़ाई, धर्मनिरपेक्षता की हमारी परम्पराएं, हमारी समाजवादी आकांक्षाएं और लोकतांत्रिक बुनियाद जो हमने अपना महान बलिदान देकर इस देश में डाली है, पूर्णतः हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रतिबिंबित होनी चाहिए जिससे हम ऐसे युवा पैदा कर सकें जो हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध हों।

श्रीमान, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि हमने सरकार और जनता के रूप में जो भी सामाजिक वायदे किए हैं उनकी तुलना में विश्वविद्यालयों की ओर से उन्हें पूरा न करने के सम्बन्ध में आपका क्या करने का विचार है। अब विश्वविद्यालयों के सामाजिक वायदे शायद पूरे नहीं हो रहे हैं। और एक अलग किस्म की प्रकृति पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि किसी ने उल्लेख किया था। कार्य प्रकृति शैक्षिक प्रवृत्ति वचनबद्धता सम्बन्धी आचार के सम्बन्ध में विभिन्न विश्वविद्यालय अलग-अलग रूप से योजनाएं बना रहे हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जितना भी कम कहा जाए अच्छा है। इस प्रकार कहने के लिए मुझे क्षमा किया जाए। इस शीर्ष संस्था जिसे उच्च संस्थानों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की क्रियाकलापों को समन्वित करने की अपेक्षा के कार्य निष्पादन के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। दुर्भाग्यवश श्रीमान तो अब यदि यह पहले ही उपसंगत नहीं बनी थी यह निकाय बिल्कुल असंगत बनती जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पूर्णरूप से बदले जाने की आवश्यकता है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो भी व्यक्ति है। उनका ज्ञान और दृष्टिकोण हमारी शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इसका परिणाम यह है कि निकाय बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। मैं यह नहीं जानता हूं कि क्या यह केवल कुछ योग्य व्यक्तियों के विदेशों में भ्रमण करने को सुनिश्चित करने के लिए ही है। अतः यदि भारत में शिक्षा को सार्थक बनाना है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य को ठीक प्रकार से देखना होगा।

श्रीमन मुझे वित्त मंत्रालय के बारे में एक या दो शब्द कहने हैं हम इसके बारे में जोरदार वक्तव्य देते रहे हैं और जोरदार नारे लगाते रहे हैं। लेकिन ईमानदारी यह है कि उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही के लिए जोरदार नारे विकल्प नहीं हो सकते हैं अब शिक्षा मंत्रालय एक बहुत सी सक्षम व्यक्ति के अधीन है। जिस पर हम सबको गर्व है। जबसे वह शिक्षा मंत्री बने हैं उन्होंने शिक्षा की चुनौतियों की ओर अपना पूरा ध्यान दिया है। लेकिन शिक्षा के लिए योजना परिव्यय में जिन अल्प संसाधनों को हम देखते हैं। वे घोषित या आंशिकरूप से घोषित सभी उद्देश्यों को किस प्रकार कार्यरूप दे सकते हैं।

वे एक विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। आप उन उद्देश्यों को किस प्रकार कार्यान्वित करने जा रहे हैं। उदाहरणस्वरूप व्यावसायिकीकरण को ही लीजिए। वर्ष 1990 के अन्त तक प्रत्येक जिले में एक मॉडल विद्यालय खोलने का आपका विचार है। यदि आप धन नियतन को देखें तो आपको घोषित उद्देश्यों और निधियों के नियतन में अन्तर का पता लगेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए 15.30 करोड़ रुपये और प्रौढ़ साक्षरता के लिए केवल 39 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वर्ष 1990 के अन्त तक प्रत्येक जिले में एक मॉडल विद्यालय के लिए योजना के पहले वर्ष में एक करोड़ रुपया रखा गया है।

[प्रो० के० के० तिवारी]

शिक्षा मंत्रालय के लिए यह धन का नियतन है। व्यवसायिकीकरण तथा तकनीकी शिक्षा के लिए केवल 51 करोड़ रुपये हैं जबकि वर्ष 1985-86 में इसके लिए 44 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था। यह आश्चर्यजनक है कि वर्ष 1985-86 के केन्द्रीय योजना परिव्यय में शिक्षा के लिए केवल 221 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय कैसे रखा गया है। यह बजट का केवल 1.19 प्रतिशत है जो वर्ष 1952 से आयोजना अवधि के इन सभी वर्षों में शिक्षा के लिये सबसे कम बजट की व्यवस्था है।

मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के जनता की दशा को सुधारने के लिए शिक्षा को एक टूल बनाने तथा उन सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने जिनकी हमने अपने संविधान में व्यवस्था की है संकल्प को पूरा करने के संबंध में कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के अधिकारियों के विचारों के अन्तर है।

योजना आयोग और वित्त मंत्रालय एक ओर यह मानते हैं कि इस देश को सामाजिक न्याय और इसका तेजी से विकास निरंतर शिक्षा के प्रसार से ही सुनिश्चित होगा। उनके सोचने में कुछ भ्रम हो सकता है, शिक्षा एक दीर्घकालीन निवेश है। अत: शिक्षा का फल कुछ समय के पश्चात् ही निकलना शुरू होता है। लेकिन जब तक आप लोगों को साधन सम्पन्न और शांतिप्रिय नहीं बनाते और उन्हें हमारी समस्याओं की जटिलता तथा महत्व का बोध नहीं कराते आप इस देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

मुझे खुशी है कि शिक्षा मंत्री अध्यापकों की समस्या की ओर ध्यान देते रहे हैं। शिक्षा के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शायद एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा प्रमुख घटक है। लेकिन जिस ढंग से अध्यापकों के साथ व्यवहार किया जाता है, वह अच्छा नहीं है। चाहे वह अध्यापक विश्वविद्यालय का हो या प्राथमिक विद्यालय का।

वेतनमानों के बारे में अध्यापक 1972 से ही प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। वर्ष 1975 में एक घोषणा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उनके वेतनमानों में संशोधन किये गये। वर्ष 1973 से विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न वेतनमान रहे हैं, अर्थात् पश्चिमी बंगाल में अध्यापकों को वर्षों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से वंचित रखा गया है। यह विषमता अभी भी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

प्रो० के० के० तिवारी : शिक्षा के संबंध में एक उचित नीति आवश्यक है, जिससे लोग अत्यधिक सहनशील बन सकें और नये विचार प्रकट कर सके। (व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आये आप उत्तर दे सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : अब केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं क्षेत्रीय असंतुलन की बातें करता रहा हूं। क्षेत्रीय असंतुलन बेरोक-टोक बढ़ रहा है। शायद हम विकास प्रक्रिया में अन्तर्निहित दायिकी के विकास करने की उस प्रक्रिया में है जिससे क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर किया जा सकता है और देश में समान दर से वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस अन्तर को क्यों रखा जा रहा है अर्थात् केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था कर रही है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनके लिये निधियों की व्यवस्था कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है। जो सफेद हाथी बन गये हैं।

2 00 म० प०

जनसंख्या, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं परम्पराओं तथा इतिहास के अनुसार बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में पिछले 15 वर्षों से एक मांग है। शायद एक प्रस्ताव है, कि पटना विश्वविद्यालय जो देश का पांचवा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है का केन्द्र द्वारा अधिग्रहण किया जायेगा। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आकार आदि पर ध्यान न देते हुए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए और इन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने पर उन्हें क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक मॉडल संस्थानों के रूप में कार्य करना चाहिए जिससे आप केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, उनके पाठ्यक्रमों उनके कार्यकलापों अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी विचारधारा के मध्य समन्वय बनाये रख सकें। इन असंतुलनों को इन सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों की स्थापना से ही दूर किया जा सकता है।

मैं इस बात का पक्षधर हूं वित्त मंत्रालय को आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक नीति की घोषणा की है और शिक्षा मंत्रालय की मांग में दिखायी राशि बहुत कम है और वे आने वाले दशकों में चुनौतियों को पूरा करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : माननीय सभापति जी, आज हम शिक्षा पर एक विशेष स्थिति में बहस कर रहे हैं। आज जब हमारी नयी शिक्षा नीति बनने वाली है, इस स्थिति में मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आज की यह बहस न केवल कल के लिये, बल्कि आगे आने वाले समय के लिये, बहुत लम्बे समय के लिये नीति निर्धारक होगी और माननीय सांसदों के सुझाव शिक्षा नीति के उस परिवेश में सन्निहित होंगे।

आज जब हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तब यह प्रश्न पैदा होता है कि यह स्थिति क्यों आई कि आज हम नई शिक्षा नीति पर नये रूप से सोचें, नये ढंग से उस पर विचार करें? माननीय राजू साहब और प्रो० तिवारी जी ने जो कुछ कहा है, मैं उन लोगों से बहुत सारे बिन्दुओं पर सहमत हूं। माननीय पंत जी जैसे मंत्री को शिक्षा मंत्री के रूप में देखकर भी मुझे बहुत प्रसन्नता है पंत जी के बारे में यह कहा जाता है—"कूल, कैलकुलेटेड तथा कन्सीडरेट।" 1971 से 1976-77 तक

[श्री डी० पी० यादव]

जिन-जिन मंत्रालयों को पंत जी ने सम्भाला, मैं भी उस समय उनके साथ मंत्रिमंडल का सदस्य था, वे मंत्रालय बहुत अच्छे ढंग से चले। इसमें उन्होंने नाम कमाया। लेकिन मुझे एक बात का भय है कि जिस प्रकार से मेरे जैसा गरीब व्यक्ति 6 साल तक शिक्षा मंत्रालय में फंसकर बाहर आया और आज जिस उदासी का अनुभव कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पंत जी भी, जब शिक्षा मत्रालय से बाहर जायें तो उदासी का अनुभव करें। इस बात से मैं थोड़ा घबरा रहा हूं।

आज पंत जी की स्थिति क्या है? एक किचन में, रसोई घर में, एक रसोइया का सामान जितना है उतना ही रहेगा। अगर कोई कहे कि योजना की राशि से बहुत अधिक धन शिक्षा पर लगा दिया जाय, तो वह प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि कोर सैक्टर में जितने भी आइटम्ज हैं, जब हम उनमें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शिक्षा पर भी हमको कुछ टाइट हो कर चलना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि इनकी स्थिति क्या है? एक ऐसे रसोइए की तरह की है, जैसे किचन में दो तरह के रसोइए होते हैं, एक वह जो खाना पकाना नहीं जानता, घर के सारे सदस्यों को जैसे-तैसे खाना बनाकर खिलाता है, रोटी जला देता है, सब्जी जला देता है, दाल जला लेता है, लेकिन एक दूसरा रसोइया वह होता है जो कम साधनों से भी अच्छा भोजन बनाकर परिवार के सब सदस्यों को खिलाता है। आज पंत जी की स्थिति यही है।

प्राय: यह कहा जाता है कि शिक्षा पर हमने उचित साधन नहीं लगाए है या उचित व्यवस्था धन के मामले में नहीं की, यह बात प्रचारित होती है। मैं समझता हूं कि यह डिफीटिस्ट टेन्डैन्सी वाली बात होगी कि हमने शिक्षा पर साधन नहीं लगाए। 1950 के मुकाबले में देश की आबादी दुगनी हो गयी है। अगर साधन नहीं लगाए होते और शिक्षा का कुछ विकास न किये होते, तो 1950 में जो स्थिति थी, उससे दुगनी उपलब्धि ही आज होती। मैं 'इण्डिया 1983' का एक अंश आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

"वर्ष 1982-83 के लिए उपलब्ध बजट अनुमानों के अनुसार शिक्षा पर केन्द्र और राज्य सरकार का कुल बजट व्यय 5,251.44 करोड़ रुपये हैं जो कुल बजट अनमानों का 9.6 प्रतिशत है।"

[हिन्दी]

प्लान और नान-प्लान, स्टेट और सेन्टर का जो कुल खर्च शिक्षा पर होता है, उसको हम देखें तो पाएंगे कि राष्ट्रीय व्यय का 10 प्रतिशत हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि यह कोई कम खर्च नहीं हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेच और स्ट्रेस करेंगे, तो इधर-उधर से थोड़ा और पैसा मिल सकता है लेकिन बहुत अधिक धन मिलने की उम्मीद शिक्षा मंत्रालय न करे। मेरे जैसा साफ और स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति यह कह सकता है कि जो कुछ काम करना होगा, वह इसी सीमित साधन से करना होगा। दस, सवा दस, साढ़े दस और पौने ग्यारह प्रतिशत खर्च प्लान और नान-प्लान में शिक्षा मद के लिए चुकाना होगा।

1950-51 में क्या स्थिति थी और आज स्थिति क्या है, इसका हम अवलोकन करें। कालेजों की स्थिति देखें, तो यह पाएंगे कि 1950-51 में इस देश में कुल 816 कालेज थे और आज 8,636 कालेज हैं। स्कूलों की संख्या उस समय 2,86,010 थी और आज 6,77,180 है और स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक करीब 11 करोड़ है। कालेजों के शिक्षक और स्कूलों के शिक्षक, टैक्निकल और नान-टैक्निकल सारे अध्यापकों की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं, तो वह 40 लाख से कम नहीं है। 10 परसेन्ट बजट का हिस्सा, 40 लाख शिक्षक और 11 करोड़ शिक्षार्थी, इसमें ही हम कैसी शिक्षा देंगे, कैसी शिक्षा दे रहे हैं और कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में हमें एक अच्छे रसोइये की तरह सोचना होगा और यह सोचना होगा कि नई शिक्षा हमारी कैसी होगी।

मैं आंकड़ों के फेरे में अधिक जाना पसन्द नहीं करता क्योंकि सारे स्टेटिस्टिक्स किताबों में लिखे हुए हैं लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती पंत जी, आपको मिली है और प्रधानमंत्री जी ने आप जैसा कर्मठ सहयोगी इसके लिए चुना है और आप में आशा है कि आप शिक्षा को नया रूप दें और आयाम बदलें चाहे इसके लिए कटुता ही आपको मोल क्यों न लेनी पड़े।

शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, इसको हम और पूरा सदन अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि प्लानिंग कमीशन के एप्रोच पेपर में कहा गया है :

[अनुवाद]

'विकास, न्यायपरता तथा सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, उन्नत कार्यकुशलता, उत्पादकता देश की प्रचुर जन संसाधनों को काम में लाना तथा क्षमता जनशक्ति प्रबन्ध कार्यक्रम में सुधार करना,"

[हिन्दी]

ये सारी चीजें हम और आप सब जानते हैं लेकिन यह हो कैसे ? अभी तक जो हमने शिक्षा दी है, वह क्या है और कैसी शिक्षा हमको देनी चाहिए, इन सारी बातों पर गहराई से सोचना होगा। यह किसी दल का सवाल नहीं है, यह सवाल पूरे राष्ट्र का है। इस दल ने यह कहा और उस दल ने वह कहा, यह सवाल नहीं है। आज सवाल यह है कि राष्ट्र के सामने आगे आने वाली पीढ़ी किस प्रकार की हो और किस प्रकार से हमें एजूकेशनली और एकेडेमीकली उसे सुधार करना है। उनको इनपुट्स के बारे में सुधार करना होगा। आज जो हो रहा है, उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता। जब ऐसी बात है तो हम एक अच्छे भविष्य की रचना नहीं कर सकते। हम एकेडेमिक सेमीनार्स, कान्फ्रेंसेज कर सकते हैं, रिपोर्टें लिख सकते हैं।

कोठरी कमीशन आया। अभी डी० पी० चट्टोपाध्याय कमीशन की बहुत बड़ी रिपोर्ट आई। रईस अहमद कमीशन आया। लेकिन इन सब रिपोर्ट के बावजूद कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जो इनको लागू करने में बाधक हैं जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो थोड़ी घबड़ाहट होती है।

मैं लोक सभा का एक सदस्य होने के नाते गांवों में जाता हूं और वहां गावों के लोगों से मिलने

[श्री डी० पी० यादव]

और उनसे बात करने की मेरी आदत है। मैं वहां 5-6 पंचायतों के लोगों की गोष्ठी करता हूं उनमें लोगों को बुलाता हूं और दिन-भर उनसे बातें करता हूं और हरेक बिन्दु पर उनसे पूछता हूं कि इस पर आप बताइए। उनसे बातें करने के बाद चार पांच पन्नों की एक प्रोसीडिंग ड्रा करता हूं। वे लोग शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं इसको केवल आप जान लीजिए। मैं आपको केन्द्रीय शिक्षा मंत्री नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री कहना चाहता हूं। आप सेन्मेल मिनिस्टर नहीं नेशनल एजूकेशन मिनिस्टर कहलाइए। शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे किसान भाइयों के क्या विचार हैं जरा उनको सुन लीजिए।

सरकारी विद्यालयों की अवस्था दयनीय है। स्कूलों की छत गिर रही हैं या गिर गई हैं। छात्रों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। शिक्षक समय पर नहीं आते। कई क्षेत्रों में प्राइमरी या मिडिल स्कूल नहीं हैं।"

दूसरे—

"प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। प्रायः सभी जगहों से स्कूल भवन की कमी की शिकायत आई। परीक्षा में नकल की परिपाटी के कारण स्थिति में काफी गिरावट आई है जिसे रोका जाना चाहिए।"

तीसरे—

"अनेक प्रतिनिधियों ने प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक की अनुपस्थिति एवं समय की पाबंदी को लेकर असंतोष व्यक्त किया। प्राथमिक पाठशालाओं का भवन नहीं रहने से पढ़ाई में दिक्कत होती है। प्रत्येक पाठशाला में बच्चों के लिए पीने के पानी क्या शौचालय की कमी है।"

चौथे—

"स्कूल और कालेज शिक्षा के स्तर की अवनति पर आम लोगों ने चिन्ता व्यक्त की शहरी और गैर-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए स्कूल भवन की अत्यधिक कमी है।"

गांव का आदमी कहता है कि स्कूल-भवन की कमी है और हम कहते हैं कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करें। आमूलचूल परिपर्तन करने के लिए पहले हमें बैठकर यह सोचना होगा कि पढ़ाने के लिए हमारे पास स्थान नहीं और क्या बिना प्राइमरी स्कूल भवन बनाए क्या हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं ? यह बात हम सबको खुलकर कहनी चाहिए। चाहे इस दल के लोग हों, चाहे उस दल के लोग हों सभी को यह बात कहनी चाहिए कि अगर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं तो उसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वे पढ़ाने क्यों नहीं जाते हैं, इसके लिए उन पर अंकुश लगाना चाहिए।

आज देश में 33 लाख प्राइमरी टीचर हैं और सात लाख हाई स्कूल कालेज के टीचर हैं।

इतना बड़ा मेनपावर अगर अन्यमनस्क हो काम न करे तो मैं समझता हूं कि शिक्षा में हम कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

हमें कन्टेन्ट आफ द टीचर्स एजूकेशन, अर्थात् शिक्षक खुद पढ़ाने लायक हैं या नहीं इसको भी देखना होगा। बहुत जगह मैंने अनुभव किया है खुद शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं हैं। कैसे उसको पढ़ाने लायक बनाया जाए, उसके ज्ञान में वर्द्धन किया जाए, इस पर एक राष्ट्रीय नीति एक नेशनल प्रोग्राम बनाना होगा। शिक्षक सक्षम हो जिससे कि वह गलत चीजें बच्चों को नहीं पढ़ा सके। ट्रेनिंग आफ टीचिंग और एजूकेशनल कन्टेन्ट और एकेडेमिक साउन्डनेस अलग-अलग चीजें हैं। सबजेक्ट मेटर का जो कन्टेन्ट है उसका ज्ञान अगर टीचर को नहीं है तो वह कैसे सही ज्ञान बच्चे को दे सकता है। सब्जेक्ट मेटर का ज्ञान उसको होना चाहिए। टीचर की ट्रेनिंग और किस तरह से वह अच्छा टीचर बने इनको मैं दो भागों में रखता हूं। नालेज आफ कम्युनिकेशन भी जरूरी है।

आप जानते हैं कि टीचर के बारे में लोग क्या कहते हैं कुछ लोग इन्हें इन क्वालिफाईड टीचर, कुछ लोग लेस क्वालिफाईड टीचर, कुछ लोग वेडली क्वालिफाईड टीचर और कुछ लोग इललीसिटली क्वालिफाईड टीचर कहते हैं। कुछ लोग कहीं न कहीं से सार्टिफिकेट ले आए यह कहकर कि हम मास्टर बनेंगे, ऐसी स्थिति में आपको बहुत का शमला आगे बढ़ना होगा।

माडल स्कूल्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि माडल स्कूल्स की जो रचना है, उसके बारे में थोड़ा सा काशसली इसलिए सोचना होगा क्योंकि आलरेडी सेंट्रल स्कूल आपके पास है। वे कितने पापूलर हैं और लोगों को कितने प्यारे हैं, उसके अनुरूप माडल स्कूल्स की भी रचना होनी चाहिए। हम तो इसकी ताईद करते हैं कि माडल स्कूल्स होने चाहिए। इसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए।

एक बहुत नेक काम आपने किया है; इसके लिए खासकर के मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, वह है—"लड़कियों के लिए 12 वीं तक मुफ्त शिक्षा" इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए राज्य सरकारों को साधन मुहैय्या आप कराएंगे, इस मामले में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी एनुअल रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं, इस बजट के बाद आपको उनके बारे में नए सिरे से सोचना होगा। कुछ स्कीम्स में जो फण्ड्स आप खर्च कर रहे हैं, जैसे केन्द्रीय विद्यालयों में काफी पैसा दिया गया है, इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। कुछ और अधिक पैसा कमोबेश करके इसके स्टेंडर्ड और नेशनल डिसीप्लिन को मेंटेन करने के लिए देना होगा। जब हम एन० सी० ई आर० टी० का बजट देखते हैं तो वह 13-14 करोड़ का है। एन० सी० ई० आर० टी० का 14 करोड़ का बजट है, इतना पैसा खर्च करने के बाद हम उससे कमेंसुरेट बेनीफिट पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए कैसे माडलिंग करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, ये सारी चीजें हैं जिनको देखने की आवश्यकता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को आप पैसा दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप रिव्यू करवाइए दो तीन महीने के अन्दर खासकर एडल्ट एजूकेशन क्षेत्र में जो हमने देखा है, हमारा अनुभव है कि आपका पैसा कुछ बेकार भी जा रहा है। तो एक बार रिव्यू

[श्री डी० पी० यादव]

कराकर अपने डिपार्टमेंटल अधिकारियों से देख लें और ड्रास्टिक एक्शन लेने में हिचकिचाइए नहीं। साधनों की आज कमी है।

आपने एक बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार की है देश में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की "वोकेशनलाइजेशन आफ एजूकेशन," शब्द बहुत प्यारा है. बड़ा मोहक शब्द है, लोग कहते हैं कि वोकेशनलाइजेशन आफ एजूकेशन होना चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बढ़ई का जो लड़का काम करता है वह तो इन-बार्न वोकेशनलाइज्ड होता है, एक खेती करने वाले, सब्जी उगाने वाले का लड़का जन्म से ही वोकेशनलाइज्ड होता है, लेकिन उसके सम्बन्ध में हम क्या करने जा रहे हैं या प्रोफेसर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हैं। क्या राज-मिस्त्री को हम कुछ ट्रेनिंग देंगे। अगर हम वोकेशनलाइजेशन की बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से इन-बार्न ट्रेडस में लगे हुए लोहार, सुनार, बढ़ई, खेतिहर किसान, इन लोगों को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए या शार्ट टर्म ट्रेनिंग इनको कैसे दी जाए, यह वोकेशनल एजूकेशन का आधार बनाया जाना चाहिए यह आपके लिए लाभकारी होगा। इन चन्द्र शब्दों के साथ में जो अनुदान की मांगे हैं, उनका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर राय (बर्द्धवान) : सभापति महोदय, श्रीमन, मैं शिक्षा मंत्री द्वारा रखी गई अनुदान की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान निर्माताओं ने निर्देश दिए थे कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्षों से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा आवश्यक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। लेकिन आजादी के 37 वर्षों के पश्चात् भी 60 प्रतिशत से भी अधिक हमारी जनता अब भी अशिक्षित है।

जिस समय देश को आजादी मिली हमारी आबादी 38 करोड़ थी जिसमें से 14 प्रतिशत लोग अशिक्षित थे। लेकिन अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 42 करोड़ हो गई है। वास्तविकता यह है कि विश्व के अशिक्षित लोगों की संख्या के 50 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति भारत में हैं।

यह सच है कि कुछ सड़कों तथा पुलों के निर्माण तथा कुछ इस्पात संयंत्रों की स्थापना से विकास के संकेत मिलते हैं, लेकिन देश का वास्तविक विकास मानव संसाधनों के विकास में निहित है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अधिकांश श्रमिक किसान, शिल्पकार अभी भी अशिक्षित हैं। उनके अशिक्षित होने पर यह स्वाभाविक है कि हम उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं कर सकते। अशिक्षित लोग सामाजिक अन्याय और दबाव के प्रति संघर्ष कैसे कर सकते हैं। वे अपनी कार्यगत कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वे अपनी व्यक्तिगत आजादी की रक्षा कैसे कर सकते हैं।

50 के दशक के दौरान भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई खेर समिति ने यह सिफारिश की थी कि सर्वसुलभ शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के विचार से केन्द्रीय सरकार के बजट निर्धारण का

10 प्रतिशत और राज्य सरकारों के बजट का 30 प्रतिशत और सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। आजकल अधिकांश राज्य सरकारें अपने बजट नियतनों का लगभग 30 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर सकती हैं। लेकिन केन्द्र सरकार इस पद पर 2 प्रतिशत से भी कम खर्च करती है। अतः हम देखते हैं कि लक्ष्य उपलब्धि की तारीख निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। पहले यह 1960 थी फिर इसे बढ़ाकर 1970 किया गया, फिर, 1980 किया गया और अब वे 1990 की बात करते हैं। यदि सरकार की यह राजनैतिक इच्छा रही होती तो वे इस योजना को कार्यान्वित कर सकते थे लेकिन मुझे डर है कि वर्तमान मध्यवर्ती-भूस्वामियों की भारत सरकार का जनता को शिक्षित बनाने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है।

यही नहीं हम यह भी देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उपनिवेशवाद की छाया अभी भी विद्यमान है। लार्ड मेकले ने पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में यह कहा था कि यदि पश्चिमी शिक्षा की शुरूआत की जाती है तो इससे एक नया वर्ग पैदा होगा जो विदेशी शासकों और देश की जनता के मध्य एक बिचौलिये के रूप में कार्य करेगा। उनका रंग काला होगा, लेकिन वे विदेशी शासकों के विचार तथा व्यवहार का दास भाव से अनुसरण करेंगे। हम यह देखते हैं कि आज भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से हजारों इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि पढ़कर आ रहे हैं लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ये लोग अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए अक्सर विदेशों में जाते हैं। इस प्रकार प्रतिभा पलायन से देश को भारी नुकसान होता है क्योंकि उनको निर्धन जनता के धन के हितों पर शिक्षित बनाया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। यदि सरकार इसके बारे में गम्भीर रही होती तो इस शिक्षा को स्कूल स्तर पर आरम्भ कर सकते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को कृषि, पशु-पालन, डेरी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता था। कस्बों में रहने वाले छात्रों को पालिटैकनिक किस्म की शिक्षा दी जा सकती थी परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

मैं अब शैक्षिक संस्थानों के लोकतांत्रिक प्रबंध के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कोठारी आयोग और गजेन्द्र गड़कर आयोग ने बार-बार जोर देकर यह कहा था कि शैक्षिक संस्थानों में लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में अध्यापक कर्मचारियों अभिभावकों तथा छात्रों को प्रतिनिधियों का चुनाव कराना चाहिए लेकिन विश्वभारती अधिनियम में शैक्षिक संस्थानों के लोकतांत्रिक प्रबन्ध के इस आदर्श को नकारा गया है। विश्वभारती की कोर्ट में केवल पदेन सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं।

हम देखते हैं कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अध्यापक संगठन द्वारा लोकतांत्रिक प्रबन्ध के इस आदर्श को पक्ष का समर्थन किया जा रहा है लेकिन सरकार उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श अधिनियम की बात कर रही है। यह मॉडल अधिनियम क्या है ? विश्वभारती विश्वविद्यालय के माडल अधिनियम के अनुसार अध्यापक, छात्र और कर्मचारियों का कोर्ट या कार्यकारी परिषद में कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं केन्द्रीय विद्यालयों में सेवा करने वाले 25000 अध्यापकों की दुर्दशा के बारे में बताता हूं। इन अध्यापकों की सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है। तीन महीने का नोटिस देकर उनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता

[श्री सुधीर राय]

है। प्रबंध बोर्ड में उनके कोई प्रतिनिधि नहीं हैं और इनका अखिल भारतीय सचिव श्री एच० सी० सोनार को मुअतिल कर दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालयों के मुख्यालयों में, उनके घुसने पर रोक लगा दी गई है। अतः इन विद्यालयों की शिकायतों को देखने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने 23 मार्च को एक विरोध दिवस के रूप में मनाया था और वे अपना आंदोलन 24 अप्रैल को फिर करेंगे। इन केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को भी दिल्ली अध्यापकों की तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाना चाहिए।

पश्चिमी बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वाम-पंथी सरकार के आगमन के पश्चात सामूहिक नकल को समाप्त कर दिया गया है जो 70 के दशक के प्रारम्भ में एक अभिशाप बनकर रह गयी थी। किसी अध्यापक को निकाला नहीं गया है। किसी अध्यापक को जिंदा जलाया नहीं गया है। किसी अध्यापक को उसके विद्यालय या महाविद्यालय से कहीं जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया है यही नहीं, वे वर्ष 1973 से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। और प्राइमरी अध्यापक महाविद्यालयों के अध्यापक और विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर अध्यापक आदि सभी श्रेणियों के अध्यापकों को नियमित मासिक वेतन मिलता है। पश्चिमी बंगाल सरकार अपने बजट का लगभग 30 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती है।

विद्यालयों और महाविद्यालयों के लोकतांत्रिक प्रबंध के संबंध में हम देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल में सभी शैक्षिक संस्थानों में लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था है और यह समझ में नहीं आता कि इसे दलगत हस्तक्षेप के रूप में कैसे कलंकित किया गया है।

श्रीमन, हम देखते हैं कि अधिक एकरूपता लाने के नाम पर वहां एक अखिल भारतीय सेवा अर्थात् भारतीय शिक्षा सेवा बनाने का भी प्रस्ताव है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि इससे राज्य सरकार का प्राधिकार कम हो जाएगा क्योंकि हमारा विचार है कि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सरकारों की लागत पर केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को बढ़ाती है। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देते समय हमेशा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का पक्ष लेता है। क्यों? कलकत्ता, मद्रास या बम्बई जैसे मुख्य राज्य विश्वविद्यालय अक्सर निधियों की कमी के कारण कठिनाई का सामना करते हैं। अतः कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि कुछ विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए, जैसाकि मेरे विद्वान मित्र ने अभी अभी यह कहा है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। लेकिन, श्रीमन, क्या हमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कुछ सीखना है? क्या विश्वभारती, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे विद्यालयों का कार्यनिष्पादन कलकत्ता या बम्बई या मद्रास के विश्यविद्यालयों की अपेक्षा अच्छा है? अतः हम अधिक से अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के विचार का विरोध करते हैं। यहां तक कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि चूंकि शिक्षा एक राज्य का विषय है विश्वविद्यालय का कार्य चालन उनके अपने सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए और उन्हें अधिकाधिक स्वायत्तशासी बनाया जाना चाहिए, और हम यह देखते हैं कि अपने शैक्षिक संस्थानों की

व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार अध्यापकों के इन लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रख रही है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल के दो शिक्षा विधेयक अभी भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पड़े हुए हैं। एक विधेयक कुलपति की नियुक्ति के संबंध में है। पश्चिमी बंगाल विधान मंडल ने एक विधेयक इस बारे में पारित किया था कि कुलपति कोर्ट सीनेट के सदस्यों द्वारा चुना जाना चाहिए। एक अन्य विधेयक ट्रस्ट महाविद्यालयों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के बारे में है और वह विधेयक पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इन दो विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रतीक्षित है और मैं निवेदन करता हूं कि शिक्षा मंत्री इन दो विधेयकों को यथासम्भव शीघ्र निकलवाने की कृपा करें।

मैंने यह भी बताया था कि चूंकि शिक्षा के संबंध में बहुत थोड़ा नियतन किया जाता है, सरकार द्वारा की जाने वाली अधिकांश नीति घोषणाएं दिखावा मात्र ही हैं। अतः मैं शिक्षामंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह शिक्षा के लिए अधिक खर्च करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए मुझे कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है,

मैं यह नहीं समझती हूं कि सामान्य रूप से अभिस्वीकृत इस तथ्य पर जोर देने तथा उसे दोहराना आवश्यक है कि शिक्षा विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदान है। मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट में प्रवेश के कुछ आश्वासन दिलाने वाले आंकड़े दिये गये हैं और दृढ़तापूर्वक यह आशा की गई हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को सर्वसुलभ आवश्यक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के संविधानिक दायित्व को एक विनिर्दिष्ट तारीख तक पूरा कर लिया जायेगा। लेकिन मुझे डर है, मेरी अपनी शंकायें हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या 63.1 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर की 77.1 प्रतिशत है।

लड़कियों के प्रवेश के बारे में असंतोषजनक स्थिति, लक्ष्य प्राप्त करने में एक अन्य कठिनाई है, इस बात को मंत्रालय ने स्वीकार किया है। मैं यह जानती हूं कि शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की प्रतिशतता को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों में से एक उपाय "परीक्षा में बैठने से नहीं रोकना" सम्बन्धी नीति भी है। मेरा यह विचार है कि जब तक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां आज जैसी ही रहेगी तब तक सभी लड़के और लड़कियों को विद्यालयों में शिक्षा देना बहुत कठिन है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में भर्ती नहीं किये गये बच्चों में से अधिकांश बच्चे निर्बल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के होते हैं। और यह वर्ग विशेष रूप से वह होता है जिसको कोई लाभ नहीं मिला है और जिसका आर्थिक शोषण किया जाता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनमें 71 प्रतिशत लड़कियां होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े 9 राज्य में ही न पढ़ने वाले बच्चों के लगभग 80 प्रतिशत बच्चे पाये जाते हैं। विशेष रूप

[श्रीमती किशोरी सिंह]

से निर्धन परिवारों में 7 या 8 वर्ष की लड़कियों को सम्पत्ति समझा जाता है क्योंकि उनकी घरेलू काम में हाथ बटाने की आवश्यकता समझी जाती है। एक निर्धारित उम्र के पश्चात सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में लड़कियों को पढ़ने भेजने में पुरानी परम्पराएं तथा रूढ़िवादिताएं बाधक बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पढ़ाने आदि की सुविधाओं की कमी और पाठ्यक्रमों का रोचक न होने के कारण बच्चों में पढ़ने की रुचि घट जाती है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से बच्चे पहले वर्ष में ही विद्यालय में आना बंद कर देते हैं। अध्यापिकाओं की कमी के कारण भी लड़कियां विद्यालयों में पढ़ने के लिए नहीं आती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों की भी कमी रहती है जो बच्चों में विद्यालयों में आने की भावना पैदा कर सकते हैं तथा उनमें कुशलता पैदा कर सकते हैं।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि सरकार को इस कमी की जानकारी है। जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में 9 पिछड़े राज्यों का सम्बन्ध है ; इन राज्यों को 8000 अध्यापिकाएं नियुक्त करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजक योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये दिये गये हैं। वास्तव में यह एक सही कदम है। लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। आखिरकार कितनी अध्यापिकाएं अध्यापन कार्य कर रही हैं ? प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर जितने भी अध्यापक हैं वे उसके एक तिहाई से भी कम हैं।

मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार को विद्यालयों की इमारतों के लिए अधिक निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए तथा उनमें समुचित सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। यहां तक कि कम से कम निर्धन परिवारों की लड़कियों के लिए दोपहर के भोजन और वर्दी की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं पुरजोर सिफारिश करती हूं कि इस उद्देश्य के लिए जितनी भी निधि की आवश्यकता हो, उपलब्ध करायी जानी चाहिए। मैं निरंतर शिक्षा के समर्थन की व्यवस्था के रूप में शिक्षा की एक गैर-औपचारिक प्रणाली की शुरुआत की सराहना करती हूं। रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम को बल मिला है। वर्ष 1984-85 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल 35 लाख विद्यार्थी आ जायेंगे जिनमें से 29.12 लाख विद्यार्थी शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए 9 राज्यों के होंगे।

श्रीमन, इस योजना का विस्तार प्रभावशाली है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि विभिन्न केन्द्रों पर कार्य का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चूंकि मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में जब अत्यधिक दौरे किये, मैंने वहां कोई गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं देखा और न कोई प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र देखा है। अतः मैं कोई भी सुझाव देने में असमर्थ हूं। फिर भी मेरा यह सुझाव है कि बच्चों तथा प्रौढ़ों को आकर्षित करने के लिए उचित प्रचार किया जाना चाहिए।

प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम एक अन्य सराहनीय कार्य है जिसके माध्यम से निरक्षरता को समाप्त किया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार, 1990 तक 50 मिलियन शिक्षित हो जाएंगे।

इतना अधिक शोरगुल है कि शिक्षा प्रणाली देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है कोठारी आयोग की भी सिफारिशें हैं। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है जो अभी भी चलती है। देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं में शिक्षा का सहयोगी बनाने के विचार से हमारी शिक्षा

प्रणाली में 10+2+3 के सिद्धान्त की शुरुआत करने के लिए सिफारिश की गई थी और यह भी सिफारिश की गई थी कि +2 स्तर पर विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह खेदजनक है कि 16 वर्षों के पश्चात भी व्यावसायिक शिक्षा की इस शिफारिश को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है। कुछ राज्यों ने +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू की है लेकिन +2 स्तर की स्थिति के बारे में या कोई एकरूपता नहीं कि इसकी शुरुआत स्कूल से या जूनियर कालिज से होनी चाहिए। +2 स्तर और व्यावसायिक शिक्षा के लिए लगभग 28 विद्यालयों को छांटा गया है। लेकिन हमारे इंटरमीडिएट कालिज भी है जो डिग्री कालेजों के अतिरिक्त है। वास्तव में +2 स्तर जूनियर कालेजों में होना चाहिये।

इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि इसके बाद क्या तरीका होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों शुरू करने की आवश्यकता के बारे में कोई मतभेद नहीं है। शिक्षा में कार्य अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान है। अंततः शिक्षा और रोजगार के बीच एक सम्पर्क की आवश्यकता है। अतः पूरे देश में शिक्षा की एक समान पद्धति प्रणाली होनी चाहिए। सरकार को इस विषय में आश्वासन देना चाहिए।

डिग्री और रोजगार में सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। इस बात पर हमारे प्रधान मन्त्री ने जोर देकर एक अच्छा कार्य किया है। मैं आशा करती हूं कि इस सुझाव का महत्व पूर्णतया समझा लिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमे अमुक काम के लिए स्नातक नहीं चाहिए। इसका अर्थ शैक्षणिक से व्यावसायिक कैरियर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानान्तरण पर जोर देना है। यदि डिग्री और रोजगार के बीच सेतु को समाप्त करने को व्यवहारिक रूप देना है तो व्यावसायिक केन्द्रों को तेजी से बढ़ाना होगा। इससे शताब्दियों की निरक्षरता के बाद ज्ञान प्राप्त करने के अवसर समाप्त नहीं हो जाएंगे। इसके लिए कुछ हुए विश्वविद्यालयों के स्थान पर खुली विश्वविद्यालय व्यवस्था होनी चाहिए। यदि 45 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति एक नए क्षेत्र में शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो हमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उस परिस्थिति में उस पर स्कूली शिक्षा के बाद कालिज जाने के लिए कम दबाव पड़ेगा। वह कोई व्यवसाय चुनेगा। पैसा कमाएगा उसके पश्चात् शैक्षिक योग्यता भी प्राप्त कर सकेगा।

हमें उन थोड़े से लोगों का जो अपने स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद शैक्षणिक ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं और साथ ही उन लोगों के लिए भी जो अपने व्यवसायिक जीवन के कुछ वर्षों के बाद शैक्षणिक ज्ञान अर्जित करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, ध्यान रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली को नया रूप देना चाहिए। इससे सीखने की प्रक्रिया में गम्भीरता आएगी।

कोठारी आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सरकार की कार्यवाही बहुत धीमा है और यह नजरिया 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्प के बारे में भी है। संभवतः इच्छा और संसाधनों की कमी रही हो। सरकार ने शिक्षा प्रणाली के सुधार का संकल्प लिया है।

मैं आशा करती हूं कि सरकार अध्ययन के पाठ्यक्रमों में सुधार लाएगी और साथ ही अध्यापकों की सेवा-काल के दौरान प्रशिक्षण के संबंध में अच्छे सार के लिए प्रशिक्षिण देने का बन्दोबस्त किया जाएगा।

[श्रीमती किशोरी सिंह]

शिक्षा को रोचक और अर्थ पूर्ण बनाने के लिए उचित शैक्षिक साधन प्रयोग में लाने चाहिए।

जैसे कि विज्ञान की शिक्षा के लिए हमें प्रयोगशालाओं को सम्पन्न बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए।

नई नीति को कार्यरूप देने के लिए दृढ़ इच्छा और बड़े पैमाने पर नियतन की आवश्यकता है। पिछले साल जनवरी में प्रधान मन्त्री ने सभा में ठीक ही कहा था कि प्रगति सरकार की राजनीतिक इच्छा है। उस राजनैतिक इच्छा के लिए शिक्षा की एक बड़ी चुनौती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करती हूं और अपनी बात खत्म करती हूं।

मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन (कन्नौज): महोदय, वर्ष 1985-86 के लिए शिक्षा मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है।

शिक्षा के लिए अनुदानों की मांग, जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते समय, मैं समझता हूं कि हमारे देश में प्रचलित वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गुण व दोषों का विवेचन करना संगत होगा। आज जो शिक्षा प्रणाली हमारे यहां प्रचलित है उसमें केवल बाहम परिवर्तन हुए हैं।

पिछले समय में हमारे यहां बहुत से आयोग बने थे जैसे लक्ष्मण स्वामी मुर्हालपार आयोग, गजेन्द्रगडकर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग आदि, जिन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली की बेहतरीन पुर्नरचना के लिए पर्याप्त विशिष्ट ज्ञान दिया था। इसके बावजूद, दुर्भाग्यवश हमारे देश में प्रचलित शिक्षा प्रणाली पर अभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी शिक्षा प्रणाली की छाप है जिसका ध्येय भारतीयों को सृजनात्मक ज्ञान देना कदापि नहीं रहा।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का यह प्रबुद्ध दृष्टिकोण था जिसने हमारी शिक्षा नीति को एक संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में लाकर नई गति प्रदान की।

किन्तु यह देखकर बड़ी निराशा होती है कि इस संशोधन के आधार पर उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए गम्भीर रूप से कुछ भी नहीं किया गया।

तथापि यह हर्ष का विषय है कि हमारे युवा और कर्मठ प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी शिक्षा प्रणाली की पुर्नरचना के कार्य का उत्तर दायित्व स्वयं ले रहे हैं ताकि नए सामाजिक परिवेश के अनुसार इसका संचालन कर सकें। विश्वविद्यालय डिग्रियों और रोजगार के बीच की कड़ी को समाप्त करना निश्चित रूप से प्रशंसनीय विचार है।

सामान्यत: मैंने व्यावसायिक दृष्टि से शैक्षणिक संस्थानों को चलाने की प्रथा को समाप्त करने के विचार से शिक्षा के सम्पूर्ण सम्मानीयकरण की नीति का समर्थन करता हूं। शिक्षा, नि:सन्देह सामाजिक परिवर्तन लाने का एक कारगर उपाय है अत: शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया किसी भी प्रकार का

परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से उत्पन्न प्रभाव डालेगा।

यह देखकर खेद होता है कि अधिकांश निजी शैक्षणिक संस्थान काफी समय पूर्व से भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गए हैं, चाहे विद्यार्थियों के प्रवेश का मामला हो अथवा अध्यापकों। स्टाफ की नियुक्ति का या परीक्षाएं संचालन करने का मामला हो।

विद्यार्थी कार्यकर्ता होने के नाते मैं सोत्साह यह सुझाव दूंगा कि शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में पहले कदम के साथ में शैक्षणिक संस्थाएं तत्काल सरकार के नियन्त्रण में आरम्भ होनी चाहिए।

शैक्षणिक संस्थानों के वित्तपोषण का उत्तरदायित्व बहुत अधिक सीमा तक सरकार का होता है। विशेषकर केरल जैसे राज्य में जहां साक्षरता की दर उच्चतम है और जहां शिक्षा के कमी स्तरों पर अध्यापकों के भुगतान का सदा भार सरकार के ऊपर होता है।

ऐसी परिस्थिति में सिद्धांत और व्यवहार में एकरूपता के साथ शिक्षा का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है।

पता चला है कि कर्नाटक में कुछ एजेंसियों और निहित स्वार्थों ने टीचरट्रेनिंग के लिए जाली सर्टिफिकेट जारी किए हैं। देश के विभिन्न भागों में सैकड़ों विद्यार्थी इस प्रकार छले जाते हैं। इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियां शिक्षा व्यवसाय के भव्य मूल आधार को नष्ट करती हैं। इस प्रकार की ऐजेन्सियों और निहित स्वार्थों के विरुद्ध आवश्यक रूप से निवारक कार्यवाही की जानी चाहिए।

हम इस तथ्य को नजर अन्दाज नहीं कर सकते कि अध्यापक ही शिक्षा प्रणाली के मुख्य आधार निर्माता है और यहां तक कि भावी पीढ़ी के निर्माण में अध्यापक ही सहायक है।

अतः इनके सुधार और बेहतर प्रशिक्षण के लिए कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार सिविल और प्रशासनिक सेवाओं में योग्यता ही नियुक्ति का मानदण्ड माना जाता है वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी होना अधिक लाभप्रद रहेगा।

समाज में से निरक्षरता को दूर करने के लिए आधारभूत सुधार कार्य युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं से ही भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

आज सबसे अधिक शिक्षा प्रणाली के प्रकारात्मक रूपांतर की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकें और समाज के समाजवादी रूप के पोषक ध्येय को बरकरार रख सकें।

अतः माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि, निकट भविष्य में घोषित होने वाली नई शिक्षण नीति का निरूपण करते समय वे इन पहलुओं पर गौर करें।

श्री हुसैन दलवाई (रत्नगिरी) : महोदय, मैं शिक्षा मन्त्रालय के अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं जिनके बारे से सभा में चर्चा चल रही है।

शिक्षा के लिए अनुदानों की मांग पर विचार करते समय हमें विकासीय प्रक्रिया में शिक्षा के महत्व पर विचार करना होगा। इस प्रक्रिया मे शिक्षा जनता के कल्याण और उन्नति को सुनिश्चित करती है। हमारे जैसे विकासशील देश में यह बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा और अनुसंधान हमारी आवश्यकताओं के लिए लाभप्रद हों। हमने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक महान कार्य अपने हाथ में लिया है और इसकी सफलता हमारी शिक्षा के तीव्र विकास पर निर्भर करती है। आज हमें ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो स्पष्ट, निर्भीक और कल्पना-सम्पन्न हो। दुर्भाग्यवश हमारे विशेषज्ञों ने और जिन्हें शिक्षा-नीति निरूपण का कार्य सौंपा गया था उन्होंने शिक्षा नीति बनाते समय इसके प्रमुख पहलुओं पर हमारे विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की दृष्टि से ध्यान नहीं दिया। वास्तविकता यह है कि—ऐसा कहा गया है कि यदि तुमने धन खोया तो तुमने कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खोया तो कुछ वस्तु अवश्य खोई किंतु यदि तुमने चरित्र खो दिया तो तुमने सब कुछ खो दिया। इस देश में, इस सभा में हमें दल-बदल विधेयक लाना और पारित करना पड़ा।

क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमें देश के भविष्य का निर्देशन करना होता है, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे देश की जनता द्वारा दिये आदेश की अवहेलना न हो। हमें अपनी नई पीढ़ी का चरित्र निर्माण करना है किंतु अब तक हमारी शिक्षा नीति में इस मुद्दे पर दबाव नहीं डाला गया। व्यावसायिक शिक्षा पर पहले ही विचार किया है हमने मूल्योन्मुखी शिक्षा पर विचार किया है। किंतु आज हम देखते हैं कि हमारी जनता शिक्षित अथवा अशिक्षित—अन्ध विश्वासों के प्रभाव से ग्रस्त है; परिणामस्वरूप न तो हम तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं और न ही तार्किक निर्णय ले पाते हैं।

देश के विभिन्न भागों में छात्र-असंतोष है। कुछ समस्याएं हैं जो बहुत ही संकीर्ण और पंकुचित दायरे में सुलझाई जाती है। वास्तविकता तो यह है कि शिक्षा का उपयोग देश में साम्प्रदायिक समन्वय, राष्ट्रीय एकता और धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के लिए हो। इस दृष्टि से हमारी वर्तमान शिक्षा नीति कहां तक सहायक है ? मैं यह नोट करके बहुत प्रसन्न हूं कि अपना नया पदभार सम्भालने के बाद हमारे प्रधानमन्त्री ने घोषणा की है कि वे हमारे देश के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली का निरूपण करेंगे। यह नई शिक्षा नीति निरूपित करते समय, हमें प्राथमिक शिक्षा के एक बहुत ही अहम पहलू को ध्यान मे रखना होगा। यदि हम अपनी प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें तो पता चलेगा कि कुछ स्कूल बिना अध्यापकों के ही चल रहे हैं। एक अध्यापक स्कूल भी है। यदि अध्यापक उपलब्ध नहीं है तो छात्र बिना अध्यापक के ही रहते हैं। ऐसे स्कूल भी हैं जहां श्याम-पट नहीं हैं। ऐसे विद्यालय भी हैं जहां विद्यार्थियों को बैठने के लिए टाट या दरी भी नहीं है। इस प्रकार बड़ी संख्या में छात्र स्कूल से निकलते हैं और इसके कारण पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

मेरे पास शिक्षा मन्त्रालय को दी जाने वाली निधियों के आंकड़े हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय ने शिक्षा को सदैव अत्यन्त अनुत्पादक वस्तु माना है। वास्त-

विकता तो यह है कि देश के निर्माण के सम्बन्ध में शिक्षा ही सर्वाधिक लाभकारी प्रयास है। शिक्षा पर जो कि बड़ा ही व्यापक विषय है और नए राष्ट्र के निर्माण के लिए हम जिस पर निर्भर करते हैं कुल नियतन का मुश्किल से 2% केन्द्र की ओर से नियतन किया जाता है। इससे पहले यह 4% था और योजनानुसार आंकड़े देखने पर यह प्रति-योजना कम से कम होता गया हमें देखना है। कि योजना आयोग शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे और शिक्षा मन्त्रालय को अधिक निधि आवंटित करे क्योंकि हमें बहुत से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ करने हैं। प्रत्येक जिले में प्रतिमान स्कूल खोलने के निर्णय लिए जाने पर मैं अपने शिक्षा मन्त्री को बधाई दूंगा। यदि आप एक अच्छा प्रतिमान-स्कूल चाहते हैं और इस योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक नियतन की आवश्यकता होगी और यदि ऐसे स्कूल आरम्भ होने के बाद, वित्तीय बाधाओं के कारण पिछड़ने लगें तो वास्तव में यह दूसरी गलती होगी। अतः निधियों का पर्याप्त आवंटन होना चाहिए और शिक्षा मन्त्रालय को अधिक नियतन के लिए दबाव डालना चाहिए।

दूसरा मुद्दा जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, माध्यमिक शिक्षा का है। यहां मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमने एक निर्णय लिया था और अधिकांश राज्यों में 10 + 2 + 3 की योजना अपना ली है। फिर भी इस संबंध में सभी राज्यों में एक रूपता नहीं है। हमारे अनेक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण नहीं हैं। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने असाधारण उन्नति कर ली है। किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रतिष्ठित संस्थान जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कॉलिज और अन्य स्नातकोत्तर संस्थाएं 20 साल पुराने और ऐसे उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज अद्यतन नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आमूल परिवर्तन होते हैं और पुराने उपकरण बेकार हो जाते हैं।

इस संबंध में हमें देखना है कि हमारे स्कूलों, कालेजों और पालिटेकनिकों उपकरणों से भली-भांति सम्पन्न प्रयोगशालाएं उपलब्ध है और ऐसा इसलिए है कि हम उन्हें उतनी वित्तीय सहायता नहीं दे पा रहे हैं जितनी की उन्हें इसके लिए आवश्यकता है।

'ओपन विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि हमने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य कर दी है। प्रवेश अत्यधिक कम होता है और शिक्षा बीच में छोड़ने वालों की प्रतिशत भी अधिक है। इसलिए हमें ऐसे विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है जो कक्षा में उपस्थित नहीं होते जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें 1968 में स्वीकृत की गई हमारी पिछली शिक्षा नीति पर की गई टिप्पणी याद आती है। यह कहा गया था कि देश की नियति का निर्णय भारत की कक्षाओं में किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सभी विद्यार्थियों को कक्षाओं में लाने में समर्थ नहीं है। इसका कारण यह है कि हम विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठने के लिए आकर्षित नहीं कर रहे हैं। मुझे एक घटना याद है कि जब स्कूल अध्यापक रविन्द्रनाथ टैगोर के पास गया और शिकायत की कि विद्यार्थी कक्षाओं से बाहर जा रहे हैं और आपके जैसे महान कवियों की कविताएं नहीं सुन रहे हैं तो टैगोर जी ने उत्तर दिया कि दोष विद्यार्थियों का नहीं है बल्कि अध्यापक का है। महोदय, यदि आप विदेशों में जाएं तो आप पाएंगे कि पूर्व प्राथमिक स्तर तक बहुत सी नई वस्तुएं सामने आई है जिनसे आकर्षित होकर विद्यार्थी कक्षाओं में बने रहते हैं। वहां विद्यार्थी अपना

[श्री हुसैन दलवाई]

भोजन छोड़ना पसन्द करते हैं लेकिन अपनी कक्षाएं नहीं।

महोदय, विचार करने के लिए अन्य मुद्दा अध्यापकों का स्तर है। हमें उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राइमरी स्कूलों में हमने देखा है कि वहां अनिच्छुक अध्यापक और अनिच्छुक विद्यार्थी पाये जाते हैं। हमें इच्छुक अध्यापकों और इच्छुक विद्यार्थियों का वातावरण बनाना है। अब मैं युवकों के बारे में अत्यधिक महत्वर्ण पहलू पर दृष्टि डालना चाहूंगा। अपनी राष्ट्रीय नीति के बारे में, जिसके अब अपनाए जाने की संभावना है और जिसके बारे में मन्त्री महोदय सभा को बताएंगे, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि बच्चों और युवाओं के बारे में भली-भांति विचार किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि विश्व में सभी ओर छात्र असन्तोष फैला है। ऐसा आदर्श और वास्तविकता में अन्तर के कारण है। हमें इसका हल खोजना है। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षा मन्त्री इससे अवगत है और नई शिक्षा नीति विद्यार्थी असन्तोष को कम करने का प्रयत्न करेगी। विद्यार्थियों को संस्थानों के कार्यकरण में पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। तथ्य तो यह है कि विद्यार्थी राजनीति में और संस्थानों के संचालन में भाग लेना चाहते हैं। नई नीति का ढांचा तैयार करते समय सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इन कुछ शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर (दक्षिण बंगलौर) सभापति महोदय, मैं शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं सर्वप्रथम जब मैं इस सभा में आया और जब प्रधान मन्त्री ने सबसे पहले सातवीं योजना अवधि के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को बताया तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए वचनों से प्रभावित हुआ और मुझे खुशी हुई थी वह सार्थक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक ढांचे का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा के दो क्षेत्रों में सुधारों के सुझाव भी दिए हैं, प्राइमरी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, मैं प्रधानमन्त्री के इन कार्यक्रमों का वास्तव में स्वागत करता हूं। लेकिन परिणाम क्या हुआ। जब बजट प्रस्तुत किया गया तो बजट प्रस्तुत करने वालों की करतूतें देखकर मुझे धक्का लगा। आपको यह जान आश्चर्य होगा कि चालू वर्ष में समस्त योजना के लिए 18,000 रु० के बजट में से शिक्षा के लिए बजट का आबंटन लगभग 220 करोड़ रु० किया गया। यह 2 प्रतिशत भी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए सुझावों को कैसे कार्य रूप देंगे।

3.00 म० प०

प्रधान मन्त्री जी ने विशेषत: प्राइमरी शिक्षा और शिक्षा के व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है हम वास्तव में उसका स्वागत करते हैं। शिक्षा मन्त्रालय ने 220 करोड़ रु० की राशि नियत की हैं और इसे उन्हें ओपेन विश्वविद्यालयों, आदर्श स्कूलों नए कार्यक्रमों आदि पर खर्च करना है। उन्होंने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और ग्रामीण बच्चों के लिए बहतर शिक्षा सुविधाओं का कार्यक्रम रखा है। मन्त्रालय ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। मैंने पिछले सभी वर्षों के लिए योजना नियतन को देखा है। मैंने पाया है कि इस वर्ष में योजना नियतन हाल के वर्षों में सबसे कम है। योजना मन्त्री यहां हैं न मैं चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वह इसे नोट करें। मैं समझता हूं कि शिक्षा का उतना ही

महत्व है जितना सुरक्षा का। अनेक वक्ताओं ने पहले भी इन मुद्दे पर बल दिया है जब तक हम जनता को शिक्षित नहीं करते, राष्ट्र उन्नति नही कर सकता। उन्होंने केवल 'मामूली अनुदान' दिया है, यह शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत कम है।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकारें शिक्षा पर काफी बड़ी राशि खर्च कर रही है। केरल जैसे राज्यों में 20वीं से 40वीं तक काम किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद, इस देश में शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। यह 32% भी नहीं है। महोदय, मैं मानता हूं कि यह ठीक है कि राष्ट्रीय औसत 32वीं है। इसलिए यह मालूम होता है कि कहीं कुछ गलती है और कारण पता लगाने हैं।

इस विषय में अनेक आयोगों और समितियों और उनकी अनेकों सिफारिशों के बावजूदगी ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। कारण यह है कि इन सिफारिशों में से अनेक की अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। हमें याद होना चाहिए कि हमें शिक्षा के निचले स्तर पर बहुत अधिक ध्यान देना है हमारे देश में विशेषतः प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। यदि मेरे आंकड़े सही हैं तो अधिकांश राज्यों में लगभग 50% स्कूलों के पास भवन भी नहीं है। लगभग 80% स्कूलों मे शौचालय और पीने योग्य जल की सुविधाएं नहीं है। ऐसी अवस्था में बच्चों के पढ़ने की आशा कैसे की जा सकती है ?

जहां तक प्राइमरी स्कूलों का संबंध है, कर्नाटक में हमने स्थानीय जनता को सरकारी स्कूल के संचालन से सम्बद्ध किया है। हमने एक समिति नियुक्त की है जिसका नाम 'स्कूल सुधार समिति" है। हमने समिति में स्थानीय जनता, विधान सभा के सदस्यों और नगर-पार्षदों को सम्मिलित किया है यह स्कूल सुधार समितियां बढ़िया काम करने में समर्थ है। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्कूल सुधार समितियां सारे देश में सभी स्कूलों के संबंध में बनाई जाएं। हमें यह भी देखना चाहिए कि सभी आधारभूत और अनिवार्य साधन इन स्कूलों को उपलब्ध कराए जाएं।

देश की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता की ओर पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार राज्य सरकार और शैक्षिक विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। हमारे अनेक विद्यार्थियों के लिये इनके परिवारों के आर्थिक पिछड़े पन के कारण सीनियर ट्रेनिंग स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट शिक्षा अंतिम अवस्था बन जाती है। अनेक विद्यार्थी सीनियर स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट के बाद नौकरी करना चाहते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक शिक्षा बहुत उपयोगी है जिससे वह नौकरी पाने या स्वयं रोजगार की आशा कर सकते हैं।

यद्यपि कोठारी आयोग ने 1964में सुझाव दिया था कि हायर सैकेण्डरी स्तर पर दो विभिन्न लाइनों की आवश्यकता है—एक विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक कालेजों में आगे शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और दूसरी व्यावसायिक संबंधी अध्ययन को पूरा करने के तत्काल पश्चात विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करना जो उन्हें उन व्यवसायों के योग्य बनाये। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा संकल्प नीति व्यवसायिक शिक्षा आयोग की इन सिफारिशों से सहमत है शिक्षा के केन्द्र सलाहकार बोर्ड (जो शिक्षा नीति से संबंधित उच्चतम निकाय है) कोठारी आयोग की सिफारिशों और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर संकल्प से सहमत है। व्यवसाय शिक्षा 1977 में लागू हुई। कोठारी आयोग और

[श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर]

1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में यह समस्या का आधार है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह कार्यान्वित नहीं की गई है। यह व्यवसायिक शिक्षा केवल नाममात्र को है। मेरे राज्य से, यद्यपि यह 1977 में आरम्भ हो गई थी, अभी तक प्रतिवर्ष केवल 6000 विद्यार्थियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। जब तक हम इसे बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हम व्यवसायिक प्रशिक्षण को गम्भीरतापूर्वक और बड़े पैमाने पर कार्यान्वित नहीं करेंगे, बेरोजगारी की समस्या को सुलझाना असंभव है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए अधिक निधि मंजूर करें क्योंकि राज्यों के पास निधियां बहुत सीमित हैं। राज्य अपने आप इस खर्च को पूरा नहीं कर सकते। यद्यपि वह शिक्षा और अन्य विकासशील कार्यक्रमों पर एक बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं, वह व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर पूरी लागत पूरा करने में समर्थ नहीं है इसलिए मैं अनुभव करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें शिक्षा के लिए अधिक निधि के आबंटन के लिए योजनामन्त्री से निवेदन करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में पूरी सभा उनके साथ है जैसा कि रेल मन्त्रालय के लिए योजना आयोग से और अधिक निधियों के आबंटन का अनुरोध करने के लिए पूरी सभा रेल मन्त्री के साथ थी। उन्हें यह मामला वित्त मन्त्री के साथ उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि इस महत्त्वपूर्ण विषय के लिए उचित आबंटन किया गया है।

अन्त में, महोदय, कर्नाटक में हमने 1979-80 के दौरान दो विश्वविद्यालय खोले हैं—इनमें से एक गुलबर्गा में है और दूसरा मंगलौर में है। इन विश्वविद्यालयों को कार्य आरम्भ किए करीब पांच वर्ष हुए हैं और कर्नाटक सरकार अभी तक इन दो विश्वविद्यालयों पर लगभग 15 करोड़ रु० पहले ही खर्च कर चुकी है। कर्नाटक सरकार इन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मांग रही है। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 17(9) के अन्तर्गत तैयार किए गए प्रत्येक नियम के अनुसार अभी तक इन विश्वविद्यालयों के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की है। इसलिए, मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान पर इस मामले के विचार करें।

महोदय, प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि 1990 तक प्रत्येक प्रौढ़ अनपढ़ को शिक्षित बनाना है लेकिन इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी हुई है। इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध निधि बहुत कम है। महोदय, कर्नाटक में, पहले से ही एक आन्दोलन चल रहा है जिसको 'अक्षर सेना' कहा जाता है जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए जब तक पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होती है, तब तक राज्य सरकार के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चला पाना बहुत कठिन है। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री हरद्वारी लाल (रोहतक) : सभापति महोदय, श्रीमन, बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने में असमर्थ होने के कारण मैं वित्त मन्त्री को उनके बजट के लिए बधाई देना चाहूंगा जो कि, जैसा कि उनका दावा है, देश की आर्थिक व्यवस्था को समय के अनुसार नई दिशा देगा। हम शिक्षा मन्त्रालय

के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे भय था कि शिक्षा मन्त्री पंजाब गए हुए होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि वह हमारे सुझाव चाहे वह जो भी हैं, सुनने के लिए यहां उपस्थित हैं।

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अन्य कार्यों की तुलना में सभा के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री हरद्वारी लाल : शिक्षा के लिए बजट में व्यवस्था बहुत कम है। केंद्रीय क्षेत्र में यह केवल 221 करोड़ रु० है। यह ठीक है कि राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई है जिससे शिक्षा पर राज्य अधिक राशि खर्च कर सकेंगे यह भी पर्याप्त नहीं है। हम केवल यही समझ सकते हैं कि वित्त मन्त्री संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा के लिए अधिक आबंटन नहीं कर पाये हैं। फिर भी, आशा के लिए गुंजाइश है कि आखिरकार शिक्षा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जायेगी शिक्षा मन्त्रालय में मन्त्री का दर्जा बढ़ाया गया है और यह विभाग मन्त्रिमण्डल स्तर के अनुभवी व्यक्ति के हाथ में दिया गया है। इस संबंध में वित्त मन्त्री ने कहा कि एक नई नीति बनाई जा रही है। स्पष्टतया, देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी गड़बड़ी है। देश में हाल ही में आये इंग्लैंड के कुलपति जैसे विदेशी सम्मानित व्यक्ति नम्रतास्य या संरक्षण के रूप में कुछ भी कहे परिवर्तन निश्चित रूप से अपेक्षित है। इसमें कोई शंका नही है। इसके लिए वित्त, मन्त्री की उद्घोषणा का अत्यधिक स्वागत हुआ है। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि कौन से परिवर्तन करने का विचार है। क्या हम उद्देश्यों को बदल रहे हैं जो हमने 16-17 वर्ष पहले कोठरी आयोग की रिपोर्ट में काफी लम्बे विचार-विमर्श पर पहुंचने के बाद स्वीकार किए थे या जैसा कि वित्त मन्त्री ने कहा व चाहे हम इस प्रणाली का पुनर्गठन कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो कृपया शिसा मन्त्री स्पष्ट करें कि यह कार्य किसे सौंपा गया है। क्या आपने कोठरी आयोग से अधिक विश्वसनीय, अधिक अधिकार पूर्ण व्यक्ति को नियुक्त किया है ? क्या शिक्षा मन्त्रालय में सम्बद्ध व्यक्ति ही इस प्रणाली का पुनर्गठन कर रहे हैं।

जहां तक हमारे उद्देश्यों का सम्बन्ध, वे प्रश्न से परे की बात है, आपत्तिजनक नहीं है। जहां तक प्रणाली के ढांचे का सम्बन्ध है, हम बहुत समय से इस पर विचार कर रहे हैं और यह ठीक है हमें इसे विचारविमर्श के बाद ही करना है, जल्दी में नहीं अपनाना है। एक दिन में अपने एक कवि मित्र मे बात कर रहा था और चर्चा का विषय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के क्रियाकलाप था। उन्होंने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया को अपने काव्य मे व्यक्त किया और कहा :

"अभी और जीता मरीजे मोहब्बत,
तबीबो तुम्हारी दवाओं ने मारा।"

मैं अभी उनसे सहमत हूं। यह कोई नहीं जानता कि कौन से परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है। हम हवा में बात कर रहे हैं। मैंने कुछ सप्ताह पहले ही शिलांग में शिक्षा मन्त्री को सुना था। यह पिछले मई ने 17 और 18 को कुलपति के साथ थे। हमें वास्तव में यह नहीं जान पाये कि किन परिवर्तनों का विचार किया जा रहा है और वास्तव में कौन से परिवर्तन विचाराधीन हैं। लेकिन क्योंकि विषय के बारे में चर्चा निरन्तर ही चल रही है, कृपया आप मुझे वापिस आरम्भ में जाने की अनुमति दें।

[हरद्वारी लाल]

हमें शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों से विरासत में मिली है। यह प्रणाली उनके जाने के बाद से निरन्तर आलोचक का विषय रही है। इसमें स्पष्ट त्रूटियां थीं ; इसमें काफी कमियां थीं लेकिन इन सभी त्रुटियों और कमियों के साथ प्रणाली ने ऐसी सुसंस्कृत और विद्वान विभूतियां दी है जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इनमें से बहुतों ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया है। फिर भी, हम इसमें परिवर्तन के प्रयत्न कर रहे हैं और काफी हद तक हमने इसमें परिवर्तन किए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के अगले दिन ही हमने डा० राधाकृष्णन को अध्यक्षता दी। एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। आयोग ने एक ज्ञानवर्द्धक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, हमने इसे आंशिक रूप में ही कार्यान्वित किया। इसके बाद संविधान की रचना होने पर इसमें प्राथमिक शिक्षा के तेजी से विस्तार एवं शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने पर जोर डाला गया। 1952 में हमने माध्यामिक शिक्षा आयोग का गठन किया तथा आयोग ने उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों एवं बहुद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की। हम इसकी सिफारिशों को उचित रूप से क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे। यह दो प्रकार की विद्यालय-प्रणाली, हमारे हाथ में जो प्रणाली है, उसकी तरह सफल नहीं हो पायी। मैं सोच-विचार कर हमारे हाथ में, कह रहा हूं। मैं यह भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 10+2 प्रणाली, जिसे शिक्षा मन्त्रालय जबर्दस्ती राज्यों के गले मंढ़ना चाह रहा है जो किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं है, का उन्हीं स्पष्ट कारणों को लेकर वैसा ही हश्र होगा। मैं हरियाणा का निवासी हूं और हरियाणा इसके लिए तैयार नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस प्रणाली का निश्चित रूप से वही हश्र होगा। महोदय, 1952 के पश्चात् हमने वर्धा शिक्षा योजना को क्रियान्वित करने के विचारों से खेलना शुरू किया, और उदारतापूर्वक धन खर्च किया किन्तु इस खर्च किए गए धन की उपलब्धि के रूप में दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इस प्रयोग का वास्तविक परिणाम, शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली में सुस्पष्ट ह्रास रहा। पचास के मध्य के आस-पास हम शिक्षा के मामले में अमरीकी प्रभाव के अधीन आए मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि यह प्रणाली भारतीय शिक्षा के लिए बिल्कुल लाभप्रद नहीं थी, यह अमरीकी प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, जो शिक्षा मन्त्रालय का शुभचिंतक, विचारक तथा मार्गदर्शक है, के क्रियाकलापों में अभी भी यह प्रभाव परिलक्षित होता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। आप दस मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री हरद्वारी लाल : महोदय, मैं समझता हूं कि मैं इस विषय पर बोलने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हूं।

1952 में, विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करने के लिऐ एक संसदीय तथा विज्ञान-सम्बन्धी समिति बनायी गई थी। उनकी सिफारिश की विशिष्टता यह थी कि विद्यालयों में भवनों तथा प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था की जाए। दुर्भाग्य से ग्रामीण क्षेत्रों में हम अभी भी देखते हैं कि विद्यालय सामान्यतः बिना उचित भवनों के हैं तथा वहां प्रयोगशालाएं नहीं हैं। 1963-64 में भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्ति की गई थी जिसका कार्य विश्वविद्यालयों के लिए एक नमूना अधिनियम बनाना था। किन्तु इस समिति की रिपोर्ट सरकार का ध्यान आकृष्ट करने में

असफल रही। 1964 में, भारत सरकार ने एक शिक्षा-आयोग की नियुक्ति की जिसे कोहारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति तथा सभी स्तरों पर और हर दृष्टि-कोण से विकासशील शिक्षा हेतु सिद्धांतों एवं नीतियों की सिफारिश की। आयोग ने एक अत्यन्त कठिन कार्य को अपने हाथ में लिया। इसने बारह कार्य-दल नियुक्त किए। इसने सभी बातों की अत्यन्त गहराई से जांच करने के लिए सात कार्यकारी दल नियुक्त किए। इसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को देश के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक अपूर्व रिपोर्ट तथा शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्रांतिकारी सिफारिशों से अतिविष्ट रिपोर्ट बताया गया भारत सरकार ने भी इसे काफी गम्भीरता से लिया। सरकार ने रिपोर्ट पर विचार करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी प्रारूप विवरण तैयार करने एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु कार्यक्रमों का पता लगाने के लिए अपने सदस्यों यानी संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। समिति ने कहा कि आयोग द्वारा अत्यन्त मूल्यवान सिफारिशें की गई हैं, किन्तु आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार शिक्षा में सुधार लाने के लिए हमें बहुत अधिक व्यय करना होगा। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि इसके लिए साधन उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, इसलिए हमें शिक्षा में लगे हुए लोगों के आदर्श और उनकी निष्ठा पर निर्भर रहना होगा। परन्तु, मामला यहां भी अस्थायी ही बना रहा। हमारे पास न तो धन-राशि थी और न निष्ठा।

आपात्काल के दौरान संसद ने संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन किया और विश्व-विद्यालय शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया। यह एक अति आवश्यक संशोधन था। किन्तु जब अगस्त 1980 में हम पांच उप-कुलपतियों के शिष्टमंडल ने भारतीय विश्व-विद्यालय संघ की ओर से स्वर्गीय प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी तथा विश्वविद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्था की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया था, तो उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा था, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, किन्तु यदि केन्द्र राज्य विश्वविद्यालयों के लिए कोई विधान बनाता है, तो राज्य स्वतंत्रता के नाम पर कुछ शोर राज्य मचाना शुरू कर देंगे

तथापि 1982 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की गई। समिति की रिपोर्ट अत्यन्त गहन है तथा इसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण और उनके अध्यापक तथा सच कहा जाए तो सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण समुदाय के बारे में सुन्दर तरीके से उल्लेख किया गया है। महोदय, कृपया रिपोर्ट के कुछ अंशों को पढ़ने के लिए कुछेक मिनट प्रदान करें। मैं सिर्फ उनको पढ़ूंगा।

सभापति महोदय : कृपया बन्द करें।

श्री हरद्वारी लाल : मैं लोक सभा में पहली बार आया हूं। मुझे अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला है और मैं समझता हूं कि मैं संवेदनशील विषयों के बारे में बोल रहा हूं। कृपया मुझे आगे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : मुझे 31 वक्ताओं को समय देना है।

श्री हरद्वारी लाल : रिपोर्ट में कहा गया है।

[श्री हरद्वारी लाल]

"कालेजों में शिक्षण की निम्न कार्यकुशलता के बारे में जो रिपोर्टें हैं, वे चिरस्थायी हैं, तथा अनेक व्यक्तियों ने जिनके साथ समिति ने सम्पर्क स्थापित किया अथवा जिन्होंने टिप्पणियां कीं, वे सभी इसी प्रकार की आलोचना करते हैं। अतः यहां अवकाश प्राप्ति से पूर्व एक प्रतिष्ठित कालेज के प्राचार्य से प्राप्त टिप्पणी को पुनः प्रस्तुत करना अप्रासंगिक नहीं होगा।

'एक विश्वविद्यालय स्तर का अध्यापक 2 अथवा $2\frac{1}{2}$ महीने कार्य करके 12 महीने का वेतन कमाता है। व्यवहार्यतः शैक्षिक वर्ष 187 दिनों के लगभग होता है···।

हिसाब-किताब करने के बाद रिपोर्ट में कहा गया कि एक अध्यापक 365 दिनों में से केवल 64 दिन कार्य करता है। तत्पश्चात् उन्होंने कहा।

"सभी अध्यापक केवल 10 बजे (म० यू०) 1 बजे (म० प०) के बीच कार्य करना चाहते हैं जिससे कि इस अंशकालिक कार्य से ही उन्हें पूर्ण कालिक वेतन मिल जाए। अध्यापक और छात्रों के बीच सम्बन्ध में इस कमी के कारण छात्र में अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। अध्यापकों को प्राप्त होने वाले अध्ययन-अवकाश के बारे में इसमें कहा गया—

"व्यावहारिक रूप से इसका ताव्यर्य 3 वर्ष का वेतन सहित अवकाश है। शैक्षिक बेईमानी तथा व्यक्तिगत निष्ठा की क्षति अत्यन्त ही निन्दनीय है। "अनुसंधान" अनेक गलत कामों के लिए एक आवरण हो गया है तथा इस प्रणाली के कारण जनता का काफी पैसा नष्ट हुआ। छुट्टी के नियमों में सख्ती की जानी चाहिए तथा "जवाब दे ही।" का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए।"

ये सभी बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। राष्ट्रीय क्रियाकलाप के किसी भी अन्य क्षेत्र में इतना बड़ा गोलमाल नहीं हुआ है जितना बड़ा गोलमाल शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया है। आवश्यकता से अधिक जोश में आकर हम सभी श्रेणियों के संस्थानों का पूर्ण, अनियोजित विस्तार करते जा रहे हैं; सभी प्रकार के संस्थानों विश्वविद्यालयों, कालेजों और विद्याललों का तेजी से उद्भव हो गया है। इस विस्तार के कारण हमारे साधन बिखर कर रह गए हैं। ये संस्थान बिना किसी तैयारी, बिना किसी वित्तीय आधार के स्थापित किए गए हैं। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर ये बातें कह रहा हूं। दो विश्वविद्यालयों को, जो अव्यवस्थित हालत में थे, संगठित करने का मेरा सौभाग्य रहा है। उनमें से एक कुरुक्षेत्र संयुक्त पंजाब विश्वविद्यालय है जिसके बारे में 1956 में संयुक्त पंजाब में में काफी शोर-शराबा किया गया और जो लम्बे पांच वर्षों तक कागजों पर ही बना रहा। दूसरा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय है। मुझे यह कहने की अनुमति दें कि ***···केवल यही शब्द हैं जिनका उपयोग मैं इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित आचार को स्पष्ट करने के लिए कर सकता हूं; और ये बातें देश के अन्य अनेक विश्वविद्यालयों के बारे में भी कही जा सकती हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से वृतान्त से निकाल दिया गया।

ये विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना, आयोग की सहायता के बिना स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकारों ने केवल चार्टर पारित किए और विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गए। इस अनियोजित विस्तार का एक परिणाम यह हुआ कि अंधाधुंध प्रवेश होने लगे जिसके फल-स्वरूप विश्वविद्यालय, कालेज, यहां तक कि विद्यालयों में भी पढ़ाई के अयोग्य छात्रों की भरमार हो हो गई।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : मैंने सोचा कि ये सिफारिशें आपके द्वारा की गयी थीं। आपने** शब्द का कैसे प्रयोग किया ?**।

श्री हरद्वारी लाल : इस शब्द का प्रयोग न तो मैंने इस सदन के किसी सदस्य के लिये किया है और न ही मैं इसका प्रयोग सदन के लिये कर रहा हूं। मैं तो इसका प्रयोग उस तरीके के लिये कर रहा हूं जिस तरीके से ये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये और यह भी कि इन सभी बातों का हमें पता है।

सभापति महोदय : यदि इसका संबंध राज्य सरकार से है, तो यह असंसदीय है।

श्री हरद्वारी लाल : हमारे शिक्षा मंत्री तथा प्रधान मंत्री के लिये यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। हमारा शिक्षा-जगत एक गंदला अस्तबल बन गया है जिसे उन्होंने साफ-सुथरा बनाना है, हरक्यूलियस ने गंदले अस्तबल की सफाई के लिये नदी की धारा मोड़कर उसे अस्तबल के रास्ते बहा दी थी। शिक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री को मजबूत सफाई के औजारों को गढ़ना होगा। साधारण उपायों से काम नहीं चलेगा। तात्पर्य यह कि भारतीय शिक्षा की यह एक अत्यधिक नाजुक समस्या है, एक ऐसी समस्या जिसके संबंध में हम अभी तक लापरवाही करते आ रहे हैं। समस्या का संबंध शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्रदान करने से है। हम लोग अंग्रेजों से उत्तराधिकार में प्राप्त प्रणाली की आलोचना करते आ रहे हैं। हम कहते हैं कि यह प्रणाली विशिष्ट जनों के लिये बनायी गयी थी। किन्तु, यह प्रणाली अभी भी विशिष्ट जनों के लिये यहां बनी हुई है जबकि हमारी आबादी का 95 प्रतिशत मात्र इसके कारण नुकसान उठा रहा है। (व्यवधान) यह एक अत्यंत ही संवेदनशील समस्या है। मैं बोलूंगा नहीं, बल्कि लिखित टिप्पणियां पढ़ूंगा जिसे मैंने तैयार किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहर प्रेस द्वारा अथवा जनता द्वारा इसे गलत तरीके से उद्धृत किया जाये। यह एक बहुत ही संवेदनशील समस्या है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यदि आप इसे सभापटल पर रख दें, तो यह किसी भी तरह से गलत उद्धृत नहीं किया जायेगा।

श्री हरद्वारी लाल : यह 95 प्रतिशत हमारी आबादी अनु० जाति तथा अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों की है जिसमें हमें देश के विशाल कृषक वर्ग को भी शामिल मानना चाहिये। यहां मैं कुछ निहित स्वार्थों द्वारा रचे गये रहस्य का भंडाफोड़ करना चाहूंगा कि किसान सम्पन्न और उन्नत होते हैं। इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं है। कुछेक किसानों को छोड़कर जिनके पास काफी भूमि है, भारतीय समाज में कृषक-वर्ग अभी भी तंग हाल बना हुआ है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री हरद्वारी लाल]

अब हमारे सामने आरक्षण का प्रश्न है यानी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रश्न। उनके लिये आरक्षण करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना मात्र सहानुभूति प्रकट करने जैसा है। इसके द्वारा हम देश को आहत कर रहे हैं। हम उनके पिछड़ेपन को बढ़ावा दे रहे हैं (व्यवधान)

आज जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि हम ग्रामीण विद्यालयों को उन्नत करें तथा इसके लिए बड़े पैमाने पर सुधार-संबंधी कार्य करें। उन्हें संतोषजनक सीमा तक लाया जाये ताकि समान सत्रों के आधार पर वे अन्यों के साथ प्रतियोगिता कर सकें।

सभापति महोदय. अब काफी हो चुका है।

श्रीमती कृष्णा साही।

3.31 म० प०

(श्री बक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (वेंगूसराय) : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा विभाग की जो अनुदानें उपस्थित की गई हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली असाध्य रोग से ग्रसित है, इसे सभी मानकर चलते हैं और इसी असाध्य रोग की गम्भीरता को हमारे प्रधान मंत्री जी ने महसूस किया है, इसीलिए उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है और बार-बार यह घोषणा की है कि शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात की जरूरत महसूस की है कि शिक्षा की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है, शिक्षा पद्धति में अनेक दृष्टिकोणों से जो खामियां है, उन खामियों को दूर करने के लिये उन्होंने एक दृढ़ नीति का एलान किया है। इस बदलाव की चर्चा से लोगों में एक आशा की किरण फूटी है कि शिक्षा जगत में जो अन्धकार छाया हुआ है, वह अन्धकार दूर होगा। मैं आशा करती हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री श्री पंत जी कुशल, योग्य, दक्ष हैं और वे प्रकाश स्तम्भ का कार्य करेंगे ताकि हमारे देश में जो शिक्षा को लेकर आये दिन वाद-विवाद खड़ा होता है, सबसे हम ऊपर उठकर काम करेंगे। लेकिन मुझे भी दुख हुआ है और हमारे जो सदन में साथी हैं, उन्होंने जो भावना व्यक्त की है, उसके साथ मैं भी अपने को जोड़ती हूं। मुझे यह देखकर अपार क्लेश हुआ कि शिक्षा का बजट में जो प्रावधान है, वह कुल बजट के प्रावधान का 1.2 प्रतिशत है। कुल राशि को देखें तो 221 करोड़ की राशि आती है। वह गत वर्ष कुल राशि का 2.8 प्रतिशत था जो कुल राशि 443 करोड़ की थी।

सभापति महोदय, हमारी आबादी 2.3 प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और हम जब शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करते हैं तो उसको

मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि यह राशि समुद्र में बूंद के समान है। महोदय, मैं पीछे की ओर मुड़ना नहीं चाहती। पीछे हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर कितना अपव्यय हुआ, क्या दुरुपयोग हुआ, क्या सदुपयोग हुआ, इसकी चर्चा में नहीं जाना चाहती हूं। मैं अभी की बात कर रही हूं कि अभी-अभी लखनऊ में जो कनवोकेशन हुआ और हमारे प्रधान मंत्री जी ने उसको सम्बोधित किया और कहा कि आज हमारे देश में जिन बातों की आवश्यकता है और जो हमारे देश की आशा-आकांक्षायें हैं, उनकी पूर्ति का माध्यम शिक्षा को बनाना चाहिए।

हम जो 21वीं सदी में आने की बात करते हैं यह कैसे होगा, इसके लिये हमें प्रतिभाओं का चयन करना होगा, उसकी खोज करनी होगी और जो हमारे देश से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को सामूहिक रूप से सबों के लिये अनिवार्य करना होगा जो कि एक विचारणीय विषय है। हमें महिला शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जो आधी आबादी है, उसको भी हमारे समाज की, देश की जो समस्यायें हैं, उससे उनकी जानकारी करानी होगी।

इसके साथ-साथ हमें महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिये मैं अपना यह सुझाव दूंगी कि महिला शिक्षा के स्तर पर जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने निःशुल्क शिक्षा का एलान किया है, यह स्वागत योग्य कदम है और मुझे आशा है कि लड़कियों में इसको प्रेरणा मिलेगी, उनके लिये यह उत्साहवर्द्धन का काम करेगा।

मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर एक उच्च बालिका विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और यह एकरूपता के साथ होनी चाहिए जिसमें कि उस उच्च बालिका विद्यालय में होस्टेलस की, छात्रावास की भी व्यवस्था हो। मंत्री महोदय और सदन के सारे सम्मानित सदस्य देहात का प्रतिनिधित्व करते हैं। 80 प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं और हम अभी भी उस स्टेज में हैं जहां देहात के लोगों के अन्दर अन्धविश्वास चला आ रहा है और वे अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अधिक पैसा खर्च करके नगरों और महानगरों में अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजें। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप लड़कियों के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ छात्रावास की व्यवस्था कीजिए और जो अभी आपने एक एलान किया है, पेस सेटर माडल स्कूल की बात आपने की है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन हम यह कहेंगे कि लड़कियों के स्कूलों में भी आप इसकी व्यवस्था करें और प्रत्येक जिले में आप ऐसा चयन करें तो यह लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और इससे उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे यहां 360 से भी ज्यादा जिले हैं। उनमें प्रत्येक में आप ऐसी व्यवस्था करें तो अच्छा होगा।

चौथी पंच वर्षीय योजना में महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था और इसके लिए बहुत से कार्यक्रम भी बनाये गये थे। लेकिन ऐसा लगता है कि वे कार्यक्रम सफलीभूत नहीं हुए। तभी तो आज हम आजादी के 37 वर्षों के बाद भी 25 से 27 प्रतिशत महिला साक्षरता की ओर बढ़ पाए हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है।

[श्रीमती कृष्णा साही]

अब मैं कुछ ऐसी बातों को कहना चाहूंगी जिनके बारे में मंत्री महोदय सम्भवत: यह सोचेंगे कि यह राज्यों का विषय है लेकिन 1976 में ··(व्यवधान)···अभी तो मैं खड़ी हुई थी, आप ने इतना समय अन्य सदस्यों को दिया है तो महिला सदस्य को तो कुछ विशेष समय देना चाहिए।

(व्यवधान)

मैं कह रही थी कि 1976 में जब संविधान में संशोधन हुआ तो शिक्षा कानकरेन्ट लिस्ट पर आ गई। तो केन्द्र और राज्य सरकार का यह सामूहिक दायित्व बनता है कि यह एकरूपता शिक्षा में हो। इसकी ओर सरकार ध्यान दे, यह इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि प्रखण्ड, प्रमण्डल, जिला और प्रान्तीय स्तर पर शिक्षा जगत ह्रासोन्मुख है, विकासोन्मुख नहीं है। अभी हम पेस सेटर की बात तो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में क्या स्थिति है। हम देहात में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड नहीं है, लड़कों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है और साथ साथ जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। शिक्षक पढ़ाने का अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते, बच्चे पढ़ने का अपना कर्त्तव्य नहीं समझते और इंस्पेक्टर्स जो उन स्कूलों के लिए फिक्स होते हैं उनके लिए पांच से दस या बीस रुपया मासिक बांध देते हैं। वह समय पर आकर अपनी तनख्वाह ले जाते हैं। यही प्राथमिक स्तर की स्थिति है।

चोरी से पास करने की जो संख्या बढ़ती जा रही है। इससे हम सेकेण्ड क्लास स्टूडेंट पैदा कर रहे हैं और वह शिक्षक भी इसी तरह के होते हैं। इसीलिए प्रधान मंत्री ने लखनऊ कनवोकेशन में कहा था कि सेकेंड ग्रेड का इस्टीच्यूशन सेकेंड क्लास स्टूडेंट को पैदा करता है। इसलिए मैं कह रही थी कि शिक्षक लोगों के सुधार की जरूरत है।

मंत्री महोदय से मैं कहना चाहती थी कि यह मशरूम ग्रोथ जो प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा गैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों की हो रही है उनपर रोक लगनी चाहिए क्योंकि उसमें डाक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर्स भी बनते हैं। बहुत हाई डोनेशंस दे करके लोग उसमें भर्त्ती होते हैं। मेरिट उनमें नहीं रहती। हाई डोनेशंस के बाद क्या होता है कि इंजीनियर निकलते हैं तो पुल जो वह बनाएंगे वह धंस जाएगा और डाक्टर बनेंगे तो जो जिन्द रहने वाला मरीज है उनके इलाज से वह सुरधाम पहुंच जायगा। इसलिए इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए।···(इंटरप्शन)···

सिलेक्स के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी तक पुराणपंथी विचार-धारा के सिलेक्स बरकरार है। मंत्री जी को मैं बताऊंगी कि एक हिस्ट्री की पुस्तक है – हिस्ट्री आफ इंडिया रिटेन बाइ जेम्स मिल ऐंड वी० एस० स्मिथ—जो अभी भी हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों के पठन-पाठन की पद्धति में है।

उसमें उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को दो नेशन के रूप में बताया है और यह बताया है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता एक नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी किताबों पर प्रतिबंध

तो लगना ही चाहिए न कि बच्चों को इनको पढ़ाने की कोई आवश्यकता है। जब हम देश की एकता और अखण्डता की बात करते हैं तो ऐसी बातों से बच्चों की मानसिकता क्या होगी यह हमें समझना चाहिए।

इसके अलावा रमेश चन्द्र मजुमदार की एक किताब है "हिस्ट्री आफ फीडम मूवमेन्ट" जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1857 का मूवमेन्ट गुण्डे और बदमाशों का विद्रोह था जबकि हम 1857 के इस राष्ट्रीय आन्दोलन को स्वतन्त्रता की पहली लड़ाई मानकर चलते है।···(व्यवधान) अब चूंकि आप समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं चाहती हूं मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे। कुछ और समय होता तो मैं कुछ और बातें रखना चाहती थी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य, श्री माधव रेड्डी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने समय में से थोड़ा-सा समय मुझे दिया है, और मैं सच्चे मन से आशा करती हूं कि आप इस दान को मान लेंगे।

हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में काफी कुछ सुन रहे हैं, जिसे अभी पूर्ण रूप से स्वरूप प्रदान किया जाना है। तथापि, यदि यह शिक्षा-बजट इन नीतियों के बारे में कुछ आभास देता है, तो मैं इनसे परिचित हो जाऊंगी।

उन नीतियों के बारे में बोलने से पूर्व मैं पहले माननीय मंत्री महोदय के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूं क्योंकि पिछले वर्ष के संशोधित बजट में कुल बजट का 0.96 प्रतिशत प्रावधान शिक्षा के लिये किया गया था। इस वर्ष इसमें काफी वृद्धि हुई है ! यह अब बढ़कर 1 प्रतिशत हो गया है जैसा कि मेरा कैलकुलेटर बता रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कैलकुलेटर कभी मुझे धोखा नहीं देता। इस प्रकार आपके लक्ष्य .04 प्रतिशत अधिक हो गये हैं।

अब हम नीतियों बारे में विचार करें। प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसे 1990 तक प्राप्त करने का लक्ष्य आपने रखा है। यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि आखिरकार, इस प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिये प्रमुख वित्त राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। यह हर व्यक्ति को पता है। लेकिन केन्द्र भी दावा कर रहा है कि यह इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। किन्तु किस प्रकार ? अपनी रिपोर्ट में स्वयं आपने माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु केन्द्र के अंशदान का मुख्य कार्यक्षेत्र अनौपचारिक शिक्षा माना है। इस अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में अब हम किये गये प्रावधानों को देखें। अनौपचारिक क्षेत्र में शीघ्रता करना, अनौपचारिक सामान्य केन्द्र, लड़कियों के लिये अनौपचारिक विशिष्ट केन्द्र तथा महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति जैसे क्षेत्र हैं जिनमें आप शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को अनुदान के रूप में सहायता

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

देते हैं। अब हम सभी को एक साथ मिलाकर देखें। पिछले वर्ष आपका बजट 21,79,00,000 रुपये का था जब कि इस वर्ष यह 12,20,00,000 रुपये का है जिसमें नई शिक्षा नीति भी शामिल है। इसका मतलब है कि 21 करोड़ रुपये को घटाकर 12 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यहां भी महिलाएं ज्यादा प्रभावित दिखायी दे रही हैं। संभवतः उन्हें अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि औपचारिक शिक्षा में उन्हें प्रथम स्थान दियागया है। इसलिये अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए विशिष्ट केन्द्रों पर आप एक पैसे का भी प्रावधान न करें।

पिछले वर्ष, संशोधित बजट में 2 करोड़ 68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। यह कोई बड़ी राशि नहीं है। इसके अलावा महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष 4 करोड़ 14 लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी। मेरे ख्याल में महिला अध्यापकों के लिए यह राशि इतनी अधिक थी कि उसे भी कम करके 3 करोड़ 70 लाख रु० कर दिया गया। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा को, अगर वह नहीं तो कम से कम प्राथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का आपका यह अभियान महान है। कम से कम यह तो केन्द्र का सबसे बड़ा योगदान प्रतीत होता है। जाहिर है, अगर यह भावी शिक्षा नीति का सूचक है तो फिर तो भगवान ही मालिक है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या आप उसे मानती हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसीलिए मैंने यह कहा है, अपने लिए नहीं कहा।

दूसरे 21वीं शताब्दी की दिशा में बढ़ने के आपके अभियान एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। इनमें से मैं कुछ का जिक्र करूंगी।

इससे पहले मैं यह कहूंगी कि मैं नहीं जानती कि यह 21वीं शताब्दी की दिशा में बढ़ने का अभियान है भी अथवा नहीं लेकिन यह निश्चित रूप से द्विस्तरीय शिक्षा का अभियान है। मेरे विपक्षी मित्रों ने बहुत से ऐसे प्राथमिक स्कूल के भवनों एवं माध्यमिक स्कूलों की दशा का जिक्र किया है, जहां ब्लैक बोर्ड तथा और न जाने क्या-क्या नहीं हैं। अब आप अपनी द्विस्तरीय शिक्षा के इस नये अभियान में आरम्भ में कम्प्यूटर के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए 250 स्कूलों का चयन करेंगे। लेकिन यह बताइए कि शेष लाखों साधारण स्कूलों का क्या होगा ? उनका क्या होगा ? आप 21वीं शताब्दी में जाने के इस अभियान में केवल 1000 स्कूलों के बारे में ही सोच रहे हैं। इतना ही नहीं नए केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? कुछ लोगों को इन स्कूलों से बहुत लगाव है। आप वास्तव में चाहते क्या हैं ? आप प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलना चाहते हैं जिसे आप पेससैटर (गति निर्धारक) कहते हैं। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आप पूरे देश में इस प्रकार के 750 और स्कूल खोलना चाहते हैं जिनमें शिक्षा का एक माध्यम होगा जाहिर है यह माध्यम अंग्रेजी ही होगा। इसका अर्थ यह है कि पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में आपका ध्यान केवल अभिजात्य वर्ग के स्कूलों पर ही रहेगा तथा असंख्य संकटग्रस्त स्कूलों के लिए आप सोचने की कोशिश ही नहीं करेंगे। यह तो आप का लक्ष्य है। जाहिर है, आपके संसाधनों का अधिकांश भाग तो इन स्कूलों में खप जाएगा। इसीलिए मैं यह कह रही हूं कि इससे द्विस्तरीय शिक्षा के संकेत मिलते हैं—एक प्रकार की शिक्षा कुछ लोगों के

लिए, और दूसरे प्रकार की शिक्षा विशाल जनसमुदाय के लिए इस प्रकार स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जाएगी।

अब कुछ और ट्रेण्ड भी सामने आए हैं। जबकि आप अधिक संख्या स्कूलों के लिये संसाधन लगाना नहीं चाहते वहीं नियंत्रण के केन्द्रीयकरण की दृष्टि से स्थिति प्रत्यक्ष है। इस बीच क्या होता रहा है इसके मैं उदाहरण दूंगी। एक है कालेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में। अभी हाल ही में हुए कुलपतियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें, मेरे ख्याल में सरकार की सहमति थी प्रस्ताव में यह प्रावधान था कि भविष्य में कालेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा होगी। यह परीक्षा कौन लेगा ? क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय कुलपति संघ अथवा उनके संगठन उनका आयोजन करेंगे ? वे सब मिलकर इस परीक्षा का आयोजन करेंगे। इस प्रकार, कालेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में राज्यों का कोई सरोकार नहीं होगा। इस प्रकार की एक अखिल भारतीय सेवा होगी जिसमें से हमारे अपने राज्य के कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यही होने जा रहा है। इसके बारे में मैं आपका मत जानना चाहती हूं कि इस बारे में क्या नीति है और क्या इसे आपका समर्थन है। मेरे ख्याल में यह आपकी सहमति से ही हो रहा है क्योंकि जूनियर और सीनियर स्कोलर्स के मामले में आपने पहले ही अखिल भारतीय परीक्षा आरम्भ कर दी है तथा इसकी कतई परवाह नहीं की कि किस यूनिवर्सिटी अथवा कालेज से उनके नाम अग्रेषित किए गए हैं और रिसर्च स्कालर्स के टैस्ट के लिए—मैं एक शिक्षाविद् नहीं हूं, श्री बैरो और हमारे माननीय कुलपति जी यहां मौजूद हैं, वे आप को इस बारे में बताएंगे लेकिन जहां तक मैं समझती हूं कि इसके लिए आई० क्यू० (बुद्धिमापक) परीक्षाएं ली जाएंगी और शारीरिक जांच आदि भी होगी। क्या वह इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कितने चुस्त हैं। पता नहीं अनुसंधान के लिए स्मार्ट होना भी जरूरी है क्या। यह आप हमें बताएंगे। (व्यवधान)

श्री ए० ई० टी० बैरो : बुद्धि परीक्षाएं अब पुरानी चीज हो गई हैं। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं केन्द्रीयकरण का विरोध करती हूं। इस बारे में एक अन्य दिलचस्प बात है। आप 'ओपन यूनिवर्सिटी' का विरोध कर रहे हैं। यह जाने बिना कि 'ओपन यूनिवर्सिटी' के बारे में क्या किया जाएगा, मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहती लेकिन, एक बात मेरी जानकारी में यह आई है कि यह 'ओपन यूनिवर्सिटीज' कालेजों को संबद्ध करेंगी। यहां यही लिखा गया है। मेरे पास समय नहीं है; अन्यथा मैंने इस रिपोर्ट में से पढ़ दिया होता। लेकिन क्यों ? यह परिकल्पित है कि 'ओपन यूनिवर्सिटीज वे यूनिवर्सिटीज होंगी, जहां पर वह लोग पढ़ सकेंगे जिन्हें कोई अन्य अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फिर किस कारण से 'ओपन यूनिवर्सिटीज' के संबद्ध कालेज होंगे। किस कारण से राज्य विश्वविद्यालयों के अधिकारों को इस तरह से छीना जा रहा है ? जैसाकि मैंने कहा है, ऐसा लगता है कि इससे प्रशासन को केन्द्रोकृत किया जा रहा है।

दूसरी बात जो यहां है वह है प्रबंध व्यवस्था अथवा कहना चाहिए शैक्षिक निकायों के प्रशासन में चयन की प्रक्रिया बनाम नामांकन की प्रक्रिया। पहले ही विश्वभारती अधिनियम का उल्लेख हो चुका है। मैं यह सब दोबारा दोहराना नहीं चाहती लेकिन शिक्षकों के अधिकार तथा विद्यार्थियों को विश्व-

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

'विद्यालय कोर्ट' में अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को छीन लिया गया है। अब उनका नामांकन किया जाएगा। इसके अलावा, कुलपतियों के सम्मेलन में एक सिफारिश की गई है, जोकि स्पष्ट दिशा में एक अभियान है। हर जगह आप यही कर रहे हैं। यहां तक कि ब्रिटेन में भी अधिकाधिक चुनाव प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। क्या आप, साम्राज्यवादी ब्रिटेन से कम 'लोकतांत्रिक' हैं। मुझे नहीं मालूम। इसके अलावा, भविष्य में कलकत्ता यूनिवर्सिटी सीनेट में जिसमें एक पार्टी के लोग न होकर बहुत सी पार्टियों के लोग होते हैं। लिए जाने के लिए शिक्षकों की पुलिस जांच होगी, सभी ने इसका सर्वसम्मति से विरोध किया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या शिक्षकों की पुलिस जांच का विचार छोड़ दिया जाएगा अथवा इसे जारी रहने दिया जाएगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या आप केन्द्रीय पुलिस अथवा राज्य पुलिस से डरती हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : पुलिस तो कोई भी क्यों न हो सभी से (व्यवधान)

प्रिय रंजनदास मुंशी (हावड़ा) : ये राजनीतिक जांच को बेहतर मानती हैं पुलिस जांच नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह आप पसन्द करते हैं, मैं नहीं। मैं चयन प्रक्रिया में विश्वास तथा समुचित युनिवर्सिटी द्वारा ली गयी समुचित परीक्षा में विश्वास करती हूं। 'आजी सम्राट काली शे बन्दी कुटेरी राजार प्रतिद्वन्दी" कौन जानता है। (व्यवधान)

एक अन्य बात है डिग्री और नौकरी के सम्बन्ध को समाप्त करना हर समय यह बात कही जा रही है। कुछ का ख्याल है कि यह एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे डर है कि इस समय विद्यमान व्यवस्था में नौकरी और डिग्री को एक दूसरे से पृथक करने का अभिप्राय होगा दोनों से हाथ धोना। यही बात हमें परेशान कर रही है। इस समय यह स्थिति है। वर्ष 1983-84 में 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग में 93.3.1 नाम पंजीकृत किए गए थे। बीच में शिक्षा छोड़ जाने वालों की बात न करके रिपोर्ट में यही दावा किया गया है। मेरे ख्याल में निर्मलाजी इस बात में मेरा समर्थन करेंगी कि कितने विद्यार्थी शिक्षा बीच में छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन यदि इस संख्या को छोड़ दिया जाए तो यह प्रतिशत 93.3 बैठता है। 11 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग में आपकी रिपोर्ट के अनुसार नामांकन प्रतिशत 50.7.1 है। इसका अर्थ है, कि उसी अवधि में यह प्रतिशत 43.1 प्रतिशत कम हो गया है। फिर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए आपका आधार क्या है विद्यमान साक्षरता के स्तर पर अथवा 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 50% नामांकन की स्थिति में से वैज्ञानिक रुझान उत्पन्न किया जा सकता है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए क्या यह आधार यथार्थ-पूरक होगा ?.....(व्यवधान)

अन्त में मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध करूंगी कि वह प्राथमिक शिक्षा अनुदान आयोग के गठन के प्रश्न की जांच करें जिसकी कि मांग प्राथमिक शिक्षा में वास्तव में सुधार लाने के लिए लम्बे समय से की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रो० चन्द्र भानु देवी (बलिया) : सभापति जी, शिक्षा की अनुदान मांगों के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं। आपने जो बोलने का मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूं।

विविधता में एकता हमारे देश की एक ऐसी विशेषता है, जो विश्व के रंगमंच पर अपने अनुपम व्यक्तित्व के लिए सर्व विदित है। इस एकता और अखंडता की माला में विविध पुष्प हैं जिन्हें संस्कृति के सूत्र ने अपने में पिरोकर अनादि काल से इस देश के निवासियों को एक विशेष अस्तित्व दिया है। हमारे देश को भावनात्मक एकता के सूत्र में जोड़ने वाली चीज इस देश की संस्कृति ही है। ऐसे विशाल देश के लिए शिक्षा नीति में निःसंदेह आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और हमारे शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में सरकार ने शिक्षा नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने का जो संकल्प लिया है, वह सर्वत्र स्वागत योग्य है। मैं उनके इस संकल्प का अभिनन्दन करती हूं और शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कुछ सुधार के लिए अपने सुझाव देती हूं।

इस समय देश के शिक्षा मन्दिर डिग्री उत्पादक केन्द्र हो गए हैं और डिग्रीधारी युवक और युवतियां बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है शिक्षा को व्यवसायमूलक बनाया जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। हमारे युवक और युवतियां डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन वे बेरोजगारी के शिकार बने रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर शिक्षित व्यक्ति शिक्षा संस्थान से डिग्री के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दीक्षा लेकर भी निकले शिक्षा में कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसके अन्दर शिक्षा समाप्ति के बाद कृषि, पशुपालन, सिंचाई का काम, नर्सिंग, कम्पाउन्डरी, मधु उत्पादन, मुर्गी पालन,

3.57 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वाणिज्य तथा व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा दी जाए ताकि वह अपनी जीविका अर्जन कर सके। इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए ताकि बेरोजगारी समाप्त हो जाए। यह तभी संभव है जब उन्हें इस ढंग की व्यावसायिक शिक्षा मिले। देश के हर कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपना रोजगार स्वयं चुन सके, उसे कर सके और अपनी प्रतिभा का अधिक से अधिक उपयोग उस क्षेत्र में करते हुए अपनी आजीविका चला सके।

शिक्षा का माध्यम क्या हो, यह एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्षेत्रीय भाषाओं को उचित महत्त्व देते हुए इस बात की और भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिन्दी सम्पर्क भाषा हो और राष्ट्र भाषा के रूप में पूर्णतया विकसित हो सके, जिससे कि राष्ट्रीय एकता और भी सबल बने।

केन्द्रीय विद्यालयों के सम्बन्ध में ऐसा देखा गया है कि इनमें केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को ही पढ़ने के लिए स्थान मिलता है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय विद्यालयों की

[प्रो० चन्द्र भानु देवी]

संख्या देश के हर भाग में बढ़ाई जाए और उन्हें आम जनता के लिए भी खोल दिया जाए। एक समय बद्ध कार्यक्रम के रूप में केन्द्रीय विद्यालयों का विस्तार और विकास बड़ा ही जरूरी है।

इस समय देश में केवल 5 आई० टी० आई० राष्ट्रीय स्तर के हैं जो इतने बड़े देश की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि आई० टी० आई० शिक्षण संस्थानों की संख्या और बढ़ाई जाए और खास तौर से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में कम से कम एक आई० टी० आई० अवश्य खोला जाए।

पाठ्यक्रम को सुबोध और सरल बनाने की दिशा में भी प्रयास बहुत ही जरूरी है। आज हमारे बच्चों पर किताबों का इतना बोझ है कि वे उसे उठा नहीं सकते।

4.00 म० प०

जितनी उनकी उम्र नहीं होती उससे अधिक किताबें लेकर वे स्कूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि शिक्षा का स्तर गिरता जाता है इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का समावेश भी किया जाना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सके।

इस समय मेरे विचार में अधिकांश प्रतिभा-सम्पन्न छात्रों को छात्र-वृत्तियां नहीं मिल पा रही है। सरकार की परिवर्तित शिक्षा नीति में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को छात्र वृत्तियां मिल सके। ये छात्रवृत्तियां उचित पात्रों को ही मिल रही हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति नियंत्रण बोर्ड गठित किए जाएं।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बढ़ते हुए महत्त्व एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ट्रेनिंक (प्रबंधकीय ज्ञान)का विस्तार करना भी जरूरी हो गया है। इस समय इस आवश्यकता की पूर्ति अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता में स्थिति भारतीय प्रबन्ध शिक्षा संस्थान कर रहे हैं। वहीं इसकी पढ़ाई होती है। किन्तु यह अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। इस ज्ञान के संस्थानों की संख्या को बढ़ाई जानी चाहिए। देश के विभिन्न भागों में ऐसे संस्थान की शाखाएं खोलकर प्रबन्धकोय प्रतिभाओं की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है तथा उनका सहयोग राष्ट्र निर्माण में लिया जा सकता है।

अभी योजना और वास्तु विद्या का एक मात्र केन्द्र दिल्ली में ही मेरा सुझाव है कि इस विद्यालय को एक अन्तराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करते हुए इसकी शाखाएं देश के अन्य भागों में भी खोली जाएं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा। जिससे देश और भी सबल बनेगा।

[अनुवाद]

*श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे लोक सभा में संस्कृत भाषा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया . एक बार सातवीं लोक सभा के दौरान आपके आदेश से मैंने संस्कृत भाषा में एक वक्तव्य दिया था। आज पुनः आपकी कृपा से भारत की शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांग के समर्थन में देव भाषा संस्कृत में कुछ विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं।

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेज शासक लार्ड मेकाले महोदय ने स्थापित की थी। जब अंग्रेजी साम्राज्य इस देश में शक्तिशाली हो गया तब मेकाले महोदय ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई जिसके द्वारा कुछ भारती जनों को निम्न स्तर की सेवाओं में तथा लिपिक इत्यादि पदों में भरने के लिए उपयोगी थी। यद्यपि इसी शिक्षा प्रणाली द्वारा इस देश में अनेक राजनेता, समाज-सुधारक, लेखक, विधिवक्ता, वैज्ञानिक, इंजीनियर, टैक्शनीशियन इत्यादि भी उत्पन्न किए गए। जिन्होंने देश की स्वाधीनता की लड़ाई में नेतृत्व किया तथा स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक, सामजिक, राजनैतिक उत्थान में महान सेवाएं की और भारत का गौरव बढ़ाया। किन्तु ऐसे लोग कम ही हुए हैं। अधिकतर लोग निम्न शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करके इधर-उधर नौकरियों की तलाश में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत से शिक्षित बेरोजगार युवक तथा युवतियां निराशाग्रस्त होकर उचित-अनुचित कामों में संलग्न हो गए हैं। नया शिक्षित समुदाय दिशाहीन हो गया है। इस समय तो किसी न किसी प्रकार से प्रमाण-पत्र और उपाधि प्राप्त करके सरकारी नौकरी, निगम की नौकरी या व्यक्ति की नौकरी पा लेना ही शिक्षा का लक्ष्य हो गया है। भारत में शिक्षा का आदर्श अत्यन्त ऊंचा था। एक ऋषि ने कहा है कि—विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से पात्रता मिलती है और पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म प्राप्त होता है तथा इसके पश्चात सुख की प्राप्ति होती है। किन्तु इस समय केवल सुख ही वांछित है। सुख के अतिरिक्त सब कुछ त्याग दिया गया है। शिक्षा ज्ञान देती है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा स्वावलम्बन देती है। शिक्षा स्वाभिमान पैदा करती है। किन्तु इस समय की शिक्षा युवकों और युवतियों को विपरीत दिशा में ले जा रही है। भारत में शिक्षा त्याग के लिए है। संग्रह के लिए नहीं। शिक्षा आत्म-ज्ञान के लिए है। पाखण्ड के लिए नहीं। किन्तु इस समय सब कुछ विपरीत है।

प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी ने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की घोषणा की है। ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिससे युवकों और युवतियों को स्वावलम्बन मिलें और वे लोग देश प्रेमी और समाज प्रेमी बनें। शिक्षित लोग धर्म, जाति, भाषा इत्यादि की संकीर्णता को छोड़ भारत की एकता, अखण्डता और स्वतन्त्रता की रक्षा करें। शिक्षित लोग मनुष्य के महत्त्व को जाने तथा समाज के निर्बल वर्ग के प्रति सहानुभूति रखें। शिक्षित लोग भेद-भाव और घृणा से रहित हो। शिक्षित लोग भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए छोटे परिवार के समर्थक बनें और परिवार नियोजन के कार्यक्रम को स्वतः स्वीकार करें और दूसरों से भी स्वीकार कराएं।

*संस्कृत में दिए गए मूल भाषण का रूपान्तर

[श्री उमाकान्त मिश्र]

शिक्षित लोग सभी धर्मों के एक ही लक्ष्य को पहचाने और धर्म निर्पेक्षता का पालन तथा प्रचार करें।

एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास होना चाहिए। जिस शिक्षा प्रणाली को सभी राज्य और सभी धर्मावलम्बी और सभी भाषा-भाषी स्वीकार करें। इस शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा स्तर तक समान्य इतिहास, भूगोल का ज्ञान, मातृ-भाषा, राष्ट्र-भाषा, कृषि-कार्य, शारीरिक परिश्रम, किसी व्यवसाय का ज्ञान, किसी वस्तु के उत्पादन की कला, मिस्त्री का काम, वस्त्र इत्यादि बनाने काम या किसी कार्य में कुशलता परिवार नियोजन का महत्त्व सब धर्मों की समानता, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, सामान्य विज्ञान इत्यादि विषय पाठ्यक्रम में हो। उपाधि का महत्त्व समाप्त किया जावे। जो छात्र किसी विषय में मेधावी हो और विषय में रुचि दिखावे उन छात्रों को उस विशेष विषय में प्रशिक्षण देने के लिए चुना जावे। तथा उनका प्रशिक्षण उस विषय में संस्थानों में या विश्व. विद्यालयों में दिया जावे। उन्हीं के बीच में से जो योग्य युवक-युवती हो उनका चयन प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी किया जाये। उन्हीं के बीच में से चिकित्साशास्त्र, अभियन्त्रणा शास्त्र, प्रविधि शास्त्र या अन्य वैज्ञानिक विषयों में प्रवेश के लिए चयन किया जावे। वे ही छात्र संस्थानों में और विश्वविद्यालों में प्रवेश पाने के अधिकारी बने। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, राज भाषा हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा हो। अंग्रेजी भाषा एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जावे। शिक्षा का माध्यम न बने। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन इस देश में भी आवश्यक है। किन्तु अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व समाप्त किया जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व भारतीय भाषाओं के तथा राज्य भाषा के विकास में बाधक है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली या नवीन शिक्षाप्रणाली में प्राचीन महर्षियों और मनीषियों द्वारा अर्जित ज्ञान का कोष, महान आदर्शों तथा ललित काव्यों, पुराने ज्ञान के विचारों का धारण करने वाली तथा भारतीय संस्कृति की प्राण भूत संस्कृत भाषा की रक्षा की जावे और उसकी उन्नति की जावे। संस्कृत की अपेक्षा, भारत की उपेक्षा समझी जायेगी।

प्रस्तावित शिक्षा पद्धति में महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू महामानवी इन्दिरा गांधी इत्यादि महान व्यक्तियों के आदर्श के अनुकूल भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा देने वाले विषयों को पाठ्यक्रमों में रखा जाए।

आशा करता हूं कि हमारे प्रियनेता, प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी महोदय भारत को 21 वीं शताब्दी में प्रवेश कराने के लिए राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के लिए अवश्य प्रयास करेंगे।..... (धन्यवाद)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्कर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा को समाज की उत्पादक शक्तियों की एक सशक्त कड़ी बनाये जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि

हम व्यावसायिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार से करेंगे कि इसे उद्योग, कृषि, संचार और अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों से जोड़ा जा सके।

छठी पंचवर्षीय योजना में, अत्यावश्यक प्राथमिकताओं अर्थात् प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को महत्त्व दिया गया है। हमारी उपलब्धियां कोई कम नहीं हैं लेकिन, साथ ही उन्हें और बढ़ाया जाना चाहिये।

इस संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सीखने के अत्यावश्यक उपकरण, शारीरिक शिक्षा बाल साहित्य, स्कूल भवन और बच्चों को राष्ट्रीय अखंडता की शिक्षा देने शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षक और शिक्षा के पुनर्विन्यास आदि इन सभी मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आरम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रम इस प्रकार के हों कि शिक्षकों को उसका पर्याप्त ज्ञान हो। शिक्षा-प्रबंध पर भी फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

माध्यमिक शिक्षा यानी 10 जमा 2 में कंप्यूटर ज्ञान और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया गया है। लेकिन, कुछ राज्यों में इस सबके लिए आधारभूत ढांचा विद्यमान नहीं है, जिस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

यह बताया गया है कि मूल्योन्मुखी शिक्षा को महत्ता दी गई है। मेरा यह सुझाव है कि प्राथमिक स्कूल स्तर से ही शिक्षा इस प्रकार से दी जानी चाहिये कि बच्चों में राष्ट्रीय अखंडता की चेतना उत्पन्न हो जाये। इसके अलावा स्कूल प्रणाली में संचार प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विभिन्न राज्यों में स्कूल भवनों की कमी के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। क्या यह राज्य सरकार का भी दायित्व नहीं है कि वह इस ओर ध्यान दे? केन्द्र तो राज सहायता अथवा सहायता ही उपलब्ध कराता है। लेकिन, जहां तक स्कूल भवन के निर्माण की बात है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका भी कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस संबंध में मैं उड़ीसा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा; इस बारे में वह काफी बेहतर रही है।

'ओपन यूनिवर्सिटीज' के बारे में कुछ आलोचना हुई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह आम आदमी के लिए होगी।

मेरा यह सुझाव है कि जनसंख्या समस्या के हल के लिए जनसंख्या शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम में अंतर्निहित कमी को दूर किया जा सके। जनसंख्या शिक्षा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अनुपूरक के रूप में एक हस्तक्षेपी नीति है। स्कूल स्तर पर पाठ्य क्रमों को इस प्रकार से कारगर बनाया जाए कि उनमें जनसंख्या शिक्षा को शामिल किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ परिषद् गठित की जाए, जो जनसंख्या शिक्षा के सन्दर्भ में पाठ्यक्रमों के सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह दे।

हमारी शिक्षा से इस प्रकार का माहौल पैदा हो जिससे कि पाठ्यक्रमों में महिलाओं के अध्ययन विषयों के मसले को उठाया जा सके।

[श्री सोमनाथ रथ]

प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय महिला अध्ययन बोर्ड के तत्त्वावधान में एक महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि समाज में महिलाओं की बहु-विध भूमिका के सन्दर्भ में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के महत्त्व के लिए यह जरूरी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को तथा अन्तरिक्ष विज्ञान और कंप्यूटर प्रणाली को प्राथमिकता दी जाए।

यह बताया गया है कि विश्वविद्यालयों को विशेषतया पिछड़े और आदिवासी तथा हरिजन क्षेत्रों में केन्द्र एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। यह भी कहा गया है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि दी जायेगी। लेकिन, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। उड़ीसा के गंजक जिले में बरहमपुर विश्वविद्यालय है। यद्यपि यह एक पिछड़े क्षेत्र में है जहां आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना उसे देना चाहिए था। यहां के कालेजों तथा प्राइवेट कालेजों को पर्याप्त अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। किसी न किसी तकनीकी कारण से उन्हें वह अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा जो कि उन्हें वस्तुतः मिलना चाहिए था।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा के बारे में मैं यह कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज केवल परीक्षा लेने एवं परिणाम घोषित करने मात्र के संस्थान नहीं होने चाहिएं। उन्हें उस क्षेत्र की संस्कृति एवं इतिहास के बारे में भी अनुसंधान करना चाहिए। इसे दोनों मृत तथा जीवित सभी महान कवियों तथा लेखकों की रचनाओं तथा कृतियों का अनुसंधान करना चाहिए और इस प्रकार के महान लेखकों और कवियों की कृतियों का विभिन्न भाषाओं यहां तक कि अंग्रेजी में भी अनुवाद होना चाहिए। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। उड़ीसा में सम्राट उपेन्द्र भांजा एक महान कवि थे। उनकी कविताएं उन महान कवियों यहां तक कि कालीदास की कविताओं से मिलती-जुलती थी, और यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाये तो मैं यह कह सकता हूं कि उनका प्रकृति कर वर्णन वर्डसवर्थ से भी अच्छा था। बहरामपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय आयोग से अपने एक संकल्प में यह निवेदन किया है कि विश्वविद्यालय सीनेट को आर्थिक सहायता दी जाये जिससे वहां उनके नाम से एक पीठ बनायी जा सके ताकि उनकी प्रकाशित न की गई कृतियों को प्रकाशित किया जा सके और उन्हें विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराया जा सके और भांजा साहित्य पर अनुसंधान किया जा सके। वस्तुतः उनकी कृतियों में से लावन्यवती का संस्कृत और उस भाषा में अनुवाद कराया गया है जिसमें मुझसे कुछ पहले एक माननीय सदस्य बोले थे और इसकी जर्मनी में बड़ी प्रसंशा की गई है। जहां एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। और वहां संस्कृत बोलचाल की भाषा है। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि हमारे प्रख्यात लेखकों और कवियों की कृतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराया जाना चाहिए और उनकी कृतियों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किये जाने चाहिए, इस प्रकार हमारे पास साहित्य और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का एक बहुत बड़ा भंडार होगा। इस सरकार ने हमारी शिक्षा नीति को एक नया रूप देने का निर्णय किया है। और इस दिशा में माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा

उठाये गये कदम सराहनीय है। और हमें यह देखना चाहिए कि इस नीति को कितनी अच्छी तरह कार्यान्वित किया जाता है।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं सरकार को दो बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली तो बात यह है कि शिक्षा का एक मंत्रिमंडलीय मंत्री को प्रभारी बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि मंत्रिमंडलीय मंत्री श्री केसी पंत जो मेरे माननीय मित्र है, की मानसिक और शारीरिक महत्ता का होना चाहिये। तीसरी बात यह कि हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि शिक्षा को चर्चा की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है और इसे सत्र के अंत मे नहीं रखा गया है।

मैं यहां आशा करता था कि बजट आवंटन के मामले में नयी प्रवृत्ति आयेगी और नयी शिक्षा नीति में जो कुछ भी होने जा रहा है, वह उसमें कुछ सीमा तक दिखाई देगा लेकिन यह कहना एक मंगल बचन है कि मैं निराश हुआ हूं।

जो भी धारणा है वह पुरानी धारणा है। मैं इसको केवल सपना ही कह सकता हूं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जिसको बादशाह ने बूचदनेज्जार ने देखा था। यह सपना नहीं था बल्कि यह एक बुरा सपना था और इसका परिणाम यह हुआ कि जब वह सुबह जागा तो वह सपने को भूल गया लेकिन इससे बादशाह घबरा गया। उसने भविष्यवक्ता डेनियल को बुलाया और उसने यह पूछा कि यह सपना क्या था :

> "बादशाह जैसाकि आपने देखा आपने एक महान मूर्ति को देखी। यह मूर्ति विशाल और चौंकाने वाली मीनार जैसी आपने सामने आई इसको देखने में डर लगता था। इस मूर्ति का का सिर बढ़िया सोने का था इसकी छाती और बाजू चांदी के थे, इसका पेट और जांघ कांसे के थे, इसकी टांगें लोहे की थी, इसके पैर आधे लोहे और आधे मिट्टी के थे। जब आपने इसे देखा एक पत्थर पहाड़ से कटकर गिरा, इसको किसी व्यक्ति ने अपने हाथ से नहीं गिराया। यह मूर्ति के पैरों में लगा जिससे लोहा और मिट्टी उनपर बिखर गयी। फिर लोहा, मिट्टी कांसा, चांदी और सोना अलग-अलग बिखर गये और उड़ गये।"

हमारी शिक्षा प्रणाली की भी यही हालत है। हमारी शिक्षा पद्धति की बुनियाद मिट्टी की है। हमारी प्राथमिक शिक्षा मिट्टी की है। मैं यह भी नही कहता कि हमारी विश्वविद्यालय की शिक्षा सोना है क्योंकि वह सभी प्रकार की चमक-दमक वाली चीज सोना नहीं होता। मैं देखता हूं कि हमारे बजट आवंटन में अभी भी पुरानी प्रवृत्ति है। यह सच है कि प्राथमिक शिक्षा एक राज्य का विषय है लेकिन इसको जनता को समझना बहुत मुश्किल है। और अपने विदेशी मित्रों को समझना भी उस समय बहुत मुश्किल होता है जब वे यह कहते है कि आपके संविधान में अनुच्छेद 45 है जो एक संविधानिक निर्देश है और यह एक प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा को संविधान के लागू होने के बहुत वर्षों के पश्चात भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्हें यह बताने पर कि तकनीकी रूप से यह राज्य विषय है और उसके लिए केन्द्र कोई जिम्मेवार नहीं है, इसके उत्तर में वे कहते हैं कि यह कोई कारण नहीं है बल्कि

[श्री ए० ई० टी० बेरी]

बचने का बहाना है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारी बजट प्रवृत्ति भी वही है। 9 पिछड़े राज्यों को वर्ष 1990 के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वीकरण करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 8-5 करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए दिये गये हैं। मैं सहमत हूं क्योंकि आप औपचारिक शिक्षा को राज्यों के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए योजना तथा गैर-योजना क्षेत्रों में 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी। मैं असंतुलन बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह उस मूर्ति की तरह है जिसका मैंने अभी-अभी वर्णन किया है। उसके मिट्टी के पैरों का वर्णन किया है। और आप अपना धन विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बहा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत संवैधानिक निर्देश तथा अब शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण यह देखना केन्द्र की जिम्मेवारी है प्राथमिक शिक्षा जो हमारी शिक्षा प्रणाली के मिट्टी के पैर हैं, क्यों मजबूत किया जाये। एक अन्य वक्ता ने बिना इमारतों के विद्यालयों के बारे में कहा है। मैंने उससे पहले यह उल्लेख किया है कि लगभग 1,85000 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अध्यापक नहीं हैं और लगभग 1,50000 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ब्लैक बोर्ड नहीं है। श्रीमती मुखर्जी बीच में स्कूल छोड़ने के बारे में बोली हैं। बीच में स्कूल छोड़ने की संख्या बहुत अधिक है। हम पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के लिए केवल 75 लाख रुपये दे रहे हैं इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने को रोकना है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक होंगे जबकि सरकार प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के होने को सुनिश्चित नहीं कर सकती है। इस बात की भी क्या गारंटी है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक होंगे? इस बात की भी क्या गारंटी है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन विद्यालयों में बच्चे रुकेंगे और विद्यालय छोड़कर नहीं जायेंगे। हमारे एक अध्यापक वाले विद्यालय है लेकिन हमारे पास बहु-कक्षा अध्यापन प्रशिक्षण विधियां नहीं हैं। मैं विदेशों में भी गया हूं और "खुली योजना शिक्षा" का भी अध्ययन किया है। यह "खुला विश्वविद्यालय प्रणाली" से बिल्कुल भिन्न है। एक अध्यापक 3 या 4 कक्षाओं को पढ़ा सकता है।

एक संगठन है जिसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है। यह एक बड़ा संगठन है जिसके लिए 13 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। मैं इस संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा उनकी योग्यता का बहुत आदर करता हूं। लेकिन पूर्ण विचारधारा विश्वविद्यालय संगठन पर ही आधारित है। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के ढांचे के बारे में कह रहा हूं। वहां प्राध्यापक हैं लेकिन वे लेक्चर नहीं देते। वहां रीडर भी हैं लेकिन वे अध्यापक का कार्य नहीं करते हैं और प्राध्यापक भी हैं। मैं यह नहीं जानता हूं कि वे क्या सिखाते हैं क्योंकि वे किसी अनुसंधान कार्य का भी निदेश नहीं देते हैं। इस संगठन का यह ढांचा है जो विद्यालय शिक्षा के संबंध में विचार करने के लिए है। लेकिन मैं पूर्णनिष्ठा तथा विश्वास के साथ पूछता हूं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में कितने पुरुष तथा महिलाओं को विद्यालय में कक्षा में पढ़ाने का अनुभव है? कुछ वर्ष पहले मैंने अपने एक शिक्षा मंत्री को यह सुझाव दिया था कि जो व्यक्ति हमारे विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं उनको गंदी बस्तियों वाले क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए क्योंकि तभी उनको पाठ्यक्रमों के पूरा करने की कठिनाइयों की जानकारी होगी। परि-

वह ने एक वर्ष में 220 से 240 दिनों का एक दिन में $5\frac{1}{2}$ से 6 घंटे के पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी।

लेकिन यहां तक कि दिल्ली में भी विद्यालयों में एक दिन में $5\frac{1}{2}$ घंटे से अधिक कार्य नहीं होता है। और कार्य दिवसों की कुल संख्या 175 दिन से अधिक नहीं हैं। प्रयोगशाला उपकरण की भी व्यवस्था नहीं है और प्रयोगशाला उपकरण निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक है। मेरा प्रश्न यह है कि परिषद जैसे संगठन को क्षेत्रीय कार्य करना चाहिए न कि वातानुकूलित कमरों में कार्य करना चाहिए। अमरीका में जब वे गणित की अध्यापन विधि में परिवर्तन करना चाहते थे तो उन्होंने अपने बडे-बड़े भौतिक-विज्ञानियों को विद्यालयों में कार्य करने के लिए भेजा। मैं मंत्री महोदय को एक ठोस सुझाव दे रहा हूं। हमें संवैधानिक निर्देश को कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करनी चाहिए और परिषद को आयोग का अंग बनाया जाना चाहिए। यह केवल राज्यों तथा राष्ट्रीय संस्था की सहायता से होना चाहिए जिसको प्राथमिक शिक्षा का कार्य सौंपा गया है। हम ऐसा करने पर ही शिक्षा के इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में सफल होंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।

व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि प्रत्येक जिले में एक उद्योग की स्थापना की जायेगी। यह पुनरीक्षा करने तथा सम्पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पद्धति का पुनर्गठन करने का समय है। यह शैक्षिक लोक साहित्य का एक अंग है जिससे विश्वास होता है कि व्यावसायिक आधार वाली शिक्षा से बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) लेकिन वह आधार है।

श्री ए० ई० टी० बैरो—मेरा आधार उस आधार की अपेक्षा अच्छा है जो निर्धारित-किया गया है। मैं कहता हूं कि जापान जैसे देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण से उद्योग नहीं बनें लेकिन उद्योग ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को बनाया। व्यावसायिक शिक्षा को विकसित करने तथा बढ़ाने के लिए उद्योग को सहायक होना चाहिए। जो कुछ उन्नतशील देशों में हो रहा है। मैं उसकी रूप रेखा बता रहा हूं। मेरी योजना के चार मुख्य अंग हैं। पहला अंग है; उद्योग तथा वाणिज्य। जिस व्यावसायिक शिक्षा का उद्योग तथा वाणिज्य से घनिष्ट सम्बन्ध नहीं होता है, जिसका इलेक्ट्रोनिक आधार है, उससे किसी प्रकार की आर्थिक उन्नति नहीं होगी। दूसरा अंग है, राज्य शिक्षा विभाग तीसरा अंग है; मजदूर संघ और चौथा अंग है, मां-बाप। 10 वर्ष की शिक्षा के पश्चात के आयु वर्ग को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा अर्थात माध्यमिक स्तर के बाद। व्यावसायिक शिक्षा विशिष्ट वर्षों के लिए होगी। योजना के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे? (क) सभी सुविधाओं सहित प्रशिक्षु प्रशिक्षण देने के लिए कानून के अनुसार उद्योग और वाणिज्य आवश्यक होंगे। जिसके लिए सप्ताह में कुछ दिन प्रशिक्षण देने के लिए विशिष्ट उपकरण सामग्री अध्यापक पर्यवेक्षीय कर्मचारियों आदि की आवश्यकता होगी जो किसी विशेष उपक्रम के लिए आवश्यक है; (ख) निधियां उद्योग और वाणिज्य द्वारा प्राप्त की जाएगी, (ग) प्रशिक्षुओं को उद्योग और वाणिज्य द्वारा उचित छात्रवृत्तियां दी जाएंगी; (घ) प्रत्येक राज्य शिक्षा विभाग ए डे किलीज पद्धति के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य शिक्षा उपलब्ध करने की व्यवस्था करेगा; (ङ) मजदूर संघों की भी कानून के अनुसार योजना में भाग लेने की आवश्यकता

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

होगी और वे इन संस्थानों के प्रबंध में भी भाग लेंगे। और (च) मां-बाप को प्रशिक्षणार्थियों की ओर से इन लोगों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षु अधिनियम को पुनः जांच करनी पड़ेगी और इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक उपयुक्त विधान भी पारित करना पड़ेगा। योजना का पश्चिम जर्मनी में प्रयोग किया जा रहा है। इसे पश्चिम जर्मनी में कार्यान्वित किया गया है। अन्य देशों ने अपने अध्ययन दल यह देखने के लिए भेजे हैं कि योजना किस प्रकार चल रही है और वे इसे कार्यान्वित करने वाले हैं।

इस योजना के लाभ हैं कि शिष्यता और शिक्षा दोनों को साथ-साथ चलाया जाता है। मैं बहुत इच्छुक हूं कि शिष्यता और शिक्षा वहां होनी चाहिए। प्रशिक्षण एक विशेष उपक्रम के लिए अपेक्षित विशिष्ट कुशलता से सम्बन्धित है। औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी होगी जो आजकल नहीं है। अध्यापन, प्रशिक्षण आदि तरीकों में परिवर्तन करके प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों को अपनाया जाएगा और उपकरण में भी परिवर्तन करने की आवश्वकता होगी। प्रशिक्षण व्यय उद्योग और वाणिज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रशिक्षण एक कार्यशाला पर्यावरण में दिया जायेगा न कि बनावटी पर्यावरण में जैसाकि आज-कल हो रहा है और इसमें रोजगार की गारंटी होगी।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मै शिक्षा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रायमिक शिक्षा की ओर। प्राथमिक शिक्षा की हालत रोज-बरोज खराब होती जा रही है। पिछले वर्ष भी शिक्षा मन्त्रालय के अनुदानों पर बोलते हुए मैंने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया था जहां कि आज भी 50 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय बिना भवन के खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं। जब भी बरसात आती है, उन 50 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षा का कोई कार्य नहीं होता है। 50 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय बरसात के दिनों में लगभग चार महीने बन्द रहते हैं। इसके अतिरिक्त कितने ही विद्यालय तो ऐसे हैं जिनके आस-पास कोई छाया तक नहीं है। फलस्वरूप धूप में, जाड़ों में खुले आसमान के नीचे बैठकर लड़के पढ़ते हैं। सबसे दुःख की बात तो यह है कि जहां से हमारी शिक्षा शुरू होती है, जहां से शिक्षा की बुनियाद पड़ती है, वहीं हम ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा के मामले में ऊंची-ऊंची बातें तो बहुत कही जा रही हैं, कुछ इस माननीय सदन में भी कही गई है लेकिन जो धरातल है, प्रारम्भिक शिक्षा की जो धरती है, जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठ सकेगा। प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, उसका स्तर भी रोजाना गिरता जा रहा है। यदि 20, 25 या 30 साल पहले के स्तर से मुकाबला किया जाये तो आज उसका स्तर बहुत नीचे गिर गया है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा का सामान होना चाहिए उसका नितान्त अभाव है। लड़कों के बैठने के लिए वहां पर टाट तक नहीं होता है, फरनीचर की बात तो छोड़ ही दीजिए। स्कूलों में ब्लैक-बोर्ड तक नही रहते है और न ही अध्यापकों के बैठने के लिए कुर्सिया रहती हैं। प्राथ-

मिक स्तर के विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं रहती है।

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए।)

4.39 म० प०

एक तरफ तो ये विद्यालय हैं जिनमें 35 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी अपनी शिक्षा शुरू करते है —चाहे वह शहरों में म्युनिसिपल बोर्डों के स्कूल हों या देहातों में जिला परिषदों के प्राथमिक स्कूल हो, और दूसरी तरफ एक शिक्षा प्रणाली पब्लिक स्कूल्स की चल रही है।

जहां पूरी आबादी का पांच प्रतिशत से भी कम वहां शिक्षा पाता है। वहां पर बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था होती है, लेकिन फीस बहुत अधिक ली जाती है। लोग प्रवेश पाने के लिए डोनेशन्स देने तक के लिये भी तैयार होते हैं और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इन स्कूलों में एडमिशन्स पाने के लिए लोग परेशान रहते हैं। इस तरह से शिक्षा के मामले में समान अवसर की बात बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सबसे पहले मैं अपने शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा की जो भी नीति आप बनाने वाले हों, उसकी शुरुआत नीचे से ही होनी चाहिए। नीचे से ही जब तक शुरुआत अच्छी नहीं होगी, तब तक उसका लाभ ठीक प्रकार से नहीं मिल सकता यही कारण है आज कि बड़ी संख्या में लड़के स्कूल जाने से घबराते हैं। स्कूल जा भी नहीं पाते हैं। हमारे यहां कम्पलसरी शिक्षा है प्राइमरी शिक्षा, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे विद्यार्थी हैं, जो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर धरातल शिक्षा को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा के मैदान में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर देना चाहिए। जब तक पब्लिक स्कूल समाप्त नहीं होंगे, तब तक शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलेगा।

एक माननीय सदस्य— पब्लिक स्कूल समाप्त हो जाएंगे, तो हम ही लोग समाप्त हो जाएंगे।

श्री जंगुल बशर —पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर देना चाहिए और एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि एक क्षेत्र के लोग उसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा पाएं। वे दूर जाकर शिक्षा न पाएं। इससे मैं समझता हूं कि जो साहब अभी कह रहे थे पब्लिक स्कूल बन्द न किए जाएं, ऐसे लोगों का ध्यान भी प्राथमिक स्कूलों को ऊपर उठाने की तरफ जाएगा। नहीं तो ये लोग अपने लड़कों को अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज देंगे और हिन्दुस्तान के 95 प्रतिशत लड़के-लड़कियां जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा पाते हैं, उनकी तरफ कभी आपका ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक क्षेत्र के लोग उसी क्षेत्र के विद्यालय में कानून के द्वारा शिक्षा प्राप्त करें, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, माध्यम शिक्षा का भी स्तर हमारे देश में गिरता जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में आजकल हाई-स्कूल और इण्टर-मीडिएट के इम्तिहान हो रहे हैं। सभापति जी आप केरला से आते हैं, मैं नहीं जानता आप के राज्य में क्या हाल है, लेकिन हमारे यहां विद्यालयों में नकल हो रही है। हमारे शिक्षा मन्त्री जो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुझे आशा है कि उनको इस बात की जानकारी होगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है।

श्री जंगुल बशर : नकल में अकल की कोई जरूरत नहीं है। दस साल बाद आपको अकल ही नहीं मिलेगी। सारे विद्यालयों में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल हो रही है। खुले आम नकल हो रही है। बहुत कम विद्यालय गिनती में ऐसे मिलेंगे, जहां नकल करने के लिए प्रधानाचार्य इजाजत न देते हों और जहां नकल न हो रही हो। ऐसी स्थिति में पास होने वाले विद्यार्थी जब ऊपर उठेंगे तो उनकी शिक्षा और उनके शिक्षित होने का स्तर क्या होगा, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि परीक्षा की प्रणाली में आमूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

नकल करने बावजूद भी वे ठीक प्रकार से सवाल का जवाब दे सकें, उनकी नालिज को ठीक प्रकार से टेस्ट किया जा सके, इसके लिए कोई नयी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। आज मास्टर वगैरह सब नकल करवाते हैं। मुझे दुख है कि सरकार का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया है।

अब मैं ऊंची शिक्षा की तरफ आना चाहता हूं। मेरा तात्पर्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा से है।...

श्री गिरधारी लाल व्यास : टेकनीकल शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री जंगुल बशर : वह बात आप कीजिए।

आज देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने समय से नहीं चल रहे हैं, जो अपने शिक्षा सत्र से पीछे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं, जो शिक्षासत्र मे पीछे हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहले प्राविजनल एडमीशन्ज होते थे, उस प्राविजनल एडमीशन में मार्क्स-शीट या सर्टिफिकेट 6 महीने में दाखिल करने की इजाजत होती थी। लेकिन वह सिस्टम अब बन्द कर दिया गया है, आज बहुत से विश्वविद्यालयों के शिक्षा सत्र के मामले में पीछे होने की वजह से बहुत से विद्यार्थी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मे एडमीशन पाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं खास तौर से शिक्षा मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आप जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ ध्यान दें।

अन्तिम बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी केन्द्रीय यूनीवर्सिटियों की संख्या में इजाफा होना चाहिए, बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। बहुत-सी यूनिवर्सिटीज जो प्राचीन काल से हमारे देश में चलती आ रही हैं, उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, इस दृष्टि से हर राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय जरूर होना चाहिए। जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं मांग करना चाहता हूं, शिक्षा मन्त्री जी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वह जरूर विचार करें।

[अनुवाद]

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कंटई) :—महोदय, मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। परंतु

मेरे कुछ सुझाव हैं, और मैं यह भी जानती हूं कि इस थोड़े से समय में मैं उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से नहीं बोल पाऊंगी जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

मैं एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचार का तो दिल से स्वागत करती हूं। हमें शिक्षा मन्त्रालय से एक दस्तावेज प्राप्त हुआ है और मैं उस दस्तावेज का समर्थन भी करती हूं लेकिन मैं यह महसूस करती हूं कि इस दस्तावेज में अभी सुधार की और भी गुंजाइश है। सबसे पहले, मैं पाठ्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगी। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव पर आधारित होना चाहिये। बचपन से ही, बच्चों को भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन्हें विभिन्न राज्यों के बारे में मालूम होना चाहिये, उन्हें धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिये। उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि वे भारतीय हैं और भारत एक है और सभी लोग भारत के हैं। और इसी ढांचे में ही प्रत्येक राज्य को अपने विचारों के विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए।

यहां मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। मैं राज्य के किसी विषय के बारे में यहां नहीं बता रही हूं बल्कि मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हूं। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने पाठ्यक्रम से रवीन्द्रनाथ टैगोर का "सहज पथ" हटाने का निर्णय किया तो हम लोगों ने प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार से संघर्ष किया और हमें सफलता मिली। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि शरत चन्द्र और विवेकानन्द को भी पाठ्यक्रम से हटाया गया है। मैं नहीं समझती कि इस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता है। यदि कोई राष्ट्रीय नीति हो तो इस प्रकार की बातें नहीं हो सकेंगी और हम एक ही ढांचे के भीतर रहकर कार्य कर सकें। मैंने शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह कैम्पों का आयोजन करने पर विचार करें। सामान्यतः एक स्कूल के बच्चे कैम्प में जाते हैं। लेकिन मैं जोरदार शब्दों में यह सुझाव देती हूं कि इन कैम्पों को बच्चे एक ही स्कूल तक अथवा केवल एक ही स्कूल के आधार पर आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि इन कैम्पों में विभिन्न भाषाओं, धर्मों तथा जातियों के बच्चे शामिल किए जाने चाहिये। शहरी बच्चों को ग्रामों में ले जाया जाना चाहिए। उन्हें गांवों के बारे में जानकारी होनी चाहिये और गांवों के बच्चों को शहरों में लाया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि बहुत छोटे रूप में हमने विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों तथा विभिन्न राज्यों के बच्चों के कैम्पों का आयोजन किया और हम उसमें बहुत सफल भी रहे। मेरा सुझाव है कि शिक्षा मंत्री को इस बारे में विचार करना चाहिए।

सरकार ने निरक्षरता को समाप्त करने का निर्णय किया है, लेकिन यदि स्वैच्छिक संगठनों को काम करने की इजाजत नहीं दी जाती तो निरक्षरता को समाप्त करने की बात सोचना भी सम्भव नहीं होगा। एक नियम है कि राज्य संगठन का आवेदन पत्र राज्य सरकार द्वारा अग्रेसित होना चाहिए। हमारे राज्य में संगठनों को पंचायत के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। आप अनुभव कर ही सकते हैं कि इसमें कितना समय लग जाता होगा। पंचायतों को जिला मुख्यालय में उस आवेदन पत्र को भेजने में समय लगता है और फिर जिला मुख्यालय उसे केन्द्र सरकार के पास भेजने के लिए उसे राज्य सरकार को भेजता है, इसका परिणाम यह होता है हर स्तर पर सिर्फ समय और शक्ति की बरबादी क्योंकि उस आवेदन को हर स्तर से आगे गुजारना होता है, अतः हम परिस्थितियों में काम करना किसप्र कार संभव हो सकता है? इस सम्बन्ध में, मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि मेरे ख्याल से पिछले वर्ष के बजट में

[श्रीमती फूलरेणु गुहा]

पश्चिम बंगाल सरकार ने संघ सरकार को काफी बड़ी राशि वापस लौटाई है। साथ ही, अनेकों संगठनों के आवेदन पत्र भी केन्द्र को नहीं भेजे गये। अतः माननीय शिक्षा मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस बारे में विचार करें कि इस प्रणाली को किस प्रकार बदला जा सकता है या इसमें कुछ किया जा सकता है।

अब मैं भारी संख्या में महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता के प्रश्न पर आती हूं, जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में साक्षर पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच भारी अन्तर आता जा रहा है। केवल लड़कियों की शिक्षा मुफ्त कर देने से ही लड़कियां स्कूल में भरती नहीं हो पाएंगी। पश्चिम बंगाल और राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा मुफ्त है, फिर भी इन राज्यों को महिला-शिक्षा में पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है। लड़की को अपने छोटे भाई-बहनों की देख भाल करने के लिए स्कूल से बिठा लिया जाता है क्योंकि मां बाप को करने लिए बाहर जाना पड़ता है या फिर लड़की को ही परिवार के लिए पैसा कमाने को मजबूर होना पड़ता है। जैसी स्थिति हमारे भारत में है उस स्थिति में हमें लड़कियों के स्कूल के आस-पास 'क्रेच' और "बालबाडियां" खोलने की नीति बनानी चाहिये। अन्यथा कुछ नहीं हो पायेगा। लड़कियों की शिक्षा के लिए जोरदार प्रयासों की आवश्यकता है पिछले दस वर्षों के दौरान न केवल अशिक्षित महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है बल्कि प्रति युत्तर पुरुषों में निरक्षर महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है; यह संख्या 1971 में 1330 की जो 1981 में बढ़कर 1427 हो गई। अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की हालत तोअ खराब है।

मुझे याद है कि महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी बाधाओं को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग (1958-59)की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी लेकिन बहुत सी सिफारिशों हर अभी तक भी अमल नहीं हो पाया है

भारत में महिलाओं की स्थिति विषयक समिति ने महिलाओं के शिक्षा सम्बन्धी विवाद थी 1975 के विस्तार से समीक्षा की थी। संसद में, इसी सदन में, सर्वसम्मति से यह संकल्प किया गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के रास्ते में आने वाली बाधाओं एवं असमानताओं को समाप्त करने के लिए व्यापक कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं एक बार फिर यह कहती हूं कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों को भी वर्तमान पाठ्यक्रमों में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सभी छात्रों को उनके बारे में जानकारी हो सके। विभिन्न विभागों में उनके बारे में विचार करना चाहिये। महिलाओं की समस्याएं एवं उनकी स्थिति शिक्षा की विषय सूची में शामिल किये जाने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में यह भावना पैदा होनी चाहिए कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें समान हैं। गृह विज्ञान, बाल विकास तथा पौष्टिक आहार जैसे विषय अभी तक भी लड़कियों के ही पाठ्यक्रम में हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन होना चाहिए और बाल विकास [गृह विज्ञान, पौष्टिक आहार आदि जैसे विषयों को हमारे सामान्य अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : यह नहीं सोचा जाना चाहिये कि ये विषय केवल महिलाओं के लिए ही है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं के, उनकी वर्तमान स्थिति, उनके अधिकार तथा उनके सामाजिक परिवेश के बारे में और अधिक सामग्री निहित होनी चाहिये।

मुझे विश्वास है कि सरकार हमारे युवा वर्ग में कुछ आदर्शवाद लाने की आवश्यकता को भी महसूस करेगी और उनमें से एक आदर्श है पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का आदर्श।

मैं शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांग का खुले दिल से समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय : श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद।

***श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** (मयूरम) : सभापति महोदय, शिक्षा मन्त्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की मांग का स्वागत करते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

महोदय यदि सरकार को देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ों को और गहरा करना है तो शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देना चाहिये। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिक्षा ही देश के राजनीतिक, औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के मूल ढांचे की बुनियाद है। यह एक ऐसी मजबूरी है जिसने केन्द्रीय सरकार को बाध्य किया है कि वह शिक्षा को हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करें।

हमारे युवा और गतिशील प्रधानमन्त्री ने देश को एक नए युग में प्रवेश दिलाया है और इसकी पुष्टि इस बात से हो सकती है कि उन्होंने 12वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा को निःशुल्क करा दिया है। स्कूल न जाने वाले बच्चों में अधिकांश संख्या में लड़कियां ही हैं और उनमें भी बीच में ही पढ़ाई छोड़कर बैठ जाने वाली लड़कियों की संख्या चिन्ताजनक है। मैं उन दोनों निर्णयों का यहां उल्लेख करना चाहता हूं जो हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री की कार्य क्षमता को सिद्ध करते हैं। वे दो निर्णय हैं :—

(1) माननीय मन्त्री महोदय एक ऐसी योजना लागू करने जा रहे हैं जिससे राज्य सरकारों को उतनी क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी जितनी कि उन्हें लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी फीस वसूल न करने के कारण हानि होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उन राज्यों को 90 : 10 के अनुपात में अनुदान देगी जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करते हैं।

यह वास्तव में खेदजनक है कि 1985 के वर्ष में भी 9 राज्य शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से अपील करता हूं कि इन 9 राज्यों में शिक्षा की प्रगति के लिए जोरदार प्रयास करें।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर

[ई० एस० एम० फकीर मोहम्मद]

हम तब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं पा सकते जब तक कि देश के कोने-कोने में शिक्षा का प्रचार नहीं हो जाता। स्वतन्त्रता के 38 वर्षों के बाद भी, हमारे देश में 60 प्रतिशत निरक्षरता है। मेरा सुझाव है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से राशि का नियतन किया जाना चाहिए और प्रौढ़ शिक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें शिक्षा के व्यवसायी करण में भी सफलता नहीं मिल पाई है। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा के व्यवसायीकरण की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार की 1968 की शिक्षा नीति में इस पहलू पर काफी महत्व दिया गया था। 1976 में इस प्रशंसनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10+2 की शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। आज भी कुछ राज्यों ने इस 10+2 प्रणाली को नहीं अपनाया है। मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में इस मामले में असफलता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इस असफलता का कारण कालेजों में तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जबरदस्त भीड़-भाड़ होनी है। स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण की बहुत धीमी गति का कारण भी, स्थानीय उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस दिशा में सहयोग न करना ही है। इस पृष्ठभूमि में मैं सरकार के उस निर्णय का स्वागत करता हूं जिसमें उसने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक जिले में एक माडल स्कूल की स्थापना करने और इस माडल स्कूलों में दो-तिहाई स्थान ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाने का निर्णय किया है।

इसके साथ-साथ, सभी राज्यों में ओपिन स्कूल परियोजना भी लागू की जानी चाहिए। इस समय सैन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन केवल एक ही ओपन स्कूल परियोजना चला रहा है, जिसमें 8000 छात्रों ने दाखिला लिया हुआ है। यह गैर-औपचारिक शिक्षा का बेहतरीन उदाहरण है। मेरा सुझाव है कि सभी राज्यों में ओपेन स्कूल परियोजना लागू की जानी चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूली शिक्षा को सुधारने पर ध्यान दे रही है, कालेज शिक्षा के सुधार पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है जिसका स्तर बहुत ही गिर गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों को केवल अनुदान स्वीकार करने का कार्य करने तक ही सीमित है; इसे इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि कालेज शिक्षा में भी सुधार हो। मेरा सुझाव है कि कालेज शिक्षा के स्तर की जांच करने के लिए और कालेज शिक्षा की विषय वस्तु में सुधार सम्बन्धी समुचित सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई छोड़कर बैठने वाले छात्रों की संख्या भी काफी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० आर० ने पोषाहार योजना लागू की है। उनका कहना है कि वह यह नहीं चाहते कि जो बच्चे, मानवता की खिलती हुई कली हैं, खाने की कमी के कारण कुम्हला जाएं। हमसे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई है। यहां तक कि यूनेस्को के विशेषज्ञों ने भी सिफारिश की है कि इस इस योजना को सर्वव्यापी आधार पर लागू किया जाए। विदेशों की शिक्षा सम्बन्धी पत्रिकाओं में अनेकों लेख इसके बारे में छप चुके हैं। मेरा सुझाव है कि यह योजना सभी राज्यों में लागू की जानी चाहिये ताकि

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई छोड़कर बैठने वालों की संख्या को बिल्कुल ही समाप्त किया जा सके।

मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे गतिशील प्रधानमन्त्री ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर दिया है। अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर ही शुरू की जानी चाहिये ताकि उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए छोटे-छोटे बच्चों के मस्तिष्क में शुरू से ही ईश्वरीय अस्तित्व राष्ट्रीयता और भक्ति के प्रति सम्मान पैदा हो सके।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

5.00 म० प०

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पारवतीपुरम्) : सभापति महोदय, हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कुछ समय से समवर्ती सूची में है। आज इस सरकार ने कहा है कि वह 1990 तक शिक्षा को सर्व सुलभ बना देगी। आज प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों के ही कार्य अंग में है। और जिस तरह से आज यह सब चल रहा है, मैं नहीं समझता कि सन् 2000 तक की शिक्षा सर्वसुलभ हो पाएगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि गांवों में अनेकों ऐसे स्कूल हैं जिनमें अध्यापक ही नहीं हैं। अनेकों में स्कूल की इमारत ही नहीं हैं और कुछ में तो स्कूलों में फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड और अन्य साजो-सामान भी नहीं है जिसकी शिक्षण के लिए आवश्यकता होती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अनेकों राज्यों में प्राथमिक और प्रारम्भिक स्तरों की शिक्षा स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित होती हैं या वह राज्य सरकार के नियंत्रण में से है। मुझे लगता है कि इन स्कूलों में अनेकों में अध्यापक गण स्कूलों में पढ़ाने ही नहीं जाते। अनेकों मामलों में अध्यापकों का उपयोग निचले स्तर के स्थानीय राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है और कभी-कभी तो इनका उपयोग विधायकों और सांसदों द्वारा भी इस तरह किया जाता है कि उन्हें पढ़ाने का समय ही नहीं मिल पाता।

5.03 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब तक हम अध्यापकों को इन लोगों के चंगुल से मुक्त नहीं कराते, तब तक ग्रामीण इलाकों में, जिलों में, और ताल्लुकों में शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो सकता।

हमारे देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, जिलों और छोटी इकाइयों में, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, शिक्षा का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार शिक्षक कौन हैं? शिक्षक वह व्यक्ति है जो उस पीढ़ी को तैयार करता है जिसने हमारे देश के भविष्य को सम्भालना है।

शिक्षक को जो परिलब्धियां और अन्य चीजें प्राप्त होती है वे जो कि बहुत कम होती है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि शिक्षक को जो कार्य सौंपे जाते हैं, उनके अतिरिक्त उस पर एक

[श्री बी० एस० किशोर चन्द्र देव

निश्चित जिम्मेदारी भी होती है, वस्तुतः अध्यापक शैक्षिक संस्थाओं की निर्णय करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए नहीं है और वस्तुतः बहुत सी बातें शिक्षक पर थोप दी जाती हैं अनेक मामलों में हम यह पाते है कि मुख्याध्यापकों को टूटे हुए फर्नीचर को बदलने अथवा ऐसे छोटे-छोटे निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है जो किसी छोटी संस्था के सुगम कार्यचालन के लिए आवश्यक है।

जहां तक शिक्षिकों की नियुक्तियों का प्रश्न है, इसके लिए ऐसी कोई नियुक्ति नीति नहीं है जिसका एक रूप अनुपालन किया जा रहा हो। मैं यह समझता हूं कि जब तक इनके स्तर में सुधार नहीं किया जाएगा, हमारे देश में शिक्षा के महत्त्व में कोई सुधार नहीं होगा। मुझसे पहले के वक्ता व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत अधिक कह चुके हैं। श्री बेरो ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि यदि व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाना है तो इसे कम से कम आठवीं कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए और नौकरियों को डिग्रियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जैसा कि मेरे माननीय साथी ने कहा है व्यावसायिक प्रशिक्षण कतिपय उद्योगों अथवा व्यवसायों की सहमति से प्रशिक्षुता के आधार पर दिया जाना चाहिए और जो व्यक्ति इन विषयों में प्रशिक्षित है उन्हें उन व्यक्तियों की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिए जिनके पास संभ्रान्त शिक्षा संस्थाओं की डिग्रियां हैं।

शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक वर्षों से चर्चा होती आ रही है। अनेक समितियां आई और गई अनेक रिपोर्टें इस सभा के पटल पर रखी गई और उन पर यहां चर्चा भी हुई है। एक नई शिक्षा नीति की घोषणा करना बहुत अच्छी बात है किन्तु आपकी नई शिक्षा नीति क्या है? नीति नई हो या पुरानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य बात यह है कि आप किस बात पर जोर देते हैं; अन्ततः यह सब इस बात पर निर्भर है कि आप अपनी नीति में किन बातों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। आज आप हर जिले में आदर्श विद्यालय खोलने की सोच रहे हैं ये आदर्श विद्यालय किस प्रकार के हैं? मुझे बताया गया है कि सरकार में कुछ जिम्मेदार लोगों ने शिक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों से बात चीत करते हुए बताया था कि वे प्रत्येक जिले में दून अथवा शेखुड किस्म के स्कूल खोलना चाहेंगे। इन स्कूलों से शिक्षा छोड़ देने वाले और सनकी किस्म के ऐसे काफी लड़के हैं जो हमारे देश को विनाश की ओर ले जाते हैं। मेरा विचार है कि भविष्य में हम उनके बिना काम चला सकेंगे·····(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे यहां दून से पढ़े बहुत अधिक व्यक्ति शामिल हैं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : मुझे आशा है कि शिक्षा मन्त्री, जो कि एक समझदार व्यक्ति हैं, इन बातों को समझेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देंगे कि शिक्षा के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी बनी रहे। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना अथवा केवल पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन करना ही नहीं है, शिक्षा का अर्थ कुछ और भी है संस्कृति को शिक्षा मन्त्रालय से अलग कर दिया गया है। संस्कृति प्रारम्भ से ही और सदा ही शिक्षा का अंग रही है किन्तु अब यहां खेलों के साथ है। यह स्वयं उस रोग का लक्षण है जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था ग्रस्त है। मैं जानना चाहता हूं संस्कृति का खेलों से क्या सम्बन्ध है। मेरा मन्त्री महोदय से यही अनुरोध है कि वे मानसिक

संस्कृति पर जोर दें, न कि शारीरिक संस्कृति पर जिसे कि हम हाल ही के वर्षों में अनेक रूपों में देख चुके हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे स्कूल शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग गठित करने का विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सुझाव भी हमारे माननीय सदस्यों में से किसी सदस्य ने दिया होगा और मैं इस सुझाव का समर्थन करना चाहूंगा।

शिक्षकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा भी एक रिपोर्ट तैयार की जानी थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और क्या यह सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है और यदि हां, तो वह इसके सम्बन्ध में क्या करने जा रही है।

मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पहले ही अनेक माननीय सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं। मैं केवल कुछ मुद्दों को यहां रखना चाहता था। मैं यह अवसर दिए जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मन्त्री महोदय से यह आशा करता हूं कि वे स्पष्ट रूप से यह बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में वे इस देश को किस दिशा में ले जाएंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है और हमारी कल्याणकारी सरकार के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इस वर्ष हम बजट में शिक्षा पर 229 करोड़ रुपए व्यय करने जा रहे है और सभी राज्यों के बजट को देखते हुए मैं कह सकती हूं कि राज्यों में भी प्रति वर्ष शिक्षा का बजट बढ़ता जा रहा है। जब हम 1947 में आजाद हुए तो उस समय हम शिक्षा पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से केवल 2 रुपये व्यय करते थे जब कि आज की तारीख में हम शिक्षा पर प्रति व्यक्ति 66 रुपये व्यय करते हैं। फिर भी, आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या वह उपयोगी और ठीक है। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहूंगी कि इसका उत्तर नकारात्मक है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं इस बात को माना है और नई शिक्षा नीति की घोषणा भी वे कर चुके हैं कि उस नई शिक्षा नीति पर विचार चल रहा है जिसके अनुसार अब शिक्षा के चार मुख्य आधार होंगे—नौकरियों से डिग्री को अलग करना, प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूलों की स्थापना, ओपन यूनिवर्सिटीज खोलना और व्यावसायिक शिक्षा। मैं इन चारों बातों का स्वागत करते हुए आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहूंगी।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात नई नहीं है बल्कि शुरू से ही शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की बात समय-समय पर कही जाती रही है, कभी कोठारी आयोग द्वारा, कभी राधा कृष्णन आयोग द्वारा और जिस नई शिक्षा नीति की रूपरेखा हमारे सामने आई है, जैसा हमें अखबारों में पढ़ने को मिला है, उसके अनुसार आपने तीन एक्सपर्ट्स को शामिल करके एक कमेटी का गठन किया है जो शिक्षा नीति में परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सुझाव देगी, जिसमें श्री पी० एन० श्रीवास्तव, श्री पी० एल० मल्होत्रा तथा प्रोफेसर मनीष रजा शामिल हैं इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ये तीनों एक्सपर्ट्स दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके सोचने का दायरा बड़े शहरों तक ही सीमित है जबकि हमारे देश में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या देहातों में

[निर्मला कुमारी शक्तावत]

रहती है। देहाती शिक्षा और गांवों के स्कूलों के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है। वहां की कण्डीशन्स से वे पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा नीति में आप जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं, इस विषय पर आप शिक्षा विभाग के ब्यूरोक्रेट्स पर ही निर्भर न रहकर, देश भर के विद्वानों को ओपन डिस्कशन के लिए आमन्त्रित करें और उनके सुझाव लेकर ही शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण और बुनियादी विषय में परिवर्तन करें।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हमें एक महत्त्वपूर्ण बात यह दिखाई देती है कि आजादी के इतने लम्बे समय के बाद भी हम देश से अशिक्षा को अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 72 करोड़ व्यक्ति अशिक्षित हैं और उनमें से 34 करोड़ व्यक्ति अकेले भारत देश में हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं। मेरा निवेदन है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व के आधार पर हमने जिस निशुल्क और बुनियादी शिक्षा की बात को माना है, उसको लागू करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए यदि हमें बजट में विशेष प्रावधान भी करने पड़ें तो वह भी करने चाहिए।

सातवीं पंच वर्षीय योजना में 1990 तक प्राइमरी एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन के संबंध में आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी शिक्षा नीति फ्लैक्सिबल होनी चाहिए जिसमें समाज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। आज हम देखते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति अपने पैतृक धंधे से दूर होते जा रहे हैं। किसान का लड़का पढ़-लिखकर कृषि कार्य से परहेज करने लगा है, एक बढ़ई का लड़का पढ़-लिखकर बढ़ई के कार्य से परहेज करने लगा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से देश के सामने "श्रम एव जयते" का नारा दिया था, हमें अपनी शिक्षा में उस नारे को जोड़ते हुए नई नीति निर्धारित करनी चाहिए। तभी हम लोग शिक्षा के सम्बन्ध में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर पाएंगे।

हमारी शिक्षा-नीति पूरी तरह से दोषपूर्ण हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि विश्व भर में प्रसिद्ध कई वैज्ञानिक हमारी इसी शिक्षा पद्धति के द्वारा ही प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे डा० खुराना, प्रो० रमन और चन्द्र शेखर के नाम को हम कैसे भुला सकते हैं जिन्होंने इसी धरती पर शिक्षा प्राप्त की और दुनिया भर में नाम कमाया।

इसी तरह से हमारे कई साइंटिस्ट्स और डाक्टर्स आज गल्फ कन्ट्रीज और दूसरे देशों में हैं। इसीलिए शिक्षा के वर्तमान ढांचे में ही परिवर्तन करके हम शिक्षा नीति बनाएं। सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि शिक्षा ऐसी हो, जो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे।

संविधान में 42 वां संशोधन करके आपने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना लिया है। मेरा सुझाव है कि जब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बन ही गई है तो प्राइमरी और हायर सेकेन्ड्री एजूकेशन को आप राज्यों का विषय रखें और कालेज व यूनिवर्सिटी का विषय केन्द्रीय सूची में लाएं,

चाहे इसके लिए आपको संविधान में परिवर्तन क्यों न करना पड़े, ताकि नेशनल इंटीग्रेशन की भावना पैदा हो सके और यूनिफार्म शिक्षा हो सके। हमारी शिक्षा का सिलेबस, पैटर्न और एग्जामिनेशन का सिस्टम एक हो सके।

आज यूनिवर्सिटीज में अलग-अलग व्यवस्था है। तमिलनाडु में पढ़ने वाला विद्यार्थी राजस्थान में और अरुणाचल में पढ़ने वाला विद्यार्थी गुजरात में एडजस्ट नहीं हो सकता। जब तक एक जैसा सिलेबस, यूनिफार्म सिलेबस नहीं बनाएंगे तब तक हम शिक्षा में परिवर्तन की बात सोचते ही रहेंगे।

आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्था है, क्यों नहीं हम यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के बारे में सोचें ? यूनिवर्सिटीज में जाने वाले शिक्षक—वाइस चांसलर, रीडर, प्रोफेसर, लेक्चरर्स—इन सबका सिलेक्शन यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से हो और वहीं से देश के अन्य भागों में हम उनको भेजें।

उच्च शिक्षा में बहुत लम्बे समय तक उपेक्षा इस देश में सहन नहीं की जा सकती। आपने ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचा है। स्कूल और कालेज तक आपका ओपन स्कूलों का प्रोजेक्ट सफल रहा है। इसी तरह से ओपन यूनिवर्सिटीज में कौरस्पोडेंस कोर्स के माध्यम से हम विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों की भीड़ कम कर सकेंगे।

ओपन यूनिवर्सिटीज के आप हर राज्य में सैंटर्स कायम करें ताकि कौरस्पोडेंस कोर्स के साथ-साथ प्रोफेसरों से भी सम्पर्क किया जा सके।

स्टूडेंट्स अन-रेस्ट आज एक विश्व समस्या है। यह क्यों है और हमारे देश मे क्यों है ? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। इसका मुख्य कारण हमारी एजूकेशन की नीति का डिफैक्टिव होन है। एक कारण यह भी है कि विद्यार्थियों की भविष्य के प्रति अनिश्चितता होती है कि पढ़-लिखकर क्या करेंगे और क्या बनेंगे ?

आज गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन हो रहा है, कभी असम में यह आन्दोलन होता है। यह इसीलिये है कि आज विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि आगे क्या करेंगे ?

स्टूडेंट्स की भीड़ कालेज और यूनिवर्सिटीज में इतनी है कि टीचर और टौट का सम्बन्ध एक श्रोता और टेप-रिकार्डर का-सा हो जाता है। इसको कैसे कम करें, इसके लिए मंत्री महोदय सोचें।

जिन विद्यार्थियों का अच्छा परसेन्टेज है, उच्च परसेन्टेज वाले सफल विद्यार्थियों को ही और ओपन यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलना चाहिये। साथ ही फेल होने वाले विद्यार्थियों को किसी तरह भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलना चाहिये बल्कि उनके लिये ओपन यूनिवर्सिटीज में द्वार खुला रखें।

आज हमारे सामने एक समस्या यह है कि विद्यार्थियों में विध्वंसात्मक और तोड़फोड़ की प्रवृत्ति है। उसको रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि एन० सी० सी० और मिलैट्री एजूकेशन कालेज

[निर्मला कुमारी शक्तावत]

और यूनिवर्सिटीज में कम्पलसरी होनी चाहिए। इससे हमारी सैकिंड लाइन आफ डिफेन्स तैयार होगी।

क्योंकि आज सारे विश्व में शीत युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे देश की सीमायें दुश्मनों से घिरी हैं। "एम्पटी माइड इज दा डेविल्स वर्कशाप" होता है विद्यार्थियों को मिलिट्री साइंस और एन० सी० सी० शिक्षा देंगे तो दोहरा काम होगा।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयता और मॉरल एजुकेशन इन शिक्षण संस्थाओं में, इन यूनिवर्सिटीज में जोड़ी जानी चाहिए।

आज पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने हैं। पर्यावरण के लिये हमारी शिक्षा के सिलेबस में पर्यावरण के बारे में एजुकेशन दी जानी चाहिए। साथ ही जनसंख्या के बारे में हम अपने सिलेबस में इस बात को रखें।

अब मैं थ्री लैंग्वेज फार्मूले के बारे में कहना चाहूंगी। बहुत लम्बे समय से इसकी बात कर रहे हैं। परन्तु न तो कई राज्यों में इसको माना गया है, न ही यूनिवर्सिटीज में माना गया है। इसलिये हमारी जो स्थानीय भाषा है, प्रान्तीय भाषा है, हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी तथा अन्य भाषा अंग्रेजी, जर्मन या फ्रेंच इन तीनों भाषाओं का पढ़ाना अति आवश्यक है।

महोदय आपने यह कहा है कि आप नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को जोड़ेंगे। क्यों न हम प्री-प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सोचते। मंत्री महोदय प्री-प्राइमरी एजुकेशन के बारे में अवश्य ध्यान दें। प्राइमरी शिक्षा के बारे में टीचर्स का सिलैक्शन बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए क्योंकि अध्यापक एक जलते हुए दीप के समान है, जिसने कई दीप शिखायें प्रज्जवलित की हैं। यदि दीप जलता नहीं है, दीप यदि बुझता है तो उससे सारे दीप कैसे जलेंगे, इसलिये उनका सिलैक्शन बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग के लिये उनको ओरिटेंशन कोर्सिज दिये जाने चाहिए।

मान्यवर, मॉडल स्कूल की जो बात कही गई है, मैं इसका स्वागत करती हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि मॉडल स्कूल कैसे होंगे? मेरा आपसे सुझाव है कि हमारी जो प्रारम्भिक आश्रम व्यवस्था थी उसमें जो अच्छी बातें थी। यह हमारे रेजीडेंटल स्कूल्स होंगे और इनका प्रारूप आश्रम व्यवस्था के साथ जोड़ें ताकि हम आधुनिक और प्राचीन दोनों के समन्वय से इन मॉडल स्कूल को एक मॉडल के रूप में बना सकें, अन्य स्कूल भी इसमें बन सकें।

मान्यवर, इसके साथ ही हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वह बहुत ही मोनाटनस है। एक बच्चा पढ़ता जाता है, लम्बी सारी किताबें पुस्तकें होती हैं, इसलिये शिक्षा को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हर विषय उसका प्रैक्टिकल हो।

मान्यवर साथ ही आपने इनसैट के माध्यम से दूरदर्शन की व्यवस्था की है। परन्तु इसका सुबह

ही जवाब दिया गया है कि बहुत कम स्थानों पर ही इसको व्यवस्थित तौर पर सभी जगह जोड़ा। हमारी सैकेण्डरी एजुकेशन व्यावसायिक हो। 10+2 स्कीम के बारे में कहा जाता है, परन्तु 10+2 स्कीम हमारी बहुत-सी जगहों पर नहीं हो पायी है, आर्थिक अभाव के कारण ऐसा हुआ है। इसके लिये मैं सुझाव देना चाहूंगी कि इसमें किस प्रकार की हमारी व्यावसायिक शिक्षा हो, उसको आप सोचें। वर्कशाप ट्रेनिंग, लड़कियों के लिए होम साइंस, इसके साथ ही हम वैटरनरी साईंस और हथकरघा के बारे में दे सकते हैं।

मान्यवर, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में आपने जो निर्णय लिया है कि उनकी हायर सेकेंडरी तक शिक्षा फ्री होगी, उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं क्योंकि एक लड़के को पढ़ाने का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति को पढ़ाना और बालिका को पढ़ाने का मतलब होता है पूरे परिवार को शिक्षित करना, इसलिये आपका कदम स्वागत योग्य है। मेरा सुझाव यह है कि बहुत ही कम शिक्षा का परसेंट महिलाओं का है। कालेज एजुकेशन फ्री हो जानी चाहिए जैसे राजस्थान में है। अगर सभी जगह कालेज एजुकेशन फ्री करते हैं तो यह बहुत ही उपयुक्त कदम होगा।

माननीय, आज शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। शिक्षा की दूकानें खुली हुई हैं। कहीं पर छोटे-छोटे स्कूल खोल दिये जाते हैं। गलियों मोहल्लों में इस प्रकार से जो अनाप-शनाप पैसा वसूल किया जाता है। इसलिये आपको कानून में संशोधन करना होगा।

आज आपका कानून यह नहीं बताता है। आठवीं तक पढ़ाई का स्कूल कोई भी खोल सकता है बिना डायरेक्टर से पूछे हुए। परन्तु यदि हम इस प्रकार की पाबन्दी लगा देंगे तो ये शिक्षा की दूकानें बन्द हो जायेंगी। इसलिए शिक्षा के बारे में हमें पूरे स्तर पर सोचना होगा। प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, सैकेण्ड्री और कालेज एजूकेशन ये सभी बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं। इसके ऊपर आप वाद-विवाद आमन्त्रित करके बहुत सोच विचार कर नीति का निर्धारण करें ताकि एक महत्वपूर्ण समस्या जो हमारे देश की है उसका हम समाधान कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा के अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री ने एक बार कहा था कि सभी बच्चे समान नैसर्गिक गुण लेकर पैदा नहीं होते, किंतु प्रत्येक सरकार को चाहिए कि वह उन्हें अपनी सामर्थ्य और क्षमताओं का विकास करने के लिए यथासम्भव अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि शिक्षा मन्त्री श्री के० सी० पन्त के नेतृत्व में यह मन्त्रालय प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का यथासम्भव अधिकाधिक विकास करने के लिए हर प्रकार से प्रयास करेगा।

राजीव जी का हमारे देश के प्रधानमन्त्री के रूप में चयन होने से शिक्षा नीति के प्रभावशाली

[श्री मुकुल वासनिक]

पुनर्गठन की आशा पैदा हुई है। राष्ट्र के नाम प्रधानमन्त्री के प्रथम भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि व देश को ऐसी शिक्षा प्रणाली देना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा उद्योग, संचार, कृषि और अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों से जुड़ी होगी। आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ है। अनेक नई-नई उत्पन्न वस्तुएं और कुछ ही महीनों पहले विकसित तकनीकियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्यन्त तीव्र विकास के कारण पुरानी पड़ गई हैं। समाज और संस्कृति भी तेजी से बदल रही है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी शिक्षा नीति को बदलते समाज के अनुरूप बनाएं ताकि हम समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा वर्तमान शिक्षा नीति की व्यापक और गहन समीक्षा शुरू कर दी गई है। मैं मन्त्रालय के ऐसे निर्णय का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षा देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। हमने देखा है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार हुआ है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनसे भी हमने यह देखा है कि शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक, दोनों स्तर पर सुधार हुआ है। आज हमें आशा है कि 11-14 आयु वर्ग के 50 प्रतिशत बच्चे माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पास करें। किंतु इसके साथ ही यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर तथा डिग्री स्तर पर उचित प्रशासन नहीं रहा है और इसलिए हम अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर सके।

हाल ही में मन्त्रालय ने यह भी घोषणा की है कि सरकार कन्याओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देगी। प्रौढ़ शिक्षा तथा विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। समाज के गरीब और दलित वर्गों को छात्रवृत्तियां दिया जाना भी अच्छे लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि मन्त्रालय नागरिकों को शिक्षित बनाने का इरादा रखता है। एडमण्डब्रूक ने एक बार कहा था कि "किसी देश की सुरक्षा के लिए शिक्षित नागरिक किसी भी स्थायी सेना से अधिक सशक्त होते है।" वर्तमान मन्त्रालय ने भी ठीक यही दृष्टिकोण अपनाया है जो भी हो, यह सच है कि अनेक क्षेत्रों में हमने देखा है कि प्रशानन ठीक नहीं है। जनसाधारण को शिक्षा देना बहुत बड़ा और दुष्कर कार्य है। आज देश को ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जिससे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, आज हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं ? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उत्पादन वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक भावनाओं पैदा करना तथा डिग्री अथवा डिप्लोमा के साथ नौकरी देकर उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना, पैदा पिछले कुछ वर्षों में यह बात सामने आई है कि शिक्षा प्रणाली संविधान के सिद्धान्तों संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान मानवीय मूल्यों और हम जिस लोकतान्त्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं. उसके स्वरूप को विद्यार्थियों के मन में बिठा पाने की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। हमारे देश के इतिहास और संस्कृति को विद्यार्थियों के सामने ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय मन्त्री से मेरा यह अनुरोध है कि वे स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों की आद्योपांत समीक्षा करें और सारे देश को एक रूप पाठ्यक्रम दें ताकि हम देश की एकता प्राप्त कर सकें। यह मूल महत्व की बात है कि पुस्तकें और साहित्य विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पुस्तकें और

साहित्य क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए सशक्त प्रयास किए जाएं, यह सही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विदेशी लेखकों की पुस्तकें विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः विदेशी लेखकों की पुस्तकें भारी मात्रा में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार की योजना जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखकर बनायी जानी चाहिए। जनशक्ति आयोजना से हमें अपने सीमित संसाधनों के उचित उपयोग में सहायता मिलेगी और इनका अपव्यय न्यूनतम हो जाएगा। यह सही है कि तकनीकी कर्मचारियों और चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। किंतु इसके साथ ही हमें नए कालेज खोलने के लिए कार्रवाई करते समय सावधानी बरतनी होगी, गैर सरकारी मेडिकल और इंजीनियरी कालेजों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। जिन कालेजों को सरकारी अनुदान नहीं दिया गया है, उन्हें नहीं खोलने दिया जाना चाहिए क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरी और चिकित्सा शिक्षा बहुत खर्चीली है और गैर सरकारी संस्थायें बहुत अधिक शिक्षा शुल्क अथवा प्रति-व्यक्ति शुल्कों के नाम से आवश्यक वित्त जुटाए बिना इन खर्चों को पूरा नहीं कर सकती। यदि आवश्यक मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं होगा, तो इन संस्थाओं के शिक्षा के स्तर में भी निश्चित रूप से गिरावट आएगी और ऐसे कालेजों से निकलने वाले छात्र भी सरकारी कालेजों और सरकार से अनुदान प्राप्त कालेजों से आने वाले विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण निराश हो जाएंगे।

मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि हमें राष्ट्रीय अखण्डता और एकता के लिए हर राज्य में अथवा अन्तर राज्य स्तर पर सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि एक राज्य के विद्यार्थी दूसरे राज्यों में न जा सकें, दूसरे राज्य के विद्यार्थियों से मिल सकें तथा उन राज्यों की संस्कृति और भाषा को समझ सकें; भविष्य में ये कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध होंगे। इसे यथाशीघ्र अवश्य कार्यान्वित किया जाए। इसके साथ ही जब तक कालेजों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के बीच समुचित समन्वय नहीं होता, इस दिशा में वांछित स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा संस्थाओं के इस प्रकार के कम्पलेक्सों को अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे समग्र शिक्षा को सुधारने में सहायता मिलेगी।

खेलकूद तथा पाठ्येतर क्रिया कलाप व्यक्तित्व के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिशा में मंत्रालय द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, और मांगों में भी अनेक बातों का उल्लेख किया गया है। किंतु मैं चाहता हूं कि राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कालेजों में खेलकूद तथा संगीत, वाद-विवाद, नाटक और युवक-समारोह जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन और विकास के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

माननीय मन्त्री जी से मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक संकाय से निकलने वाले योग्य छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। प्रत्येक संकाय से एक छात्र का चयन किया जाना चाहिए और उसे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जाए। यह पुरस्कार अन्य छात्रों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा और छात्र समुदाय को अपने स्तरों में सुधार लाने के लिए प्रेरित करेगा।

छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए भी आवश्यक रूप से कदम उठाए जाने चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिएं और वहां प्रत्येक छात्र का चिकित्सा रिकार्ड रखा

[श्री मुकुल वासनिक]

जाना चाहिए। ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों में हम छात्र के वर्ग का रक्त भी उपलब्ध करा सकते हैं और हम छात्र समुदाय के लिए अन्य चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी कर सकते हैं।

कुछ महीने पहले, बहुत से राज्यों में हुई उप कुलपतियों की बैठकों में यह विचार धारा चल रही थी कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के लिए चुनावों पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस तरह की विचारधारा उचित नहीं है। हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मत देने का संवैधानिक तौर पर अधिकार दिया गया है। प्रत्येक छात्र में लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास कालेज स्तर से ही होना चाहिए ताकि वह हमारे देश के लोकतंत्र में आस्था रखने वाला अच्छा नागरिक बन सके।

अन्त में, मैं शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जाता। कुल बजट परिव्यय में से शिक्षा के लिए केवल पांच प्रतिशत दिया जाता है। यदि शिक्षा के विकास के लिए बड़े पैमाने पर और तत्काल कार्यवाही करनी है तो शिक्षा पर किए जाने वाले कुल व्यय में यथेष्ट वृद्धि करना आवश्यक है। हम उन पुलों, होटलों तथा अन्य इमारतों के निर्माण पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं जिनका नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किंतु हम उन निर्माणों का उपयोग करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर और उन्हें जागरूक बनाने के लिए इस राशि का एक चौथाई भी व्यय नहीं करते। अतः शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के पुनर्गठन की शुरूआत सातवीं योजना में योजना प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण के साथ की जानी चाहिए भले ही इसका तात्पर्य अन्य क्षेत्रों में कटौती करना हो।

इन शब्दों के साथ, मैं शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का एक बार समर्थन करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

5.39 म० प०

चाय कम्पनियां (रुग्ण चाय एककों का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अध्यादेश के प्रख्यापित किए जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह महोदय वक्तव्य देंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मुझे वक्तव्य की विषय के बारे में पता नहीं है, किन्तु मैं सिर्फ प्रक्रिया के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मुझे इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि जब वे चाय कम्पनी (रुग्ण चाय एककों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अध्यादेश 1985 के प्रख्यापित किए जाने के बारे में वक्तव्य देने का प्रस्ताव कर रहे हैं, तो

इससे संविधान के अनुच्छेद 123 की भावना का उल्लंघन हो रहा है। मैं जान बूझकर "संविधान की भावना" शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं न कि सिर्फ संविधान के उपबंधों का जैसा कि 'विशेषाधिकार' तथा 'औचित्य' में स्पष्ट अन्तर है उसी प्रकार संविधान के उपबंधों' तथा "संविधान की भावना" में भी स्पष्ट अन्तर है। अनुच्छेद 123 के अनुसार :

> "उस समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों"
>
> "....इस अध्यादेश के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश...

उसमें ये समस्त बातें हैं। निःसंदेह कि यह कहा गया है उस समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं।' ऐसी बात है। अतः हमारे माननीय मंत्री एक वकील की तरह यह तर्क दे सकते हैं कि दो सदनों में से एक सदन की बैठक स्थगित हो चुकी है। जब हम निचले सदन में मांगों पर चर्चा करते हैं, तो हमेशा यह परम्परा रही है कि दूसरा सदन स्थगित होता है और जब मांगों पर चर्चा पूरी हो जाती है तब फिर दूसरे सदन की सत्र आरम्भ होती है। इसलिए, तकनीकी रूप से, वे यह भी कह सकते हैं कि जब एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है, और एक सदन का सत्र चल रहा हो और दूसरा स्थगित हो तो ऐसे समय अध्यादेश का जारी किया जाना पूरी तरह अनुमत्य है। जहां तक संविधान का संबंध है उसमें यह व्यवस्था है। किन्तु भावना में यह अपेक्षा की जाती है कि जब सभा का सत्र पहले से ही चल रहा हो जब लोक सभा सत्र में हो और केवल इसलिए कि लोक सभा में मांगों पर चर्चा कर रही है और इसी कारण दूसरे सदन की बैठक स्थगित की गई है, तब वास्तव में उनको यह चाहिए था कि वे अध्यादेश संसद का सत्र आरम्भ होने से पहले लाते और उन्हें एक विधेयक लाकर उसमें आवश्यक उपबंध करने चाहिए थे। मुझे विश्वास है कि यदि यह मामला इतने महत्त्व का था तो विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध के सभा में मताविभाजन नहीं होता हम बिना किसी कठिनाई के "तथा बजट सत्र की सामान्य कार्यसूची में बिना किसी फेर बदल केविधेयक को पूरा समर्थन देते। इसलिए जब सदन का सत्र चल रहा हो उस समय अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में वक्तव्य देने की इस असाधारण प्रक्रिया से बचा जा सकता था अतः औचित्य के आधार पर तथा संविधान की भावना के आधार पर मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं जो कि मंत्री महोदय द्वारा अपनाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त, जहां उसमें राष्ट्रपति की संतुष्टि का प्रश्न है—वहां यह उपबंध है—राष्ट्रपति की संतुष्टि मंत्रिमण्डल की संतुष्टि के अध्यधीन है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सहायता तथा परामर्श से कार्य करता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व है तथा यहां तक कि राष्ट्रपति की संतुष्टि उसकी समस्त इच्छाओं और अनिच्छाओं सहित, उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है। यह एक ऐसी संतुष्टि है जो मंत्रिमण्डल की संतुष्टि से निर्देशित है अतः, हम यह नहीं कह

[प्रो० मधु दंडवते]

सकते कि राष्ट्रपति ने इन समस्त उपबंधों को देख लिया है और वे इस बात से संतुष्ट हो गए हैं कि विद्यमान स्थिति को देखते हुए ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाना जाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता। अत: औचित्य के आधार पर तथा संविधान भावना के आधार पर मैं मंत्री महोदय द्वारा अपनाई जा रही इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं जिसमें अध्यादेश प्रख्यापित करने के बारे में वे सभा में जब सभा का सत्र चल रहा है, वक्तव्य दे रहे हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा उठाए गए इस व्यवस्था के प्रश्न पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं दंडवते जी का पूरी तरह समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे तत्कालीन महान अध्यक्ष मावलंकर तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्राचार को देखें। अध्यक्ष मावलंकर ने अन्तिम वाक्य में कहा—मैं उसे उद्धृत नहीं कर सकता क्योंकि यह यहां मेरे पास उपलब्ध नहीं है—कि जब संसद-सत्र शुरू होने जा रहा हो तो सामान्य तौर पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते। यहां संसद का सत्र चल रहा है और मंत्री महोदय इस संसद से अध्यादेश का अनुमोदन कराना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए। यह संसद की गरिमा का निरादर करना है राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है किन्तु वह संसद से ऊपर नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : जो कुछ उन्होंने कहा है मैं सिर्फ उसका प्रमाण देता हूं, एक अवसर पर जब सरदार बल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, वे कहा करते थे और अपने साथियों को सलाह देते थे कि जब कुछ सप्ताहों के भीतर संसद सत्र के आरम्भ हो जाने की पहले ही से संभावना हो तो फिजूल अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया जाना चाहिए उनका चित्र यहां विद्यमान है···" वे अध्यक्ष, मावलंकर के संबंध में कह रहे थे। "वे इसका अत्यन्त कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने दो अवसरों पर अस्पष्ट आधारों पर अध्यादेश लाने के सम्बन्ध में हमारी प्राय: निन्दा की है। अत: अध्यादेश लाने से पहले सतर्क रहना चाहिए।" वे सरदार बल्लभ भाई पटेल थे। वह समय पटेल और नेहरू जी का था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो० दंडवते और अन्य लोग हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : और फिर सूचना के बारे में, यह अत्यन्त अस्पष्ट और अपूर्ण सूचना है। इस बात का कोई संकेत नहीं कि अध्यादेश पहले ही प्रख्यापित किया जा चुका है अथवा दोपहर बाद प्रख्यापित किया जाना है। हम इसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं आप यह सूचना पढ़िए।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। प्रो० दंडवते ने स्वयं कहा है कि तकनीकी रूप से कुछ भी गलत नहीं है और केवल भावना में यह गलत है। उपबंध के अनुसार दोनों सभाओं का सत्र होना चाहिए किन्तु राज्य सभा का सत्र नहीं है। इस बात का पूर्वोदाहरण है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यह सभा न केवल संविधान के उपबंधों के अनुसार ही कार्य नहीं करती है बल्कि परम्पराओं, रूढ़ियों और औचित्य के अनुसार भी कार्य करती है।

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति भी मंत्रिमंडल की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य करता है और जब अध्यादेश के बारे में संसद महसूस करती है, अतः,.....

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यह मंत्रिमंडल बड़ी आसानी से संतुष्ट हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मंत्री स्पष्टीकरण देंगे तो वह उसकी अविलम्बनीयता के बारे में भी बतायेंगे। इसलिए व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, यह कहा गया है कि यह संविधान का निरादर है। लेकिन, महोदय, जिस बात की संविधान में व्यवस्था है वह निरादर नहीं हो सकता। यह भी कहा गया है कि यह संविधान की भावना का उल्लंघन है। जहां तक अध्यादेश की विषय वस्तु का सम्बन्ध है, इस बारे में सभा का सम्भवतः एक मत है। अतः इससे संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं होता। प्रो० दंडवते अध्यादेश की विषय वस्तु से भावनात्मक तौर पर सहमत हैं और उनका विरोध भी तकनीकी है। वे भावनात्मक तौर पर अध्यादेश का विरोध नहीं कर रहे हैं। अतः, मैं अब वक्तव्य देता हूं।

वक्तव्य

जैसा कि सदन अच्छी तरह जानता है, चाय अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार ने चार रुग्ण चाय एककों अर्थात् पशोक, लूकसान, वाह-तुकवार और पोतोंग के प्रबन्ध को अपने हाथ में उस समय लिया जब निरन्तर कुप्रबन्ध और उपेक्षा तथा साथ ही अंधाधुन्ध पूंजी निवेश और दायित्वों के कारण हालात बिगड़ गए और उनके अस्तित्व को ही तथा लगभग 3,000 कामगारों के रोजगार को खतरा पैदा हो गया था।

सरकार ने उनमें लगे कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न किस्मों की चाय के उत्पादन तथा विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए आवश्यक है, उनकी पूरी सम्भाव्यता का लाभ उठाने के लिए भी इन चाय एककों को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए काफी प्रयास किया है तथा धनराशि लगाई है। इस उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त करने की दृष्टि से इन बागानों के पुनर्संगठन तथा पुर्नस्थापन के लिए और आगे बड़े पैमाने पर धनराशि लगाना आवश्यक है। इन बागानों के मामलों पर कारगर नियन्त्रण रखना सरकार के लिए आवश्यक है ताकि आगे बड़े पैमाने पर इस प्रकार की धनराशि लगाई जा सके और साथ ही बड़े पैमाने पर पहले लगाई गई धनराशि का संरक्षण भी किया जा सके।

इन परिस्थितियों में इन चाय एककों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया है। इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए और चूंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति चाय कम्पनियों (रुग्ण चाय एककों का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अध्यादेश, 1985 का प्रख्यापन करते हैं। मैं अध्यादेश के हिन्दी व अंग्रेजी रूपान्तरों की प्रतियां सदन के सभा पटल पर रख रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दृष्टांत के लिए, एक मिसाल दी जाती रही है : 5 अप्रैल, 1984 का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1984 पारित हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह अत्याचार करने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लाया गया था···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह वास्तविक आपातकाल था। प्रो० दंडवते को जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि आरम्भ में यह अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। एक बार हम इस निर्णय पर पहुंचे कि यह आवश्यक था और इसकी अवधि 10 अप्रैल, 1985 को समाप्त होने वाली थी, इसको विचाराधीन रखने के लिए कोई औचित्य नहीं था और निर्णय ले लिया गया।

प्रो० मधु दंडवते : यदि और उदाहरण चाहिए तो यहां तक कि मंत्रिमण्डल की बैठक किए बिना, जब आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, तो राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा करने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए दिए थे। वे इसे भी उद्धृत कर सकते हैं। किन्तु ये बुरे उदाहरण हैं और ये बुरी परम्पराएं हैं जिन्हें वे अपना रहे हैं। कृपया इस बात को ध्यान में रखें।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

शिक्षा मंत्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करती है।

अब प्रो० सैफुद्दीन सोज बोलेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं इस सत्र की समाप्ति पर विषय स्थिति हेतु अपने विचार प्रकट करने के लिए तैयार था।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही दल के पास 4 अथवा 5 व्यक्ति हैं जो बोलना चाहते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपने प्रो० निर्मला कुमारी को जितना समय दिया है मैं उससे 4 मिनट कम लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वे समय के हिसाब से व्यवस्था कर लें। उन्हें 4 घंटे दिए गए हैं। उसमें से उन्होंने समायोजन कर लिया है। मैं इसे आज ही समाप्त कर देना चाहता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं दूसरों की कही हुई बात को दोहराने नहीं जा रहा हूं और इसीलिए मैं 10 से 15 मिनट का समय लूंगा, उससे अधिक नहीं। पिछले वर्ष सम्भवत: हमारी यह मांग थी कि शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के प्रभार में होना चाहिए। तब से उस मांग का इस सीमा तक स्वीकार कर लिया गया है कि मुझे कहना चाहिए, प्रधानमंत्री हमारी सराहना के पात्र हैं। किन्तु जो यह कहते हैं कि शिक्षा के बारे में सब कुछ ठीक ठाक है, उनसे मैं यह कहता हूं :

तन हमा दाग दाग शुद
पनबेह कुजा कुजा नहम।

تن ہمہ داغ داغ شد
پنبہ کجا کجا نہم۔

जब शरीर में फोड़ों और जख्मों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो उन पर मरहम लगाना अत्यन्त कठिन हो जाता है और आप तो जरूरत से ज्यादा 'समर्थन' दे रहे हैं।

अब यह कि हमारी मांग स्वीकार कर ली गई है और शिक्षा सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख के लिये कैबिनेट मंत्री हैं, पंत जी के होने से शिक्षा में गुणात्मक अन्तर आना चाहिये। एक बात पर मुझे उनको बधाई देनी चाहिए। शुरू से ही वह इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते आये हैं और वे सुधार की बात करते आए हैं। मैं वे बातें नहीं कहना चाहता जो मेरे वरिष्ठ साथी दोनों पक्षों की ओर से पहले ही कह चुके हैं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं बशर्ते कि मंत्री महोदय उन पर खुले दिमाग से विचार करें। मैंने पिछले साल भी यही कहा था। लेकिन, हम यहां जो कुछ भी कहते हैं, शायद उस पर कोई गौर नहीं करता। राज्य सभा के एक सदस्य ने जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, कहा था कि संसद अनावश्यक हो गई है। शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा पूर्णत: अनावश्यक है। मुझे विश्वास है कि वे अवसर के अनुसार कार्य करेंगे। मैं आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं; ये प्रामाणिक आंकड़े हैं। बजट सम्बन्धी 47,946 करोड़ रु० की प्राप्तियां में से उनके विभाग को 513 करोड़ रु० प्राप्त हो रहे हैं, यह राष्ट्रीय बजट के 1.06 प्रतिशत के लगभग बैठता है। शायद यह विश्व भर में सबसे कम हो। माननीय मंत्री बहुत कुछ करना चाहते हैं, शिक्षा के सभी पहलुओं को दिशा प्रदान करना और समन्वय एवं संवर्धित करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा आदि के बीच तालमेल और उसका विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं।

यह लम्बी सूची है। मैं इस तथ्य से परेशान हूं कि केन्द्र सरकार से, वित्त मंत्रालय से शिक्षा को उचित महत्व प्राप्त नहीं हो रहा है और इसीलिए शिक्षा मंत्री से मेरी पहली गुजारिश यही है कि वे आवश्यक कदम उठाएं क्योंकि देश में शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करने और उसमें सुधार

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

लाने के प्रति वे गंभीर हैं। इस विषय को उन्हें माननीय प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के साथ प्रभावशाली रूप में उठाना चाहिए, और इसके लिए बजट संबंधी व्यवस्था इतनी कम अर्थात् 1.06 प्रतिशत नहीं हो सकती। कई साल पहले, पटियाला विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति डा० अमरीक सिंह ने **इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इण्डिया** में "दी मैस दैट इज एजूकेशन" शीर्षक से छपे अपने लेख में इस संबंध में कहा था और सार्वजनिक प्रश्न के रूप में पूछा था कि "अगर आप राष्ट्रीय बजट में से शिक्षा पर लगभग 3 प्रतिशत खर्च करेंगे, तो आपको भारत में शिक्षा के परिणाम कैसे प्राप्त हो सकते हैं ?" लेकिन मैं समझता हूं कि यह वास्तव में 1.06 प्रतिशत है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बजट संबंधी व्यवस्था में शायद शिक्षा पर चोट पहुंचती है क्योंकि आज आप हर विषय, हर क्षेत्र पर समान रूप से खर्च करना चाहते हैं।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले।

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پے دم نکلے
بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے

इसका अर्थ यही है कि हर चीज को शामिल करना चाहते हैं और विदेशों के प्रदर्शित प्रभाव के कारण सभी क्षेत्रों के लिए हर संभव कार्य करना चाहते हैं और इसलिए धन के स्रोत नष्ट हो जाते हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यह तो हम दोनों पर लागू होता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझ पर कैसे लागू हो सकता है, मैं तो बेअख्तियार आदमी हूं, मुझ पर कैसे लागू करेंगे ?

ہر وہ سیر سعید الدین سوز۔ مجھ پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے میں تو بے اختیار
آدمی ہوں۔ مجھ پر کیسے لاگو کریں گے۔

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अरमान तो आपके निकल रहे हैं ?

सैफुद्दीन सोज : बोलने का अधिकार तो है सरदार साहब हमको ?

پروفیسر سیف الدین سوز - بولنے کا اختیار تو ہے سردار صاحب کو

[अनुवाद]

श्रीमान, इसलिए मैं इसके लिये बहुत चिन्तित हूं और बल्कि इस सम्बन्ध में बहुत भावुक भी हूं और हो सकता है आप मुझे बुरा आदमी कहें, पर मुझे हर बात के लिए भावुक नहीं होना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : नहीं, नहीं। यह असंसदीय है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं यह देख रहा हूं कि कोई कुछ भी कर सकता है। जब तक मैं अपने लिए बोल रहा हूं, यह असंसदीय नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : घबराइये नहीं, मैं भी साथ हूं आपके। मैं भी आपके साथ हूं, आप घबराते क्यों हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : देखिये सरदार साहब भी मेरे साथ हैं। (व्यवधान)

پروفیسر سیف الدین سوز - دیکھئے سردار صاحب بھی میرے ساتھ ہیں (انٹرپشنز)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इसके बारे में थोड़ा भावुक हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस आर्थिक विकास को हम प्राप्त करने जा रहे हैं, शिक्षा उसकी आधारभूत आवश्यकता है। लेकिन शिक्षा को कभी भी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास के अनुकूल नहीं बनाया गया है। मैंने मंत्रालय के निर्देशन में निकाली गई एक रिपोर्ट पढ़ी है और उस रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गत तीन दशकों के दौरान, शिक्षा को कभी भी इस देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल नहीं बनाया गया है। नीति प्रतिपादन का स्वरूप एन० आई०ई०पी०ए० द्वारा 1984 में तैयार किया गया। संभव है कि नये निदेश ने जो कि एक सक्रिय और दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति है, एक अन्य रिपोर्ट तैयार कर ली हो। मैं नहीं जानता। परन्तु जहां तक 1984 की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, उस रिपोर्ट से हमें पता चलता है किस प्रकार गत 30 वर्षों के दौरान आपने इस देश में आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व को अनुकूल नहीं बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है :

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

"निर्दिष्ट तथ्यों से यह पता चला है कि योजना के पिछले तीस वर्षों में कृषि उत्पादन की 2.7 प्रतिशत वार्षिक की कम वृद्धि दर की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर 6.1 प्रतिशत रही है जो कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की भर्ती के प्रतिमान के अनुरूप है। यह देखा गया कि भर्ती में वृद्धि की दर के साथ-साथ निचले स्तरों पर शैक्षिक नीतियां माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की दर से काफी कम थीं।"

6.00 म०प०

एन०आई०ई०पी०ए० द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट देखिये। इसमें शिक्षा में सुधार तथा आर्थिक विकास, जिसकी आप इस देश में परिकल्पना कर रहे हैं, के बीच परस्पर सम्बन्ध का सुझाव दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत है और कृषि क्षेत्र में यह 2.7 प्रतिशत है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, बुनियादी तौर पर ही कुछ कमी है। ऊंचे स्तरों पर भर्ती अपेक्षाकृत सन्तोषजनक है, निचले स्तरों पर छंटनी की संख्या बहुत अधिक है। बहुत बड़ी संख्या में छात्र स्कूलों से निकलते हैं। छंटनी से सम्बन्धित आंकड़े न केवल शिक्षा अपितु आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए भी काफी महत्व रखते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इस समय 6.00 बजे से अधिक समय हो चुका है। अब सभा स्थगित हो जानी चाहिए। इसके लिए आपने छः घंटे का समय नियत किया है। इस पर हम कल चर्चा कर सकते हैं ताकि उन सभी सदस्यों को जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, बोलने का मौका मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मंत्रालय के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मैंने पहले ही घोषणा की थी कि सभा की बैठक देर तक होगी और उसमें इन मांगों को पारित किया जायेगा। सभा, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें पहले ही स्वीकार कर चुकी है जिसमें यह उल्लेख था कि सभा सोमवार 8 अप्रैल, 1985 को शाम 6.00 बजे के बाद देर तक बैठेगी ताकि शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा पूरी की जा सके।

अतः यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका था और मैंने सभा को भी सूचित कर दिया था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जैसा कि मैं बता रहा था, शिक्षा कृषि तथा राष्ट्र के विकास का आधार है। इस देश में विकास की प्रक्रिया को पहले ही बहुत क्षति पहुंच चुकी है, क्योंकि यह हंसी की बात नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में हमारी वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत है। चूंकि मन्त्री महोदय के समक्ष किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, उन्हें अवसर के अनुकूल कार्य करना चाहिये तथा कदम उठाने चाहिये, अपने साधनों को काम में लाना चाहिए और न केवल शिक्षा के लिये बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास में अपना योगदान देना चाहिये।

अतः मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, यह कि किसी और आयोग का गठन न किया जाये। कोई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात कह रहा था। ये नाम अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन मैं पूरी निष्ठा के साथ उन्हें यह सलाह दूंगा कि इस देश में अब और कोई आयोग नहीं

होना चाहिये, लेकिन आवश्यकता है तो ग्रहणशील बुद्धि की, एक पैनी नजर की जो यह देख सके कि उन अन्य व्यक्तियों ने जिन्होंने बृहद रिपोर्टें तैयार कीं, शिक्षा के बारे में क्या कहा है। चूंकि मैंने मंत्री महोदय से कोई और आयोग गठित न करने का अनुरोध किया है, मैं उनका ध्यान, कोठारी आयोग ने, शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उसकी ओर आकर्षित करता हूं। मैं सारी बात का उल्लेख नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस रिपोर्ट की कई मुख्य विशेषताओं में से केवल तीन का जिक्र करूंगा :

"(एक) कार्य अनुभव का प्रवर्तन, जिसमें कहीं न कहीं शिक्षा के सभी स्तरों पर आम शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शारीरिक श्रम, उत्पादन अनुभव आदि शामिल हो।

(दो) नैतिक शिक्षा पर बल तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मन में बैठाना। युवा पीढ़ी का स्कूल के कार्य से कार्य और जीवन की ओर उन्मुख होना सुलभ बनाने के लिए स्कूलों को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये।

(तीन) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण।"

यह एक लम्बी सूची है, लेकिन मैंने केवल तीन सिफारिशों का उल्लेख किया है। सिफारिशों के रूप में ली गई ये मुख्य विशेषतायें अपूर्ण रही हैं। तीनों ही असफल सिद्ध हुई हैं। न कोई व्यावसायीकरण, न ही नैतिक शिक्षा पर कोई बल और न ही कोई कार्य अनुभव। महात्मा गांधी के समय में हमने मौलिक शिक्षा के बारे में सुना था। यह महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन अथवा राधाकृष्णन् की वजह से असफल नहीं हुई, बल्कि इसलिए असफल हुई कि हमने शिक्षा को महत्व और प्राथमिकता नहीं दी। हमने शिक्षा के लिए निवेशों की व्यवस्था नहीं की। इसलिए, यह असफल रही। उसके बाद, हमने सामाजिक शिक्षा के बारे में सुना। और उसके बाद हम कार्य अनुभव पर आये। कार्य अनुभव भी असफलता के रूप में सिद्ध हुआ। यह मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं। यह असफल रहा है क्योंकि व्यावसायीकरण पर कोई बल नहीं दिया गया है, जैसा कि श्री बैरो ने इसके सम्बन्ध में विस्तार से बताया। किसी ने कहा कि यह आठवीं कक्षा से आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। ऐसा सम्भव नहीं है। लेकिन 11वीं कक्षा से, उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण को अत्यधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता।

इसके बाद, मैं शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री की जानकारी में एक संकल्प लाना चाहता हूं। श्री पंत का यहां कोई प्रतिनिधित्व करेगा—शायद श्री पुजारी ऐसा करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इस विषय में बहुत ही भावुक हूं। अतः मेरा अनुरोध है कि इसे माननीय मन्त्री तक पहुंचा दिया जाए। श्रीमान्, 24 जुलाई, 1968 को एक संकल्प लाया गया था और इसमें शिक्षा सुधार के 17 सिद्धान्त दर्शाये गये थे। अन्य 16 सिद्धान्तों के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। मैं सबसे पहली सिफारिश पर ही रहूंगा और यह सिफारिश निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में है। चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

देने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए तथा स्कूलों में हो रहे अपव्यय और व्याप्त निष्क्रियता को दूर करने के लिए समुचित कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये। इस समय मन्त्री महोदय यहां हैं और अगर वास्तव में वे शिक्षा में सुधार चाहते हैं, तो उन्हें वचन देना चाहिये और कहना चाहिये कि वे इस आशा के अनुकूल कार्य करेंगे और इस आयु सीमा में आने वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनायेंगे। आपने एक तारीख रखी है। मुझे भी पन्त के पूर्वाधिकारी के सम्बन्ध में याद है जिन्होंने गत वर्ष बताया था कि वे 1990 तक ग्यारह करोड़ लोगों को शिक्षा के दायरे में लाना और उन्हें शिक्षित बनाना सुनिश्चित करेंगी। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। इस बारे में वे बहुत गम्भीर थी। उस समय मैंने एक प्रश्न उठाया था और शिक्षित बनाने की इस दिशा में बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वालों की संख्या के सम्बन्ध में पूछा था। सम्भवत. उनके पास कोई आंकड़े नहीं थे। और मैं यह नहीं जानता कि प्रौढ़ शिक्षा के लिये धन के आबंटन के सम्बन्ध में, चाहे वह रूपरेखा बनाकर या अनुमान अथवा योजना के द्वारा किया गया, दिये जाने वाले महत्व को कम क्यों कर दिया। यदि यह योजना बनाकर किया गया था तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर और अधिक धन खर्च किया जाएगा तो, मुझे इससे राहत मिलेगी। सामान्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ही हमें उस रोग से बचा सकती है जो हमें ग्रस्त कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका अनुरोध मान लिया था और आपको कुछ और समय दिया था। आप उससे भी अधिक समय ले चुके हैं। कृपया अपना भाषण अब समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं शेष सब बातें छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे केवल दो मिनट और दीजिए। मैंने प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने से सम्बन्धित एक संकल्प अलग से रखा था। काश, माननीय मन्त्री यहां होते। श्री राजीव गांधी और श्री पन्त तथा उनके सहयोगी शिक्षा में मौलिक सुधार लाने की बातें कर रहे हैं। शायद इस दिशा में वे क्रांति चाहते है। जब तक पब्लिक और प्राइवेट स्कूल हैं, वे क्रान्ति नहीं ला सकते। मैंने पहले संकल्प रखा था और अभी तक वह चर्चा के लिये नहीं आया है। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा था, "क्या आप पब्लिक स्कूलों के खिलाफ हैं ? लेकिन ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।" मैंने कहा था, "आपकी समझ में इस प्रकार के कितने पब्लिक स्कूल हैं ? शायद पांच प्रतिशत ! बाकी के प्राइवेट स्कूल निहित स्वार्थों से ग्रस्त हैं।" इसलिये, मैं यही चाहता हूं कि अगर आप समाजवाद चाहते हैं और चाहते हैं कि यह देश महान बने, तो इस देश में समाज के सभी वर्गों से सम्बन्धित समस्त बच्चों के लिये एक समान शिक्षा हो।

अत: मैं आदरणीय मन्त्री महोदय को संसद सदस्यों की समिति की इस मुख्य सिफारिश कि शिक्षा में एकरूपता होनी चाहिए का स्मरण कराना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें, जो कुछ आप कहना चाहते थे आपने कह दिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अन्त में श्रीमान जी, मैं अध्यापकों के विषय में बोलना चाहता हूं। मैं अपनी बात विस्तृत रूप से नहीं कहूंगा। अध्यापकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। उनकी समस्याएं हैं, परन्तु कोई नहीं सुनता। उनके ग्रेड और वेतन अच्छे होने चाहिये। जब वे ग्रामीण स्कूलों में जायें तो उन्हें आवासीय सुविधायें दी जानी चाहिए।

दुर्भाग्यवश यहां शिक्षा मन्त्री उपस्थित नहीं हैं। मुझे आशा है कि श्रीमन पुजारी उन्हें इससे अवगत करायेंगे। शिक्षा मन्त्री महोदय, को यह बताया जाये कि अध्यापकों की बात सुनने वाला कोई नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने एक परिपत्र जारी किया है कि संगठन के अध्यक्ष के कार्यालय में केन्द्रीय विद्यालय के प्रतिनिधि प्रवेश न करें। विशेषकर अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के महासचिव के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह दृष्टिकोण सही नहीं है। अध्यापकों की बात सुनी जाये तभी आप शिक्षा में सुधार ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, आप अपनी बात कह चुके हैं। मन्त्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे। अब मैं श्री वीरेन्द्र सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात कहें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमान जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं। श्रीमती शकुन्तला शायद 25 मिनट तक बोलीं। आप समय की तुलना करें। यह कोई विशेष बात नहीं, कोई थोड़े समय के लिये बोलेगा। ये व्यवधान ठीक नहीं (**व्यवधान**)। माननीय सदस्यों को इसका पार्टी के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिये। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा न करें। कृपया बैठ जाएं। सदस्यों के बीच किसी प्रकार की बातचीत की मैं अनुमति नहीं दूंगा। अब श्री वीरेन्द्र सिंह अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर इस सदन में चर्चा हो रही है और अनेकों आनरेबल मेम्बरों ने इस विषय में अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं।

प्रधानमन्त्री जी ने एक शिक्षा प्रणाली देश को देने की घोषणा की है। उसकी चर्चा आज सारे बुद्धिजीवी वर्ग और उन सभी लोगों में है जो शिक्षा के महत्व को यह समझते हुए देख रहे हैं कि 21वीं सदी का देश कैसा हो और उसमें शिक्षा प्रणाली कैसी हो? इस किस्म से आज तक सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए देश ने प्रयास किये हैं, चाहे वह सरकार के द्वारा हों या हमारी वालेन्ट्री आर्गनाइजेशन्स के द्वारा हों।

शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की बात आज तक चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य करें या ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्य करें, इसके बारे में अनेकों कमेटियों का गठन हुआ है और उन्होंने अपनी रिफारिशें की हैं। पब्लिक प्लेटफार्म पर भी राजनीतिक पार्टियों ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात हमेशा कही और कहा कि नई शिक्षा प्रणाली देश को देनी चाहिए। देश के बड़े-बड़े

[बीरेन्द्र सिंह]

अर्थशास्त्री और सामाजिक शिक्षा से जुड़े हुए बुद्धिजीवी भी यही बात कहते रहे हैं, लेकिन टोरा सुझाव कभी भी किसी भी पक्ष ने नहीं रखा कि किस कस्म की शिक्षा में तबदीली हो या किसी किस्म का सुधार लाया जाए।

यह ठीक है कि देश की आजादी के बाद 37-38 साल के अर्से में अनेकों कालेजों और बहुत-सी यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई और बहुत से स्कूल खोले गये, लेकिन मैं यह बात कहें बगैर नहीं रह सकता कि जितना बड़ा शहर हो, शिक्षा की सुविधा उसमें उतनी ही अच्छी है और जितना हम शहर से दूर जायें, शिक्षा की सुविधाएं उसमें उतनी ही कम हैं।

एक ऐसा मशरूम ग्रोथ हुआ। गांवों में, छोटे कस्बों में हायर सेकेण्डरी के लिए इन्स्टीच्यूट स्थापित किये गये। आदर्श कालेज के नाम से आज से ढाई दो सौ साल पहले जब अंग्रेजों ने इस देश को एक शिक्षा प्रणाली दी कि हिन्दुस्तान के लोग इतना पढ़ लिख सकें कि वह दफ्तरों में बैठ-कर सरकार का हिसाब-किताब करते रहें, सरकार का पत्र व्यवहार करते रहें और इसी शिक्षा प्रणाली के तहत आजादी तक हम यही सोचते रहे कि डिग्रियां प्राप्त करें। कोई एक शिक्षा का क्वालिफिकेशन ग्रहण करना और सरकारी नौकरियों में अपना समावेश करना।

महोदय, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि शिक्षा के अन्दर, शिक्षा पद्धति के अन्दर जो आज देश के अन्दर इमबैलेंस है। एक तरफ देहात का बच्चा जो इन्जीनियर टेक्नोक्रेट्स बनना चाहता है, जो डाक्टर बनना चाहता है उसको वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकीं जो कि शहरों में बैठे हुए मैट्रोपोलिटन सिटी को प्राप्त हैं, जिनकी पिछली जैनरेशन वह सुविधायें प्राप्त कर चुकी हैं। जिनकी तीसरी जैनरेशन भी सुविधायें प्राप्त कर चुकी है। आज शिक्षा के स्तर में जो कमी आ रही है, वह देखते हैं कि ड्रॉप आउट्स जिसे हमारी सरकार बार-बार जोर लगाती है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा 6 साल के ऊपर के बच्चे स्कूल में जायें चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे वह हमारी रेगिस्तानी क्षेत्र हो चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, लेकिन जब इसका एनरोलमेंट हो जाता है, उसके बाद वे आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं कि इतनी बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन जब सही शिक्षा प्राप्त करने की बात आती है जिस मुद्दे को लेकर हमने विद्यार्थी को स्कूल में दाखिल होने के लिए प्रोत्साहन दिया है, जब उस मुद्दे की बात आती है तो हमें पता लगता है कि ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है वह बहुत भारी है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज नई शिक्षा प्रणाली के बारे में विचार कर रहे हैं, आज शिक्षा का स्तर बहुत से स्कूलों में बच्चे बहुत अच्छे नम्बर लेकर पास होते है, लेकिन सही तौर पर अगर दर्शाया जाये तो शिक्षा देने वाले जो टीचर्स हैं, खास कर प्राइमरी एजुकेशन जिसको बेसिक एजुकेशन कहते हैं, हायर सेकेण्डरी जिसको कहते हैं, उन शिक्षकों के बनाने में सबसे बड़ी कमी है। आज जब कोई डाक्टर बनाता है तो पांच साल से ऊपर ट्रेनिंग लेता है तब जाकर एम० बी० बी० एस० की डिग्री लेकर आता है, आज इन्जीनियर बनने के लिए पांच साल का पीरियड होता है आज यूनिवर्सिटिज में यह इन्ट्रोड्यूस करते हैं कि अगर कोई वकील बनना चाहे, एडवोकेट बनना

तो उसके लिए 5 साल है, लेकिन टीचर्स के लिए अगर वह प्राइमरी एजुकेशन का टीचर होगा तो उसको 9 महीने के अन्दर टीचर की डिग्री लेकर उसको इस काबिल बना दिया जाता है कि वह पढ़ा सके।

आज नई शिक्षा पद्धति जिस पर हम विचार कर रहे हैं, उसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि जो छोटी क्लास के टीचर्स हैं, उनको टीचर्स बनाने के लिए कम से कम वह जब ग्रेजुएट करके जाता है उसके बाद 5 साल के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वह सही मायने में टीचर बनकर आये। एक अध्यापक जो 10वीं कक्षा पास करके और जे० बी० टी० करके शिक्षक बन बैठ जाता है वह एक से चार कक्षा तक पढ़ाने का अख्तयार हासिल करता है। लेकिन जहां एक स्टूडेंट की बुनियाद बनती है, वहां अगर अच्छे टीचर नहीं ले सकेंगे तो हमारी शिक्षा प्रणाली जिसके लिए हमारी सरकार ध्यान दे रही है, वह शिक्षा प्रणाली अधूरी रह जायेगी।

उसके अलावा जहां तक इस देश के अन्दर बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल और बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों की बात माननीय सदस्यों ने कही यह प्रणाली अगर कुछ हिस्सों तक महदूद रखेंगे तो कदाचित वह ठीक नहीं होगा। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात का, लेकिन यह सत्य है कि एक पब्लिक स्कूल में या एक प्राइवेट स्कूल में तीन सौ रुपये महीना फीस दूसरी, तीसरी और चौथी जमात के बच्चे से ली जाती है। हां, यह ठीक है कि कुछ बच्चों को ये पब्लिक स्कूल अच्छी शिक्षा देने में कामयाब हो सकते हैं और सरकार शायद इनको बन्द करने की न सोचे। लेकिन सरकार जो नयी शिक्षा प्रणाली देश को देना चाहती है उसमें एक स्कूल जो किसी मैट्रोपोलिटन सिटी में है, या जो किसी और अच्छी जगह में है जहां के बच्चे उससे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं उस स्कूल के मैनेजमेंट के लिए यह मैन्डेटरी हो कि वह स्कूल अपनी शाखा देश के किसी रिमोट कार्नर में खोले जहां के गरीब बच्चे नयी शिक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मेरे साथ सहयोग करें क्योंकि इन मामलों में चर्चा के लिए हमारे पास केवल 1 घण्टे का समय है। ऐसे कई सदस्य हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं जिन्हें इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि आप मेरे साथ सहयोग करें तभी मैं अन्य सदस्यों को बोलने के लिए कह सकता हूं। अन्यथा उसी पैटर्न को जारी रखना होगा। मुझे माननीय मन्त्री महोदय को 7 बजे उत्तर देने के लिए बुलाना पड़ेगा। कृपया अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए केवल 5 मिनट का समय लें। श्री बीरेन्द्र सिंह आप पहले ही 10 मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि ऐसे स्कूल जो एफ्लुएन्ट क्लास के लिए, उच्च श्रेणी के लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं बड़े-बड़े शहरों में और बड़े-बड़े स्कूलों

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

में उनको अगर हम बन्द नहीं कर सकते तो उन पर अगर हम इस बात के लिए अंकुश लगाने में कामयाब होते हैं कि वह ऐसी जगह भी स्कूल खोलें जहां के गरीब बच्चे भी वह शिक्षा प्राप्त कर सकें तो यह भी एक अच्छी चीज होगी और इससे देहातों के अन्दर और देश के उन कोनों के अंदर जहां टीचर जाना पसन्द नहीं करते जहां वह रहना, पसन्द नहीं करते, जहां वह पढ़ाना पसन्द नहीं करते वहां भी शिक्षा के स्तर में कुछ बढ़ोत्तरी होगी और उन जगहों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। (व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा के लिए जो पैसे रखे गये हैं उनका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयन्ती पटनायक, कृपया 5 मिनट में अपनी बात कहें।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : कृपया कुछ समय और दिया जाए। अन्य माननीय सदस्यों ने अधिक समय लिया है। हम यहां बैठे रहे हैं।

श्री वाई० एस० महाजन : यह अन्याय है। यह क्या हो रहा है ?

श्रीमती जयन्ती पटनायक : हम प्रातःकाल से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा कहते हुए अत्यन्त खेद है। अन्याय की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब समय सारणी का पालन करें। अन्यथा मैं कार्य का संचालन कैसे कर पाऊंगा। आपको यह समझना होगा। अपनी बात संक्षेप में कहनी होगी। सभी सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं। मुझे सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। कृपया केवल 5 मिनट, इससे अधिक नहीं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के आरम्भ से ही हमारे प्रधान मन्त्री ने शैक्षणिक सुधार की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर उचित बल दिया है। पिछले तीन दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाने के लिए चर्चा चलती रही है परन्तु जो हुआ है वह बहुत कम है। नई सरकार ने समस्या का ईमानदारी से सामना किया है और एक समिति नियुक्त की है जिसकी रिपोर्ट शीघ्र हमारे सामने होगी। सुधार समिति की रिपोर्ट की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली में वैचारिक और संरचनात्मक परिवर्तन के आधार प्रदान करेगी।

इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के लिए 1985-86 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट दस्तावेज में अभी भी मूल भूत परिवर्तन किये जाने हैं। परन्तु मुझे आशा है कि रिपोर्ट पर चर्चा, वाद-विवाद होने तथा इसे स्वीकृति मिलने के बाद इसमें महत्वपूर्ण नीति परक परिवर्तन किए जायेंगे और आवश्यक वित्तीय आबंटन किये जायेंगे। आलोचना की गयी है कि शैक्षिक क्षेत्र के लिए

वित्तीय आवंटन अपर्याप्त है और इस कम आबंटन से कोई अभिनव परिवर्तन लाना संभव नहीं है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों को अभी भी कम महत्व दिया जाता है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो मानव जाति को प्रत्यक्षत: प्रतिष्ठित करते हैं।

मैं देखती हूं कि संसद में प्रस्तुत इस बजट में, वरीयता कार्यक्रम और मूलभूत उद्देश्यों पर ध्यान रखते हुए, अनेक नवीनतायें और परिवर्तन किये गये हैं। 1990 तक प्रारम्भिक शिक्षा का सामान्यीकरण और सभी प्रौढ़ शिक्षितों को 1990 तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना, दो मूलभूत वरीयता कार्यक्रम हैं। यह जानकर खेद होता है कि भारतवर्ष में संसार के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे अधिक अनपढ़ लोग रहते हैं। यहां 60% जनसंख्या अभी भी अनपढ़ है और इनमें 75% महिलायें हैं जिसमें लगभग 90 करोड़ व्यस्क अनपढ़ व्यक्तियों में से 35 करोड़ व्यस्क अनपढ़ भारत में हैं। भारत में बीच में शिक्षा छोड़ देने की दर भी अधिक है।

मैं तो यह कहती हूं कि इन क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थानों के योगदान में वृद्धि का निर्णय स्वागत योग्य है। औपचारिक शिक्षा पर उपयुक्त बल डाला गया है। तथापि मैं इस बात पर बल देती हूं कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता में 50% से 90% की वृद्धि की जानी चाहिये जैसा कि केवल लड़कियों के लिए औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में होता है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि दो योजनायें प्रारम्भिक अवस्था में पढ़ाई छोड़कर चले जाने की दर को कम करने के लिए छोटी बाल्यावस्था में शिक्षा की योजना और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों के ग्रामीण आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में लड़कियों के प्रवेश की संख्या में वृद्धि करने की योजना विशेषकर बहुत उपयोगी है। 75 लाख रुपये का वित्तीय आबंटन बहुत कम है और मैं अनुरोध करती हूं कि यह राशि पर्याप्त रूप से बढ़ाई जाए ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यावश्यक कार्यक्रम चलाया जा सके।

उड़ीसा में मैं देखती हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर बीच में पढाई छोड़कर चले जाने की दर 90% तक है। इस समस्या का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने आवासीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए नई योजना लागू की है। इस कार्य के लिए कम लागत के मकानों का निर्माण नि:शुल्क भोजन तथा आवास की व्यवस्था करनी है। अपने सीमित साधनों सें राज्य सरकार के लिए इस योजना का प्रबन्ध करना कठिन होगा। मेरा यह आग्रह है कि इस योजना पर समाप्त व्यय शिक्षा मन्त्रालय को और इसे अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर माडल रूप में स्वीकृति दी जा सकती है।

संस्कृत के अध्ययन और शिक्षा के प्रकार पर अधिक बल दिया जाये तो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता होगी। हमारी प्राचीन परम्परा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मानदण्डों को और अधिक प्रोत्साहन देते हुए संस्कृत विश्वविद्यालयों को ओर अधिक प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उड़ीसा में राज्य सरकार ने तीन वर्ष पूर्व पुरी में तीसरे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मैं अनुरोध करूंगी कि केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके विकास के लिए तत्काल ही

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

वित्तीय समर्थन दें, वरना राज्य सरकार के लिए इसका संचालन करना कठिन हो जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आमतौर पर ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ता है कि उसकी ओर से 50% सहायता मुट्ठी भर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को मिलती है जबकि पूरे देश में अनेकानेक विश्वविद्यालय और संस्थान पर्याप्त सहायता नहीं पाते। मेरा विचार है कि शिक्षा में पिछड़े हुए राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस सन्दर्भ में नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का प्रश्न सामने आता है। मेरे विचार से जिन राज्यों में पहले से ही एक अथवा अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उस राज्य में नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने से पूर्व प्रत्येक राज्य में लगभग एक विश्वविद्यालय का होना वांछनीय होगा। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों के लिए यह अधिक आवश्यक है। प्रादेशिक शैक्षिक असन्तुलन इतना गम्भीर है जितना कि प्रादेशिक अर्थव्यवस्था असन्तुलन भी नहीं होगा।

अब मैं मनोविज्ञान सम्बन्धी उच्च अध्ययन केन्द्र के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, मनोविज्ञान सम्बन्धी उन्नत अध्ययन के लिए देश में एकमात्र उन्नत अध्ययन केन्द्र उड़ीसा स्थित उत्कल विश्वविद्यालय है। 1-4-1984 से आरम्भ होने वाले अगले पांच वर्षों के लिए केन्द्र की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए यह विभाग 1960 से सभी उच्चस्तरीय सिफारिशें प्राप्त कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्चस्तरीय टीम ने इस केन्द्र का दौरा किया और इसके जारी रहने की सिफारिश की। बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अन्तिम निर्णय हो जाने तक केन्द्र को 31-3-85 तक चलते रहने की अनुमति दी गई।

मैं यह नहीं समझ पाई कि अंतिम निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया गया। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे इस मामले की ओर ध्यान दें और समस्या को हल करें।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगी कि पाठ्यक्रमों में स्वतन्त्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता के लिए इसके महत्व के विषय को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत की प्राचीन परम्परा और संस्कृति भी पाठ्य पुस्तकों में शामिल होनी चाहिए ताकि हमारी मिली-जुली संस्कृति की संकीर्ण और साम्प्रदायिक व्याख्याओं पर नियंत्रण न लग सके। इन शब्दों के साथ मैं मांग का पूर्णतः समर्थन करती हूं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने हेतु अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे युवा, ओजस्वी, सक्रिय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने अनेक बार कहा है कि वह विचार कर रहे हैं और उनकी सरकार शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए वचनबद्ध है। उनके कहने और करने में हमेशा बहुत परिवर्तन रहा है। आमतौर पर उनके कहने और करने में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। इसका हम अपनी स्वतन्त्रता में पिछले 37 वर्षों के दौरान अनुभव कर रहे हैं। यदि जो कहा जाता है वह वास्तव में किया जाए तो यह बजट में दिखाई देगा।

बजट में विनियोजित की गई केवल दो प्रतिशत की राशि से स्पष्ट दिखाई देता है कि उनका किसी सुधार को लाने या परिवर्तन का विचार नहीं है। श्री पंत जोकि बहुत कार्य-कुशल हैं और न ही कोई अन्य मन्त्री जो उनसे भी अधिक कार्य-कुशल हो इस दो प्रतिशत राशि से कोई सुधार या परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वे वित्त मंत्री और योजना मन्त्री से अनुरोध करके अधिक राशि प्राप्त करने के लिए पुरजोर से प्रयास करें ताकि सुधार हो सके अन्यथा यह केवल एक ऐतिहासिक नारा होगा कि हम देश को 21वीं सदी में ले जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम समाजवाद, समाजवादी लोकतन्त्र के बारे में कह रहे हैं।

इस देश में शिक्षा चुनाव के लिए होने वाले खर्च के बाद सबसे महंगी हो गई है। यह माता-पिता के लिए सबसे बड़ा मामला बन गया है। माता-पिता एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं। वह धन खर्च करते हैं, वह सिफारिश पत्रों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अततः बहुत कम स्कूलों और कालेजों में स्थान ले पाने में सफल होते हैं और उनमें से अनेक स्थान प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए, शिक्षा नीति में कुछ आधारभूत कमियां हैं। इसलिये शिक्षा की नीति में परिवर्तन सम्बन्धी विचार वास्तव में स्वागत योग्य हैं, यदि इसे सही अर्थ में लिया जाये। केन्द्र मद्रास के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एक बालक की लोअर के०जी० में प्रवेश पाने के लिए 50,000 रु० चन्दा देना होता है। आप शिक्षा के खर्च को समझ सकते हैं। प्रतिव्यक्ति शुल्क बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। प्रतिव्यक्ति शुल्क को समाप्त करने के लिये यदि कोई आन्दोलन चलाया जाता है मैं उसका समर्थन करने वाला पहला व्यक्ति हूंगा। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो लोग वरीयता के आधार पर स्थान नहीं पा सकते हैं वह लाख या दो लाख प्रतिव्यक्ति शुल्क देते हैं और मेडिकल या किसी अन्य व्यवसाय में प्रवेश ले लेते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि शिक्षा की स्वस्थ नीति अपनाई जाएगी और दूसरी तरफ और पौलीटेक्निकों और इंजीनियरिंग कालेजों की वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे अन्य राज्यों के बारे में मालूम नहीं है लेकिन मेरे राज्य तमिलनाडु में पोलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कालेजों की कुकुरमुत्ता की तरह वृद्धि हो रही है। यदि आप 10,000 रु० देते हैं तो आप पोलिटेक्निक में प्रवेश पा जाते हैं और यदि आप 2 लाख रु० देते हैं तो इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश पा जाते हैं। स्तरों में अपकर्ण स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। इसलिए कालेजों की संख्या को कम करने के लिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए। जब तक किसी कालेज में पर्याप्त आधारभूत या प्रयोगशाला व्यवस्था नहीं होती है, किसी कालेज को खोले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आपने हायर सैकेण्डरी स्तर तक स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है। मुझे यह कहते हुए अभिमान हो रहा है कि यह 1957 में स्वर्गीय कामराज की अवधि के दौरान दसवीं स्तर तक कार्यान्वित किया गया था। इसके बाद हमारे नेता डा० कालेगतार कलानिधि द्वारा इसे पी०यू०सी० स्तर तक बढ़ा दिया गया था। और बाद में हमारे माननीय मुख्य मन्त्री श्री एम० जी रामचन्द्रन द्वारा इसे कालेज स्तर तक बढ़ा दिया गया था। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन राज्यों की सहायता करें जो मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वह इस प्रकार की शिक्षा को व्यवसायिक कालेजों तक भी बढ़ा सकें।

[डा० ए० कलानिधि]

मैं शिक्षा के स्तर के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। मद्रास विश्वविद्यालय में, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र ने प्रथम मूल्यांकन में केवल 14 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे, दूसरे मूल्यांकन में भी उसने 14 प्रतिशत अंक प्राप्त किए और तीसरे मूल्यांकन में उसने 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश प्राप्त कर लिया। यह एक दुखद कथा है।

एक अन्य बात में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जब भारतीय विश्वविद्यालय भी शल्य चिकित्सा स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए विदेशी परीक्षक को बुलाया गया हो। भारतीय इतिहास में पहली बार मद्रास में शल्य चिकित्सा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए परीक्षक इंग्लैण्ड से बुलाया गया। पहले तीन दिन इंग्लैण्ड डाक्टर द्वारा बोली गई भाषा समझने में विद्यार्थियों ने बहुत कठिनाई अनुभव की इसलिए पहले तीन दिन सभी डाक्टर असफल रहे। बाद में, वह उनके कुछ शब्द समझने में समर्थ हो गए थे। इसलिये, मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा यदि सरकार वास्तव में शिक्षा नीति में एक रूपता लाने के सम्बन्ध में गम्भीर है तो उसे यह देखना चाहिए कि स्तर बनाये रखा गया है और उसे शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि नीति का उचित रूप से नियमित पालन हो रहा है या नहीं।

जब कभी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना होता है, तो आपको शिक्षाशास्त्रियों, कुलपतियों और राज्य मुख्य मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए। इस समय हमेशा क्षेत्रीय रुचि की भी सुरक्षा करनी चाहिए।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में है। सातवीं लोक सभा में भी मैंने कृषि विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की भांति चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए निवेदन किया था। उस समय श्रीमती शीला कौल मन्त्री थी और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। तब मैंने राज्य सरकार से जांच की; हमारे स्वास्थ्य के लिए माननीय मन्त्री ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। तब कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मन्त्री से पता चला कि केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए निधि का आबंटन करने से इनकार कर दिया था। जब आप विकास के लिए और वर्तमान प्रौद्योगिकी के लिये आगे बढ़ते हैं तो आपको इस प्रकार के चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रौद्योगिकी देने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं हैं। जब आप कृषि संबंधी और तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति देते हैं, तो चिकित्सा सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापित करने में कुछ भी अनुचित नहीं हैं।

अन्त में मैं आपसे यह ध्यान रखने के लिए अनुरोध करूंगा कि सभी स्तरों पर स्तरों को कायम रखा गया है किसी मामले में किसी प्रकार के राजनैतिक हस्तक्षेप को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिये, कृपया शिक्षा के इस स्तर को बनाये रखा जाये और विशेषत: तमिलनाडु के लिए

के लिए अधिक निधि के आबंटन के लिए बहुत से कारण हैं।

इन शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय को मुझे बोलने के लिए अनुमति देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ सुझाव रखे हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देश के युवा प्रधानमन्त्री ने प्रथम बार एक अच्छी शिक्षा नीति की घोषणा की है। यह शिक्षा मन्त्रालय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेन्ज है तथा मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि घोषणा तो हो गई है, लेकिन उसको कैसा रूप देना है, किस प्रकार की योजना बनानी है, यह दायित्व उन पर विशेष रूप से आ जाता है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे किसी रथ को चलाने के लिए चार पहिये होते हैं उसी प्रकार से शिक्षा के रथ को चलाने के लिये छात्र, अभिभावक, अध्यापक और प्रबन्धक ये चार पहिये हैं। इनका आपको रथ का सारथी बनकर सामन्वय करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको यह देखना पड़ेगा कि यह जो वस्तु-स्थिति हो गई है, इसको ठीक किया जाए। आज 37 वर्षों के बाद भी छात्रों के प्रवेश में, उनके अनुशासन में उनकी शिक्षा के स्तर में जो इतनी गिरावट आई है, उसकी आपको ठीक करना है। इसके साथ ही साथ उनको शिक्षा देने वाले अध्यापकों में जो अनुशासनहीनता आई है, उसको भी आपको देखना है। संस्थाओं का संचालन करने वाले जो प्रबंधकरण हैं, उनकी क्या नीति है और किस प्रकार से आज वे शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको भी आपको देखना होगा और अभिभावकों का जो रोल है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा।

यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और इस देश के अन्दर शिक्षा की जो भूख है, उसकी पूर्ति हम करें, तो प्राइमरी शिक्षा को उचित रूप देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारी जो बेसिक एजूकेशन है, ग्रामीण अचलों में उसकी बहुत दुर्दशा है और हमारे कई मित्रों ने उस पर चिन्ता व्यक्त की है और उन्होंने जो इसके बारे में कहा है, वह ठीक ही कहा है। आज ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का स्तर न के बराबर है। वहां पर स्कूलों के लिए भवन नहीं हैं, टाट-पट्टी नहीं हैं और अध्यापकों की स्थिति ठीक नहीं है। वहा पर पढ़ाई-लिखाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

एक तरफ हम समाजवादी समाज की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे कई मित्रों ने कहा कि हमारे यहां कन्वेन्ट स्कूल हैं और पब्लिक स्कूल हैं और उनमें अन्य वर्ग के लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से वे लम्बी-लम्बी फीस लेते हैं, यह सभी जानते हैं और इस तरह से एक नया क्लास, एक नया वर्ग ये स्कूल पैदा कर रहे हैं। इन स्कूलों का नाम तो पब्लिक स्कूल है लेकिन काम वहां पर बिलकुल उल्टा होता है। इतना ही नहीं, मान्यवर, एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है। जहां पर इतनी लम्बी फीस अभिभावक देते हैं, इन पब्लिक स्कूलों में बच्चों के एडमिशन में, उनके प्रवेश में, उनके अभिभावकों की परिक्षा भी ली जाती है। अभी कानपुर में दो तीन दिन पहले अखबार में छपा था कि वहां पर एक कन्वेन्ट स्कूल की भर्ती में 500 अभिभावकों का टैस्ट लिया गया और उस टैस्ट में करीब 95 प्रतिशत अभिभावक फेल हो गये और उनके बच्चे पास हो गये लेकिन क्योंकि अभिभावक फेल हो गये, इसलिए उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सका।

[श्री जगदीश अवस्थी]

यह कितनी बड़ी विडम्बना है और कितनी हास्यास्पद स्थिति है। मैं माननीय मन्त्री जी से जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि या तो इन पब्लिक स्कूलों को बन्द कर दीजिये और अगर आप इनको रखना चाहते हैं, तो फिर इन पर कोई नियंत्रण रखिए। ये निरंकुश हो गए हैं, और न राज्य सरकार का इन पर कोई अंकुश है और न केन्द्रीय सरकार का। इसी प्रकार से प्राइवेट स्तर पर चलने वाले जो मान्टेसरी स्कूल हैं, हमारे कई मित्रों ने ठीक ही कहा है कि ये बाजारी स्कूल बन गये हैं और आज दुकानों की तरह ये खुले हुए हैं और इन पर भी आपका कोई नियंत्रय नहीं है। ये भी एक तरह से व्यवसायिक स्कूल बन गये हैं। तो मुझे शिक्षा मन्त्री जी से यह कहना है कि यदि आप हमारे देश के प्रधान मन्त्री माननीय राजीव गांधी की घोषित शिक्षा नीति के आधार पर आचरण करना चाहते हैं, तो निश्चय ही आपको दृढतापूर्वक प्राइमरी शिक्षा के स्तर को ठीक करना पड़ेगा। यह हमारी नींव है, रीढ़ है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में होती है, वहां पर जो भर्ती के नियम हैं, उनसे जो एक कुव्यवस्था पैदा हो गई है और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, वह हम सब जानते हैं और उस स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। आज बड़-बड़े विश्व-विद्यालयों में और कालेजों में जो भर्ती के नियम बनाये गये हैं, वे इसमें दूषित हैं कि उनसे वहां पर पक्षपात होता है और भ्रष्टाचार होता है और इस को हर सदस्य जानता है। इस पर भी माननीय शिक्षा मन्त्री को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो छात्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाए हैं, सौभाग्य से एक तकनीकी संस्थायें (I.T.I.) हमारे क्षेत्र में है। वहां से मेधावी छात्र निकलते हैं लेकिन उन मेधावी छात्रों का जो ज्ञान है, उसका लाभ दूसरे देश उठा रहे है और हमारे देश को लाभ नहीं मिल रहा हैं। इस चीज को भी रोकना पड़ेगा। इसके साथ ही आपने उनको आटोनामी प्रदान की है और उनकी जो गवर्निंग बोडी बनी हुई हैं, उनमें न कोई अध्यापक का प्रतिनिधि रहता है और न कर्मचारियों का प्रतिनिधि रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इन संस्थाओं का संचालन ठीक हो तो उनकी गवर्निंग बाडी में इन लोगों को भी प्रतिनिधि निश्चित रूप से होना चाहिए।

इसके साथ ही साथ राज्य सरकारों की ओर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलते हैं, आप उन्हें ग्रांट-इन-एड देते हैं, वहां से जो बच्चे पढ़ कर निकलते हैं उनको काम नहीं मिल पाता है। आपका जो एप्रेन्टिस् शिप एक्ट है वह ठीक से लागू नहीं होता है। शिक्षा मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें ताकि जो शिक्षार्थी वहां से पढ़कर निकले उनको काम मिले।

हमारे जो प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम हैं उनका भी विस्तार होना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि आजादी के कितने वर्षों के बाद भी देश में सारे लोग शिक्षित और साक्षर नहीं हो पाये। हम आज देख रहे हैं कि केवल 33 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर और शिक्षित है शेष 65-70 प्रतिशत लोग अशिक्षित और निरक्षर हैं। हमने घोषणा की है कि सन् 1990 तक हम शिक्षा का प्रसार करके प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम 1990 तक इस देश के 15 से 18 वर्ष के लोगों को साक्षर कर दें। इस पर सरकार को अगर कुछ ज्यादा भी खर्च करना पड़े तो करे। आप जानते है कि रूस और चीन ने अपने यहां क्रांतियों के पांच साल के अन्दर अपनी-अपनी जनसंख्या को साक्षर और शिक्षित कर दिया दुर्भाग्य है कि हमारे यहां इतनी बड़ी जनसंख्या निरक्षर बैठी हुई है। इसलिए आप प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ में शिक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर आप अमल करेंगे और राजीव गांधी की जो घोषणा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में उसको आप मूर्तिमान करेंगे और देश को आगे ले जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष, महोदय, नई सरकार देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की बात कर रही है। मेरी पीढ़ी के अनेक युवा सरकार द्वारा दिए गए इस वचन के बारे में उत्सुकतापूर्वक देख रहे हैं। लेकिन मुझे डर है कि युवा पीढ़ी भी यह आशा पहले की तरह निराशा बनेगी। किन्तु, हम एक बात पर अभिमान कर सकते हैं, वह यह है कि 21 वीं सदी में हम विश्व में सबसे अधिक अशिक्षितों के होने का दुर्लभ मान प्राप्त कर लेंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उस समय, संख्या न्यूनतम होगी। हम उनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुरुप : देखते हैं कहां तक आप सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजी का उचित प्रकार से प्रयोग हो और देश में इसका प्रयोग प्रमुख उपलब्धि के लिए होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य वश, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा, ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जो भारतीय जनसंख्या को निरक्षरता की ओर ले जाएगी। इसलिए हमने इस योग के पीछे प्रस्ताव और दर्शन को रद्द कर दिया है और शैक्षिक नीतियों की पुनरीक्षा के लिए निवेदन करते हैं।

इन शैक्षिक नीतियों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष इस माननीय सभा में चर्चाएं हुई हैं। हम जानते हैं कि हमारी शैक्षिक प्रणाली में क्यां कमियां हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में 70% निरक्षरता है देश में गैर सरकारी स्कूलों की व्यापक रूप से वृद्धि और पढ़ाने का माध्यम जो अभी तक विदेशी भाषा है, के लिए कौन उत्तरदायी है। मैं यह नहीं जानता कि क्या सत्तारूढ़ दल के सदस्य जो देश में प्रत्येक संकट के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में इसकी दयनीय स्थिति के लिए भी विपक्ष को दोषी ठहरायेंगे। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान जनता की आशाओं और अकांक्षाओं के विरुद्ध स्वतन्त्र भारत के शासकों ने आम जनता के लिए शिक्षा नीति को अपनाने से इनकार किया। सरकार नीति में शिक्षा को सबसे नीचे स्थान मिला है। पहली पंचवर्षीय योजना को छोड़कर सभी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को सबसे कम वरीयता मिली है। पहली योजना में शिक्षा के लिए 7.3% राशि आबंटित की गई थी जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में यह गिरकर 1.46% हो गई।

सरकारी मंचों पर दिखावा किया जाता है, लेकिन अपनी वरीयताओं में यह नीचे जा रही है। उसकी स्थिति सरकार के अनिच्छुक बच्चे के समान बनी हुई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यापक निरक्षरता को समाप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम हैं। हमने सरकार द्वारा इस घोषणा का स्वागत किया है कि लड़कियों को बारहवीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन बीच में छोड़ने वालों की समस्या के बारे में क्या कर रहे हैं। लड़कियों के सम्बन्ध में 'स्वयं शिक्षा' के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये हैं जिन्हें 1967 से अब तक अपनाया जा सकता था। यह कदम कार्यान्वित क्यों नहीं किए गए हैं, सच यह

[श्री सुरेश कुरूप]

है कि मंत्रालय अभी तक नए उपायों की योजना बन रही है और यह जोखिमों से पता चलता है कि पहले उठाये गये कदम लड़कियों को स्कूल आने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। मैं नेहरू जी का वक्तव्य दूंगा। उन्होंने एक बार कहा था।

"लड़के के लिए शिक्षा एक व्यक्ति के लिए शिक्षा है जबकि एक लड़की के लिए शिक्षा सम्पूर्ण परिवार के लिए शिक्षा है।"

केवल यह घोषणा करना कि लड़कियों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उन्हें स्कूल के लिए आकर्षित नहीं करेगी। इसके लिए आवश्यक हैं उन्हें मुफ्त कपड़े, मुफ्त दोपहर का भोजन, पाठ्य-पुस्तकें और कापियां दी जाएं ; यह वस्तुएं लड़के और लड़कियों के साथ-साथ कक्षाओं में असफल विद्यार्थियों को भी दी जानी चाहिए।

अध्ययन के माध्यम पर विचार करते हुए केवल हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां लोग बचपन से सीखने और सोचने के लिए विदेशी भाषा का भार ढोते हैं। इस पंगुता ने हमारे देश के मस्तिष्क के विकास को रोक दिया है। सत्तादल में से कुछ माननीय मन्त्री ठाकुर जी के उदाहरण दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे भी ठाकुर जी की पंक्ति प्रस्तुत करने दें। ठाकुर जी ने एक बार कहा था

"मातृभाषा की रसायनिक कार्यवाही के जरिए सभी शैक्षिक भोजन को पचाया और सदृश बनाया जाता है। मातृभाषा मां के दूध का कार्य करती है।"

दुख की बात है कि स्वतन्त्रता के अनेक वर्षों के बाद भी हम अध्ययन का माध्यम विदेशी भाषा का बोझ लादे हुए हैं।

पुनः, सत्ता दल से माननीय सदस्य महात्मा गांधी के लिए अपना आदर व्यक्त करने के लिए उत्सुक है। एक अन्य दिन वह खादी के लिए अपना आदर व्यक्त करने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे थे। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहूंगा कि उनका अध्ययन के माध्यम के संबंध में क्या विचार था। महात्मा जी ने एक बार कहा था;

"शिक्षा का माध्यम तुरन्त बदला जाना चाहिए और किसी भी कीमत पर प्रान्तीय भाषाओं को उचित स्थान दिलाया जाना चाहिए। मैं हो रही अनुचित बर्बादी के लिए उच्च शिक्षा मे अस्थाई अव्यवस्था सहन कर लूंगा।"

मैं नहीं जानता कि क्या वह इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी जी के शब्दों का अनुसरण करने को तैयार हैं।

शिक्षा सम्बन्धी नीति पर हमारे शासकों से वर्ग का चरित्र स्वभावतः बहुत अच्छी तरह

प्रतिबिम्बित होता है । सरकार पब्लिक स्कूलों को सचेत होते हुये और जान-बूझकर प्रोत्साहन देती है । ये पांच सितारा स्कूल हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए बरबादी का कारण बन रहे हैं । आप एक विशिष्ट वर्ग का सजृन कर रहे हैं जिनके लिए हमारे समाज में ऊंचा स्थान आरक्षित है । सरकारी स्कूलों की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है । सरकारी स्कूलों को, उनके समुचित रूप से कार्य करने के लिए उचित धन का आबंटन नहीं किया जाता है ।

शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के बारे में क्या किया जा रहा है । मैं यह नहीं जानता कि क्या सरकार यह सोचती है कि इस देश के लोग मूर्ख हैं । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम यह कहने का साहस दिखाएं कि हमने शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने की योजना को छोड़ दिया है । अब निर्धारित वर्ष 1990 है । क्या आपका यह विचार है कि यह लक्ष्य 1990 तक प्राप्त किया जा सकेगा ? विकास की इस गति से, यह कार्य मनुष्य के लिए असम्भव है । मैं माफी चाहता हूं कि हमारे शासक संयुक्त राज्य, सोवियत संघ और जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य जैसे विकसित देशों के अच्छे आदशों का अध्यन नहीं कर रहे हैं । आपको यह पता चलेगा कि विश्व में प्रत्येक विकसित देश में औद्योगिकीकरण और अर्थ व्यवस्था का विकास शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से आरंभ हुआ है ।

तदनुसार यदि हमारे शासक यह चाहते हैं कि हमारा देश विकसित होकर 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करे तो निरक्षरता को मिटाना होगा । इस मुद्दे पर सभी सहमत हैं । परन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का यह अर्थ है कि स्कूलों में दोपहर का भोजन, नुक्त कपड़े सरकारी सहायता से पाठ्य पुस्तकें और कापियां उपलब्ध कराई जाएं ।

शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का यह अर्थ है कि प्रौढ़ शिक्षा पर उचित महत्व दिया जाना चाहिए ।

इन सभी वर्षों में हमारे शासक लोगों की उचित मांगों की उपेक्षा करते रहे हैं और इस बजट में भी, निरक्षरता को समाप्त करने के कार्य को करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है ।

अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से शिक्षा सम्बन्धी समग्र नीतियों की समीक्षा करने के लिए पुन: अनुरोध करता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं शिक्षा अनुदान की मांगों पर

[श्रीमती मनोरमा सिंह]

बोल रही हूं। वैसे, मुझे बहुत कम समय मिला है। इस कम समय में क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन, फिर भी कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहती हूं। प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि नौकरी में डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए, इस बार एक केबीनेट स्तर के मन्त्री के हाथों में शिक्षा का भार सौंपा गया है। उनसे हमारे यहां की जनता को आशा और विश्वास है कि इस बार अवश्य ही शिक्षा में कुछ सुधार होगा। आज की परिस्थितियों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यह बहुत ही सोच का विषय है। हमारा देश इतनी उन्नति कर रहा है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र मे दिनो-दिन पिछड़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें सुधार होना आवश्यक है। गांव और शहरों में हरेक माता-पिता की यही इच्छा रहती है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसी कारण आज वे चिंतित हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वे आगे बढ़ सकें। मैं, अपने माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो गिरावट आ गई है, इसको सुधारा जाए।

7.00 म. प.

खास तौर से बिहार के गांवों की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है और प्राथमिक शिक्षा की अवस्था इतनी दयनीय हो गई है कि जब कभी हम गांवों में जाते हैं तो बच्चों के अभिभावक हमसे आकर कहते हैं कि गांवों के स्कूलों में अध्यापक पढ़ाई की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, वहां कोई पढ़ाई नहीं होती है, समय पर क्लासेज नहीं ली जाती हैं और इन सबसे दुख की बात यह है कि अधिकांश स्कूल भवनों की छतें ही नहीं हैं। वहां अधिकतर बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, जाड़े की ठन्ड में सिकुड़ते रहते हैं, गर्मी की लू में झुलसते रहते हैं और बरसात में भीगते रहते हैं।

चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं मन्त्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि इन सारी बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हमारे प्रधान मन्त्री जी भी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर अवश्य जाना चाहिए। बिहार के सम्बन्ध में मैं इतना कह सकती हूं कि वहां शिक्षा की हालत बहुत गिर चुकी है, खराब हो चुकी है, हाई स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, अध्यापक समय पर नहीं आते और इस कारण लड़के गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। आज समाज के सामने यह एक बहुत बड़ाप्रश्न बन गया है कि हमारे बच्चे किधर भटक रहे हैं। यही कारण है कि आये दिन हड़तालें होती हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं और कोई-न-कोई घटना होती रहती है। इसलिए बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की ओर हमें ध्यान देना चाहिए,

शिक्षा मंत्री जी से मैं एक निवेदन यह करना चाहती हूं कि जैसा हमारे भाई साहब ने भी यहां कहा, मास्टरों पर अंकुश लगाना आज की परिस्थिति में बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि एक ही स्थान पर रहते-रहते वे गांव की राजनीति में भाग लेने लग गए हैं और उसका नतीजा यह हो रहा है कि वे अपनी मनमानी करते हैं और सोचते हैं कि हम चाहे जो भी करें, हमें कोई देखने वाला नहीं है। सरकारी पदाधिकारी कभी गांवों में नहीं जाते हैं, व कभी नहीं देखते कि स्कूलों में समय पर क्लासेज हो रही हैं या नहीं।

यहां मैं महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में भी एक निवेदन मंत्री महोदय से करना चाहती हूं। जैसा हमारी बिहार की एक बहन ने भी कहा था कि हर प्रखण्ड में कन्या उच्च विद्यालय होना बहुत जरूरी है, उसके साथ-साथ मैं यह भी चाहती हूं कि उसमें छात्रावास की भी व्यवस्था रहे क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई की ओर माताओं का बहुत ध्यान रहता है। उसके पीछे कारण यह है कि जब भी किसी लड़की की शादी की बात चलती है तो सबसे पहला प्रश्न यही सामने आता है कि लड़की पढ़ी हुई है या नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में उचित कदम उठाना बहुत आवश्यक है। वैसे तो हमारे शिक्षा मन्त्री जी बहुत सक्षम हैं, उन्हें इस तरह के आदेश जारी करने चाहिए कि जहां हर जिले में एक कन्या विद्यालय स्थापित किया जाये, उसमें छात्रावास की भी व्यवस्था हो।

एक निवेदन मैं यह करना चाहती हूं कि मैट्रिक के बाद हमारे यहां जॉब-ओरियेन्टिड कोर्स होनी चाहिए क्योंकि हमारे विद्यार्थी बी० ए० और एम० ए० पास करने के बाद बेकार हो जाते हैं और उनके सामने रोजगार की समस्या आ खड़ी होती है। यदि मैट्रिक के बाद वे किसी ट्रेड में दक्ष हो जाएंगे तो पढ़े लिखने के बाद वे समाज के ऊपर बोझ न होकर अपने धन्धे की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है।

दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह आता है कि पहले सरकार स्कूलों को आर्थिक सहायता देती थी, लेकिन जब से उनकी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है तब से हाई स्कूलों की हालत बहुत खराब हो गयी है, मेरा निवेदन है कि गरीब निर्धन छात्रों के लिए छात्रावृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे वह अपनी शिक्षा आगे जारी रख सकें।

पिछड़े इलाके में हरिजन आदिवासियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनके मन में यह भावना न बैठे कि हम कमजोर वर्ग के हैं, इससे हमारी उपेक्षा की जाती है।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान की जनता को उनसे बहुत आशा है, वह इस बारे में जरूर कदम उठायें।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : दोनों ओर के सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। मुझे कुछ संदेह हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

1990 तक शिक्षा का सर्वव्यापकिरण करना सम्भवतः सरकार की केवल एक अच्छी आकांक्षा है क्योंकि यह हमारे जैसे एक विशाल देश में कैसे संभव है। हमारा देश विश्व के सबसे बड़े लोक तान्त्रिक देशों में एक है। और इसमें अनपढ़ लोगों की बहुत अधिक संख्या

[श्री पीयूष तिरकी]

है। हम यह भी जानते हैं कि 50% से अधिक हमारी जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए और इन सभी चीजों के लिए आप स्कूलों में कैसे भेज सकते हैं ? यह केवल एक अच्छी आकांक्षा हैं मेरे विचार मे यदि एक व्यक्ति या परिवार अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है और जब उन्हें पीने का भी पानी नहीं मिलता, या रहने को स्थान नहीं है जब उन्हें दो दिन में दो-बार भोजन भी प्राप्त नहीं होता, तो आप इन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में जाने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें 1990 तक किस प्रकार शिक्षित किया जा सकेगा ? आपको यह परिणाम कैसे प्राप्त होंगे कि सभी लोगों ने कम से कम प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर ली है ?

हम प्रति वर्ष अपने देश में शिक्षित लोगों की प्रतिशतता का पता लगाते हैं। यह कहा जाता है कि हमारी जनसंख्या का 46% भाग शिक्षित हो वास्तव में एक व्यक्ति को 'शिक्षित' मानने के लिए हमारे पास क्या मापक है ? क्या इसके लिए उन्हें कोई प्रमाण-पत्र दिया गया है या अपना नाम लिख सकते हैं इस आधार पर उसे शिक्षित कहा जाता है। पिछली बार जब जनसंख्या जनगणना की जा रही थी, मैंने कुछ लड़कों से, जो जनगणना का कार्य कर रहे थे, पूछा कि—"आप शिक्षित किसे मानते हो ?" सही मानदण्ड क्या है ? क्या इसके लिए सरकार ने आपको कोई मानक दिया है ? उन्होंने कहा कि जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं उन्हें शिक्षित कहा जा सकता है। इस तरह हमारी साक्षरता 46% है। यदि हम उन्हें शिक्षा के प्राथमिक स्तर के अनुसार मानें तो साक्षरता सम्बन्धी हमारे आकड़े अभी भी 20 से 25% तक पहुंच जाएंगे।

मेरे विचार में, सरकार इन धारणाओं पर विचार करेगी क्योंकि हमारी सामाजिक संस्कृति लाभोन्मुखी है। हम लाभ की योजना का अनुसरण करते हैं। हम सदा लाभ के लिए कार्य करते हैं और आत्मकेन्द्रित होते हैं। आत्मकेन्द्रित समाज में लोग समाज के बारे में नहीं सोचते। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपना ही स्वामित्य चाहता है। इस प्रकार यह सन्देह है कि सरकार जैसा कि वह सोचती है, 1990 तक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में सफल हो जाएगी।

इसके पश्चात् एक सन्देह, जिसका बहुत से माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, यह है कि शिक्षा प्राप्त करना काफी मंहगा कार्य हो गया है और अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना असंभव हो गया है। इसके अलावा जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है—उनकी क्या स्थिति है ? सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार 9018.3 लाख लड़के रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत है। इस प्रकार अभिभावकों शिक्षा हेतु किस लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रकार शुरू हो रही हमारी विचार धारा गलत है। यह कार्य गलत ढंग से शुरू हुआ और अभी भी गलत है और हमारे देश को बरबाद कर रहा है।

स्वतन्त्रता के 37 वर्षों के पश्चात् हमारी शिक्षा के क्या परिणाम निकले हैं ? आसानी से यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में जो शिक्षित माता-पिता हैं। जिन्हें अपने बच्चों से बहुत बड़ी आशा है और उनकी शिक्षा के लिए कुर्बानी दी है, आपने उन्हें अति आधुनिक मनोवृत्ति प्रदान की है और वे अपने माता-पिता की कोई परवाह नहीं करते हैं।

इसके अतिरिक्त आपने प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या किया ? बन्धुवा मजदूरों के भी बच्चे हैं और उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए आपने क्या विचार किया है ? माचिस बनाने, पेंसिल बनाने और अन्य उद्योगों मे बच्चे अभी मजदूरी कर रहे हैं। बच्चों का शोषण किया जा रहा है और काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है। इसलिए सरकार को इस समस्या का सभी दृष्टिकोणों से समाधान करना होगा। भारत सरकार देश भक्त बनाने वाले इस उद्योग की उपेक्षा कर रही है। देश और लोगों की भलाई के लिए मनुष्य को देश भक्त बनाया जाना चाहिए। अत सरकार की प्रत्याशा देश को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है।

श्री बाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री ने नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श आरम्भ करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि इस प्रक्रिया में सभी शिक्षा-शास्त्रियों और राजनीतिज्ञों और समाजिक कार्य-कर्त्ताओं को शामिल किया जाएगा, क्योंकि जितना अधिक से-अधिक उन्हें शामिल किया जाएगा उतना ही नीति के कार्यान्वियन के लिए बेहतर होगा।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, जो कि पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मानव जाति के संचित ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रेषित किया जाता है और उचित सुविधाओं की व्यवस्था करके बाद की पीढ़ी को ज्ञान की सीमाओं को यथासम्भव आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, एक व्यापक विषय है। इसके अतिरिक्त, यह कठिनाईयों और समस्याओं से भरा पड़ा है।

मैं कुछ विषयों का ही उल्लेख करना चाहता हूं जो कि इस समय महत्त्वपूर्ण हैं। जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है हम उस जिम्मेदारी को नहीं भुला सकते जो संविधान द्वारा हमें सौंपी गई है। मुझे यह अवश्य कहना होगा कि हम जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल नहीं हुए हैं। यह कहना पर्याप्त है कि जब हम स्वतन्त्र हुए थे तो हमारे देश में अशिक्षतों की संख्या 24 करोड़ थी। आज यह संख्या 34 करोड़ है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा परन्तु कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मेरा यह सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए हमें कुछ उपायों को लागू करना होगा। इन दिनों हम इसे सर्वव्यापी बनाने की बात करते हैं। यह जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है। शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, छात्रों के लिए इसे सुगम्य बनाना है, परन्तु समस्या तो यह है कि छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए। इस लिए, उस स्थान को छोड़कर जहां यह वास्तविक रूप से यह सम्भव न हो इसे अनिवार्य कर देना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को समेचित और विस्तृत किया जाए और बहुत अधिक उत्साह के साथ इसे आगे बढ़ाया जाए। तीसरे संवैधानिक बाध्यता के अनुसार बच्चों को शिक्षा 6 वर्ष की आयु में आरम्भ न करके 3 वर्ष की आयु मे आरम्भ करना। इस अवस्था में शिक्षा का व्यापक महत्व है और सरकारी एजेन्सियों द्वारा इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

[श्री वाई० एस० महाजन[

चौथे, शिक्षा की अनोपचारिक पद्धतियों को और अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। ऐसी पद्धतियों का सहारा लिए बिना 100% साक्षरता के उद्देश्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में हमें इस तथ्य को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि हम +2 स्तर पर पाठ्यक्रमों को व्यवसायिक बनाने में सफल नहीं हुए हैं। इसका यह अर्थ है कि यह तरीका असफल रहा है। मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में इसके कार्यान्वयन में सुधार होगा जिससे हमारे देश के आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

जहां तक छठी योजना का सम्बन्ध है, इसमें, आर्थिक दृष्टि अव्यवहार्य संस्थानों की समस्याओं का समाधान करके और ऐसे नए संस्थानों का उद्भव न होने देकर मौजूदा सुविधाओं के समेकन के लिए जोर दिया गया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस क्षेत्र में ज्यादा कार्य नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय कालेजों की सम्बद्धता के लिए लगातार सिफारिश कर रहे हैं यद्यपि उनके पास उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए न तो सम्पत्ति ही है। और न ही ऐसे नए संस्थानों की सम्बद्धता के लिए सरकार से सिफारिश की जाती है और सरकार इनकी उचित संमीक्षा किए बिना ही इन्हें सम्बद्ध कर देती है क्योंकि वे सामान्य नीतियों का अनुसरण करते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये चीजें कहां तक होती है, परन्तु ज्यादा गहराई में जाने का मेरे पास समय नहीं है, हमारे देश में व्याप्त स्थिति के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। अब परिणाम यह है कि कालेज चल रहे हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनकी सहायता करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ऐसा निकाय है जिसे अध्यापन और परीक्षा में एक ऊंचे स्तर पर बनाये रखने का कार्य सौंपा गया है। यह कालेजों को अनुदान देता है और कालेजों को अपने भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल के मैदानों का निर्माण करने के लिए सहायता करता है। अध्यापकों की श्रेणियों में सुधार हुआ है और छात्र वर्ग को भी बहुत-सी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस तरह प्रत्यक्ष रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में सुधार करने में सहायता दी है। परंतु जहां तक उच्चतर शिक्षा की कोटि का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि इसमें बहुत अधिक असफलता मिली है। इसके लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न होकर कोई और है। बहुत अधिक फैले हुए भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिक तथा जातिवाद फैलाने वाले तत्वों की वृद्धि होने से शिक्षा प्रणाली पूर्णतया बेकार हो गई है। अधिकांश कालेज साम्प्रदायिक संस्थाओं के हाथों में है। इस तरह छात्रों में सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास हो जाता है जो राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल है। कुछ प्रबन्धक तो इतने कट्टर हैं कि उन्होंने नवयुवकों के हाथों में बन्दुकें दे दी हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को इस बाहर के खतरे के अलावा, वहां पर आन्तिरिक विघटन भी है जो कि, स्टाफ में है। अध्यापकों की एक बड़ी संख्या हर समय बाहर के स्रोती से आय प्राप्त करने में लगी है। यह, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के रूप में, शहरों में लघु उद्योगों के रूप में, शहरी क्षेत्रों में भूमि के मूल्य के रूप में सौदेबाजी या निजी शिक्षण क्लासें चलाना आदि हो सकते हैं। जब एक अध्यापक अपना अधिकांश समय और शक्ति इस तरह लगाता है, तो उस संस्थान में, जहां पर वह कार्य करता है, सृजनात्मक कार्य करने के लिए उसके पास बहुत कम शक्ति रह जाती है। साम्प्रदायिक किस्म के प्रबन्धकों और उन अध्यापकों (जिनके गुरुत्व केन्द्र शिक्षण क्षेत्र से बाहर हैं) से हम क्या आशा कर सकते हैं? —अनर्थ, पक्षपात और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, शिक्षण के स्तर

में निरन्तर कमी, परीक्षा के दौरान व्यापक रूप में बहुत बड़ी मात्रा में नकल करना, प्राध्यापक वर्ग की गैर-जिम्मेदारी, परीक्षा के महत्वपूर्ण समय पर हड़तालें होना, अनुशासनहीनता और अन्त में दंगे-फसाद होना है। और जबकि उपकुलपतियों को पीटा जाता है तो कालेजों और विश्वविद्यालयों को बन्द करना पड़ता है। इस सामान्य स्थिति में सुधार करने के लिए, हमें, परीक्षा में सुधार करने, प्राध्यापक वर्ग पर जिम्मेंदारी सौंपने और उपयोगिता अभिमुखी शिक्षा के लिए जोर देना होगा चाहे यह पुरानी पद्धति का ही क्यों न हो। हमें सामाजिक उत्तरदायित्व, सहनशीलता और धर्म-निर्पेक्षता पर बल देना होगा ताकि हमारा प्रजातन्त्र बचा रह सके और हम विश्व शान्ति और बौद्धिक समझ-बूझ में योगदान दे सकें। यह कार्य शिक्षा मन्त्री का है कि वे इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का नया डिजाइन तैयार करें और नीति को और विलम्ब किए बिना कार्यान्वित करें।

शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा रहने वाली गंभीर समस्या धन की कमी रही हैं। हमारे मौजूदा शिक्षा संबंधी ढ़ांचे, जो कि अधिकांशत: अप्रयुक्त और निकम्मा हो गया है, का पुनर्निर्माण इसके संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि किए बिना संभव नहीं है। अब की जा रही बजट मांगें पर्याप्त नहीं हैं। अत: एक महत्वपूर्ण सुझाव जो मैं देना चाहता हूं, यह है कि तकनीकी और अन्य कालेजों का फीस संबंधी ढ़ांचा पिछले 15 या 20 वर्षों से अनुपलम्य हो गया है। तब से लेकर सरकार छात्रों की दी गई संख्या पर लगभग पांच से छः गुणा अधिक खर्चा करती है। पिछले वर्ष हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम को संशोधित किया है और उच्चतर शिक्षा, तकनीकी या अन्य किसी प्रकार की शिक्षा के सभी संस्थानों के फीस ढ़ांचे का निर्धारण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कि शक्तियां दी गई हैं। कुछ युक्ति संगत मानदण्डों के अनुसार फीस ढ़ांचे में संशोधन क्यों नहीं किया जाता ?. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो जो स्कूल और कालेजों में है उन पर हम अपने अधिकांश संसाधन व्यय करते रहेंगे और जो बाहर हैं उन पर बहुत कम भाग व्यय होगा, यद्यपि जो बाहर है उनकी संख्या स्कूल और कालेजों में शिक्षा प्राप्त करने वालों से ज्यादा है और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा भी प्रदान नहीं की जाती है। जिनके बिना हमारा जीवन लघु, बेकार और पशुवत है। हमारी शिक्षा प्रणाली में भेद-भाव और सामाजिक अन्याय बहुत बड़ी मात्रा में शामिल है।

अत: संसाधनों की समस्या गंभीर है। मुझे आशा है कि सरकार इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तदनुसार फीस निश्चित करेगा। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो स्कूल और कालेजों में हैं और इंजीनियरी चिकित्सा कालेजों में बाहर अत्याधिक फीस दे सकते हैं। वे यहां पर ज्यादा फीस भी दे सकते हैं और सामाजिक न्याय के लिए अतिरिक्त भार भी सहन कर सकते हैं।

अन्त में मैं हमारे प्रधानमन्त्री द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करने, काम से डिग्री को अलग करने, व्यावसायीकरण करने, नई टैक्नोलोजी को अपनाने और नैतिक शिक्षा देने आदि पर बल देते हुए की गई घोषणा का स्वागत करता हूं। यदि प्रधनमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इन विचारों को ठोस रूप दिया जाता है और कार्यक्रमों को तेजी से आरम्भ किया जाता है,

[श्री वाई० एस० महाजन]

तो मुझे आशा है कि इस देश के नवयुवक और नवयुवतियां हमारे नीति निर्माताओं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों के पक्ष में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले 15-20 वर्षों से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अमूल परिवर्तन हो, इस बात की मांग लगातार हमारे देश के शिक्षाविद और विभिन्न संस्थाओं के लोग करते आ रहे थे और केन्द्र सरकार ने भी समय-समय पर इस बात का वायदा किया था कि राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार हमें अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करना है। हमें खुशी है कि हमारे नौजवान प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी, ने 5 जनवरी, 1985 को बड़ी दृढ़तापूर्वक इस बात को स्वीकार किया कि हमारे देश के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में और बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए हमें एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिसमें सभी वर्गों के लोगों को न्याय मिले, जिसमें शिक्षा का उच्च मापदण्ड स्थापित हो, जिसमें राष्ट्र की युवा पीढ़ी का उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए उनके दिल व दिमाग में उच्च मापदंड स्थापित किया जा सके।

इसे वैल्यू-ओरिएन्टेड एजूकेशन हम कह सकते हैं। इसी तरह से रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने टेकनीकल-चेन्जेज़ के साथ-साथ हायर एजूकेशन के व्यवसायीकरण की बात, वोकलाइजेशन की बात कही है, उस में हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे शिक्षा मंत्री माननीय पंत जी ने जिस शिक्षा नीति का संकेत किया है उस में उन मापदण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम राष्ट्र की शिक्षा नीति मे व्यापक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे बजट में उन आवश्यक बातों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान होना चाहिये। शिक्षा मंत्रालय का जो वर्तमान बजट है वह पिछले बजट के मुकाबले केवल 60-65 करोड़ रुपये ज्यादा है। 1984-85 के बजट में 445 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जब कि इस बार शिक्षा के क्षेत्र में 510 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि जो माडल स्कूल की योजना आपने बनाई है, हर जिले में आप एक मॉडल स्कूल खोलना चाहते हैं, हमारी बहनों के लिये हायर सैकण्ड्री और इन्टरमीडिएट तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा है—निश्चित रूप से यह धनराशि इन कामों के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है, इस के लिये हमें अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। इसलिये इस काम को पूरा करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्यादा व्यापक प्रयास करने होंगे जिस से सातवीं पंच वर्षीय योजना में इस को प्राथमिकता देते हुए आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

अब मैं प्राथमिक शिक्षा या हायर एजूकेशन की तरफ ज्यादा चर्चा न करते हुए, तकनीकी शिक्षा (टेकनीकल एजूकेशन) की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह हम सभी के

लिये गर्व और गौरव की बात है कि हमारे देश की बढ़ती हुई प्राद्योगिकी को देखते हुए हम सायंस और टेकनोलोजी की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमारे पहले प्रधान मंत्री स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने 1961 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के माध्यम से देश में पांच आई०आई० टीज का गठन किया था और उनके माध्यम से देश ने कुशल वैज्ञानिक और कुशल इन्जीनियर्स खुद निर्मित किये, जिन्होंने न केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाकर बहुत जबरदस्त ख्याति अर्जित की तथा हमारे देश को टेकनोलाजी के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक टेकनोलाजी के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में ला कर खड़ा कर दिया। इन आइ०आइ० टीज को बन हुए 20 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन इन के आधुनिकीकरण कीई तरफ को ध्यान नहीं दिया गया है। जो संयत्र, मशीने और इक्विनेन्टस पिछले 10-15 वर्षों में लगे वे अभी चले आ रहे हैं, मेरा तात्पर्य है कि स्थापना के समय से लगे हुए हैं, वे अभी भी चले आ रहे हैं उनमें नई टेकनोलाजी की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि हम भी देश में नई टेकनोलाजी लाना चाहते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक दूसरे देशों में कर के दिखला देते हैं, यदि उस को हम अपने देश में भी कर के दिखलाना चाहते हैं तो हमें उन टैकनोलाजी को इन संस्थाओं में भी लाना होगा। यह बहुत आवश्यक है कि इन तमाम आइ०आइ० टीज और रीजनल इन्जीनियरिंग कालिजों को लैबोरेट्रोज को आधुनिक बनाया जाय और सभी टेकनोलाजी जो हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी चाहते हैं, चाहेवह इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में हो,ओशन डवैलपमेन्ट के क्षेत्र में हो, स्पेस या हैलिकम्यूनिकेशन के क्षेत्र में हो, एटामिक एनर्जी के क्षेत्र में हो, इन में विकसित और स्वछंद एडवांस तरीकों को अपनायें। इन सब कामों के लिये शिक्षा मंत्रालय ने बजट में पहले से दो करोड़ रुपये ज्यादा रखे हैं। पहले 48 करोड़ रुपये रखे थे, लेकिन अब 50 करोड़ रुपये रखे हैं, मेरी दृष्टि मे यह धनराशि अपार्याप्त है और इस पर आपको फिर से गौर करना चाहिये।

प्लान आउट ले में आइ०आइ० टीज के लिए 1984-85 में 8 करोड़ रुपया रहा था, जिस को 1985-86 के लिये 6 करोड़ कर दिया है, इस को बढ़ाना चाहिये था, घटाने की आवश्यकता नहीं है।

इस लिए हम चाहते हैं कि आइ०आइ० टीज के बजट को बढ़ा कर कम से कम 100 करोड़ रुपया किया जाए, जिस से हम बढ़ती हुई आवश्यकताओं और आधुनिकता की पूर्ति कर सकें।

अब मैं पालीटेक्नीक के महत्व को बताना चाहूंगा। देश की बढ़ती हुई औद्योगिक रफ्तार में जो हमारे निर्माण के कार्य हैं और हम सिविल, मिकेनीकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल डैवलपमेंट के लिए ट्रांसफर आफ टेक्नोलाजी करना है, इन सब बातों को देखते हुए आज के परिपेक्ष्य में पालीटेक्नीक्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है और हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि पालीटेक्नीक के आधुनिकीकरण की तरफ हमने पिछले 10-15 वर्षों में कोई ध्यान नहीं दिया है। यदि हम हर एक प्रदेश में एक-एक माडल पालीटेक्नीक बना कर, उस में विकसित और आधुनिक टेक्नोलाजी और जो नये विषय हैं, वहां पर प्रारम्भ कर देगें, तो निश्चित रूप से नई युवा पीढ़ी को अच्छे विषय और अच्छी

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

दिशा की तरफ जाने में सहायता मिलेगी। इसी तरह से छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए भी रेजीडेंशियल पालीटेक्नीक होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को यदि हम अपनाना चाहते हैं, तो इस के लिए मेरा सुझाव यह है कि हर एक प्रदेश में कम से कम एक ऐसी पालीटेक्नीक स्थापित होनी चाहिए, जिस में महिलाएं और छात्राएं शिक्षा हासिल कर सकें और उस में दक्षता प्राप्त कर सकें। हमने देखा है कि जहां पर लाईट मिकेनीकल वर्क महिलाओं को दिया गया है, उन्होंने बड़ी निपुर्णता से कार्य किया है। इलेक्ट्रोनिक्स में महिलाओं ने अच्छा काम किया है और वाचेज मेनुफेक्चरिंग यूनिट्स में भी महिलाओं का काम बहुत अच्छा है। यदि हम इस शिक्षा को देश के कोने-कोने में पहुंचा देगें, तो इस का बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा।

इसी तरह से ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाओं को देखते हुए, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जून 1981 में शिक्षा विभाग ने बहुत अध्ययन के बाद एक **स्कीम आफ कम्युनिटी पालीटेक्नीक इन इण्डिया बनाई** और पिछले दो वर्षों में देश की 35 चुनी हुई पालीटेक्नीक इंस्टीट्यूशन्स में इस को लागू किया गया और उस में आई०आर०डी० के अन्तर्गत जो सारी योजनाएं हैं, आर०एल०ई०जी०पी०के जो कार्यक्रम हैं और हमारी ट्राईसम की योजनाएं है और जो सैल्फ एम्पलायमेंट हमारे अनएजूकेटेड यूथ्स के लिए प्राब्लम बनी हुई है, इन सब को प्रशिक्षण देने की योजना इन पालीटेक्नीक संस्थाओं में बनाई गई और उसकी व्यवस्था की गई, जहां पर उन के कोर्स दिन में चलते हैं और शाम को अतिरिक्त समय में उन को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मेरा सुझाव यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, ग्रामीण योजनाओं के विकास और संभावनाओं को देखते हुए, हर पालीटेक्नीक को कम्युनिटी पालीटेक्नीक में परिवर्तित कर दे और यह सुविधा हर राज्य में दी जाए।

अन्त में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि टेक्निकल शिक्षा के विषय में आल इन्डिया कौंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन है। अभी तक यह सिर्फ सलाहकार परिषद जैसा ही काम करती है। इसको इतना अधिकारपूर्ण बनाया जाना चाहिए, इतना पावरफुल बनाया जाना चाहिए कि इसका सम्पूर्ण नियंत्रण हमारे देश की जितनी भी टैक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर रहे। यह सिर्फ गाईडेन्स ही न दे बल्कि उन पर नियंत्रण रखे ताकि बदलते हुए ढांचे में उन को आगे बढ़ाया जा सके और वे और अच्छी तरह से काम कर सकें।

आप ने जो समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और अन्त में यही कहना चाहता हूं कि नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कायम हो, उसके लिए जल्दी से जल्दी एक कानून माननीय मंत्री जी पार्लियामेंट में लाएं और उसे पास करावें। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शर्मा, कृपया आप बैठ जाएं। आपका समय पूरा हो गया है मैं अब माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए अनुरोध करता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथक इस प्रेरणात्मक बहस में

भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के साथ शिक्षा संबन्धी समस्याओं और राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण में शिक्षा की भूमिका के बारे में कहा है। इन्होंने केवल आज के संदर्भ में ही नहीं बल्कि आने वाली दशाब्दियों के संदर्भ में भी शिक्षा की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

बहुत से सदस्यों ने आने वाली शताब्दी के बारे में उल्लेख किया है। बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उत्तर के दौरान, मैं समय की कमी के कारण, इन सबका उल्लेख नहीं कर सकूंगा।

जैसा कि है अब सांय बल्कि काफी देर हो चुकी है परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव को नोट किया है और इन सभी सुझावों से लाभ उठाने का हम प्रयास करेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य ऐसी संस्थाओं के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। विशिष्ट आलोचना के बारे में मुझे पूर्णतया कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं आपसे अनुरोध करता हूं अतिश्योक्तिपूर्ण आलोचना न की जाए क्योंकि यह एक तरह इन संस्थानों में बहुत बड़ी संख्या में कार्य कर रहे बहुत योग्य व्यक्तियों के लिए न्यायोचित नहीं है और इससे वे अनावश्यक रूप से हतोत्साहित होंगे, जो कि आपकी भी मन्शा नहीं है। तदनुसार मैं आलोचना का स्वागत करता हूं और इससे लाभ उठाने का प्रयास करूंगा। मेरा अनुरोध है कि मेरे बारे में की गई आलोचना सामूल हो सकती है परन्तु उनके बारे में जो अपना बचाव करने के लिए यहां नहीं है, आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

बहुत से सदस्यों ने शिक्षा की भूमिका और राष्ट्रीय विकास की दिशा और इन दोनों में संबन्ध के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए बल का उल्लेख किया है। प्रधान मंत्री ने इस देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग करके आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वह एक ध्यान देने योग्य क्षेत्र है दूसरा क्षेत्र राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बलों को सशक्त बनाने के लिए है। तीसरा, व्यक्तिगत रूप में तथा सम्पूर्ण समाज के रूप में, दोनों के संदर्भ में रचनात्मक मूल्यों को प्रोत्साहन देकर समाज में कार्य-बोध का सृजन करना है। उन्होंने हमारी संस्कृति में, हमारी परम्परा में, हमारे राष्ट्रीय संग्राम में और हमारी स्वतंत्रता में गर्व होने की आवश्यकता के बारे में कहा है। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम का विशेष उल्लेख किया है। श्री मोरारजी देसाई तथा श्री रामचन्द्रन् ने इस संदर्भ में उल्लेख किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से, इस संदर्भ में और इस संबंध में दिए गए निर्देशों जिनके उन्होंने हमें अध्ययन करने के लिए कहा है, का स्वागत करता हूं क्योंकि मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि अपने देश पर अपनी संस्कृति पर, अपनी परम्परा पर, महान लोगों द्वारा दी गई कुर्बानियों पर, अपने स्वतंत्रता संग्राम पर गर्व होना, यह सब राष्ट्रीय आत्म विश्वास के संघटक हैं। राष्ट्रीय आत्म विश्वास विशेषकर नवयुवकों के दिमागों में किस प्रकार पैदा किया जाए ? यह एक ऐसा तथ्य है जो कि इस देश के इतिहास और घटनाओं से सम्बन्धित है। तदनुसार हमारी शिक्षा

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

प्रणाली की पुनर्संरचना में इन सभी उद्देश्यों की अनुभूति की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा। मेरे विचार में इन लक्ष्यों के साथ शिक्षा को सम्बद्ध करने का कारण स्पष्ट है। इन उद्देश्यों में से कोई भी उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि हमारे पास दूर-दर्शिता वाले, क्षमता वाले, इन उद्देश्यों को समझने की कुशलता रखने वाले आदमी उपलब्ध न हों और इस देश के लिए इस तरह के आदमी केवल शिक्षा द्वारा तैयार किये जा सकते हैं। इस तरह सम्बन्ध स्पष्ट हैं। परन्तु इस प्रकार के आदमी तैयार करने के लिये मौजूदा प्रणाली को अपनाना हमारे लिए एक चुनौती है जिसे हम सभी को स्वीकार करना है।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रधान मंत्री की सहायता मुझे व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए शक्ति का स्रोत है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं और सूचित करता हूं कि वह समग्र देश में लड़कियों को बारहवीं कक्षा तक बिना फीस के शिक्षा देने संबन्धी निर्णय में सक्रिय रूप से शामिल थे।

श्रीमती मुखर्जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है और उसके दौरान उन्होंने यह दिखाया है कि उन्होंने बजट कागजातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। परन्तु वे या तो जान-बूझकर यह निश्चय पूर्वक उल्लेख करना भूल गयीं कि बारहवीं कक्षा तक लड़कियों को बिना फीस के शिक्षा देने से राज्यों को पर्याप्त सहायता मिलेगी और केन्द्र से राज्यों को संसाधनों का प्रवाह प्राप्त होना शामिल है। इसमें शामिल राशि एक वर्ष में लगभग 34 करोड़ रुपये होगी और यदि आप इसे हिसाब में लें तो उनके द्वारा बताए गए अधिकांश असन्तुलनों की प्रतिपूर्ति जरूरत से ज्यादा हो जायेगी।

मैं राज्यों से केवल एक बात कहना चाहता हूं : मेरा उनसे यह अनुरोध है कि हमारे द्वारा यह राशि उन्हें देने के पश्चात् वे अलग से क्या रखते हैं को छोड़कर, यह राशि केवल लड़कियों को शिक्षा देने के क्षेत्र में ही उपयोग में लाई जाए। यह एक मुद्दा है जहां पर मैं आपकी सहायता आप सबकी सहायता चाहता हूं।

डा० फूलरेणु गुहा यहां पर नहीं है। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक दलील दी है और बहुत से मेरे अन्य माननीय मित्रों ने भी ऐसी ही दलील दी है। श्रीमती कृष्णा साही यहां नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि महिला सदस्याएं सदन को बताए बिना ही चली जाती हैं।

श्री सी० गंगा रेड्डी :—इसमें अपवाद हो सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे मित्र श्री सोमनाथ तथा फकीर चन्द ने जनसंख्या संबंधी शिक्षा की आवश्यकता का उल्लेख किया है और इसे शिक्षा संबन्धी हमारे विस्तृत ढांचे में, पाठ्यक्रमों में और अन्य तरह से शामिल करने के लिए कहा है। मैं उनके इस सुझाव का स्वागत करता हूं। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और यह जनसंख्या आज अशिक्षित होने के कारण, बढ़ते रहने के कारण देश के ऊपर भार है और यदि इस जनसंख्या को प्रशिक्षित और शिक्षित किया जाए तो यह विकास का साधन हो जाएगी और इस तरह इस

जनसंख्या को प्रशिक्षित और शिक्षित करना है। परन्तु इसके साथ-साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इस जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, इस वृद्धि को रोकना होगा। इसके लिए हमारे पास केरल का उदाहरण मौजूद है, जहां पर शिक्षा के द्वारा एक बड़ा अन्तर आया है। लोग परिवार नियोजन में धार्मिक निषेध की बात करते हैं। केरल में मुसलमान भी है, ईसाई भी हैं और हिन्दू भी हैं और परिवार नियोजन संबंधी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका प्रदर्शन अच्छा है और वहां पर इन दो बातों के बीच विशेषकर स्त्री शिक्षा के साथ लिंक जुड़ा हुआ है और तदनुसार इस विषय पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए महत्व का मैं स्वागत करता हूं।

श्री के. के. तिवारी ने कहा है कि 21 जनवरी को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गए सुझाव के बारे में कुछ लोग घटिया किस्म की टिप्पणियां करते हैं। एक बच्चा जो आज प्राथमिक स्कूल मे दाखिल होगा, वह विश्वविद्यालय को अगली शताब्दी में छोड़ेगा। यह कुल मिलाकर ज्यादादूर नहीं है। यह शताब्दी का बदलना नहीं है बल्कि यह सतयुग का बदलना है। इसलिए हमें यह देखना है कि अगली शताब्दी में हम क्या कर सकते हैं। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। परन्तु यदि आप आज संचार के क्षेत्र को लेते हैं, इसमें प्रगति की जा रही है। यदि आप कम्प्यूटर के क्षेत्र में देखें, तो सूचना और अन्वेषण तथा पुनः प्राप्ति के क्षेत्र में एक नया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है जो बहुत-सी बातों के लिए जिन्हें हम आजस्थायी रूप में मानते हैं, क्रांतिकारी सिद्ध होगी।

यन्त्रमानव विज्ञान साहित्य के उत्पाद तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। यन्त्रमानव जापान में उद्योग में कार्य कर रहे हैं। हमें स्वचालित यन्त्रों और यन्त्रमानवों के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। परन्तु हमें यह भी देखना है कि विश्व में प्रगति कैसे हो रही है। खाद्य एक समस्या है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए खेतों के स्थान पर प्रयोगशालाओं में बहुत कार्य किया जा रहा है। यदि सारे विश्व में जनसंख्या, आज की तरह बढ़ती रहे तो यह कार्य किसी भी मूल्य पर अगली शताब्दी में आवश्यक हो जाएगा। समुद्रों का धातुओं, नमक और खनिज पदार्थों के लिए उपयोग किया जा रहा है और यह कार्य और बढ़ेगा। इसी प्रकार आशा है कि अन्तरिक्ष का भी बेहतर उपयोग किया जाएगा। सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए उपस्कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से लगाए जाएंगे। ये सभी परिवर्तन हो रहे हैं। उत्पत्ति संबंधी इंजीनियरी एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत-सी समस्याओं, आशाओं, भय और नैतिक प्रश्नों को उठाता है। इस सदन में इन पर विचार-विमर्श करने के लिए काफी समय लगेगा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता। परन्तु उत्पति संबंधी इंजीनियरी हमारी आज की बहुत सी विचार धाराओं में परिवर्तनकारी सिद्ध हो रही है। यह हमारी नैतिक विचारधाराओं के लिए चुनौती देती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं। अतः वह मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूं यह है कि परिवर्तन की गति में हर समय वृद्धि होती है। पिछले युद्ध के समाप्त होने के पश्चात् विश्व में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। इससे पहले इसमें 20 वर्षों में इतना परिवर्तन हुआ है जितना कि पहले 100 वर्षों के दौरान हुआ था और इससे पहले 100 वर्षों में इतना परिवर्तन हुआ जितना की पहले 500 वर्षों में हुआ था। परिवर्तन की गति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जो कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है वह आने वाले वर्षों मे जीवित रहने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। जीवित रहने के लिए हमें परिवर्तनशील

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

बनना होगा। हमें उच्च स्तर के वैज्ञानिक कार्मिकों के एक बहुत बड़े समूह को तैयार करना होगा जो कि परिवर्तनशील हो सकते हैं। हमें इस क्षेत्र में श्रेष्ठता की प्राथमिकता को ओझल नहीं होने देना चाहिए। हमें विषयों के संबन्ध में भ्रान्ति पैदा नहीं करनी चाहिए। हम इस देश में व्यापक आधार पर शिक्षा का प्रसार चाहते हैं। परन्तु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठता के बिना हम यह कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। हम जीवन के विभिन्न चरणों में श्रेष्ठता चाहते हैं ताकि हम इस देश को उस तरह से आगे ले जा सकें जो कि हमारे देश और विकसित देशों में इस समय विद्यमान अन्तर को समाप्त कर सके। इसलिए हमें बहुत अधिक कुशल इजीनियरों और तकनीशियनों की आवश्यकता है। उनकी सहायता के लिए ऊंचे स्तर पर अनुसंधान की आवश्यकता है। मेरा यह विचार है कि इस चुनौती को पूरा करना अन्ततः शिक्षा प्रणाली का उत्तरदायित्व है। इसलिए तकनीकी शिक्षा के बारे में श्री शर्मा द्वारा दिए गए बल का मैं स्वागत करता हूं। यह शिक्षा का एक पहलू है। शिक्षा का उत्तरदायित्व केवल संख्या बढ़ाने से ही पूरा नहीं होता। नैतिक मूल्यों के संबंध में प्रश्न उठाए गए थे। इसके लिए भी शिक्षा एक उत्तरदायित्व है। जैसा कि मैंने कहा है परिवर्तन अपरिहार्य है और भविष्य में परिवर्तन होगा। परन्तु भविष्य के स्वरूप को ढाला जा सकता है। यदि आप में दूरदर्शिता है तो आप भविष्य में परिवर्तन को अपना सकते हैं जो भारत के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और भारतीयों के लिए उपयुक्त रहेगा। हर जगह परिवर्तन हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अच्छे उपयोगी तो सिद्ध हुए हैं परन्तु ये घातक भी हैं। हमें यह भी देखना है कि इस देश के मानवीय मूल्य, और सांस्कृतिक मूल्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति को सन्तुलित बनाए रखें। विज्ञान और प्रद्योगिकी की अनियंत्रित शक्ति, जैसा कि हमने देखा है तबाही मचा सकती है। इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली मूल्य रहित शिक्षा प्रणाली नहीं हो सकती। इसे इन मूल्यों से सम्बद्ध किये बिना केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्पित नहीं किया जा सकता और इसलिये मैं समझता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण को एकतरफा नहीं होना है।

अनेक माननीय सदस्यों ने नई शिक्षा का जिक्र किया है। कुछ ने चाह है कि मैं इस नीति को स्पष्ट करूं, कुछ यह जानना चाहते हैं कि इसमें किन बातों पर जोर दिया जा रहा है। इस सम्बन्धमें आज मैं जो कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं करूंगा। सबसे पहले मैं आपकोयह बता दूंकि हम नई शिक्षा नीति तैयार करनेके कार्य में लगे हुये हैं। इसकी आवश्यकता स्पष्ट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने सभा में भाषणों को सुना है, स्वयं माननीय सदस्यों ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त किया हैऔर यह असंतोष अनेक कारणों से है। कुछ ने कहा है कि इसमे शिक्षा की पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था को बनाए रखा है और इसमे केवल नाम मात्र के परिवर्तन किये गये हैं। हरिद्वारी लालजी ने इसका विरोध किया है। किन्तु वह एक मुद्दा था जोकि सामने रखा गया। दूसरी बात यह थी कि शिक्षा के लिए यह आवश्यक है इस तथ्य को ध्यान में रखा जाये कि देश मे अलगावादी प्रवृत्तियां कार्य कर रही हैं और इसलिये यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा की जाये ताकि वे इन अलगाववादी प्रवृत्तियों का सामना कर सकें और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकें।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली परीक्षोन्मुखी है जिससे रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मैं परीक्षा प्रणाली के प्रश्न पर आज चर्चा नहीं करूंगा, ऐसा सिर्फ इसलिए कि यह स्वयं में एक विस्तृत विषय है। किन्तु उठाये गये मुद्दों में यह भी एक मुद्दा था।

मूल्यों का प्रश्न भी उठाया गया था और मैं समझता हूं कि श्री वासनिक उन मूल्यों की बात कर रहे थे जो सभी लोकतान्त्रिक और समाजवादी आकांक्षाओं से उत्पन्न हुये हैं। हम सभी चाहते है कि हमारे स्कूलों के बच्चे अच्छे नागरिक बनें। हम चाहते हैं कि वे कल इस देश की बागडोर संभालें। हम बार-बार यह बात कहते हैं। किन्तु इसके लिये हमें शिक्षा को निश्चित रूप से उसी प्रकार का बनाना होगा जिस प्रकार का समाज हम बनाना चाहते हैं। यदि आप उन मूल्यों के रूप में सोचते हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बढ़ावा देने का प्रयास किया है। तो इसका अर्थ यह होगा कि हम समुदाय, व्यापक रूप से समाज के हित में अपना हित देखें। इसका अर्थ यह होगा कि निजी स्वार्थपरकरता के स्थान पर सहकारिता को जीवन पद्धति के रूप में अपनाया जाये; इसका अर्थ होगा गरीब और दलित वर्ग की ओर ध्यान देना; इसका अर्थ होगा साम्यता और समानता की सही भावना। जैसा कि अभी कोई कह रहे थे, इसका अर्थ होगा सबसे पहले और अन्त में स्वयं को भारतीय मानकर सोचने और कार्य करने की क्षमता। ये महत्वपूर्ण मान्यतायें हैं। हो सकता है कि ये मान्यतायें सदा व्यावहारिक न हों, किन्तु इससे इनका महत्व कम नहीं हो जाता।

मैं बहुत से सदस्यों द्वारा कही गई इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि शिक्षा और रोजगार के बीच सम्बन्ध होना चाहिये। मैं समझता हूं कि श्री बैरो ने बहुत मान्य सुझाव दिया है। उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनकी जांच करना चाहूंगा। किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में काम के महत्व पर जोर नहीं दिया जाता है। हमारे स्कूलों में श्रम की गरिमा की सीख नहीं दी जाती। बेशक, परन्तु सदा ही यह सत्य नहीं है, कुछ स्कूलों में अब ऐसा किया जाता है; किन्तु कुल मिलाकर यह सही है और केवल बेरोजगारी के ही नहीं बल्कि रोजगार योग्य व्यक्तियों की संख्या बढ़ने का यह भी एक कारण है। अतः यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मौलिक मुद्दों में से एक है।

मैं समझता हूं कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका के सम्बन्ध में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुये हममें से अधिकांश इस बात से सहमत होंगे कि कर्तव्य और अधिकार दोनों पर जोर दिया जाना आवश्यक है, केवल अधिकारों पर ही जोर नहीं दिया जा सकता। यदि नौजवानों की विचारधारा में यह बात शामिल नहीं की जाती, तो पर्यावरण और वातायरण ऐसा है कि इससे कभी सुधार नहीं होगा। अतः हमें यह देखना है कि ये मान्यतायें नौजवानों के मस्तिष्क में बहुत दृढ़ता से बिठा दी जायें ताकि बाद की जिन्दगी के अनुभवों का क्षरण भी उन्हें नष्ट न कर सके। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस पर मैं बाद में चर्चा करुंगा। अतः हमें एक ऐसी शिक्षा नीति चाहिये जो इन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी।

इस संदर्भ में कुछ माननीय सदस्यों ने शिक्षा आयोगों का जिक्र किया था। हरिद्वारी लाल जी ने साफगोई से हमें बताया कि पहले भी कितने अधिक आयोग बिठाये जा चुके हैं और वे हमें

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

इस सम्बन्ध में 1947 से हुये उतार चढ़ावों का इतिहास बता चुके हैं; और मैं समझता हूं प्रो० सोज कहते हैं कि भगवान के लिये कोई और आयोग गठित न करिये। मेरे विचार से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन आयोगों के बुद्धिमतापूर्ण बातों और 1968 की शिक्षा नीति का लाभ उठायें और तब इन प्रश्नों की जांच करें कि क्या 1968 की प्राथमिकताओं को उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये, क्या शिक्षा की प्रणालियों, शिक्षण, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली आदि में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है या नहीं। हमें वस्तुतः आयोग की रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक परीक्षा प्रणाली चाहिये और फिर हमें यह देखना है कि हमें किस कार्य योजना की आवश्यकता है। हम उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्टतः इस दिशा में जो पहली कार्यवाही कर रहे हैं, वह है शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में स्टेप्स पेपर तैयार करना। जाहिर है कि यह पहला कदम है।

मैं समझता हूं कि निर्मला जी ने एक समिति का उल्लेख किया है जो इस कार्य के लिये गठित की गई है। ऐसी कोई समिति नहीं है। मन्त्रालय में हर सम्बन्धित व्यक्ति के सहयोग से इस प्रकार का प्रालेख तैयार किया जा रहा है और हमने उपकुलपतियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों और ऐसे अन्य दलों के साथ विचार-विमर्श किया है जो इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं और जानकार हैं। तत्पश्चात हम शिक्षकों सम्बन्धी आयोग की रिपोर्टों पर ध्यान देंगे जिनका जिक्र भी किया गया था और जो सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है तथा जिनका इस समय मन्त्रालय द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

एक बार यह स्टेप्स पेपर तैयार हो जाने पर देश भर में इस पर व्यापक चर्चा होगी और तत्पश्चात हम राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, बुद्धिजीवियों, शिक्षा आयोजनकर्ताओं आदि के सहयोग से अगली कार्यवाही करेंगे। तत्पश्चात पिछले पत्रों में बताई गई कमियों के कारणों का पता लगाने के लिये कार्य किया जायेगा और तब हमें यह निर्धारित करना होगा कि क्या किया जाना अपेक्षित है। इस दिशा में तीसरा कदम सिफारिशें तैयार करना होगा। इस अवस्था में भी यदि आवश्यक हुआ, तो हम राज्य सरकारों के साथ पुनः विचार-विमर्श करेंगे। हम इस कार्य में शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करना चाहते है किन्तु ऐसा एक निश्चित सीमा के भीतर ही किया जा सकता है क्योंकि आप भी चाहेंगे कि यह कार्य पूरा हो जाये।

8·00 म० प०

और हमारा यह प्रयास रहेगा कि इससे पहले के आयोगों के विपरीत हम इस रिपोर्ट में कार्यान्वयन की नीति को शामिल करें क्योंकि जैसा कि अनेक सदस्यों ने बताया है, आयोगों ने बहुत उत्कृष्ट रिपोर्टें दी हैं और उनकी सिफारिशें बहुत अच्छी हैं किन्तु उन सभी को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस बार मैं चाहता हूं कि हम रिपोर्ट में ही कार्यान्वयन तन्त्र तैयार कर दें ताकि सिफारिशों को स्वीकृत हो जाने पर कार्यान्वित किया जाये ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी मैंने ऐसा ही करने का प्रयास किया था। उस समय बहुत अधिक सिफारिशें कार्यान्वित की गई थीं। इसलिये हम इस पर कुछ जोर देंगे और मुझे विश्वास है कि सभा यही चाहेगी कि हम ऐसा करें।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। विशेषकर प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में और संभवतः कुछ हद तक गैर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक ऐजेंसियां कार्य करती हैं। हम इस सम्बन्ध में भी विचार करेंगे। हम उद्योग और व्यापार को शामिल किये जाने की संभावना पर केवल इस तरीके से विचार नहीं करेंगे कि उन्हें नौकरियों से जोड़ा जाये, जैसा कि श्री बैरो ने बताया है, बल्कि उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के वृहद कार्य से जोड़ने की दृष्टि से भी विचार किया जायेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : एन० एस० एस० भी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एन० एस० एस०—निःसन्देह यह भी कुछ कर रहा है, और इस नई नीति को तैयार करने के कार्य में हमने कुछ प्रगति की है। शिक्षा के दर्जे के सम्बन्ध में प्राथमिक मूल्यांकन प्रलेख तैयार कर लिया गया है और अब हम इसके लिये समय सीमा निश्चित कर रहे हैं ताकि हम शिक्षा वर्ष 1986-87 में नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित कर सकें। हम इसे अपना लक्ष्य वर्ष मानकर चर चल रहे हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के महत्व के सम्बन्ध में कहा है। श्रीमती मुखर्जी का आशय यह लगता है कि क्योंकि स्कूल शिक्षा का विषय मुख्यतः राज्य के क्षेत्र में है, अतः मैं उसे सिर्फ एक तर्क के रूप में ही लूंगा और उस पर गहराई से चर्चा नहीं करुंगा। किन्तु वस्तुतः यह बहुत अधिक गम्भीर मामला है। श्री सुधीर राय और अन्य लोगों ने भी इस बारे में चर्चा की।

हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण और तात्विक प्रश्न है। श्री तिरकी और श्री कुरूप ने इस सम्बन्ध में कहा। श्री कुरूप ने कहा 1990 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। मुझे आशा है कि इस विषय में वे गलत सोच रहे हैं। यदि हम कर सके, तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि वे यह साबित करने में सहयोग देंगे कि वे गलत सोच रहे हैं। अपने व्यक्तव्य में वे बार-बार 'हमारे शासकों' का प्रयोग कर रहे थे और मैं समझता हूं कि संभवतः वह यह भूल गये कि आज भारत मे 'हमारे शासकों' में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा भी शामिल है और वस्तुतः केरल में भी हमारे शासकों की पंक्ति में उनका दल भी शामिल है।

श्री सुरेश कुरूप : केरल में सर्वाधिक कन्यायें शिक्षित हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बिल्कुल सही, जहां वे बधाई के पात्र हैं, मैंने उन्हें बधाई दी है। जो बात मैं कह रहा हूं, वह यह है कि यह दलगत प्रश्न नहीं है और शिक्षा के प्रसार के लिये हम सभी को मिलकर कार्य करना है। आशय का एक अधिनियम पारित किया है। किन्तु उनके लिये इस अधिनियम को कार्यान्वित करना कुछ कठिन हो गया है। अतः कानून बनाने से स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। हमें इस समस्या के मूल तक पहुंचना होगा और जहां कहीं यह समस्या होगी, उस पर काबू पाने की कोशिश करनी होगी।

प्रो० एम० जो० रंगा : इसे एक जनआन्दोलन बन जाना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमें 7वीं योजना के दौरान और 640 लाख बच्चों को स्कूल की सुविधायें प्रधान करती हैं। यदि आप 1990 तक सभी को शिक्षित करना चाहते हैं। इनमें से 250 लाख औपचारिक अवस्था को पार कर सकेंगे अथवा इन्हें औपचारिक अवस्था को पार करना होगा। इसके बाद 390 लाख बच्चे शेष रहते हैं और उन्हें एक ही तरीके से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा सकता है, और वह यह है कि उन्हें गैर औपचारिक अवस्था से गुजारा जाये। यह समस्या इतनी वृहद है और मैं इसे संक्षेप में आप के सामने रखना चाहता चाहता हूं।

स्कूल छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की ऊंची दर का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न अथवा समस्या है जिस से हम बच नहीं सकते।

इस प्रश्न का सामना करने में जो समस्यायें हमारे सामने आ रही हैं, मैं की गम्भीरता को भली-भांति समझता हूं। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं—मेरे मित्र श्री डी० पी० यादव यहां न हीं हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया था; स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, और अध्यापकों की संख्या में कई गुनावृद्धि हुई है। किन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा के जन साधारण में प्रसार का कार्य, जो कि हमारे संविधान के अनुसार 1960 तक अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिये था, अब तक पूरा नहीं हो सका है। आज वस्तुतः हम कहां हैं ? आशा है कि 1984-85 के अन्त तक 6 से 11 वर्ष तक की आयु के लगभग 95 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्कूलों में होंगे और 50 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों में। ऐसे में यदि हम प्राथमिक शिक्षा को 1990 तक सभी तक पहुंचाना चाहें, तो यह अत्यन्त कठिन कार्य होगा, एक माननीय सदस्य ने कहा था' हम शिक्षा का अध्यापक प्रसार क्यों कहते हैं ? आपको कहना चाहिये—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,' के कुछ राज्यों ने इस आठवीं कक्षा के अन्त तक 76.6 प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं। इसलिए जब हम सभी को शिक्षित करने की बात करते है, तो उसका एक ओर यह अर्थ है कि भारी पैमाने पर और बच्चे भर्ती किये जायें, जिसका मैंने उल्लेख किया है।

फिर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की समस्या की ओर ध्यान देना होगा। यानि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की 70.6 प्रतिशत दर को लगभग शून्य तक लाना होगा। व्यावहारिक तौर पर इसका यही अर्थ हुआ। इसलिये इसके लिये जो प्रयास अपेक्षित होंगे उनकी व्यापकता को पूरी तरह समझा जा रहा है। मैं बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों पर चर्चा करता, किन्तु क्यों कि अनेक माननीय सदस्य उनका उल्लेख कर चुके हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि यह आवश्यक न होगा। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्तिथियां विद्यमान हैं। अनेक सदस्यों ने हमारे प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाओं के भी न होने के सम्बन्ध में कहा है। अनेक सदस्यों ने इस क्षेत्र में शिक्षकों, जिनसे हम बेहतर शिक्षा की आशा करते हैं, की निराशा के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि किसी ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के माता-पिता के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में नहीं कहा। इस बारे में किसी ने नहीं कहा। किन्तु

उनकी भी जिम्मेदारी है। यह आवश्यक है कि हम उनकी जिम्मेदारी के बारे में भी बोले क्योंकि मेरे विचार से हमें एक-एक ऐसी सामाजिक जागरूकता और सामाजिक वातावरण तैयार करना है जिसमें माता-पिता शिक्षा के महत्व को समझ सकें। हम केवल तभी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे बच्चों को स्कूल जाने देंगे। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जाए। मैंने जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण का जिक्र किया है, उसे तैयार करने के लिए हम जन प्रचार के साधनों का जितना उपयोग कर रहें हैं, उनका उससे अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता।

गैर औपचारिक शिक्षा के बारे में बहुत से माननीय मित्रों ने कहा था कम से कम एक सदस्य ने इस बात को नोट की छठी योजना के बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिये गैर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने की शुरूआत की थी। वर्ष 1984-85 के अंत तक 160,700 गैर औपचारिक केन्द्रों में लगभग 40 लाख बच्चों को प्रवेश दे दिया यगा होगा जिससे और अध्यापन की विधि में आर्थिक लचीलापन होगा।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टस गंज) : वे संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप ऐसी अतिश्योक्तिपूर्ण टिप्पणियां न करें। मैं यह मानने को तैयार कि कुछ हूं गैर औपचारिक केन्द्रों पर कार्य नहीं हो रहा हो क्यों कि आप ने कुछ केन्द्रों में जाकर देखा है और अनुभव प्राप्त किया है। और दूसरों को यह अनुभव हो सकता है कि कार्य हो रहा है।

श्री राम प्यारे पनिका : मेरे जिले में वे सभी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र पंत :—यदि आप अपने जिले के बारे में बातें कर रहे हैं तो मैं आप से यह सहयोग चाहता हूं कि आप इस बात की ओर ध्यान दें जिससे वे ठीक प्रकार से कार्य करें। मैं इसे वाद-विवाद का मुद्दा नहीं बना रहा हूं। यदि वे कार्य नहीं कर रहें हैं तो हम सभी को यह देखना पड़ेगा कि वे ठीक प्रकार से कैसे कार्य कर सकते हैं।

प्रो० एन० सी० रंगा : यह एक जन आंदोलन होना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं प्रौढ़ शिक्षा को पूर्ण रूप से जनता का आंदोलन बनाना चाहता हूं। गैर-औपचारिक योजना को सफल बनाने के लिए इस कार्य में मैं आपका सहयोग चाहता हूं, मैं इस बात के लिए भी आपका सहयोग चाहता हूं कि जनता इसमें आये और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि प्राथमिक विद्यालय ठीक प्रकार से कार्य करें। लेकिन इसमें जो भी समस्या है उसे आप सभी जानते है। आप यह भी जानते हैं कि जन साधन राजनैतिक वर्गों में बट रहे है। अब जो कुछ हो रहा है उसे भी जानते है। हम सभी वास्तविकता को जानते हे। लेकिन चूंकि हमें इस समस्या को हल करना है हमें एक ऐसा रास्ता देखना है

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

जिससे जनता के आंदोलन को सफलता मिले यह भी सफलता मिले कि इसमें जनता शामिल होती है और प्राथमिक तथा गैर औपचारिक दोनों विद्यालयों की देखभाल जनता द्वारा हो।

इसमें संसद सदस्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मैं इसको एक पार्टी का मामला समझ कर नहीं देख रहा हूं। इस कार्य में मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं। मैं आपको उन कठिनाइयों को बताऊंगा जो प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गैर-औपचारिक योजना में 3 करोड़ 90 लाख बच्चों के प्रवेश करने में आयेंगी। इसका अभिप्राय यह है कि हमें प्रति वर्ष कम से कम 30,000 अतिरिक्त गैर-औपचारिक विद्यालय शुरु करने पड़ेंगे जिनमे से लगभग 10,000 विद्यालय केवल कन्याओं के लिए ही होंगे।

जहां तक स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता देने का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार गैर-औपचारिक केन्द्रों को 100 प्रतिशत सहायता देती है। और यह मिश्रित केन्द्रों के लिए 50 प्रतिशत सहायता राज्य सरकारों को देती है और केवल कन्याओं के केन्द्रों की सहायता के लिए 90 प्रतिशत सहायता देती है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने यह प्रश्न उठाया था कि इस वर्ष कन्याओं के गैर-औपचारिक केन्द्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वस्तुतः 2·8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट में इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था का पता नहीं लगता है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि 2·8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यदि आप यह चाहते हैं कि जो कुछ मैंने अभी-अभी कहा है वह स्पष्ट है और गैर-औपचारिक शिक्षा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ले तो इससे भी अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। जितनी भी अतिरिक्त राशि की केन्द्र और राज्यों के लिए आवश्यकता होगी मैं उसे आपके सहयोग से प्राप्त करने का प्रयास करुंगा। मेरा विचार है कि यदि जनहित से प्रेरित सभी नेतागण इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की आवश्यकता से सहमत होते हैं, तो इसके लिए संसाधनों की भी कमी नहीं होगी। संसाधन भी उपलब्ध हो जायेंगे बशर्ते कि कार्य को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक समझा जाता है।

गैर-औपचारिक योजना के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक मूल्यांकन तंत्र बनाया गया है।

मैंने श्री रामप्यारे पनिका से कुछ विशिष्ट उदाहरण देने के बारे में कहा था क्योंकि मूल्यांकन रिपोर्ट आनी है और हम उस मूल्यांकन रिपोर्ट से यह जांच कर सकते हैं कि क्या गैर-औपचारिक केन्द्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। मेरे विचार से यह आवश्यक है। यह एक बहुत ही काल्पनिक योजना है। इसके समाप्त होने से पहले ही मैं इसे मरने नहीं देना चाहता और इसलिए मूल्यांकन आवश्यक है।

यह कहां कार्य नहीं कर रही है, हमें इसे कार्य करने देना चाहिए। कृपया आप इसकी इस ढंग से आलोचना न करें जिसका यह अभिप्राय हो कि इस स्थिति में यह समाप्त होने वाली है। (व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज़ : गैर-औपचारिक शिक्षा में बीच में स्कूल छोड़ने वालों की दर क्या है ?

श्री कृष्णचन्द्र पंत : मैं ठीक प्रकार से नहीं जानता, क्योंकि इस क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति सीखने वालों की इच्छा पर निर्भर है। उस विचार से बीच में स्कूल छोड़ने वालों का कोई प्रश्न नहीं है। वस्तुत, यदि कोई व्यक्ति 3 या 5 कक्षाएं पास करने में 20 से 30 वर्ष तक का समय लगाता है तो यह एक कठिन मामला है।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : प्रवेश के आंकड़े क्या हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पंत : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि प्रवेश किये गये बच्चों की संख्या 40 लाख है। इससे मुझे ओपन स्कूल के प्रश्न की याद आती है। केवल दो माननीय सदस्यों ने उसके बारे में कहा था। हमारा माध्यमिक स्तर पर दिल्ली में एक ओपन स्कूल है। इन में आपकी स्कूल छोड़ने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गैर-औपचारिक केन्द्रों में उतने बच्चे स्कूल छोड़ते हैं जितने प्राथमिक स्कूलों में छोड़ते हैं। इनमें आप उन स्कूल छोड़ने वालों को लेते हैं जिनको औपचारिक स्कूल प्रणाली से वंचित कर दिया गया है। और इनमें वे अपनी गति से ही जा सकते हैं। वे श्रेय प्राप्त कर सकते हैं और मेरा विचार है कि पांच विषयों में श्रेय प्राप्त करने के लिए उन्हें पांच वर्ष दिये गये हैं और फिर उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने हैं। मेरा विचार है कि एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों में 'ओपन स्कूल' शुरु किये जाने चाहिए। यह बिल्कुल आवश्यक है। मेरे विचार में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की कठिनाइयों तथा इस पद्धति द्वारा जितनी संख्या को लाभान्वित किया जाता है, उसे ध्यान में रखते हुए, गैर-औपचारिक पद्धति को मजबूत बनाया जाना चाहिये। आप इसे प्रारम्भिक अवस्था में मजबूत नहीं कर सकते, तब फिर इसे छोड़ दें। ये लोग कहां जायेंगे ? कुछ लोगों के लिए यह सीधा स्थान हो सकता है। अन्य के लिए यह व्यावसायिक पद्धति में आने के लिए एक अवसर हो सकता है। कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस संख्या के बारे में हम बातें कर रहे हैं उसके लिए ये तीनों मिलकर भी उपलब्ध करने में सफल नहीं होंगे और वह केवल गैर-औपचारिक पद्धति द्वारा ही किया जा सकता है।

अत: हमें विद्यालय स्तर पर भी यथा शीघ्र गैर औपचारिक पद्धति को मजबूत बनाना होगा और मैं यह कह सकता हूं कि दिल्ली में ओपन स्कूल अच्छी तरह कार्य कर रहा है और यह लोकप्रिय है।

प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जिसमें हमारी आबादी का 64 प्रतिशत भाग अशिक्षित है और हमको कार्य शीघ्र साक्षरता के एक बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता है और यह एक जनसाधारण का कार्यक्रम होना चाहिए। इसमें विश्वविद्यालयों के छात्र, अध्यापक, महाविद्यालयों के छात्र, एन. एस. एस. जिसस बारे में प्रो० एन. जी. रंगा ने कहा है। मजदूर संघ, स्वयं सेवी संस्थाओं के कर्मचारी शामिल होने चाहिये और इनमें से प्रत्येक को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। गांधीजी के समय में भी एव प्रौढ़ शिक्षा आंदोलन था, जिसके बारे में प्रो० रंगा अच्छी तरह जानते हैं। और इसने कार्य किया और आखिर

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

तक इससे कार्य कराया गया और इसने अच्छा कार्य किया। एक बार फिर वचन वद्धता की भावना पैदा करनी पड़ेगी, एक बार फिर यह विश्वास पैदा करना पड़ेगा और मेरे मित्र श्री सुरेश कुरुप मुझे सहयोग देंगे और वह संकोच की अपेक्षा आशा और विश्वास की भावना पैदा करेंगे। यदि हम यह नहीं दिखाते हैं कि हम इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है, तो समस्यायें पैदा होंगी।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक): हम आशा करते हैं कि आपको इसमें सफलता मिलेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत: मैं यह नहीं चाहता कि आप यह आशा करें कि इसमें मुझे सफलता मिले। मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं। और यह आशा करता हूं कि आपको स्वयं इसमें सफलता मिलें। मैं यही चाहता हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि यदि हमें शिक्षा को सर्वसुलभ सफलता मिलती है तो इससे विद्यालय छोड़ने की दर कम होगी। और फिर प्रौढ़ शिक्षा भी आवश्यक होगी। मैंने मां-बाप को शिक्षित बनाने की आवश्यकता के बारे में कहा था। लेकिन कोई व्यक्ति जो अशिक्षित है वह हमेशा आसानी से शिक्षा के मूल्य को नहीं समझता है। अतः इस युग, इस समय और इस देश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्रियाशील साक्षरता निश्चित ही चाहिए मैं क्रियाशील साक्षरता पर जोर देता हूं क्योंकि यह केवल साक्षरता के सम्बन्ध में ही प्रश्न नहीं है, जो एक अच्छी बात है, बल्कि इससेव्यक्ति को उसके दिन-प्रतिदिन के कार्य में सहायता मिलेगी जो इसे उसके लिए अधिक आकर्षक बनाती है। वस्तुतः इसका अभिप्रायः है उन व्यक्तियों को ढूंढने की योग्यता रखना है जो ऐसे कार्यक्रम तैयार करेंगे जो सीखने वालों के लिए उपयुक्त होंगे।

फिर मैं ओपन विश्वविद्यालय के प्रश्न को लेता हूं जिसका उल्लेख किया गया था। हमने राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय के बारेमें जो कार्यवाही की है, वह एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है। मैंने आपकी उस गैर-औपचारिक धारा के बारे में बताया है जो प्राथमिक स्तर से उच्चतम विद्यालय स्तर तक आ रही है। उसके पश्चात ओपन विश्वविद्यालय होना चाहिए। हैदराबाद में पहले ही एक ओपन विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। लेकिन अब हम राष्ट्रीय स्तर पर इसे खोलना चाहते हैं। मेरे विचार से ऐसा करना सम्पूर्ण पद्धति, तथा उच्चतम शिक्षा के दबाव को ग्रहण करने की योग्यता, दानों दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। और यह अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। वह व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जा सकता है और रोजगार प्राप्त कर सकता लेकिन फिर वह गैर-औपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की धारा में वापस आ सकता है। वह अपने रोजगार में बना रह सकता है। और पत्राचार पाठ्यक्रम या शासकों केन्द्रों में जाकर पाठ्यक्रम पूरा करने से अपनी पढ़ाई कर सकता है क्योंकि ओपन विश्वविद्यालय केवल पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए ही नहीं होते हैं। इसका अर्थ पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय नहीं समझना चाहिए। इसका दृष्टिकोण व्यापक है और यह उसको अपनी गार्व से आगे बढ़ने की अनुमति देगा। वह अपना कार्य भी कर सकता है और साथ ही साथ वह अपनी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी बढ़ा सकता है या अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए अपनी उच्च शिक्षा भी बढ़ा सकता है। जो पद्धति बनायी जायेगी उसमें बहुत से जीविकोपार्जन करने वाले भी होंगे जिनको आज कल चाहने पर भी उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता है, या वे अपनी जानकारी या अपनी कुशलता में सुधार नहीं

कर सकते हैं। इससे आप उनको ऐसा करने का अवसर उपलब्ध कर सकते हैं। मेरा विचार है कि यह एक स्वागत योग्य कृत्य है। मेरा विश्वास है कि आप सभी शिक्षा को जारी रखने के दर्शन को चाहते हैं और लोगों को भी नयी पुराणताएं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उनको उनके जीवन में हमेशा नया ज्ञान मिलता रहेगा। मेरा विश्वास है कि सभा में इस पर कोई भी व्यक्ति इससे असहमत नहीं होगा। सामान्य पद्धति बहुत अधिक कठोर है। यह एक लचकदार पद्धति है। यह एक परिवर्तन लाने वाली पद्धति है यह दोनों तरीकों तथा पाठ्यक्रमों को सीखने की गति, प्रवेश के लिए योग्यता प्रवेश के लिए आयु परीक्षा लेने तथा कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट हैं। अभी-अभी मैं बैंकांक में था और मैंने वहीं उनके ओपन विश्वविद्यालय को चलते हुए देखा। मैं यह देख सका कि इसने उनमें कितना परिवर्तन किया जो औपचारिक शिक्षा से सम्भव नहीं थे। इसने उनके लिए एक व्यापक अन्तर बनाया है। अत: मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इस ओपन विश्वविद्यालय के कार्य को बढ़ाने मे पूर्णरूप से प्रयोग की गई आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी को देखना चाहता हूं। मैं इस स्थिति में आपको बताना चाहता हूं। कि हमारी सही स्थिति क्या है। आजकल हम एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और बाद में इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए इस समय में सभा के समक्ष एक प्रारूप विधेयक रखने का भी प्रस्ताव रखेंगे।

विद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र की ओर से प्रयास करने की कुछ बातें कही गयी थीं। प्रो. के. के. तिवारी ने यह प्रश्न उठाया था मैं उनसे केवल यह कहना चाहूंगा कि चूंकि साधारण-तया यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हम उनकी सहायता करने के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं। प्रश्न में एक उदाहरण 12वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा को केन्द्रीय संसाधनों से मुक्त किये जाने की है क्योंकि संसाधन भी एक समस्या है जिनकी हमेशा राज्यों के पास कमी रहती है। मैं प्रश्न को आपके ऊपर ही छोड़ता हूं क्योंकि मैं इसके पीछे नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं इसका मुकाबला करना चाहता हूं और मैं इसे आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि मैं यह देखता हूं, मैं यह महसूस करता हूं कि अंत में हम शिक्षा के परिवर्तन किये जाने की बात करते हैं, इसको कौन बदलेगा ? यह अध्यापक होगा। और फिर हम शिक्षा से समाज मूल्यों इस देश को बदलने और इससे 21वीं शदी के लिए तैयार करने की बातें करते हैं और इस सबके लिए यंत्र अध्यापक हैं। अत: हम इसके तर्क को या तो स्वीकार करते हैं। या अस्वीकार करते हैं। आजकल हम इसे अस्वीकार करते हैं और इसके परिणाम मिलते हैं मैं यही कहना चाहता हूं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने मॉडल स्कूलों का विचार रखा जिसके बारे में आपको दिये गये कागजातों में बताया गया है। अब सभी जगह एक साथ ही स्कूल शिक्षा में अचानक ही सुधार करना सम्भव नहीं है। विचारधारा बीज फार्म की ही है जिससे आप जिले में कम से कम एक आदर्श स्कूल स्थापित कर सकें। यदि आप पांच वर्षों में प्रत्येक जिले में एक आदर्श स्कूल स्थापित कर देते हैं तो मेरे विचार से यह एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इस विचार के क्या उद्देश्य हैं ? इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रारूप विधेयक रखने का प्रस्ताव करते हैं। लेकिन मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता कि केवल शिक्षा की परिवेश

[श्री कृष्ण चन्द पंत]

में बदलाव ला सकती है। भारत में आज परिवेश कई मायनों में अधूरा है। लेकिन यदि कोई इसी आधार को लेकर आगे बढ़ता है कि क्योंकि परिवेश अधूरा है और क्योंकि अध्यापक उस पर्यावरण परिवेश की देन हैं, इसलिये, वह इसमें बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर सकते, तो यहां बड़े अनिश्चय की स्थिति है और कोई भी व्यक्ति इस परिवेश के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा प्रणाली अकेले ही इस परिवेश को पूर्णतया बदल तो नहीं सकती लेकिन फिर भी कम से कम एक दिशा तो दे ही सकती है और एक बार फिर बात अध्यापक पर आकर अटक जाती है जो इस सारे संदर्भ में केन्द्र बिन्दु है और हमें यह नहीं देखना है कि अध्यापक क्या पढ़ाता है बल्कि देखना यह है कि वह क्या करता है क्योंकि वही छात्रों के लिये आदर्श के रूप में होता है जिससे छात्र कुछ सीखते हैं। वह छात्रों को वे सभी अच्छी बातें बता सकता है जो वह चाहता है लेकिन जो आदर्श वह स्थापित करता है अमल पर वही महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति यह होती है कि वह जो कार्य रूप में देखते हैं उस पर सुनकर कुछ सीखने की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह अमल करते हैं। इसीलिये अध्यापक का व्यवसाय और सभी व्यवसायों से अलग होता है। क्या हम इस सदन के सदस्य जिन पर अनेकों प्रकार के राजनीतिक खींचतान और दबाव रहते हैं इस बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ? क्या हम उस अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा सम्बंधी परिवेश के हित में कुछ राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं जिसे हम स्थापित करना चाहते हैं ? मैं यह प्रश्न आप पर छोड़े देता हूं। मैं यह जानता हूं कि वास्तविक राजनीति के संदर्भ में यह बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा चाहता हूं। हम अनेकों अन्य दूसरे क्षेत्रों में सहायता करते हैं जैसे शिक्षक और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को और अच्छा बनाने में, अध्यापकों के प्रशिक्षण में तथा अन्य ऐसे ही क्षेत्रों में। हमारे यहां उन सभी प्रयासों को जो हम कर रहे हैं सहायता देने के लिये सेवारत अध्यापकों के वास्ते व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं और इस संदर्भ में, हम प्रति वर्ष कम से कम 300 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में नये उपकरण, पुस्तकें और अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराना चाहते हैं। उन्हें श्रव्य दृश्य सुविधाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिये। यह एक समग्र कार्यक्रम है और मुझे आशा है कि इससे सारे देश के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने में सहायता मिलेगी। मैंने इनका ब्यौरा नहीं दिया है क्योंकि यह ब्यौरा उन दस्तावेजों में दिया जा चुका है जो आप लोगों को भेज दिये गये हैं, परन्तु मुझे आशा है कि आप में से जो इस विषय में रूचि रखते हैं, कुछ समय देकर उन सभी चीजों को देखने की कृपा करेंगे जो हम राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देकर, करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यापक की भूमिका के बारे में अनेकों कानूनीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया ही जा चुका है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब हम परिवेश से सम्बंधित शिक्षा और रोजगार के अवसरों से सम्बंधित शिक्षा की बात करते हैं तो अन्ततः वह व्यक्ति जो इस धारणा को वास्तविक रूप प्रदान करता है, अध्यापक है और जब तक वह इस धारणा को स्वीकार नहीं करता, तब तक आपके और मेरे द्वारा इस धारणा को स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से मूल्यों का प्रश्न है, यही हाल शिक्षण के प्रश्न का भी है। अनेकों माननीय सदस्यों ने कहा है कि अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं और छात्र पढ़ते नहीं हैं। मैं इस अतिरंजित वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकता। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह

प्रांतीयतावाद बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन स्कूलों के छात्रावासों में अन्य राज्यों के कुछ बच्चे भी रहें ताकि वे बच्चे एक साथ रह सकें। शायद भारतीयता की भावना पैदा करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा लक्ष्य है योग्य बच्चों को बढ़िया शिक्षा प्रदान करना ताकि उनके रास्ते में गरीबी बाधा बनकर न खड़ी हो सके और तीसरा है ग्रामीण बच्चों को प्राथमिकता प्रदान करना। आज ये हमारे लक्ष्य हैं। हम छात्रावास उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम काफी मात्रा में छात्रवृत्ति प्रदान करना चाहते हैं ताकि निर्धन बच्चे भी अन्य बच्चों के साथ बराबरी की हैसियत से छात्रावासों में रह सकें। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषायें शिक्षा का माध्यम हों न कि केवल अंग्रेजी ही। हम यह चाहते हैं कि एक जैसा ही पाठ्यक्रम सभी स्कूलों मे लागू हो और हम यह भी चाहते हैं कि इन स्कूलों में तीसरी भाषा भी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाये।

इन सभी विचारों को अभी आंकलन नहीं किया गया है। उनका आंकलन करने में कुछ समय और लगेगा। लेकिन मोटे रूप में कहें तो यह एक दिशामात्र है। मैं सामान्यतः इस विचार का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि मैंने इस सदन की भावना को गलत नहीं समझा है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि हम हर जिले में एक 'दून' स्कूल की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं हर जिले में गरीबों के लिये एक 'दून' स्कूल खोल सका तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।

व्यवसायिक शिक्षा के प्रश्न के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और इस सदन में हुये वाद विवाद के दौरान व्यवसायिक शिक्षा की उपयोगिता को भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जा चुका है। यह शिक्षा और रोजगार के बीच सम्पर्क का काम करती है। परन्तु समस्या यह है कि कई आयोगों द्वारा इसके समर्थन किये जाने के बावजूद और देश के अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इसे स्वीकार कर लिये जाने के बाद भी, व्यवसायिक शिक्षा को स्वीकार्य बनाने में सफलता नहीं मिल पाई है। मैं नहीं समझता क्यों ? मैं इस प्रश्न के हल के बारे में अभी और अधिक चर्चा करना नहीं चाहता। एक समस्या यह भी है कि इसमें प्रतिष्ठा की कमी है और शायद प्रतिष्ठा की कमी इसलिये है क्योंकि हमारा सामान्य दृष्टिकोण शारीरिक कामों के प्रति अच्छा नहीं है। हम इससे घृणा करते हैं और इसलिये, वह व्यक्ति जो व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करता है, यह महसूस करता है कि यह शिक्षा उच्चतर शिक्षा के मुकाबले अच्छी नहीं है। दो चीजें आवश्यक दिखाई पड़ती हैं। और मैं उनके बारे में पूरी तरह से सोच रहा हूं। दोनों में से एक चीज है कि इनमें एक से दूसरी शिक्षा पद्धती में जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, और यह अपने आप में ही अन्तिम सीमा (टर्मिनल प्वाइंट) नहीं होनी चाहिये। यदि कोई छात्र व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है और वह अपनी शैक्षिक योग्यता में सुधार करना चाहता है तो बाद में, उसके लिये ऐसा करना सम्भव होना चाहिये। दूसरा प्रश्न है कि इस शिक्षा पद्धति में शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेकों लड़के लड़कियां शिक्षा समाप्ति के बाद ही रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते। और यह बात उन्हें हतोत्साहित करती है, इसलिये मि० बैरो द्वारा दिया गया यह सुझाव कि व्यवसायिक शिक्षा और रोजगार के अवसरों में परस्पर ऐसा सम्बंध हो कि व्यवसायिक संस्थान से शिक्षा प्राप्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्वतः ही रोजगार मिल सके। मैं इसे एक अच्छा सुझाव

[श्री कृष्ण चन्द पंत]

मानता हूं और इसे अमल में भी लाया जा सकता है। यदि हम ऐसा कर सके तो कुछ हद तक जो इस दिशा में बाधायें आ रही हैं, समाप्त हो जायेंगी। मंत्रालय यह जांच कर रहा है कि व्यवसायीकरण को किस प्रकार एक प्रभावी रूप दिया जाये। हमने इसके लिये एक व्यवसायिक अर्थ रूप बोर्ड का गठन किया है।

श्री बैरो ने प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है हम इसमें संशोधन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहां एक प्रायोगिक परियोजना है जो पिछले दो सालों से चल रही है। इस परियोजना को और अधिक व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिये हाल ही में एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गई है। एक माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि "ग्रामीण विकास क्या है।" आप इन पोलिटैकनिकों को ग्रामीण विकास के साथ कैसे जोड़ते हैं? "सामुदायिक पोलिटैकनिक स्कीम।" नाम की एक योजना है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को जो दस्तावेज भेजे गये हैं, उनमें इस योजना का ब्यौरा है या नहीं? इसे 'सामुदायिक पोलिटैकनिक स्कीम' के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इस योजना में एक अच्छी बात यह है कि यह अनुभव की गई आवश्यकताओं को आधार मानकर ही आगे बढ़ती है। यह जनशान्ति परियोजना नहीं है जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने उल्लेख किया है, बल्कि यह महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित है। मान लो किसी इलाके में रेडियो मरम्मत करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है तो वहां 6 सप्ताह अथवा 2 माह का एक संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकता है। आप किसी को प्रशिक्षित कीजिये और वह इस कार्य को करने लगेगा। मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के सूझ-बूझ वाले प्रयास आवश्यक हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि "सामुदायिक पोलिटेकनिक स्कीम" को समर्थन देने और इसका विस्तार करने के पीछे यही आशय है।

प्रो० एन० जी० रंगा : कला और शिल्प में लगे लोग, बुनकर तथा अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : न केवल इतना ही बल्कि, किसी ने यह भी कहा है, कि परम्परागत शिल्पकारों को भी इस योजना के अधीन लाया जाना चाहिये। यह एक ऐसा सुझाव है जिसकी मैं निश्चय ही जांच करुंगा।

श्री मल्लापल्ली रामचन्द्रन : गैर-सरकारी प्रबंधकों द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचारी गतिविरोधियों का निराकरण करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आप जानते ही हैं कि यही प्रश्न मेरे मित्र श्री जगदीश अवस्थी को भी परेशान कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि वह भी मुझे बीच में रोकें। लेकिन सभी तरह की समस्यायें हैं और अनुच्छेद 29 और 30 सहित कुछ बातों को ध्यान में रखना हमारे लिये जरूरी है। मैं इस अतिरंजित वक्तव्य का उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूं। यदि आपको किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई विशिष्ट समस्या हो तो हम इसकी जांच जरूर करेंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : महिलाओं और लड़कियों के लिए पौलिटैकनिकों के बारे में क्या स्थिति है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लड़कियों के लिये पौलिटैकनिक हैं। पब्लिक स्कूल भी हैं। मैंने कोशिश की थी कि वह उत्तेजित न हों परन्तु वह उत्तेजित हो ही गये, वह अपने आप ही उत्तेजित हुए हैं। वही उत्तर यहां भी लागू होता है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वह बात यह है कि लड़कियों के लिए पौलिटैकनिक चल रहे हैं। लेकिन ये अवासीय नहीं है। हम उनमें से कुछ को आवासीय बनाना चाहते हैं। ताकि पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों को भी सहायता मिल सके।

अब मैं आपको शिक्षा प्रणाली से रोजगार के अवसरों को जोड़ने की एक घटना बताता हूं जो हम सभी चाहते हैं। मैंने इस बारे में सोचा है। मैंने इस सम्बन्ध में इलैक्ट्रोनिक उद्योग को छांटा है। जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जहां ऐसा प्रयास किया जा सकता है। इस उद्योग ने सन् 1990 तक 1000 करोड़ रुपये के उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह बहुत व्यापक कार्यक्रम है ; इलैक्ट्रोनिक श्रम-बहुत उद्योग है। इसलिये, मैंने डा० संजीवी राव से बातचीत की थी। विभिन्न स्तरों के अर्थात् डिग्री स्तर, डिप्लोमा स्तर के और स्कूली पाठ्यक्रमों में इलैक्ट्रोनिको जनशक्ति की आवश्यकताओं को शामिल किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। नये पाठ्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं और पुराने पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जा रहा है। मुझे आशा है कि यदि हमें इसमें सफलता मिलती है तो हमें एक प्रतिमान मिल जायेगा जिसे हम दूसरे उद्योगों पर भी लागू कर सकते हैं। मैं इस बात के लिये बहुत उत्सुक हूं कि हमें इस योजना मे विशेष सफलता प्राप्त हो।

अब कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी 250 स्कूलों में देनी प्रारम्भ की गई है। यह एक पायलट परियोजना है। जल्दी ही इस योजना के अन्तर्गत व्यापी संख्या में स्कूलों को ले आया जायेगा। मुझे नही मालूम कि ये 250 स्कूल कौन-कौन से हैं जिन्हें इसके लिए चुना गया है। लेकिन मैं निश्चय ही इनकी जांच करूंगा। मेरा विचार यह है कि ये सरकारी स्कूल ही होंगे। मेरी अपनी राय यह है कि यदि यह योजना सभी सरकारी स्कूलों में या अधिकांश सरकारी स्कूलों में लागू हो तो बेहतर होगा। लेकिन मैं इस बात की अवश्य जांच करूंगा कि जिन-जिन स्कूलों में ये कम्प्यूटर हैं।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : अधिकांशत: स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : जी हां, अधिकांश स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं। लेकिन मैं इस बात के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित हूं कि अगली सदी में कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी अति आवश्यक हो जायेगी और केवल इस तथ्य कारण है। हमें इस बारे कोई समुचित जानकारी नही है, हम उन परिवर्तनों की अनदेखी न करदें, जो हर जगह हो रहे हैं। कुछ समय पूर्व शायद इस वर्ष के शुरू में ही मैं यूने को की एक बैठक में भाग लेने के लिए पेरिस गया हुआ था, वहां मैंने

{श्री कृष्ण चन्द्र पंत

4 से 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक कम्प्यूटर केन्द्र देखा । मैं इस विषय यहां विस्तार नहीं देना चाहता । आप समझ ही सकते हैं कि प्रारम्भ से ही उन्होंने इसे कितना रुचिकर बनाया है । उदाहरण के लिए, कम्प्यूटर के पर्दे (स्क्रीन) पर 5 या 6 तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उनके नीचे 5 या 6 नाम होते हैं ओर यदि बच्चा उनके ठीक-ठीक पात्रों को निर्देशित कर देता है तो तस्वीरों को नामों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसी तरह से आगे यह कुछ चलता रहता है, और इस तरह से विभिन्न प्रकार के दृश्य-श्रव्य तरीकों से सीखना आसान हो जाता है । मैं इस चर्चा में सदन का समय नहीं लेना चाहता । लेकिन मैंने तो सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए इस बात का उदाहरण दिया है कि हमें इस मामले में खुले दिल से काम लेना चाहिये और हमें यह मालूम होना चाहिए कि 21वीं सदी की आवश्यकतायें आज से भिन्न होंगी और यदि हम आज कोई गलत निर्णय कर लेते हैं तो भावी पीढ़ियां हमें इसके लिये कोसेंगी कि हमने दूर-दर्शिता से काम नहीं लिया हमे दूरदर्शी होना चाहिए ।

नौकरियों को डिग्री से अलग करने के प्रश्न का सामान्तः सभी के द्वाहा स्वागत किया गया है और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इन डिग्रियों को समाप्त नहीं कर रहे हैं । मैडिकल डिग्री रहेगी, विश्वविद्यालयों की डिग्रियां भी रहेंगी, इंजीनियरी की डिग्री भी कायम रहेगी । जिसमें एक चीज यह होगी कि जब तक किसी कार्य के लिये डिग्री की अपेक्षा नहीं होगी, जब तक कि किसी कार्य के लिए डिग्री आवश्यक नहीं होगी, तब तक उस विशेष कार्य के लिये रोजगार की यह एक पात्रता-शर्त नहीं होगी, परन्तु अब कार्यों के लिये, परीक्षायें आदि चलती रहेंगी । अब बिना और विस्तार में जाये, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उच्चतर शिक्षा फिर भी जारी रहेगी । हमें अनुसंधानों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी, हमें उन लोगों की आवश्यकता पड़ती रहेगी जिनके पास डीग्रियां हैं, स्नातक पूर्व डिग्री हैं और स्नातकोतर डिग्रियां हैं । परन्तु यह बेहतर होगा कि यदि उन्हीं व्यक्तियों को, जो सही मापने में योग्य हैं, और जिनकी शैक्षिक क्षमता अच्छी है और जि नके पास सदी व्यवसायिक लक्ष्य है, उच्च शिक्षा संस्थाओं में लिया जाये । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां तक शैक्षिक क्षमता का सम्बन्ध है, यदि आप दिल्ली के किसी अच्छे कालेज को देखें तो आपको पता चलेगा कि जहां तक इन स्कूलों में प्रवेश का सम्बन्ध है, इनमें शैक्षिक क्षमता को ही निर्णायक मानदण्ड के रूप में स्वीकार किया जाता है । इसलिये यह कोई नया विचार नहीं है । भारी संख्या में उन युवा लोगों को प्रवेश देने के बजाय जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाना चाहते हैं परन्तु शैक्षिक क्षमता को देखते हुये ऐसा कर नहीं पाते, और जो भी संस्था उन्हें प्रवेश देती है, वहीं दाखिल हो जाते हैं, उनकी शनि को बरबाद होते देखने के बजाय, आप उन्हें काम दीजिये और इस तरह से डिग्री को नौकरी से अलग कीजिये । डिग्री को नौकरी से अलग करना एक सकारात्मक कदम है न कि नकारात्मक और मैं इस कार्य में इस सदन का पूरा-पूरा समर्थन चाहता हूं ।

महोदय, प्रो. के. के. तिवारी द्वारा एक ऐसे कानून के सम्बन्ध में केन्द्र की भूमिका क उल्लेख किया गया था जिसे केन्द्र बना सकता है और एक समान पाठ्यक्रम आदि बातों का भी उन्होंने उल्लेख किया था । अब काफी देर हो चुकी है और मैं अब इस मामले की गहराई में नहीं जाना चाहता । लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम एक ऐसा केन्द्रीय कानून बनाने की

सम्भावित जांच कर रहे हैं जिसमें ये सभी बातें समर्पित हों।

अब मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय के लिए अधिक निधियां प्रदान करने पर जोर दिया है। मैं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी समझता हूं। पहले भी मैं अन्य मंत्रालयों में मंत्री रह चुका हूं, मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री भी रह चुका हूं। इसलिए जो सीमाएं तथा मजबूरियां होती हैं मैं उन्हें भी समझता हूं। परन्तु मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। यह मात्र समाज सेवा ही नहीं है। समाज सेवा होते हुए भी वह विकास की ओर एक निवेश है। किसी ने जिक्र किया था कि शिक्षा में पूंजी लगाने और उसके लाभ प्रकट होने के बीच बहुत लम्बी अवधि है। एक ऐसी प्रवृत्ति भी देखी जाती है जिसमें तुरन्त परिणाम प्राप्त करने पर थोड़ा अधिक जोर दिया जाता है।

परन्तु इससे खतरा भी हो सकता है। यदि हर वर्ष जरूरत से कम पूंजी दी जाती रही तो शिक्षा का ढांचा कमजोर होता जाएगा। यह बात राज्यों व केन्द्र दोनों के लिए सही है। इसलिए मुझे आशा है कि जैसे-जैसे हमारी योजना आगे बढ़ती जाएगी। मैं सभा के समक्ष आकर आवंटन में वृद्धि के लिए आपका समर्थन मागूंगा। सरकार में यदि मैं रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं,— मेरे विचार में मैं नहीं कह रहा हूं मुझे इस मामले में प्रधानमन्त्री का समर्थन प्राप्त है, जो कि बहुत जरूरी है, परन्तु चूंकि मेरे माननीय मित्र हर समय लोकतन्त्रीकरण की बातें करते रहते हैं इसलिए इस प्रणाली में एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में मिल-जुल कर प्रयत्न किए जाने चाहिए।

मेरे विचार से वाद-विवाद के दौरान मैंने हर मुद्दे का उत्तर दे दिया है।

प्रो० के० के० तिवारी : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की मांग के सम्बन्ध में अब यह सोचा जा रहा है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए तथा मैंने इसका जिक्र नहीं किया था इससे श्री तिवारी को यह अहसास हो जाना चाहिए कि मैं उन्हें 'ना' नहीं कहना चाहता था इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया।

मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय के ऊपर जो काम छोड़ा गया है उसकी महत्ता मैं कम नहीं समझता। परन्तु मुझे इस वाद-विवाद से हार्दिक प्रसन्नता हुई है। वाद-विवाद का स्तर काफी ऊंचा था इसलिए मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला तथा आप सारे देश की राय का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए मुझे यकीन है सभी क्षेत्रों, तथा जनमत को तैयार करके इस सभा में उन सभी योग्यताओं जिन पर विचार-विमर्श किया गया, के लिए उनका समर्थन प्राप्त किया जा सकता है तथा हमें यह प्रयत्न करना है कि जन-शिक्षा एक वास्तविकता बने तथा इस देश में एक दशक में नहीं वरन कुछ वर्षों में ही परिवर्तन हो जाए। तभी यह लम्बा वाद-विवाद सार्थक तथा लाभदायक सिद्ध होगा।

मैं यह मानता हूं कि इस देश की जनता शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंची आशाएं रखती हैं तथा यह सभी आशाएं उन विचारों के आसपास केन्द्रित हैं। जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अन्त में मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इन विचारों का समर्थन किया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों से संबंधित सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में एक साथ मतदान के लिए रखता हूं। यदि कोई माननीय सदस्य चाहें तो उनका कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है .....मेरे विचार से कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता।

इसलिए मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ में सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

चर्चा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शिक्षा मंत्रालय से संबन्धित अनुदान की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई शिक्षा मंत्रालय से सम्बंधित मांग संख्या 24 और 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च,1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :—अब सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

8.51 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 9 अप्रैल, 1985 (19 चैत्र, 1907 (शक) 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिज्स, डी-108, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053